त्रयोदश माला, खंड 34, अंक 32

शुक्रवार, 2 मई, 2003
12 वैशाख, 1925 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

बारहवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

Checking

सत्यमेव जयते

(खंड 34 में अंक 31 से 37 तक हैं)

PARLIAMENT LIBRARY
No. 55
Date 20/1/04

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

शारदा प्रसाद
प्रधान मुख्य सम्पादक

विद्या सागर शर्मा
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

अजीत सिंह यादव
सहायक सम्पादक

964

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 34, बारहवां सत्र, 2003/1925 (शक)]

अंक 32, शुक्रवार, 2 मई, 2003/12 वैशाख, 1925 (शक)

विषय	कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 583 से 587	5–38
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 588 से 602	38–59
अतारांकित प्रश्न संख्या 5735 से 5964	59–331
आई.आई.सी.एन. द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के बारे में दिनांक 28.11.2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1743 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	331–332
सभा पटल पर रखे गये पत्र	332–341
वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति	
चौवनवां से साठवां प्रतिवेदन	341–342
विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति	
एक सौ ग्यारहवां से एक सौ सत्रहवां प्रतिवेदन	342–343
सभा का कार्य	343–345
कार्य मंत्रणा समिति के पचासवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	345
प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य	
भारत-पाक संबंध और हाल के घटनाक्रम के बारे में	345–348
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	345–348
श्री शिवराज वि. पाटील	347–348
संविधान (छियानवेवां संशोधन) विधेयक—*पुरःस्थापित* (अनुच्छेद 81, 82, 170 और 330 का संशोधन)	349
सदस्यों द्वारा निवेदन	
बिहार सरकार द्वारा पटना में आयोजित कथित "लाठी रैली" जिससे राज्य में कानून और व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गई, के बारे में	362–367

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित * चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कालम
विश्व मामलों से संबंधित भारतीय परिषद (संशोधन) विधेयक—*पारित*	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	373–427
श्री दिग्विजय सिंह	374–376, 384–390
श्री लक्ष्मण सिंह	376–378
श्री खारबेल स्वाइं	379–381
श्री सुरेश कुरूप	381–382
श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन	382–384
खण्ड 2 से 5 और 1	426
पारित करने के लिए प्रस्ताव	427
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—*पुर:स्थापित*	
(एक) धर्म संपरिवर्तन पर पाबंदी विधेयक	
श्री चन्द्रकांत खैरे	427–430
(दो) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 263 का प्रतिस्थापन)	
श्री चन्द्रकांत खैरे	427–428
(तीन) पब्लिक सेक्टर के उद्यमों का विनिवेश (संसद द्वारा संवीक्षा) विधेयक	
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल	428
(चार) फिल्मों की वीडियो पाइरेसी निवारण विधेयक	
श्री रमेश चेन्नितला	428–429
(पांच) प्रत्यावासित व्यक्ति कल्याण निधि विधेयक	
श्री रमेश चेन्नितला	429–430
(छह) राजीव गांधी जैव-प्रौद्योगिकी केन्द्र विधेयक	
श्री रमेश चेन्नितला	430
(सात) त्रिपुरा उच्च न्यायालय विधेयक	
श्री खगेन दास	430
संविधान (संशोधन) विधेयक—*वापस लिया गया* (अनुच्छेद 248, आदि का संशोधन)	431–449
विचार करने के लिए प्रस्ताव	431
श्री अनादि साहू	431–435
श्री रमेश चेन्नितला	435–441

विषय	कालम
डा. वी. सरोजा	442
श्री ईश्वर दयाल स्वामी	442–448
श्री सुरेश कुरूप	448–449
संविधान (संशोधन) विधेयक—*विचाराधीन* (अनुच्छेद 81 और 170 का संशोधन)	450–455, 469–470
विचार करने के लिए प्रस्ताव	450
श्री जी.एम. बनातवाला	450–455, 469–470
आधे घंटे की चर्चा	
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में	455–469
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	455–459
श्री थावरचन्द गेहलोत	459–460
श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन	460–461
कुंवर अखिलेश सिंह	461–462
श्री चन्द्र विजय सिंह	462–463
श्री रमेश चेन्नितला	463–464
श्री लक्ष्मण सिंह	464
श्री पुन्नूलाल मोहले	464
श्री धर्मराज सिंह पटेल	465
श्री अनंत कुमार	465–469

लोक सभा

शुक्रवार, 2 मई, 2003/12 वैशाख, 1925 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में कल जो घटनाक्रम हुआ, वह बहुत गंभीर मामला है। *...(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्लीज बैठिए।

[अनुवाद]

मुझे तीन सदस्यों से स्थगन प्रस्ताव के लिए तीन सूचनाएं मिली हैं। मैंने सभी तीनों स्थगन प्रस्तावों को अस्वीकृत कर दिया है।

[हिन्दी]

लेकिन इस विषय में अखिलेश जी क्या कहना चाहते हैं, वह अपनी जगह पर जाकर बोलें।

...(व्यवधान)

श्री राशिद अलवी (अमरोहा): अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, ये लोग लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं। यही लोग वहां ऐसे काम करवा रहे हैं। अदालत का आदेश हमारे पास है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मेरे पास कुंवर अखिलेश सिंह का सस्पैन्सन ऑफ क्वैश्चन का आवर का नोटिस है इसलिए मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या बात है। इससे आपको अपसैट होने की क्या जरूरत है? प्रश्न तो मुझे सुनने दें। मैंने तो अभी सुना भी नहीं।

...(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन: ये कैसे कह सकते हैं? यह बहुत गंभीर बात है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने सभी एडजर्नमेंट मोशन रिजैक्ट कर दिये हैं।

...(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन: यह बहुत गंभीर मामला है। जबरन समाजवादी पार्टी के कार्यालय को खाली कराया गया है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप सब बैठ जाइए। मैं कैसे सुन पाऊंगा?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कुंवर अखिलेश जी, क्या आप नहीं बोलना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के युवा संगठन समाज नियोजन सभा का प्रदेश कार्यालय है। वह प्रदेश कार्यालय बाकायदा सरकार के द्वारा आबंटित किया गया था। *...(व्यवधान)* उसके बावजूद उसको खाली कराया गया। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप इस मामले को जीरो आवर में उठाइए।

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्लीज बैठिये। मैं जीरो आवर में आपको बोलने की इजाजत दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय हमारे पास है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्लीज अपनी-अपनी जगह पर जाइए। देखिये, आप दोनों माननीय सदस्य जानते हैं कि जहां आपका कार्यालय चलता है, वह फोर्सफुली लेने की कोशिश हुई। इसके लिए रास्ता यही है कि आप कनटैम्प्ट ऑफ कोर्ट कर सकते हैं। लीगली यही

कर सकते हैं। इस सदन का इस विषय से क्या संबंध है? दूसरी बात है कि यह स्टेट गवर्नमेंट का मामला है, यहां आप कैसे उठा सकते हैं? दोनों बातें मैंने सुनी हैं। यह मामला यहां नहीं उठा सकते, फिर भी मैं आपको जीरो आवर में बोलने की इजाजत देने वाला हूं। जीरो आवर में आप इस विषय पर बोलिये। ऐसे बोलने से क्या होगा?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: प्रभुनाथ सिंह जी, मैंने आपको बोलने की इजाजत दी है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: प्लीज आप अपनी सीट पर आइए।

...(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन: यह लोकतंत्र की हत्या है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपका जो बिहेवियर है, वह ठीक नहीं है। इससे भी लोकतंत्र नहीं रहेगा। आप अपनी जगह पर आइए।

...(व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह: अध्यक्ष महोदय, इस पर चर्चा करने की इजाजत दी जाए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको शून्य-काल में इस पर बोलने के लिए समय दूंगा। *...(व्यवधान)* अभी आप बैठिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, बिहार में 30 अप्रैल को लाठी रैली का आयोजन किया गया। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको इसके लिए शून्य-काल में समय दूंगा। कृपया आप इसे शून्य-काल में उठाएं।

कुंवर अखिलेश सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है। समाजवादी पार्टी के कार्यालय को जबर्दस्ती खाली करा लिया गया। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री सिंह, मैंने आपसे कहा कि आप इस मामले को जीरो-आवर में उठाइए। मैं आपको उस समय इस पर बोलने की इजाजत दूंगा। आप अपने स्थान पर बैठिए।

श्री राशिद अलवी: अध्यक्ष महोदय, मैं इससे अलग हटकर एक दूसरी बात कहना चाहता हूं। कृपया मुझे बोलने का समय दीजिए। *...(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने नोटिस भी नहीं दिया है। हमने तो प्रश्नकाल को स्थगित करने का नोटिस दिया है। यदि आप अलवी जी को बोलने का समय देंगे, तो फिर हम भी अभी बोलेंगे। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं अलवी जी को भी इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री राशिद अलवी: अध्यक्ष महोदय, मैं एक अलग बात कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको शून्य-काल में इजाजत दूंगा।

श्री राशिद अलवी: अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जब किसी आदमी की मर्जी होगी, तो वह अपने घर में हुई चोरी के लिए भी, क्या इस माननीय सदन में प्रश्नकाल स्थगित करने का नोटिस देकर, इस प्रकार सदन की कार्यवाही को रोकने का प्रयास करेगा, और क्या आप उसको इजाजत देंगे? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अलवी जी, मैंने सुमन जी एवं कुंवर अखिलेश सिंह को इजाजत नहीं दी है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया शान्ति के साथ अपने स्थानों पर बैठिए। बहुत हो गया, अब मुझे काम करने दीजिए। सदन के सामने बहुत महत्वपूर्ण मसले हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि आप ऐसी बातें यहां क्यों कर रहे हैं। एक तरफ तो आप लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ सदन की कार्यवाही को शांतिपूर्ण ढंग से नहीं चलने देकर लोकतंत्र को खतरा पैदा करने की बात करते हैं। यह प्रश्न ऐसा नहीं है जिसे प्रश्न-काल स्थगित कर सुना जाए। यह प्रिंसीपल का प्रश्न है, इसे आप शून्य-काल में उठा सकते हैं, किसी और समय उठा सकते हैं। कृपया बैठिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी-अपनी सीटों पर जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं अब प्रश्न काल शुरू करता हूं। प्रश्न-583—श्री वी. वेत्रिसेलवन।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री वेत्रिसेलवन, कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री वी. वेत्रिसेलवन की बात के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी-अपनी सीटों पर जाइये।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.08 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

भारतीय इस्पात पर पाटन-रोधी शुल्क

*583. **श्री वी. वेत्रिसेलवन:**
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कनाडा अमरीका, फ्रांस, थाइलैंड, यूरोपीय संघ जापान जैसे अनेक देशों ने भारत से इस्पात के आयात पर पाटनरोधी शुल्क और अन्य गैर-शुल्क अवरोध लगाये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे देशों के नाम क्या हैं तथा प्रत्येक देश द्वारा किस दर से पाटन-रोधी शुल्क लगाया गया है;

(ग) ऐसी कार्रवाई का हमारे इस्पात उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(घ) क्या सरकार ने उपरोक्त देशों और विश्व व्यापार संगठन के साथ यह मामला उठाया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(च) क्या उपरोक्त में से किसी देश ने पाटनरोधी शुल्क समाप्त कर दिया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (छ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां, इन देशों अर्थात अमरीका, यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका और थाईलैण्ड ने भारत से आयात किए जा रहे/भारत मूल के इस्पात/इस्पात उत्पादों के खिलाफ पाटनरोधी शुल्क की जांच शुरू की है। 1998 से लगाए गए पाटनरोधी शुल्कों का देश-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

देश	मदें	पाटनरोधी शुल्की की सीमा
1	2	3
अमरीका	1. कट-टू-लैंथ कार्बन स्टील स्लेट	1. 72.49% संशोधित 42.39%
	2. हॉट-रॉल्ड स्टील प्लेट प्रोडक्ट्स	2. 36.53% से 44.40%
	3. कोल्ड रॉल्ड स्टील प्रोडक्ट्स	3. 153.65%
कनाडा	1. स्टेनलैस स्टील राउण्ड बार्स	1. 18.8% से 52.4%
	2. हॉल्ट-रॉल्ड कार्बन स्टील प्लेट्स	2. पाटन मार्जिन की सीमा 1.3% से 28.4% तक
	3. हॉट-रॉल्ड कार्बन स्टील शीट्स	3. पाटन का भारित औसत मार्जिन 22.4% से 62.9%
यूरोपीय संघ	1. स्टील स्ट्रांडेड रोप्स एण्ड केबल्स	1. 23.8% से 30.8% (भारतीय निर्यातकों द्वारा कीमत की वचनबद्धता दी गयी है)
	2. स्टेनलैस स्टील फाइन वायर (1 मिमी अथवा उससे अधिक व्यास वाला)	2. 55.6% तक

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

1	2	3
	3. आयरन एवं नॉन-एल्लॉय स्टील (एचआरसी) के फ्लैट रॉल्ड उत्पाद	3. 11.5% तक (भारतीय निर्यातकों द्वारा कीमत की वचनबद्धता दी गयी)-नई वाणिज्यिक समीक्षा के अंतर्गत 18.1% तक
	4. नॉन-एल्लॉय स्टील के हॉट-रॉल्ड फ्लैट प्रोडक्ट्स (क्वार्टो प्लेट्स)	4. 22.3* (भारतीय निर्यातक द्वारा कीमत वचनबद्धता दी गयी)
दक्षिण अफ्रीका	1. पेपर इंसुलेटेड लीड कवर्ड इलेक्ट्रिक केबल	1. 2.14* से 65.47*
	2. गल्वेनाइडज्ड पाइप	2. 34.7*
थाइलैण्ड	1. कायल्स में फ्लैट हॉट रॉल्ड स्टील	1. अनंतिम शुल्क 60.88* की दर पर और अवशिष्ट शुल्क 66.14* की दर से।

(ग) भारत से निर्यातित विभिन्न स्टील मदों पर बहुत से देशों द्वारा व्यापार कार्रवाई करने से इन देशों को होने वाले इस प्रकार की मदों के निर्यात में काफी कमी आई है। इन देशों द्वारा भारतीय स्टील के निर्यातों पर लगाए गए लेवियों से गंतव्य बाजारों को होने वाले भारतीय निर्यातों की सुपुर्दगी कीमत में वृद्धि हुई है और इससे मात्राओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। तथापि, प्रतिकूल प्रस्थितियों के होते हुए भी, भारतीय स्टील के समग्र निर्यातों की पूर्ति अधिकांशत: भारतीय स्टील निर्यातकों द्वारा वैकल्पिक बाजारों का पता लगाए जाने और अधिक मूल्यवर्धित उत्पादों में स्थानान्तरण करके निर्यात मदों का विविधीकरण किए जाने की क्षमता के कारण हो गई है।

(घ) से (छ) डब्ल्यूटीओ प्रावधानों के अंतर्गत, पाटनरोधी जांच का आश्रय केवल तभी लिया जाता है जब उत्पादों के सामान्य मूल्य से कम कीमत पर निर्यात किए जाते हों और जो आयातित देश के किसी स्थापित घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति पहुंचाते हैं अथवा उनसे वास्तविक क्षति पहुचाने का खतरा हो। जांच का उत्तर प्राथमिक रूप से निर्यातकों को देना होता है। तथापि, भारत सरकार ने इन मामलों तो द्विपक्षीय रूप से जहां उचित है वहां डब्ल्यूटीओ में भी उठाया है।

भारत के अनुरोध पर डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटान तंत्र के अंतर्गत एक पैनल का गठन किया गया था जो भारत से कट-टू-लैंथ स्टील प्लेटों के आयातों पर अमरीका द्वारा 72.49% की सीमा तक पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने संबंधी विवाद में भारत के दावों की जांच करेगा। विवाद निपटान निकाय (डीएसबी) ने अमरीका से यह अनुरोध किया था कि वह अपने उपायों को डब्ल्यूटीओ में निर्धारित दायित्वों के अनुरूप बनाए। अमरीका ने 7 फरवरी, 2003 को उरूग्वे दौर करार अधिनियम की धारा 129 के अंतर्गत निर्धारण का नोटिस जारी किया है। जिसमें इस विवाद में डीएसबी के निर्णयों एवं सिफारिशों के कार्यान्वयन की व्याख्या की गयी है। संशोधित निर्धारण के अंतर्गत पाटनरोधी शुल्क अब घटाकर 42.39% कर दिया गया है।

श्री वी. वेत्रिसेलवन: जैसा कि हम उत्तर से देख सकते हैं, कि अनेक देशों ने भारतीय इस्पात के अयात पर पाटन-रोधी शुल्क की ऊंची दरें लागू की हैं। यहां तक कि अमरीका ने भी कोल्ड रोल्ड इस्पात उत्पादों पर 153.65 प्रतिशत पाटन-रोधी शुल्क लगाया है। इसके परिणामस्वरूप हमारे इस्पात उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हमारे इस्पात निर्यात में कमी हुई है। निर्यातकों को भारी हानि हुई है। इस्पात विनिर्माताओं ने सरकार से अनेक अनुरोध किए हैं कि उचित कार्यवाही करके उद्योग की रक्षा की जाए। फिर भी, इस संबंध में कुछ आधिक नहीं किया गया।

इसलिए, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि इन देशों में हमारे इस्पात निर्यात में कितनी कमी आई है?

मैं जानना चाहता हूं कि देश को किस सीमा तक राजस्व का घाटा हुआ है और सरकार इस्पात उद्योग के घाटे को पूरा करने हेतु इस्पात उद्योग की मदद के लिए क्या कदम उठा रही है?

श्री राजीव प्रताप रूडी: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह मुद्दा उठाया है कि इस्पात का निर्यात कम हो गया है। यहां मैं सच्चाई बताना चाहता हूं कि इस समय देश में इस्पात का कुल उत्पादन 2001-02 में 30.64 बिलियन टन से बढ़कर 32.92 मिलियन टन हो गया है। इसके साथ ही गत वर्ष अर्थात्, 2001-02 से इस वर्ष मार्च, 2003 तक यह वृद्धि 36.8 प्रतिशत रही है अर्थात् निर्यात 2.70 मिलियन टन से बढ़कर 3.7 मिलियन टन हो गया हैं।

महोदय, यहां मैं बताना चाहता हूं कि इस तथ्य के बावजूद कि उत्तर में उल्लिखित देशों में तथा प्रश्नगत देशों में उन वस्तुओं के निर्यात में कमी हुई है जिन पर पाटन-रोधी शुल्क और प्रतिकारी शुल्क लगाया गया है। यहां यदि आप अमरीका को किया गया समग्र निर्यात देखें तो अप्रैल और नवंबर, 2001 के बीच यह 221 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 424.25 मिलियन अमरीकी डालर हो गया है अर्थात् 91 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी तरह

कनाडा से अप्रैल और नवंबर, 2001 के बीच यह 19.55 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 23.99 मिलियन अमरीकी डालर हो गया है जो कि 22.71 प्रतिशत की वृद्धि है। चीन के साथ भी यही स्थिति है जहां यह 10.47 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 161.03 मिलियन अमरीकी डालर हो गया है प्रतिशत वृद्धि 1,438 गुणा है।

यहां, जो माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है वह यह है कि क्या निर्यात में वृद्धि हुई है। मैं यह भी बता दूं कि हमें नए बाजारों को भी तलाशना है। नए बाजार जिन पर हम आज ध्यान दे रहे हैं वे दक्षिण-पूर्व एशिया के देश हैं।

यह बात कि इस्पात निर्यात कम हो गया है सच नहीं है। सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं। अब जहां तक सरकार द्वारा उठाये गए कदमों का संबंध है तो हम यहां बताना चाहते हैं कि एक कदम जिसका इन्होंने उल्लेख किया है वह है पाटन-रोधी शुल्क लगाना। महोदय, जब पाटन-रोधी शुल्क लगाया जाता है तो राज्य को सीधे हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है; बल्कि मूल रूप से निर्यातकों को ऐसा करना चाहिए। तथापि, कतिपय परिस्थितियों में, सरकार भी पहल करती है जैसा कि अमरीका को कट-टू-लेंथ स्टील प्लेट्स के निर्यात के मामले में हुआ था। वाणिज्य मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय मिलकर साथ गए थे और वहां अभ्यावेदन दिया था और हम शुल्क कम करने में सफल रहे हैं। इस विशेष वस्तु पर शुल्क 72 प्रतिशत से 42 प्रतिशत तक कम हो गया। इसलिए, प्रयास किए गए हैं।

इसी तरह जब प्रतिकारी शुल्क लगाया जाता है तो सरकार निवेदन करती है कि यहां कोई राज-सहायता नहीं हैं और हम इसमें सफल भी रहे हैं। अमरीका में भी जब सुरक्षोपाय लागू किए गए और अधिकांश देश सुरक्षोपाय लगाये जाने से प्रभावित हुए थे और भारत उन कुछ देशों में से एक था जो उसे प्राप्त करने में सफल रहा। एक विशेष मद जो कि फ्लेंजेज और पाइप है के सिवाय किसी पर भी सुरक्षोपाय शुल्क नहीं लगाया गया है। इसलिए समग्र रूप में यहां देखने के लिए कदम उठाए गए हैं कि जो भी पाटन-रोधी शुल्क अथवा प्रतिकारी शुल्क लगाया जाए तो उसके संबंध में सरकार पहल करे। जहां तक निर्यात का संबंध है तो हम सदैव निर्यात को बढ़ावा देने का प्रयास करते रहे हैं।

श्री वी. वेत्रिसेलवन: माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर के अनुसार विदेशी राष्ट्र 1998 से ये पाटन-रोधी शुल्क लगा रहे हैं। तब से विश्व व्यापार संगठन विवाद पैनल द्वारा केवल एक ही मामला निपटाया गया है। अन्य मामलों का क्या हुआ? माननीय मंत्री ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा है। महोदय, इस्पात के अलावा अनेक अन्य भारतीय उत्पादों के सामने भी ऐसी ही समस्या आ रही है लेकिन सरकार ने संबंधित प्राधिकारियों के साथ मामले को नहीं उठाया। जबकि ये देश अपने सस्ते उत्पादों से, भारतीय बाजार को पाट रहे हैं लेकिन हमारी सरकार बहुत कम पाटन-रोधी शुल्क लगा रही है।

इसलिए, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस मामले को संबंधित सरकारों के साथ उठाने और अन्य मामलों के संबंध में विश्व व्यापार संगठन के साथ उठाने हेतु क्या कदम उठाये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि विश्व व्यापार संगठन द्वारा पाटन-रोधी शुल्क की क्या दर निर्धारित की गई है और भारत सरकार, जैसे को तैसा फार्मूला क्यों नहीं अपना रही है।

अध्यक्ष महोदय: श्री वेत्रिसेलवन, आप केवल एक ही प्रश्न पूछ सकते हैं। अन्यथा माननीय मंत्री को केवल एक प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। और किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाना चाहिए।

श्री वी. वेत्रिसेलवन: महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय: आपको केवल एक प्रश्न का ही उत्तर मिलेगा।

श्री वी. वेत्रिसेलवन: महोदय, सरकार यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठा रही है कि इस्पात जैसे हमारे उत्पादों को विदेशों में शुल्क की इतनी ऊंची दर का सामना न करना पड़े।

श्री राजीव प्रताप रूडी: महोदय, केवल यही नहीं कि हमारे निर्यातों पर शुल्क लगाया जा रहा है बल्कि हमने भी रूस, कजाकिस्तान, जापान, कोरिया, चीन, यूक्रेन, यूरोपीय संघ तथा संयुक्त राज्य अमरीका से आने वाले उत्पादों पर पाटन-रोधी शुल्क लगाया है। माननीय सदस्य ने अधिकांश उत्पादों को शामिल कर लिया है। यदि हम 1992 से 2003 तक भारत द्वारा लगाए गए पाटन-रोधी शुल्क के मामलों की संख्या को देखें तो ये 153 पाटन-रोधी मामले थे जो कि विश्व में सबसे अधिक हैं और 134 से अधिक मामलों में निष्कर्ष दिये जा चुके हैं जहां 116 से अधिक मामलों में उपाय किए गए हैं।

इसी प्रकार से, यदि चीन जैसे देशों को देखना हो तो वहां सबसे अधिक मामले हैं जिसकी संख्या 66 है जबकि 47 मुद्दों के संबंध में इस तरह के उपाय किए गए हैं। इस प्रकार से जहां तक ताइवान का संबंध है, वहां 25 मामलों में कार्रवाई की गई है। यह आरोप कि कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है और पाटन-रोधी शुल्क नहीं लगाया जा रहा है, सही नहीं है। भारत उन देशों में से एक है जिन्होंने सर्वाधिक पाटन-रोधी मामलों पर कार्रवाई की है और इन मामलों में वह पाटन-रोधी शुल्क लगाने में भी सफल किया है।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, भारतीय निर्यातकों के विरुद्ध पाटन-रोधी कार्रवाई से अनिवार्यत: उस वस्तु का निर्यात कम होगा

और उस वस्तु के मूल्य बढ़ जाते हैं जिनसे उत्पाद प्रतिस्पर्धी नहीं रह पाता है। पिछले कई वर्षों से हमारे निर्यातकों को इस कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मैं समझता हूं कि यहीं पर सरकार का कर्तव्य अधिक सुस्पष्ट हो जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सरकार ने हमारे निर्यातकों को मूल्य निर्धारण के सम्भावित परिणामों के बारे में सलाह देने के लिए क्या कदम उठाए हैं और वे छड़ों की बजाय स्ट्रीप्स या पाइप के जैसी किन-किन वस्तुओं का निर्यात कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि भारतीय निर्यातक बाहरी तार बाढ़ के लिए बने गिरिल्स—बने बनाए गिरिल्स के निर्यात में बहुत अच्छा कार्य करते रहे हैं।

मैं माननीय मंत्रीजी से विशेषरूप से इस संबंध में जानना चाहता हूं। यह इतना कम समय या रातों रात वाली बात नहीं है कि कुछ हो जाए। ये मामले चार साल से चले आ रहे हैं। हमारे आरम्भिक अनुभव के पश्चात्, सरकार ने भारतीय निर्यातकों को मार्गदर्शन या विदेशों में बाजारों के बारे में आवश्यक सूचना देकर उनके हितों की रक्षा के लिए क्या किया है?

श्री राजीव प्रताप रूडी: महोदय, आज हमारे पास कई निर्यात संवर्द्धन परिषदें और इंजीनियरिंग संवर्द्धन परिषदें हैं। ये सभी परिषदें, बताया जाता है कि बाहर के राजदूतावासों और वाणिज्य मंत्रालय के साथ वहां के सम्भावित बाजारों के लिए लगातार सम्पर्क बनाए हुए हैं। आप इस बात की प्रशंसा करेंगे कि आज सारे निर्यातक अपनी पहुंच उपलब्ध सूचना और सरकार द्वारा व्यापार को सुलभ बनाने और बढ़ावा देने के लिए सभी कदमों के कारण बाजार से अच्छी तरह अवगत है।

जहां तक इन विषयों पर प्रतिकारी शुल्क और पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने का प्रश्न है, मैं बैयर्ड संशोधन के बारे में मैं बताना चाहता हूं जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका ने शुल्क लगाया था और वहां था कि प्रतिकारी शुल्क या पाटन-रोधी शुल्क से संग्रहित किए गए शुल्क को उस देश में विनिर्माताओं को दे दिया जाएगा। भारत ने इसका विरोध किया और दस अन्य देश भी हमारे साथ आ गए क्योंकि यह उन लोगों के लिए अतिरिक्त समर्थन था जो कि पाटनरोधी शुल्क या प्रतिकारी शुल्क की जांच का समर्थन कर रहे थे। हम यहां यह कहते हुए सफल हुए और यह निर्णय रद्द कर दिया गया। हम हमेशा ही कई कदम उठाते हैं। हमने सुरक्षोपायों में भी इस बात का उल्लेख किया है।

श्री पवन कुमार बंसल: संख्या 3 के मामले में, कोल्ड रोल्ड इस्पात उत्पादों पर पाटन-रोधी शुल्क 153.65 प्रतिशत है।

श्री राजीव प्रताप रूडी: यदि आप विशिष्ट बातों को लेते हैं तो मैंने प्रश्न में स्वीकार किया था कि शुल्क लगाए गए हैं। अब सरकार पहल कर रही है। लेकिन यह आरम्भ में निर्यातक के लिए है कि वह जाए, कागजात फाइल करे और देखे और इसको लड़े। यहां तक कि दूतावास भी तथ्य और आंकड़े उपलब्ध कराते हैं। इसके साथ-साथ एम.डी.ए. अनुदान के माध्यम से हम इसका समर्थन करते हैं और यदि कोई इसे किसी विशेष माध्यस्थम न्यायालय या किसी विशेष अपीलीय न्यायालय में लड़ता है तो हम उनकी उस मामले में आय-व्यय का पचास प्रतिशत तक मदद करते हैं। ये सभी कदम निर्यातकों के सहायतार्थ उठाए गए हैं।

श्री खारबेल स्वाइं: महोदय, दोहा घोषणा में, विशेष और व्यवहार के संबंध में एक खण्ड है, इसका तात्पर्य यह है कि एक ही नियम विकसित और विकासशील देशों पर समान रूप से लागू नहीं होगा।

माननीय मंत्रीजी से मेरा प्रश्न यह है कि क्या हमारे देश में लगाए जाने वाला पाटन-रोधी शुल्क और इस प्रश्न में उल्लिखित देशों में लगाए जाने वाला पाटन-रोधी शुल्क भी विशेष और विभेदी व्यवहार के अन्तर्गत आता है। क्या विशेषकर अमरीका के बारे में हम विवाद निवारण अधिकरण में गए हैं? क्या हमें वहां कोई सफलता मिली है और क्या इस संबंध में हमने कोई मामला जीता है?

श्री राजीव प्रताप रूडी: आपने उस मामले का उल्लेख किया है जिसके संबंध में हम विवाद निपटान तंत्र में गए थे और हमें वहां कट-टू-लैंथ प्लेट्स के मामले में सफलता मिली और इसमें शुल्क को 72 प्रतिशत से घटाकर 42 प्रतिशत किया गया, इसका उल्लेख हमने पहले ही कर दिया है।

महोदय, जहां तक विश्व व्यापार संगठन के अन्तर्गत विशेष और विभेदी व्यवहार के बारे में वार्ता का संबंध है तो इसके लिए लम्बी चर्चा की आवश्यकता है जो कि इसका स्थाई भाग होगा। अभी इस विशेष प्रश्न से इसका कोई संबंध नहीं है।

श्री रमेश चेन्नितला: अध्यक्ष महोदय, व्यापार से संबंधित विवादों के समाधान हेतु उन्हें विश्व व्यापार संगठन तंत्र में ले जाने के बावजूद हम देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमरीका तथा अन्य यूरोपीय देश भारत जैसे विकसित देशों द्वारा निर्यात किए जाने वाले समान पर पाटन-रोधी शुल्क लगा रहे हैं। हालांकि, सरकार ने कतिपय कदम उठाए है लेकिन ये कदम पर्याप्त नहीं है क्योंकि भारत जैसे अन्य विकासशील देशों के निर्यात को रोकने के लिए विकसित देश गम्भीर प्रयास कर रहे हैं। यह सच है और मंत्री महोदय ने भी इसे स्वीकार किया है। इसलिए, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार द्वारा अमरीका और अन्य यूरोपीय देशों द्वारा विकासशील देशों पर पाटन-रोधी शुल्क लगाने की धमकी से निपटने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं? क्या यह हमारे

व्यापार सन्तुलन को भी प्रभावित कर रहा है? यदि हां, तो कृपया इसका ब्यौरा दें।

श्री राजीव प्रताप रूडी: महोदय, यहां प्रश्न इस्पात के निर्यात से संबंधित है। हमने स्वीकार किया है कि इन सभी प्रतिकारी और पाटन-रोधी शुल्कों के बावजूद इन देशों और अन्य देशों को किया जाने वाला निर्यात बढ़ा है। इसलिए, प्रभावित होने वाले अन्य पहलुओं पर चर्चा का प्रश्न ही नहीं है। इसके बावजूद, हम अपने प्रयासों और निर्यातकों के प्रयासों द्वारा इस्पात के निर्यात को बढ़ाने में सफल रहे हैं।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

*584. **श्री शिवाजी माने:**
श्री हरिभाई चौधरी:

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर.आर.बी.) की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने इन बैंकों के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ये बैंक अनेक वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो कब से और बैंक-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा उन उद्देश्यों को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं जिनके लिये इन बैंकों की स्थापना की गई थी?

[अनुवाद]

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) आज की तारीख के अनुसार कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की राज्यवार संख्या अनुबंध-I में दी गई है।

(ख) और (ग) जी, हां। सरकार/राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यनिष्पादन की आवधिक रूप से समीक्षा करते हैं। प्रायोजक बैंक भी उनके द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यनिष्पादन की तिमाही आधार पर समीक्षा करते हैं। 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार, 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से, 167 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने लाभ अर्जित किया है और केवल 29 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को हानि हो रही है। 167 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 86 ने धारणीय अर्थक्षमता प्राप्त कर ली है।

(घ) और (ङ) अब तक किसी भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को चलनिधि संबंधी कठिनाई होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। हानि उठाने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सूची अनुबंध-II में दी गई है।

(च) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और अन्य उत्पादक गतिविधियों के विकास के प्रयोजन के लिए विशेष रूप से लघु एवं सीमांत कृषकों, खेतिहर मजदूरों आदि को ऋण एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करने के उद्देश्य से की गई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अपने अधिदेश को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए, कई उपाय किए गए हैं जैसे कि (1) पुनर्पूंजीकरण, (2) उनके शाखा नेटवर्क को युक्तिसंगत बनाना, (3) ब्याज दरों का अविनियमन (4) विवेकपूर्ण मानदंडों की शुरुआत, (5) सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में सक्रिय अंतर्ग्रस्तता, (6) स्व सहायता समूहों का संवर्धन, और (7) किसान क्रेडिट कार्डों के माध्यम से किसानों को ऋण। अब तक के परिणामों से पता चलता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा जुटाई गई जमाराशियां 1993-94 में 8864 करोड़ रुपए से बढ़कर 2001-02 में 44,539 करोड़ रुपए हो गई हैं, जिसमें 5 करोड़ से अधिक जमाकर्ता शामिल हैं। इसी प्रकार, ऋण संवितरण 1993-94 में 1440 करोड़ रुपए से बढ़कर 2001-02 में 10,571 करोड़ रुपए हो गया है।

अनुबंध I

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	16
2.	अरुणाचल प्रदेश	1
3.	असम	5

1	2	3
4.	बिहार	16
5.	छत्तीसगढ़	5
6.	गुजरात	9
7.	हरियाणा	4
8.	हिमाचल प्रदेश	2
9.	जम्मू एवं कश्मीर	3
10.	झारखंड	6
11.	कर्नाटक	13
12.	केरल	2
13.	मध्य प्रदेश	19
14.	महाराष्ट्र	10
15.	मणिपुर	1
16.	मेघालय	1
17.	मिजोरम	1
18.	नागालैण्ड	1
19.	उड़ीसा	9
20.	पंजाब	5
21.	राजस्थान	14
22.	तमिलनाडु	3
23.	त्रिपुरा	1
24.	उत्तर प्रदेश	36
25.	उत्तरांचल	4
26.	पश्चिम बंगाल	9
	कुल	196

अनुबंध II

घाटे में चल रहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सूची एवं वर्ष 2001-2002 के दौरान उनकी हानियां

क्र. संख्या	घाटे में चल रहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम	वर्ष 2001-2002 के दौरान हानि
1	2	3
1.	ककातिया ग्रामीण बैंक	3.20
2.	अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक	8.36
3.	लंग्पी देहनगी रूरल बैंक	1.00
4.	मुंगेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	0.56
5.	नालंदा ग्रामीण बैंक	0.78
6.	समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1.39
7.	वैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1.61
8.	बस्तर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	4.14
9.	बिलासपुर-रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	2.14
10.	सूरत-भरूच ग्रामीण बैंक	1.57
11.	इलाकी देहाती बैंक	6.19
12.	रांची क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	3.36
13.	संथाल परगना ग्रामीण बैंक	0.69
14.	इंदौर-उज्जैन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	0.23
15.	महाकौशल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	2.84
16.	नीमाड़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	0.03
17.	भंडारा ग्रामीण बैंक	2.15
18.	रत्नागिरी सिंधुदुर्ग ग्रामीण बैंक	1.35
19.	मणिपुर रूरल बैंक	1.16
20.	बालासौर ग्राम्य बैंक	10.57
21.	बोलंगीर आंचलिक ग्रामीण बैंक	6.29
22.	कटक ग्राम्य बैंक	9.99
23.	कालाहांडी ग्रामीण बैंक	8.05

1	2	3
24.	कोरापुट पंचवटी ग्रामीण बैंक	4.00
25.	अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	0.65
26.	मरूधर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	3.70
27.	मधुबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	2.26
28.	क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैंक	1.02
29.	रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	2.74
	कुल	92.01

[हिन्दी]

श्री शिवाजी माने: अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री ने मेरे प्रश्न के उत्तर में लिखा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में सुविधा प्रदान करने हेतु की गई है। आज ग्रामीण बैंकों की स्थिति यह है कि न तो वे शार्ट टर्म लोन किसानों को देते हैं और न लोंग टर्म लोन देते हैं। महाराष्ट्र के राज्य सहकारी बैंकों की हालत यह है कि आज सारे के सारे बैंक एन.पी.ए. के दायरे में हैं। जहां तक मुझे जानकारी है, मेरा बैंक बी.सी.सी परभनी जिले का मधोटी सहकारी बैंक गत तीन वर्षों से सैक्शन 11 आर.बी.आई. के अन्दर है और महाराष्ट्र के 15 भूमि विकास बैंकों को सरकार ने बन्द करने के निर्णय ले लिया है, ऐसी स्थिति में किसानों को कोई ऋण नहीं मिलता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किसानों को ऋण देने के लिए आपका मंत्रालय क्या करने जा रहा है?

मेरा दूसरा उप-प्रश्न है कि वहां का क्षेत्रीय बैंक मराठवाड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक है। आपने जो पूरी सूची मुझे यहां हानि में चलने वाले बैंकों की दी है, उस सूची में मेरे उक्त बैंक का नाम नहीं है। मुझे आश्चर्य हो रहा है क्योंकि वह बैंक भी घाटे में चल रहा है, लेकिन उसका नाम यहां पर नहीं लिखा है। लास्ट ईयर यह बैंक 50 लाख रुपये प्रोफिट में था और इस साल लगभग 9.5 करोड़ रुपये के घाटे में चल रहा है। यह स्थिति इस बैंक की अकेले चेयरमैन के होते हुए हो गई है। आप ऐसे चेयरमैन के ऊपर क्या कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं, जो इस बैंक को घाटे में लाया है?

श्री जसवंत सिंह: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने सवाल के दायरे में बहुत सारी बातें जोड़ दी हैं, जो ग्रामीण बैंकों से सीधे संबंधित नहीं हैं, फिर भी इस सवाल की अहमियत को देखते हुए मैं कोशिश करूंगा कि सभी सवालों का जवाब दे सकूं। मुझे एक ही बात का जवाब देने में संकोच होगा—माननीय सदस्य ने चलते-चलते किसी चेयरमैन के बारे में कुछ कहा है। यह मेरे लिए उचित नहीं होगा कि मैं किसी चयरमैन विशेष के कार्यक्रलापों के बारे में यहां व्यक्तिगत टिप्पणी करूं। माननीय सदस्य की यदि उनके संबंध में कोई शिकायत है या वह मुझे कुछ बताना चाहते हैं, निश्चित तौर पर उन्हें अधिकार है कि वे मुझे लिखें।

माननीय सदस्य के सवाल ग्रामीण बैंकों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कृषि क्षेत्र को ऋण, सहकारिता बैंक और एक बैंक विशेष के घाटे और मुनाफे के बारे में प्रश्न किये हैं। मोटे तौर पर ये उनके चार सवाल हैं। उन्होंने कहा है कि फलां बैंक में उनकी जानकारी के मुताबिक घाटा हुआ है लेकिन उसका नाम आपने अभी इस सूची में शामिल नहीं किया है। हम इस सूची में वही नाम शामिल करेंगे जिनमें हमारी जानकारी के मुताबिक घाटा है।

आपका दूसरा प्रश्न को-आपरेटिव बैंक से संबंधित है। को-आपरेटिव बैंक और रूरल बैंक का काम करने का ढंग भिन्न होता है। जहां तक कृषि क्षेत्र को ऋण देने का सवाल है, निश्चित रूप से उसमें ये आते हैं। माननीय सदस्य जानते हैं कि को-आपरेटिव बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स का जो शेयर परसेंटेज है, उसमें 50 परसेंट केन्द्रीय सरकार का और 15 परसेंट राज्य सरकार का हिस्सा है। श्री चेलापति राव कमेटी ने इस बारे में कुछ सुझाव दिये थे। उन बैंकों में 15 परसेंट राज्य सरकारों की भी भागीदारी बनती है इसलिए निश्चित रूप से राज्य सरकारों से भी पूछना होता है। अभी राज्य सरकारों की टिप्पणियां हमारे पास नहीं आई हैं।

इसके बाद आपने रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में पूछा है। मोटे तौर पर जो दशक 1993-94 से 2002-03 का गया है, वैसे यह जानकारी हमने प्रश्न के उत्तर में दी है, उस दशक के दौरान डिपाजिट में करीब 500 परसेंट और क्रेडिट डिलीवरी में करीब 700 परसेंट की बढ़ोत्तरी हुई है—क्या यह संतोषजनक है? इसके उपरांत भी हमारा यह मानना है कि कृषि क्षेत्र को जो ऋण मिलता है, वह संतोषजनक नहीं है क्योंकि पब्लिक सैक्टर बैंक्स की जो उसमें प्रॉयरिटी सैक्टर लैंडिंग है, उसमें उन्होंने औपचारिकता के नाते 40 परसेंट में से 18 परसेंट हासिल किया है, लेकिन कृषि ऋण को लेकर अभी भी संतोषजनक स्थिति नहीं है, ऐसा मैं कई बार कह चुका हूं। इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से हमने आग्रह करके पी.एल.आर. प्लस माइनस टू की दर तय की है। अभी हाल में जो छमाही क्रेडिट पालिसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने घोषित की है, उसमें भी कृषि को प्राथमिकता दी गयी है।

श्री शिवाजी माने: अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि महाराष्ट्र में नाबार्ड द्वारा ऋण देने की जो पद्धति है, उसके तहत वह राज्य सहकारिता बैंक को ऋण देता है, राज्य सहकारिता बैंक जिला मध्यवर्ती बैंक को ऋण देता है और जिला मध्यवर्ती

बैंक सोसायटी को देता है, जिसके चलते लगभग 15 परसेंट इंटरैस्ट किसानों को देना पड़ता है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार किसानों के हित में, इसमें कोई सुधार लाने का प्रयास कर रही है या नहीं?

श्री जसवंत सिंह: सरकार निरतंर प्रयास कर रही है। मेरा यह मानना है कि जब सभी तरह की ब्याज की दरें कम हो रही हैं तो जिस ब्याज दर पर काश्तकार को उधार दिया जाता है उसमें भी कमी आनी चाहिए। यह निर्विवाद है और उसमें किसी बहस की जरूरत नहीं है। प्रश्न मात्र इतना ही है कि इस रास्ते पर जाते वक्त मुझे यह भी देखना है कि ब्याज की दर कम करते वक्त कहीं ऐसा न हो कि इलाज मरीज को ही ग्रस्त कर जाये। हमें यह भी देखना है कि बैंकों की जो अभी सेहत है, वह ज्यादा न बिगडे, उसके तहत वह सुविधा दी जाये। मैं माननीय सदस्य को यह भी सूचित कर दूं कि रीजनल रूरल बैंक्स के क्रेडिट में पिछले साल करीब 44 परसेंट की बढ़ोत्तरी हुई है। प्रॉयरिटी सेक्टर में रीजनल रूरल बैंकों की बढ़ोत्तरी पब्लिक सेक्टर बैंकों के मुकाबले कहीं अच्छी है। जहां हम 40 प्रतिशत कहते हैं, आर.आर. बीज में यह बढ़ोत्तरी 74 प्रतिशत हुई है।

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: 'नाबार्ड' के गठन हेतु विधान मण्डल की मंशा काफी पवित्र थी। उस वित्त समिति के सदस्य के रूप में जिसके सभापति श्री शिवराज वी. पाटिल थे, मुझे 'नाबार्ड' की जांच का अवसर प्राप्त हुआ था। नाबार्ड का मुख्यालय वर्ली, मुम्बई में स्थित है जो कि शहरी क्षेत्र है। गुजरात में इसका मुख्यालय अहमदाबाद में है वह भी शहरी क्षेत्र है। नाबार्ड के गठन के पीछे की मंशा, ग्रामीण भारत, जहां कि 70 प्रतिशत जनसंख्या वह भी मुख्यत: कृषक रहते हैं, की सहायता करना है।

यदि आप माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत की गई सूची को देखेंगे तो उसमें कुल 196 शाखाएं हैं। मैं नहीं जानता कि देश में कुल कितने जिले और ब्लाक हैं लेकिन मैं इस बात को जानता हूं कि मेरे राज्य में कितने जिले और ब्लाक हैं। गुजरात में 30 जिले और 182 ब्लाक हैं। यदि विभिन्न राज्यों के सभी जिलों में पर्याप्त शाखाएं नहीं खोली जाती हैं तो ग्रामीण लोग ग्रामीण बैंकों से लाभ कैसे उठाएंगे?

इसलिए महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या वित्त मंत्रालय देश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक ग्रामीण बैंक स्थापित करने का प्रयास करेगा। क्या मंत्रालय भी शिवराज पाटील की अध्यक्षता में गठित वित्त समिति द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार भी कदम उठाएगा कि नाबार्ड से संबंधित पुस्तिकाओं और साहित्य को विभिन्न राज्यों की स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं में भी छपवाया जाना चाहिए, जिससे कि ग्रामीण बैंकों की अवसंरचना का लाभ कम पढ़े-लिखे ग्रामीण लोग उठा सकें?

अभी-अभी, मुझे बताया गया है कि हमारे देश में कुल 550 जिले हैं।

श्री जसवंत सिंह: महोदय, जैसा कि आजकल प्रचलन है। माननीय सदस्य ने एक प्रश्न की आड़ में अनेक प्रश्न पूछे हैं। मैं इन सभी प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करूंगा और मुझे विश्वास है, वह इसकी प्रशंसा करेंगे।

उनकी पहली बात यह थी कि नाबार्ड का मुख्यालय ग्रामीण क्षेत्र में स्थिति होना चाहिए। मुख्यालय की स्थापना, का आधार इसको सौंपी गई समस्त प्रशासनिक आवश्यकताओं के प्रबंधन और क्षमता के कारक पर विचार कर की जाती है। यह एक लंबा तर्क होगा। इस तर्क को लंबा करने के लिए, यदि आप निधि-व्यवस्था को नियंत्रित करना चाहता हैं, तो विधि-व्यवस्था की मशीनरी का मुख्यालय 'थाने' पर आधारित होना चाहिए—इसका ऐसा होना आवश्यक नहीं है।

नाबार्ड का मुख्यालय उस स्थान पर है, जहां वे इसे सुविधाजनक मानते हैं। व्यक्तिगत रूप से मुझे माननीय सदस्य के प्रश्न के पीछे की भावनाओं के प्रति सहानुभूति है कि यह थोड़ा बेतुका प्रतीत होता है कि इसे मुम्बई जैसा महानगर में स्थित होना चाहिए।

उनकी दूसरी बात देश भर में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रसार के बारे में है। यदि मैं माननीय सदस्य की बात कहूं, तो 500 जिलों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 14,400 शाखाएं हैं। यह सही है कि कुछ जिले हैं जहां ये बैंक स्थित नहीं हैं। हमारी मंशा सभी जिलों को शामिल करने की है जिनका संबंध संगठन के समस्त वित्त के प्रबंधन के विभिन्न प्रशासनिक विचारणों से है।

जैसाकि संचार की सुविधा हेतु क्षेत्रीय भाषाओं में नाबार्ड के बारे में सूचना प्रसारित करना है। यह अनपवाद सुझाव है। इसे निश्चित ही किया जाना है। मैं नहीं जानता हूं कि हमने इस संबंध में क्या कार्रवाई आरंभ की है; परन्तु यह एक उपयुक्त सुझाव है। हम इस पर कार्रवाई करेंगे। संभवत:, यही तीन प्रश्न पूछे गए थे जिनका मैंने जवाब दिया है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, जिस समय ग्रामीण बैंक खुले, सरकार ने अपनी नीयत साफ कर दी थी कि इसके पीछे उद्देश्य खासकर ग्रामीण क्षेत्र के लघु एवं सीमान्त किसानों की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है। हम मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि जिस उद्देश्य से आपने ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण बैंकों की शाखाएं खोली हैं, हमारी जानकारी के अनुसार उसमें लघु और सीमान्त किसानों का दोहन होता है। सब शाखाओं में लघु और सीमान्त किसानों को प्रखंड के माध्यम से ऋण देने के लिए राज्य सरकारें सूची बनाती हैं। प्रखंड मुख्यालय में भी किसानों का दोहन होता है और बैंक की शाखाओं में भी दोहन किया जाता है। इसकी शिकायत, हम मान कर चलते हैं कि हर स्तर पर माननीय सदस्यों द्वारा और अन्य ग्रामीण द्वारा समय-समय पर की जाती रहती है। हम जानना चाहते हैं कि उन शिकायतों के आधार पर क्या आपने ऐसी कोई प्रणाली तैयार की है कि लघु और सीमान्त किसानों को, आपका आर्थिक दृष्टिकोण से उन्हें मजबूत करने का जो उद्देश्य है, जिनका आज दोहन हो रहा है, उनको दोहन से बचाया जा सके?

साथ ही ग्रामीण बैंकों की शाखाएं देहाती इलाकों में खोलने का जो क्राइटेरिया है, हम मान कर चलते हैं कि आपके क्राइटेरिया के अनुसार अभी तक ग्रामीण इलाकों में पूरी तरह शाखाएं नहीं खुल पाई हैं, हम जानना चाहते हैं कि जिन ग्रामीण इलाकों में आपके क्राइटेरिया के अनुसार जनसंख्या के आधार पर शाखाएं नहीं खुली हैं, वहां शाखाओं के विस्तार के लिए क्या आप कोई कदम उठाने जा रहे हैं?

श्री जसवंत सिंह: मैं आखिरी प्रश्न पहले लेता हूं। जैसा अभी मैंने माननीय सदस्यों को सूचित किया, 500 जिलों में ग्रामीण बैंक हैं और कुल करीब 14,400 ब्रांचें हैं। आप यह जरूर कह सकते हैं कि ये काफी नहीं हैं, वह एक अलग प्रश्न है, लेकिन देश के करीब साढ़े पांच सौ जिलों में साढ़े चौदह हजार के करीब बैंक शाखाएं हैं, मैं सोचता हूं कि इसमें और बढ़ोत्तरी होनी चाहिए। लेकिन प्रभुनाथ सिंह जी जानते हैं कि—तेते पाव पसारिए जेती लंबी ठौर—जब जगह ही नहीं होगी तो पांव कहां पसारेंगे। इसलिए जैसे-जैसे जगह बनती जाएगी, हम पांव पसारते जाएंगे। लेकिन क्या यह संतोषजनक है—मैं नहीं कहता कि ऋण प्रणाली, रूरल बैंक, कोआपरेटिव बैंक पूरी तरह संतोषजनक हैं—ऐसा नहीं हैं। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके बारे में ठोक कर दावा किया जा सके कि यह पूरी तरह संतोषजनक है।

आपने सीमान्त और छोटे किसानों के बारे में कहा। हर व्यवस्था में वहीं पिछड़ते हैं चाहे बैंकिंग हो या अन्य कोई हो। यह हमारे देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक व्यवस्था का एक चेहरा है लेकिन केवल बैंकों पर ही इसका दोष डालना कहां तक न्यायोचित होगा, यह विचारणीय है। मैं आपको इतना जरूर कह दूं कि हमने नाबार्ड और रूरल बैंकों के तहत सैल्फ हैल्प ग्रुप्स को बहुत प्रोत्साहन दिया है। मैं सोचता हूं कि जिसे हम माइक्रो क्रैडिट कहते हैं, यह सैल्फ हैल्प ग्रुप का ही रास्ता है। यह बड़ा सरल और ऐसा रास्ता है जिसमें आज के दिन करीब दो लाख सैल्फ हैल्प ग्रुप बन चुके हैं। मैं सोचता हूं कि इस रास्ते में लाभ है। मैं प्रभुनाथ सिंह जी के जवाब में यही कहूंगा।

श्री राजो सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, गांवों से संबंधित है और वित्त मंत्री जी भी गांवों से संबंधित हैं। हमारे मित्र ने पूछा कि जब इस बैंक की स्थापना हुई थी, तब यह कल्पना की गई थी कि गांवों में जो किसान और मजदूर गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, उनको इससे लाभ मिलेगा। अभी जो सरकार का उत्तर आया है, उसमें कहा गया है कि 29 ग्रामीण बैंक घाटे में चल रहे हैं जिनमें मुंगेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नालन्दा ग्रामीण बैंक, समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रांची ग्रामीण बैंक, संथाल-परगना ग्रामीण बैंक और मधुबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। इन 29 में से अधिकांश बैंक बिहार और झारखंड क्षेत्रों में अवस्थित हैं। इन बैंकों में जो घाटा होता है, मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि इस कारण उन ग्रामीण बैंक को बंद कर दिया जाए। अगर किसी दिन दूध फट जाए तो बर्तन को नहीं तोड़ना चाहिए बल्कि ठीक ढंग से दही जमा लेना चाहिए। मैं समझता हूं कि घाटे का आंकड़ा आपने जो दिया है कि 92.8 करोड़ रु. का घाटा इसमें है, इसे सुधारने के लिए आपने जिन 5-7 व्यवस्थाओं का जिक्र आपने इसमें किया है, मैं समझता हूं कि वे उपयोगी नहीं है। आज के युग में जैसा कि कंपनी एक्ट में कुछ बैंकों को आपने डालने का प्रयास किया है, क्या ऐसी व्यवस्था आप करेंगे कि इसका आर्थिक स्थिति सुधर जाए और गांव के लोगों को जो आवास, भवन बनाने के लिए गरीब लोगों को टैक्सी के लिए जो ऋण देने की व्यवस्था सरकार ने की है, क्या उस तरह का प्रावधान आप करने की कृपा करेंगे?

श्री जसवंत सिंह: माननीय सदस्य ने दो-तीन सवाल पूछे हैं। मैं प्रयत्न करूंगा कि उन सभी का जवाब दूं। माननीय सदस्य ने कहा कि 29 बैंकों में पिछले साल घाटा अवश्य हुआ था। मोटे रूप में, मैंने बताया कि कितना मुनाफा हुआ है, वह सूचना सवाल के साथ दी जा चुकी है। माननीय सदस्य का कहना है कि ये बैंक किसी विशेष प्रदेश में हैं, ऐसा क्यों हैं? अन्य सदस्य जानते

हैं कि बैंक का काम एक व्यवसाय के नाते ऋण देना, डिपॉजिट लेना है। वे कोई तश्तरी ढोने नहीं जाते हैं। ऋण देना, ऋण लेना यह उनके समूचे वातावरण का अंग है। ऋण लेने, देने की बजाए अगर आप लाठी भांजेंगे तो बैंकों में मुनाफा कहां से होगा? ...*(व्यवधान)*

श्री राजो सिंह: अगर आपके जैसा अच्छा और काबिल मंत्री इसे इस तरह से डाइवर्ट करेगा तो मैं समझता हूं कि यह वाजिब नहीं होगा। ...*(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह: मैं अभी उत्तर दे रहा था। इस पर समूचे वातावरण का प्रभाव पड़ता है, यह निर्विवाद है। पहले माननीय सदस्य ने कहा कि ऐसा गांवों में होता था। मैं एक मिनट ले लूं। पहले रीजनल रूरल बैंक इत्यादि में ऐसी व्यवस्था थी? जैसा आप जानते थे कि पहले गांवों में महाजन ऋण देते थे। वे महाजन समूचे गांव को जानते थे, परिवार वालों को जानते थे। उसी गांव में पले-बढ़े हुए। फिर ऋण के साथ शोषण शुरू हुआ। जब ऋण के साथ शोषण शुरू हुआ तो बैंकिंग प्रणाली में यह बहुत आवश्यक है कि बैंक को व्यक्तिगत जानकारी होनी आवश्यक है कि वह किसको ऋण दे। जो प्राइवेट बैंकिंग से पहले महाजनी का सिस्टम था, उसमें कुछ शक्ति थी, उसमें काफी गुण भी थे और कमियां भी बहुत थीं। यह अवश्य था कि गांव के महाजन गांव के जितने भी काश्तकार थे, उनको जानते थे। उसी गांव में वे बड़े हुए। जब उन्होंने शोषण करना शुरू किया तभी यह व्यवस्था खत्म हुई। उसमें एक दूरी है। बैंक एक सरकारी व्यवस्था है। वहां उसका महकमा लगता है जैसे, दफ्तर, कर्मचारी, टाइपराइटर, पंखा, गाड़ी इत्यादि-इत्यादि। ये सब चीजें उस व्यवस्था के अंग हैं। अब मैं रातों-रात इस व्यवस्था के अंगों को सुधार दूं, यह संभव नहीं है। परंतु रूरल बैंक में सुधार तभी आएगा जब तक गांव की पूरी पहचान नहीं हो जाएगी, जितना संतोषजनक सुधार आना चाहिए, वह नहीं आएगा, यही मैं कहना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 585—श्री रामदास आठवले।

...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू: महोदय, कृपया मुझे एक लघु पूरक प्रश्न संख्या 583 पूछने दीजिए। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं और कई वक्ता बाकी हैं। आप अपना प्रश्न आधे घंटे की चर्चा के बाद उठाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। मैंने दूसरे प्रश्न की बात शुरू की है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी] 24-34

भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ

*585. **श्री रामदास आठवले:**
श्री सुनील खां:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड लि.) की स्थापना किस तिथि को की गई थी और तत्संबंधी उद्देश्य क्या थे;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान "ट्राइफेड" द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) संघ द्वारा वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान शुरू किए जाने वाले कार्यों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) ट्राइफेड लिमिटेड को गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्राप्त हुए लाभ/घाटे का ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ (ट्राइफेड) का गठन बहु-राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 1984 की धारा (7) के अंतर्गत 08.08.1987 को किया गया। ट्राइफेड के उद्देश्य अनुबंध-I में दिए गए हैं।

(ख) पूर्व में ट्राइफेड का प्रमुख कार्यकलाप जनजातियों द्वारा संग्रह/पैदा किए जा रहे लघु वन उत्पाद (एमएफपी) तथा अतिरिक्त कृषि उत्पाद (एसएपी) की अधिप्राप्ति करना था, जिसका एकमात्र उद्देश्य उनको लाभकारी मूल्य देना और जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलिए द्वारा उनके शोषण को रोकना था। पिछले तीन वर्षों के दौरान ट्राइफेड द्वारा मूल्य के रूप में की गई अधिप्राप्ति नीचे दी गई है:-

मूल्य रुपए लाख में

वित्तीय वर्ष	अधिप्राप्ति			
	लघु वन उत्पाद	अतिरिक्त कृषि उत्पाद	हस्तशिल्प	कुल
2000-01	4575	3521	37	8133
2001-02	2649	1404	26	4079
2002-03 अनंतिम	1425	1037	24	2486

पिछले तीन वर्षों के दौरान लघु वन उत्पाद (एमएफपी) अतिरिक्त कृषि उत्पाद (एसएपी) तथा हस्तशिल्प/हथकरघा की राज्यवार अधिप्राप्ति के संबंध में सूचना अनुबंध-II में दी गई है।

इसके अतिरिक्त, ट्राइफेड ने पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में मुख्यत: जनजातियों को प्रशिक्षण देने के संबंध में कई विकासात्मक कार्यकलाप भी आरंभ किए हैं।

(ग) वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान ट्राइफेड द्वारा अपने मूल आदेश अर्थात जनजातियों को उनके उत्पाद के लिए बेहतर मूल्य दिलाने के उद्देश्य से जनजातीय उत्पादों के विपणन का विकास तथा अंतिम बाजार से उनका संबंध जोड़ने पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। जनजातीय उत्पादों के विपणन के विकास के लिए परियोजना के नियोजन और कार्यान्वयन पर आवश्यकता के आधार पर अब मुख्य बल दिया जा रहा है। तद्नुसार, जनजातीय आबादी को प्रत्यक्ष लाभ देने वाली जनजातीय उत्पादों के विपणन विकास की परियोजना की पहचान व्यवहार्य परियोजना के रूप में की गई है और इन्हें चालू वित्त वर्ष अर्थात् 2003-04 के दौरान आरंभ किया जा रहा है। विवरण अनुबंध-III में दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, ट्राइफेड चालू वित्त वर्ष के दौरान सभी राज्यों के ऐसे जनजातीय क्षेत्रों में तिलहन और दालों की अधिप्राप्ति भी करेगा जहां कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पाई जाएगी।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान सकल लाभ/हानि और वास्तविक हानि इस प्रकार है:

(धनराशि करोड़ रुपए में)

वित्तीय वर्ष	सकल लाभ (+) हानि (-)	वास्तविक हानि*
2000-01	-15.10	-27.23
2001-02	-4.14	-16.18
2002-03 (अनंतिम)	+3.86	-4.74

*वास्तविक हानि प्रशासनिक व्यय, ब्याज और अवमूल्यन को घटाकर निकाली गई है।

अनुबंध-I

जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ (ट्राइफेड) का गठन बहु-राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 1984 की धारा (7) के अंतर्गत 08.08.1987 को निम्नलिखित उद्देश्यों से किया गया:

(1) देश में जनजातीय जनसंख्या के हित में प्राकृतिक उत्पादों की वृद्धि और विकास और उनका युक्तिसंगत वैज्ञानिक और वाणिज्यिक आधार पर व्यापार करने के लिए नियोजन करना और योजना बनाना;

(2) प्राकृतिक उत्पादों पर आधारित उपयुक्त आर्थिक योजनाएं आरंभ करके जनजातीय जनसंख्या के लिए उच्चतर जीविकोपार्जन और अधिक रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने के प्रयास करना;

(3) उत्पादों के लिए नए उपयोगों का पता लगाकर और संगठित प्रयास से उनकी बिक्री में सुधार करके फार्म और वन उत्पाद सहित जनजातीय क्षेत्रों में उपलब्ध प्राकृतिक उत्पादों का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना;

(4) उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से उनको विपणन सहायता उपलब्ध कराकर प्राकृतिक उत्पादों की प्राप्ति, प्रसंस्करण और विपणन करने वाली टीडीसीसी, एफडीसी और अन्य राज्य स्तर की एजेंसियों की आर्थिक और वाणिज्यिक व्यवहार्यता को बढ़ावा देना;

(5) उपरोक्त उद्देश्य के मद्देनजर उन्हें और उनके द्वारा सहायता प्रदत्त क्रियाकलापों के लिए वित्त की व्यवस्था करना; तथा

(6) विभिन्न राज्यों में सहकारी विपणन की सीमा के अंतर्गत लाए जाने वाले लघु वन उत्पाद की मदों की पहचान करना और प्रत्येक राज्य द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में इस प्रकार के लघु वन उत्पाद की न्यूनतम राशि निर्धारित करने के लिए सिफारिश करना।

ट्राइफेड द्वारा बहुराज्यीय सहकारी समिति नियम, 2002 के साथ पठित नए बहु-राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के समरूप बनाए गए संशोधित उपनियमों के अनुसार, ट्राइफेड का मुख्य उद्देश्य जनजातीय उत्पादों के विपणन विकास में स्व:सहायता और आपसी सहयोग से व्यावसायिक, लोकतांत्रिक और स्वायत्त तरीके से अपने कार्यकलापों द्वारा अपने सदस्यों की एक से अधिक राज्यों में सामाजिक और आर्थिक उन्नति संबंधी हितों की पूर्ति करना है।

अनुबंध-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान ट्राइफेड द्वारा की गई अधिप्राप्ति के राज्यवार ब्यौरे

मात्रा मिट्रीक टन में
मूल्य रुपए लाख में

राज्य	2000-01						2001-02						2002-03 (अनंतिम)					
	एमएफपी		एसएपी		कुल		एमएफपी		एसएपी		कुल		एमएफपी		एसएपी		कुल	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
आंध्र प्रदेश	3211	182.3	1451	417	4661.4	599.8	1751	165.2	179.2	25.5	1930	190.7	5.27	1.69	83.82	16.27	89.09	17.96
बिहार/झारखंड	1175	169.4	0	0	1175.1	169.40	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	0.00	0.00
छत्तीसगढ़	5873	2351	5962	257	11835	2609	9738	470.2	38.97	1.489	9777	471.6	20.17	0.76	0	0	20.17	0.76
गुजरात	0	0	119.6	18.1	119.6	18.08	0	0	115.3	12.6	115.3	12.6	0	0	68.82	18.27	68.82	18.27
कर्नाटक	0	0	117.5	6.27	117.5	6.27	0	0	0	0	0	0	0	0	33	29.76	33.00	29.76
मध्य प्रदेश	1132	64.78	13518	1177	14650	1242	55.82	1.84	3281	347.7	3337	349.5	0	0	1843	218.4	1843.0	218.37
महाराष्ट्र	0	0	1103	146	1102.6	145.6	0.19	0.04	501.5	61.86	501.7	61.9	0	0	50.7	7.59	50.70	7.59
उत्तर पूर्वी राज्य	1843	23.86	194.4	30.5	2037.4	54.34	17.12	22.25	45.93	2.92	63.05	25.17	259.7	28.1	24.45	3.296	284.2	31.36
उड़ीसा	2421	65.8	268.6	37	2689.6	202.9	100.1	6.789	381.4	42.14	481.4	48.93	0	0	403.2	67.9	403.2	67.90
राजस्थान	588.9	33.55	13555	1431	14144	1464	66.23	2.85	5174	618.7	5240	621.6	0	0	2473	326.4	2473	326.38
तमिलनाडु	49.98	4.78	12.43	0.75	62.413	5.53	0	0	9.08	0.459	9.08	0.459	0	0	0	0	0.00	0.00
पश्चिम बंगाल	1848	69.2	0	0	1848.4	69.2	0.07	0.08	0	0	0.07	0.08	0	0	0	0	0.00	0.00
ट्राइब्स इंडिया (हस्तांतरण/ हथकरघा सामग्रियां)						36.61						25.74						24.36
उप-योग	18142	3065	36300	3521	54442	6623	11728	669.2	9726	1113	21454	1808	285.2	30.5	4980	687.8	5265.26	742.7
अधिप्राप्ति मांगे गई (अनापत्ति-प्रमाणपत्र जारी करने के माध्यम से)		1510				1510		1980		290.5		2271		1394		349.2	1743.6	
सर्वयोग	18142	4575	36300	3521	54442	8133	11728	2649	9726	1404	21454	4079	285.2	1425	4980	1037	5265.26	2486

अनुबंध III

संघ द्वारा चालू वित्त वर्ष में किए जाने के लिए प्रस्तावित विपणन विकास परियोजनाओं के ब्यौरों संबंधी सूचना

चालू वित्त वर्ष 2003-2004 के दौरान राज्य-वार शुरू किए गए और प्रस्तावित कार्यों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

1. छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल राज्यों में कार्यान्वयन हेतु आईआईटी, खड़गपुर के सहयोग से ग्रामीण प्रोद्यौगिकी शुरू करके साल के पत्रों से मोल्डिड दोने-पत्तल बनाने की एक जनजातीय उद्यमशीलता परियोजना शुरू की गई है। आईआईटी, खड़गपुर में 24 सदस्यों वाले 6 ग्रुपों को प्रशिक्षण दिया गया और प्रत्येक ग्रुप को आय उत्पादन के लिए दोने-पत्तल बनाने/मोल्ड करने की एक मशीन चलाने के लिए दी गई। ये मशीनें बायोमास ईंधन वाली हैं। अत: इनके प्रचालन में बिजली की आवश्यकता नहीं होती। अत: ये मशीन ऐसे दूरवर्ती जनजातीय क्षेत्रों के लिए, जहां बिजली उपलब्ध नहीं है, आदर्श मशीने हैं। बायोमॉस ईंधन वाली मशीन का विकास आईआईटी, खड़गपुर के ग्रामीण विकास केन्द्र द्वारा जनजातीय और वनों पर निर्भर लोगों के कल्याण को ध्यान में रखकर किया गया है। ट्राइफेड की योजना इस परियोजना को झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश राज्यों में दोहराने की है जहां साल और ऐसे ही पत्ते एकत्र करने हेतु उपलब्ध हैं और इसके लिए राज्य सरकार की मंज़ूरी भी आसानी से मिल जाती है।

2. ट्राइफेड ने बाबासाहेब, अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना के अंतर्गत हस्तशिल्प विकास की एक परियोजना चार राज्यों, गुजरात, कर्नाटक, असम और पश्चिम बंगाल में शुरू की है। हस्तशिल्प विकास आयुक्त कार्यालय ने इस परियोजना के लिए 26.80 लाख रुपए मंजूर किए हैं। 197 स्व:सहायता ग्रुपों के गठन का कार्य प्रगति पर है जिसमें 2680 हस्तशिल्प कारीगर (मौजूदा और संभावित) होंगे। यह परियोजना विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय वस्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निधियां उपलब्ध कराए जाने पर 9 अन्य राज्यों यथा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में भी दोहराई जाएंगी।

3. जनजातीय हस्तशिल्पों के लिए प्रदर्शन और बेहतर विपणन स्थान उपलब्ध कराने की दृष्टि से आइटीडीसी, भारत सरकार और विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय के सहयोग से नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की ड्यूटी फ्री दुकान में एक ट्राइब्स (ट्राइफेड की दुकान) का आऊटलेट भी खोला जाएगा।

4. जगदलपुर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ में ट्राइफेड की भूमि पर स्थानीय जनजातीय लोगों को शामिल करके औषधीय जड़ी-बूटियों जैसे सेफ्ट मुसली और आंवला के विकास की एक परियोजना शुरू की जाएगी। राष्ट्रीय औषधीय पौध बोर्ड, भारत सरकार ने इस परियोजना के लिए 20 लाख रुपये की राशि मंजूर की है। मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के लिए कोड़ी-कुटकी और आरगेनिक दालों जैसे लघु आनाजों के विकास के लिए एक परियोजना शुरू की गई है। सैन्ट्रल इंस्टीट्यूट फार एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, भोपाल और जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के सहयोग से इस परियोजना के लिए कार्यान्वयन पूर्व आवश्यकता के रूप में अनुसंधान और विकास कार्य शुरू किया गया है।

5. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात के जनजातीय क्षेत्रों में गोंद और राल के स्थायी विकास के लिए जनजातीय लोगों की क्षमता-निर्माण की ट्राइफेड की परियोजना के लिए बायो-टेक्नोलॉजी विभाग, भारत सरकार द्वारा निधियां उपलब्ध कराने के लिए विचार किया जा रहा है। डीबीटी से अनुमोदन और निधियां उपलब्ध होने के बाद यह परियोजना इंडियन इंस्टीट्यूट आफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, भोपाल के सहयोग से शुरू किए जाने का प्रस्ताव है।

6. ट्राइफेड ने जनजातियों द्वारा संग्रहित और उगाए गए लघु वन उत्पादों और कृषि उत्पादों के परीक्षण/विश्लेषण और गुणवत्ता मानदंडों के प्रमाणीकरण के लिए 6.2.2003 से एक गुणवत्ता नियंत्रण और अनुसंधान तथा विकास केन्द्र भी शुरू किया है। इसके अतिरिक्त, यह केन्द्र जनजातीय उत्पादों के लिए बढ़ती हुई खुली राष्ट्रीय और विश्व अर्थव्यवस्था में बेहतर और नए बाजार तलाशने की दृष्टि से मूल्य संवर्धन, उत्पाद नवीकरण और विविधीकरण के क्षेत्र में अपनाए/अनुप्रयुक्त अनुसंधान पर भी ध्यान देगा। चालू वित्त वर्ष में इस केन्द्र को अधिक संवेदी और आधुनिक उपकरणों और प्रशिक्षित तकनीकी व्यक्तियों से सज्जित करके इसकी क्षमता और कार्यकुशलता का उन्नयन करने का प्रस्ताव है।

7. कुछ अन्य परियोजनाएं जैसे क्योंझर (उड़ीसा) में अरारोट की पैदावार और विपणन, पूर्वोत्तर में हस्तकरघा और हस्तशिल्प विकास केन्द्र और अदरक के लिए पूर्व-विपणन, प्रसंस्करण/सुविधा केन्द्र की स्थापना और जनजातियों को दिए जाने वाले उचित मूल्य के निर्धारण के संबंध में गैर कास्ट वन उत्पाद (एनटीएफपी) पर बैंच मार्किंग रिसर्च स्टडी और पैलो पेजेज के रूप में एनटीएफपी पर डाटा बेस के सृजन का कार्य वर्ष 2003-04 के दौरान व्यवहार्यता परीक्षण की प्रक्रिया में है।

श्री रामदास आठवले: अध्यक्ष महोदय, हमारा आदिवासी समाज पहाड़ों और वनों में रहता है, उनके भवन, उत्पाद और कृषि उत्पाद के लिए कोई अच्छी योजना बनानी चाहिए। इसके लिए भारत सरकार ने ट्राइफैड की योजना बनाई है। मैं आपको आंकड़े दिखाना चाहता हूं कि 2000-2001 में लघु वन उत्पाद 45 करोड़ 75 लाख रु. का था, कृषि का उत्पादन 35 करोड़ 21 लाख रु. का था और हस्तशिल्प का उत्पादन 37 लाख रु. का था। 2001-2002 में लघु वन उत्पाद 26 करोड़ 49 लाख रु. का था। कृषि उत्पादन 14 करोड़ रु. का था। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न पूछिए। रामदास जी, जो उत्तर में है, उसे सभी ने पढ़ा है।

श्री रामदास आठवले: मैं बता रहा हूं कि 2002-2003 में लघु वन उत्पाद 14 करोड़ 25 लाख रु. का था और हस्तशिल्प का उत्पादन 24 लाख रुपए का था। मेरा सवाल है कि उत्पादन हर साल बढ़ने की आवश्यकता है जबकि यह उत्पादन हर साल कम होता जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि उत्पाद कम होने का कारण क्या है? ट्राइफैड लिमिटेड में करप्शन होता है, ऐसी भी शिकायत है। जो आदिवासी लोग हैं, उनको रेट कम मिलता है, रेट कम मिलने की संभावना है। जब उत्पादन बढ़ने की बजाए कम होता जा रहा है और आपने अगर यह कंपनी चालू की है तो आदिवासी लोगों को अच्छी सुविधाएं मिलनी चाहिए। मेरा सवाल यह है कि आदिवासी लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने के लिए आपका विभाग क्या करने जा रहा है?

श्री जुएल उराम: लघु वन उपज मौसम पर भी निर्भर करती है। अब इस साल कैसा क्रॉप आएगा, बम्पर क्रॉप के ईयर में बम्पर बिजनैस आएगा। लीन क्रॉप ईयर में लीन बिजनैस होगा। आप यह देखेंगे कि माननीय सदस्य ने जो आंकड़े दिए थे, उसको वे पढ़ रहे थे। उसके घटने का दूसरा कारण यह है कि हमारा केवल लघु वन उपज का कारोबार नहीं है, एग्रीकल्चर सरप्लस प्रोडक्ट भी खरीदना है। उसमें चूंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जब ट्राईबल फॉर्मर को अवैलेबल होती है, उस समय खरीददारी करने का कोई औचित्य नहीं है। अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस से रेट नीचे जा रहा है तभी यह कारोबार करेगा। इसीलिए यह घाटा हुआ है। लेकिन उसको कैसे अच्छा रेट मिले, इसमें कैसे बढ़ोत्तरी हो, इसके लिए हम निरन्तर प्रयासरत हैं और इसे हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री रामदास आठवले: दूसरा प्रश्न यह है कि जो आई.आई.टी खड़गपुर है, उसमें साल के पत्तों से मौल्डेड दोने पत्तल बनाने की योजना बनाई है और इसके लिए उनके पास बायोमास ईंधन वाली मशीन है। यह मशीन देकर अच्छा उत्पादन करने का मौका भी उन्होंने दिया है। यह योजना आपने केवल छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में ही शुरू की है। झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में भी इसी तरह के पत्ते उपलब्ध हैं। ऐसी मशीनों को उपयोग में लाकर इन प्रदेशों में इस योजना को जल्दी से जल्दी चालू करने की आवश्यकता है। मैं जानना चाहता हूं कि आप बॉयोमॉस ईंधन वाली मशीन कितने लोगों को देने वाले हैं? एक दूसरा मेरा सवाल यह है कि, ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप एक और दूसरा सवाल नहीं पूछ सकते।

...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले: मेरा कहना इतना ही है कि ट्राईफैड के अंतर्गत जो बाबासाहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना बनी है, यह गुजरात, कर्नाटक, असम और पश्चिम बंगाल में आपने शुरू की है। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां हस्तकला को अपनाने वाले ट्राईबल्स लोग ज्यादा हैं। यह योजना महाराष्ट्र में भी चालू करने के बारे में क्या आप विचार करने वाले हैं?

श्री जुएल उराम: अध्यक्ष महोदय, आई.आई.टी. खड़गपुर ने दोना पत्ता बनाने की जो अनोखी मशीन का निर्माण किया है, वह इलैक्ट्रिसिटी के बिना चलेगी, बॉयोमास के फ्रिल में वह चलेगी। उसके लिए 6 ग्रुप्स में 24 लोगों को ट्रेनिंग दी गई है। पहले, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में इसे चलाने की कोशिश की गई है। अभी राज्य सरकारों से बातचीत हो रही है। अगर राज्य सरकार इसमें सहमति प्रदान करेंगी और शेल्फ हैल्प ग्रुप आगे आएंगे तो हम उसे भी करने की कोशिश करेंगे। आई.आई.टी. खड़गपुर टैक्नोलॉजी बना चुका है और देने के लिए तैयार है। अपना मंत्रालय, ट्राईफैड के लिए जितनी भी मांग है, वह हम सब देने के लिए तैयार हैं। यह सब कंटीनुअस प्रौसेस है। इसमें जितने मोटीवेट होंगे, हम सब देने के लिए तैयार हैं।

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री: अध्यक्ष महोदय, मैं आपको मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं और उनको यह भी स्मरण कराना चाहता हूं कि पूरे देश में जनजातीय लोगों के उत्पीड़न को रोकने के ट्राइफेड और अन्य वन विकास निगमों को सृजित किया गया था। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस प्रदेश से इसका सृजन किया गया था-क्रियाविधि तैयार की गई थी, वह निहित स्वार्थ बन गया है। समस्त लघु वन उत्पाद को लघु वन उत्पाद राज्य राष्ट्रीयकरण अधिनियम के अन्तर्गत रखा गया है। यदि आप पूरे देश का सर्वेक्षण करते हैं, तो आप पाएंगे कि चना, शहद, रेजिन, तेंदुपत्ता,

महुआ फूल, महुआ बीज, साल बीज का उत्पादन एक तिहाई मूल्य पर किया जा रहा है।

[हिन्दी]

बाजार के अंदर यही चीज ट्राइबल मार्केटिंग फैडरेशन और फारेस्ट डवलपमेंट कार्पोरेशन द्वारा बेची जाती है तो उनको तीन से चार गुना अधिक पैसा मिलता है। ट्राइबल मार्केटिंग फैडरेशन और फारेस्ट डवलपमेंट कार्पोरेशन की जो पूरी व्यवस्था है, इसी में से उसके कर्मचारियों की तनख्वाह निकाली जाती है। इसकी वजह से ट्राइबल मार्केटिंग फैडरेशन और फारेस्ट डवलपमेंट कार्पोरेशन को जो मुनाफा होता है, वह आदिवासियों और बेचने वाले को वापस नहीं दिया जाता है। सिर्फ मध्य प्रदेश में ऐसी व्यवस्था है, जहां तेंदू पत्ते के बेचने से जो मुनाफा होता है, विलेज कोआपरेटिव उसको बेचती है, वह आदिवासियों को दिया जाता है। अन्य किसी राज्य में ऐसी व्यवस्था नहीं है। ट्राइबल मार्केटिंग फैडरेशन और फारेस्ट डवलपमेंट कार्पोरेशन जो माइनर फारेस्ट प्रोड्यूस या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस खरीदता है, उसमें जो मुनाफा होता है, उसका कुछ पार्ट आदिवासियों को नहीं दिया जाता है। क्या इस तरह की सम्भावना है कि जैसे कृषि में न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित हैं, उसी तरह से फारेस्ट प्रोड्यूस के लिए भी मिनीमम सपोर्ट प्राइस के लिए भी कोई मेकनिज्म बनाया जाए? क्या सरकार का इस तरह का मेकनिज्म बनाने का इरादा है, जिससे देश में जो आठ प्रतिशत आदिवासी हैं, उनकी प्रोड्यूस है, उसका उचित मूल्य मिल सके?

श्री जुएल उराम: एक प्रश्न में ही बहुत सारे भाग हैं।

श्री मधुसूदन मिस्त्री: मेरे दो ही प्रश्न हैं—एक यह कि प्राफिट कम दिया जाता है और दूसरा यह कि क्या आप माइनर फारेस्ट प्रोड्यूस के लिए भी एग्रीकल्चर सेक्टर की तरह मिनीमम सपोर्ट प्राइस का मेकनिज्म बनाएंगे?

श्री जुएल उराम: मेकेनिज्म आलरेडी है।

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री: मुझे अफसोस है महोदय। ऐसी कोई क्रियाविधि मौजूद नहीं है। सरकार लघु वन उत्पाद समर्थन मूल्य की घोषणा नहीं करती क्योंकि कृषि उत्पाद में न्यूनतम समर्थन मूल्य विद्यमान है।

श्री जुएल उराम: उसके अलावा कृषि मंत्रालय नैफेड का एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन है, जो माइनर फारेस्ट प्रोड्यूस पर भी लागू है। वह भी तय करता है और जिला स्तर पर कलेक्टर भी देखता है कि किस चीज की बिक्री कितने भाव में होनी चाहिए। ट्रायफेड सीधे भी खरीद और बिक्री करता है, उसमें बंधन समिति हो या टीडीसीसी हो, ये दोनों भी करते हैं। इस तरह से राज्य सरकारें और ट्रायफेड दोनों करते हैं। तेंदू पत्ते के कारोबार की बात आपने कही, उसका मेकेनिज्म अलग है। उसका बोनस आदिवासियों को दिया जा सकता है, लेकिन इसमें बोनस का प्रावधान नहीं है और ऐसा मेकिनिज्म नहीं है।

[अनुवाद]

34-38

प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण

***586. श्री अशोक ना. मोहोल:**
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थान कृषि, खुदरा व्यापार और लघु एककों को प्राथमिकता के आधार पर ऋण देने के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके हैं;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र के लिए गत तीन वर्षों के दौरान क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और क्या प्रगति हुई है;

(ग) उन वित्तीय संस्थानों के नाम क्या हैं जो उक्त अवधि के दौरान लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रहे और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) वित्तीय संस्थानों द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्र के लिए ऋण देने संबंधी लक्ष्य प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (घ) वित्तीय संस्थाएं बड़ी परियोजनाओं के लिए सावधि ऋण प्रदान करती हैं। प्राथमिकता क्षेत्र को उधार देने के लिए उनके पास कोई मानदंड नहीं है। यह कार्य बैंकों द्वारा किया जाता है।

[हिन्दी]

श्री अशोक ना. मोहोल: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी द्वारा दिए जवाब के अनुसार प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण देने का काम बैंकों द्वारा किया जाता है, न कि वित्तीय संस्थाओं के द्वारा। इसका मतलब बैंक और वित्तीय संस्थाएं अलग-अलग श्रेणी में हैं। देश में बैंक सबसे बड़ी वित्तीय व्यवस्था हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि बैंकों को किस श्रेणी में रखा गया है? इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं कि बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देने

का पिछले तीन वर्ष में कितना लक्ष्य रखा गया था और उस लक्ष्य को किस हद तक प्राप्त किया गया है?

श्री जसवंत सिंह: अध्यक्ष जी, जैसा अक्सर होता है कि एक ही सवाल की परिधि में बहुत सारे सवाल आ जाते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि सभी सवालों के जवाब दे सकूं। डैवलेपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स के बारे में, जैसा सभी माननीय सदस्य जानते हैं, सन् 1990-91 के बाद, इन्हें सस्ती दर पर जो पैसा मिलता था, वह पैसा मिलना बंद हो गया। जब यह बंद हो गया तो आईडीबीआई और आईएफसीआई जैसी इंस्टीट्यूशन्स की माली हालत खराब होनी शुरू हुई और वे ऐसी स्थिति में पहुंच गये। ये अपने आप में डैवलेपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स होने चाहिए, यह एक यथार्थ है और सरकार इस बारे में जागरूक है। आईडीबीआई का बिल स्टेंडिंग कमेटी के पास है। मेरा निवेदन स्टेंडिंग कमेटी से होगा कि वह जितना जल्दी हो सके, आईडीबीआई बिल को वापस करे ताकि वह बिल संसद में आ सके, जिससे डैवलेपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स सुधारों की ओर अग्रसर हो सकेंगे। जैसा माननीय सदस्य जानते हैं कि आईडीबीआई के साथ जुड़ा हुआ आईडीबाआई बैंक है और कोई न कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स ऐसा रखना होगा. इस बारे में सरकार जागरूक है।

माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि बैंकों को आपने क्या प्राथमिकताएं दी हैं? जैसा सभी जानते हैं कि प्रोयोरिटी सेक्टर में 40 प्रतिशत ऋण बैंक दें और मोटे तौर पर वे उस प्रतिशत को हासिल करते हैं। इसमें से करीब 18 प्रतिशत कृषि को जाता है। यदि कोई बैंक यह प्रतिशत हासिल नहीं कर पाता है तो जिस अनुपात में वह यह दर हासिल नहीं कर पाता है, उसे उसी अनुपात में वह पैसा नाबार्ड में जमा कराना पड़ता है। जो बाजार में ब्याज दर है, उससे कम पर उनको इंट्रेस्ट देना पड़ता है यानी कम भाव पर इंट्रेस्ट देना पड़ता है। यही प्रावधान अभी तक रखा गया है और इसी के तहत काम चल रहा है।

श्री अशोक ना. मोहोल: अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि देश के अंदर किन-किन सरकारी बैंकों ने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में पिछले वर्षों में, कितना ऋण विशेष रूप से महाराष्ट्र में दिया है? यह ऋण सुविधा कितने जिलों और तहसीलों तक पहुंची है, इसकी मुझे जानकारी चाहिए और 2003-2004 के लिए बैंकों द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को कितना ऋण देने का सरकार का विचार है।

श्री जसवंत सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न कुछ और है लेकिन माननीय सदस्य किसी और दिशा की ओर चल पड़े हैं। जो प्रश्न पूछा गया है वह भी ऐसा है जिसका पूर्ण आंसर देना असंभव है। मैं आपकी इजाजत चाहूंगा कि इसका उत्तर देने के लिए हमें बाध्य न किया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्री के. येरननायडू: कृषि, सकल घरेलू उत्पाद का विकास दूत है। हम हर वर्ष राष्ट्रीयकृत बैंकों से कृषक समुदाय को ऋण देने के बारे में चर्चा करते हैं। तथापि निर्धारित मानदंड 18 प्रतिशत है, फिर भी यह सत्य है कि कई बैंक 18 प्रतिशत ऋण नहीं दे पा रहे हैं; इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? वे रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए निर्देशों की बात करते हैं। सरकार लगातार इस संबंध में अनुदेश दे रही है परन्तु इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अन्य क्षेत्रों को दिए गए ऋण के 18 प्रतिशत में से वसूली कृषि क्षेत्र से कम है। इस परिदृश्य में कृषि पर ध्यान देना होगा। अभी भी कृषक उच्च ब्याज का भुगतान कर निजी ऋणदाताओं से ऋण ले रहे हैं। दुर्भाग्यवश, यदि फसल की हानि होती है, तो उन्हें आत्महत्या करनी पड़ सकती है, इसलिए छोटे और सीमांत किसानों को धन सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार दी जानी चाहिए। क्या सरकार सचमुच इस 18 प्रतिशत के मानदंड को कार्यान्वित करने की इच्छुक है? सरकार ने चूककर्त्ता बैंकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है?

श्री जसवंत सिंह: जहां तक सरकार की इच्छा का संबंध है, निश्चित ही सरकार द्वारा प्रतिशत का निर्धारण किया जाता है। यह सरकार की इच्छा का प्रश्न नहीं है, सरकार की मांग यह है कि इसका अनुपालन किया जाए और बैंक द्वारा 18 प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त न कर पाने पर, जैसा कि मैंने अभी वर्णन किया है, कमी को दंड ब्याज के साथ नाबार्ड में जमा किया जाता है। इस संबंध में सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्ट नहीं है और हम इसका अनुपालन करेंगे।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति: आप कितना ब्याज वसूल रहे हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 587, श्री रामजी लाल सुमन।

[हिन्दी]

श्री रामजी लाल सुमन: प्रश्न संख्या 587।

[अनुवाद]

श्री जसवंत सिंह: सभा पटल पर विवरण रख दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्यः सरकार कंफ्यूज है, सर। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

कारों एवं मुद्रण मशीनों के लिए आयात नीति

***587. +*श्री रामजी लाल सुमनः**
श्री नरेश पुगलियाः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) नई/पुरानी कारों एवं मुद्रण (प्रिंटिंग) मशीनों के आयात हेतु आयात नीति, प्रक्रिया एवं सीमाशुल्क का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने नई/पुरानी कारों एवं मुद्रण मशीनों के आयात में वृद्धि का इन वस्तुओं के घरेलू क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन वस्तुओं के आयात पर निर्भरता कम करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी)ः (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) वर्तमान निर्यात-आयात (एग्जिम) नीति में नई/प्रयोग की हुई कारों और मुद्रण मशीनों के मुक्त आयात की व्यवस्था है। तथापि, कार का आयात उपभोक्ता संरक्षण, सड़क सुरक्षा और विनिर्दिष्ट उत्सर्जन मानकों से संबंधित शर्तों के अध्यधीन है। नई/प्रयोग की हुई कारों के आयात की अनुमति केवल विनिर्दिष्ट पत्तनों के जरिए दी जाती है। दस वर्ष से अधिक पुरानी मुद्रण मशीनों के आयात की अनुमति इस संबंध में जारी किए जाने वाले लाइसेंस पर दी जाती है। शुल्क की लागू दरें प्रयोग की हुई कारों के लिए 105 प्रतिशत, नई कारों के लिए 60 प्रतिशत और मुद्रण मशीनों के लिए 25 प्रतिशत है।

मात्रात्मक प्रतिबंध हटाने के बाद भी आयात लागू टैरिफों, तकनीकी मानकों, पर्यावरण और सुरक्षा मानकों के अध्यधीन हैं। आयातों पर उक्त तंत्र के उचित प्रयोग के माध्यम से कड़ी निगरानी रखी जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि घरेलू उद्योग को प्रतिस्पर्धा में कोई घाटा न हो।

*कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे गए।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाना

***588. श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधियाः** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यूरोपीय संघ और अन्य विकसित देश भारत पर विश्व व्यापार संगठन की प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न वस्तुओं, विशेषकर कृषि उत्पादों के आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध को हटाने के लिए दबाव डालते रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मांग को हाल में ब्रूसेल्स में यूरोपीय संघ के द्विपक्षीय विचार-विमर्श के दौरान भी उठाया गया था;

(घ) यदि हां, तो ब्रुसेल्स में की गई विशिष्ट वस्तु-वार मांगें क्या हैं;

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) अब तक इस मामले पर क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी)ः (क) से (च) यूरोपीय संघ (ई.सी) भारत द्वारा कुछ उत्पादों पर आयात प्रतिबंध जारी रखने के मामले को समय-समय पर उठाता रहा है। संघ ने 101 उत्पादों की सूची जिसमें कुछ कृषि उत्पाद थे, पर भारत द्वारा आयात प्रतिबंधों को जारी रखने के औचित्य के संबंध में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के विवाद निपटान तंत्र के तहत भारत के साथ औपचारिक विचार-विमर्श का भी अनुरोध किया था।

औपचारिक विचार-विमर्श डब्ल्यूटीओ जेनेवा में 17 फरवरी, 2003 को किया गया था जिसमें अमरीका ने एक तीसरे पक्षकार के रूप में भाग लिया। विचार-विमर्श में भारत ने आयात प्रतिबंधों का आधार स्पष्ट करते हुए एक तर्कपूर्ण नीति को अपनाया तथा इस बात की पुष्टि की कि सभी आयात प्रतिबंधों की अनुच्छेद 20 और 21 के तहत अनुमति है। यूरोपीय संघ ने स्वीकार किया कि विचार-विमर्श कुल मिलाकर रचनात्मक रहा।

[हिन्दी] 39-40

राज्यों में विदेशी निवेश

*589. **श्री राम विलास पासवान:** क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में हुए कुल विदेशी पूंजी निवेश का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ राज्यों में विदेशी पूंजी का निवेश नगण्य है;

(ग) क्या इस प्रकार से असमान विदेशी आर्थिक पूंजी निवेश से राज्यों में असंतुलन पैदा होगा; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय उठाए जा रहे हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) विभिन्न राज्यों में 1.1.2001 से 31.12.2002 तक विदेशी निवेश से संबंधित ब्यौरा इस विवरण के साथ संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) कुछ राज्यों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संकेन्द्रण में योगदान देने वाला मुख्य कारक, उनके द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला समग्र निवेश माहौल है। सरकार द्वारा एक उदार एफडीआई नीति निर्धारित की गई है और नकारात्मक क्षेत्रों की एक लघु सूची को छोड़कर अधिकांश क्षेत्रों को स्वचालित मार्ग के अंतर्गत रखा गया है। निवेश के स्थल का निर्धारण पूर्ण रूप से निवेश के वाणिज्यक निर्णय के अनुसार किया जाता है।

निवेश अनुमोदन एवं कार्यान्वयन प्रक्रियाओं में सुधार संबंधी समिति की सिफारिशों जिनमें अधिक निवेश प्रवाहों को सुनिश्चित करने हेतु उपाय शामिल हैं, को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

विवरण

1.1.2001 से 31.12.2002 तक वर्षवार/राज्य-वार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) अंतर्वाह

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	एफडीआई अंतर्वाह की राशि	
		2001 (जनवरी-दिसम्बर)	2002 (जनवरी-दिसम्बर)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	339.80	286.81
2.	असम	0.00	5.58
3.	गुजरात	109.41	288.42
4.	हरियाणा	0.00	0.00
5.	कर्नाटक	1,310.36	892.90
6.	केरल	69.89	54.86
7.	मध्य प्रदेश	9.73	9.17
8.	महाराष्ट्र	2991.73	4,865.73
9.	राजस्थान	6.67	1.06
10.	तमिलनाडु	742.70	1,341.22
11.	पश्चिम बंगाल	66.84	132.21
12.	चंडीगढ़	4.01	842.55
13.	दिल्ली	6,918.31	2,994.28
14.	गोवा	10.92	146.79
15.	पांडिचेरी	299.26	0.00
16.	अन्य (राज्य निर्दिष्ट नहीं हैं)	2,962.27	4,259.77
	कुल जोड़ (जनवरी, 2001 से दिसम्बर, 2002 तक)	15,841.90	16,123.35

टिप्पण: (1) इस राशि में केवल एसआईए/एफआईपीबी मार्ग, विद्यमान शेयरों के अधिग्रहण एवं भारतीय रिजर्व बैंक के स्वचालित मार्ग के माध्यम से प्राप्त अंतर्वाह शामिल है।

(2) विशिष्ट विवरण के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई द्वारा जनवरी, 2000 से पहले की एफडीआई अंतर्वाह की राशि का ब्यौरा नहीं दिया गया है।

Bhasi - 40-42

एन.टी.सी. मिलों का बंद किया जाना

*590. **श्री रामदास रुपला गावीत:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एन.टी.सी.) के अंतर्गत कुल कितनी कपड़ा मिलें हैं;

(ख) वर्तमान में प्रत्येक राज्य में एन.टी.सी. की कितनी मिलें चल रही हैं;

(ग) पिछले वर्ष के दौरान इन मिलों की वार्षिक लाभ/हानि कितनी रही;

(घ) क्या सरकार एन.टी.सी. की कुछ मिलों को बंद करने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) इन मिलों में कार्यरत श्रमिकों का भविष्य क्या होगा।

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) से (ग) एनटीसी की 119 मिलें हैं (जिनमें पहले से ही बंद 33 मिलें भी शामिल हैं) 30.4.2003 तक की स्थिति के अनुसार, मिलों के साथ उनकी अवस्थिति (कार्य कर रही है/कार्य नहीं कर रही हैं) और वर्ष 2001-02 में एनटीसी की कंपनियों को हुए घाटे के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) से (च) एनटीसी के लिए अनुमोदित पुनरुद्धार योजनाओं के अनुसार, 119 मिलों में से 66 गैर-अर्थक्षम मिलों को, प्रभावित कर्मचारियों को वीआरएस देने के बाद बंद किया जाना है। इन 66 मिलों में से 42, मिलों के 21,369 कर्मचारियों को 647.12 करोड़ रु. की लागत पर वीआरएस की पेशकश की गई थी। इनमें से 33 मिलों को औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत बंद कर दिया गया है।

विवरण

एनटीसी की कार्य कर रही/कार्य नहीं कर और वर्ष 2001-02 में घाटा उठाने वाली राज्य-वार मिलें

एनटीसी	राज्य	कार्य कर रहीं	कार्य नहीं कर रहीं	पहले से ही बंद	वर्ष 2001-02 में घाटा (करोड़ रु. में)
डीपीआर	पंजाब	3	1	—	62.90
	राजस्थान	3	—	1	
मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	2	—	5	47.97
उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश	2	9	—	79.35
एमएन और एसएम	महाराष्ट्र	32	—	3	245.29
गुजरात	गुजरात	4	—	7	61.03
एपीकेकेएम	आंध्र प्रदेश	0	2	4	37.08
	कर्नाटक	2	1	1	
	केरल	5	—	—	
	माहे	1	—	—	
डब्ल्यूबीएबीओ	पश्चिम बंगाल	5	1	6	60.57
	असम	1	—	—	
	बिहार	0	1	1	
	उड़ीसा	1	—	—	
टीएनपी/एचसी	तमिलनाडु	8	—	5	97.22
	पाण्डिचेरी	2	—	—	
	कुल	71	15	33	691.41

टिप्पणी: घाटे को केवल कंपनी-वार ही परिकलित किया गया है।

चावल का निर्यात

*591. **श्री रामपाल सिंह:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत से चावल का निर्यात चावल की गुणवत्ता, परिवहन संबंधी समस्याओं और प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य न होने के कारण बुरी तरह प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उपर्युक्त समस्याएं दूर करने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) इस वर्ष के दौरान (अप्रैल, 2002 से जनवरी, 2003 तक) गैर-बासमती चावल का निर्यात पिछले वर्ष की इसी अवधि में 937 करोड़ रुपये मूल्य के 10.11 लाख मी. टन से बढ़कर 3236 करोड़ रुपये के मूल्य के 35.47 लाख मी. टन हो गया है। तथापि, अखिल भारतीय चावल निर्यातक एसोसिएशन और अन्य व्यक्तियों से अन्य बातों के साथ-साथ पर्याप्त रेलवे रैक उपलब्ध न होने जिससे कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) और (घ) विपणन और परिवहन के कारण डब्ल्यूटीओ से स्वीकार्य कुछ लागतों की सेन्ट्रल पूल स्टाकों से निर्यात पर प्रतिपूर्ति की जा रही है।

वस्त्रों का निर्यात

*592. **श्री लक्ष्मण गिलुवा:**
श्री राम टहल चौधरी:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वस्त्र निर्यात हेतु नए बाजारों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा निर्यात बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) और (ख) भारत के वस्तु उत्पादों का निर्यात, सौ से भी अधिक देशों को किया जाता है। तथापि, यूएसए, ईयू के सदस्य देश, कनाडा, यू.ए.ई., सी.आई.एस. देशों, जापान, सऊदी अरब, स्विटजरलैंड, मैक्सिको, आस्ट्रेलिया आदि हमारे वस्त्र सामान के प्रमुख आयातक देश हैं।

वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषदों ने विशेष कर गैर-कोटा बाजारों को अपने निर्यात संवर्द्धन क्रियाकलापों को बढ़ा दिया है। लैटीन अमरीकी बाजारों में वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने के प्रयासों के एक भाग के रूप में, एलएसी के कार्यक्रम के अंतर्गत एक वृहत वस्त्र व्यापार प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। फोकस अफ्रीका कार्यक्रम के अंतर्गत समन्वित संवर्द्धनात्मक कार्यक्रम भी बनाए जाते हैं ताकि बढ़ रहे अफ्रीकी अपैरल उद्योग को, यार्न और फैब्रिकों के निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके।

(ग) सरकार, विभिन्न देशों को वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर अनेक कदम उठाती रही है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं:

(1) सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र से सिलेसिलाये परिधानों के बुनाई क्षेत्र को अनारक्षित कर दिया है। साथ ही उसने निटिंग क्षेत्र के लिए लघु उद्योग क्षेत्र के निवेश की सीमा को भी बढ़ा कर 5 करोड़ रु. कर दिया है।

(2) इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन को सुगम बनाने के लिए दिनांक 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) प्रचालित की गयी है।

(3) टीयूएफएस के अंतर्गत शामिल बुनाई, प्रसंस्करण और परिधान मशीनों को 50 प्रतिशत की दर पर बढ़े हुए मूल्यह्रास की सुविधा प्रदान की गयी है। राजकोषीय नीतिपरक उपायों से मशीनों की लागत को भी कम कर दिया गया है। इससे आधुनिकीकरण को और प्रोत्साहन मिलता है।

(4) पिछड़े समूहों के एकीकरण की दृष्टि से शटल रहित करघों तथा अन्य महत्वपूर्ण वस्त्र मशीनरी मदों पर सीमा शुल्क को घटकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

(5) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट), इसकी 6 शाखाएं और अप्रैरल प्रशिक्षण व डिजाइन केन्द्र (एटीडीसी), विशेषकर अप्रैरल के डिजाइन के क्षेत्र में, व्यापारीकरण व विपणन के क्षेत्र में वस्त्र उद्योग की कुशल मानव शक्ति संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम/कार्यक्रम चला रहे हैं।

(6) आयातक देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप वस्त्र उत्पादों का पूर्व परीक्षण करवाने के लिए पारि-अनुकूल प्रयोगशालाओं की सुविधाएं उपलब्ध कराई गयी हैं।

(7) सरकार ने संभावित विकास केन्द्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अप्रैरल विनिर्माण एककों की स्थापना करने पर संकेन्द्रित बल देने और निर्यात को गति देने के लिए निर्यात के लिए अपैरल पार्क योजना नामक केन्द्रीय रूप से प्रायोजित एक योजना शुरू की है।

(8) प्रमुख वस्त्र केन्द्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं को उन्नत बनाने के लिए वस्त्र इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास केन्द्र योजना (टीसीआईडीएस) नामक एक योजना शुरू की गई है।

[अनुवाद]

रेशम उद्योग में संकट

*593. **श्री सुन्दर लाल तिवारी:**
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शहतूत की खेती में लगे किसान चीन से रेशम के कोये (कोकून) के बड़े पैमाने पर पाटन तथा आयात के कारण कोया (कोकून) की कीमतों में आई भारी गिरावट के परिणामस्वरूप दिवालिया हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ''डायरेक्टोरेट जेनेरल ऑफ एण्टी डम्पिंग एण्ड एलाएड ड्यूटीज'' ने रेशम उद्योग से प्राप्त शिकायतों के आधार पर पाटनरोधी जांच शुरू की है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम हैं; और

(घ) रेशम उत्पादों के हितों की रक्षा के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे अन्य कदम क्या हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) सरकार को चीन से रेशम के धागे का बड़ी मात्रा में पाटन और आयात होने के फलस्वरूप कोकून की कीमतों में अत्यधिक गिरावट आ जाने के कारण शहतूत की खेती कर रहे कृषकों के दिवालिया हो जाने के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) तथापि, साथ ही कर्नाटक, तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश के राज्यों में अवस्थित कॉटिज/फिलेचर/मल्टिएण्ड सिल्क रीलर्स एसोसिएशनों से प्राप्त एक याचिका के आधार पर पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डीजीएडी) ने चीन जनवादी गणराज्य मूल के अथवा वहां से निर्यातित 2ए ग्रेड और उससे कम ग्रेड के शहतूती कच्चे रेशम (बिना बटा हुआ) के आयात की दिनांक 17.7.2002 को जांच शुरू की थी। इस मामले में प्रारंभिक जांच परिणाम 20.12.2002 को अधिसूचित किए गए थे जिसमें 33.19 अमरीकी डालर प्रति किग्रा. और आयातों के पहुंच मूल्य के बीच के अंतर के बराबर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गयी थी। वित्त मंत्रालय द्वारा अनंतिम पाटनरोधी शुल्क दिनांक 2.1.2003 की अधिसूचना द्वारा लगाया गया है।

(घ) रेशम उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदम निम्नानुसार हैं:

(1) केन्द्रीय रेशम बोर्ड कच्ची सामग्री के बैंकों का प्रचालन करता है और राज्य विपणन एजेंसियों का मार्जिन मनी ऋण देता है ताकि प्राथमिक कृषकों के लिए उचित कीमत सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा, कर्नाटक रेशम विपणन बोर्ड जैसा राज्य सरकार की एजेंसियां प्रमुख बाजारों में अपनी उपस्थिति से कीमतों को स्थिर रखने की भूमिका अदा करती हैं।

(2) गिरती हुई कीमतों से कृषकों को राहत प्रदान करने और रेशम की खेती जारी रखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए, कुछेक राज्य सरकारों ने 50:50 के अनुपात में केन्द्र और संबंधित राज्य सरकार द्वारा लागत में हिस्सेदारी के आधार पर कृषकों को 10 रुपए प्रति किग्रा. कोकून का प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए वर्ष 2002-03 के दौरान एक अल्पावधि स्कीम का कार्यान्वयन किया है।

(3) 9वीं योजना अवधि की तुलना में 10वीं योजना अवधि के दौरान अधिक योजनागत प्रावधान किया गया है अर्थात् अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास और केन्द्रीय और केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए 450 करोड़ रु. निर्धारित किए गए हैं। केन्द्रीय एवं केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के अंतर्गत, केन्द्रीय रेशम बोर्ड राज्य सरकारों और लाभार्थियों को रेशम उत्पादन की गुणवत्ता एवं मात्रा बढ़ाने के लिए सहायता अनुदान एवं प्रौद्योगिकी मदद के जरिए सहायता प्रदान करता है।

उपभोक्ता आंदोलन को बढ़ावा

*594. **श्री जी.एस. बसवराज: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) **क्या हाल ही में, उपभोक्ता न्यायालयों, मीडिया और उपभोक्ता सहकारी संगठनों के कारण देश में उपभोक्ता आन्दोलन को भारी बढ़ावा मिला है;**

(ख) यदि हां, तो देश में उपभोक्ता आन्दोलन को और बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) क्या बिचौलियों समेत कई थोक और खुदरा व्यापारियों के संगठन देश में उपभोक्ता आन्दोलन को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इनके प्रयासों को विफल बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कारवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव): (क) जी हां। केन्द्र/राज्य सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों, उपभोक्ता संगठनों, संचार माध्यमों तथा अन्यों द्वारा उपभोक्ताओं में जागरूकता पैदा करने के लिए किए गए सतत् प्रयासों के कारण देश में उपभोक्ता आंदोलन को पर्याप्त गति मिली है।

(ख) श्रव्य, दृश्य और प्रिंट मीडिया प्रचार कार्यक्रम आयोजित करने और सभी संबंधितों को शामिल करके 24 दिसम्बर को ''राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस'' तथा 15 मार्च को ''विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस'' मनाने के अलावा उपभोक्ता आंदोलन को और अधिक मजबूत करने के लिए उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में दिसम्बर, 2002 में संशोधन किया गया। अन्य बातों के अलावा, जिला स्तर पर जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना करने के लिए किए गए उपबंध से निचले स्तर पर उपभोक्ता आन्दोलन के मजबूत होने की उम्मीद है।

2. उपभोक्ताओं के कल्याण को संवर्धन और संरक्षण प्रदान करने के लिए तथा देश में उपभोक्ता आंदोलन को मजबूत करने के लिए उपभोक्ता कल्याण कोष के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कोष के तहत प्रत्येक जिले में चरणबद्ध तरीके से एक केंद्र खोलने के लिए जिला उपभोक्ता सूचना केंद्र नामक एक स्कीम शुरू की गई है। गरीबी रेखा से नीचे के लोगों में उपभोक्ता जागरूकता का प्रसार करने के लिए जागृति शिविर योजना नामक एक अन्य स्कीम भी शुरू की गई है।

(ग) और (घ) सरकार के ध्यान में कोई विशिष्ट उदाहरण नहीं आया है। व्यापार और उद्योग तथा उपभोक्ताओं को शासित करने वाले कानून एक ओर व्यापार और उद्योग की वृद्धि के लिए तथा दूसरी ओर उपभोक्ताओं के लिए उचित और प्रतिस्पर्धात्मक बाजार मुहैया कराने के लिए संतुलन का कार्य करते हैं।

48-50

परिधान परिसर

*595. **श्री कैलाश मेघवाल:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वस्त्र निर्यात के लिए परिधान परिसर (अपैरल पार्क्स) के संबंध में केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह योजना रोजगार सृजित करने एवं निर्यात लक्ष्य प्राप्त करने में किस हद तक सहायक है;

(ग) क्या सरकार ने वर्ष 2002-2003 के दौरान 15 बिलियन डॉलर का निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया था;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान उपरोक्त लक्ष्य कहां तक प्राप्त किया गया है;

(ङ) इस अवधि के दौरान उक्त निर्यात में राजस्थान का हिस्सा कितना है; और

(च) सरकार द्वारा राजस्थान में वस्त्र उद्योग के विकास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) और (ख) सरकार ने निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित 'निर्यात के लिए अपैरल पार्क योजना' नामक एक योजना शुरू की है:

(1) अंतर्राष्ट्रीय मानकों के ऐसे आधुनिक अपैरल विनिर्माण एककों की स्थापना करने के लिए संकेन्द्रित थ्रस्ट देना, जो प्रतिष्ठित क्रेताओं को एक ही स्थल पर खरीदारी (वन-स्टाप-शाप) की सुविधा उपलब्ध करायेंगे।

(2) आयात की प्रतिस्पर्द्धा का सामना करने के लिए घरेलू उत्पादन में तेजी लाना और इस क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देना।

इस योजना के विस्तृत दिशानिर्देश वस्त्र मंत्रालय की बेवसाईट http:www.texmin.nic.in पर उपलब्ध हैं। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा अपैरल पार्कों की इनफ्रॉस्ट्रक्चर सुविधाओं पर किए गए पूंजीगत व्यय के 75 प्रतिशत तक की केन्द्रीय सहायता दी जाती है जो कि अधिकतम 10 करोड़ रु. तक होती है। इसके अतिरिक्त, इस पार्क में एक बहिस्राव शोधन संयंत्र, शिशु-गृह/गृहों, विपणन/प्रदर्शन की स्थापना हेतु किसी प्रकार के बहुउद्देशीय केंद्र/भवन आदि

के लिए केन्द्रीय सहायता, अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक होगी तथा पार्क में किसी प्रकार की प्रशिक्षण सुविधा सृजित करने के लिए भी लागत के 50 प्रतिशत तक की सहायता दी जाएगी, जो अधिकतम 2 करोड़ रुपए होगी।

(3) योजना के अंतर्गत स्थापित अपैरल पार्कों के अतिरिक्त रोजगार और निर्यात सृजित होने की संभावना है।

(ग) और (घ) वर्ष 2002 के लिए वस्त्र उत्पादों के लिए 15005 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य का निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया गया है। डीजीसीआईएंडएस के पास उपलब्ध निर्यात आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-दिसम्बर, 2002 की अवधि के दौरान, 8849.4 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के वस्त्रों के निर्यात हुए जिसका अभिप्राय यह है कि पहले नौ महीनों के दौरान ही 59 प्रतिशत वार्षिक निर्यात लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है।

(ङ) राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(च) सरकार, राजस्थान, सहित देश में वस्त्र उद्योग के विकास के लिए अनेक उपाय कर रही है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं:

(1) सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र से सिलेसिलाये परिधानों के बुनाई क्षेत्र को अनारक्षित कर दिया है। साथ ही उसने निटिंग क्षेत्र के लिए लघु उद्योग क्षेत्र के निवेश की सीमा को भी बढ़ा कर 5 करोड़ रु. कर दिया है।

(2) इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन को सुगम बनाने के लिए दिनांक 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) प्रचालित की गयी है।

(3) टीयूएफएस के अंतर्गत शामिल बुनाई, प्रसंस्करण और परिधान मशीनों को 50 प्रतिशत की दर पर बढ़े हुए मूल्यह्रास की सुविधा प्रदान की गयी है। राजकोषीय नीतिपरक उपायों से मशानों की लागत को भी कम कर दिया गया है। इससे आधुनिकीकरण को और प्रोत्साहन मिलता है।

(4) पिछड़े समूहों के एकीकरण की दृष्टि से शटल रहित करघों तथा अन्य महत्वपूर्ण वस्त्र मशीनरी मदों पर सीमा शुल्क को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

(5) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट), इसकी 6 शाखाएं और अपैरल प्रशिक्षण व डिजाइन केन्द्र (एटीडीसी), विशेषकर अपैरल के डिजाइन के क्षेत्र में, व्यापारीकरण व विपणन के क्षेत्र में वस्त्र उद्योग की कुशल मानव शक्ति संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम/कार्यक्रम चला रहे हैं।

(6) आयातक देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप वस्त्र उत्पादों का पूर्व परीक्षण करवाने के लिए पारि-अनुकूल प्रयोगशालाओं की सुविधाएं उपलब्ध कराई गयी हैं।

(7) सरकार ने संभावित विकास केन्द्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपैरल विनिर्माण एककों की स्थापना करने पर संकेन्द्रित बल देने और निर्यात को गति देने के लिए निर्यात के लिए अपैरल पार्क योजना नामक केन्द्रीय रूप से प्रायोजित एक योजना शुरू की है।

(8) प्रमुख वस्त्र केन्दों में इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं को उन्नत बनाने के लिए वस्त्र इन्फ्रास्ट्रक्चर विकार केन्द्र योजना (टीसीआईडीएस) नामक एक योजना शुरू की गई है।

भारतीय व्यापार पर खाड़ी युद्ध का प्रभाव

*596. **श्री अजय चक्रवर्ती:**
श्री कमलनाथ:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका-इराक युद्ध के कारण भारतीय निर्यात-आयात बाजार को भारी क्षति पहुंची है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने मौजूदा स्थिति के मद्देनजर निर्यातकों-आयाकों को मदद देने हेतु कोई नई रणनीति बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्तमान युद्ध से विदेशी मुद्रा अर्जन पर क्या प्रभाव पड़ा है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) चूंकि अमरीका-इराक युद्ध मार्च, 2003 के अंत में शुरू हुआ था इसलिए वित्त वर्ष 2002-2003 के लिए भारत के निर्यातों-आयातों पर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। अनंतिम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2002-2003 में निर्यातों की 19.67 प्रतिशत वृद्धि दर रही और यह 250130.02 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इस अवधि के दौरान आयातों में भी 18.76 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(ख) और (ग) सरकार स्थिति पर कड़ी निगरानी रखे हुए है और व्यवसायिक समुदाय के समक्ष आ रही समस्याओं का समाधान करने के लिए शीर्षस्थ व्यापार और उद्योग संगठनों सहित संबंधित एजेंसियों के संपर्क में है। न्यूयार्क स्थित भारतीय स्थाई

मिशन संयुक्त राष्ट्र के ईराक कार्यक्रम के कार्यालय के साथ खाद्य पदार्थों के लिए तेल कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय निर्यातकों की समस्याओं को उठा रहा है।

(घ) इस समय, युद्ध के कारण देश की विदेशी मुद्रा आय पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है। 51-

माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन

*597. **श्री सुबोध मोहिते:** क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विधि आयोग द्वारा मध्यस्थता और समझौते के संबंध में की गई सिफारिशों की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 को और प्रभावी बनाने के लिए उसमें संशोधन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (घ) जी हां। माध्यस्थम, और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधनों के विषय पर भारतीय विधि आयोग की 176वीं रिपोर्ट में अंतर्विष्ट उसकी सिफारिशों की सरकार समीक्षा कर रही है। इस संबंध में, राज्य सरकारों और देश के वाणिज्य उद्योग मंडलों के कुछ प्रमुख सदस्यों से भी विचार मांगे गए हैं, यद्यपि, किसी भी वाणिज्य और उद्योग मंडल ने अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया है। सरकार इस विषय में अंतिम मत बनाने से पूर्व सभी संबद्ध क्षेत्रों से आवश्यक जानकारी के लिए प्रतीक्षारत है। अत:, इस प्रक्रम पर इस विषय में निर्णय लिए जाने के लिए कोई समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

बैंकों का ऋण-जमा अनुपात

*598. **श्री खगेन दास:**
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों का राज्य-वार ऋण-जमा अनुपात क्या था;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ राज्य अन्य राज्यों की तुलना में बैंक-ऋणों से वंचित रहते हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस भेदभाव को रोकने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों का पिछले तीन वर्षों का राज्यवार ऋण-जमा अनुपात संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) कतिपय राज्यों में कम ऋण-जमा अनुपात के मुख्य कारण राज्य की औद्योगिक अर्थव्यवस्था की ऋण खपाने की कम क्षमता, खराब औद्योगिक आधारभूत सुविधा, अपर्याप्त बिजली, श्रमिक अशांति बड़े मझौले उद्योगों के लिए उद्यमी पहल का अभाव आदि रहे हैं। आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य एवं बैंक योग्य योजनाओं को पर्याप्त ऋण का प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति नियमित रूप से बैठक करती है और निधियों की पर्याप्तता सुनिश्चित करती है। राज्य सरकारों से भी आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य ऐसे विशिष्ट उदाहरण राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के ध्यान में लाने का अनुरोध किया गया है, जिन्हें बैंकों द्वारा ऋण देने से मना किया गया है।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों का ऋण-जमा अनुपात

मार्च-2000, 2001 और 2002

क्रम सं.	क्षेत्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ऋण-जमा अनुपात-2000	ऋण-जमा अनुपात-2001	ऋण-जमा अनुपात-2002
1	2	3	4	5
I.	**उत्तर क्षेत्र**	58.06	63.49	69.22
1.	हरियाणा	42.45	43.37	45.89

1	2	3	4	5
2.	हिमाचल प्रदेश	23.05	22.68	23.00
3.	जम्मू व कश्मीर	20.75	21.39	20.88
4.	पंजाब	39.31	42.10	43.31
5.	राजस्थान	47.39	49.81	51.20
6.	चण्डीगढ़	57.34	110.44	135.74
7.	दिल्ली	79.12	83.94	94.08
II.	**पूर्वोत्तर क्षेत्र**	27.83	28.19	26.81
1.	अरुणाचल प्रदेश	12.27	12.71	11.74
2.	असम	32.43	33.39	32.07
3.	मणिपुर	36.50	38.85	24.47
4.	मेघालय	15.10	16.23	17.82
5.	मिजोरम	22.67	23.50	24.36
6.	नागालैण्ड	16.07	14.51	12.90
7.	त्रिपुरा	23.64	19.97	19.58
III.	**पूर्वी क्षेत्र**	35.80	36.22	37.26
1.	बिहार	22.53	21.29	21.38
2.	झारखण्ड	—	28.93	24.16
3.	उड़ीसा	38.65	40.87	41.73
4.	सिक्किम	13.80	15.59	16.01
5.	पश्चिम बंगाल	44.40	43.54	46.83
6.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	16.76	18.63	18.61
IV.	**मध्य क्षेत्र**	33.76	33.94	34.38
1.	छत्तीसगढ़	—	41.77	49.07
2.	मध्य प्रदेश	49.78	49.18	47.70
3.	उत्तर प्रदेश	27.63	29.23	29.90
4.	उत्तरांचल	—	22.38	22.86

1	2	3	4	5
V.	**पश्चिमी क्षेत्र**	72.90	72.75	75.19
1.	गोवा	23.96	23.59	24.85
2.	गुजरात	46.48	46.51	43.19
3.	महाराष्ट्र	87.21	86.66	92.68
4.	दादरा और नागर हवेली	22.56	17.12	17.25
5.	दमन और दीव	14.70	13.11	9.81
VI.	**दक्षिणी क्षेत्र**	65.20	64.87	63.52
1.	आन्ध्र प्रदेश	66.19	65.41	64.14
2.	कर्नाटक	63.82	60.55	63.74
3.	केरल	40.13	41.73	59.60
4.	तमिलनाडु	82.98	84.50	77.72
5.	लक्षद्वीप	7.72	0.61	8.36
6.	पाण्डिचेरी	32.62	32.85	30.11
	अखिल भारत	55.65	56.96	44.69

गरीबी उन्मूलन के लिये अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व-बैंक से ऋण

*599. **श्री रतन लाल कटारिया:** क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक ने हाल में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की सहायता के लिये भारत को ऋण मंजूर किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह धनराशि किन राज्यों को दिये जाने की संभावना है; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान राज्यवार वास्तव में कितनी धनराशि जारी किये जाने की संभावना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों की सहायता करने हेतु भारत को परियोजना-सहबद्ध सहायता मुहैया नहीं कराता। तथापि, निर्धनता-उन्मूलन भारत को दी जाने वाली विश्व बैंक की समस्त सहायता के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। गत एक वर्ष में, निर्धनता पर सीधे प्रहार करने वाली कुछ परियोजनाएं शुरू की गई हैं। ये परियोजनाएं हैं—आंध्र प्रदेश ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन परियोजना (एपी-आरपीआरपी) और छत्तीसगढ़ जिला ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन परियोजना (सी-डीआरपीपी)।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए) से प्राप्त होने वाली 150 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता वाली एपी-आरपीआरपी परियोजना के संबंध में विश्व बैंक के साथ 3 अप्रैल, 2003 को हस्ताक्षर किए गए हैं। इसे अभी प्रभावी घोषित किया जाना है। विश्व बैंक ने 24 अप्रैल, 2003 को सी-डीआरपीपी परियोजना को भी मंजूरी दे दी है जिसमें 112.5 मिलियन डालर की आईडीए सहायता शामिल है। संबंधित पक्षकारों द्वारा परियोजना करारों पर अभी हस्ताक्षर किए जाने हैं। इन परियोजनाओं के द्वारा समुदाय-प्रेरित सहभागिता विधियों और मांग आधारित निवेश निर्णयों के जरिए प्राथमिकता प्राप्त सामाजिक और आर्थिक जरूरतों को पूरा करने हेतु ग्रामीण निर्धनों के लिए उपलब्ध अवसरों को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

(ग) आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ लाभानुभोगी/परियोजना संबंधी राज्य हैं।

(घ) वर्ष 2003-04 के दौरान विश्व बैंक द्वारा आंध्र प्रदेश ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन परियोजना के लिए 5 मिलियन अमरीकी डालर और छत्तीसगढ़ जिला ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन परियोजना के लिए 5 मिलियन अमरीकी डालर की राशि जारी किए जाने की संभावना है।

बैंक कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

*600. **श्री राधा मोहन सिंह:**
श्री दिनेश चन्द्र यादव:

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार शीघ्र ही सरकारी क्षेत्र के बैंकों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी आर एस) का एक और दौर शुरू करने जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य विशेषतायें क्या हैं और इसे कब शुरू किये जाने की संभावना है;

(ग) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के प्रथम दौर में सेवानिवृत्ति लेने वाले लोगों की कुल संख्या कितनी थी;

(घ) दूसरे दौर में लगभग कितने लोगों द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का लाभ लेने की संभावना है; और

(ङ) इस संबंध में अन्य ब्यौरे क्या हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) बैंक आफ इंडिया ने अप्रैल 2002 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी आर एस) के दूसरे दौर का प्रस्ताव पेश किया था। तथापि, उन्हें इस प्रस्ताव को पुन: जांचने की सलाह दी गई थी। सरकारी क्षेत्र के बैंकों में वी आर एस के दूसरे दौर को लागू करने संबंधी कोई अन्य प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों को उनके द्वारा वर्ष 2000 में लागू की गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत 1.27 लाख आवेदन-पत्र प्राप्त हुए।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

वित्तीय संस्थाओं का विलय

*601. **श्री एन. जनार्दन रेड्डी:**
श्री बसुदेव आचार्य:

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का तीन बड़ी वित्तीय संस्थाओं अर्थात आई डी बी आई, आई एफ सी आई और आई आई बी आई के विलय का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है और यह विलय कब तक किये जाने की संभावना है;

(ग) क्या विलय के प्रस्ताव को लागू किये जाने से पहले इन बड़ी वित्तीय संस्थाओं के कर्मचारियों को भी विश्वास में लिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) विलय के पश्चात् इन संस्थाओं के जमाकर्ताओं, शेयरधारकों और कर्मचारियों का भविष्य क्या होगा?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) जी नहीं, फिलहाल नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

यूटीआई योजना का पुनर्गठन

*602. **श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट का विचार अपनी कुछ योजनाओं के विलय के माध्यम से ट्रस्ट की कुछ योजनाओं को पुनर्गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा यूटीआई योजना के आक्रामक विपणन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ताकि ट्रस्ट पर भुगतान संबंधी दबाव को कम किया जा सके?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) इस समय यूएस-64, आश्वासित प्रतिफल योजनाओं और एसयूएस-99 का प्रबंधन करने वाले यूटीआई-1 की योजनाओं के संबंध में अंत: योजना विलय का कोई प्रस्ताव नहीं है।

हालांकि, यूटीआई-2 ने मार्च, 2003 में पांच वर्तमान मास्टर इक्विटी योजनाओं, अर्थात् एमईपी 93, एमआईपी 94, एमईपी 95, एमईपी 96 और एमईपी 97 का एक सकल योजना नामत: यूटीआई-मास्टर इक्विटी प्लान यूनिट योजना (यूटीआई-एमईपी यूएस) में विलय का निर्णय किया गया है।

(ग) एएमएफआई द्वारा दी गई सूचना के अनुसार यूटीआई-2 प्रबंधन के अन्तर्गत परिसंपत्तियां 14,476 करोड़ रुपए (28 फरवरी, 2003 की स्थिति के अनुसार) से घटकर 13,516 करोड़ रुपए (31 मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार) रह गई हैं। यूटीआई म्यूचुअल फंड इन योजनाओं के विपणन के लिए सभी संभव उपाय कर रहा है।

यूटीआई-1 में, यूएस-64 धारकों को उनके यूएस-64 प्रमाणपत्रों को यूटीआई-1 द्वारा जारी और सरकार द्वारा गारंटीशुदा एक बांड में बदलने का विकल्प दिया गया है। ये बांड प्रतिवर्ष 6.75 प्रतिशत कर मुक्त ब्याज देंगे, मुक्त रूप से व्यापार योग्य होंगे और पांच वर्ष बाद मोचनीय होंगे। निवेशक जनता ने अत्यंत बहुमत से इन बांडों को स्वीकार कर लिया है।

प्रमाणपत्र धारकों के लिए योजना द्वारा अर्जित लाभांश कर मुक्त होंगे तथा यूएस-64 के लेनदेन पूंजी लाभ कर से मुक्त होंगे।

[हिन्दी]

नमक विनिर्माता संघ की मांग

5735. श्री चन्द्रेश पटेल: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को 'धरंगधरा कुदा साल्ट साइडिंग का एम जी से बी जी में परिवर्तन' के बारे में गुजरात इनलैंड नमक विनिर्माता संघ-धरंगधरा (सौराष्ट्र-गुजरात) की ओर से कोई पत्र प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है और उसका क्या परिणाम निकला; और

(घ) उनकी मांगों के कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी, हां। गुजरात इनलैंड नमक विनिर्माता संघ (जीआईएसएमए) ने धरगंधा-कुदा लाइन पर नमक को लाने-ले जाने पर 20 रुपये टन की विशेष लेवी की छूट देने का अनुरोध किया है। जी आई एस एम ए ने 1.13 करोड़ रुपये की राशि के अपने 1/3 हिस्से के लिए लेवी का भुगतान करने की सहमति जताई थी जिसका भुगतान औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के एक संबद्ध कार्यालय, नमक आयुक्त का कार्यालय द्वारा किया गया है।

(ग) और (घ) चूंकि 1.13 करोड़ रुपये के भाग की वसूली उन वास्तविक प्रयोगकर्ताओं से करनी पड़ेगी जिनको उनकी पूर्व सहमति से धरगंधा-कुदा लाइन को मीटर गेज में परिवर्तन करने से लाभ हो रहा है इसलिए लेवी से छूट देने का अनुरोध तर्कसंगत नहीं है।

[अनुवाद]

मशरूम का निर्यात-आयात

5736. श्री त्रिलोचन कानूनगो: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूखे और डिब्बाबंद मशरूम का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितना निर्यात किया गया और कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ग) उक्तावधि के दौरान देश में कितनी मात्रा और मूल्य के मशरूम का आयात किया गया और मूल्य की कितनी वृद्धि हुई?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत से निर्यात किए गए सूखे एवं डिब्बाबंद मशरूम की मात्रा एवं मूल्य निम्नानुसार हैं:

मात्रा: मी.टन, मूल्य: लाख रुपए

वर्ष	सूखा हुआ मशरूम (मोरेल)		डिब्बाबंद (बटन) मशरूम	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1999-2000	251.00	3475.00	3660.58	1742.96
2000-2001	397.77	6790.40	6807.28	2532.61
2001-2002	241.77	2731.25	4099.25	2142.24

(स्रोत: डीजीसीआई एण्ड एस)

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात किए गए (सभी प्रकार के) मशरूम की मात्रा एवं मूल्य निम्नानुसार हैं:

मात्रा: मी.टन, मूल्य: लाख रुपए

वर्ष	सूखा हुआ मशरूम (मोरेल)		डिब्बाबंद (बटन) मशरूम		ताजा मशरूम	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1999-2000	9.30	6.09	—	—	2.22	5.46
2000-2001	5.37	26.09	1.18	6.24	0.21	4.08
2001-2002	12.23	30.52	1.84	6.84	0.29	1.17

(स्रोत: डीजीसीआई एण्ड एस)

चीनी परिवहन हेतु राजसहायता

5737. श्री प्रकाश वी. पाटील: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या महाराष्ट्र में चीनी फैक्टिरियों में फैक्टरी से पत्तन तक चीनी के परिवहन हेतु परिवहन संबंधी राजसहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ग) क्या केन्द्र सरकार इस प्रस्ताव पर सहमत हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो महाराष्ट्र में अब तक चीनी फैक्टिरियों को कितनी राजसहायता प्रदान की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार 21 जून, 2002 से चीन फैक्ट्रियों द्वारा चीनी के निर्यात पोतभारों पर फैक्ट्री से बन्दरगाह तक आंतरिक परिवहन के लिए किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति कर रही है।

(घ) महाराष्ट्र में चीनी फैक्ट्रियों को उनके दावों में त्रुटि होने के कारण कोई भी प्रतिपूर्ति नहीं की जा सकी है जिसकी सूचना उन्हें पहले ही दे दी गई है।

सेबी द्वारा नए दिशानिर्देश जारी करना

5738. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेबी का प्रस्ताव तथाकथित इनसाइडर ट्रेडिंग एंड मार्केट मिसकंडक्ट हेतु कंपनियों की तलाशी और जांच करते समय तलाशी और अधिग्रहण संबंधी शक्तियों हेतु नए दिशानिर्देश जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन दिशानिर्देशों के कब तक जारी किए जाने की संभावना है; और

(ग) नए दिशानिर्देशों से इनसाइडर ट्रेडिंग के कहां तक बंद होने की संभावना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

निजी बीमा कंपनियां

5739. श्री किरीट सोमैया: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आईआरडीए ने उन निजी बीमा कंपनियों पर ध्यान दिया है जिन्होंने पालिसी धारकों को बोनस देने की घोषणा करने की शुरूआत की है;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन सी कंपनियों ने हाल ही में बोनस की घोषणा की है;

(ग) क्या इसकी घोषणा दिशानिर्देशों के अनुसार की गई है;

(घ) यदि नहीं, तो घाटा होने के बावजूद बोनस की घोषणा करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार और आईआरडीए ने इस संबंध में क्या उपाय किए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) ने सूचित किया है कि निम्नलिखित निजी जीवन बीमा कंपनियों ने 31 मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए हाल ही में बोनस की घोषणा की है:

(1) एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड;

(2) आईएनजी वैश्य लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड;

(3) एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड;

(4) टाटा-एआईजी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड।

(ग) से (ङ) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 49, मूल्यांकन की तारीख को जीवन बीमा कारोबार के मूल्यांकन के अनुसार बोनस की घोषणा करने से संबंधित है। आईआरडीए ने सूचित

किया है कि जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा पालिसीधारकों के लिए बोनस की घोषणा सामान्यत: अधिशेष के बीमांकन मूल्यांकन से की जाती है। एक नई बीमा कंपनी के लिए लाभ कमाने में सात से आठ वर्ष तक का समय लग सकता है। लेकिन पालिसीधारकों तथा बाजार के प्रति अपनी वनचबद्धता दर्शाने के लिए, नई बीमा कंपनियां शेयरधारकों की निधियों (यथा शेयर पूंजी) में से पालिसीधारकों के लिए एक छोटे से बोनस की घोषणा कर देती हैं। आईआरडीए (बीमांकन रिपोर्ट तथा सारांश) विनियमावली, 2000 के अंतर्गत ऐसे अंतरण का प्रावधान है। आईआरडीए ने सूचित किया है कि ऐसे अंतरण को खातों में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए तथा यह भी कि ऐसी घोषित की गई राशि को भविष्य में जब लाभ अर्जित किए जाते हैं तो उसे शेयरधारकों को वापिस नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में, पालिसीधारकों को किये गए एकपक्षीय अंतरण की वसूली नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त, बीमाकर्ताओं को आईआरडीए (बीमाकर्ताओं की परिसम्पत्तियां, देयताएं तथा शोधन क्षमता मार्जिन) विनियमावली, 2000 का अनुपालन भी करना होता है।

[हिन्दी]

विदेशों में प्रदर्शनियों का आयोजन

5740. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार विदेशों में प्रदर्शनियां आयोजित करती है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान किन-किन देशों में प्रदर्शनियां आयोजित की गईं;

(ग) इन प्रदर्शनियों पर कितनी धनराशि खर्च हुई; और

(घ) इन प्रदर्शनियों का क्या परिणाम निकला?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) वाणिज्य विभाग के अधीन इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (आईटीपीओ) विदेशों में प्रदर्शनियों का आयोजन करता है।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान आईटीपीओ द्वारा आयोजित की गई प्रदर्शनियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(लाख रुपए में)

वर्ष	देशों की संख्या	व्यय
2000-2001	30	3314.55
2001-2002	20	1494.56
2002-2003	28	2123.27*

(*अनंतिम आंकड़े)

(घ) इन प्रदर्शनियों में भारत की उत्पाद क्षमता को प्रदर्शित एवं प्रक्षेपित किया गया था। विदेशों में ऐसी प्रदर्शनियों के आयोजन से भारत के निर्यातों के विकास पर प्रेरणात्मक प्रभाव पड़ता है क्योंकि ऐसी प्रदर्शनियां विभिन्न उत्पादों में भारत की क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक उपयुक्त मंच प्रदान करती हैं।

[अनुवाद]

भारतीय कंपनियों में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का निवेश

5741. **श्री विलास मुत्तेमवार: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का विचार विनिर्माण, अवसंरचना और वित्तीय क्षेत्रों में लगी भारतीय कंपनियों में अपने निवेश में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा कितनी परिवर्धित वित्तीय सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) कौन-कौन सी कंपनियों में वित्तीय सहायता का उपयोग किए जाने की संभावना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) से प्राप्त सूचना के अनुसार, भारत में इसके द्वारा अनुमोदन-आधार पर किए गए निवेशों के 30 जून, 2002 को समाप्त वर्ष के 210.21 मिलियन अमरीकी डालर के स्तर से बढ़कर 30 जून, 2003 को समाप्त वर्ष में 300 मिलियन अमरीकी डालर हो जाने का अनुमान है।

(ग) निवेशों की यह अनुमानित वर्धित मात्रा अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से प्रतिस्पर्धी उद्योगों, सेवाओं, वित्तीय बाजार के घटनाक्रम और निजी आधारभूत ढांचे की सहायता करने हेतु निवेश के उपयुक्त अवसरों पर निर्भर करती है।

मूल्य स्थिरता

5742. **श्री ए. नरेन्द्र:** क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में वांछित मूल्य स्थिरता प्राप्त कर ली है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना हेतु इस संबंध में क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) जी हां। सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि (1997-2002) के दौरान उचित मूल्य स्थिरता प्राप्त की। योजनावधि के दौरान थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित वार्षिक बिन्दु-दर-बिन्दु मुद्रास्फीति दर और औसत मुद्रास्फीति दर नीचे दशाई गई है:

	वार्षिक मुद्रास्फीति दर%	
	बिन्दु-दर-बिन्दु मुद्रास्फीति दर% (वर्षांत)	औसत मुद्रास्फीति दर (%)
1997-98	4.5	4.4
1998-99	5.3	5.9
1999-00	6.5	3.3
2000-01	5.5	7.2
2001-02	1.6	3.6
औसत (1997-2000)	4.7	4.9

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) प्रभावी राजकोषीय प्रबंध और व्यय नियंत्रण के माध्यम से मूल्य स्थिरता की संकल्पना करती है। सरकार की मुद्रास्फीति-रोधी नीति में मौद्रिक और राजकोषीय अनुशासन बनाए रखना; आवश्यक वस्तुओं और कच्ची सामग्रियों की उदार आयातों के माध्यम से आपूर्ति और मांग का प्रभावी प्रबंधन तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और सुदृढ़ करना शामिल हैं।

रुग्ण/बंद उद्योग

5743. **श्री बीर सिंह महतो:**
श्री शिवाजी माने:
श्री रामसिंह राठवा:
श्री परसुराम माझी:
श्री अब्दुल रशीद शाहीन:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों में रुग्ण और बंद औद्योगिक इकाईयों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ख) ये इकाईयां कब से बंद पड़ी हैं अथवा रुग्ण हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन इकाईयों के बंद होने से कितने कर्मचारी और कामगार बेरोजगार हो गए हैं;

(घ) राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा इन इकाईयों में काम करने वाले कामगारों को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन औद्योगिक इकाईयों को पुन: चलाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) देश में, बैंकों से सहायता प्राप्त, रुग्ण औद्योगिक एककों से संबंधित आकंड़ों का संकलन करता है। नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार, मार्च, 2002 की समाप्ति पर बन्द हुए गैर-लघु उद्योग एकक (रुग्ण एवं कमजोर) की राज्य-वार संख्या विवरण-I में दी गई है।

श्रम मंत्रालय के अंतर्गत, श्रम ब्यूरो, शिमला औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत रखे गये औद्योगिक एककों के बन्द होने और एककों के बन्द होने से प्रभावित श्रमिकों से संबंधित सूचना एकत्रित करता है। श्रम ब्यूरो में उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1998-2002 के दौरान बन्द हुए औद्योगिक एककों और उनसे प्रभावित श्रमिकों की राज्य-वार संख्या का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) सरकार एक नीतिगत तंत्र की व्यवस्था करती है जिससे उद्योग के संवर्धन और विकास में सहायता और प्रोत्साहन

मिलता है। सरकार ने रुग्ण औद्योगिक एककों के पुनरुज्जीवन के लिए अनेक कदम भी उठाये हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देश, रुग्ण एककों को स्वस्थ एककों के साथ मिलाना, रुग्ण औद्योगिक कंपनीज (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के अंतर्गत औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) की स्थापना करना, इत्यादि शामिल हैं। औद्योगिक एककों के बंद होने से प्रभावित श्रमिकों को विभिन्न सरकारों द्वारा दी गई वित्तीय सहायता, यदि कोई हो, से संबंधित आंकड़े केन्द्रीय रूप से रखे नहीं जाते हैं।

विवरण I

मार्च, 2002 की समाप्ति पर बन्द हुए गैर-लघु (रुग्ण और कमजोर) औद्योगिक एककों की संख्या

राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	बन्द हुए गैर-लघु (रुग्ण और कमजोर) औद्योगिक एककों की संख्या
1	2
पूर्वोत्तर क्षेत्र	
असम	17
मिजोरम	3
बिहार	26
झारखंड	13
पश्चिम बंगाल	120
नागालैण्ड	7
मणिपुर	2
उड़ीसा	28
सिक्किम	1
त्रिपुरा	1
उत्तरी क्षेत्र	
उत्तर प्रदेश	113
उत्तरांचल	13
दिल्ली	60
पंजाब	50
हरियाणा	63
चण्डीगढ़	15
जम्मू और कश्मीर	2
हिमाचल प्रदेश	18
राजस्थान	41
पश्चिमी क्षेत्र	
गुजरात	199
महाराष्ट्र	294
दमन और दीव	5
गोवा	4
दादरा और नगर हवेली	5
मध्य प्रदेश	56
छत्तीसगढ़	12
दक्षिणी क्षेत्र	
आन्ध्र प्रदेश	179
कर्नाटक	111
तमिलनाडु	143
केरल	17
पांडिचेरी	5
योग	1623

विवरण II

वर्ष 1998-20002 के दौरान बंद हुए एककों और उनके बंद होने से प्रभावित श्रमिकों की राज्य-वार संख्या

राज्य/संघ शासित प्रदेश	1998		1999(अ)		2000(अ)		2001(अ)		2002(अ)	
	क	ख	क	ख	क	ख	क	ख	क	ख
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आन्ध्र प्रदेश	—	—	2	114	3	393	—	—	3	344
अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
असम	—	—	1	21	—	—	1	39	—	—
बिहार	4	219	3	90	—	—	—	—	1	3000
छत्तीसगढ़	—	—	—	—	—	—	—			
गोवा	2	36	4	163	6	326	7	403	1	48
गुजरात	34	1067	14	272	25	999	43	1353	31	1492
हरियाणा	2	83	2	187	4	262	1	20	1	62
हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	6	186	5	255	4	118
जम्मू और कश्मीर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
झारखंड	—	—	—	—	—	—			—	—
कर्नाटक	3	182	3	2237	9	624	7	220	9	454
केरल	—	—	9	293	9	367	9	695	7	205
मध्य प्रदेश	4	274	9	1552	—	—	—	—	1	29
महाराष्ट्र	1	70	—	—	—	—	—	—	2	85
मणिपुर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
मेघालय	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
मिजोरम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
नागालैण्ड	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
उड़ीसा	13	2537	5	350	8	498	2	130	1	14
पंजाब	1	1425	51	8202	1	22	1	91	—	—
राजस्थान	1	350	5	269	4	348	1	49	3	311
सिक्किम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
तमिलनाडु	7	94	2	630	3	737	7	417	—	—
त्रिपुरा	42	742	18	139	7	104	7	199	23	242
उत्तर प्रदेश	38	5190	13	559	31	6356	39	7127		
उत्तरांचल	—	—	—	—	—	—	5	437	—	—
पश्चिम बंगाल	—	—	10	463	5	426	—	—		
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
चण्डीगढ़	—	—	3	75	—	—	10	150	1	12
दादरा और नगर हवेली	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
दिल्ली	2	607	—	—	—	—	—	—	1	17
दमन और दीव	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
पांडिचेरी	21	510	5	91	17	256	6	14	4	75
योग	175	13,386	159	15,707	138	11,904	151	11,599	93	6,508

क = बंद एककों की संख्या ख = प्रभावित श्रमिकों की संख्या

- = शून्य (अ) = अनंतिम; ... उपलब्ध नहीं

स्रोत: श्रमिक ब्यूरो, शिमला।

अंतरराष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट

5744. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 26 फरवरी, 2003 को जारी अंतर्राष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट विशेषकर अवैध औषध व्यापार के प्रभाव के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस रिपोर्ट के उपर्युक्त निष्कर्षों के बारे में कौन से कदम उठाए जाने का प्रस्ताव किया जा रहा है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्नी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय स्वापक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की वर्ष 2002 की वार्षिक रिपोर्ट (26 फरवरी, 2003 को जारी) का केन्द्र बिन्दु दीर्घावधि के आर्थिक विकास पर अवैध (औषधि) फसल की खेती करने और अवैध औषधि के व्यापार के कारण पड़ने वाले विपरीत सामाजिक-आर्थिक प्रभाव की समीक्षा है। इस समीक्षा से पता चलता है कि अवैध औषध के उत्पादन और संबद्ध आर्थिक गतिविधियों से राज्य, अर्थव्यवस्था और सिविल समाज पर अस्थिरता पैदा करने वाले अपने प्रभावों के कारण दीर्घावधि आर्थिक विकास संकट में पड़ जाता है।

(ग) स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के प्रावधानों और अवैध औषध के उत्पादन, दुरुपयोग और अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थों पर हुए अंतरराष्ट्रीय अभिसमयों के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के निरंतर प्रयास किए जाते हैं।

[हिन्दी]

रबर उद्योग का विकास

5745. **श्री वाई.जी. महाजन:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार रबर उद्योग के विकास हेतु कोई योजना तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) भारत सरकार रबड़ बोर्ड के जरिए अनेक योजना, स्कीमों और विकास कार्यकलापों का कार्यान्वयन करने के अलावा, रबड़ उद्योग के विकास के लिए रबड़ उपजकर्त्ताओं को तकनीकी और वित्तीय सहायता तथा अनुसंधान, विस्तार और रोपण सामग्री की आपूर्ति इत्यादि के रूप में अन्य आवश्यक सहायता भी प्रदान करती आ रही है। विभिन्न विकास कार्यकलाप करने के लिए 9वीं योजना अवधि के दौरान बोर्ड द्वारा खर्च की गई 348.20 करोड़ रुपए की राशि की तुलना में 10वीं योजना अवधि के लिए 415 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है।

[अनुवाद]

तम्बाकू की खपत

5746. **श्री जी. गंगा रेड्डी:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के बाद देश में तम्बाकू की खपत में कमी आ गई है;

(ख) यदि हां, तो तम्बाकू की खपत में कितने प्रतिशत कमी आई है; और

(ग) ऐसे प्रतिबंध लगाने के कारण तम्बाकू उद्योग को घाटे का मुआवजा देने के लिए क्या कार्यनीतियां अपनाई गई हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद तम्बाकू की खपत में कोई गिरावट प्रदर्शित नहीं होती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रबड़ बोर्ड द्वारा तकनीकी सहायता

5747. **श्री सुरेश रामराव जाधव:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रबड़ बोर्ड का विचार निचले स्तर पर लेटेक्स के प्रक्रमण में तकनीकी सहायता और वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु योजना कार्यान्वित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) लैटेक्स के प्रसंस्कर्ताओं को आधारभूत स्तर पर लाभ प्रदान करने के लिए रबड़ बोर्ड पहले से ही एक योजना कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना में अन्य बातों के साथ-साथ लघु जोत धारकों तथा रबड़ उत्पादक सोसाइटियों को उनके लैटेक्स के प्रसंस्करण हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। योजना के अंतर्गत रबड़ उत्पादकों को फसलोत्तर/प्रसंस्करण संकार्यों में प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

कर्नाटक में नई चीनी फैक्ट्रियां

5748. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना करने के बारे में निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रयोजनार्थ निर्धारित मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य में कितनी नई चीनी मिलों और फैक्ट्रियों की स्थापना की गई है;

(घ) राज्य में इन फैक्ट्रियों में चीनी के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा चीनी मिलों के विकास में सहायता करने में राज्य सरकार को क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबाष महरिया): (क) से (घ) चीनी उद्योग को 11 सितम्बर, 1998 से लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है। अत: उद्यमी अपनी परियोजनाओं की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता को

ध्यान में रखते हुए तथा विद्यमान चीनी फैक्ट्रियों से 15 किलोमीटर की दूरी बनाए रखते हुए देश के किसी भी भाग में नई चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं। 30.9.2002 की स्थिति के अनुसार, कर्नाटक राज्य में 41 चीनी फैक्ट्रियां थी जिन्होंने चीनी मौसम 2001-2002 के दौरान 15.77 लाख टन चीनी का उत्पादन किया।

(ङ) भारत सरकार चीनी उद्योग के विकास/संवृद्धि के लिए राज्य सरकारों को कोई प्रोत्साहन/वित्तीय सहायता मुहैया नहीं करती है। तथापि, चीनी मिलों को आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन/विस्तार तथा गन्ना विकास योजनाओं के लिए चीनी विकास निधि से वित्तीय सहायता मुहैया की जाती है।

[हिन्दी]

बिहार की वानिकी विकास परियोजना

5749. श्री राजो सिंह: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार सरकार ने जापान बैंक फार इंटरनेशनल कोआपरेशन द्वारा वित्तपोषण की जाने वाली नई वानिकी विकास परियोजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह परियोजना बैंक को अग्रेषित की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस परियोजना के इस बैंक को कब तक सौंप जाने की संभावना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर राज्यों हेतु ऋण सुविधा

5750. श्री एम.के. सुब्बा: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फेडरेशन आफ इंडस्ट्रीज एण्ड कामर्स आफ नार्थ ईस्टर्न रीजन (एफ आई एन ई आर) के प्रतिनिधि मंडल ने इस क्षेत्र के औद्योगिक विकास और आर्थिक पुनरुत्थान हेतु अत्यावश्यक सहायता की मांग करने और क्षेत्र में महत्वपूर्ण बैंकों के निम्न ऋण जमा अनुपात की ओर ध्यान आकृष्ट करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर से भेंट की थी;

(ख) यदि हां, तो एफ आई एन ई आर के प्रतिनिधि मंडल द्वारा क्या यथार्थ मांगें की गई हैं; और

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि फेडरेशन आफ इंडस्ट्रीज एण्ड कामर्स आफ नार्थ-ईस्टर्न रीजन (एफ आई एन ई आर) का एक प्रतिनिधि मंडल दिनांक 13.2.2003 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर से उनके गुवाहाटी दौरे के दौरान मिला था।

(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र में ऋण वितरण के संदर्भ में एफ आई एन ई आर द्वारा सुझाए गए कुछ उपाय निम्नलिखित हैं:

(1) पूर्वोत्तर क्षेत्र में परिचालन कर रहे वाणिज्यिक बैंकों की उस क्षेत्र में कम से कम आंचलिक/क्षेत्रीय कार्यालय के स्तर पर नियंत्रक/संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी कार्यालय होने चाहिए जिसकी संस्वीकृति क्षमता प्रति उधारकर्ता के संदर्भ में 500 लाख रुपए तक हो।

(2) पूर्वोत्तर क्षेत्र में अधिक परिमाण वाली औद्योगिक अग्रिमों का संचालन कर रहे वाणिज्यिक बैंकों को पूर्वोत्तर क्षेत्र में बड़े औद्योगिक केन्द्रों में ऐसे अग्रिमों की ऋण वितरण प्रक्रिया को शीघ्र सम्पादित करने हेतु 25 लाख रुपए की कथित उच्चतम सीमा से ऊपर के एक्सपोजर के साथ वाणिज्यिक/औद्योगिक अग्रिमों के संचालन के लिए समर्पित वाणिज्यिक/औद्योगिक वित्त शाखाएं स्थापित करने के लिए निर्देश दिए जाएं।

(3) बैंकों को इस क्षेत्र के लिए पर्याप्त एक्सपोजर के साथ विशेषज्ञता प्राप्त, समर्पित एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों को भर्ती देकर अग्रिमों के मूल्यांकन एवं निगरानी के स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करना चाहिए।

(4) भारतीय रिजर्व बैंक एवं वाणिज्यिक बैंक के बोर्डों में पूर्वोत्तर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हो।

(5) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित ऋण प्रस्ताव के निपटान की समय सीमा का सख्ती से पालन किया जाए।

(6) भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण प्रवाह की निगरानी के लिए उद्योग संघों के साथ प्रधान वाणिज्यिक बैंकों की तिमाही बैठक आयोजित करना चाहिए।

(ग) गवर्नर के साथ एफ आई एन ई आर की उपर्युक्त बैठक के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने अन्य बातों के साथ एफ आई एन

ई आर द्वारा सुझाए गए उपायों पर विचार करने के लिए गुवाहाटी में वरिष्ठ बैंकरों, राज्य सरकार के अधिकारियों एवं एफ आई एन ई आर के सदस्यों की दो बैठकें बुलायी थीं। यह महसूस किया गया कि इस क्षेत्र में ऋण-जमा अनुपात को बढ़ाने के लिए छोटे एवं सीमांतक किसानों तथा उद्योगों को ऋण प्रवाह में वृद्धि करने हेतु अपने प्रयासों को तेज करने की आवश्यकता है।

भारतीय रिजर्व बैंक का फेयर प्रेक्टिस कोड

5751. **श्री ए. ब्रह्मनैया:** क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण आवेदनों की जांच करने के बारे में देश में सभी बैंकों के लिए 'फेयर प्रेक्टिस कोड' तैयार किया है;

(ख) क्या बैंकों से यह उम्मीद की जाती है कि वे फेयर प्रेक्टिस कोड के अन्तर्गत ऋण देने से इनकार करने के कारणों को बताएं;

(ग) क्या सभी बैंक इस प्रस्ताव पर सहमत हो गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इस प्रस्ताव से बचने के लिए बैंकों द्वारा क्या कारण दिए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (घ) सरकार द्वारा गठित कार्य दल की सिफारिशों के आधार पर, भारतीय रिजर्व बैंक ऋणदाताओं के लिए "फेयर प्रैक्टिस कोड" बनाने की प्रक्रिया में है।

बैंकों का विलय

5752. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों के विलय के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ग) प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के विरुद्ध विवाचन कार्यवाही

5753. **श्रीमती निवेदिता माने:**
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री राम मोहन गाड्डे:
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाभोल विद्युत परियोजना के विदशी ऋणदाताओं ने हाल ही में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के विरुद्ध लंदन में विवाचन संबंधी कार्यवाही आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) कतिपय विदेशी बैंकों तथा विदेशी गैर-सरकारी निवेश निगम (जिन्हें सामूहिक रूप से "दावेदार" कहा गया है। ने दिनांक 17.4.2003 के नोटिस के तहत भारतीय वित्तीय संस्थानों एवं बैंकों, अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, आईसीआईसीआई बैंक लि., आईएफसीआई लि. तथा भारतीय स्टेट बैंक (जिन्हें सामूहिक रूप से "प्रत्यर्थी" कहा गया है) के विरुद्ध विवाचन की कार्यवाहियां शुरू की हैं।

(ख) अंतर ऋण समझौता (आई सी ए) के अंतर्गत विवाचन नोटिस जारी किया गया है जिसमें यह घोषित करने की मांग की गई है कि प्रत्यर्थियों ने दावेदारों के प्रति आईसीए तथा प्रत्ययी प्रतिबद्धताओं को तोड़ा है और उन्हें हानि पहुंचायी है।

दाभोल पावर कार्पोरेशन (डीपीसी) और महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड के बीच हुए विद्युत खरीद समझौते को समाप्त करने के लिए दाभोल पावर कार्पोरेशन द्वारा अंतिम समापन नोटिस (एफटीएन) के जारी होने पर भारतीय वित्तीय संस्थाओं ने दिनांक 6.11.2001 को बम्बई उच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया और दिनांक 9.11.2001 को व्यादेश का अंतिम आदेश प्राप्त कर लिया जिसमें डीपीसी को एफटीएन जारी करने से रोक दिया गया है। भारतीय वित्तीय संस्थाओं ने न्यायालय के रिसीवर की नियुक्ति के लिए मार्च, 2002 में बम्बई उच्च न्यायालय में एक अन्य मुकदमा दायर किया। मूर्त आस्तियों को अधिकार में लेने के लिए बम्बई उच्च न्यायालय ने 2.4.2002 को न्यायालय के रिसीवर की नियुक्ति का आदेश दिया।

(ग) अंतिम उपाय के रूप में तथा परियोजना के समग्र पुनर्गठन को लम्बित रखते हुए, विभिन्न पक्षों के अधिकारों तथा विवादों के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के तथा नए प्रायोजक के अधिष्ठापन तक दाभोल विद्युत परियोजना के चरण-1 को पुन: शुरू करने संबंधी प्रस्ताव पर भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार तथा महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड के भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा विचार किया जा रहा है। भारतीय वित्तीय संस्थानों के कानूनी परामर्शदाता को पक्ष-विपक्ष में विचार करने की सलाह दी गई है ताकि उचित रणनीति तैयार की जा सके। कानूनी परामर्शदाता इस संबंध में विदेशी (लंदन स्थित) परामर्शदाताओं के सम्पर्क में है।

थोक दवाओं के नमूने लेना

5754. **श्री हरीभाऊ शंकर महाले:** क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमा शुल्क प्राधिकारी थोक दवाओं के इनके निर्यात के दौरान-नमूने ले रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या दिशानिर्देश जारी किये गए हैं और थोक दवाओं और औषधियों हेतु अधिसूचित विभिन्न प्रयोगशालाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने तक निर्यात के सभी लाभों से वंचित किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) थोक दवाओं के निर्यात के समय उनके नमूने लिये जाते है और उनका परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुरूप किया जाता है जिनमें यह अनुबद्ध है कि ऐसे विनिर्माता निर्यातकों के मामले में नमूने नहीं लिये जाते हैं जिनके पास भारत के औषध नियंत्रक द्वारा विधिवत् अनुमोदित आन्तरिक परीक्षण सुविधाएं हैं और जिनके आन्तरिक परीक्षण निष्कर्ष विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत निर्यात और क्रेडिट के सत्यापन के उद्देश्य से विश्वसनीय हैं। इसके अलावा, यदि निर्यात किये जाने वाले उत्पाद के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों द्वारा पूर्व में नमूने लिये गये हों और उनके परीक्षण निष्कर्ष उपलब्ध हों तो उन परीक्षण निष्कर्षों को निर्यात के उद्देश्य से (छ: महीने के लिए) विश्वसनीय माना जाता है, बशर्ते ऐसे परीक्षण निष्कर्षों में विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत अभिनिश्चित किए जाने के लिए अपेक्षित निर्विष्टियों को तकनीकी विशेषताएं पाई गई हों। जहां तक दवाओं और औषधियों के परीक्षण के लिए अधिसूचित प्रयोगशालाओं का संबंध है, भारत के औषधि नियंत्रक द्वारा विधिवत् अनुमोदित प्रयोगशालाओं को विश्वसनीय माना जाता है।

(ग) और (घ) जब कभी नमूने लिये जाते हैं तो अनंतिम तौर पर लदान की अनुमति दे दी जाती है। परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनंतिम मूल्यांकन को अंतिम रूप दिया जाता है और निर्यातकों को पात्र निर्यात सुविधा दी जाती है। परीक्षण रिपोर्ट को यह सुनिश्चित करने के लिए आधार बनाया जाता है ताकि निर्यातक कोई अनुचित निर्यात सुविधा हासिल न कर सके।

फ्रेंचाइजी समाप्त करना

5755. **श्री रामजी मांझी:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** दिनांक 19.7.2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 907 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सरकारी विभागों में स्टेशनरी और अन्य वस्तुओं की आपूर्ति एन सी सी एफ के व्यापारिक और प्रशासनिक मामलों के अन्तर्गत न होकर डी ओ पी टी के कार्यालय ज्ञापन के अन्तर्गत विशेष वितरण के अन्तर्गत थी;

(ख) यदि हां, तो एन सी सी एफ किस नियम के तहत निजी स्वामित्व वाले फ्रेंचाइजी धारकों को चुनिंदा रूप से न कि सामूहिक रूप से स्टेशनरी और अन्य वस्तुओं की आपूर्ति करने हेतु वितरण के अधिकार को स्थानान्तरित कर सकती है;

(ग) क्या फ्रेंचाइजी को तत्काल समाप्त करने हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) दिल्ली/नई दिल्ली और दिल्ली से बाहर स्थित भारत सरकार के कार्यालयों द्वारा स्टेशनरी और अन्य वस्तुओं की अधिप्राप्त के दिशानिर्देश समय-समय पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने निर्माण और आवास मंत्रालय के परामर्श से 14 जुलाई, 1981 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया था। इस कार्यालय ज्ञापन में यह उल्लेख था कि केंद्रीय सरकार के कार्यालयों द्वारा स्टेशनरी और अन्य वस्तुओं की खरीद केवल केंद्रीय भंडार, दिल्ली से की जाए। इसके बाद कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने क्रमश: 1987 और 1994 में जारी अपने कार्यालय ज्ञापनों के जरिए नामांकित एजेंसियों की सूची में सुपर बाजार, दिल्ली और भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लि. को शामिल कर लिया।

(ख) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ एक स्वायत्तशासी बहु-राज्यीय सहकारी सोसायटी है जिसका अपने व्यवसाय और अन्य प्रशासनिक मामलों के बारे में निर्णय लेने के लिए अपना निदेशक

मण्डल है। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने सूचित किया है कि उन्होंने किसी निजी स्वामित्व वाले फ्रेंचाइजी धारकों को स्टेशनरी और कार्यालयी उपयोग की अन्य वस्तुओं की आपूर्ति के लिए वितरण का अधिकार नहीं सौंपा है। तथापि, राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने सम्मत निबंधनों और शर्तों के अनुसार अपने पंजीकृत सप्लायरों के साथ कारोबार सहयोग के तहत दिल्ली और देश के अन्य भागों में स्टेशनरी और अन्य कार्यालयी उपयोग की वस्तुओं की बिक्री के लिए कुछ शोरूम खोले हैं। इन शोरूमों की मानीटरिंग और देख-रेख राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के कर्मचारियों द्वारा की जाती है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के अनुसार ये शोरूम स्टॉक की तत्काल उपलब्धता मुहैया कराते हैं और सरकारी विभागों को संतोषजनक सेवाएं प्रदान करते हैं। इसलिए फ्रेंचाइजी को समाप्त करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

अर्थोपाय अग्रिम हेतु नया फार्मूला

5756. **श्री चन्द्रनाथ सिंह:**
श्री कैलाश मेघवाल:
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन आवेसी:
श्री त्रिलोचन कानूनगो:
श्री सुरेश रामराव जाधव:

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्यों के लिए नया अर्थोपाय फार्मूला और ओवरड्राफ्ट को अपनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन मानदंडों के कार्यान्वयन के पश्चात् कुछ राज्य कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) जी, हां। ओवरड्राफ्टों से बार-बार सहारा लेने से बचने हेतु राज्य सरकारों को सहायता करने के लिए संशोधित फार्मूले के अनुसार, सामान्य अर्थोपाय अग्रिम की कुल सीमा 3 मार्च, 2003 से 6035 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7170 करोड़ रुपये कर दी गयी है। राज्यों को अपने अंतर-माह असंतुलनों के समायोजन के लिए अधिक समय की अनुमति देने के लिए ओवरड्राफ्ट के दिनों की संख्या भी 12 निरंतर कार्यदिवसों से बढ़ाकर 14 निरंतर कार्यदिवस कर दी गयी है। किसी भी राज्य सरकार को एक तिमाही में 36 कार्यदिवसों से अधिक ओवरड्राफ्ट की अनुमति नहीं होगी। इसका आशय भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट की सुविधा का बारंबार सहारा ले रहे राज्यों को कतिपय अनुशासन में रखना है। सामान्य अर्थोपाय अग्रिम, विशेष अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट पर ब्याज की दरों में भी संशोधन किया गया है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, इन मानकों के कार्यान्वयन के पश्चात् राज्य किसी प्रकार की कठिनाईयों का सामना नहीं कर रहे हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

स्वापकों का अवैध रूप से विनिर्माणकर्त्ता कंपनियां

5757. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:** क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले चार वर्षों के दौरान देश में सीमा शुल्क विभाग द्वारा स्वापकों का अवैध रूप से विनिर्माण करने वाली कौन-कौन सी कंपनियों की पहचान की गई है;

(ख) क्या इस संबंध में जांच की गई है;

(ग) क्या सरकार ऐसे कार्यों में संलिप्त लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) गत चार वर्षों के दौरान सीमा शुल्क विभाग ने निम्नलिखित चार राज्यों में अवैध रूप से स्वापकों का विनिर्माण करने वाली पांच फैक्ट्रियों की पहचान की है:

(1) पंजाब

(2) राजस्थान

(3) गुजरात; और

(4) आंध्र प्रदेश।

(ख) से (घ) जी, हां। संबंधित व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच पूरी हो चुकी है और उपयुक्त न्यायालय में अभियोग पत्र दाखिल कर दिया गया है।

कन्टेनरों की कमी

5758. श्री तूफानी सरोज: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कन्टेनरों की कमी से निर्यात पर विपरीत प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि नहीं, तो चेन्नई पत्तन न्यास सहित देश के विभिन्न पत्तन न्यासों में पृथक-पृथक कितने कन्टेनर उपलब्ध हैं;

(ग) क्या विदेशी आयातकों द्वारा सीमा शुल्क का भुगतान न किए जाने के कारण विदेशी कन्टेनर फ्रेट स्टेशनों (सीएफएस) पर बड़ी संख्या में कन्टेनर बेकार पड़े हैं; और

(घ) यदि, हां तो सरकार द्वारा कन्टेनरों की कमी को पूरा करने हेतु क्या कार्रवाई की गई?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) निर्यात हेतु कंटेनरों की कमी के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। सरकार द्वारा निर्यात कार्गो के कंटेनरीकरण में सुधार लाये जाने के लिए सतत् प्रयास किए जा रहे हैं और कुल निर्यातों में इस प्रकार कार्गो का हिस्सा 2000-2001 में 11.46 प्रतिशत से बढ़कर 2001-2002 में 12.94 प्रतिशत हो गया है। निर्यातों एवं आयातों के कंटेनरीकरण को सुकर बनाने के लिए वाणिज्य विभाग द्वारा पोत परिवहन मंत्रालय, रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय तथा भारतीय कंटेनर निगम के साथ-साथ भाड़ा अग्रेषणकर्त्ताओं, पोत वणिकों एवं नौवहन लाइनों के साथ नियमित आधार पर विचार विनिमय किया जाता है।

(ग) ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारतीय चमड़े की खरीद से इन्कार

5759. श्रीमती मेनका गांधी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "डैमलर क्रिसलर" ने भारत में चमड़ा उद्योग द्वारा पशुओं के साथ किए जा रहे बर्ताव के विरोध में भारतीय चमड़े को खरीदना बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) अन्य कौन-सी कंपनियां हैं जिन्होंने भारतीय चमड़े की खरीद बंद कर दी है; और

(घ) सरकार द्वारा इस व्यापार से जुड़े अवैध कार्यों को बंद करने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ग) भारत से जर्मनी को साज-सामान के चमड़े का निर्यात अभी भी जारी है। जर्मनी को चमड़े के उत्पादों का निर्यात भी जारी है। कुछेक अंतर्राष्ट्रीय खुदरा कंपनियों ने एक स्तर पर या तो अपने आयात आर्डर रद्द कर दिए थे या फिर भारत से चमड़ा, चमड़े के उत्पाद प्राप्त करने के कार्य की गति को धीमा करने का निर्णय लिया था। तथापि, उपर्युक्त अधिकांश कंपनियों ने भारत से चमड़ा और चमड़े के उत्पादों की खरीद पुन: शुरू कर दी है।

(घ) पारगमन के समय पशुओं को दुर्दशा की स्थिति से उबारने के लिए सरकार ने क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के उपबंधों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों, रेलवे, ट्रांसपोर्टर/उद्योग आदि की भागीदारी से संयुक्त और समन्वित प्रयास किए हैं।

कंपनियों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही

5760. डा. बलिराम: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कंपनी अधिनियम की धारा 209 और 209क के अंतर्गत भंडार में हेरा-फेरी के लिए कुछ कंपनियों के निदेशकों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही जारी है; और

(ख) यदि हां, तो उन कंपनियों के नाम क्या हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 और 209क किसी कंपनी द्वारा, लेखा-बहियों का रख-रखाव तथा उनकी जांच तथा स्टाक में हेराफेरी न किए जाने से संबंधित है। कंपनी कार्य विभाग ने फरवरी-मार्च, 2001 में स्टाक बाजार की गतिविधियों से संबंधित सेबी की आरम्भिक जांच रिपोर्ट पर आधारित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209क के अन्तर्गत 98 कंपनियों की जांच के आदेश दिए थे। कंपनी अधिनियम 1956 के विभिन्न उपबंधों के उल्लंघन के लिए अभी तक 539 अभियोजनों के आदेश दिए गए हैं/आरम्भ किए गए हैं।

खाद्यान्नों की परिवहन और भंडारण के दौरान बर्बादी

5761. श्री सुरेश चन्देल: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्यान्नों की परिवहन और भंडारण के दौरान हुई बर्बादी का प्रतिशत क्या है;

(ख) सरकार द्वारा इस बर्बादी को रोकने या कम करने के लिए क्या उपाय किए गए और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या खाद्यान्नों की अधिकतम बर्बादी परिवहन में होती है क्योंकि उनके वजन के आधार पर उन्हें बुक कराने की कोई उचित प्रणाली नहीं है जिसके कारण रेलवे खाद्य विभाग को कोई रसीद नहीं देता और रेलवे अपनी जिम्मेदारी की बजाय खाद्यान्नों की लदाई खाद्य विभाग की जिम्मेदारी पर करता है यद्यपि खाद्य विभाग तोल सेतु बनवाने के लिए तैयार है;

(घ) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने इस समस्या के समाधान हेतु रेल मंत्रालय के साथ वार्ता की थी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस में क्या सफलता हासिल की गई?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) पिछले 3 वर्षों में भारतीय खाद्य निगम द्वारा वहन की गयी मार्गस्थ और भंडारण हानियों की प्रतिशतता निम्नानुसार है:

(मात्रा लाख टन में)

वर्ष	मार्गस्थ हानियां		भंडारण हानियां	
	मात्रा	प्रतिशतता	मात्रा	प्रतिशतता
1999-00	2.95	1.17	1.72	0.34
2000-01	1.55	0.84	1.56	0.42
2001-02 (अनंतिम)	1.82	0.78	1.98	0.36

(ख) भंडारण और मार्गस्थ हानियों को रोकने करने के लिए निम्नलिखित उपचारात्मक उपाय किए गए हैं:

(1) खाद्यान्नों के स्टाक की सुरक्षा करने के लिए भारतीय खाद्य निगम के सुरक्षा कर्मियों (होम गार्डों को भी) तैनात करना।

(2) "संवेदनशील" गोदामों पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और राज्य सशस्त्र पुलिस को तैनात करना।

(3) चोरी/सुरक्षा खामियों का पता लगाने और उन्हें दूर करने के लिए विभिन्न स्तरों पर डिपुओं का आवधिक सुरक्षा निरीक्षण और औचक जांच करना।

(4) इलैक्ट्रानिक लारी तोल सेतु स्थापित करना और उनका औचक निरीक्षण करना।

(5) बोरियों के आकार और गुणवत्ता में सुधार करना।

भंडारण हानियों की तत्परता से सूचना देने, जांच करने और जिम्मेदारी निर्धारित करने तथा इन्हें बट्टे खाते डालने के लिए भारतीय खाद्य निगम ने प्रक्रिया विहित की है। मार्गस्थ हानियों के मामले में विहित प्रक्रिया यह है कि मार्गस्थ हानि की रिपोर्ट तत्काल त्वरित जांच करने और जहां कहीं वांछित हो जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए प्रेषक को दी जाए। इस प्रक्रिया को लागू करने से भंडारण और मार्गस्थ हानियों को नियंत्रित करने में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

(ग) से (ङ) खाद्यान्नों में मार्गस्थ हानियां बहु-हैंडलिंग के दौरान विभिन्न अवस्थाओं में और भारतीय खाद्य नगम के डिपुओं और रेल शीर्षों के बीच विभिन्न साधनों द्वारा ढुलाई करने में हो जाती हैं। रेलवे के पास बुकिंग से पहले खाद्यान्नों के परेषण की तुलाई करने की कोई व्यवस्था नहीं। भारतीय खाद्य निगम ने अपनी लागत पर सचल तोल सेतु स्थापित करना व्यवहार्य नहीं पाया है। रेलवे बोर्ड ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जहां तक रेलवे का संबंध है, कमियों के प्रयोजनार्थ "स्पष्ट रेल रसीद" अथवा "कथित माल" का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि किसी भी मामले में जब वैगन की सील सही पायी जाती है तो सामान्यत: कमी, यदि कोई हो, के लिए रेलवे की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। मार्गस्थ हानियों के मामले में जवाबदेही निर्धारित करने के लिए विश्वसनीय सचल तोल सेतु स्थापित करने और इसकी कोई व्यापक योजना अथवा किसी अन्य वैकल्पिक विधि के बारे में अभी तक भारतीय खाद्य निगम और रेलवे के बीच कुछ तय नहीं हुआ है।

राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा वित्त पोषण

5762. श्री सवशीभाई मकवाना: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय आवास बैंक राज्य आवास परियोजनाओं के लिए वित्त उपलब्ध करा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान विशेषकर गुजरात को ऐसी परियोजनाओं के लिए राज्यवार कितना वित्त प्रदान किया गया?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) राष्ट्रीय आवास बैंक (एन एच बी) आवास बोर्डों, विकास प्राधिकरणों, नगरपालिका प्राधिकरणों आदि जैसी राज्य के स्वामित्व वाली एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित आवास एवं विकास परियोजनाओं हेतु वित्तीय सहायता देता है। एन एच बी ने अभी तक विभिन्न राज्य सरकार की एजेंसियों को 552.61 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी है। पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य के स्वामित्व वाले आवास एवं विकास परियोजनाओं के लिए एन एच बी द्वारा दिए गए वित्त के राज्यवार (गुजरात सहित) ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	2000-01	2001-02	2002-03*
हिमाचल प्रदेश	1.42	4.55	2.36
मध्य प्रदेश	9.05	20.32	6.72
तमिलनाडु	6.43	3.15	0.00
पश्चिम बंगाल	25.00	10.00	10.00
गोवा	0.83	2.62	1.27
राजस्थान	1.21	8.38	17.73
गुजरात#	25.48	62.23	0.93
कुल	69.42	111.25	39.04

*जुलाई 2002 से मार्च 2003 तक 9 महीने की अवधि के लिए।

#इसमें गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और गुजरात ग्रामीण आवास बोर्ड को भूकम्प पुनर्वास आवास परियोजनाओं के लिए दी गई 51.44 करोड़ रुपए की विशेष सहायता शामिल है।

प्रत्यक्ष खरीद हेतु तम्बाकू बोर्ड को अनुमति

5763. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से सीधे किसानों से तम्बाकू खरीदने हेतु तम्बाकू बोर्ड को निर्देश देने का अनुरोध किया है ताकि किसानों को अपने उत्पाद का न्यूनतम मूल्य प्राप्त करने में मदद मिल सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस अनुरोध पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) आंध्र प्रदेश सरकार ने सुझाव दिया है कि केन्द्रीय सरकार चालू विपणन मौसम के दौरान तम्बाकू बोर्ड को बाजार हस्तक्षेप की कार्रवाई करने की अनुमति दे।

(ग) तम्बाकू बोर्ड का बाजार में तब हस्तक्षेप करना अपेक्षित होता है जब फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया (एफसीवी) तम्बाकू की कीमतें न्यूनतम समर्थन कीमत (एमएसपी) से कम हो जाती हैं। वर्तमान में आंध्र प्रदेश में चल रही तम्बाकू की नीलामियों में प्रचलित कीमतें न्यूनतम समर्थन कीमत से अधिक हैं।

कर मुक्त नगरपालिका बांड्स

5764. डा. एन. वेंकटस्वामी: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संबंधित राज्यों के नगर निगमों द्वारा कर मुक्त नगरपालिका बांड्स जारी करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने प्रस्तावों की जांच की गई और स्वीकृति दी गई;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने कर मुक्त नगरपालिका बांड्स के माध्यम से 200 करोड़ रुपए उगाहने की अनुमति प्रदान करने का भी अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई और इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) वर्ष 2002-2003 के दौरान कर मुक्त म्यूनिसिपल बांड जारी करने के लिए नासिक नगर निगम (महाराष्ट्र) और नगरपालिका प्रशासन और जलापूर्ति विभाग, चेन्नई (तमिलनाडु) से दो प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। जबकि नासिक नगर निगम का प्रस्ताव 2002-2003 के दौरान अनुमोदित किया गया था। नगरपालिका प्रशासन और जलापूर्ति विभाग चेन्नई (तमिलनाडु) का प्रस्ताव समयाभाव के कारण 2002-2003 के दौरान अनुमोदित नहीं किया जा सका। इसे 2003-2004 के दौरान अनुमोदित किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

तस्करी गतिविधियों में गिरफ्तार विदेशी नागरिक

5765. श्री अमर राय प्रधान: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 जनवरी, 2002 और 31 दिसम्बर, 2002 के दौरान तस्करी गतिविधियों में शामिल कितने विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया और पिछले तीन वर्षों के दौरान इन आकंड़ों की राज्य-वार तुलनात्मक स्थिति क्या है;

(ख) ऐसे प्रत्येक तस्करों की राष्ट्रीयता आदि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस बुराई को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

राज्यों को सहायता

5766. श्री गंता श्रीनिवास राव:
श्री गुनीपाटी रामैया:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में हथकरघा बुनकरों को अपने करघों के आधुनिकीकरण के लिए सहायता प्रदान की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार कितने करघे आधुनिकीकृत किए गए?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना (डीडीएचपीवाई) के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश सहित देश में हथकरघा बुनकरों को नए करघे खरीदने तथा डॉबी, जैकार्ड और उपस्करों हेतु निधियां मुहैया करके उनके मौजूदा करघों का आधुनिकीकरण करने के लिए भी निधियां प्रदान की जाती हैं।

(ख) और (ग) दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना (डीडीएचपीवाई) के अंतर्गत दी गई स्वीकृति के अनुसार प्राप्त किए जाने वाले नए करघों और आधुनिकीकरण किए जाने वाले करघों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत नए करघों/डॉबी/जैकार्ड/उपस्करों की संख्या	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
2000-01			
1.	असम	102200	206.72000
2.	गुजरात	1250	175.00000
3.	हिमाचल प्रदेश	125	5.52000
4.	जम्मू व कश्मीर	300	9.00000
5.	मध्य प्रदेश	93	1.88500
6.	मणिपुर	1814	104.42974
7.	मेघालय	50	3.75000
8.	नागालैंड	500	16.00000
9.	त्रिपुरा	508	15.07500
10.	उत्तर प्रदेश	1488	83.80000
11.	पश्चिम बंगाल	445	36.00500
	कुल	108771	657.18474
2001-02			
1.	आन्ध्र प्रदेश	2512	81.31850
2.	अरुणाचल प्रदेश	1350	90.25300
3.	असम	7560	752.95000
4.	छत्तीसगढ़	204	4.07500
5.	हिमाचल प्रदेश	288	41.75000
6.	कर्नाटक	0	0.00000
7.	मध्य प्रदेश	133	3.35000
8.	नागालैंड	3750	113.07000

1	2	3	4
9.	तमिलनाडु	8886	46.45900
10.	उत्तर प्रदेश	6618	427.46500
11.	उत्तरांचल	371	21.99000
12.	पश्चिम बंगाल	430	41.60000
	कुल	27100	1624.28050
2002-03			
	आन्ध्र प्रदेश	2355	131.66000
2.	अरुणाचल प्रदेश	100	10.75000
	असम	71150	671.90000
4.	छत्तीसगढ़	665	33.65000
5.	हिमाचल प्रदेश	588	36.25000
6.	केरल	400	19.22500
7.	मध्य प्रदेश	83	3.19000
8.	मणिपुर	3957	255.19600
9.	नागालैंड	1275	38.25000
10.	राजस्थान	75	2.82000
	तमिलनाडु	8534	166.20000
12.	उत्तर प्रदेश	4270	251.69500
13.	उत्तरांचल	282	17.81500
14.	पश्चिम बंगाल	1730	207.87300
	कुल	31462	1846.47400
	कुल योग:	167333	4127.93924

[हिन्दी]

91-92

जापान से ऋण

5767. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी:
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:
श्री चिन्मयानन्द स्वामी:
श्री वाई.जी. महाजन:

92-93

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापान सरकार विभिन्न परियोजनाओं के लिए भारत को ऋण प्रदान करने पर सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो जापान से कितनी राशि का ऋण प्राप्त किया जाएगा और ऋण के नियम और शर्तें क्या हैं;

(ग) इसे कब तक प्राप्त किए जाने की संभावना है; और

(घ) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिए जापान से ऋण प्राप्त किये जाने की संभावना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, हां।

(ख) जापान सरकार ने भारत को लगभग 4,417 करोड़ रुपए की ऋण सहायता अनुमोदित की है। पर्यावरण संबंधी परियोजनाओं हेतु ऋणों के लिए ब्याज की दर और पुन:अदायगी की अवधि क्रमश: 0.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष और 40 वर्ष है। अन्य परियोजनाओं हेतु ऋणों के लिए ब्याज की दर और पुन:अदायगी की अवधि क्रमश: 1.8 प्रतिशत प्रतिवर्ष और 30 वर्ष है।

(ग) यह ऋण वित्तीय वर्ष 2003 से उपलब्ध होगा।

(घ) उन परियोजनाओं, जिनके लिए ऋण उपलब्ध कराया जाना है, के नाम निम्नलिखित हैं:

1. सिम्हाद्री ताप विद्युत केन्द्र परियोजना (4)

2. बक्रेश्वर ताप विद्युत केन्द्र इकाई विस्तार परियोजना।

3. दिल्ली जन द्रुत परिवहन प्रणाली परियोजना (4)

4. पंजाब वानिकीकरण परियोजना (2)

5. राजस्थान वानिकी और जैव-विविधता संरक्षण परियोजना।

6. यमुना कार्य योजना परियोजना (2)

7. अजंता-एलोरा संरक्षण और पर्यटन विकास परियोजना (2)

बीआईएफआर को भेजे गए मामले

5768. श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह:
श्री अब्दुल रशीद शाहीन:

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) को इसके गठन से अब तक कितने मामले सौंपे गए;

(ख) ऐसे कितने मामले हैं जिनमें बोर्ड द्वारा 28 फरवरी, 2003 तक अंतिम निर्णय ले लिए गए हैं;

(ग) ऐसे कितने मामले हैं जिनमें औद्योगिक इकाइयों को बन्द करने की सिफारिश की गई और ऐसे कितने मामले हैं जिनमें पुनरुद्धार के लिए पैकेज दिया गया; और

(घ) कितने मामलों में सरकार द्वारा औद्योगिक इकाइयों के पुनरुद्धार की सिफारिशें स्वीकार की गई और ऐसी इकाइयों के नाम क्या हैं जिनके संबंध में बीआईएफआर की सिफारिशें स्वीकार नहीं की गई हैं और इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) ने सूचित किया है कि 31 मार्च, 2003 तक उसके पास रुग्ण औद्योगिक कंपनियों के 4468 मामले दर्ज किए गए थे।

(ख) बीआईएफआर ने 31 मार्च, 2003 तक 4468 मामलों में से 2845 मामलों में अन्तिम निर्णय ले लिया है।

(ग) बीआईएफआर ने रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 की धारा 20(1) के तहत 1115 मामलों के समापन की सिफारिश की है। बीआईएफआर ने अब तक 562 रुग्ण एककों के संबंध में पुन: प्रवर्तन पैकेजों की भी मंजूरी दी है जिनमें 334 ऐसे रुग्ण एकक हैं जिनके संबंध में अब रुग्ण नहीं होने की घोषणा पहले ही कर दी गई थी।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

94 – G

आंध्र प्रदेश में वस्त्र मिलें

5769. श्री गुनीपाटी रामैया:
श्री बी.के. पार्थसारथी:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार आंध्र प्रदेश में सरकारी, सहकारी और निजी क्षेत्र में चल रही सूती और कृत्रिम धागा मिलों की अगल-अलग कुल संख्या कितनी है;

(ख) पिछले दो वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान इन मिलों की उत्पादन क्षमता और वास्तविक उत्पादन कितना रहा; और

(ग) सरकार द्वारा इन मिलों के आधुनिकीकरण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड़ा पाटिल (यत्नाल)]: (क) और (ख) 28 फरवरी, 2003 की स्थिति के अनुसार, आंध्र प्रदेश राज्य में पिछले दो वर्षों में, प्रत्येक के दौरान सार्वजनिक, निजी और सहकारी क्षेत्र में कार्यरत सूती/मानव निर्मित फाईबर वस्त्र मिलों (गैर-एसएसआई) की संख्या, उनकी उत्पादन क्षमता और वास्तविक उत्पादन नीचे दिए गए हैं:

क्र.सं.	प्रबंधन	कार्यरत मिलों की संख्या	स्थापित क्षमता			उत्पादन (मिलियन कि.ग्रा.)	
			तकुए ('000')	रोटर्स ('000')	करघे ('000')	2001-2002	2002-03 (अनं.)
1.	सार्वजनिक	0	0	0	0	0	0
2.	निजी	53	1380	2584	0	144.08	133.11
3.	सहकारी	1	25	0	0	1.00	0
	कुल	54	1405	2584	0	145.08	133.11

(ग) वस्त्र और पटसन उद्योगों की समग्र अर्थक्षमता में सुधार लाने और इसे वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से, सरकार ने 1.4.1999 से पांच वर्षों की अवधि, अर्थात् 31 मार्च, 2004 तक के लिए वस्त्र और पटसन उद्योगों हेतु प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) प्रारंभ की है। यह योजना आंध्र प्रदेश राज्य सहित संपूर्ण भारत पर लागू है। इस योजना की मुख्य विशेषता यह है कि वस्त्र उद्योग के प्रौद्योगिकी उन्नयन की परियोजना जो योजना के अनुसार पात्र हैं, पर नोडल एजेंसी/सहयोजित बैंकों द्वारा प्रभारित ब्याज पर 5 प्रतिशत बिंदु की प्रतिपूर्ति की जाती है। ये मिलें योजना के अंतर्गत सहायता पाने के लिए अपनी आधुनिकीकरण परियोजनाओं के साथ नोडल एजेंसी/सहयोजित बैंकों से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र हैं। 28 फरवरी,

2003 की स्थिति के अनुसार, आंध्र प्रदेश राज्य में 613 करोड़ रुपये की परियोजना लागत और 361 करोड़ रुपये की ऋण आवश्यकता के साथ 40 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। 31 आवेदन पत्रों के लिए 229 करोड़ रुपए की ऋण राशि स्वीकृत की गई है तथा 170 करोड़ रुपये 26 आवेदन पत्रों के लिए संवितरित किए गए हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

5770. **डा. डी.वी.जी. शंकर राव:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या पर्यवेक्षण की कमी के कारण देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) पर प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो उचित दर दुकानों के डीलरों द्वारा लगातार बरते जा रहे कदाचार को समाप्त करने हेतु सतर्कता प्रणाली को चुस्त-दरुस्त करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) और (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7 के अधीन कदाचार के लिए उचित दर दुकानदारों के विरुद्ध कड़े दंड का प्रावधान है। आदेश में राज्य सरकारों द्वारा उचित दर दुकानों के कार्यकरण सहित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मानीटरिंग के लिए प्रक्रिया का प्रावधान है जो निम्नानुसार है:

(1) राज्य सरकारें उचित दर दुकानों को मानीटर करने के संबंध में एक समुचित प्रणाली सुनिश्चित करेगी और आर्दश विक्रय रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर और राशन कार्ड रजिस्टर विहित करेगी।

(2) राज्य सरकारें अभिहित प्राधिकारी द्वारा छह मास में कम से कम एक बार उचित दर दुकानों का निरीक्षण सुनिश्चित करेंगी। राज्य सरकारें निरीक्षण अनुसूची, जांच बिन्दुओं की सूची और उक्त आदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी विनिर्दिष्ट करते हुए आदेश जारी करेंगी।

(3) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में सतर्कता समितियों की बैठकें राज्य, जिला, खंड और उचित दर दुकानों के स्तर पर नियमित आधार पर आयोजित की जाएंगी। राज्य सरकारों द्वारा तारीख और आवधिकता अधिसूचित की जाएगी। तथापि, सभी स्तरों पर प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बैठक होगी।

ऑफसेट प्रिंटिंग मशीनों का आयात

5771. **श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों में "यूज्ड शीट फेड ऑफसेट प्रिंटिंग मशीनों" के देश में आयात में भारी तेजी आई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इन मशीनों के आयात के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ग) क्या आयात-निर्यात नीति ऐसी मशीनों के आयात की अनुमति देती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या प्रदत्त विदेशी मुद्रा आयात-निर्यात नीति का उल्लंघन कर ऐसी मशीनों के आयात के लिए जारी की जा रही हैं;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(ज) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या सुरक्षा उपाय बनाए हैं कि आज तक आयात-निर्यात नीति का उल्लंघन कर "यूज्ड प्रिंटिंग मशीनों" का आयात न कर सकें और "एक्चुअल यूजर्स कंडीशन" का उल्लंघन कर उनका मुक्त व्यापार न कर सकें?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ज) एक्जिम नीति 2002-2007 के अनुसार, 10 वर्ष से अधिक पुरानी आफसेट प्रिंटिंग मशीनों सहित पूंजीगत वस्तुओं का आयात केवल आयात लाइसेंस के साथ ही किया जा सकता है। ऐसे आयातों के लिए लाइसेंस एक्जिम सुविधाकरण समिति (ईएफसी, संबंधित मंत्रालयों एवं तकनीकी प्राधिकारियों के प्रतिनिधियों की एक अंतर-मंत्रालयी समिति) की सिफारिश पर जारी किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान पुरानी ऑफसेट प्रिंटिंग मशीनों के आयात के लिए ईएफसी द्वारा स्वीकृत किए गए मामलों की संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। यह देखा जा सकता है कि इन वर्षों में ईएफसी द्वारा स्वीकृत किए गए ऐसे मामलों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है। इन आयातों की स्वीकृति वास्तविक प्रयोक्ता शर्तों पर दी गई थी। जहां तक एक्जिम नीति के उल्लंघन का संबंध है, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 में एक्जिम नीति के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन से निपटने के लिए एक स्पष्ट प्रावधान है और पुरानी ऑफसेट प्रिंटिंग मशीनों के आयात की शर्तों के किसी उल्लंघन पर तदनुसार कारवाई की जाती है।

विवरण

पुरानी ऑफसेट प्रिंटिंग मशीनों के आयात के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान ईएफसी द्वारा स्वीकृत किए गए मामलों की संख्या

देश	पुरानी प्रिंटिंग मशीनों के आयात के लिए स्वीकृत किए गए मामलों की संख्या
2000-2001	1
2001-2002	3
2002-2003	2

हाइब्रिड रेशम

5772. **श्री कालवा श्रीनिवासुलु:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी की ''हाइब्रिड रेशम'' का उत्पादन करने में सफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उड़ीसा सरकार द्वारा नई हाइब्रिड रेशम कीटों की किस्मों का पैटेन्ट कराने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) और (ख) केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी), जापान इंटरनेशनल को-आपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) के तकनीकी सहयोग से द्विफसलीय संकर किस्मों की क्षमता के अंतर्राष्ट्रीय क्षेणी के रेशम के उत्पादन में सफल रहा है। 6 द्विफसलीय रेशम की कीट की संकर किस्मों अर्थात् सीएसआर 2× सीएसआर 4, सीएसआर 2× सीएसआर 5, सीएसआर 12× सीएसआर 6, सीएसआर 18× सीएसआर 19, सीएसआर 16 × सीएसआर 17 तथा सीएसआर 3× सीएसआर 6 प्रजातियां और बी.एल. श्रेणी की कुछ मल्टी एक्स द्विफसलीय संकर किस्मों को वाणिज्यिक उपयोग के लिए अधिकृत किया गया है।

(ग) वर्तमान में, संकर रेशम कीट सहित सजीव सामग्रियों के पेटेंट के लिए कोई प्रणाली मौजूद नहीं है। तथापि, केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने नेशनल ब्यूरो आफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज (एनबीपीजीआर), आईसीएआर, नई दिल्ली की श्रेणी की तर्ज पर नये विकसित, संकर रेशम कीट को दर्ज करने के लिए एक तंत्र विकसित किया है।

क्रेडिट कार्डों में चूक

5773. **श्रीमती श्यामा सिंह:** क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश राष्ट्रीयकृत और वाणिज्यिक बैंकों में क्रेडिट कार्ड व्यापार में चूक के मामले बढ़ते जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रेडिट कार्ड व्यापार में चूक की बढ़ती घटनाओं को कम करने हेतु बैंकों को शीघ्र कदम उठाने का निर्देश दिया है; और

(घ) यदि हां, तो बैंकों द्वारा इस संबंध में विशेषकर क्रेडिट कार्ड धारकों से बकाया वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसूल): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंकों में क्रेडिट कार्ड कारबार में अतिदेय राशियों की वृद्धि हो रही है जिसे निम्नलिखित सारणी में दी गई स्थिति से देखा जा सकता है:

(आंकड़े करोड़ रु. में)

		31 मार्च की स्थिति के अनुसार जारी कार्डों की संख्या			क्रेडिट कार्ड कारबार में अतिदेय राशियां 31 मार्च की स्थिति के अनुसार		
		2000	2001	2002	2000	2001	2002
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	बीओबी कार्ड (बीओबी की अनुषंगी)	144733	140751	123055	11.54 (69.32)	19.96 (81.75)	22.56 (76.91)
2.	कारपोरेशन बैंक	2949	3228	3501	0.32 (6.64)	0.31 (6.75)	1.30 (7.51)

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	देना बैंक	6820	7900	7700	0.20 (0.77)	0.40 (1.11)	0.63 (1.26)
4.	पंजाब एंड सिंध बैंक	4455	4933	9748	0.59 (1.05)	0.62 (1.28)	0.68 (1.28)
5.	एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसिज लि. (एसबीआई की अनुषंगी)	269929	607069	902844	0.40 (112.56)	8.39 (278.67)	26.79 (474.90)

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों से कुल बकाया राशि का पता चलता है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को इस कारबार में चूक की घटनाओं को कम करने के लिए तथा क्रेडिट कार्ड बकाया राशियों की वसूली की गहन निगरानी करने के लिए तत्काल कदम उठाने की सलाह दी गई है। बैंक अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से इस संबंध में विशेष कार्य योजनाएं तैयार कर सकते हैं। बैंकों को क्रेडिट कार्ड अति देयराशियां एकत्र करने के लिए वसूली एजेंट रखते समय भारतीय बैंक संघ द्वारा तैयार की गई आचार संहिता का पालन करने की सलाह दी जाती है।

(घ) बैंक विभिन्न उपाय कर रहे हैं जैसे चूककर्ता कार्डधारकों के साथ शाखाओं द्वारा नियमित अनुवर्ती कार्रवाई करना, कानून का सहारा लेना, क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं एवं वसूली एजेंटों के माध्यम से अनुवर्तन, लगातार तीन महीने वापसी अदायगी न करने के मामले में कोर्ड का प्रयोग रोकना, मासिक अनुस्मारक भेजना आदि।

विद्युतकरघा कामगारों के लिए समूह बीमा योजना

5774. श्री चिन्तामन वनगा: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विद्युत करघा बुनकरों के परिवारों के लिए समूह बीमा योजना को संशोधित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस योजना का लाभ असंगठित क्षेत्र के विद्युतकरघा कामगारों को देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड्ड रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) से (घ) केन्द्र सरकार ने, उन विद्युतकरघा बुनकरों अथवा स्वरोजगार प्राप्त बुनकर परिवारों जिनके पास चार से अधिक करघे नहीं हैं, जो 18 से 59 वर्ष के बीच के उम्र के हैं और गरीबी रेखा से नीचे (बी पी एल) अथवा बी पी एल से आंशिक रूप से ऊपर हैं के लिए एक संशोधित समूह बीमा योजना (जी आई एस) का अनुमोदन किया है। इस योजना के अंतर्गत दो संघटक होंगे। (1) एल आई सी की मौजूदा जनश्री बीमा योजना के अंतर्गत कवरेज (2) मृत्यु के लिए संयोजित समूह बीमा शामिल करना, दोनों संगठक एल आई सी द्वारा प्रशासित होंगे।

1. जनश्री बीमा योजना

1. स्वाभाविक मृत्यु होने पर जीवन बीमा प्रति सदस्य 20 हजार रुपये होगा।

2. दुर्घटना से हुई मृत्यु अथवा अस्थाई रूप से पूर्णतया: अक्षमता के लिए प्रति सदस्य अधिकतम 50 हजार रुपये और आंशिक रूप से स्थाई अक्षमता के लिए 25 हजार रुपये प्रति सदस्य दिये जाएंगे।

3. एल आई सी की संबद्ध योजना—शिक्षा सहयोग योजना जिसके अंतर्गत लाभार्थियों को अपने ऊपर आश्रित दो बच्चों, जो कक्षा 9 से 12 में पढ़ रहे हों, को 300 रुपये प्रति तिमाही/बच्चा, पारदर्शी चयन मानदण्ड के आधार पर शिक्षण भत्ते के रूप में दिया जाता है, के रूप में संबद्ध लाभ।

4. वसूले गये वार्षिक प्रीमियम की दर 200 रुपया प्रतिवर्ष होगी जिसमें 100 रुपया जीवन बीमा निगम द्वारा अपनी सामाजिक सुरक्षा निधि से वहन किया जाएगा। 60 रुपया भारत सरकार द्वारा वस्त्र मंत्रालय के माध्यम से वहन किया जाएगा और शेष 40 रुपया लाभार्थी द्वारा वहन किया जाएगा।

2. जी आई एस के संबद्ध संघटक

1. बीमा समूह के प्रत्येक सदस्य को स्वाभाविक और दुर्घटना में हुई मृत्यु के लिए 30 हजार रुपया दिया जाएगा।

2. पहले वर्ष के लिए वार्षिक प्रीमियम राशि समूह के प्रत्येक सदस्य के लिए 180 रुपया होगा।

3. 50 प्रतिशत प्रीमियम राशि अर्थात् 90 रुपये भारत सरकार द्वारा दिए जाएंगे और शेष 50 प्रतिशत अर्थात् 90 रुपये विद्युतकरघा बुनकर जो इस समूह के सदस्य हैं, द्वारा दिया जाएगा।

4. उपर्युक्त ख में दिए गए प्रावधान के बावजूद प्रीमियम राशि का संशोधन, वास्तविक दावा प्राप्ति के आधार पर एल आई सी द्वारा 2 वर्ष के आधार पर किया जा सकता।

विद्युतकरघा बुनकर जो पात्रता संबंधी शर्तों को पूरा करते हैं, को संबद्ध बीमा कवर के साथ अथवा उसके बिना जनश्री बीमा योजना अपनाने का विकल्प होगा।

[हिन्दी]

अफीम की खेती

5775. श्री श्रीचन्द कृपलानी: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में अफीम की खेती को प्रोत्साहित करने हेतु कोई कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीय आपदा के मामले में अफीम उत्पादकों को राहत प्रदान किए जाने हेतु कौन से प्रावधान हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) देश में अफीम की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(1) मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अधिसूचित भू-भागों में वैज्ञानिक और औषधीय प्रयोजनों के लिए अफीम की खेती को लाइसेंस के अंतर्गत केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

(2) उच्च अलकालायड अंश वाले अफीम पोस्त किस्म के विकास के लिए अनुसंधान परियोजना सरकार द्वारा चालू की गई है।

(3) लाइसेंसधारी अफीम खेतिहरों से अफीम प्राप्त करने के लिए सरकार लाभकारी कीमतें देती हैं।

(4) सरकारी अफीम और अल्कालायड वर्क्स, नीमच और गाजीपुर में उत्पादन सुविधाओं में सुधार करने और उसे बढ़ाने की एक योजना क्रियान्वयनाधीन है।

(5) लाइसेंसीकृत अफीम की खेती को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में अफीम की बिक्री/निर्यात में वृद्धि करने के प्रयास किए जाते हैं।

(ग) यदि किसी कृषक की अफीम की फसल किसी बीमारी अथवा प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट हो जाती है, तो वह अनलांस्ड फसल को विभागीय पर्यवेक्षण की देख-रेख में पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से उखड़वा सकते हैं। पूर्ण रूप से उखाड़ने के मामले में कृषक अगले वर्ष में लाइसेंस के लिए स्वत: ही पात्र बन जाएंगे, अगर वह अन्यथा पात्र है। आंशिक रूप से फसल उखाड़ने के मामले में, कृषक द्वारा शेष क्षेत्र पर उगाई गई अफीम पेश करना आवश्यक है और उस क्षेत्र के लिए न्यूनतम अर्हकारी उपज की शर्त पूरी करना भी जरूरी है। ऐसे कृषक परवर्ती वर्ष में लाइसेंस के पात्र होंगे बशर्ते कि वह न्यूनतम अर्हकारी उपज की शर्तों को पूरी करते हों।

निजी क्षेत्र की भागीदारी

5776. डा. अशोक पटेल: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दूरसंचार, विद्युत, सड़क, रेल और विमान पत्तन क्षेत्र का निजीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कई योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) व्यापक आर्थिक अर्थ में कोई भी प्रक्रिया जो आर्थिक कार्यकलापों में राज्य अथवा सरकारी क्षेत्र की भागीदारी कम करती है, को निजीकरण कहा जाता है, जो साधारणतया उदारीकरण, विनियमन, लाइसेंसीकरण समाप्त करने और अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण की प्रवृत्ति के अनुरूप

होता है। भिन्न-भिन्न मात्राओं के विदेशी निवेश सहित निजी भागीदारी और निजी निवेश की अनुमति दूरसंचार, विद्युत और विमान-पत्तन आधारढांचा में दी जाती है। सड़क क्षेत्रक में, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएच डीपी) के अधीन भारतीय और विदेशी कंपनियों के बीच संयुक्त उपक्रम से घरेलू और विदेशी संविदाकारों द्वारा सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। भारतीय रेलवे ने भी पत्तन से संपर्क, गेज परिवर्तन, विद्युतीकरण, लाइनों को दोहरा करने, उप-नगरीय परिवहन के विकास और नई रेल लाइनों से दूरस्थ और पिछले क्षेत्रों से संपर्क जैसे विभिन्न कार्यकलापों के लिए रेल परियोजनाओं में निजी भागीदारी की व्यवस्था को औपचारिक रूप दिया है।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय बजट 2003-2004 में मुख्यत: सड़क, रेलवे, विमानपत्तनों और समुद्री पत्तनों जैसे आधारढांचे में सरकारी-निजी भागीदारी को अभिनव निधिकरण कार्यतंत्र के माध्यम से प्रोत्साहित करने की घोषणा की गई है। इस व्यापक पहल में निम्नलिखित शामिल होंगे:

* लगभग 40,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 48 नई सड़क परियोजनाएं, जिनमें से एक चौथाई सीमेंट कंक्रीट से निर्मित की जा रही हैं।
* 8000 करोड़ रुपए मूल्य की राष्ट्रीय रेल विकास योजना परियोजनाएं।
* 11,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर दो विमानपत्तनों और दो समुद्रीपत्तनों का नवीकरण/आधुनिकीकरण।
* 1000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर दो वैश्विक स्तर के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केन्द्रों की स्थापना।
* विद्युत क्षेत्रक में निम्नलिखित घोषणाएं की गई हैं:

- किसी ऐसी विद्युत परियोजना, जो मेगा परियोजनाओं के लिए निर्धारित की जा चुकी शर्तों को पूरा करती है, को सभी लाभ प्रदान करके मेगा विद्युत परियोजना की नीति और उदार बनाई जाएगी।
- सौर ऊर्जा, पवन टर्बाइन, जीवाश्य ईंधनों के विकल्प के रूप में हाइड्रोजन ऊर्जा के क्षेत्रों में प्रोत्साहन चालित अनुसंधान प्रारम्भ करने के लिए सीएसआईआर को 20 करोड़ रुपए का विशेष आवंटन।

[हिन्दी]

विदेशी मुद्रा भंडार

5777. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री वाई.वी. राव:

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में विदेशी मुद्रा भंडार में काफी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन महीनों में प्रत्येक माह का कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश का विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार दिसम्बर, 2002 के अंत के 70.4 बिलियन अमरीकी डालर से जनवरी, 2003 के अंत में 73.6 बिलियन अमरीकी डालर तक बढ़ गया। तथापि, फरवरी, 2003 में, एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक से करीब 3 बिलियन अमरीकी डालर की राशि के कुछ विदेशी मुद्रा ऋणों के पूर्व-भुगतान के कारण फरवरी, 2003 में विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार सीमांतिक रूप से 0.7 बिलियन अमरीकी डालर घटकर 72.9 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। बाद में, मार्च, 2003 के दौरान विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार 2.55 बिलियन अमरीकी डालर बढ़कर 75.4 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी मुद्रा बाजारों, घरेलू मुद्रा बाजार और देश के विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार की स्थिति की प्रवृत्तियों और गतिविधियों का सूक्ष्म मानिटरिंग करता है, और जब भी आवश्यक हो उचित उपाय भी किए जाते हैं।

[अनुवाद]

ढलवां लोहे का निर्यात

5778. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड की स्थापना के बाद भारत प्रमुख ढलवां लोहा निर्यातक के रूप में उभरा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके शुरू होने के बाद से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ढलवां लोहा का वर्ष-वार और देश-वार कितना निर्यात किया गया; और

(घ) इससे भारतीय रुपए में कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) महोदय, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड की स्थापना से पूर्व, विश्व बाजार में 5 प्रतिशत के हिस्से के साथ वर्ष 2001-2002 के दौरान देश का ढलवां लोहे का निर्यात 4 लाख मीट्रिक टन का रहा था। तथापि, 2002-2003 में नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड की स्थापना होने के पश्चात्, विश्व बाजार में 8 प्रतिशत हिस्से के साथ देश का निर्यात बढ़ कर 6.5 लाख मीट्रिक टन तक हो गया है।

(ग) वर्ष 2002-2003 के दौरान नीलांचल इस्पात निगम लि. द्वारा निर्यात किए गए ढलवां लोहे का देश-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

देश	मात्रा
कोरिया	27,500
थाइलैण्ड	80,622
मलेशिया	56,625
इंडोनेशिया	43,249
जापान	31,500
कुल	2,39,496

(घ) वर्ष 2002-2003 के दौरान उपरोक्त निर्यातों पर नीलांचल इस्पात निगम लि. ने विदेशी मुद्रा में 158.90 करोड़ रुपए अर्जित किए।

[हिन्दी] 105-06

विदेशी सहायता नीति की समीक्षा

5779. श्री पदमसेन चौधरी:
श्री तूफानी सरोज:
श्री सुरेश रामराव जाधव:

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अपनी विदेशी सहायता नीति की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अगले वित्तीय वर्ष में अत्यधिक ऋणी देशों का ऋण माफ करने का है;

(घ) यदि हां, तो देशवार कुल कितनी ऋण राशि माफ की जानी है;

(ङ) क्या सरकार ने 200 करोड़ रुपए की निधि से गठित "इंडिया डेवलेपमेंट इनीशिएटिव फंड" के साथ आयात-निर्यात और एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी निगम द्वारा सहायता प्राप्त निर्यात परियोजना के साथ समन्वय करने का भी निर्णय लिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) भारत को एक उत्पादन केन्द्र और निवेश गंतव्य स्थल के रूप में संवर्धित करने के लिए वर्ष 2003-04 के लिए 200 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ वित्त मंत्रालय में "भारत विकास पहल" नामक एक पहल की स्थापना की गयी है। यह संकल्पित है कि यह पहल विदेश में भारत की कार्यनीतिक महत्वपूर्ण आर्थिक हितों को बढ़ावा देगी।

(ग) और (घ) जी हां। सात अत्यधिक ऋणग्रस्त निर्धन देशों (एचआईपीसी) की बकाया राशियों को बट्टे खाते डालना प्रस्तावित है। बकाया राशियों का देशवार, विवरण निम्नानुसार है:

देश का नाम	बकाया राशियां (31.3.2003 की स्थिति के अनुसार)
तंजानिया	37.30 करोड़ रुपए
मोजाम्बिक	19.91 करोड़ रुपए
जाम्बिया	13.40 करोड़ रुपये
यूगांडा	5.332 मिलियन अमरीकी डालर
घाना	0.01 करोड़ रुपए
निकारागुआ	22.02 करोड़ रुपए
गुयाना	2.78 करोड़ रुपए

(ङ) जी नहीं।

(च) उपरोक्त (ङ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

निर्यात योग्य वस्तुओं की गुणवत्ता

5780. **श्री विष्णुदेव साय:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000-2001 से 2002-2003 की अवधि के दौरान भारत से कुल कितने मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया गया;

(ख) सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान निर्यात पूर्व वस्तुओं की गुणवत्ता की जांच के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं;

(ग) निर्यात पूर्व कितनी वस्तुएं घटिया स्तर की पाई गई थीं; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान निर्यात के बाद आयातक देशों द्वारा अस्वीकार कर दी गई वस्तुओं का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) भारत से निर्यातित वस्तुओं का कुल मूल्य क्रमश: वर्ष 2000-2001 में 44076 मिलियन अमरीकी डालर, 2001-2002 में 43795 मिलियन अमरीकी डालर और 2002-2003 में 51702 मिलियन अमरीकी डालर रहा था।

(ख) निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) अधिनियम 1963 जो 1964 में लागू हुआ था, के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसी अनेक वस्तुएं अधिसूचित की गई थीं जिनके लिए अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण और लदान-पूर्व निरीक्षण को अपरिहार्य बनाया गया है।

(ग) निर्यात के लिए घटिया माल की अनुमति नहीं दी जाती है।

(घ) तथापि, ईयू देशों द्वारा आयातों को अस्वीकार किए जाने के कुछेक मामले हमारी जानकारी में लाए गए हैं जो एंटीबायटिक अवशिष्टों, साल्मोनेला, नाइट्रोफ्यूरेंस इत्यादि की कथित मौजूदगी के कारण अधिकांशत: समुद्री उत्पादों से संबंधित हैं।

हीरों की तस्करी

5781. **श्री मानसिंह चौधरी:**
श्री हरिभाई चौधरी:

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में हीरों की तस्करी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान जब्त किये गये हीरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि विदेश व्यापार महानिदेशालय के भ्रष्ट अधिकारियों और तस्करों के बीच सांठगांठ के कारण तस्करी हो रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाही की गई है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान जब्त किए गए हीरों का ब्यौरा निम्न है:

वर्ष	पंजीकृत किए गए मामलों की संख्या	जब्त किए गए हीरों की कीमत (करोड़ रुपए में)
2000-2001	4	3.20
2001-2002	8	3.74
2002-2003	4	2.29

(ग) से (ङ) विदेश व्यापार निदेशालय के अधिकारियों और तस्करों के बीच कोई सांठ-गांठ सरकार के नोटिस में नहीं आई है।

[अनुवाद]

आदिवासी योजना में स्वैच्छिक संगठनों का शामिल होना

5782. **श्रीमती कान्ति सिंह:** क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार और झारखंड में "ट्राइफेड" के माध्यम से स्वैच्छिक संगठन आदिवासियों से संबंधित योजना को क्रियान्वित कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इन संगठनों को कितनी धनराशि जारी की गई और इन संगठनों में से प्रत्येक द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक योजनावार कितनी धनराशि का उपयोग किया गया?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राजस्थान में नमक इकाईयां

5783. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान देश में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है;

(ख) यदि हां, तो राज्य में स्थानवार स्थित नमक इकाईयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राजस्थान में छोटे नमक उत्पादक अपने उत्पादन को सीधे नहीं बेच पा रहे हैं अथवा उनके पास लदान सुविधा उपलब्ध नहीं है और इसके फलस्वरूप उन्हें अपने उत्पादन का लाभकारी मूल्य नहीं मिल पा रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्र सरकार से इस समस्या की जांच करने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी, नहीं। गुजरात और तमिलनाडु के बाद राजस्थान तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है। राजस्थान में नमक इकाइयों के स्थापना वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	स्थापना स्थल	इकाईयों की संख्या
1.	फलौदी	455
2.	पोखरन	43
3.	डिडवाना	5
4.	सुजानगढ़	43
5.	कुचामन सिटी	41
6.	नावा सिटी एंड राजाज	926
7.	सांभर लेक	1
8.	पचपाद्रा	150
	कुल	1664

(ग) राज्य में नमक का औसत उत्पादन 15 लाख टन है जिसमें से लगभग 6.24 लाख टन आयोडीकृत नमक क्षेत्रीय योजनाओं के अन्तर्गत रेल तथा सड़क द्वारा खाद्य प्रयोजनार्थ विभिन्न उपभोक्ता राज्यों को भेजा जाता है और लगभग 6.75 लाख टन नमक औद्योगिक प्रयोग के लिए भेजा जाता है। नमक उत्पादन करने वाले क्षेत्रों अर्थात् सांभर, नावा, गोविन्दी मारवाड़, कुचामनसिटी तथा फलौदी में लदान सुविधाएं हैं तथा विनिर्माता अपने उत्पाद को लाभकारी मूल्यों पर भेजने के लिए उन सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं।

(घ) राजस्थान सरकार ने रेल मंत्रालय, भारत सरकार से नमक विनिर्माताओं के लिए निम्नलिखित सुविधाओं के लिए अनुरोध किया है:

(1) सभी लदान स्टेशनों पर थोड़ा-थोड़ा करके लदान।

(2) नमक विनिर्माताओं के लिए क्षेत्रीय कोटा का आरक्षण।

(3) 200 कि.मी. की दूरी के भीतर रेलवे स्टेशनों पर थोड़ा-थोड़ा करके रैक लदान सुविधाएं।

(4) नमक के परिवहन हेतु राजस्थान के लिए अतिरिक्त लिंकेज की व्यवस्था करना, तथा

(5) नमक लदान सुविधाएं।

(ङ) राजस्थान सरकार द्वारा उठाये गये अधिकांश मुद्दों पर पहले कार्य शुरू कर दिया गया है। निम्नलिखित उपाय किये गये हैं:

(1) सामान्य नमक विनिर्माताओं को, जिन्होंने आयोडीकृत संयंत्र स्थापित कर रखे हैं, क्षेत्रीय योजना के अन्तर्गत उत्पाद को स्थानांतरित करने के लिए कोटा प्रदान किया जाता है।

(2) क्षेत्रीय योजना के अन्तर्गत राजस्थान से विभिन्न उपभोक्ता राज्यों, अर्थात् बिहार, झारखंड, दिल्ली आदि, को लिंकेज प्रदान किया गया है। नमक उत्पादन करने वाले राज्यों को उनके सामान्य नमक उत्पादन के आधार पर वैगन का आवंटन किया जाता है।

(3) राज्य में नमक उत्पादन करने वाले क्षेत्रों को लदान सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

[अनुवाद]

तम्बाकू उत्पादकों की स्थिति

5784. डा. राजेश्वरम्मा वुक्कला: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश के तम्बाकू उत्पादकों के एक शिष्टमंडल ने हाल ही में उनके साथ एक बैठक की थी और दयनीय स्थिति में जी रहे तम्बाकू उत्पादकों की सहायता करने का अनुरोध किया था;

(ख) यदि हां, तो तम्बाकू उत्पादकों की मुख्य मांगें क्या हैं; और

(ग) सरकार की उनकी मांगों के संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) जी हां। शिष्टमंडल की प्रमुख मांगें निम्नानुसार हैं।

(1) चालू विपणन मौसम के दौरान बाजार की हस्तक्षेप की कार्यवाई करने के लिए तम्बाकू बोर्ड को अनुमति देना।

(2) एफसीवी तम्बाकू के लिए अनन्य रूप से कीमत स्थिरीकरण निधि का सृजन करना।

(3) तम्बाकू बोर्ड द्वारा फसल उत्पादन के विनियमन और अलग-अलग फसल के कोटे के निर्धारण को जारी रखना। इस संबंध में "पियर रिव्यू" समिति की सिफारिशों की अनदेखी की जानी चाहिए।

(4) दसवीं योजना के दौरान तम्बाकू बोर्ड को 54.50 करोड़ रु. की योजनागत सहायता दी जाए।

(5) तम्बाकू क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी जानी चाहिए और विदेशी व्यापारियों को बाजार में प्रतिस्पर्धा लोन के लिए नीलामियों में सीधे भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए।

(ग) तम्बाकू बोर्ड के लिए बाजार में हस्तक्षेप करना तब अपेक्षित होता है जब फ्लयू क्योर्ड वर्जीनियां (एफसीवी) तंबाकू की कीमतें न्यूनतम समर्थन कीमत (एमएसपी) से कम हो जाती है। इस समय आन्ध्र प्रदेश में चल रही तंबाकू की नीलामियों में विद्यमान कीमतें एमएसपी से अधिक हैं। सरकार ने विधिवत् विचार करने के बाद तंबाकू उत्पादकों के साथ-साथ कुछ अन्य बागान किस्मों के लिए कीमत स्थिरीकरण निधि की स्थापना पहले ही कर दी है। बोर्ड को दो करोड़ रुपए की योजनागत सहायता उपलब्ध कराई गई है। जहां तक "पियर रिव्यू" का संबंध है, उक्त रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। वर्तमान औद्योगिक नीति के अन्तर्गत तंबाकू के सिगारों और सिगरेटों तथा अविनिर्मित तंबाकू के प्रतिस्थापनों में निवेश को अनिवार्य लाइसेंसिंग के अधीन रखा गया है।

[हिन्दी]

हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन प्रकोष्ठ

5785. योगी आदित्यनाथ: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हस्तशिल्प निर्यात संवर्धक प्रकोष्ठ स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकोष्ठ को स्थापित करने के क्या उद्देश्य हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड़ा पाटिल (यत्नाल)]: (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, सरकार ने वर्ष 1986 में हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद्, नई दिल्ली की स्थापना की थी। इसकी स्थापना उच्च गुणवत्ता वाली हस्तशिल्प वस्तुओं एवं सेवाओं की विश्वसनीय आपूर्तिकर्त्ता के रूप में भारत की छवि प्रदर्शित करने के उद्देश्य से और अन्तर्राष्ट्रीय मानकों और विनिर्देशों को बनाए रखने के लिए विभिन्न उपायों को सुनिश्चित करने हेतु की गई।

(ग) हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद्, नई दिल्ली की स्थापना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार से हैं: हस्तशिल्प निर्यात के विकास एवं उसे बढ़ाने में अपने निर्यातक सदस्यों को वाणिज्यिक रूप से लाभदायक सूचना एवं सहायता मुहैया कराना और प्रौद्योगिक उन्नयन, गुणवत्ता एवं डिजाइन सुधार के क्षेत्र में व्यावसायिक सलाह देना; विदेशी बाजार अवसरों का पता लगाने के लिए विदेशों में दौरों का आयोजन करना; क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन, विदेशों में व्यापार मेलों/समारोहों में भाग लेना; हस्तशिल्पों के निर्यातकों और केन्द्रीय और राज्य स्तर की दोनों सरकारों के मध्य परस्पर क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करना और हस्तशिल्पों के निर्यात के सांख्यिकी आंकड़े और संबद्ध आन्तरिक व्यापार आंकड़ों का रख-रखाव करना।

फलों और सब्जियों का निर्यात/आयात

[अनुवाद]

5786. श्री अब्दुल रशीद शाहीन:
श्री राम टहल चौधरी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान भारत द्वारा कितनी मात्रा में कितने मूल्य के फलों और सब्जियों का आयात और निर्यात किया गया;

(ख) क्या देश में 20 प्रतिशत से 50 प्रतिशत फलों और सब्जियों के खराब होने के बावजूद फलों और सब्जियों का आयात किया जाता रहा है;

(ग) यदि हां, तो फलों और सब्जियों के आयात के कारण देश के किसानों को अनुमानत: कितनी हानि उठानी पड़ी है; और

(घ) सरकार द्वारा सब्जियों और फलों के आयात पर प्रतिबंध लगाने हेतु क्या उपचारात्मक उपाय किए हैं ताकि सब्जियां और फल खराब न हों?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में आयातित एवं यहां से निर्यातित फलों एवं सब्जियों की मात्रा एवं मूल्य संबंधी आंकड़े वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा प्रकाशित ''भारत के विदेश व्यापार के मासिक आंकड़े खण्ड-1 (निर्यात), खण्ड-2 (आयात) वार्षिक अंक'' नामक प्रकाशन में दिए गए हैं जो संसद के पुस्कालय में उपलब्ध है।

(ख) से (घ) फलों एवं सब्जियों सहित सभी मदों को आयात प्रक्रिया पुस्तिका में निर्धारित आयात-निर्यात नीति तथा प्रक्रियाओं के अनुसार अनुमत्य हैं। देश में आयात किए जा रहे कुछेक फल एवं सब्जियां घरेलू रूप से उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। मात्रात्मक प्रतिबंध जिन्हें पहले भुगतान संतुलन के आधार पर लगाया गया था, को आर्थिक उदारीकरण नीति के अनुक्रम में तथा बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति देश की वनचबद्धता के अनुसार हटा दिया गया है। किसी वस्तु का घरेलू उत्पादन कभी-कभी ही ऐसी वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाने का आधार बनता है। इसके अलावा, सभी प्राथमिक कृषि उत्पादों के आयात को पौधा, फल एवं बीज (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 1989 की शर्तों के अनुसार कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा जारी किए गए जैव सुरक्षा एवं स्वच्छता तथा पादप स्वच्छता आयात परमिट के अधीन रखा गया है।

कर्नाटक के वस्त्र उद्योग हेतु विशेष पैकेज

5787. श्री ए. वेंकटेश नायक: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने वस्त्र उद्योग हेतु विशेष पैकेज की मांग करते हुए कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) यद्यपि मंत्रालय को कर्नाटक सहित, विभिन्न राज्य सरकारों से, अपने द्वारा प्रशासित की जा रही मौजूदा योजनाओं के तहत प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, फिर भी कर्नाटक राज्य से वस्त्र उद्योग के लिए विशेष पैकेज संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

आयकर विवरणी दाखिल करना

5788. श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान गत 2-3 महीनों के दौरान राष्ट्रीय दैनिक समाचार-पत्रों और अन्य समाचार-पत्रों में विशिष्ट श्रेणी के व्यक्तियों द्वारा समय पर आयकर विवरणी दाखिल करने हेतु आयकर विभाग द्वारा प्रकाशित विज्ञापनों की ओर दिलाया गया है जिसका लक्ष्य समय पर आयकर विवरणी दाखिल न करने के कानूनी परिणामों के बजाय व्यक्तियों को डराना और मानसिक रूप से उन्हें प्रताड़ित करना है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं कि ऐसे विज्ञापन व्यक्तियों को डराने और प्रताड़ित करने की बजाए आयकर विवरणी दाखिल करने में विलम्ब होने पर कानूनी परिणामों के बारे में जानकारी दें?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) विवरणियों को समय पर दायर करने के लिए विज्ञापन अभियान का उद्देश्य डराना अथवा मानसिक उत्पीड़न नहीं था। इसमें पात्र करदाताओं का ध्यान आकर्षित करने के मनोरंजक तरीके शामिल थे।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं होता।

निर्यात के मामले

5789. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जून, 2001 की स्थिति के अनुसार 11,735 करोड़ रुपये की निर्यात आय संबंधी वसूली के मामले लंबति थे जिसमें से 7,549 करोड़ रुपये दो वर्षों से भी अधिक समय से बकाया थे;

(ख) यदि हां, तो उसकी वसूली न किये जाने के क्या कारण थे;

(ग) क्या 2,182.63 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की वसूली न होने वाले 5262 ऐसे मामले थे, जिसमें निर्यात प्रोत्साहनों का लाभ उठाया गया था और जिनमें 521.58 करोड़ रुपये के शुल्क प्रोत्साहन सहित 188.63 करोड़ रुपये का ब्याज वसूल किया जाना था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भविष्य में विदेशी मुद्रा की वसूली न होने के कारण इतनी भारी हानि से बचने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए/किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) 30 जून, 2001 को बकाया कुल निर्यात बिल की राशि 15264.90 करोड़ रुपए थी, जिसमें से दो वर्षों से अधिक से बकाया निर्यात बिलों की राशि 8628.20 करोड़ रुपए थी।

(ख) निर्यात बिलों की वसूली कई कारणों से नहीं हुई जैसेकि विश्वव्यापी अथव्यवस्था में मंदी, वस्तुओं की गुणवत्ता संबंधी विवाद, कानूनी विवाद, बट्टे खाते डालने के प्रस्तावों/वसूली की अवधि बढ़ाए जाने पर विचार किया जाना, विदेशी विक्रेताओं का दिवालिया हो जाना, निर्यातकों द्वारा पक्रामित प्रलेखों पर विवाद, सीआईएस देशों से प्रभावित प्रत्यावर्तन और विभिन्न अफ्रीका देशों की भुगतान संतुलन संबंधी समस्याएं तथा विदेशीकरण की समस्याओं के कारण निर्यात से वसूली की आमदनी का विदेशी मुद्रा में प्रत्यावर्तन लंबित होना आदि।

(ग) और (घ) निर्यात प्राप्तियों की वसूली एक चालू प्रक्रिया है और मामलों की संख्या और वसूल नहीं की गई विदेशी मुद्रा की राशि समय-समय पर भिन्न-भिन्न होती रहती है। जबकि भारतीय रिजर्व बैंक निर्यात प्राप्तियों की वसूली को मानीटर करता है, वहीं संगत अधिनियमों के उपबंधों के अधीन सरकार द्वारा उन मामलों, जहां विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत निर्यात प्रोत्साहन प्राप्त किए जाते हैं परन्तु निर्यात प्राप्तियां वसूल नहीं की जाती, में कार्रवाई की जाती है। दिनांक 1.3.2003 की यथास्थिति चूककर्ता निर्यातकों को वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा 23,500 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं और लगभग 93 करोड़ रुपए तक की ड्राबैक की राशि वसूल की गई है।

(ङ) निर्यात प्राप्तियों की वसूली के लिए मानीटरिंग प्रणाली को निर्यात प्राप्तियों की शीघ्र वसूली के लिए और सुदृढ़ किया गया है।

[हिन्दी]

मिलियन शैलो टयूब

5790. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में मिलियन शैलो ट्यूब स्कीम (एमएसटी) शुरू की गई है जिसके अंतर्गत किसानों को बैंकों से ऋण दिया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2002 तक बिहार राज्य में बैंकों को कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए और कितने आवेदनों पर ऋण राशि वितरित की गई;

(ग) क्या लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त योजना को सफल बनाने में सहयोग न करने वाले बैंकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई/किए जाने की संभावना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, हां। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) केन्द्र सरकार की सहायता से वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सहयोग से बिहार में मिलियन शैलो टयूबवैल कार्यक्रम (एमएसटीपी) का कार्यान्वयन कर रहा है।

(ख) नाबार्ड ने सूचित किया है कि भागीदार बैंकों के पास 31 मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार उपलब्ध सूचना के अनुसार 54815 ऋण आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 39614 आवेदकों को ऋण मंजूर किए गए हैं।

(ग) और (घ) वर्ष 2001-2002 में कार्यान्वयन के पहले वर्ष के दौरान योजना का कार्यान्वयन धीमा रहा था। तथापि योजना

के कार्यान्वयन के लिए किए गये कई उपायों से वर्ष 2002-2003 के अंत की स्थिति के अनुसार उपलब्धियां लक्ष्य के 82 प्रतिशत से अधिक थीं। नाबार्ड द्वारा योजना की प्रगति की कई स्तरों पर नियमित रूप से पुनरीक्षा की जाती है। नाबार्ड ने योजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कई उपाय भी किए हैं, जैसे सभी शेयरधारकों को सुग्राही बनाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम शुरू करना, राज्य के सभी जिलों में कार्यशालाएं, संगोष्ठियां आयोजित करना, स्थानीय समाचार-पत्रों में व्यापक प्रचार करना, ऋण मंजूरी एवं संवितरण प्रक्रियाओं को सरल बनाना, कृषकों को अपनी पसन्द की आस्तियां खरीदने के लिए कृषकों के नकदी का संवितरण करना, आदि।

[अनुवाद]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विफल होना

5791. **श्री चाडा सुरेश रेड्डी:**
श्री पवन कुमार बंसल:
श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आमूल चूल परिवर्तन करने हेतु एक बैठक आयोजित करने का है ताकि देश के सभी गरीब लोगों को उसमें कवर किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की विफलता के कारणों का विश्लेषण किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुव्यवस्थित बनाने हेतु क्या सुधारात्मक उपाय किए गए/किए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) और (ख) जी, हां। यह प्रस्ताव है कि देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए उपायों पर चर्चा करने हेतु एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए।

(ग) से (ङ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के अधीन चलाई जाती है, जिसमें केंद्र सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की वसूली, भंडारण और केंद्रीय गोदामों तक ढुलाई करने के लिए जिम्मेदार हैं तथा राज्य उपभोक्ताओं की पहचान करने और राशन कार्ड जारी करने तथा देश में मौजूद लगभग 4.75 लाख उचित दर दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से उन्हें इनका वितरण करने के लिए जिम्मेदार हैं। नियमित रूप से समीक्षा करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुप्रवाही बनाना और सुधारात्मक उपाय करना एक सतत् प्रक्रिया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी, कुशल और जवाबदेह बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अधीन 31.8.2001 को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के उपबंधों के अनुसार केंद्रीय गोदामों से उचित दर दुकानों तक अथवा उचित दर दुकानों के परिसर में स्टाक में जानबूझकर किया गया अपमिश्रण, प्रतिस्थापन, विपथन और चोरी आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7 के अधीन आपराधिक रूप से दण्डनीय होंगे। इस आदेश में निम्नलिखित के लिए भी प्रावधान हैं:

(क) राज्य सरकारें उचित दर दुकानों की मानीटरिंग की उचित प्रणाली सुनिश्चित करेंगी और माडल बिक्री रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर और राशन कार्ड रजिस्टर विहित करेंगी।

(ख) राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि नामित प्राधिकारी द्वारा उचित दर दुकानों का 6 माह में कम से कम एक बार नियमित निरीक्षण किया जाए। राज्य सरकारें निरीक्षण अनुसूची, जांच बिन्दुओं की सूची और उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार प्राधिकारी को निर्दिष्ट करते हुए आदेश जारी कर सकती हैं।

(ग) राज्य, जिला, ब्लाक और खाद्य और सार्वजनिक वितरण स्तर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी सतर्कता समितियों की बैठकें नियमित आधार पर की जाएंगी। तारीख और आवधिकता राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएगी। तथापि, यह आवधिकता सभी स्तरों पर एक-तिमाही में एक बार से कम नहीं होगी।

(2) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कहा गया है कि वे सामाजिक लेखापरीक्षा के उपाय के रूप में उचित दर दुकानों के कार्यकरण की मानीटरिंग के काम में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों और शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकायों को सक्रिय रूप से शामिल करें।

(3) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उपभोक्ताओं तक आवश्यक वस्तुओं को पारदर्शी और जावाबदेह तरीके से कुशलतापूर्वक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा अपनाए जाने हेतु एक माडल सिटीजन चार्टर जारी किया है।

सड़कों/पुलों के लिए नाबार्ड से वित्त पोषण

5792. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नाबार्ड सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ गुजरात को कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(ग) क्या गुजरात सरकार सहित कुछ राज्य सरकारों ने ग्रामीण क्षेत्रों में पक्की सड़कें बनाने हेतु नाबार्ड से ऋण की मांग की थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नाबार्ड की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) राज्यवार ऐसी कितनी सड़कें/पुल हैं जिसके लिए नाबार्ड की सहायता से निर्माण कार्य शुरू किया गया/शुरू किए जाने की संभावना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ग्रामीण आधारिक विकास निधि (आरआईडीएफ) से सड़कों एवं पुलों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देता रहा है पिछले तीन वर्षों (1992-2002) के दौरान गुजरात सरकार को आरआईडीएफ में से सड़कों एवं पुलों के निर्माण के लिए मंजूर किए गए ऋणों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

(करोड़ रुपए)

क्रमांक	वर्ष	सड़कें		पुल	
		सं.	संवितरण	सं.	संवितरण
1.	1999-2000	3652	199.54	-	-
2.	2000-2001	600	282.60	26	30.45
3.	2001-2002	-	-	-	-
	कुल	4252	482.14	26	30.45

(ग) और (घ) नाबार्ड ने सूचित किया है कि वह आरआईडीएफ से पक्की सड़के बनाने के लिए ऋण नहीं दे रहा है। तथापि, मूलत: मौजूदा जल भराव वाली पक्की सड़कों पर कोलतार बिछाने के लिए ऋण दिए जाते रहे हैं।

(ङ) आरआईडीएफ की विभिन्न शृंखलाओं के तहत नाबार्ड द्वारा मंजूर सड़कों/पुलों के लिए परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

31.3.2003 के अनुसार ग्रामीण आधारिक विकास निधि (आर आई आई डी एफ) की विभिन्न शृंखलाओं के अन्तर्गत नाबार्ड द्वारा मंजूर सड़कों/पुलों हेतु परियोजनाओं की संख्या के राज्य-वार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य का नाम	ग्रामीण सड़क	ग्रामीण पुल
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	1592	278
2.	अरुणाचल प्रदेश	11	6
3.	असम	6	174
4.	बिहार	3	56
5.	छत्तीसगढ़	133	157
6.	गोवा	97	13
7.	गुजरात	4776	3778
8.	हरियाणा	62	29
9.	हिमाचल प्रदेश	227	120
10.	जम्मू एवं कश्मीर	508	53
11.	झारखंड	1	2
12.	कर्नाटक	2539	456
13.	केरल	529	220
14.	मध्य प्रदेश	401	150
15.	महाराष्ट्र	4959	1195
16.	मेघालय	137	60
17.	मिजोरम	2	60

1	2	3	4
18.	नागालैंड	97	2
19.	उड़ीसा	71	283
20.	पंजाब	339	51
21.	राजस्थान	5788	22
22.	सिक्किम	37	26
23.	तमिलनाडु	4001	719
24.	उत्तर प्रदेश	9582	274
25.	उत्तरांचल	289	55
26.	पश्चिम बंगाल	850	105
	कुल	37037	8409

गरीबी रेखा से नीचे की सूची में शामिल किया जाना

5793. श्री चन्द्र विजय सिंह: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि अनेक राज्यों में पात्र परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) वाली सूची में शामिल करने से मना कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार ऐसे कितने मामलों का पता चला है; और

(ग) सरकार द्वारा बी.पी.एल. प्रणाली को चूकरहित बनाने हेतु क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबाष महरिया): (क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के अधीन चलाई जाती है, जिसमें राज्य सरकारें अन्य बातों के साथ-साथ गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान करने के लिए जिम्मेदार हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के अधीन योजना आयोग के गरीबी रेखा से नीचे के 6.52 करोड़ परिवारों के अनुमान की तुलना में अधिक परिवारों की पहचान की गई है और राशन कार्ड जारी किए गए हैं।

(ख) और (ग) 1997 में जारी गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान से संबंधित दिशानिर्देशों में इस बात पर बल दिया गया है कि समाज के वास्तव में गरीब और कमजोर वर्गों को शामिल करने पर जोर दिया जाना चाहिए। राज्यों को अनुदेश दिए गए हैं कि गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान करने के कार्य में ग्रमीण क्षेत्रों में पंचायती राज्य संस्थाओं और शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकायों को सक्रिय रूप से शामिल किया जाए।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001, जो 31.8.2001 से प्रभावी हुआ है, में यह व्यवस्था है कि राज्य सरकारें ग्राम सभा की बैठक में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की सूची को अंतिम रूप देंगी। अपात्र परिवारों के नाम काटने और पात्र परिवारों को सूची में शामिल करने के प्रयोजनार्थ इन सूचियों की प्रत्येक वर्ष समीक्षा की जानी भी अपेक्षित है।

[हिन्दी]

एसबीआई के एटीएम

5794. श्री बृज भूषण शरण सिंह: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय स्टेट बैंक द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कितने एटीएम केन्द्र खोले गए हैं;

(ख) ये किन-किन स्थानों पर खोले गए हैं;

(ग) भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दिल्ली में एटीएम लगाने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(घ) क्या मानदंडों का उल्लंघन करके भी एटीएम केन्द्र खोले गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाही की गई है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

केरल को धनराशि

5795. श्री पी. राजेन्द्रन: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान वर्षवार और योजनावार केरल राज्य सरकार हेतु चालू और नई केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई;

(ख) क्या धनराशि का उपयोग प्रतिशत संतोषनजक नहीं है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत दो वर्षों के दौरान राशि का उपयोग न किए जाने अथवा राज्य के अंशदान की अदायगी न करने के कारण राज्य के राजकोष में कितनी राशि व्यपगत हुई?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत निधियां केरल सहित राज्य सरकारों को केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपनाए गए विभिन्न निधियन प्रतिमानों के आधार पर मुहैया कराई जाती हैं। जबकि, वित्त मंत्रालय केरल सहित राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता योजना आयोग द्वारा अनुमोदित वार्षिक योजनाओं के आधार पर राज्य योजना के साथ-साथ ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर गैर-योजना के अंतर्गत मुहैया कराता है।

(ख) से (घ) अगली धनराशि संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत राज्य के शेयर के उपयोग तथा विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिए केरल सहित राज्य सरकारों को विगत में मुहैया कराई गई किस्तों के उपयोग के आधार पर जारी की जाती है। वित्तीय सहायता की उपयोगिता के औचित्य हेतु राज्य सरकारें (केरल सहित) अपने-अपने विधान-मण्डलों के प्रति जवाबदेह होती हैं।

राज्यों को केन्द्रीय सहायता

5796. **श्री राम प्रसाद सिंह:** क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात राज्य सरकार से 70 प्रतिशत अनुदान और 30 प्रतिशत ऋण के आधार पर अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता जारी करने संबंधी मानदंडों को संशोधित करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई विचार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या विगत में कतिपय राज्यों को ई.ए.पी. के मामले में इस प्रकार की छूट दी गई थी;

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की गुजरात राज्य सरकार के प्रस्ताव पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब लागू किए जाने की संभावना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) जी, हां। वित्त मंत्रालय को गुजरात सरकार से गुजरात भूकम्प से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए प्राप्त ऋणों के बदले अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के ऋण-अनुदान औसत को 70 प्रतिशत ऋण और 30 प्रतिशत अनुदान से बदलकर 30 प्रतिशत ऋण और 70 प्रतिशत अनुदान करने संबंधी एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

आपदा का मुकाबला करने हेतु विदेशी सहायता के लिए मौजूदा फार्मूले में संशोधन करने के बारे में विभिन्न राज्यों से समय-समय पर अनुरोध प्राप्त होते रहे हैं। तथापि, केन्द्र सरकार ने विगत में किसी राज्य को इस प्रकार की छूट नहीं दी है।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार के आदिवासियों को प्रशिक्षण

5797. **श्री अरुण कुमार:** क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार के आदिवासियों को जड़ी-बूटियों और कीमती पौधों की खेती के लिए प्रशिक्षण देने का कोई प्रबंध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) जनजातीय कार्य मंत्रालय में जड़ी-बूटियों और कीमती पौधों की खेती के लिए प्रशिक्षण देने की कोई विशिष्ट योजना नहीं है। तथापि, मंत्रालय रामकृष्ण (आर.के.) मिशन, मोराबादी, रांची की ''दिव्ययान'' परियोजना को बिहार सहित कई राज्यों की जनजातियों को कृषि और संबद्ध विषयों में प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए निधियां प्रदान कर रहा है।

(ख) और (ग) आर.के. मिशन आश्रम, मोराबादी, रांची जनजातीय किसानों के लिए संयुक्त प्रेरक कार्यक्रम और कृषि शास्त्र, उद्यान कृषि, मुर्गीपालन और दुग्ध कृषि, पम्प मरम्मत, बढ़ईगिरी, वैल्डिंग, मधुमक्खीपालन और मत्स्यपालन आदि में विशेष पाठ्यक्रम आयोजित कर रहा है।

[अनुवाद]

कृषि में नई औद्योगिकी को अपनाना

5798. **श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्यात गुणवत्ता वाले चावल की खेती हेतु आदानों पर 50 प्रतिशत राजसहायता बढ़ाने के बावजूद भी किसान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर पा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) नई प्रौद्योगिकियां अपनाकर कृषि को किफायती बनाने हेतु क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वस्त्र कामगार पुनर्वास योजना

5799. **श्री दिलीप संघाणी:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वस्त्र कामगार पुनर्वास योजना (टी डब्ल्यू आर एस) का दायरा बढ़ाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना से कितने वस्त्र कामगारों के लाभान्वित होने की संभावना है; और

(ग) सरकार द्वारा वस्त्र उद्योग की अन्य चिरलंबित मांगों को सुलझाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) और (ख) सरकार ने दिनांक 5 फरवरी, 2002 से स्थायी, बदली अथवा नैमित्तिक सहित उन सभी कामगारों की प्रतिमाह 2500 रुपए की मजदूरी सीमा को 3500 रुपए प्रतिमाह तक बढ़ाते हुए टी.डब्ल्यू.आर.एफ.एस. के क्षेत्र को बढ़ा दिया था:

1. जो किसी ऐसी बंद वस्त्र मिल में, इनके बंद होने की तिथि को कार्यरत रहे हैं; और
2. मिल के बंद होने से पूर्व पांच या अधिक वर्षों के लिए लगातार सेवा में हों; और
3. जो क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के रिकार्ड में दर्ज हों; और
4. पात्र वस्त्र मिल से दिनांक 05.02.2002 से पूर्व प्रतिमाह 2500 रुपए अथवा उससे कम तक की मजदूरी अर्जित कर रहे हों अथवा पात्र वस्त्र मिल से जो दिनांक 05.02.2002 को या उसके पश्चात् बंद हुई हो, से प्रतिमाह 3500 रुपए अथवा से कम तक की मजदूरी अर्जित कर रहे हो; और
5. गैर-कानूनी हड़ताल पर नहीं रहे हों और उन कामगारों की त्रुटि के कारण मिल बंद नहीं हुई थी।

योजना की शुरूआत से दिनांक 31.03.2003 तक, 41 मिलें जिनमें 88809 कामगार कार्यरत हैं, को इस योजना के तहत पात्र पाया गया है और कुल 72118 कामगारों को 163.73 करोड़ रुपए की सहायता राशि संवितरित की गई है।

(ग) सरकार को, समय-समय पर वस्त्र उद्योग की ओर से आधुनिकीकरण, शुल्कों व करों में छूट, अध्यसंरचना विकास, कुछ क्षेत्रों का विकेंद्रीकरण, सैनवाट शृंखला को पूरा करना आदि के लिए अनुरोध प्राप्त होते रहे हैं। सरकार द्वारा, वस्त्र उद्योग की इन मांगों को पूरा करने के लिए विभिन्न कदम/योजनाएं आरंभ/प्रस्तावित की गई हैं, जिनमें शामिल हैं:-

1. वस्त्र क्षेत्र को आधुनिकीकरण व उन्नयन की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना आरंभ करना।
2. केंद्रीय बजट वर्ष 2003-04 में फाईबर, यार्न, फैब्रिक/मेड-अप्स तथा सिले-सिलाए परिधानों (आरएमजी) पर उत्पाद-शुल्क को एक-साथ युक्तिसंगत बनाते हुए समस्त वस्त्र मूल्य-वर्द्धित शृंखला के लिए सैनवाट शृंखला को पूरा करना।
3. अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी सहित विशिष्ट वस्त्र मशीनों पर 5 प्रतिशत की रिआयती दर का उत्पाद शुल्क।
4. लघु उद्योग क्षेत्र से बुने हुए सिलेसिलाए परिधान का अनारक्षण।
5. परिधान उत्पादन व निर्यात के लिए अपैरल पार्क विकसित करना।
6. कपास उत्पादन व गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कपास प्रौद्योगिकी मिशन आरंभ करना।
7. कुछ अपवादों के अतिरिक्त इस क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से 100 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी भागीदारी को अनुमति प्रदान करना।

8. कुछ वस्त्र उत्पादों के लिए डीईपीबी दरों को युक्तिसंगत बनाना।

9. विकेंद्रीकृत क्षेत्र में वर्ष 2004 तक 50,000 शटलरहित करघों को स्थापित करने तथा 2.5 लाख विद्युत करघों का आधुनिकीकरण करने का एक कार्यक्रम भी आरंभ किया गया है।

10. बजट प्रस्ताव 2003-04 में, वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सरकार अर्थक्षम तथा संभावित अर्थक्षम वस्त्र एककों के ऋण पोर्टफोलियो की पुनर्संरचना के लिए एक प्रणाली पर विचार कर रही है।

एन.टी.सी. मिलों का पुनर्गठन

5800. **डा. मन्दा जगन्नाथ:**
श्री पी.एस. गढ़वी:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार एन टी सी और इसकी अनुषंगी (मुख्यालयों) के पुनर्गठन के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और कितनी एन टी सी मिलों का पुनरुद्धार किए जाने की संभावना है;

(ग) एन टी सी के अनुषंगी मुख्यालयों के पुनर्गठन के बारे में बी आई एफ आर की क्या सिफारिशें हैं;

(घ) क्या मंत्रियों के समूह ने भी एन टी सी प्रबंधन से सलाह किए बिना एन टी सी और इसकी अनुषंगी (मुख्यालयों) के पुनर्गठन की सिफारिश की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या एन टी सी प्रबंधन द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर विचार किया गया था; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड़ा पाटिल (यत्नाल)]: (क) से (ग) एनटीसी की रुग्ण सहयोगी निगमों के लिए अनुमोदित पुनरुद्धार योजना के अनुसार, कुल 119 मिलों में से 66 गैर-अर्थक्षम मिलें बंद की जाएंगी। इनमें से 33 मिलों को पहले ही, इनमें कार्यरत कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना प्रदान करने के पश्चात् बंद कर दिया गया है और शेष को वर्तमान वित्तीय वर्ष में बंद किया जाना संभावित है। चूंकि एनटीसी के अंतर्गत केवल 53 मिलें शेष रहेंगी, इसलिए यह अनुभव किया गया कि सहयोगी निगमों की संख्या घटाई जा सकती है। पुनर्संरचना हेतु व्यवस्था की एक विस्तृत योजना तैयार की जा रही है और सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् इसे क्रियान्वित किया जाएगा। एनटीसी की उन मिलों की सूची, जिनका पुनरुद्धार संभावित है, संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) से (छ) एनटीसी प्रबंधन सहित, सभी दृष्टिकोणों पर विचार करने के पश्चात् पुनर्संरचना का निर्णय लिया गया था।

विवरण

पुनरुद्धार हेतु मिलों की सूची

क्र.सं.	कम्पनी	मिल	राज्य
1	2	3	4
1.	एनटीसी (डीपीएंडआर)	उदयपुर काटन मिल्स	राजस्थान
2.	एनटीसी (डीपीएंडआर)	खरड़ टैक्सटाईल मिल्स	पंजाब
3.	एनटीसी (डीपीएंडआर)	महालक्ष्मी मिल्स	राजस्थान
4.	एनटीसी (डीपीएंडआर)	श्री बिजोय काटन मिल्स	राजस्थान
5.	एनटीसी (डीपीएंडआर)	सूरज टैक्सटाईल मिल्स	पंजाब
6.	एनटीसी (एपीकेके एंड एम)	अलगप्पा टैक्सटाईल मिल्स	केरल

1	2	3	4
7.	एनटीसी (एपीकेके एंड एम)	कन्नानूर स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स, कन्नानूर	केरल
8.	एनटीसी (एपीकेके एंड एम)	कन्नानूर स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स, माहे	पांडिचेरी
9.	एनटीसी (एपीकेके एंड एम)	केरल लक्ष्मी मिल्स	केरल
10.	एनटीसी (एपीकेके एंड एम)	विजयामोहिनी मिल्स	केरल
11.	एनटीसी (एपीकेके एंड एम)	मिनर्वा मिल्स	कर्नाटक
12.	एनटीसी (एपीकेके एंड एम)	पार्वथी मिल्स	केरल
13.	एनटीसी (एपीकेके एंड एम)	श्री यालम्मा काटन मिल्स	कर्नाटक
14.	एनटीसी (एपीकेके एंड एम)	तिरुपति काटन मिल्स	आंध्र प्रदेश
15.	एनटीसी (एपीकेके एंड एम)	अनन्तपुर काटन मिल्स	आंध्र प्रदेश
16.	एनटीसी (एमएन)	इंडिया यूनाइटिड मिल्स डाई वर्कस	महाराष्ट्र
17.	एनटीसी (एमएन)	इंडिया यूनाईटिड मिल न. 1	महाराष्ट्र
18.	एनटीसी (एमएन)	कोहिनूर मिल्स नं. 1	महाराष्ट्र
19.	एनटीसी (एमएन)	टाटा मिल्स	महाराष्ट्र
20.	एनटीसी (एमएन)	पोदार मिल्स	महाराष्ट्र
21.	एनटीसी (एमएन)	आरबीबीए मिल्स	महाराष्ट्र
22.	एनटीसी (एमएन)	इंडिया यूनाईटिड मिल नं. 5	महाराष्ट्र
23.	एनटीसी (एमएन)	सावतराम रामप्रसाद मिल्स	महाराष्ट्र
24.	एनटीसी (एसएम)	अपोलो टैक्स. मिल्स	महाराष्ट्र
25.	एनटीसी (एसएम)	बर्शी टेक्स. मिल्स	महाराष्ट्र
26.	एनटीसी (एसएम)	चालीसगांव टैक्स. मिल्स	महाराष्ट्र
27.	एनटीसी (एसएम)	फिन्ले मिल्स	महाराष्ट्र
28.	एनटीसी (एसएम)	धुले टैक्स. मिल्स	महाराष्ट्र
29.	एनटीसी (एसएम)	गोल्डमोहर मिल्स	महाराष्ट्र
30.	एनटीसी (एसएम)	नान्देड टैक्स मिल्स	महाराष्ट्र
31.	एनटीसी (एसएम)	न्यू सिटी आफ बाम्बे मैन्यू. मिल्स	महाराष्ट्र
32.	एनटीसी (एसएम)	औरंगाबाद टैक्स. मिल्स	महाराष्ट्र
33.	एनटीसी (यू.पी.)	स्वदेशी काटन मिल्स, माऊ	उत्तर प्रदेश
34.	एनटीसी (यू.पी.)	मिल्स स्वदेशी काटन मिल्स, नैनी	उत्तर प्रदेश

1	2	3	4
35.	एनटीसी (एम.पी.)	बरहानपुर ताप्ती मिल्स	मध्य प्रदेश
36.	एनटीसी (एम.पी.)	न्यू भोपाल टैक्स. मिल्स	मध्य प्रदेश
37.	एनटीसी (गुजरात)	अहमदाबाद न्यू टैक्स. मिल्स	गुजरात
38.	एनटीसी (गुजरात)	राजनगर टैक्स. मिल्स नं. 1	गुजरात
39.	एनटीसी (डब्ल्यूबीएबी एंड ओ)	लक्ष्मीनारायण काटन मिल्स	पश्चिम बंगाल
40.	एनटीसी (डब्ल्यूबीएबी एंड ओ)	सोदेपुर काटन मिल्स	पश्चिम बंगाल
41.	एनटीसी (डब्ल्यूबीएबी एंड ओ)	एसोसिएटिड इंडस्ट्रीज	असम
42.	एनटीसी (डब्ल्यूबीएबी एंड ओ)	बिहार कोआप. वीवर्स स्पि. मिल्स	बिहार
43.	एनटीसी (डब्ल्यूबीएबी एंड ओ)	उड़ीसा काटन मिल्स	उड़ीसा
44.	एनटीसी (डब्ल्यूबीएबी एंड ओ)	आरती काटन मिल्स	पश्चिम बंगाल
45.	एनटीसी (टीएनपी)	कम्बोडिया मिल्स	तमिलनाडु
46.	एनटीसी (टीएनपी)	कोयम्बटूर मुरूगन मिल्स	तमिलनाडु
47.	एनटीसी (टीएनपी)	पंकजा मिल्स	तमिलनाडु
48.	एनटीसी (टीएनपी)	पायनियर स्पिनर्स मिल्स	तमिलनाडु
49.	एनटीसी (टीएनपी)	श्री रंगाविलास स्पि. एंड वीविंग मिल्स	तमिलनाडु
50.	एनटीसी (टीएनपी)	कालेश्वर मिल्स बी यूनिट	तमिलनाडु
51.	एनटीसी (एचसी)	श्री भारती मिल्स	पांडिचेरी
52.	एनटीसी (एचसी)	श्री शारदा मिल्स	तमिलनाडु
53.	एनटीसी (एचसी)	कोयम्बटूर स्पि. एंड वीविंग मिल्स	तमिलनाडु

1531-37 **खाद्य तेल का आयात**

5801. श्री विनय कुमार सोराकेः क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सरकार ने मार्च, 2003 के दौरान मुख्यतः मेलेशिया और इंडोनेशिया से 3,50,000 टन पाम तेल के आयात की बुकिंग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भारत की मासिक आवश्यकता से अधिक है;

(ग) क्या सरकार ब्राजील और अर्जेंटीना से भारी मात्रा में सोयाबीन तेल खरीदने पर भी विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या खाद्य तेल का इस प्रकार थोक में आयात करने से घरेलू बाजार हतोत्साहित होगा; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए/किए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

133

खाद्यान्न के निर्यात पर मात्रात्मक प्रतिबंध

5802. श्री वाई.वी. राव:
श्री अजय चक्रवर्ती:
श्री राम मोहन गाड्डे:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सरकार नई अनाज निर्यात नीति के एक अंग के रूप में खाद्यान्न निर्यात पर मात्रात्मक प्रतिबंध लगाने अथवा खलिहान से बाहर के मूल्य में वैकल्पिक वृद्धि करने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रतिबंध लगाने के क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबाष महरिया): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

चीन के साथ प्रतिस्पर्धा

5803. **श्री दलपत सिंह परस्ते:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत पारम्परिक और गैर-पारम्परिक दोनों प्रकार के सामान के निर्यात में चीन की ओर से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है और चीन ने वस्तुत: गैर-साम्यवादी देशों में निर्यात बाजार पर कब्जा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारत को निर्यात में किन क्षेत्रों में चीन से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है तथा इसके फलस्वरूप भारतीय निर्यात किस हद तक कम हुआ है;

(ग) इसके लिए कौन से मुख्य कारण उत्तरदायी हैं; और

(घ) सरकार द्वारा प्रतिस्पर्धा का सामना करने और खोये हुए निर्यात बाजार को वापस पाने हेतु एक नीति बनाने के लिए क्या कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (घ) यद्यपि भारत और चीन विश्व बाजार में निर्यात के अनेक क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धी देश हैं तथापि यह कहना सही नहीं होगा कि चीन ने वस्तुत: गैर साम्यवादी देशों के निर्यात बाजारों पर कब्जा कर लिया है। यह भारत के निर्यातों में हुए 18.05 प्रतिशत (अप्रैल, 02 से मार्च, 03 तक) की समग्र वृद्धि से स्पष्ट हो जाता है। अमरीका, ईयू और चीन जैसे प्रमुख बाजारों को (अप्रैल, 2002-जनवरी, 2003) निर्यातों में वृद्धि क्रमश: 29 प्रतिशत, 15 प्रतिशत और 96 प्रतिशत रही है।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में निजी बैंक

5804. श्री राम पाल सिंह: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में निजी बैंकों को अपनी सेवाएं देने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना को कब तक कार्यान्वित करने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार ग्रामीण लोगों के निमित विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में उनकी भागीदारी किस प्रकार से सुनिश्चित करेगी?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (घ) वर्तमान में नए गैर-सरकारी बैंकों से ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में कम से कम 25 प्रतिशत शाखाएं खोलने की अपेक्षा की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक शाखाएं खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-सरकारी क्षेत्र के नए बैंकों को हाल ही में अनुदेश जारी किया है। पुराने गैर-सरकारी बैंकों की ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 24 प्रतिशत शाखाएं हैं। गैर-सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्राथमिकता क्षेत्र के मार्गनिर्देशों का अनुपालन करें जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि निवल बैंक ऋण का 40 प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्रों को दिया जाना चाहिए। प्राथमिकता क्षेत्र के भीतर कमजोर वर्गों को अग्रिमों का 10 प्रतिशत उधार देने का उप-लक्ष्य है।

[अनुवाद]

अन्त्योदय अन्न योजना

5805. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन:
श्री वी. वेत्रिसेलवन:
श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह:
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सरकार का विचार अन्त्योदय अन्न योजना के तहत आने वाले परिवारों की संख्या दुगुनी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले उन परिवारों की राज्यवार संख्या कितनी है जिन्हें इस योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा इस मद में कितनी अतिरिक्त राजसहायता दी जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) से (ग) माननीय वित्त मंत्री ने 2003-2004 के अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि अंत्योदय अन्न योजना का 50 लाख अतिरिक्त परिवारों को कवर करने के लिए विस्तार किया जाएगा, जिससे वर्ष 2003-04 के दौरान इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे के समस्त परिवारों के एक चौथाई से अधिक परिवार आ जाएंगे। इस संबंध में विवरण अभी तैयार नहीं हुआ है।

(घ) विस्तारित अंत्योदय अन्न योजना के कार्यान्वयन पर केन्द्रीय कोष से हर वर्ष लगभग 510 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च होने की संभावना है।

[हिन्दी]

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम

5806. **डा. सुशील कुमार इन्दौरा:** क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने अपने वित्तीय समझौतों को पूरा करने हेतु सरकार से 10,000 करोड़ रुपए के पैकेज की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस धनराशि को कब तक दिए जाने की संभावना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

पारम्परिक वस्तुओं का निर्यात

5807. **श्री नवल किशोर राय:**
श्री रामजी लाल सुमन:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पारम्परिक वस्तुओं के निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में अप्रैल, 2002 और दिसम्बर 2002 के दौरान बढ़ोत्तरी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन वस्तुओं के नाम क्या हैं जिन्हें पारम्परिक वस्तुओं के रूप में सूचीकृत किया गया है; और

(घ) वे मुख्य वस्तुएं कौन-सी हैं जिन्हें गैर-पारम्परिक वस्तुओं के रूप में सूचीकृत किया गया है और पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2002-03 की प्रथम तीन तिमाहियों के दौरान निर्यात में किस हद तक बढ़ोत्तरी हुई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ग) जी, हां। अप्रैल-दिसम्बर, 2002 के बीच पारम्परिक और गैर-पारम्परिक माल के निर्यातों में वृद्धि हुई है। वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस), कोलकाता से प्राप्त अपूर्ण आंकड़ों के अनुसार कुछ पारम्परिक वस्तुओं का निर्यात इस प्रकार है:

मूल्य: मिलियन अमरीकी डालर में

वस्तुएं	अप्रैल-दिसम्बर, 2001-2002	अप्रैल-दिसम्बर, 2002-2003	प्रतिशत वृद्धि
1	2	3	4
रेडीमेड गार्मेंट	3573.41	3926.31	9.88
काटन यार्न, फैब्रिक मेड-अप्स आदि	2300.51	2445.31	6.29
मानव निर्मित मेड अप्स आदि	817.93	998.34	22.06

1	2	3	4
प्राकृतिक रेशम वस्त्र	203.84	226.37	11.05
कोयर एवं कोयर वस्तुएं	50.17	56.67	12.97
जूट एमएफआरएस	99.06	136.88	38.19
हस्तशिल्प	421.51	557.57	32.28
अपशिष्ट सहित कच्ची रुई	4.50	4.95	9.94

(घ) वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस), कोलकाता से प्राप्त अपूर्ण आंकड़ों के अनुसार कुछ गैर-पारम्परिक वस्तुओं का निर्यात इस प्रकार है:

मूल्य: मिलियन अमरीकी डालर में

वस्तु	अप्रैल-दिसम्बर, 2001-2002	अप्रैल-दिसम्बर, 2002-2003	प्रतिशत वृद्धि
रत्न एवं आभूषण	4982.83	6387.67	28.21
समुद्री उत्पाद	970.68	1095.50	12.86
रसायन एवं संबंधित उत्पाद	4638.32	5471.93	17.97
इंजीनियरी सामान	4142.86	5184.34	25.14
परियोजना सामान	13.09	39.18	199.21
खेल का सामान	50.55	51.85	2.57
पुष्पकृषि उत्पाद	18.37	26.12	42.19

[अनुवाद]

स्टेट बैंक आफ इंडिया की ग्रुप इंश्योरेंस योजना

5808. **श्री टी.एम. सेल्वागनपति:** क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इंडिया का एसबीआई लाइफ अनुकूल ग्रुप इंश्योरेंस योजनाएं प्रदान करने हेतु अनेक राज्य सरकारों और नगरपालिका निकायों के साथ बातचीत कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में राज्य सरकारों और नगरपालिका निकायों की ओर से क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है;

(घ) क्या यह भी सच है कि एसबीआई लाइफ ने कुछ राज्य सरकारों द्वारा पेंशन पोर्टफोलियो का प्रबंध करने संबंधी प्रस्ताव में भी रुचि दिखाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. ने सूचित किया है कि "सुपर सुरक्षा" नामक एक समूह बीमा योजना उन्होंने आरम्भ की है। यह स्कीम बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विधिवत अनुमोदित है और राज्य के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा नगरपालिका निकायों के कर्मचारियों सहित विभिन्न संस्थानों में कर्मचारियों के वर्गों को कवर करने के लिए उनके द्वारा इसका विपणन किया गया है। प्रत्येक वर्ग की विशेष आवश्यकताओं के अनुकूल लाभों को संशोधित करने के लिए यह स्कीम प्रत्येक मामले में अलग रूप रखती है।

(ग) एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. ने सूचित किया है कि विभिन्न राज्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और नगरपालिकाओं को

की गई पेशकश में से उन्हें आंध्र प्रदेश सरकार से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। कुछ अन्य राज्य सरकारों और विभागों ने कुछ स्पष्टीकरण मांगे थे जो उन्हें मुहैया करा दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) एसबीआई लाइफ ने यह भी सूचित किया है कि उन्होंने अपने सामान्य विपणन कार्यकलाप के एक भाग के रूप में कर्नाटक सरकार के शहरी स्तर के निकायों के कर्मचारियों को अधिवर्षिता लाभों के प्रबंध के लिए उनके हितों की अभिव्यक्ति चाहने हेतु कर्नाटक सरकार द्वारा जारी किए गए विज्ञापन का प्रत्युत्तर दे दिया है।

अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाना

5809. श्री चन्द्र भूषण सिंह: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राज्य सरकार और अन्य संगठनों से अनुसूचित जनजाति की सूची में विभिन्न आदिवासी समुदायों को शामिल करने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और जातिवार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) अनुसूचित जनजाति में ऐसे समुदायों को शामिल करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 के तहत 20 राज्यों की अनुसूचित जनजातियों की सूची में 142 संशोधन पहले ही कर दिए गए हैं और शेष प्रस्तावों पर इस प्रकार के दावों पर विचार करने के लिए अनुमोदित प्रक्रियाओं के अनुसार कार्रवाई की गई है।

विवरण

प्रस्तावों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रस्तावों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	95
2.	अरुणाचल प्रदेश	24
3.	असम	113
4.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	2
5.	झारखंड सहित बिहार	46
6.	चंडीगढ़	17
7.	दिल्ली	1
8.	दादर व नगर हवेली	3
9.	दमन और दीव	2
10.	गोवा	13
11.	गुजरात	14
12.	हरियाणा	4
13.	हिमाचल प्रदेश	14
14.	जम्मू व कश्मीर	11
15.	कर्नाटक	54
16.	केरल	58
17.	लक्षद्वीप	1
18.	मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़	34
19.	मणिपुर	28
20.	मेघालय	17
21.	महाराष्ट्र	90
22.	मिजोरम	7
23.	नागालैंड	24
24.	उड़ीसा	88
25.	पांडिचेरी	11
26.	पंजाब	13
27.	राजस्थान	18
28.	सिक्किम	7
29.	तमिलनाडु	70
30.	त्रिपुरा	12
31.	उत्तर प्रदेश तथा उत्तरांचल	68
32.	पश्चिम बंगाल	22
	कुल	981

[हिन्दी] 141-42

सिले-सिलाये वस्त्रों का निर्यात

5810. डा. जसवंत सिंह यादव: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में सिले-सिलाये वस्त्रों और भारतीय कपड़े का निर्यात किया गया;

(ख) वर्ष 2003-04 के दौरान उक्त वस्त्रों के निर्यात का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) भारतीय वस्त्र उद्योग में विद्यमान कठिनाइयों को दूर करने हेतु कितने प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) केंद्रीय रूप से मात्रा-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में दिसंबर, 2002 तक, देश से वस्त्रों और सिले-सिलाए परिधानों के निर्यात का मूल्य निम्न अनुसार रहा है:

(मिलियन अमरीकी डालर में)

	1999-2000	2000-2001	2001-2002	अप्रैल-दिसंबर, 2002
वस्त्र निर्यात	10508.5	12037.6	10715.0	8849.5
जिनमें से सिले-सिलाए परिधान	4765.1	5569.5	4987.4	3692.9

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस, कोलकाता।

(ख) वर्ष 2003-2004 के दौरान सिले-सिलाए परिधानों के निर्यात के लिए 6250 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ग) सरकार ने भारतीय वस्त्र उद्योग में व्याप्त कठिनाईयों को दूर करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं:

(1) सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र से सिलेसिलाये परिधानों के बुनाई क्षेत्र को अनारक्षित कर दिया है। साथ ही उसने निटिंग क्षेत्र के लिए लघु उद्योग क्षेत्र के निवेश की सीमा को भी बढ़ा कर 5 करोड़ रु. कर दिया है।

(2) इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन को सुगम बनाने के लिए दिनांक 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) प्रचालित की गयी है।

(3) टीयूएफएस के अंतर्गत शामिल बुनाई, प्रसंस्करण और परिधान मशीनों को 50 प्रतिशत की दर पर बढ़े हुए मूल्यह्रास की सुविधा प्रदान की गयी है। राजकोषीय नीतिपरक उपायों से मशीनों की लागत को भी कम कर दिया गया है। इससे आधुनिकीकरण को और प्रोत्साहन मिलता है।

(4) पिछड़े समूहों के एकीकरण की दृष्टि से शटल रहित करघों तथा अन्य महत्वपूर्ण वस्त्र मशीनरी मदों पर सीमा शुल्क को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

(5) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट), इसकी 6 शाखाएं और अपैरल प्रशिक्षण व डिजाइन केन्द्र (एटीडीसी), विशेषकर अपैरल के डिजाइन के क्षेत्र में, व्यापारीकरण व विपणन के क्षेत्र में वस्त्र उद्योग की कुशल मानव शक्ति संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम/कार्यक्रम चला रहे हैं।

(6) आयातक देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप वस्त्र उत्पादों का पूर्व परीक्षण करवाने के लिए पारि-अनुकूल प्रयोगशालाओं की सुविधाएं उपलब्ध कराई गयी हैं।

(7) सरकार ने संभावित विकास केन्द्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अपैरल विनिर्माण एककों की स्थापना करने पर संकेन्द्रित बल देने और निर्यात को गति देने के लिए निर्यात के लिए अपैरल पार्क योजना नामक केन्द्रीय रूप से प्रायोजित एक योजना शुरू की है।

(8) प्रमुख वस्त्र केन्द्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं को उन्नत बनाने के लिए वस्त्र इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास केन्द्र योजना (टीसीआईडीएस) नामक एक योजना शुरू की गई है।

सी.एन.जी. केन्द्रों पर अग्नि सुरक्षा उपकरण 142-43

5811. श्री सुकदेव पासवान: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.सी.ओ.ई., नागपुर ने सी.एन.जी. केन्द्रों के काम्प्रेसर आपरेटरों को वहां अग्नि सुरक्षा उपकरण पैनल स्थापित करने हेतु कोई निर्देश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ये उपकरण दिल्ली में सभी सी.एन.जी. केन्द्रों पर प्रत्येक काम्प्रेसर के साथ मुहैया कराए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) सी.सी.ओ.ई., नागपुर ने सी.एन.जी. केन्द्रों के काम्प्रेसर आपरेटरों को वहां अग्नि सुरक्षा उपकरण पैनल अनिवार्य रूप से स्थापित करने हेतु कोई विशिष्ट निर्देश नहीं दिए हैं। तथापि, तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओ.आई.एस.डी.) के मानक 179 के अनुसार, सभी सी.एन.जी. केन्द्रों द्वारा अग्नि बचाव सुविधाएं/अग्नि सुरक्षा उपकरण पैनल उपलब्ध कराए जाने आवश्यक हैं।

(ख) और (ग) सभी सी.एन.जी. केन्द्रों में उपर्युक्त अग्नि बचाव सुविधाएं/अग्नि सुरक्षा उपकरण पैनल प्रत्येक काम्प्रेसर के साथ उपलब्ध कराए जाते हैं। इन सुविधाओं के ब्यौरों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

(1) पूर्व निर्धारित निश्चित बिन्दु से अधिक दबाव को रोकने के लिए प्रवेश मार्ग (इनलैट) पर तथा सभी अवस्थाओं पर प्रैशर रिलीफ वाल्व।

(2) उच्च निकास तापमान बन्द करना।

(3) किसी खराबी की स्थिति में काम्प्रेसर को बंद करने हेतु कूलिंग वाटर रिटर्न लाइन पर हाई कूलिंग वाटर टैम्परेचर स्विच फिट किया गया है।

(4) हाई, इनलेट, इन्टरस्टेज और डिसचार्ज प्रैसर को बंद करना।

(5) लो ल्यूब आयल प्रैसर को बंद करना।

(6) किसी खराबी की स्थिति में काम्प्रेसर को बंद करने के लिए कूलिंग वाटर रिटर्न लाइन पर लो कूलिंग वाटर फ्लो स्विच फिट किया गया है।

(7) आपातकालीन स्थिति में इसे बंद करने के लिए कन्ट्रोल पैनल पर हाथ से पुन: सैट किया जाने वाले एक रिमोट आइसोलेशन स्विच उपलब्ध कराया जाना है।

सुरक्षा संबंधी उपयुक्त विशेषताओं के अतिरिक्त, गैस रिसाव और प्रज्वलन का पता लगाने के लिए काम्प्रेसर यूनिटों को गैस डिटेक्र्स और अल्ट्रा वायलेट/इन्फ्रारैड रे डिटेक्टर्स के साथ स्थापित किया गया है। सुरक्षा संबंधी उपयुक्त विशेषताएं काम्प्रेसर की इलैक्ट्रिकल प्रणाली में काम्प्रेसर के कट आउट स्विच के साथ परस्पर जुड़ी हुई हैं, जो गैस के बड़े रिसाव/अग्नि की स्थिति में अथवा मानक सुरक्षा व्यवस्थाओं के विचलन की स्थिति में यूनिट को स्वत: बंद कर सकती हैं।

[अनुवाद]

144

विश्व बैंक सहायता

5812. श्री जे.एस. बराड़: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने चालू वर्ष के दौरान भारत में विभिन्न परियोजनाओं हेतु 2 बिलियन डालर की धनराशि प्रदान करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो निधियां स्वीकृत करने के नियम व शर्तें क्या हैं और इसे किन उद्देश्यों हेतु प्रयोग करने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस निधि से कार्यान्वित होने वाली परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) कंट्री असिस्टेंट स्ट्रैटजी 2001-04 के अनुसार, विश्व बैंक ने बैंक के वित्तीय वर्ष 2003-04 (जुलाई-जून) के लिए 1.9 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य की सहायता की बचनबद्धता की है।

(ख) और (ग) भारत विश्व बैंक से परिवर्तनीय विस्तार ऋण (वीएसएल) के अंतर्गत उधार लेता है जिसके लिए वापसी अदायगी की अवधि 20 वर्ष होती है, ब्याज दर परिवर्तनीय होती है (दि. 15.4.2003 की स्थिति के अनुसार 1.71 प्रतिशत) जिसके साथ 1 प्रतिशत का फ्रंट-एण्ड शुल्क और असंवितरित ऋण राशि पर 0.25 प्रतिशत का प्रभावी वनचबद्धता प्रभार लगता है। विश्व बैंक से प्राप्त सहायता भारत में चलाई जा रही विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है जो समय-समय पर बैंक को प्रस्तुत की जाती हैं, और जिनका बैंक द्वारा मूल्यांकन और अनुमोदन किया जाता है। सामाजिक क्षेत्र, आधारभूत ढांचा विकास और ग्रामीण विकास परियोजना-अनुमोदनों के लिए विचारणीय संभावित क्षेत्र हैं।

145-46

काली मिर्च का आयात

5813. श्री पी.सी. थामस: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले एक वर्ष के दौरान भारी मात्रा में काली मिर्च का आयात किया गया है;

(ख) यदि हां, तो काली मिर्च के आयात का देशवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत और श्रीलंका के बीच हुए द्विपक्षीय समझौते के तहत श्रीलंका से 7 प्रतिशत के रियायत शुल्क पर काली मिर्च के आयात की अनुमति है;

(घ) यदि हां, तो इस समझौते का ब्यौरा क्या है और इस द्विपक्षीय समझौता के समय से श्रीलंका से वर्षवार कितनी मात्रा में काली मिर्च का आयात किया गया है;

(ङ) क्या ऐसी सस्ती दर पर आयात की वजह से काली मिर्च के घरेलू मूल्य पर प्रभाव पड़ा है जो घरेलू उत्पादन क्षेत्र के लिए चिंता का विषय है;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार श्रीलंका से होने वाले काली मिर्च के आयात की मात्रात्मक सीमा निर्धारित करने का है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) जी, हां। अप्रैल-फरवरी, 2002-03 की अवधि के दौरान काली मिर्च के आयात के देशवार ब्यौरे (अनुमानित) निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं:

देश	मात्रा (टनों में)	मूल्य (करोड़ रु.)
ब्राजील	50	0.43
इंडोनेशिया	1624	12.98
मलेशिया	44	0.31
सिंगापुर	30	0.30
श्रीलंका	6204	58.22
वियतनाम	6929	48.05
अन्य	219	1.17
कुल	15100	121.46

स्रोत: स्पाइसेस बोर्ड।

(ग) भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार करार के अन्तर्गत 17 मार्च, 2003 तक श्रीलंका से काली मिर्च के आयात को 7 प्रतिशत के शुल्क पर अनुमति दी गई थी। 18 मार्च, 2003 से श्रीलंका से काली मिर्च के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी जा रही है।

(घ) भारत और श्रीलंका के बीच मुक्त व्यापार करार (एफटीए) पर नई दिल्ली में 28 दिसम्बर, 1998 को हस्ताक्षर किए गए थे। एफटीए 1 मार्च, 2000 के सीमाशुल्क अधिसूचना जारी करके लागू किया गया है। इस करार में नकारात्मक सूची में सीमित संख्या की वस्तुओं को छोड़कर एक निश्चित समयावधि में सभी उत्पादों पर टैरिफों की चरणबद्ध ढंग से समाप्त करने की व्यवस्था है। जहां भारत 3 वर्ष की अवधि में टैरिफ समाप्त करने की प्रक्रिया को पूरा करेगा, वहीं श्रीलंका इसे करार के लागू होने की तारीख से 8 वर्षों की अवधि में पूरा करेगा। पिछले पांच वर्षों के दौरान श्रीलंका से काली मिर्च के आयात की मात्रा और मूल्य निम्नानुसार रहा है:

वर्ष	मात्रा (टनों में)	मूल्य (करोड़ रु.)
1998-1999	1095	24.15
1999-2000	1160	25.76
2000-2001	1749	27.88
2001-2002	1241	16.05
2002-2003 (अप्रैल-फरवरी)*	6204	58.22

*अनुमानित स्रोत: स्पाइसेस बोर्ड

(ङ) वर्ष 1999-2000 से घरेलू कीमतों में गिरावट अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में आई गिरावट के कारण प्रदर्शित हुई है। इस प्रकार केवल भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार करार के अन्तर्गत अनुमत रियायती शुल्क प्रणाली को ही इसका कारण नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा, चालू वर्ष के दौरान घरेलू कीमतों में पिछले वर्ष की तुलना में सुधार प्रदर्शित हुआ है।

(च) जी नहीं।

(छ) भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार करार के प्रावधानों के अनुसार करना होता है।

146-48

के.बी.के. जिलों के लिए निधियां

5814. श्रीमती हेमा गमांग: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा उड़ीसा के के.बी.के. जिलों को आवंटित की गई कुल निधि का परियोजनावार, योजनावार, वर्षवार और जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान खर्च की गई राशि और अप्रयुक्त राशि का परियोजनावार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा आवंटित निधियों का उपयोग नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) और (ख) भारत सरकार उड़ीसा के के.बी.के. जिलों के विकास के लिए अपने संशोधित दीर्घ अवधि कार्य-योजना (आर एल टी ए पी) के अंतर्गत अनुदान देती है जिसके तहत इन जिलों को प्रत्यक्ष रूप से निधियां आबंटित नहीं की जाती बल्कि वर्ष दर वर्ष आधार पर राज्य सरकार के पक्ष में आर एल टी ए पी के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्य-योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए)/विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए) स्वीकृत और जारी की जाती हैं। इसके बदले में राज्य सरकार आर एल टी ए पी के अंतर्गत योजनावार/विभागवार कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता/विशेष केन्द्रीय सहायता का आबंटन करती है।

पिछले तीन वर्षों (2000-2001 से 2002-2003) के दौरान राज्य सरकार द्वारा प्राप्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता/विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत आबंटन और राज्य सरकारों द्वारा उपरोक्त आबंटन की तुलना में कथित अवधि (फरवरी, 2003 के अंत तक) के दौरान किए गए व्यय के विवरण इस प्रकार हैं:

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	राज्य सरकार द्वारा प्राप्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता/विशेष केन्द्रीय सहायता	उपयोग में लाई गई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता/विशेष केन्द्रीय सहायता*
2000-01	40.35	57.14
2001-02	100.00	61.37
2002-03	200.00**	93.55 (फरवरी, 03)
कुल	340.55	212.06

*इसमें पिछले वर्ष की खर्च न की गई राशि शामिल है।

**इसमें 31 मार्च, 2003 को राज्य सरकार को निर्मुक्त किए गए 100 करोड़ रुपए शामिल हैं।

(ग) सरकार द्वारा आबंटित निधियों को उपयोग न किए जाने के मुख्य कारण थे (1) राज्य सरकार द्वारा परियोजनाओं के कार्यान्वयन और अनुदान के उपयोग में देरी (2) उपयोगिता प्रमाण-पत्र न होने के कारण भारत सरकार द्वारा अगली किस्त जारी करने में अनुवर्ती देरी।

[हिन्दी]

148-

गोदामों के निर्माण हेतु नाबार्ड द्वारा वित्तपोषण

5815. श्री दानवे रावसाहेब पाटील: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने आर.आई.डी.एफ. योजना के तहत राज्य में गोदामों के निर्माण हेतु निधियां प्रदान करने के लिए नाबार्ड को कोई प्रस्ताव दिया है;

(ख) यदि हां, तो वे गोदाम किन स्थानों पर बनाये जायेंगे जिनके लिए नाबार्ड ने अपनी स्वीकृति दी है; और

(ग) अन्य गोदामों के लिए निधियां कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में गोदामों के निर्माण हेतु ग्रामीण आधारिक विकास निधि (आरआईडीएफ) से निधि लेने के लिए नाबार्ड को कोई प्रस्ताव नहीं किया है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

149-51

प्याज के निर्यात से प्रतिबंध हटाना

5816. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्याज के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो सभी किस्म के प्याज के निर्यात पर से मात्रात्मक प्रतिबंध हटाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार ने अब प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर समस्त मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है।

उड़ीसा में भारतीय खाद्य निगम के भाण्डागार

5817. श्री परसुराम माझी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) उड़ीसा में विशेषकर के.बी.के. जिलों में खाद्यान्न भंडारण हेतु स्थापित भारतीय खाद्य निगम के भंडागारों की वर्तमान संख्या कितनी है और उनकी क्षमता कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन भांडागारों की क्षमता बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबाष महरिया): (क) भारतीय खाद्य निगम के उड़ीसा राज्य में 55 भण्डारण गोदाम (23 अपने और 32 किराये के) हैं, जिनकी कुल भंडारण क्षमता 4.38 लाख टन है। इनमें से, भारतीय खाद्य निगम के 5 और केन्द्रीय भण्डारण निगम/राज्य भण्डारण निगमों से किराये पर लिए गए 14 गोदाम के.बी.के. जिलों में हैं। ब्यौरा विवरण-I पर दिया गया है।

(ख) और (ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) के दौरान भारतीय खाद्य निगम का उड़ीसा राज्य में क्रय केन्द्रों पर स्वयं के गोदामों का निर्माण करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय भण्डारण निगम और राज्य भण्डारण निगमों से के.बी.के. जिलों में 7-वर्षीय गारंटी योजना के अधीन भण्डारण क्षमता निर्माण करने का अनुरोध किया गया है। ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(घ) उपर्युक्त की दृष्टि में प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

उड़ीसा के केबीके जिले में गोदाम

केन्द्र	क्षमता (लाख टन में)
भारतीय खाद्य निगम की अपनी	
जयपोर (उमेरी)	17,500
रायगडा	10,000
केसिन्गा	13,340
दौनगरिपाली	15,000
नवरंगपुर	7,500
किराये के गोदाम	
मलकानगिरी (राज्य भंडारण निगम)	2,000
गुणापुर "	2,000
उमरकोट "	1,800
रायगडा "	3,600
बोलंगिर "	7,500
कांताबंजी "	4,000
मालमुन्डा "	5,000
तितलागढ़ "	4,000
भवानीपटना "	2,000
जूनागढ़ "	2,000
केसिन्ग "	5,000
खारीआर "	1,000
खारीआर रोड "	2,000
जयपोर (केन्द्रीय भंडारण निगम)	2,500

152-53

विवरण II

केबी के जिले में गोदामों का निर्माण

केन्द्र		क्षमता (लाख टन में)
(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) के अधीन		
अंगुल		5,000
धनकनाल		2,500
क्योंझर		2,500
नवरंगपुर		2,500
फूलबनी		2,500
जोड़		15,000
(ख) सात वर्षीय गारंटी योजना के अधीन		
कांताबन्जी	(रा.भं.नि.)	15,000
मालमुन्डा	(रा.भं.नि.)	15,000
तितलागढ़	(रा.भं.नि.)	20,000
केमिन्गा	(रा.भं.नि.)	20,000
भवानी पटना	(रा.भं.नि.)	20,000
खरीयार रोडा	(रा.भं.नि.)	20,000
जूनागढ़	(रा.भं.नि.)	10,000
धरनगढ़	(रा.भं.नि.)	3,000
जयपटना	(रा.भं.नि.)	2,500
मलकानगिरी	(रा.भं.नि.)	4,000
रायगडा	(रा.भं.नि.)	6,500
गुनापुर	(रा.भं.नि.)	6,500
बोलांगिर	(रा.भं.नि.)	2,500
बोलांगिर	(के.भं.नि.)	15,000
कंसिन्गा	(के.भं.नि.)	10,000

हथकरघा/विद्युतकरघा बुनकरों हेतु सुविधाएं

5818. श्री एस. मुरूगेसन: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आवास, शिक्षा इत्यादि मूलभूत सुविधाओं से वंचित हथकरघा/विद्युतकरघा बुनकरों की समस्याओं की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार ने हथकरघा/विद्युतकरघा बुनकरों और उनके बच्चों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने हेतु संबंधित प्राधिकारियों से बातचीत की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत सरकार हथकरघा कामगारों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं कार्यान्वित कर रही है, यथा:

कार्यशाला-सह-आवास योजना: हथकरघा बुनकरों को उपयुक्त कार्यस्थल मुहैया कराने के उद्देश्य से मुख्य रूप से कार्यशाला/कार्यशाला-सह-आवास के निर्माण हेतु सहायता प्रदान की जाती है।

स्वास्थ्य पैकेज योजना: बुनकरों को (क) अस्थमा (ख) टी.बी. और आहार तंत्र में प्रदाह (ग) महिला बुनकरों को मातृत्व लाभ (घ) स्थायी स्वरूप के परिवार नियोजन हेतु अतिरिक्त प्रतिपूर्ति का भुगतान, और (ङ) प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल हेतु अवसंरचना जैसी बीमारियों के इलाज हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

थ्रिफ्ट फण्ड योजना: के अन्तर्गत हथकरघा बुनकरों के लिए भविष्य निधि स्वरूप की एक निधि बनाई जाती है और पात्र अंशदाता इस निधि से चिकित्सा खर्च, उसके द्वारा जाने वाली शादी एवं अन्य संस्कारों से संबंधित खर्च, बच्चों की शिक्षा पर होने वाला व्यय, मकान खरीदने के लिए लागत आदि को पूरा करने के लिए अस्थायी अग्रिम ले सकता है।

बीमा योजना: बुनकर के अपने अथवा अपने परिवार के सामाजिक-आर्थिक दायित्वों को पूरा करने तथा प्राकृतिक आपदा आकस्मिक मृत्यु जैसी विभिन्न प्रकार की आकस्मिकताओं से सुरक्षा प्रदान करती है।

जहां तक विद्युतकरघा क्षेत्र का संबंध है, भारत सरकार विद्युतकरघा बुनकरों के लिए समूह बीमा योजना कार्यान्वित कर

रही है। विद्युतकरघा बुनकर भारतीय जीवन बीमा निगम से आकस्मिक मृत्यु के लिए अपने को 50,000 रुपये की सुरक्षा और आंशिक अपंगता के लिए 25,000 रुपए तक का बीमा कराने हेतु प्रति वर्ष 40 रुपए का भुगतान करने का विकल्प ले सकता है और केन्द्र सरकार इसके लिए प्रतिवर्ष क्रमशः 100 रुपए और 60 रुपए का अंशदान दे रही है। विकल्प के तौर पर वह आकस्मिक मृत्यु पर 80,000 रुपए का तथा स्वाभाविक मृत्यु पर 50,000 रुपए और स्थायी अपंगता हेतु अधिकतम 50,000 रुपए का बीमा सुरक्षा प्राप्त करने के लिए प्रतिवर्ष 130 रुपए के भुगतान का विकल्प ले सकता है जिसमें केन्द्र सरकार 150 रुपए और भा. जीवन बीमा निगम 100 रुपये भुगतान कर रही है। भारतीय जीवन बीमा निगम की संबद्ध योजना के रूप में अतिरिक्त लाभ "शिक्षा सहयोग योजना" है जिसके अंतर्गत लाभार्थी के 9वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले 2 आश्रित बच्चों को प्रति तिमाही 300 रुपए प्रति बच्चा शिक्षा भत्ता के रूप में दिया जाता है जो निष्पक्ष चयन मानदण्ड पर आधारित होता है।

153

एफआईपीबी की भूमिका

5819. डा. नीतिश सेनगुप्ता: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा संचालित स्वचालित लाइसेंसिंग प्रणाली को व्यापक बनाने और एफआईपीबी की भूमिका को कम करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) सरकार ने एक उदार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति अपनाई है और एक छोटी नकारात्मक सूची के अतिरिक्त क्षेत्र स्वचालित मार्ग के अन्तर्गत आते हैं। कुछ क्षेत्रों जैसे दूरसंचार, बैंकिंग, बीमा, प्रसारण आदि, जहां रणनीतिक एवं क्षेत्रक विचारणाओं पर आधारित प्रतिबंध निर्धारित किए गए हैं, के अतिरिक्त लगभग सभी गतिविधियों में स्वचालित मार्ग से 100 प्रतिशत तक का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अनुज्ञेय है। क्षेत्रक नीति एवं प्रतिबंधों समेत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति की निरंतर समीक्षा की जाती है।

153-54

आयकर अधिकारियों द्वारा हड़ताल

5820. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मार्च, 2003 के दौरान आयकर विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों ने काम रोको और वाक-आउट कार्यक्रम चलाया था;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने इसके क्या कारण बताए हैं; और

(ग) सरकार की इन पर क्या प्रतिक्रिया रही?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, हां। आयकर कर्मचारी महासंघ (आई.टी.ई.एफ.) और आयकर राजपत्रित सेवा महासंघ (आई.टी.जी.एस.एफ.) के आयकर कर्मचारियों और राजपत्रित अधिकारियों ने 20.3.2003 को वाक-आउट किया था।

(ख) आयकर अधिकारी (आई.टी.ओ.) आकर निरीक्षक (आई.टी.आई.) और कर सहायक (टी.ए.) के वेतनमानों में संशोधन करने की मांग पर जोर देने के लिए वाक-आउट किया गया था।

(ग) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन किए जाने संबंधी मामला केन्द्रीय वेतन आयोग (सी.पी.सी.) के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है। आयकर अधिकारियों, आयकर निरीक्षकों और कर सहायकों के वेतनमानों में उर्ध्वमुखी संशोधन के लिए कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा उठाई गई मांग को पांचवें वेतन आयोग द्वारा सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया था। तथापि, गुण-दोष के आधार पर व्यय विभाग के साथ-विचार-विमर्श करके इस प्रस्ताव की फिर जांच की गयी थी परन्तु सहमति नहीं हो पाई थी।

154-58

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चीनी का वितरण

5821. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चीनी के आवंटन और वितरण हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य को कुल कितनी मात्रा में चीनी का आवंटन हुआ है;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से चीनी के आवंटन को बढ़ाने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 2003-2004 हेतु इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) केन्द्र सरकार ने 1.2.2001 से चीनी के संबंध में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पुनर्संरचना की है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन लेवी चीनी की आपूर्ति उत्तर-पूर्वी राज्यों, पहाड़ी राज्यों तथा द्वीपीय

प्रदेशों को छोड़कर केवल गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों तक सीमित कर दी गई है। यह पुनर्संरचना करते समय सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन लेवी चीनी की आपूर्ति के लिए जनसंख्या के आधार में भी परिवर्तन किया है। लेवी चीनी के वितरण का आधार 1.3.2000 की स्थिति के अनुसार प्रक्षिप्त जनसंख्या है। इसके साथ-साथ, 1.2.2001 से उत्तर-पूर्वी राज्यों, पहाड़ी राज्यों तथा द्वीपीय प्रदेशों को छोड़कर अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लेवी चीनी का प्रति व्यक्ति प्रतिमाह न्यूनतम आवंटन 425 ग्राम से बढ़ाकर 500 ग्राम कर दिया गया है ताकि गरीबी रेखा से नीचे के परिवार लाभान्वित हो सकें। उत्तर-पूर्वी राज्यों, पहाड़ी राज्यों तथा द्वीपीय प्रदेशों में लेवी चीनी का आवंटन 700 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह निर्धारित किया गया है।

(ख) गत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य को आवंटित चीनी की कुल मात्रा दर्शानिवाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पंचांग वर्ष 2000, 2001, 2002 तथा 2003 (जून, 2003 तक) के लिए राज्यवार लेवी चीनी के आवंटन की मात्रा

(मात्रा टन में)

राज्य	2000	2001	2002	2003
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	373576	152248	131508	58140
अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	4408	4804	4816	2334
अरुणाचल प्रदेश	9388	10171	10196	50004
असम	209542	224635	225836	111470
बिहार	493590	286377	266348	126826
झारखंड	—	81530	88478	42958
चंडीगढ़	3942	1064	968	372
दादरा एवं नगर हवेली	914	634	604	288
दिल्ली	171872	46241	35952	15660
गोवा	7096	2161	1740	720
दमन एवं दीव	688	204	156	66
गुजरात	229050	92042	79848	35046
हरियाणा	94324	38713	33668	14910
हिमाचल प्रदेश	52154	57224	57592	28188
जम्मू और कश्मीर	79636	85114	85280	42206
कर्नाटक	253862	126169	114332	51816

1	2	3	4	5
केरल	159852	65191	56436	24618
लक्षद्वीप	1304	1421	1424	690
मध्य प्रदेश	389068	183940	164364	74646
छत्तीसगढ़	—	53658	58170	27072
महाराष्ट्र	431764	236481	219532	100752
मणिपुर	19874	21518	21572	10578
मेघालय	19188	20795	20848	10224
मिजोरम	7494	8127	8148	3996
नागालैंड	13222	14365	14404	7074
उड़ीसा	179496	117978	111944	53242
पांडिचेरी	7302	3476	3092	1458
पंजाब	110940	28640	21404	8310
राजस्थान	258204	111982	98288	44052
सिक्किम	4414	4648	4792	2346
तमिलनाडु	301336	156422	143420	64920
त्रिपुरा	29826	32287	32368	15882
उत्तर प्रदेश	831224	464041	428028	205655
उत्तरांचल	—	67927	73960	36589
पश्चिम बंगाल	380172	200875	184636	84522

157-59

लहसुन, प्याज और आलू के निर्यात हेतु नोडल एजेन्सी

5822. श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लहसुन, प्याज और आलू आदि के निर्यात हेतु विभिन्न राज्यों में नोडल एजेन्सियों की स्थापना की गयी है;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों पर राज्यवार ब्यौरा क्या है जहां ये नोडल एजेन्सियां स्थापित की गयी हैं;

(ग) क्या इन वस्तुओं के निर्यात हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) क्या इस प्रयोजनार्थ कोई योजना तैयार की गयी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) लहसुन और आलू के निर्यात हेतु कोई नोडल एजेंसी नहीं है। प्याज के निर्यात हेतु सरकार ने निम्नलिखित 8 सरणीयन एजेंसियों को निर्दिष्ट किया है, अर्थात्:

1. भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ लि. (नैफेड)

2. महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एमएसएएमबी)

3. गुजरात कृषि उद्योग निगम लि. (जीएआईसी)

4. मसाला व्यापार निगम लि. (एसटीसीएल)

5. द कर्नाटक स्टेट कोआपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लि. (केएससीएमएफ)

6. नेशनल कोआपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन आफ इंडिया लि. (एनसीसीएफ)

7. आंध्र प्रदेश स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन लि. (एपीएसटीसीएल)

8. द नार्थ कर्नाटक ओनियन ग्रोअर्स कोआपरेटिव सोसाइटी (एनकेओजीसीएस)

(ग) से (ङ) इन वस्तुओं के निर्यात हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है। इन वस्तुओं के निर्यात विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सहायता के पात्र होते हैं।

आयात-निर्यात नीति, 2003-2004 को आकर्षित बनाने हेतु पैकेज

159-60

5823. श्री अधीर चौधरी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 2003-04 हेतु आयात-निर्यात नीति को आकर्षित बनाने हेतु कोई विशेष पैकेज तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पैकेज को कब तक कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ग) सरकार ने निर्यात-आयात (एग्जिम) नीति 2003-04 की घोषणा की है जो दिनांक 1 अप्रैल 2003 से लागू हो गई है। इस नीति में की गई पहलों में 25 करोड़ रुपये के न्यूनतम निर्यात कारोबार के अध्यधीन मुक्त विदेशी मुद्रा में 25 प्रतिशत से अधिक की उत्तरोत्तर वृद्धि वाले दर्जा धारकों के लिए शुल्क मुक्त हकदारी, पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों में 10 लाख रुपये की औसत विदेशी मुद्रा आय वाले सेवा प्रदाता को शुल्क मुक्त आयात सुविधा, शुल्क बचत राशि के साथ निर्यात दायित्व को जोड़ने हेतु ईपीसीजी स्कीम में संशोधन तथा उत्पादन से पहले, उत्पादन में तथा उत्पादन के बाद के लिए आवश्यक पूंजीगत माल को शामिल करने हेतु इस स्कीम का विस्तार शामिल है। एग्जिम नीति ने विकास के कुछ साधनों को अभिज्ञात किया है जैसे सेवाएं, विशेष आर्थिक क्षेत्र, कृषि निर्यात जोन, निर्यात समूह तथा दर्जा धारक। पूर्वोक्त परिवर्तनों को प्रभावी बनाने के लिए संबंधित सीमाशुल्क अधिसूचना पहले ही जारी कर दी गई है।

भारतीय खाद्य निगम में भंडारण क्षमता

160-61

5824. श्री रघुनाथ झा: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम भंडारण क्षमता का आदर्शतम स्तर तक उपयोग नहीं कर रहा है;

(ख) इसके अपने स्वामित्व वाले, किराये पर लिए हुए गोदामों की कुल भंडारण क्षमता कितनी है और आज की तिथि के अनुसार एक समय में उनकी कितनी क्षमता का उपयोग किया जाता है;

(ग) क्या अनेक उच्चस्तरीय समितियों ने घाटे में चल रहे गोदामों को बंद करने की सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो आज तक कितने गोदाम बंद किए जा चुके हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो के मानदंडों के अनुसार भंडारण क्षमता के उपयोग का इष्टतम स्तर 75 प्रतिशत है। 28.2.2003 की स्थिति के अनुसार उठान में वृद्धि होने के कारण भारतीय खाद्य निगम द्वारा ढकी हुई क्षमता का किया गया इष्टतम उपयोग लगभग 68 प्रतिशत था।

(ख) 28.2.2003 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम की ढकी हुई भंडारण क्षमता निम्नानुसार है:

आंकड़े मिलियन टन में

ढकी हुई क्षमता	क्षमता	स्टाक	उपयोगिता प्रतिशत
अपनी	12.82	7.12	56%
किराये की	14.02	11.20	80%
जोड़	26.84	18.32	68%

(ग) और (घ) किसी स्थान विशेष पर भारतीय खाद्य निगम की आवश्यकता और भण्डारण सुविधा की उपलब्धता के आधार पर गोदाम किराए पर लिए जाते हैं। जो गोदाम आर्थिक रूप से अलाभप्रद हैं अथवा प्रचालनात्मक रूप से आवश्यक नहीं होते हैं उन्हें किराये से हटाने/बंद करने के लिए भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय प्रमुखों द्वारा आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है।

एन.आई.एस.एस.टी. का भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को अंतरण

5825. श्री राम सिंह राठवा:
श्री बालकृष्ण चौहान: 161-62

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय गन्ना और चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान, मऊ की अवसंरचना को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को अंतरित करने का सिद्धांत रूप में निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसे आई.सी.ए.आर. को वास्तविक रूप में कब तक हस्तांतरित किए जाने की संभावना है;

(ग) एन.आई.एस.एस.टी. की अवसंरचना को आई.सी.ए.आर. को अब तक हस्तांतरित न किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) हस्तांतरण प्रक्रिया को तीन वर्षों तक लम्बित रखने के क्या कारण हैं; और

(ङ) कर्मचारियों को आई.सी.ए.आर. को किस प्रकार से स्थानांतरित किया जाएगा?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) से (ग) मऊ, उत्तर प्रदेश स्थित राष्ट्रीय गन्ना और चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली को अंतरित कर दिया गया है।

(घ) अंतरण प्रक्रिया को लंबित नहीं रखा गया था।

(ङ) राष्ट्रीय गन्ना और चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान, मऊ में 20 पदों और उन पर भर्ती किए गए कर्मचारियों की सेवाएं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को अंतरित कर दी गई है।

रेशम का विकास 162-

5826. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रेशम के विकास हेतु 565 करोड़ रुपये देने पर सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी योजनावार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हमारे देश के रेशम उत्पादकों को रेशम के उत्पादन में गुणात्मक और मात्रात्मक सुधार हेतु अध्ययन व प्रशिक्षण हेतु चीन भेजा जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) और (ख) दसवीं योजना अवधि के दौरान रेशम के विकास के लिए 450 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। दसवीं योजना अवधि के दौरान क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) किसानों और विशेषज्ञों के अध्ययन एवं प्रदर्शन संबंधी दौरे समय-समय पर चीन सहित विभिन्न रेशम उत्पादक व प्रसंस्करक देशों में किए जा रहे हैं, जिससे हम उनके अनुभवों से सीख सकते हैं।

विवरण

केंद्रीय रेशम बोर्ड की दसवीं योजना की योजनाएं

क्र.सं.	योजना का नाम	आवंटित परिव्यय
1.	अनुसंधान और विकास/प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण/प्रशिक्षण	207.34 करोड़ रुपए
2.	बीज सहायता व तकनीकी सहायता/मानव संसाधन विकास	56.24 करोड़ रुपए
3.	उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम	173.73 करोड़ रुपए
4.	राज्यों के साथ विशिष्ट, विशेष भागीदारी परियोजना	7.25 करोड़ रुपए
5.	आसूचना प्रौद्योगिकी पहलें	2.50 करोड़ रुपए
6.	गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्रणाली	1.85 करोड़ रुपए
7.	यू.एन.डी.पी.-सहायित फाईबर विकास कार्यक्रम (बाह्य रूप से सहायित)	1.09 करोड़ रुपए
	कुल	450.00 करोड़ रुपए

भारत-रूस व्यापार संबंध

5827. श्री के.पी. सिंह देव: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारत-रूस व्यापार और आर्थिक सहयोग में विस्तार करने के लिए कदम उठा रही है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में कौन से विभिन्न कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) जी हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत सरकार ने भारत-रूस व्यापार और आर्थिक सहयोग में सुधार करने के लिए कुछेक उपाय किए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- उच्च स्तर पर विचार-विमर्श सहित वार्ताओं को आगे बढ़ाना;
- संयुक्त आयोग/कार्यदल/उप-दल बैठकों के जरिए सरकारी स्तर पर द्विपक्षीय व्यापार की लगातार समीक्षा;
- शिष्टमंडलों, संयुक्त व्यवसाय परिषदों के आदान-प्रदान, प्रदर्शनियों, मेलों, क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करके और उनमें भागीदारी करके प्रत्यक्ष व्यवसाय संपर्कों को प्रोन्नत करना आदि।

दक्षिण एशिया में व्यापार को बढ़ावा

5828. श्री अनन्त नायक: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास दक्षिण एशिया में व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में आगामी पांच वर्षों के लिए तैयार किया गया प्रस्ताव क्या है; और

(ग) दक्षिण एशियाई देशों के साथ किन-किन क्षेत्रों में व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) सरकार की नीति दक्षिण एशिया के देशों सहित सभी देशों के साथ व्यापार एवं वाणिज्य को बढ़ाने की है।

(ख) व्यापार एवं वाणिज्य का संवर्धन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। व्यापार को बढ़ाने के लिए भारत सार्क अधिमानी व्यापार व्यवस्था (साप्टा) के तहत दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग एसोसिएशन (सार्क) के सदस्य देशों के साथ टैरिफ रियायतों का आदान-प्रदान करता आ रहा है। भारत द्वारा श्रीलंका के साथ द्विपक्षीय मुक्त व्यापार करार किया जा चुका है। भारत ने बंगलादेश के साथ मुक्त व्यापार करार का प्रस्ताव भी किया है।

(ग) व्यापार का संवर्धन पारस्परिक हित की सभी वस्तुओं और सेवाओं में किया जाता है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में पटसन/खरीद केन्द्र

5829. श्री शिवराजसिंह चौहान: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को मध्य प्रदेश में भारतीय पटसन निगम के और अधिक पटसन केन्द्र खोलने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई का गई है; और

(घ) उक्त केन्द्रों के कब तक खोले जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड़ा पाटिल (यत्नाल)]: (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

भारत-म्यांमार व्यापार

5830. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास भारत-म्यांमार व्यापार का विस्तार करने के लिए कोई प्रस्ताव हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने भारत-म्यांमार सीमा व्यापार को वैध कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) जी, हां। म्यांमार सहित मित्र देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए सतत् प्रयास किए जा रहे हैं। इस संबंध में उठाए गए कदमों में सरकारी स्तर पर भारत-म्यांमार व्यापार की समय-समय पर समीक्षा करना, उच्चस्तरीय सरकारी और व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों को भेजना-बुलाना, एक-दूसरे देश में प्रदर्शनियां/मेले आयोजित करना शामिल हैं।

(ग) और (घ) भारत-म्यांमार सीमा व्यापार 21 जनवरी, 1994 को दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित सीमा व्यापार करार, जो 12 अप्रैल, 1995 से लागू हुआ था, के तहत मोरेह-तामू सीमा केन्द्रों के जरिए सुगमतापूर्वक किया जा रहा है।

165-66

राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच का अप्रभावी कार्यकरण

5831. श्री सुन्दर लाल तिवारी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच और राज्य में कई मंच लिपकीय स्टाफ समेत सुविधाओं के अभाव के कारण प्रभावी ढंग से काम नहीं कर रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में इसमें कितने मामले दर्ज कराए गए और राष्ट्रीय और राज्य उपभोक्ता मंच दोनों द्वारा कितने मामले निपटाए गए; और

(ग) उक्त मंचों को प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए किन सुविधाओं की योजना बनाई गई और इसके लिए कितने बजट की आवश्यकता हुई?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) से (ग) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के उपबंधों के अनुसार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों की स्थापना और उनके सुचारू कार्यकरण की जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। तथापि, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के प्रभावी कार्यकरण हेतु आधार ढांचे को मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 1995-99 के दौरान 50 लाख रुपए प्रति राज्य आयोग और 10 लाख रुपए प्रति जिला मंच की दर से एकबारगी वित्तीय सहायता प्रदान की है। इसी प्रकार राष्ट्रीय आयोग की स्थापना और उसके सुचारू कार्यकरण की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के प्रभावी कार्यकरण के लिए इसको सहायक कर्मचारी और निधियों सहित आवश्यक आधार ढांचा प्रदान किया गया है।

राष्ट्रीय आयोग द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत गठित उपभोक्ता विवाद प्रतितोष एजेंसियों के समक्ष उनकी स्थापना काल से 19,91,131 मामले दायर किए जा चुके हैं जिनमें से उन्होंने 16,50,919 मामले (82.9 प्रतिशत) पहले ही निपटा दिए हैं जो किसी भी दृष्टि से एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।

166-67

सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खाद्यान्न प्रबंधन संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम

5832. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय योजना स्कीम के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खाद्यान्न प्रबंधन के संबंध में विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए राज्यों को प्रशिक्षण अनुसंधान और निगरानी, वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजन के लिए राज्यों को राज्यवार कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ग) इस प्रयोजन के लिए केन्द्र सरकार को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से वित्तीय सहायता हेतु राज्यवार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और अभी तक राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं; और

(घ) अभी कितने प्रस्ताव लंबित हैं और इन प्रस्तावों के कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता निम्नानुसार है:

वर्ष	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्वीकृत वित्तीय सहायता (लाख रुपये में)
1	2	3
2000-2001	शून्य	शून्य
2001-02	बिहार	3.00
	झारखंड	2.00
	मिजोरम	2.00
	उड़ीसा	0.50

1	2	3
	तमिलनाडु	1.50
	पांडिचेरी	0.30
2002-2003	आंध्र प्रदेश	2.00
	राजस्थान	0.50

(ग) सरकार को प्राप्त हुए प्रस्तावों और निपटाए गए प्रस्तावों की संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की संख्या जिनके लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए थे	मंजूर किए गए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की संख्या
2000-2001	शून्य	शून्य	शून्य
2001-02	बिहार	6	6
	झारखंड	4	4
	मिजोरम	2	2
	उड़ीसा	1	1
	तमिलनाडु	3	3
	पांडिचेरी	1	1
2002-2003	आंध्र प्रदेश	12	4
	राजस्थान	1	1
		8	शून्य

(घ) 16 प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों (आंध्र प्रदेश और बिहार में से प्रत्येक से 8) के लिए प्रस्ताव राज्य सरकारों से संशोधित अनुसूचियां प्राप्त न होने के कारण लम्बित हैं।

167-68

नकली औषधियों का निर्यात

5833. श्री किरीट सोमैया: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत से अफ्रीकी देशों को निर्यात की जा रही नकली औषधियों पर ध्यान दिया है;

(ख) क्या हाल में मुंबई के निकट अंबरनाथ में अफ्रीकी देशों को निर्यात किए जाने के लिए तैयार माल की खेप का पता लगा है तथा उसे पकड़ लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या रसायन और उर्वरक मंत्रालय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने इस संबंध में समन्वय कर कोई संयुक्त कार्रवाई की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या ब्यौरा है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) नकली दवाईयों की खेप का पता लगाने और उसे पकड़ने का समाचार नवकल, मराठी नामक स्थानीय समाचार पत्र में दिनांक 6.2.2003 को प्रकाशित हुआ था। समाचार के अनुसार, खाद्य एवं औषध प्राधिकारियों (एफडीए) के निर्देशों के अंतर्गत पुलिस को यह सूचित किया गया था कि एमआईडीजी अम्बरनाथ, महाराष्ट्र में मैसर्स जो फार्मा नकली दवाईयों के व्यापार में संलिप्त हैं। इस फर्म द्वारा प्राप्त खेपों की जांच करने पर उन्हें यह मालूम हुआ कि बिवण्डी-कशाली में स्थित "ओम सांई" भण्डारागार से उन्हें नकली सामग्री की आपूर्ति की जा रही है। जो फार्मा को सुपुर्दगी के लिए नियत ट्रक एवं टैम्पो में डुप्लीकेट आइडीन (फिजर), सिप्राकेसिन (बायर) पामाडोल (स्मिथकलिन ग्लैक्सो), सुपराप्टिक (यूनिग्रास), चेमोक्लीन (पार्क डेविस), जेंटिल (रोश), क्राटेक्स (जानिका) और वियाग्रा (फिजर) से भरा हुआ था। समाचार पत्र की रिपोर्ट इस खेप के गंतव्य स्थान के बारे में खामोश है तथापि, उपर्युक्त समाचार किसी अंग्रेजी समाचार-पत्र में प्रकाशित नहीं हुआ है। एफडीए इस मामले पर अब सीआईडी शाखा के साथ कार्यवाही कर रहा है।

(घ) जी, हां।

(ङ) नाइजीरिया स्थित भारतीय उच्चायोग ने सूचित किया है कि नेशनल एजेंसी फार फूड एंड ड्रग्स कन्ट्रोल, नाइजीरिया ने एक सार्वजनिक सूचना के जरिए कुछेक भारतीय कंपनियों को नकली एवं घटिया दवाईयों का निर्माण करने और नाइजीरिया में उनका आयात करने के लिए वर्ज्य सूची में शामिल कर दिया है। भारत से अफ्रीका को नकली दवाईयों का निर्यात किए जाने संबंधी मामला मुंबई में 26-29 सितम्बर, 2001 के दौरान आयोजित भारत-अफ्रीका स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन में एक मुख्य मुद्दा था। वाणिज्य एवं उद्योग और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार और फिक्की उपर्युक्त शिखर सम्मेलन में, कुछ प्रमुख भागीदार थे।

औषधि नियंत्रक द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि सामान्य तौर पर औषधि प्रशासन अलग-अलग उत्पादों के लिए गुणवत्ता विशिष्टताएं अथवा उत्तम विनिर्माण प्रथा (जीएमपी) निर्धारित करता है। सभी औषधि विनिर्माता एककों को, किसी भी प्रयोजनार्थ चाहे वह घरेलू खपत के लिए हो अथवा निर्यातों के लिए, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा यथानिर्धारित प्रत्येक चरण में ठोस मानकों का अनुपालन करना होता है। भारत के विशाल आकार एवं विधिवत के कारण, केन्द्रीय सरकार केवल कतिपय मूलभूत नियमों का निर्धारण करती है और केन्द्रीय सरकार की ओर से राज्य सरकारों द्वारा यथानिर्धारित प्रत्येक चरण में ठोस मानकों का अनुपालन करना होता है। भारत के विशाल आकार एवं विविधता के कारण, केन्द्रीय सरकार केवल कतिपय मूलभूत नियमों का निर्धारण करती है और केन्द्रीय सरकार की ओर से सलाह भी दी है कि वे दवाईयों के आयातों के बारे में और अधिक कड़े नियम निर्धारित करें। यह भी स्पष्ट किया गया था कि क्रेता को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकारी निविदाओं में उपयुक्त विनिर्दिष्टताओं को शामिल करके नकली दवाईयों को देश से बाहर रखा जाए।

[हिन्दी]

बैंकों में अदावाकृत धनराशि

5834. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विभिन्न बैंकों में जमार्कताओं के करोड़ों रुपए ऐसे हैं जिनका कोई दावेदार नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक में ऐसी अदावाकृत धनराशि के लिए ''डिपाजिटर्स प्रोटेक्शन ट्रस्ट फंड'' के गठन करने का सुझाव दिया है, जिसका प्रबंधन किसी कंपनी या नियामक प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा;

(घ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संबंध में उपबंध बनाने के लिए बैंककारी अधिनियम, 1949 में संशोधन करने का सुझाव भी दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि 31 दिसम्बर, 2002 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास पड़ी कुल अदावी जमाराशियां 680.05 करोड़ रुपए थीं। अदावी जमाराशियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

बैंक ग्रुप	अदावी जमाराशियां (करोड़ रुपए में)
एसबीआई समूह के बैंक	144.26
राष्ट्रीयकृत बैंक	425.24
गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक	38.45
विदेशी बैंक	72.10

(ग) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने जमाकर्ता संरक्षण न्यास निधि के सृजन के लिए सरकार को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में एक नई धारा सन्निविष्ट करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है जिनमें ऐसी अदावी जमाराशियों को जमा कर दिया जाएगा। प्रस्ताव सरकार के जांच के अधीन है।

[अनुवाद]

सीफूड कंटेनरों को नष्ट करना

5835. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत से सीफूड आयात करने वाले कुछ देश अपने द्वारा अस्वीकृत किए सीफूड कंटेनरों को नष्ट कर रहे हैं;

(ख) क्या सीफूड निर्यातकों ने अस्वीकृत सीफूड कंटेनरों को नष्ट करने का कड़ा विरोध किया है;

(ग) क्या सीफूड निर्यातक संघ ने आयातकर्ता देशों द्वारा अस्वीकृत आयातित उत्पादों को नष्ट करने की बजाय उन्हें वापस करने की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में सीफूड निर्यातकों को वित्तीय हानि से बचाने में सहायता करने के लिए कौन से कदम उठाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) यह सूचना प्राप्त हुई है कि फ्रांस के स्वास्थ्य प्राधिकारियों ने भारत द्वारा निर्यातित समुद्री उत्पादों की कुछ खेपों को नष्ट किया है।

(ख) और (ग) जी हां।

(घ) भारत में सक्षम प्राधिकारी अर्थात् निर्यात निरीक्षण परिषद् ने आयातक देश के संबंधित प्राधिकारियों से यह अनुरोध किया था कि कार्गो को नष्ट करने के बजाय उसे भारत में निरीक्षण, परीक्षण तथा आगे आवश्यक कार्यवाही के लिए वापस भेज दिया जाए। भारत सरकार ने खेपों को नष्ट किए जाने का कड़ा विरोध किया है और संबंधित प्राधिकारियों पर इस बात का दवाब डालने के लिए इस मुद्दे को यूरोपीय संघ के देशों में स्थित सभी भारतीय मिशनों के साथ उठाया है कि जब कार्गो आयातक देश के अपेक्षित गुणवत्ता मानकों को पूरा न करता हो, तो उसे नष्ट करने के बजाय उसे निर्यातक देश को वापस कर दिया जाए। केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री ने फ्रांस के व्यापार एवं वाणिज्य मंत्री के साथ फरवरी, 2003 में हुई बैठक में भी यह मुद्दा उठाया था। द्विपक्षीय भारत-यूरोपीय संघ संयुक्त आयोग की मार्च, 2003 में हुई बैठक में भी यूरोपीय आयोग के साथ यह मुद्दा उठाया गया। साथ ही साथ सरकार/ई आई सी ने भी हमारे समुद्री खाद्य निर्यातकों पर आवश्यक कदम उठाने के लिए दवाब डाला है ताकि अस्वीकृति के कारण उत्पन्न होने वाली इस प्रकार की घटना से बचा जा सके।

171-72

रबर होल्डिंग्स

5836. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रबर बोर्ड ने वर्ष 1988 में रबर होल्डिंग्स की गणना शुरू की थी;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अभी तक कितना व्यय किया गया है और इस मामले में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) गणना की अति धीमा गति के क्या कारण हैं; और

(घ) रबर होल्डिंग्स की गणना के कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) रबड़ जोत-क्षेत्रों की गणना 1995-96 तक पूरी कर ली गई थी और इस कार्य में 38 लाख रुपये खर्च हुए थे। रबड़ जोत-क्षेत्रों की गणना रोजगार कार्यालय द्वारा पूर्णत: अस्थायी आधार पर प्रायोजित किए गए गणकों द्वारा की गई थी। गणकों का चयन, एक बार में उन्हें 89 दिनों से अधिक के लिए नियुक्त नहीं किया जाना, जब तक रोजगार कार्यालय द्वारा प्रायोजित न किया गया हो तब तक उन्हें दूसरी बार नियुक्त किए जाने पर रोक आदि कुछ ऐसे कारण थे जिनकी वजह से रबड़ जोत-क्षेत्रों की गणना का कार्य धीमा रहा था।

172-

भारतीय स्टेट बैंक के अशोध्य ऋण

5837. श्री सुबोध मोहिते: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्ष के दौरान भारतीय स्टेट बैंक और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋणों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गत वित्त वर्ष में डाला गया बट्टा खाता पिछले वर्षों से अधिक है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) पिछले वर्षों की तुलना में गत वित्त वर्ष में इन बैंकों द्वारा गैर-निष्पादक आस्तियों की वसूली का ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (घ) वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 (नवीनतम उपलब्ध) के दौरान भारतीय स्टेट बैंक और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋणों की राशि और अनुपयोज्य आस्तियों की राशि निम्नलिखित है:

(करोड़ रुपये में)

	बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋण		कुल वसूली	
	2000-01	2001-02	2000-01	2001-02
भारतीय स्टेट बैंक	982	2492	3723.80	4559.35
राष्ट्रीयकृत बैंक	3334.50	3223.67	8590.90	7823.41

(ख) और (ग) जी, हां। सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते डाले जाने का सहारा बैंकों द्वारा तब लिया जाता है, जब अन्य सभी साधनों से वसूली के अवसर पूर्णत: समाप्त हो जाएं। अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते डालने से पहले बैंक पूरी सावधानी रखते हैं। बैंकों द्वारा दिए गये ऋणों/अग्रिम राशि की बड़ी मात्रा को देखते हुए अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते डालने में हुई कुछ वृद्धि बैंकिंग की एक सामान्य घटना है।

172-73

राज्य सरकार द्वारा बाजार से उधार लेना

5838. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक को राज्यों को चालू वित्त वर्ष में बाजार से 20,000 करोड़ रु. का अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति देने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार के इस प्रस्ताव पर भारतीय रिजर्व बैंक की क्या प्रतिक्रिया रही है; और

(ग) राज्य सरकारों को किस प्रयोजन के लिए बाजार से इस अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति दी गई है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

आई.एफ.सी.आई. का विभाजन

5839. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का आई एफ सी आई को दो भागों में विभाजित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इराक में व्यवसायिक संविदाएं

5840. **श्रीमती निवेदिता माने:**
श्री चन्द्रनाथ सिंह:
श्री राम मोहन गाड्डे:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ (फिक्की) ने इराक में व्यवसायिक संविदाओं के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय कंपनियां लगभग 15 बिलियन अमरीकी डालर के मूल्य के उपसंविदा प्राप्त करंगी; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) सरकार को इराक में व्यापार संविदाओं के संबंध में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल परिसंघ (फिक्की) द्वारा किए गए किसी सर्वेक्षण की जानकारी नहीं है। तथापि, फिक्की ने इराक को पुनर्निर्माण तथा लोकोपकारी आपूर्तियों के बारे में एक अध्ययन किया था। फिक्की द्वारा किए गए अध्ययन की मुख्य-मख्य बातें निम्नानुसार हैं:

(1) संयुक्त राष्ट्र ने अनुमोदित और वित्त पोषित संविदाओं में से जिन्हें सीरिया, तुर्की, जोर्डन, कुवैत तथा ईरान में सामरिक पत्तनों पर 45 दिनों में सुपुर्दगी किए जाने के लिए आपातकालीन जरूरतों के लिए इराक में "खाद्य हेतु तेल कार्यक्रम" को जारी रखने और इसके विस्तार का अधिसूचित करते हुए 28 मार्च, 2003 को संकल्प 1472 पारित किया था।

(2) फिक्की को भारत द्वारा किए जा सकने वाले प्रस्ताव को प्रस्तुत करने और भारतीय व्यापार के हित को ध्यान रखा जाना सुनिश्चित करने के लिए न्यूयार्क में इराक कार्यक्रम के कार्यालय (ओआईपी)-संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों के साथ बैठक करने के लिए एक शिष्टमंडल भेजना चाहिए।

(3) फिक्की द्वारा एकत्र की गई सूचना से यह पता चलता है कि भारतीय व्यापारी तैयार हैं और वे छ: अभिज्ञात क्षेत्रों को अनेक मदों की आपूर्तियां उपलब्ध कराने में समर्थ होंगे।

(ग) फिक्की के अध्ययन के अनुसार, 3000 करोड़ रु. मूल्य से अधिक की वस्तुओं के लिए संविदाएं पहले ही की जा चुकी हैं और भारतीय व्यापारी (सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों में) उन्हें शीघ्र निष्पादित करना चाहेंगे। इसके अलावा, निकट भविष्य में 2000 करोड़ रु. मूल्य की संविधाएं करने की संभावना है।

(घ) सरकार भारत के स्थायी मिशन (पीएमआई) न्यूयार्क के जरिए भारतीय निर्यातकों के साथ इराक कार्यक्रम कार्यालय (ओ आई पी) द्वारा पहले की गई संविदाओं के निष्पादन को सुकर बना रही है। ओ आई पी ने आवश्यक लोकोपकारी मदों की आपूर्ति हेतु विश्वभर की कुल 327 संविदाओं में से 30 भारतीय संविदाओं को प्राथमिकता वाली सूची में रखा है। सरकार शीर्षस्थ व्यापारिक और औद्योगिक संगठनों समेत संबंधित एजेंसियों के साथ भी लगातार सम्पर्क बनाए हुए है और इराक को निर्यात सुकर बनाने के लिए पी एम आई, न्यूयार्क के जरिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है।

[हिन्दी]

दालों का आयात

5841. **श्री हरिभाई चौधरी:**
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक के दौरान देश में कितनी मात्रा और मूल्य की दालें आयात की गई हैं और चालू वर्ष में कितनी मात्रा और मूल्य की दालों का आयात किया जाना है;

(ख) दालों के आयात को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं; और

(ग) अपने प्रयासों में सरकार किस हद तक सफल हुई है और इस संबंध में क्या स्पष्टीकरण है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) गत तीन वर्षों के दौरान हर वर्ष में देश में आयात की गई दालों की मात्रा व उनके मूल्य निम्न प्रकार रहे और चालू वर्ष के दौरान यही रुख जारी रहने की संभावना है।

वर्ष	मात्रा (लाख टन में)	मूल्य
2000-01	3.50	49,847.40
2001-02	21.77	315,56.59
2002-03* (*दिसम्बर, 2002 तक)	15.02	205,822.58

(ख) और (ग) सरकार ने देश में दालों के उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने हेतु कई कदम उठाए हैं। उत्पादन, प्रक्रमण, भण्डारण, विपणन एवं व्यापार के क्षेत्र में एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने हेतु 1990-91 में दालों को "दाल एवं तेल बीज तकनीकी मिशन" (टीएमओपी) के तहत लाया गया। परिणामतः 1990 के दशक में दालों के उत्पादन एवं उत्पादकता में पर्याप्त वृद्धि हुई है। प्रतिकूल जलवायुजन्य परिस्थितियों के कारण घरेलू उत्पादन में आई गिरावट के परिणामस्वरूप विगत दो वर्षों में दालों के आयात में बढ़ोत्तरी हुई है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में फसल विधीकरण एवं उत्पादन प्रणाली के पुष्टिकरण के जरिए दालों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए टी एम ओ पी को सुदृढ़ करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

योजना आयोग के कार्यकरण की निगरानी

5842. **श्री लक्ष्मण गिलुवा:**
श्री मानसिंह पटेल:

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने निधियों की निगरानी के लिए योजना आयोग के कार्यकरण का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने का विचार है; और

(घ) सरकार इन प्रस्तावों को किस सीमा तक कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

जनजातीय युवकों के लिए रोजगार योजना

5843. **श्री रामदास आठवले:**
डा. डी.वी.जी. शंकर राव:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के जनजातीय समुदाय से संबंधित युवकों को रोजगार प्रदान करने के लिए कोई विशिष्ट योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, जनजातीय कार्य मंत्रालय "जनजातीय क्षेत्र में व्यावसायिक प्रशिक्षण" की एक योजना का कार्यन्वयन करता है जिसके अंतर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए अनुदान स्वीकृत किए जाते हैं जिसका उद्देश्य बेरोजगार जनजातीय युवकों के लिए व्यवसायिक कौशल उपलब्ध कराना है ताकि उन्हें रोजगार/स्व-रोजगार के माध्यम से जीविकोपार्जन में मदद मिले।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम आय सृजन के लिए उद्यम स्थापित करने के लिए पात्र जनजातीय

उद्यमियों को राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराता है। ये उद्यम अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी सृजित करते हैं। व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र योजना की प्रमुख विशेषताएं हैं:

(क) प्रत्येक व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की क्षमता 100 अनुसूचित जनजाति युवा है जिसमें 50 के लिए छात्रावास की सुविधा है।

(ख) प्रत्येक व्यावसायिक केन्द्र की क्षमता उस क्षेत्र में रोजगार संभाव्यता के आधार पर पारंपरिक हुनर में पांच व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की आवश्यकता पूरी करने की है।

(ग) प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को उनकी रुचि के अनुसार दो व्यवसायों में प्रशिक्षित किया जाता है।

(घ) प्रत्येक व्यवसाय में प्रत्येक पाठ्यक्रम की अवधि 3 महीने हैं।

(ङ) प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को वास्तविक अनुभव के लिए 6 महीने की अवधि के लिए अर्द्ध-शहरी क्षेत्र में सिद्धहस्त शिल्पी के साथ लगाया जाता है।

(च) इस योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकारों के साथ-साथ गैर-सरकारी संगठनों द्वारा भी किया जा सकता है।

एनएसटीएफडीसी की योजनाओं की मुख्य विशेषताएं:

- कृषि, औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्र में आय सृजन करने की गतिविधियों के लिए 10 लाख रुपए प्रति यूनिट/लाभ केन्द्र तक की लागत की व्यवहार्य योजनाएं/परियोजनाएं शुरू करने के लिए गरीबी रेखा की आय सीमा से दोगुने तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले पात्र अनुसूचित जनजाति लाभार्थियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।

- कौशल और ज्ञान के उन्नयन के लिए अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रशिक्षण अनुदान उपलब्ध कराना।

- अनुसूचित जनजातियों द्वारा संग्रहित/उत्पादित लघु वन उत्पाद/कृषि उत्पाद की प्राप्ति और विपणन तथा राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगमों और ट्राइफेड के माध्यम से जनजातीय उत्पादों के विपणन के लिए कार्यकारी पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।

[अनुवाद]

1787

सुनिश्चित पदोन्नति योजना

5844. श्री अमर राय प्रधान: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी अधिकारियों के स्टैगनेशन की शिकायतों का समाधान करने के लिए पांचवें वेतन आयोग में सुनिश्चित पदोन्नति योजना की घोषणा की गई थी;

(ख) क्या यह सुनिश्चित पदोन्नति योजना (ए.सी.पी.) भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों के लिए कार्यान्वित नहीं की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा कौन से सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी हां। पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक सुनिश्चित कॅरियर-प्रोन्नयन योजना (ए.सी.पी.) की सिफारिश की थी।

(ख) से (घ) ए.सी.पी. स्कीम के संबंध में पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और ये विशिष्ट रूप से केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हैं तथा सरकार से बाहर किसी अन्य संगठन के कर्मचारियों पर स्वयं ही लागू नहीं होती हैं।

[हिन्दी]

1788-84

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

5845. श्री राम विलास पासवान: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक के दौरान किन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया जा रहा है;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान देश में कुल निवेश की तुलना में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का वास्तविक प्रतिशत कितना है;

(ग) क्या सरकार ने उपर्युक्त अवधि के दौरान उपर्युक्त प्रत्येक क्षेत्र में इस प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के कारण धनराशि के वास्तविक बहिस्राव और सृजित रोजगार का मूल्यांकन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश द्वारा घरेलू औद्योगिक क्षेत्रों का प्रभावित न होना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) 2000-2002 के दौरान भारत में हुए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अंतर्वाह निम्न प्रकार हैं:

वर्ष (जनवरी-दिसंबर)	भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अंतर्वाह (बिलियन यू.एस. डालर में)
2000	2.43
2001	3.57
2002	3.38

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) के क्षेत्र-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) यू.एन.सी.टी.ए.डी. की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, 2002 के नवीनतम प्रकाशन के अनुसार वर्ष 1998-2000 के लिए भारत में सकल स्थिर पूंजी निर्माण के प्रतिशत के रूप में एफ.डी.आई. नीचे दिया गया है:

वर्ष (जनवरी-दिसंबर)	भारत में सकल स्थिर पूंजी निर्माण के प्रतिशत के रूप में बाहर से आने वाले अंतर्वाह
1998	2.9
1999	2.2
2000	2.3

(ग) और (घ) मूल निवेशों को स्वदेश भेजने के कारण निधियों का कोई बड़ा बहिर्वाह नहीं हुआ है। लाभांश को स्वदेश भेजने, प्रौद्योगिकी शुल्क भुगतान, आदि के कारण होने वाला बहिर्वाह भी महत्वपूर्ण नहीं था। बहिर्वाह के विस्तृत आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वार्षिक रूप से प्रकाशित किए जाते हैं। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से विशेषकर ग्रीनफील्ड परियोजनाओं में, जैसे कि घरेलू निवेश के मामले में, रोजगार का सृजन होता है। विदेशी निवेशक के अनुमोदित प्रस्तावों के फलस्वरूप होने वाले रोजागार सृजन के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ङ) एफ.डी.आई. घरेलू निवेश के प्रयासों में पूरक की भूमिका निभाता है। बचत-निवेश के अंतर को पाटने के लिए अतिरिक्त पूंजी उपलब्ध कराने के अलावा, एफ.डी.आई. से आधुनिक प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन प्रथाओं का समावेश होता है और विदेशी बाजारों में पहुंच भी सुलभ होती है जिसके परिणामस्वरूप भारतीय उद्योग की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा क्षमता अधिक हो जाती है।

विवरण

1.1.2000 से 31.12.2002 तक की अवधि में हुए क्षेत्र-वार अंतर्वाह

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	क्षेत्र	(अंतर्वाह की राशि)			
		2000 (जन.-दिस.)	2001 (जन.-दिस.)	2002 (जन.-दिस.)	योग
1	2	3	4	5	6
1.	धातुकर्मी उद्योग	65.41	124.64	182.59	372.63
2.	ईंधन (विद्युत और तेल रिफाइनरी)	484.02	536.88	2807.29	3828.19
3.	विद्युत उपकरण (एस/डब्ल्यू व विद्युत सहित)	1201.22	1875.73	2550.99	5627.95
4.	दूर संचार	685.54	4227.25	749.58	5662.37
5.	परिवहन उद्योग	1225.98	1143.68	281.63	2651.29
6.	औद्योगिक मशीनरी	29.97	74.90	58.52	163.29

1	2	3	4	5	6
7.	मशीन उपकरण	10.37	13.66	13.82	37.85
8.	कृषि मशीनरी	15.65	0.00	5.00	20.65
9.	अर्थ मूविंग मशीनरी	0.00	0.48	0.43	0.91
10.	विविध मैकेनिकल और इंजीनियरिंग	109.85	299.00	115.88	524.74
11.	व्यय/कार्यालय एवं घरेलू उपकरण	55.05	13.54	12.19	80.78
12.	मेडिकल तथा सर्जिकल उपकरण	10.11	186.45	109.31	305.87
13.	औद्योगिक उपकरण	0.00	0.10	0.35	0.45
14.	वैज्ञानिक उपकरण	23.81	10.47	0.15	34.42
15.	गणितीय, सर्वेक्षण एवं आरेखन	0.00	0.00	0.02	0.02
16.	उर्वरक	0.50	0.00	78.63	79.13
17.	रसायन (उर्वरक के अतिरिक्त)	538.07	163.98	193.82	895.87
18.	फोटोग्राफिक रॉ फिल्म और पेपर	0.00	0.00	1.70	1.70
19.	डाई-स्टफ्स	4.50	0.00	0.87	5.37
20.	ड्रग्स तथा फार्मास्यूटिकल्स	207.99	147.23	92.76	447.98
21.	वस्त्र (डाईड, प्रिंटेड के साथ)	8.10	18.29	208.24	234.63
22.	कागज और लुग्दी (कागज उत्पाद सहित)	259.95	50.14	54.46	364.55
23.	चीनी	0.00	0.00	4.12	4.12
24.	किण्वन उद्योग	68.88	29.80	3.00	101.69
25.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	222.45	146.81	196.23	565.49
26.	रबड़ की वस्तुएं	16.20	3.07	178.72	198.00
27.	चमड़ा, चमड़े की वस्तुएं एवं पिकर्स	13.25	31.57	0.35	45.17
28.	ग्लू और गिलेटिन	0.00	0.00	25.07	25.07
29.	कांच	145.64	22.50	215.06	383.20
30.	सिरेमिक	8.28	10.04	1.10	19.41
31.	सीमेंट और जिप्सम उत्पाद	317.83	590.95	90.75	999.54
32.	परामर्श सेवाएं	14.83	234.00	97.13	345.96
33.	सेवा क्षेत्र	186.15	781.42	1005.87	1973.44
34.	होटल और पर्यटन	52.40	36.25	222.92	311.57

1	2	3	4	5	6
35.	व्यापार	123.98	201.64	181.93	507.54
36.	विविध उद्योग##	12886.92	8061.44	11534.39	32482.75
37.	एन आर आई, आर बी आई स्कीम*				
	एन आर आई, आर बी आई स्कीम	348.82	229.25	11.08	589.15
	योग	19341.70	19265.16	21285.96	59892.83

1. *1.1.2000 से 31.12.2002 तक की अवधि में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रशासित विशेष एन आर आई योजनाएं। देश-वार विवरण भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध नहीं हैं।
2. ##विविध उद्योगों में विविध क्षेत्र यूरो निर्गम (ए डी आर/जी डी आर), शेयरों के अधिग्रहण, शेयर के आबंटन के लिए लंबित अग्रिम और स्टाक विनिमय शामिल है।

विदेशों से ऋण

5846. **श्री रामदास रूपला गावीत:**
श्री रामसिंह राठवा:
श्री शिवराजसिंह चौहान:

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सरकार ने विभिन्न देशों से देशवार कितना ऋण लिया है;

(ख) दिनांक 31 मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार देश-वार कितने ऋण का पुनर्भुगतान किया गया है और उस ऋण पर कितना ब्याज दिया गया है;

(ग) क्या कुछ देशों से प्राप्त ऋण की राशि अप्रयुक्त पड़ी है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक के दौरान ततंसंबंधी राज्य-वार और परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिबद्धता प्रभार के रूप में कितना भुगतान किया गया है;

(च) कितनी परियोजनाएं पूरी हो गई हैं; और कितनी परियोजनाओं पर काम चल रहा है; और

(छ) ऋण की राशि का उपयोग करने में असफल रहने वाले राज्यों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दर्शाया गया है।

(ख) और (ङ) इसका ब्यौरा विवरण-II में दर्शाया गया है।

(ग) विदेशी सहायता अधिकांशत: परियोजना से जुड़ी होती है, इसलिए किसी भी परियोजना के लिए स्वीकृत किसी भी समय कुछ न कुछ राशि अप्रयुक्त रहती है जो यह प्रतिबंबित करता है कि सहायता राशि का मिलना जारी है जिसका उपयोग परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति के साथ-साथ किया जाता रहेगा।

(घ) और (छ) ऊपर भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

(च) इस समय, विभिन्न देशों से प्राप्त ऋणों की सहायता से सरकार द्वारा 60 परियोजनाओं पर कार्य जारी है। संबंधित देशों से प्राप्त ऋणों से अब तक निम्नलिखित परियोजनाओं को पूरा किया जा चुका है:

देश	पूरी की गई परियोजनाओं की संख्या
जापान	119
फ्रांस	56 (प्रोटोकोल)
डेनमार्क	14 (अम्ब्रेला एग्रीमेंट)
जर्मनी	167
सऊदी अरब	10
कुवैत	2

विवरण I

पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा विभिन्न देशों से लिया गया ऋण

(करोड़ रुपए)

देश का नाम	करार की राशि		
	2000-01	2001-02	2002-03
जर्मनी	187.67	624.72	0.00
जापान	278.74	1093.86	378.24

विवरण II

ऋण का पुनर्भुगतान तथा ऋण पर अदा किया गया ब्याज

(करोड़ रुपए)

देश का नाम	सरकारी ऋण का पुनर्भुगतान			सरकारी ऋण की ब्याज अदायगी			सरकारी ऋण के लिए अदा किए गए वचनबद्धता प्रभार		
	2000-01	2001-02	2002-03	2000-01	2001-02	2002-03	2000-01	2001-02	2002-03
आस्ट्रिया	9.14	9.96	11.74	2.98	2.72	2.97	0.00	0.00	0.00
बेल्जियम	23.57	21.98	24.43	0.57	0.40	0.31	0.00	0.00	0.00
कनाडा	59.66	60.06	61.91	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00
फ्रांस	206.82	211.28	744.53	110.48	102.94	110.31	0.27	0.22	0.19
स्विटजरलैंड	23.67	19.83	18.45	5.98	4.32	3.74	0.00	0.00	0.00
स्वीडन	159.42	160.71	184.88	1.38	1.33	0.99	0.00	0.00	0.00
जर्मनी	510.80	488.10	528.41	123.64	103.67	101.16	0.19	0.76	0.95
इटली	72.77	86.04	89.92	10.31	9.19	8.34	0.00	0.00	0.00
डेनमार्क	25.65	26.38	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ईरसी	4.82	4.93	5.35	1.08	1.07	1.09	0.00	0.00	0.00
चेक और स्लोवाक गणराज्य	4.28	4.28	4.28	0.48	0.37	0.26	0.00	0.00	0.00
रूसी संघ	261.36	211.36	251.27	38.59	39.74	5.14	0.00	0.00	0.00
जापान	1457.00	1604.02	1723.11	1038.68	978.19	1028.26	0.00	0.00	0.00
कुवैत निधि	63.73	54.85	47.44	10.89	8.80	6.70	0.00	0.00	0.00
नीदरलैंड	194.07	191.22	0.00	54.16	49.50	51.56	0.00	0.00	0.00
सऊदी अरब	13.12	7.09	7.21	2.05	1.77	1.51	0.00	0.00	0.00
आस्ट्रेलिया	5.10	7.67	7.86	0.79	0.72	0.61	0.00	0.00	0.00
स्पेन	18.26	19.11	19.35	3.38	3.15	2.81	0.00	0.00	0.00
सं.रा. अमरीका	635.07	654.45	652.84	174.79	167.20	153.79	0.00	0.00	0.00

[अनुवाद]

निर्वाचन के लिए उम्मीदवारों हेतु दिशा-निर्देश

5847. श्री दलपत सिंह परस्ते:
श्री अधीर चौधरी:

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्वाचन आयोग ने उन उम्मीदवारों के लिए नये दिशा-निर्देश भेजे हैं जिनके राज्य विधान सभाओं और लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नामांकन भरने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए जा रहे संशोधित दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त दिशा-निर्देशों को जारी करने के क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) भारत निर्वाचन आयोग ने रिट याचिकाओं, अर्थात् वर्ष 2002 की रिट याचिका (सिविल) सं. 490, 2002 की रिट याचिका (सिविल) सं. 509 और 2002 की रिट याचिका (सिविल) सं. 515 में उच्चतम न्यायालय द्वारा तारीख 13.3.2003 को दिए गए निर्णय के अनुपालन में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को किए गए अपने तारीख 27.3.2003 के आदेश के साथ पूर्वोक्त अनुदेश जारी किए हैं, जिसके द्वारा संसद और राज्य विधानमंडल का निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की गई है कि वे अपने नामांकन-पत्रों के भागरूप में शपथ पत्र पर स्वयं के बारे मे कतिपय जानकारी प्रस्तुत करें।

विवरण

पावती सहित रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 3/ई आर/2003/जे एस-II तारीख 27 मार्च, 2003

सेवा में

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
सभी राज्य और संघ राज्यक्षेत्र

विषय–अभ्यर्थियों के आपराधिक पूर्ववृत्त, आस्तियों और दायित्वों तथा शैक्षिक अर्हताओं के संबंध में निर्वाचकों के सूचना के अधिकार से संबंधित तारीख 13 मार्च, 2003 के उच्चतम न्यायालय के आदेश का कार्यान्वयन।

"xxxxxxxxxx

4. न्यायालय को व्यापक दृष्टिकोण लेना होता है और सूचना के अधिकार के लिए और उस अधिकार के मानदण्ड अधिकथित करते हुए विधान की परीक्षा करने में संतुलित पहुंच अपनानी होती है।

5. लोक प्रतिनिधित्व (तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा अंत: स्थापित धारा 33ख प्रथमत: संवैधानिक परीक्षण में सफल नहीं होती है, कारण यह है कि यह उस सूचना के प्रसारण पर पूर्णत: रोक अधिरोपित करती है, जो उस सूचना से भिन्न है, जिसे अधिनियमिति में समय की आवश्यकता और भविष्य की आवश्यकताओं तथा समीचीनता को ध्यान में लाए बिना परिभाषित किया गया है और द्वितीय इस कारण से कि रोक इस तथ्य के बावजूद प्रवर्तन में रहती है कि अब उपबंधित किया गया सूचना का प्रकटन अपूर्ण और अपर्याप्त है।

6. लम्बित आपराधिक मामलों और ऐसे मामलों में पूर्व में अन्तर्वलन के संबंध में संसद द्वारा धारा 33क के अधीन उपबन्धित सूचना का अधिकार मतदाता/नागरिक में निहित सूचना के अधिकार रक्षोपायों के लिए युक्तियुक्त रूप से पर्याप्त है। तथापि, उन लम्बित मामलों को जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है, प्रकटन की परिधि से अपवर्जित करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं हैं।

7. सदन के अध्यक्ष या सभापति को निर्वाचित अभ्यर्थियों की आस्तियों और दायित्वों की घोषणा के संबंध में धारा 75क में किए गए उपबंध मतदाताओं/नागरिकों के सूचना के अधिकार और वाक् स्वातन्त्र्य को प्रभावी बनाने में असफल रहे हैं। निर्वाचित अभ्यर्थियों की, उनके पति/पत्नी या आश्रित बच्चों सहित, आस्तियों और दायित्वों के प्रकटन पर बल देने की आवश्यकता को स्वीकार करने के पश्चात् अब, संसद् को नामांकन भरते समय इस जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए एक उपबन्ध करना चाहिए। ऐसे करने में असफल रहने का परिणाम अनुच्छेद 19 (1) (क) के अधीन गारंटी का उल्लंघन है।

xxxxxxxxxxxx

9. निर्वाचन आयोग द्वारा उन मामलों के संबंध में, जिनमें संज्ञान लिया गया है, इस आदेश में अधिकथित किए गए के अधीन रहते हुए धारा 33क का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए पुनरीक्षित अनुदेश जारी किए जाने हैं। आस्तियों और दायित्वों के प्रकटन से संबंधित निर्वाचन आयोग का आदेश अभी भी विधिमान्य है और प्रवर्तन में बना रहेगा। तथापि, जहां तक संक्षिप्त जांच के माध्यम से आस्तियों और दायित्वों के सत्यापन और गलत जानकारी देने या सारवान जानकारी को छिपाने के आधार पर नामांकन पत्र के रद्द किए जाने का संबंध है, पैरा 14 के निदेश संख्यांक 4 को प्रवर्तित नहीं किया जाना चाहिए।"

2. अत: माननीय न्यायालय के तारीख 13 मार्च, 2003 के आदेश के अनुसरण में, आयोग ने माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों, जो ऊपर पैरा 1 में उदधृत् हैं, को लागू करने और प्रभावी

बनाने के लिए मानदण्ड और प्रक्रियाओं को अन्तर्विष्ट करते हुए, संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन तारीख 27 मार्च, 2003 को एक विस्तृत आदेश किया है। उक्त आदेश सं. 3/ई आर/2003/जे एस-II, तारीख 27 मार्च, 2003 की एक प्रति सभी सम्बद्ध व्यक्तियों की जानकारी और कड़ाई से अनुपालन के लिए अग्रेषित की जाती है।

3. आयोग के आदेश के परिशीलन से यह दर्शित होगा कि आयोग ने आदेश के पैरा 16 में एक शपथपत्र (उक्त आदेश का अनुबंध 1) विहित किया है, जो प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा राज्य सभा, लोक सभा, किसी राज्य की विधान सभा या किसी राज्य की विधान परिषद् के किसी निर्वाचन के लिए अपना नामांकन पत्र फाइल करते समय फाइल करना होगा। अभ्यर्थी की ओर से उक्त शपथपत्र के प्रस्तुत न करने के परिणाम आदेश के पैरा 16 (3) में स्पष्ट रूप से वर्णित किए गए हैं। अभ्यर्थी द्वारा उक्त शपथपत्र में जानकारी का प्रचार करने की रीति भी आदेश के पैरा 16 (4) और 16 (5) में विनिर्दिष्ट की गई है।

4. आयोग का आदेश और इसके उपाबंध की प्रतियां तुरन्त सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, रिटर्निंग आफिसरों, सहायक रिटर्निंग आफिसर, और अन्य सम्बद्ध निर्वाचन प्राधिकारियों को प्रदाय की जानी चाहिएं। उन्हें इस आदेश और इसके उपाबंध की पर्याप्त प्रतियां मुद्रित या फोटोकापी करानी चाहिएं और जब कभी किसी आशयित अभ्यर्थी को नामांकन पत्र का प्ररूप प्रदाय किया जाता है तो वे नामांकन पत्र के प्ररूप के साथ आदेश और शपथपत्र के फार्मेट की एक-एक प्रति प्रदाय करेंगे। निर्वाचन संबंधी किसी अधिकारी द्वारा ऐसा करने में असफल रहने को गम्भीरता से लिया जाएगा।

5. यदि कोई अभ्यर्थी अपने नामांकन पत्र के साथ उक्त शपथपत्र फाइल करने में असफल रहता है, तो रिटर्निंग आफिसर द्वारा उसे लिखित ज्ञापन द्वारा आवश्यक कार्यवाही करने के लिए स्मरण दिलाया जाएगा। अभ्यर्थी को दिए जाने वाले ऐसे अनुस्मारक का मानक प्रारूप इस पत्र के साथ अनुबंध-क के रूप में संलग्न है। यह अनुस्मारक तुरन्त अभ्यर्थी को या नामांकन पत्र प्रस्तुत करने वाले उसके प्रस्थापक को तुरन्त जारी किया जाना चाहिए।

6. इस आदेश की प्रतियां सभी राजनैतिक दलों को इस अनुरोध के साथ प्रदाय की जानी चाहिएं कि वे इस सूचना की अन्तर्वस्तु को उनके द्वारा खड़े किए जाने वाले सभी अभ्यर्थियों की जानकारी में लाएं। इस विषय का सभी जनसंपर्क माध्यमों, मुद्रण और साथ ही इलैक्ट्रानिक माध्यम से विस्तृत रूप से प्रचार किया जाना चाहिए।

7. कृपया पत्र की पावती भेजें।

भवदीय

ह./
(ए.के. मजूमदार)
सचिव

मानक वितरण

अनुबंध-क

ज्ञापन सं. ..... तारीख.....
प्रेषक : .....के लिए रिटर्निंग आफिसर

सेवा में,

(अभ्यर्थी का नाम)

विषय–.....निर्वाचन क्षेत्र से.....के लिए निर्वाचन के संबंध में फाइल करने के लिए अपेक्षित शपथपत्र।

आपने आज उपर्युक्त निर्वाचन के लिए अपना नामांकन पत्र फाइल किया है, किन्तु आपने अपने नामांकन पत्र के साथ निर्वाचन आयोग द्वारा, उसके तारीख 27 मार्च, 2003 के आदेश सं. 3/ईआर/2003/जे एस-2 द्वारा विहित शपथ पत्र फाइल नहीं किया है। ऐसे आदेश और अपेक्षित शपथपत्र के फार्मेट की एक-एक प्रति आपकी तुरंत जानकारी के लिए संलग्न है।

2. आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अपेक्षित जानकारी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक या उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त औथ कमिश्नर के समक्ष सम्यक रूप से शपथित विहित शपथपत्र में प्रस्तुत करें।

3. यह नोट किया जाना चाहिए कि अपेक्षित शपथपत्र आपके द्वारा तुरन्त और निश्चित रूप से तारीख.....को.....बजे से पूर्व (नामांकन की संवीक्षा करने के लिए नियत समय और तारीख) प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

4. आप आयोग के ऊपर निर्दिष्ट आदेश के पैरा 16(3) में यथावर्णित अपेक्षित शपथपत्र के फाइल न किए जाने के परिणामों को भी नोट करें।

(रिटर्निंग आफिसर)

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड,
नई दिल्ली-110 001

स. 3/ई आर/2003/जे एस-2 तारीख: 27 मार्च, 2003

आदेश

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 (1) द्वारा, अन्य बातों के साथ-साथ, संसद और प्रत्येक राज्य के विधान मंडल के लिए सभी निर्वाचन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित है;

2. और माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारत संघ बनाम एसोसिएशन फार डेमोक्रेटिक रिफार्म्स और अन्य की 2001 की सिविल अपील सं. 7178 में तारीख 2 मई, 2002 को दिए गए अपने निर्णय में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:

"(1) निर्वाचन आयोग की अधिकारिता काफी विस्तृत है जिसमें शान्तिपूर्वक निर्वाचन संचालित करने के लिए सभी पर्याप्त शक्तियां सम्मिलत हैं और निर्वाचन की सम्पूर्ण प्रक्रिया को सम्मिलित करने के लिए 'निर्वाचन' शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया गया है, जिसमें अनेकों प्रक्रम और बहुत से कदम समाविष्ट हैं।

(2) शक्ति के पूर्ण स्वरूप की परिसीमा यह है कि जब संसद या राज्य विधान मण्डल निर्वाचन विषयक या निर्वाचन सम्बन्धी कोई विधि बनाता है तो आयोग का उक्त उपबंधों के अनुरूप कार्य करना अपेक्षित है। ऐसे मामले में, जहां विधि मौन है, वहां अनुच्छेद 324 स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन करवाने के स्वीकृत प्रयोजन के कार्य के लिए शक्ति का भण्डार है। संविधान ने आयोग को अपने निजी अधिकार से अवशिष्ट शक्ति के प्रयोग के लिए गुंजायश छोड़ने की सावधानी बरती है, क्योंकि संविधान के निर्माता के रूप में ऐसी अनगिनत परिस्थितियां हो सकती हैं जो वृहत्त लोकतंत्र में समय-समय पर पैदा हो सकती हैं क्योंकि प्रत्येक आकस्मिकता का विधि या नियम बनाकर पूर्वानुमान या प्रत्याशा नहीं की जा सकती। आयोग आवश्यक निदेश जारी करके उस शून्यता को तभी तक भर सकता है जब तक उस विषय पर विधान नहीं बनता है। कन्हैया लाल उमर (ए.आई.आर. 1986 एस.सी. 111) के मामले में न्यायालय ने अनुच्छेद 324 (1) में "अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण" अभिव्यक्ति का अर्थान्वयन किया और यह अभिनिर्धारित किया कि निदेश किसी विशिष्ट व्यक्ति को जारी आदेश या नियम हो सकता है जिसका अनुसरण किया जाना होगा और यह एक विनिर्दिष्ट या साधारण आदेश हो सकता है और ऐसे पद का अर्थान्वयन निर्वाचन आयोग को ऐसे आदेशों को जारी करने के लिए सशक्त करते हुए उदारतापूर्वक किया जाना चाहिए।

(3) 'निर्वाचन' शब्द के अन्तर्गत निर्वाचन की सम्पूर्ण प्रक्रिया सम्मिलित है, जिसमें अनेक प्रक्रम भी हैं और इसमें अनेक कदम शामिल हैं, जिनमें से कुछ का किसी अभ्यर्थी का चयन करने की प्रक्रिया से महत्वपूर्ण संबंध होता है। निष्पक्ष निर्वाचन अभ्यर्थी द्वारा उसके विगत जीवन का प्रकटीकरण अनुध्यात करता है जिसमें उसके द्वारा धारित आस्तियां भी सम्मिलित हैं जिससे कि निर्वाचक को उसकी सोच और राय के अनुसार अभ्यर्थी के चयन का उचित विकल्प दिया जा सके। जैसा पहले उल्लेख किया जा चुका है, कामन काज [(1996) 2 एस.सी.सी. 752] वाले मामले में न्यायालय ने इस दलील पर विचार किया कि देश में निर्वाचन धन शक्ति की सहायता से लड़े जाते हैं जोकि काले स्रोतों से एकत्र किया जाता है और एक बार सत्ता में आने पर टनों काला धन संगृहीत करना सुगम हो जाता है जोकि सत्ता में बने रहने के लिए और पुनर्निर्वाचन के लिए उपयोग में लाया जाता है। यदि शपथ-पत्र पर किसी अभ्यर्थी से निर्वाचन के समय उसके द्वारा धारित आस्तियों को प्रकट किया जाना अपेक्षित है तो मतदाता इस बात का विनिश्चय कर सकता है कि क्या वह उस दशा में भी, जबकि उसने टनों धन संगृहीत किया है, पुन: निर्वाचित किया जा सके।

xxxxxxxxxx

(4) निर्वाचनों की पवित्रता को बनाए रखने के लिए और विशेष रूप से निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए आयोग अभ्यर्थियों से राजनैतिक दलों द्वारा उपगत खर्चों के बारे में पूछ सकता है और निर्वाचन प्रक्रिया में इस पारदर्शिता के अन्तर्गत ऐसे किसी अभ्यर्थी की पारदर्शिता भी सम्मिलित है, जो निर्वाचन या पुनर्निवाचन की ईप्सा करता है। लोकतंत्र में निर्वाचन प्रक्रिया की सामरिक भूमिका है। इस देश के आम आदमी को ऐसे अभ्यर्थी की पूर्ण विशिष्टयों को जानने का आधारभूत प्रारम्भिक अधिकार है जिसे संसद में उसका प्रतिनिधित्व करना है, वहां उसकी स्वतंत्रता और सम्पत्ति सीमिति करने के लिए विधियां अधिनियमित की जा सकती हैं।

(5) लोकतंत्र में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार सभी जगह मान्यताप्राप्त है और यह एक नैसर्गिक अधिकार है जो लोकतंत्र की संकल्पना से उद्भूत होता है। इस प्रक्रम पर, हम अंतरराष्ट्रीय सिविल और राजनैतिक अधिकार प्रसंविदा के अनुच्छेद 19 (1) और (2) के प्रति निर्देश करना चाहेंगे, जो निम्न प्रकार है:

(1) प्रत्येक व्यक्ति को हस्तक्षेप के बिना राय व्यक्त करने का अधिकार होगा।

(2) प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य का अधिकार होगा; इस अधिकार के अंतर्गत सीमाओं पर ध्यान दिए बिना या तो मौखिक या लिखित या मुद्रित रूप में, कला के रूप में या उसके विकल्प के अनुसार किसी अन्य माध्यम से सभी प्रकार की जानकारी और विचारों की ईप्सा करना, उन्हें प्राप्त करने और देने की स्वतंत्रता का अधिकार भी सम्मिलित होगा।

(6) इस न्यायालय के यथा-निर्दिष्ट अधिकांश विनिश्चयों के संचयी पठन से यह स्पष्ट होता है कि यदि विधायिका और कार्यपालिका के लिए अभिप्रेत क्षेत्र को लोक हित के प्रतिकूल रूप में रिक्त छोड़ दिया जाता है तो इस न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 142 के साथ पठित अनुच्छेद 32 के अधीन कार्यपालिका को लोक हित साधन करने संबंधी आवश्यक निदेश जारी करने की पर्याप्त अधिकारिता होगी।

(7) हमारे संविधान के अधीन, अनुच्छेद 19(1)(क) में वाक्-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य का उपबंध है। निर्वाचन की दशा में मतदाता की आवाज या उसकी अभिव्यक्ति में मत देना सम्मिलित है, अर्थात्, मतदाता मत देकर आवाज उठाता है या अभिव्यक्ति करता है। इस प्रयोजन के लिए अभ्यर्थी के बारे में जानकारी का चयन किया जाना आवश्यक है। संसद् सदस्य या विधानसभा सदस्य के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अपने अभ्यर्थी के आपराधिक अतीत सहित उसका पूर्ववृत्त जानने का मतदाता (आम नागरिक) का अधिकार लोकतंत्र का अस्तित्व बनाए रखने के लिए अत्यधिक मौलिक और आधारभूत है। आम नागरिक कानून तोड़ने वालों का कानून बनाने वालों के रूप में निर्वाचन करने संबंधी अपने विकल्प का प्रयोग करने से पूर्व सोच-विचार कर सकता है।

3. और माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने तारीख 2 मई, 2002 के उपर्युक्त आदेश द्वारा निम्नलिखित निदेश दिया है:

"निर्वाचन आयोग को भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए आवश्यक आदेश जारी करके संसद् या किसी राज्य विधानमंडल का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी से उसके नामांकन-पत्र के अनिवार्य भाग के रूप में शपथपत्र पर उसकी अभ्यर्थिता के संबंध में निम्नलिखित पहलुओं पर जानकारी मांगने का निदेश दिया जाता है:

(1) क्या अभ्यर्थी को पूर्व में किसी आपराधिक अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/दोषमुक्त/उन्मोचित किया गया है, यदि हां तो क्या उसे कारावास या जुर्माने से दंडित किया गया है?

(2) क्या अभ्यर्थी, नामनिर्देशन फाइल करने के छह मास पूर्व किसी ऐसे लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए अभियुक्त है जिसमें न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है या उसका संज्ञान लिया गया है। यदि हां, तो उसके ब्यौरे;

(3) अभ्यर्थी और उसके/उसकी पति/पत्नी और उसके अश्रितों की आस्तियां (स्थावर, जंगम, बैंक अतिशेष, आदि)

(4) दायित्व, यदि कोई हों, विशेषकर क्या किसी लोक वित्तीय संस्था के अतिशोध्य या सरकारी शोध्य हैं।

(5) अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हताएं।";

4. और माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने तारीख 2 मई, 2002 के पूर्वोक्त आदेश में यह भी संप्रेक्षण किया है कि 'निर्वाचन आयोग ने ऐसे क्षेत्र में जिनमें कोई विधान नहीं बनाया गया है, स्थिति से निपटने के लिए समय-समय पर अनुदेश जारी किए हैं' और यह भी निदेश दिया है कि 'पूर्वोक्त निर्देशों को क्रियान्वित करने और प्रभावी करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा यथासंभव शीघ्र और किसी भी दशा में दो मास के भीतर समुचित रूप से मानदंड और पद्धतियां तैयार की जानी चाहिए';

5. और अब, निर्वाचन आयोग, माननीय उच्चतम न्यायालय के तारीख 2 मई, 2002 के ऊपर निर्दिष्ट निर्णय के अनुसरण में और संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 28 जून, 2002 के आदेश की अन्य बातों के साथ उक्त आदेश के पैरा 14 द्वारा निम्नलिखित निदेश देता है:

"(1) राज्य सभा, लोक सभा, राज्य की विधान सभा या ऐसी राज्य की विधान परिषद् के, जिसमें ऐसा परिषद् है, किसी निर्वाचन के लिए अपने नामांकन पत्र फाइल करते समय, प्रत्येक अभ्यर्थी, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिर्दिष्ट

सभी पांच तथ्यों की बाबत पूर्ण जानकारी, जो ऊपर पैरा 5 में (जिसे इसमें पैरा 3 में पून: उद्धृत् किया गया है) कोट की गई है, एक शपथ पत्र में प्रस्तुत करेगा जिसका प्ररूप इस आदेश के उपाबंध 1 के रूप में उपाबद्ध है।

(2) प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा उक्त शपथ पत्र, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या नोटेरी पब्लिक या संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त शपथ आयुक्त के समक्ष सम्यकत: शपथित होगा।

(3) किसी अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र का प्रस्तुत न किया जाना, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का अतिक्रमण समझा जाएगा और संबंधित अभ्यर्थी का नामांकन पत्र, इस प्रकार शपथ पत्र न प्रस्तुत किए जाने के कारण रिटर्निंग आफिस द्वारा नामांकन पत्रों की संवीक्षा के समय रद्द किए जाने के लिए दायी होगा।

(4) उक्त शपथ पत्र में या उससे अभ्यर्थी द्वारा गलत या अपूर्ण जानकारी प्रस्तुत किए जाने या किसी तात्विक जानकारी को छिपाने के फलस्वरूप भी उसका नामांकन पत्र नामंजूर किया जा सकेगा, यदि ऐसी गलत या अपूर्ण जानकारी या तात्विक जानकारी को छिपाया जाना रिटर्निंग आफिसर द्वारा सारवान प्रकृति की त्रुटि समझा जाता है और यह किसी लोक सेवक को गलत जानकारी प्रस्तुत करने या उसके समक्ष तात्विक जानकारी छिपाने के लिए भारतीय दंड संहिता के अधीन शास्तिक परिणाम आकृष्ट करने के लिए अतिरिक्त होगा।

परंतु यह कि केवल ऐसी जानकारी को गलत या अपूर्ण या तात्विक जानकारी छिपाने वाली जानकारी समझा जाएगा, जिसे निर्वाचन अधिकारी द्वारा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36(क) के अधीन नामांकन पत्रों की संवीक्षा के समय उसके द्वारा की गई संक्षिप्त जांच में उसके समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत के प्रतिनिर्देश से रिटर्निंग आफिसर के सुगम सत्यापन के योग्य पाया जाता है और इस प्रकार सत्यापित जानकारी को ही उसके द्वारा उस प्रश्न पर आगे यह विचार करने के लिए हिसाब में लिया जाएगा कि यह सारवान प्रकृति की त्रुटि है।

(5) पूर्वोक्त शपथ पत्र में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत की गई ऐसी जानकारी को, संबंधित रिटर्निंग आफिसरों द्वारा, अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर संप्रदर्शित करके और उसकी प्रतियां सभी अन्य अभ्यर्थियों को तथा समाचार पत्र तथा इलैक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधियों को भी उपलब्ध कराके प्रचारित किया जाएगा।

(6) यदि कोई विरोधी अभ्यर्थी सम्यकत: सशपथित शपथ पत्र के माध्यम से प्रतिकूल जानकारी उपलब्ध कराता है, तो विरोधी अभ्यर्थी का एसा शपथपत्र भी संबंधित अभ्यर्थियों के शपथपत्र के साथ ऊपर निदेशित रूप में प्रचारित किया जाएगा।

6. और राष्ट्रपति ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने के लिए उसमें धारा 33क और 33ख तथा 125क अंत:स्थापित करते हुए और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 169 का संशोधन करते हुए तारीख 24 अगस्त, 2002 को लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 2002 (2002 का 4) प्रख्यापित किया था;

7. और उक्त अध्यादेश की धारा 33ख द्वारा निर्वाचन आयोग का तारीख 28 जून, 2002 का आदेश निष्प्रभावी हो गया था और उक्त धारा 33ख निम्नानुसार है:

> "धारा 33ख-किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश अथवा निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए किसी निदेश, आदेश या किसी अन्य अनुदेश में किसी बात के होते हुए भी, कोई अभ्यर्थी, अपने निर्वाचन की बाबत ऐसी कोई जानकारी प्रकट करने या देने के दायित्वाधीन नहीं होगा, जो इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन प्रकट किए जाने या दिए जाने के लिए अपेक्षित नहीं है।;

8. और भारत सरकार ने उक्त आध्यादेश को प्रभावी बनाने के लिए तारीख 3 सितम्बर, 2002 की अधिसूचना द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 को संशोधित किया था;

9. और एसोसिएशन फार डेमोक्रेटिक रिफार्मस, पीपुल्स यूनियन फार सिविल लिबर्टीज और लोक सत्ता ने तारीख 24 अगस्त, 2002 के राष्ट्रपतीय अध्यादेश की सांविधानिक विधिमान्यता को चुनौती देते हुए भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष पृथक रिट याचिकाएं फाइल की थीं;

10. और तारीख 28 दिसंबर, 2002 की अधिसूचना द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 को लोक प्रतिनिधित्व (तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2002 के द्वारा संशोधित किया गया था, जिसने तारीख 24 अगस्त, 2002 के उपरोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित किया था।

11. और उक्त याचियों ने उक्त रिट याचिकाओं को लोक प्रतिनिधित्व (तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2002 की सांविधानिक विधिमान्यता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के रूप में माने जाने के लिए आवेदन फाइल किए थे;

12. और माननीय उच्चतम न्यायालय ने तारीख 13 मार्च, 2002 के अपने आदेश/निर्णय में संशोधित अधिनियम की धारा 32ख को अवैध, अकृत और शून्य घोषित किया था;

13. और माननीय न्यायमूर्ति श्री पी.वी. रेड्डी के निर्णय में, जिसे न्यायमूर्ति श्री डी.एम. धर्माधिकारी ने भी सम्मति दी थी, निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए थे:

"xxxxxxxxxxx

6. लम्बित आपराधिक मामलों और ऐसे मामलों में पूर्व में अन्तर्वलन के संबंध में संसद द्वारा धारा 33क के अधीन उपबन्धित सूचना का अधिकार मतदाता/नागरिक में निहित सूचना के अधिकार के रक्षोपायों के लिए युक्तियुक्त रूप से पर्याप्त है। तथापि, उन लम्बित मामलों को जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है, प्रकटन की परिधि से अपवर्जित करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं हैं।

xxxxxxxxx

9. निर्वाचन आयोग द्वारा उन मामलों के संबंध में, जिनमें संज्ञान लिया गया है, इस आदेश में अधिकथित किए गए के अधीन रहते हुए धारा 33क का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए पुनरीक्षित अनुदेश जारी किए जाने हैं। आस्तियों और दायित्वों के प्रकटन से संबंधित निर्वाचन आयोग का आदेश अभी भी विधिमान्य हैं और प्रवर्तन में बना रहेगा। तथापि, जहां तक संक्षिप्त जांच के माध्यम से आस्तियों और दायित्वों के सत्यापन और गलत जानकारी देने या सारवान जानकारी को छिपाने के आधार पर नामांकन पत्र के रद्द किए जाने का संबंध है, पैरा 14 के निदेश संख्यांक 4 को प्रवर्तित नहीं किया जाना चाहिए।"

14. और माननीय न्यायमूर्ति श्री एम.बी. शाह के निर्णय में भी उस धारा 33ख को अवैध, अकृत और शून्य अभिनिर्धारित किया गया था तथा इसके अतिरिक्त यह भी अभिनिर्धारित किया गया था कि निर्वाचन आयोग से यह अपेक्षित होगा कि वह उसमें दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अपने अनुदेशों को निम्नानुसार पुनरीक्षित करे:

"यह सही है कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए उपरोक्त निर्देशों को चुनौती नहीं दी गई है किंतु साथ ही प्रथमदृष्टया यह प्रतीत होता है कि निर्वाचन आयोग से यह अपेक्षित है कि वह एसोसिएशन फार डेमोक्रेटिक रिफार्मस के मामले में (ऊपर) जारी किए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और इसके तीसरे संशोधन में उपबंधित किए गए अनुसार अपने अनुदेशों को पुनरीक्षित करेगा।";

15. और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 33ख को अवैध, अकृत और शून्य किए जाने की घोषणा करने वाले उच्चतम न्यायालय के तारीख 13 मार्च, 2003 के निर्णय द्वारा निर्वाचन आयोग के तारीख 28 जून, 2002 के पूर्ववर्ती अनुदेश उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्देशों के अधीन रहते हुए प्रवर्तन में बने रहेंगे और इसलिए उन्हें पुनरीक्षित और पुन: जारी किया जाना अपेक्षित है;

16. अत: अब, निर्वाचन आयोग, माननीय उच्चतम न्यायालय के तारीख 13 मार्च, 2003 के ऊपर निर्दिष्ट आदेश के अनुसरण में और अन्य बातों के साथ संसद् तथा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचनों के संचालन के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के लिए संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 28 जून, 2002 के अपने पूर्ववर्ती आदेश को अधिक्रांत करते हुए, इसके द्वारा अपने निम्नलिखित पुनरीक्षित निदेश जारी करता है:

(1) राज्य सभा, लोक सभा, राज्य की विधान सभा या ऐसी राज्य की विधान परिषद् के, जिसमें ऐसा परिषद् है, किसी निर्वाचन के लिए अपना नामांकन पत्र फाइल करते समय, प्रत्येक अभ्यर्थी, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिर्दिष्ट और ऊपर 13 और 14 में कोट किए गए विषयों के संबंध में एक शपथ पत्र में, जिसका प्ररूप इस आदेश के उपाबंध 1 के रूप में ऊपाबद्ध है, सही और पूर्ण जानकारी प्रस्तुत करेगा।

(2) प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा दिया गया उक्त शपथ पत्र, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक या संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त शपथ आयुक्त के समक्ष सम्यकत: शपथित होगा।

(3) किसी अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र का प्रस्तुत न किया जाना, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का अतिक्रमण समझा जाएगा और संबंधित अभ्यर्थी का नामांकन पत्र, इस प्रकार शपथ पत्र न प्रस्तुत किए जाने के कारण निर्वाचन अधिकारी द्वारा नामांकन पत्रों की संवीक्षा के समय रद्द किये जाने को लिए दायी होगा।

(4) पूर्वोक्त शपथ पत्र में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा इस प्रकार प्रस्तुत की गई जानकारी को, संबंधित निर्वाचन अधिकारी द्वारा, अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर संप्रदर्शित करके और उसकी प्रतियां सभी अन्य अभ्यर्थियों को तथा समाचार पत्र और इलैक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधियों को आसानी से तथा मुक्त रूप से उपलब्ध कराके प्रचारित किया जाएगा।

(5) यदि कोई विरोधी अभ्यर्थी सम्यकत: सशपथित शपथ पत्र के माध्यम से प्रतिकूल जानकारी उपलब्ध कराता है, तो विरोधी अभ्यर्थी का ऐसा शपथपत्र भी संबंधित अभ्यर्थी के शपथपत्र के साथ ऊपर निदेशित रूप में प्रचारित किया जाएगा।

17. शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां तक संक्षिप्त जांच के माध्यम से आस्तियों और दायित्वों के सत्यापन और गलत सूचना देना या तात्विक सूचना को छिपाने के आधार पर नामांकन पत्र नामंजूर किए जाने का संबंध है, तारीख 28 जून, 2002 के पूर्ववर्ती आदेश के पैरा 14 (4) में अंतर्विष्ट पूर्ववर्ती निदेश, उच्चतम न्यायालय के तारीख 13 मार्च,

2003 के आदेश के अनुसरण मे प्रवर्तनीय नहीं हैं। यह और स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर पैरा 16 (1) में निर्दिष्ट इसके उपाबंध 1 में के शपथ पत्र के अतिरिक्त अभ्यर्थी को ऐसी सभी अन्य अपेक्षाओं का अनुपालन करना होगा जो लोक प्रतिनिधित्व (तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा यथासंशोधित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम, 2002 द्वारा यथासंशोधित निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 में उल्लिखित की गई हैं।

18. जहां तक जम्मू कश्मीर राज्य की विधान सभा और विधान परिषद् के निर्वाचनों का संबंध हैं, पूर्ववर्ती पैरा 16 में अंतर्विष्ट निर्वाचन आयोग के निदेशों को जम्मू-कश्मीर के संविधान की धारा 138 के, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 (1) के समतुल्य है और उस राज्य के विधान मंडल के दोनों सदनों के सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित करता है, उपबंधों के अधीन जारी किया गया समझा जाएगा।

19. सभी रिटर्निंग आफिसर यह सुनिश्चित करेंगे कि आयोग द्वारा इसमें विहित किए गए शपथपत्र की प्रतियां अभ्यर्थियों को नामांकन पत्रों के साथ, नामांकन पत्र के भाग के रूप में परिदत्त की जाएं।

आदेश द्वारा

ह.

ए.के. मजूमदार

सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग

अनुबंध-I

अभ्यर्थी द्वारा नामंकन पत्र के साथ दिया जाने वाला शपथ-पत्र

.....(सदन का नाम) के लिए

.....(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन के लिए

रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष

मैं.....(अभ्यर्थी), पुत्र/पुत्री.....आयु.....वर्ष,

जो.....का निवासी हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूं:

(जो लागू न हो उसे काट दें)

(1) मेरे विरूद्ध निम्नलिखित ऐसा मामला (ऐसे मामले) लंबित है (हैं), जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है:

(1) अधिनियम की धारा और उस अपराध का विवरण, जिसके लिए संज्ञान लिया गया:

(2) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा संज्ञान लिया गया:

(3) मामला संख्या:

(4) न्यायालय द्वारा संज्ञान लिये जाने के आदेश की तारीख:

(5) उपरोक्त संज्ञान लिये जाने के आदेश के विरूद्ध फाइल की गई अपीलों/पुनरीक्षण के लिए आवेदन (आवेदनों) आदि, यदि कोई हो, के ब्यौरे:

(2) कि मैं इसमें नीचे मेरे, मेरी पत्नी/पति और आश्रितों की आस्तियों के स्थावर, जंगम, बैंक अतिशेष आदि) ब्यौरे देता हूं:

क. जंगम आस्तियों के ब्यौरे

(संयुक्त नाम में की आस्तियां, संयुक्त स्वामित्व की उपदर्शित करते हुए दी जानी होंगी)

क्र. सं.	वर्णन	स्वयं के नाम:	पति/पत्नी के नाम:	आश्रित-1 के नाम:	आश्रित-2 नाम:	आश्रित-3, आदि के नाम:
(1)	नकदी					
(2)	बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों में निक्षेप					
(3)	कंपनियों में बांड, डिबेंचर और शेयर					
(4)	अन्य वित्तीय लिखतें, राष्ट्रीय बचत योजना, डाकघर बचत, जीवन बीमा निगम पालिसियां, आदि।					
(5)	मोटर यान (मेक आदि के ब्यौरे)					
(6)	आभूषण (वजन और मूल्य के ब्यौरे दें)					
(7)	अन्य आस्तियां, जैसे दावों/ब्याजों के मूल्य					

*यहां आश्रित से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो पूर्ण रूप से अभ्यर्थी की आय पर आश्रित है।

टिप्पण: बांड/शेयर/डिबेंचरों के मूल्य, सूचीबद्ध कंपनियों की बाबत स्टाक एक्सचेंज में नवीनतम बाजार मूल्य के अनुसार और गैर-सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में बहियों के अनुसार दिये जाने चाहिए।

(ख) स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

[टिप्पण: संयुक्त स्वामित्व वाली संपत्तियां भी, संयुक्त स्वामित्व की सीमा बताते हुए उपदर्शित की जानी होंगी]

क्र. सं.	वर्णन	स्वयं के नाम:	पति/पत्नी के नाम:	आश्रित-1 के नाम:	आश्रित-2 नाम:	आश्रित-3, आदि के नाम:
(1)	**कृषि भूमि**					
	- अवस्थान					
	- सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं)					
	- विस्तार (कुल माप)					
	- वर्तमान बाजार मूल्य					

(2) **कषिइतर भूमि** - अवस्थान - सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं) - विस्तार (कुल माप) - वर्तमान बाजार मूल्य					
(3) **भवन (वाणिज्यिक और आवासीय)** - अवस्थान - सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं) - विस्तार (कुल माप) - वर्तमान बाजार मूल्य					
(4) **गृह/अपार्टमेंट, आदि** - अवस्थान - सर्वेक्षण/द्वार संख्या (संख्याएं) - विस्तार (कुल माप) - वर्तमान बाजार मूल्य					
(5) **अन्य** (जैसे कि सम्पति में हित)					

(3) मैं इसमें नीचे लोक वित्तीय संख्याओं के प्रति मेरे दायित्वों/अतिदायों और सरकारी शोध्य रकमों के ब्यौरे देता हूं:

[टिप्पण:कृपया प्रत्येक मद के लिए पृथक ब्यौरे दें]

क्र.सं. वर्णन	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं)/विभाग (विभागों) के नाम और पते	तारीख.........को बकाया रकम
(क) (1) बैंकों से उधार		
(2) वित्तीय संस्थाओं से उधार		
(3) सरकारी शोध्य रकमें (आय-कर और धन-कर से भिन्न) (किसी लोक पद धारण करने या धारण किए जाने की दशा में बेबाकी प्रमाण-पत्र संलग्न करें।		
(ख) (1) अधिभार सहित आय-कर [वह निर्धारण वर्ष भी उपदर्शित करें जिस तक आय-कर विवरणी फाइल की गई है। स्थायी खाता संख्यांक भी दें]		
(2) धन-कर [वह निर्धारण वर्ष भी उपदर्शित करें जिस तक धन-कर विवरणी फाइल की गई है।]		
(3) विक्रय-कर [केवल सांपत्तिक कारबार की दशा में]		
(4) संपत्ति-कर		

(4) मेरी शैक्षिक अर्हताएं निम्नलिखित हैं:

(विद्यालय और विश्वविद्यालय शिक्षा संबंधी ब्यौरे दें)

(विद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वह वर्ष, जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, भी दिया जाना चाहिए।)

अभिसाक्षी

सत्यापन

मैं, उपरोक्त अभिसाक्षी एतद्द्वारा यह सत्यापित करता हूं और यह घोषणा करता हूं कि इस शपथपत्र की अन्तर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और ठीक है, इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और इसमें कोई भी सारवान् बात छिपाई नहीं गई है।

आज की तारीख..को...में सत्यापित किया गया।

अभिसाक्षी

तंबाकू बोर्ड

5848. श्री जी.एस. बसवराज: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तंबाकू बोर्ड का गठन किस तारीख को किया गया था;

(ख) तंबाकू बोर्ड कर्नाटक में तंबाकू उगाने वालों को किस प्रकार से सहायता कर रहा है;

(ग) क्या तंबाकू बोर्ड को बंद करने और तंबाकू का व्यापार करने के लिए निजी पार्टियों को अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) तम्बाकू बोर्ड का गठन दिनांक 1.1.1976 को किया गया था।

(ख) तम्बाकू बोर्ड उपजकर्ताओं को लाभकारी कीमतों का सुनिश्चय करने के लिए फसल की मात्रा का विनियमन करता है तथा इसके विपणन के लिए नीलामी मंचों का प्रचालन करता है। यह बीजों, उर्वरकों, कीटनाशकों तथा छिड़काव उपकरण की आपूर्ति करके, मृदा एवं जल का विश्लेषण करके, उच्च पैदावार तथा रोग प्रतिरोधी किस्मों का प्रचार-प्रसार करके, तम्बाकू में अवशिष्ट स्तर को कम करने के लिए उपायों को अपनाकर भी उपजकर्ताओं की सहायता करता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना

5849. श्री अजय चक्रवर्ती:
श्री राजैया मल्याला:

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों और बीमा कंपनियों के सभी कर्मचारियों ने अभी तक पेंशन योजना के विकल्प को नहीं चुना है;

(ख) यदि हां, तो जीवन के लिए बेहतर प्रतिफलों के बावजूद उक्त योजना के विकल्प को न चुनने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र के बैंकों और बीमा कंपनियों के कर्मचारियों को पेंशन योजना के विकल्प को चुनने के लिए एक और अवसर देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (घ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों और बीमा कंपनियों के बहुत से कर्मचारियों ने पेंशन के विकल्प को नहीं चुना है। इन कर्मचारियों ने शायद यह महसूस

किया था कि अंशदायी भविष्य निधि की वर्तमान योजना उनके लिये अधिक लाभदायक है। पेंशन योजना को चुनने के लिए एक और विकल्प देने के प्रस्ताव की जांच की गई थी लेकिन लागत को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव को स्वीकार्य नहीं समझा गया।

ग्रामीण क्षेत्रों में करेंसी नोटों की कमी

5850. **श्री भान सिंह भौराः** क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में करेंसी नोटों की कमी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इससे संबंधित ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने का विचार है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी नहीं। देश में प्रचलन के लिए करेंसी नोटों की कोई कमी नही है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी मुद्रा का गबन

5851. **डा. बलिरामः** क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कुछ कंपनियां यथा-मैसर्स मैकलाडस् फार्मास्यूटीकल्स, विद्युत इन्वेंस्टमैंट, जी टेलीफिल्मस् विदेशी मुद्रा के गबन में संल्पित हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा किसी जांच के आदेश दिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो इस जांच के क्या परिणाम निकले, और

(घ) इन कंपनियों के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) मैसर्स एशिया टुडे लि., हांगकांग (जी.टी.वी. के स्वामी) के प्राधिकृत एजेन्ट मैसर्स जी. टेलीफिल्मस् लि. को, भारत में अपात्र निर्यातकों एवं अपात्र व्यक्तियों से, जी.टी.वी. चैनल पर उनके उत्पादों के विज्ञापन के प्रसारण और इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक की शर्तों का उल्लंघन करते हुए भारत से बाहर मैसर्स एशिया टुडे लि. हांगकांग को विदेशी मुद्रा के परेषण के द्वारा निधियां एकत्र करने के लिए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, (फेरा) 1973 (अब निरस्त हैं) के प्रावधानों के अन्तर्गत आरोपित किया गया था। स्टॉक एक्सचेंज घोटाले संबंधित लेन-देन के संबंध में विदेशी मुद्रा प्रबन्ध अधिनियम, (फेमा) के अन्तर्गत मैसर्स रैनबैक्सी लि. की सहयोगी कम्पनी मै. विद्युत इन्वेस्टमेन्ट के मामले की जांच की जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मैसर्स मैकलियोड्स फार्मास्ट्रिकल्स लि. से संबंधित किसी मामले की जांच नहीं की गई है।

(ख) से (घ) मैसर्स जी. टेलीफिल्मस् लि. को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं और मामला न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों के पास है। मैसर्स विद्युत इन्वेस्टमेंट के मामले में फेमा के अन्तर्गत शुरू की गई जांच प्रगति पर है।

[हिन्दी]

बिहार एवं झारखंड को नाबार्ड की सहायता

5852. **श्री रवीन्द्र कुमार पांडेयः** क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या नाबार्ड ने झारखंड राज्य में विशेषकर गिरिडीह, बोकारो एवं धनबाद जिलों में ग्रामीण शिल्पियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बैंक द्वारा इस राज्य को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उपरोक्त अवधि के दौरान झारखंड इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वालों की संख्या कितनी है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) विभिन्न कृषितर क्षेत्र को ऋण का प्रवाह बढ़ाने के उद्देश्य से ग्रामीण कारीगरों सहित विभिन्न कृषितर क्षेत्र क्रियाकलापों का वित्त पोषण करने के लिए देश में वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों को ऋण निवेश के अंतर्गत पुनर्वित्त सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना आदि जैसे सरकार प्रायोजित कार्यक्रमों को भी पुनर्वित्त प्रदान किया जा रहा है। पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान करने के साथ-साथ नाबार्ड ने जिला ग्रामीण उद्योग परियोजना (डीआरआईपी), ग्रामीण उद्यमवृति विकास कार्यक्रमों

के माध्यम से और ग्रामीण औद्योगिकीकरण के लिए सामूहिक दृष्टिकोण अपनाकर झारखंड राज्य में ग्रामीण कारीगरों तथा अनुसूचित जनजातियों को बढ़ावा देने के लिए कई संवर्द्धनात्मक पहल भी की है।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत झारखंड राज्य को नाबार्ड द्वारा दी गई पुनर्वित्त सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण दिया गया है। इसके अतिरिक्त, नाबार्ड ने आधारभूत परियोजनाओं, अर्थात् 72 सिंचाई परियोजनाओं, 2 ग्रामीण पुल और 1 ग्रामीण सड़क के सृजन के लिए ग्रामीण आधारिक विकास निधि (आर आई डी एफ) की विभिन्न श्रृंखलाओं के अंतर्गत 214.27 करोड़ रु. का ऋण राज्य सरकार को मंजूर किया है। यह अपेक्षा की जाती है कि इन परियोजनाओं से 31526 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता 29254 आवर्ती रोजगार सृजन और अनावर्ती रोजगार सृजन का 46.32 लाख श्रमदिवस उत्पन्न होगा।

विवरण

वर्ष 2000-2001, 2001-2002 एवं 2002-2003 के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत झारखंड राज्य को नाबार्ड द्वारा दी गई पुनर्वित्त सहायता

(लाख रुपए)

क्र.सं.	उद्देश्य	2000-2001	2001-2002	2002-2003
1.	लघु सिंचाई	1.56	0.85	310.11
2.	भूमि विकास	0.00	0.00	7.75
3.	कृषि मशीनीकरण	202.77	264.45	39.41
4.	बागान एवं बागवानी	0.00	0.00	8.48
5.	दुग्ध विकास	5.39	0.81	139.90
6.	मुर्गी पालन	3.37	0.54	5.63
7.	भेड़/बकरी/सुअर पालन	0.00	0.00	158.16
8.	मत्सय पालन	0.33	0.00	0.78
9.	कोश कीट पालन	0.00	0.00	0.78
10.	भंडार गोदाम	0.00	84.16	46.90
11.	एस जी एस वाई	3318.67	2302.37	552.95
12.	ग्रामीण कृषितर क्षेत्र	880.34	1541.83	2423.06
13.	स्व-सहायता समूह	150.04	283.37	214.52
14.	अन्य	1.18	49.94	0.00
	कुल	4563.65	4528.32	3908.43

[अनुवाद] 209 – ii

सिंचाई क्षेत्र के लिए नाबार्ड द्वारा वित्तपोषण

5853. श्री नरेश पुगलिया: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नाबार्ड द्वारा महाराष्ट्र में सिंचाई के विकास हेतु 150 करोड़ रुपये की धनराशि संस्वीकृत की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) महाराष्ट्र के वे जिले कौन से हैं जिन्हें नाबार्ड द्वारा महाराष्ट्र को दी जाने वाली ऋण की धनराशि से लाभ होगा;

(घ) क्या देश के पिछड़े जिलों में सिंचाई के विकास हेतु नाबार्ड की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि उसने योजनाबद्ध रूप से उधार देने के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य में सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं वाणिज्यिक बैंकों को लघु सिंचाई के लिए 257.56 करोड़ रुपये तक पुनर्वित्त संवितरित किया है। इसके अतिरिक्त, नाबार्ड द्वारा महाराष्ट्र राज्य सरकार को राज्य में सिंचाई के विकास के लिए ग्रामीण आधारिक विकास निधि (आर आर डी एफ) श्रृंखला 1-4 के अधीन 1085.05 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है।

(ग) नाबार्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार राज्य के सभी जिलों को उनके द्वारा दी गई वित्तीय सहायता से लाभ हुआ है।

(घ) और (ङ) नाबार्ड की पुनर्वित्त सुविधाएं बैंकों को राज्यों के पिछड़े जिलों में की जाने वाली गतिविधियों सहित देशभर में लघु सिंचाई समेत कृषि एवं संबंद्ध कार्यकलापों के लिए निवेश ऋण वित्तपोषित करने के लिए उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त सिंचाई परियोजनाओं समेत विभिन्न अवसंरचना विकास परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों को आर आई डी एफ के तहत ऋण प्रदान किए जाते हैं। तथापि राज्य सरकार द्वारा आर आई डी एफ योजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है और नाबार्ड को मंजूरी के लिए अग्रेषित किया जाता है।

[हिन्दी]

पेंशन क्षेत्र में निजी क्षेत्र

5854. डा. अशोक पटेल: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पेंशन क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी को अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) सरकार ने प्रथम चरण में सशस्त्र बलों को छोड़कर सरकारी सेवा में नए प्रवेशकर्ताओं के लिए एक परिभाषित अंशदान पेंशन योजना आरम्भ करने का निर्णय लिया है, जो कि स्वैच्छिक आधार पर अन्य लोगों के लिए भी उपलब्ध होगी। सरकारी कर्मचारियों के मामले में अंशदान का वहन सरकार तथा कर्मचारी दोनों के मध्य समान रूप से किया जाएगा। तथापि, सरकारी कर्मचारियों से भिन्न व्यक्तियों के संबंध में सरकार कोई अंशदान नहीं करेगी। नयी पेंशन योजना सुवाह्य होगी, जिसमें रोजगार में परिवर्तन की स्थिति में लाभों के अंतरण की अनुमति होगी तथा यह पेंशन निधियों के पास "व्यष्टि पेंशन खातों" में अंतरित की जाएगी। पेंशन का विनियमन एक नयी एवं स्वतंत्र पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। पेंशन परिसंपत्तियों का प्रबंध पेंशन फंड प्रबंधकों द्वारा किया जाएगा, जिसमें इसके अतिरिक्त, निधि प्रबंध तथा जोखिम प्रबंध में ठोस अनुभव रखने वाले निजी फंड प्रबंधकों का चयन खुली एवं पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।

[अनुवाद]

उड़ीसा को अतिरिक्त अनुदान

5855. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने उड़ीसा को अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध कराने के किसी ज्ञापन की समीक्षा की थी;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा सरकार द्वारा इसके क्या कारण दिए गए हैं; और

(ग) इस पद पर केन्द्र सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, हां।

(ख) उड़ीसा सरकार ने अभ्यावेदन दिया था कि ग्यारहवें वित्त आयोग ने उनके प्रतिबद्ध व्यय का आकलन कम एवं प्राप्तियों (गैर-योजना अनुदान) का अधिक किया है।

(ग) ग्यारहवें वित्त आयोग ने ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज साम्य की जरूरत को ध्यान में रखते हुए राज्यों और केन्द्र दोनों की राजस्व प्राप्तियों एवं गैर-योजना राजस्व व्यय का समग्र आकलन करने के बाद राज्यों को संसाधन अंतरित करने की सिफारिश की थी। भारत सरकार ने ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। किसी भी मुद्दे पर ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर पुन: विचार करना न तो व्यवहार्य है और न ही वांछनीय।

213-14

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों के विरुद्ध मामले

5856. श्रीमती कान्ति सिंह:
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फरवरी, 2003 में राजस्व आसूचना महानिदेशालय ने निर्यात रैकेट में संलिप्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग, दिल्ली के कई अधिकारियों को पकड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में सरकार को हुई राजस्व की हानि का अनुमान लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध और राजस्व की वसूली हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी, हां। फरवरी, 2003 में पता लगाये गये निर्यात गिरोह में संलिप्त एक अधीक्षक और एक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक सहित 6 व्यक्तियों को 5.3.2003 को गिरफ्तार कर लिया गया है। निम्नलिखित 5 फर्मों ने ए.सी.टी.एल., बल्लभगढ़ के द्वारा घटिया स्तर के सिले-सिलाए वस्त्र निर्यात किए थे:

(1) मैसर्स डिग-डिग क्रिएशन्स;

(2) मैसर्स अनु एक्सपोर्ट्स;

(3) मैसर्स एमिको इंटरनेशनल;

(4) मैसर्स जेबरा इंक; और

(5) मैसर्स प्रयास इंटरप्राइसिस।

ऐसा दावा किया गया था निर्यात कार्गो फरीदाबाद में किराये के परिसर में फैक्टरी स्टफ किया है जिसके मालिक स्टील पाइप के विनिर्माता मैसर्स ज्वाला स्टील कार्पोरेशन है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों ने प्रदर्शक नमूनों के रूप में स्थानीय बाजार में बढ़िया स्तर के वस्त्रों के नमूने लिए और उन्होंने घटिया स्तर के वस्त्रों की स्टफिंग/जांच में ही निर्यातकों के साथ सांठ-गांठ नहीं की बल्कि परिसर को किराए पर लेने में भी उनकी मदद की। किराए के परिसर में निर्यात खेप के विनिर्माण के संबंध में कोई कार्य नहीं किया गया। मैसर्स प्रयास इंटरप्राइसिस और मैसर्स जेबरा इंक को फैक्टरी स्टफिंग की कोई अनुमति नहीं दी गई थी। जांच से पता चला है कि उपर्युक्त सभी फर्मों के पते फर्जी थे।

(ग) और (घ) जी, हां। राजस्व की मूल्यांकित हानि 1.04 करोड़ रुपए तक की है जिसमें से विभाग ने पहले ही लगभग 50 लाख रुपए तक की वसूली कर ली है/बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं। सभी 6 व्यक्तियों के विरुद्ध पटियाला हाऊस, नई दिल्ली के ए.सी.एम.एम. न्यायालय में शिकायत दर्ज की गई है।

भारतीय खाद्य उत्पादों को अस्वीकृत करना 214

5857. श्री रतन लाल कटारिया: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय खाद्य उत्पादों की खेपों को अस्वीकर किए जाने की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और हमारी खेपों को अस्वीकार किए जाने के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) भारतीय खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) सभी खाद्य उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों/आयातक देशों के मानकों के अनरूप होना आवश्यक है चूंकि व्यापार निजी पक्षकारों के बीच किया जा रहा है इसलिए सामान्यत: सरकार द्वारा खेपों के ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं। सरकार के ध्यान में लाए गए ऐसी अस्वीकृतियों के मामलों से यह मालूम होता है कि अस्वीकृति के कारणों में न्यूनतम अवशिष्ट स्तर से अधिक एफलाटोक्सीन, कीटनाशी अवशिष्ट के अधिक स्तर आदि शामिल हैं।

(ग) सरकार अपने निर्यात विकास बोर्डों और एजेंसियों के माध्यम से अनेक प्रकार की स्कीमों जिनमें खतरे के विश्लेषणों और महत्वपूर्ण नियंत्रण मुद्दों (एच ए सी सी पी) को अपनाना, तकनीकी प्रक्रिया की प्रोन्नति, प्रशिक्षण, स्वच्छता और स्वास्थ्य स्थितियों का सुधार करने के लिए सहायता आदि के जरिए गुणवत्ता पर अधिक ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

बैंकों द्वारा म्युच्युअल फंड निवेश 214

5858. श्री प्रकाश वी. पाटील: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अपने संतुलनपत्रों को ठीक करने हेतु अपने म्युच्युअल फंड निवेशकों को बेचने का सहारा लिया है;

(ख) क्या इन निवेशों में से ज्यादातर को बेचने के दौरान हानि हुई है; और

(ग) इस घाटे में अन्तर्ग्रस्त अनुमानित धनराशि बैंकवार कितनी है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

215-16

सर्वप्रिय योजना

5859. श्री वाई.जी. महाजन: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) वे राज्य कौन से हैं जहां सर्वप्रिय योजना कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ख) इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के अन्य राज्यों में भी 'सर्वप्रिय योजना' को लागू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबाष महरिया): (क) और (ख) भारत सरकार ने जुलाई, 2000 में "सर्वप्रिय" नामक एक स्कीम शुरू की थी। स्कीम में राज्यों में मौजूदा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की खुदरा दुकानों और राज्य उपभोक्ता सहकारी संघों, राज्य नागरिक आपूर्ति निगमों तथा उपभोक्ता सहकारी समितियों की खुदरा दुकानों के जरिए उपभोक्ताओं को दैनिक उपभोग की ग्यारह चुनिन्दा वस्तुओं अर्थात् अरहर दाल, चना दाल, मसूर दाल, साबुत उड़द, नमक, चाय, नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, अभ्यास पुस्तिका, खाद्य तेल और टूथ पेस्ट के वितरण की संकल्पना की गई है। स्कीम स्वैच्छिक है और इसमें कोई सब्सिडी शामिल नहीं है। प्रारंभ में महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और पाण्डिचेरी राज्यों ने स्कीम में भाग लिया। इस समय केवल तीन राज्य अर्थात् महाराष्ट्र, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश ही स्कीम का प्रचालन कर रहे हैं।

(ग) और (घ) माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने इस स्कीम का लाभ उठाने का अनुरोध करते हुए 26.12.2002 को राज्यों के मुख्यमंत्रियों और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपालों के नाम एक अ.शा. पत्र लिखा था। उनसे यह भी अनुरोध किया गया था कि सर्वप्रिय स्कीम के तहत मुहैया कराई गई सुविधाओं का उपयोग करने के लिए जहां संभव हो वहां राज्य की स्कीमों के साथ समन्वय स्थापित करे। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ उपर्युक्त ग्यारह मदों में दैनिक उपयोग की और मदों को शामिल करने के लिए सहमत हो गया है बशर्ते कि राज्य सरकारों/राज्य एजेंसियां पर्याप्त मात्रा में आर्डर दें।

[अनुवाद]

216-20

पाम तेल का आयात

5860. श्री ए. नरेन्द्र:
श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) पाम तेल को मुक्त सामान्य लाइसेंस (ओ.जी.एल.) के अंतर्गत किस तिथि से रखा गया है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) वर्ष 2001-2002, 2002-2003 एवं 2003-2004 के दौरान अब तक पाम तेल का कितनी मात्रा में आयात किया गया है और इसका आयात किन-किन देशों से किस दर पर किया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के किसानों और तेल उद्योग के हित में इसके आयात को प्रतिबंधित करने का है;

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) मुक्त सामान्य लाइसेंस (ओ.जी.एल.) के अंतर्गत लाए गए अन्य खाद्य पदार्थ कौन से हैं और इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबाष महरिया): (क) 31.3.1999 से आर.बी.डी. पाम तेल का आयात मुक्त किया गया था। यह सरकार के आर्थिक उदारीकरण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में और अंतर्राष्ट्रीय दायित्व के अनुसार है।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें 2001-2002 और 2002-2003 (दिसम्बर तक) के दौरान आयात की गई पाम तेल की मात्रा और इसका मूल्य और जिन देशों में इसका आयात किया गया, का ब्यौरा विवरण के रूप में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंधों को सरकार के आर्थिक उदारीकरण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय दायित्व के अनुसार हटाया जा रहा है।

(ङ) 31.3.2003 से कुछ खाद्य वस्तुएं जैसे मेंढ़क की टांगे, प्राकृतिक खाद्य तेल और कुछ मसाले मुक्त कर दिए गए हैं।

विवरण

पाम तेल के निर्यात के संबंध में

वर्ष	वस्तुएं	देश	मात्रा (किलोग्राम)	मूल्य (रुपये)
1	2	3	4	5
2001-2002	कच्चा पाम तेल और	अर्जेंटिना	745000	11506323
	इसके घटक	आस्ट्रेलिया	234250	2356840
		ब्राजील	67460000	123397168
		इन्डोनेशिया	885865553	12230601972
		जापान	2520000	38145105
		मलेशिया	776026994	11146155219
		नेपाल	24170	580080
		सिंगापुर	648088	9215973
		स्लोवेनिया	2496000	40101359
		थाइलैण्ड	37508070	577529995
		संयुक्त अरब अमीरात	250000	3738465
		संयुक्त राज्य अमेरिका	1000000	15100953
		गैर-विनिर्दिष्ट	12434000	1622441944
2001-2002	परिष्कृत पाम तेल और	अर्जेंटिना	500000	5521824
	इसके घटक	इंडोनेशिया	412482070	5303374937
		मलेशिया	576853359	7633218507
		पनामा गणतंत्र	7999370	117678011
		सिंगापुर	6385713	92675334
		थाइलैण्ड	440000	6144337
		संयुक्त राष्ट्र अमेरिका	458374	6287426
		वियतनाम		
		एसओसी रिपब्लिक	1501686	26420666

1	2	3	4	5
2002-2003 (दिसम्बर तक)	कच्चा पाम तेल और इसके घटक	अर्जेंटिना	999660	19993374
		ब्राजील	4699136	123653535
		चीन		
		ताइपेई	93000	1725648
		आइसलैण्ड	780557	15377370
		इंडोनेशिया	1030486628	18772335603
		मलेशिया	985450399	18863692575
		म्यांमार	5500000	107220645
		मोरोक्को	15843000	137665379
		नेपाल	10000	118393
		सिंगापुर	2039100	34956146
		स्लोवेनिया	1750000	34145872
		दक्षिण अफ्रीका	5245000	4719841
		श्रीलंका	643000	12483074
		थाइलैण्ड	126000	1355917
		संयुक्त राज्य अमेरिका	2248640	38830862
		गैर-विनिर्दिष्ट	5524225	114443268
2002-2003 (दिसम्बर तक)	परिष्कृत पाम तेल और इसके घटक	गणतंत्र चीन	75	2925
		इंडोनेशिया	149911066	2929224086
		मलेशिया	88828214	1648591742
		सउदी अरब	2000	30587
		संयुक्त राज्य अमेरिका	200	16116

लंबित पेटेंट आवेदन पत्र 219-21

5861. श्री रामशेठ ठाकुर: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास बड़ी संख्या में पेटेंट के लिए आवेदन पत्र लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये कब से लंबित है; और

(ग) लंबित आवेदन पत्रों को शीघ्र निपटाए जाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) 31 मार्च, 2003 की स्थिति-अनुसार, यथेष्ट जांच हेतु पेटेंट के 46,248 आवेदन लंबित हैं। इन सभी मामलों में, प्रारंभिक जांच रिपोर्टें जारी कर दी गई हैं। 46,248 आवेदनों में से, 4,441 आवेदन पेटेंट अधिनियम की धारा

5 (2) के तहत दायर किए गए हैं और इन्हें 01 जनवरी, 2005 तक जांच हेतु हाथ में नहीं लिया जा सकता। ये आवेदन वर्ष 1997-98 से 2002-03 तक से संबंध रखते हैं।

(ग) सरकार ने बकाया लंबित आवेदनों के निपटान सहित पेटेंट प्रशासन के व्यापक उन्नयन और आधुनिकीकरण का कार्य शुरू किया है। इसमें ये कार्य भी शामिल हैं-कार्य प्रक्रियाओं के सरलीकरण और पुनर्गठन हेतु पहले, आन लाइन सर्च में सुविधा के लिए डाटाबेस का विकास करना, परिचालनों का कंप्यूटरीकरण, कार्य नियम पुस्तिकाओं का विकास करना, अतिरिक्त स्टाप की भर्ती एवं उसे प्रशिक्षण देना, आदि। आधुनिकीकरण की पहलों से पेटेंट कार्यालयों के कार्य-निष्पादन में सुधार आना भी आरंभ हो गया है। पेटेंट कार्यालयों ने वर्ष 2002-03 में 9,538 आवेदनों की जांच की है, जबकि उनके द्वारा वर्ष 1999-2000 में मात्र 2,824 आवेदनों की ही जांच की गई थी। पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2002 और पेटेंट नियम 2003 के चालू होने के साथ शीघ्र ही आस्थगन जांच प्रणाली को लागू किए जाने के बाद मौजूदा बकाया आवेदनों को पूर्णत: निपटा दिया जाएगा। आधुनिकीकरण की पहलों और मजबूत करने के साथ ही, पेटेंट कार्यालयों के समग्र कार्य-निष्पादन में और सुधार आएगा तथा यह संभव हो पाएगा कि पेटेंट अधिकारों की प्रदानगी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ तुलनीय समय-सीमा के भीतर तथा कानूनी उपबंधों के समनुरूप सुनिश्चित की जा सके।

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से गेहूं का गायब होना

5862. **श्री राधा मोहन सिंह:**
श्री रामजी माझी:
श्री माणिकराव होडल्या गावित:
श्री सुन्दर लाल तिवारी:
श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री प्रियरंजन दासमुंशी:
श्री एन. जनार्दन रेड्डी:
श्री रामदास आठवले:
श्री विनय कुमार सोराके:
श्री राम पाल सिंह:
श्री नरेश पुगलिया:
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:
श्री मोहन रावले:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चंडीगढ़ में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से 50 लाख टन गेहूं गायब पाया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गायब हुए गेहूं का मूल्य कितना था;

(घ) क्या इस पूरे मामले की छानबीन करते हुए किसी जांच के आदेश दिए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(छ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ज) उक्त हानि के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबाष महरिया): (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम ने भारतीय खाद्य निगम, पंजाब के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पहली जनवरी, 2003 की स्थिति के अनुसार पंजाब में राज्य एजेंसियों के पास भण्डारित गेहूं के स्टाक में लगभग 50 लाख टन की कमी होने का पता लगाया था।

(घ) से (ज) भारतीय खाद्य निगम द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार अधिकारियों की एक समिति ने पंजाब का दौरा किया था और उनकी जांच से पता चला है कि स्टाक सूचित करने की प्रणाली में त्रुटि होने के कारण कमियां उत्पन्न हुई थी। भारत सरकार ने पहले ही भारतीय खाद्य निगम को निदेश जारी कर दिए हैं कि स्टाक की सूचना देने की प्रणाली को सुप्रवाही बनाया जाए।

वस्त्र निर्यात का लक्ष्य

5863. **श्री चन्द्रनाथ सिंह:**
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2010 तक 50 बिलियन डालर मूल्य के वस्त्र का निर्यात करने का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस कारण से प्रति वर्ष कितने रोजगार अवसरों के सृजित होने की संभावना है; और

(ग) वस्त्र उद्योगों को तकनीकी रूप से आधुनिक बनाने और इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु प्रक्रियात्मक बाधाओं को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) जी, हां।

(ख) चूंकि लक्ष्य प्राप्ति, वस्त्र उद्योग के प्रौद्योगिकीय उन्नयन की प्राप्ति पर निर्भर है, जो वर्तमान निर्यात समूह, एकक मूल्य प्राप्ति, मजदूर संरचना तथा वर्तमान रोजगार पैटर्न को अवश्य ही परिवर्तित कर देगा, अत: कार्य से संबंधित सृजित होने वाले संभावित नए अवसरों की किसी भी सीमा के बारे में भविष्यवाणी करना कठिन है।

(ग) सरकार द्वारा वस्त्र उद्योग के आधुनिकीरकण तथा निर्यात लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रक्रिया संबंधी बाधाएं समाप्त करने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं:

1. वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना आरंभ करना।

2. महत्वपूर्ण वस्त्र केंद्रों पर अध्यसंरचना सुविधाओं के उन्नयन हेतु वस्त्र केंद्र अध्यसंरचना विकास योजना आरंभ करना।

3. बुनाई क्षमताओं के आधुनिकीकरण के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के भाग के रूप में एक कार्यक्रम आरंभ करना।

4. कुछ अपवादों के अतिरिक्त वस्त्र क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से 100 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी भागीदारी को अनुमति प्रदान करना।

5. अन्य बातों के साथ-साथ वस्त्र क्षेत्र में शुल्क संरचना को अधिक युक्तिसंगत बनाने तथा प्रौद्योगिकी उन्नय के लिए जटिल मशीनों की लागत को घटाने के लिए लगातार दो बजटों में घोषणा करना।

6. कपास की अधिक उत्पादकता प्राप्ति हेतु तथा इसकी गुणवत्ता को अंतर्राष्ट्रीय मानकों तक उठाने के लिए कपास प्रौद्योगिकी मिशन आरंभ करना।

7. लघु उद्योग क्षेत्र से बुने हुए सिलेसिलाए परिधान क्षेत्र का अनारक्षण।

8. अपैरल पार्कों की स्थापना तथा विश्व बाजार में वृद्धि तथा प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए इनमें श्रम, अध्यसंरचना तथा शुल्क संरचना से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराना।

[अनुवाद]

2244-25

अधिशेष खाद्यान्न

5864. श्री चाडा सुरेश रेड्डी:
श्री रतन लाल कटारिया:
डा. बी.बी. रमैया:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्ष के दौरान देश में उत्पादित खाद्यान्न की मात्रा वर्षवार कितनी है;

(ख) देश में सरकारी अभिकरणों के पास खाद्यान्न का वर्तमान अधिशेष भंडार कितना है; और

(ग) अधिशेष खाद्यान्न का उपयोग करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 वर्षों के दौरान क्रमश: 2098.00 लाख टन, 1995.30 लाख टन और 2120.20 लाख टन खाद्यान्नों का कुल उत्पादन हुआ।

(ख) 1.4.2003 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में 170.02 लाख टन मात्रा अधिशेष थी।

(ग) अधिशेष खाद्यान्नों का उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

खाद्यान्नों के उठान में वृद्धि करने के लिए किए गए उपाय

(1) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गरीबी रेखा से ऊपर, गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय परिवारों के लिए जारी की जाने वाली मात्रा को 25 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह से बढ़ाकर 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह कर दिया गया है;

(2) 1.4.2002 से गरीबी रेखा से नीचे के आबंटन के 5 प्रतिशत की दर पर गरीबी रेखा से नीचे के केंद्रीय निर्गम मूल्यों पर कल्याण संस्थाओं और छात्रावासों के लिए अतिरिक्त आबंटन करना;

(3) भारतीय खाद्य निगम की मौजूदा उच्च स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित किए जाने वाले मूल्यों पर मात्रात्मक प्रतिबंध के बिना खुला बाजार बिक्री जारी रखना;

(4) इस शर्त के अध्यधीन केंद्रीय पूल में स्टाक किसी भी समय 243 लाख टन के बफर स्टाक (100 लाख टन चावल और 143 लाख टन गेहूं) से कम नहीं होगा, मात्रात्मक प्रतिबंध के बिना चावल, गेहूं और गेहूं उत्पादों का निर्यात करना; मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार भारतीय खाद्य निगम की उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर विश्व व्यापार संगठन की शर्तों के अनुरूप राजसहायता जारी रखना; और

(5) मामला-दर-मामला आधार पर तय की जाने वाली शर्तों पर अन्य देशों के साथ काउंटर व्यापार करना और अथवा/खाद्यान्नों के रूप में जिन्स सहायता प्रदान करना।

[हिन्दी]

बैंकों की सावधि जमा योजना में गिरावट

5865. श्री तूफानी सरोज: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जून, 2002 से फरवरी, 2003 तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों के सावधि जमा कारोबार में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सावधि जमा धारकों को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता

(ग) लचीलेपन में सुधार लाने के लिए बैंकों को परिवर्तनशील दर जमा से संबंधित पुनर्व्यवस्थित अवधि के निर्धारण की स्वतंत्रता दी गई है। बैंकों को जमाकर्ताओं में लचीली जमा योजनाओं को लोकप्रिय बनाने की दिशा में प्रयत्न करने हेतु प्रोत्साहित भी किया जाता है क्योंकि ये बैंकों एवं जमाकर्ताओं के दीर्घकालिक हित में हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय भंडारण नीति का निर्धारण

5866. डा. एन. वेंकटस्वामी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खाद्यान्नों के थोक व्यापार को असंरचनात्मक दर्जा देने के दृष्टिकोण के साथ एक "राष्ट्रीय भंडारण नीति" बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत गोदाम स्थापित करने हेतु निजी पार्टियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या गोदामों के निर्माण में निवेश आकर्षित करने हेतु उनको वित्तीय एवं अन्य प्रोत्साहन दिए जाने हैं; और

(ङ) अब तक इस योजना के अंतर्गत नियत, संस्वीकृत और व्यय की गई कुल धनराशि कितनी है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) जी, हां।

(ख) नीति के ब्यौरे निम्नानुसार हैं-

(1) यांत्रिक फसल कटाई, फार्म और बाजार स्तर पर सफाई और सुखाई को प्रोत्साहित करना।

(2) फार्म से साइलों तक अनाज की ढुलाई विशेष रूप से तैयार किए गए ट्रकों में करना।

(3) प्राप्ति और वितरण केन्द्रों पर साइलों की श्रृंखला का निर्माण करना।

(4) साइलों से रेल शीर्ष तक और उसके बाद पूर्व निर्धारित गंतव्यों तक अनाज की ढुलाई विशेष रूप से बनाए गए ट्रकों/रेल वैगनों (शीर्ष से भराई किए जाने वाले और तली से खाली किए जाने वाले तंत्र सहित)/डेडीकेटिड रेलों द्वारा करना।

(5) खाद्यान्न भंडारण की इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में घोषणा करना।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) भारतीय खाद्य निगम 7 वर्ष की अवधि के लिए स्थान का उपयोग करने की व्यापार गारंटी देगा। यह निवेश निजी पार्टियों द्वारा किया जाएगा।

227

राज्यों की वित्तीय स्थिति

5867. **श्री राम प्रसाद सिंह:** क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा किसी उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रियायती ऋण योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने वाले प्रस्तावित राज्यों का ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न हीं नहीं उठता। 227-28

रिफाइंड ब्लीच्ड पामोलिन का आयात

5868. **श्री सवशीभाई मकवाना:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किए जाने वाले रिफाइंड ब्लीच्ड डिओडॉरेंट पामोलीन का आबंटन रोक दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने टी.आर.क्यू. के अंतर्गत 45 प्रतिशत शुल्क के साथ एस.टी.सी. के माध्यम से 18,000 टन कच्चे पामोलीन के आयात की अनुमति मांगी हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) जी, हां।

(ख) घरेलू बाजार में तुलनात्मक मूल्यों पर खाद्य तेलों की सुगम उपलब्धता को देखते हुए फिलहाल यह निर्णय लिया गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए सरकारी खाते पर खाद्य तेलों (आर.बी.डी. पामोलिन) का आयात न किया जाए। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्श दिया गया है कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए विशिष्ट खाद्य तेल का आयात करने के प्रयोजनार्थ यदि जरूरी समझें तो नामित सरणीबद्ध एजेंसियों के माध्यम से वाणिज्य विभाग द्वारा वर्ष 2002-03 के लिए यथा अधिसूचित प्रशुल्क दर कोटे का लाभ उठाएं।

(ग) जी, हां।

(घ) आयात शुल्क कम करने के लिए गुजरात राज्य सरकार के अनुरोध को संबंधित मंत्रालय वित्त मंत्रालय और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय को अग्रेषित कर दिया गया था।

[हिन्दी]

228

विधिक शिक्षा

5869. **श्री अरूण कुमार:** क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा नागरिकों में विधिक शिक्षा में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) इस संबंध में सरकार/मीडिया की क्या भूमिका है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) जनता को विधिक सहायता सुविधाओं के प्रति जागरुक बनाने के लिए विधिक सहायता स्कीमों/कार्यक्रमों का प्रचार करना एक ऐसा मुख्य कार्यक्रम है, जिसके लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों, गैर-सरकारी संगठनों, आदि को निधियां आबंटित की जाती है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और गैर-सरकारी संगठन राज्य/जिला/तालुक के स्तर पर जनता के बीच सामाजिक कल्याण विधानों, आदि द्वारा गारंटीशुदा अधिकारों, फायदों और विशेषाधिकारों के बारे में विधिक साक्षरता और विधिक जागरुकता कार्यक्रमों का संचालन करते हैं।

विधिक सेवा कार्यक्रमों/स्कीमों के सबंध में व्यापक प्रचार जागरूकता अभियान के भाग रूप में प्रत्येक वर्ष 9 नवंबर को सभी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा 'विधिक सेवा दिवस' के रूप में मनाया जाता है। इस संबंध में देश के प्रमुख समाचार-पत्रों में सभी देशी भाषाओं में विज्ञापन दिए जाते हैं।

[अनुवाद]

228-29

जाली दस्तावेजों के आधार पर जमानत

5870. **डा. मन्दा जगन्नाथ:**
श्री वरकला राधाकृष्णन:
श्री अधीर चौधरी:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश में विशेषकर दिल्ली में कई अपराधी जाली दस्तावेजों के आधार पर और न्यायालय परिसरों में कार्यरत दलालों के माध्यम से मुचलका प्राप्त कर छूट जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार यह महसूस करती है कि त्रुटिरहित सत्यापन के लिए विद्यमान तंत्र अपर्याप्त है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार त्रुटिरहित सत्यापन हेतु एक व्यापक प्रणाली वाले वैकल्पिक तंत्र बनाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (च) जी नहीं। तथापि, यदि यह संदेह होता है कि जाली दस्तावेज के समर्थन में किसी छदमवेशधारी व्यक्ति को उपस्थित करने का प्रयास किया जा रहा है तो संबंधित पुलिस स्टेशन को मामला रजिस्टर करने का निदेश दिया जाता है।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के शासन की भ्रष्टाचार निवारण शाखा भी भ्रष्टाचार/अनाचार को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाती है:

(1) विनिर्दिष्ट शिकायतों पर छापे मारना।

(2) प्रेस में विज्ञापन जारी करके आम जनता में जागरुकता पैदा करना।

(3) यह सुनिश्चित करना कि विभाग ऐसी भ्रष्टाचार निवारण शाखा के, जहां भ्रष्टाचार/अनाचार के मामलों को रिपोर्ट किया जा सकता है, अधिकारियों के नामों और फोन नबंरों को उपदर्शित करने वाले बोर्ड लगाएं। 229-30

आयकर अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न

5871. श्री विनय कुमार सोराके: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयकर अधिकारियों द्वारा छापों, सर्वेक्षणों एवं जब्तियों के दौरान कर निर्धारितियों के उत्पीड़न एवं बलपूर्वक अघोषित आय घोषित करने के दृष्टांत सामने आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नए आयकर नियम, आयकर अधिकारियों द्वारा सर्वेक्षण, छापे अथवा जब्ती के दौरान दबाव के अंतर्गत स्वीकारोक्ति प्राप्त करने से रोकते हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) से (घ) कभी-कभी कर निर्धारिती दावा करते रहे हैं कि तलाशी/जब्ती और सर्वेक्षण कार्यवाहियों के दौरान उन्हें अप्रकटित आय स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया है। दूसरी तरफ प्राधिकृत अधिकारी यह दृष्टिकोण अपनाते हैं कि ऐसे प्रकटन स्वैच्छिक हैं। विभाग के पास ऐसे कोई रिकार्ड नहीं हैं जिससे यह स्थापित किया जा सके कि कर-निधारितियों को अतिरिक्त आय के प्रकटन के लिए बाध्य किया गया था। तथापि, विवाद तलाशी/जब्ती और सर्वेक्षण कार्यवाहियों के दौरान अप्रकटित आय की स्वीकारोक्ति प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए।

[हिन्दी] 230-31

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से ऋण

5872. श्री राजो सिंह:
श्री दलपत सिंह परस्ते:

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्ष के दौरान प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को हुआ लाभ/हानि कितनी है;

(ख) गत दो वर्ष के दौरान देश में प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा संवितरित ऋण की धनराशि राज्यवार कितनी है;

(ग) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में व्यापक भ्रष्टाचार के कारण किसानों को इन बैंकों का लाभ नहीं मिल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में और इन बैंकों के कार्य निष्पादन में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रभावी उपाय किए गए है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (घ) सूचना एकत्र की

जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

वस्त्र उत्पादों के लिए द्विपक्षीय पैकेज

5873. श्री वाई.वी. राव: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूरोपीयन यूनियन ट्रेड कमिश्नर ने मार्च, 2003 में भारत की यात्रा की थी;

(ख) क्या उन्होंने इस संबंध में वाणिज्य और वस्त्र मंत्रियों के साथ कई चर्चाएं की;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अन्य किन मुद्दों पर चर्चा हुई और इसके परिणाम क्या रहे;

(घ) क्या वस्त्र उद्योग के लिए किसी द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यूरोपिय संघ व्यापार आयुक्त तथा वाणिज्य व उद्योग मंत्री के बीच, नई दिल्ली में दिनांक 13 मार्च, 2003 को हुई वस्त्र संबंधी बैठक के दौरान वस्त्र क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई थी:

- यूरोपिय संघ व्यापार आयुक्त ने स्पष्ट किया कि कोटों को समयसारणी के अनुसार समाप्त किया जाएगा।
- पाकिस्तान के लिए जीएसपी-औषधि सुविधा के संदर्भ में, यूरोपिय संघ व्यापार आयुक्त ने सूचित किया कि दोनों पक्ष विवाद निपटान निकाय (डीएसबी) के माध्यम से जारी रख सकेंगे। उन्होंने संकेत दिया कि बाजार परिवर्तन के प्रश्न को यूरोपिय आयोग के आंकड़ों द्वारा समर्थन नहीं दिया गया है तथा यह उल्लेख किया कि आंकड़ों का मूल्यांकन किया जा रहा है तथा पाकिस्तान वर्ष 2004 तक क्लोदिंग के क्षेत्र मे सक्षम हो सकेगा।
- बैड-लिनन के संदर्भ में, यूरोपिय संघ व्यापार आयुक्त ने सूचित किया कि पाटनरोधी जांच-कार्य यूरोपिय संघ नियमों के तहत किए जा रहे हैं। उन्होंने दोहराया कि विशेषरूप से भारत को निशाना नहीं बनाया गया है।
- भारतीय पक्ष ने वस्त्र क्षेत्र में द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए बढ़िया गुंजाईश के बारे में कहा, क्योंकि भारत द्वारा परिधान उद्योग के लिए यूरोपिय संघ से बड़ी मात्रा में गुणवत्ता फैब्रिकों का आयात किया जाता है। भारतीय पक्ष ने वस्त्र टैरिफ में पहले की गई कटौतियों को भी उजागर किया। यूरोपिय संघ व्यापार आयुक्त ने सूचित किया कि इस मामले में यूरोपिय आयोग के साथ और वार्ताओं के लिए भारत का स्वागत है।

इसके अतिरिक्त, बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा की गई थी।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

आयात निर्यात बैंक और आईडीबीआई का कार्यनिष्पादन

5874. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष आयात-निर्यात बैंक तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने राज्यवार कुल कितना ऋण प्रदान किया;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान आयात-निर्यात बैंक तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का कार्यनिष्पादन क्या है और इससे कितना लाभ कमाया गया;

(ग) इन बैंकों द्वारा कितनी ऋण राशि की वसूली करनी है; और

(घ) चूककर्ताओं से ऋण बकाया को ब्याज सहित वसूलने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

विशेष आर्थिक क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयां

5875. डा. सुशील कुमार इन्दौरा:
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिसम्बर, 2002 तक प्रत्येक राज्य में विशेष आर्थिक क्षेत्रों में कार्य कर रही औद्योगिक इकाइयों की संख्या क्या है;

(ख) अप्रैल 2002 से दिसम्बर 2002 की अवधि के दौरान इन इकाइयों द्वारा कुल कितना उत्पादन किया गया और कुल उत्पादन में से कितने माल का निर्यात किया गया; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन इकाइयों द्वारा किया गया निर्यात देश से हुए कुल निर्यात का कितना प्रतिशत है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ग) दिसम्बर, 2000 की स्थिति के अनुसार कांडला और सूरत (गुजरात), सांताक्रुज (महाराष्ट्र) कोचीन (केरल), चेन्नई (तमिलनाडु) विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश), फाल्टा (पश्चिम बंगाल) और नोएडा (उत्तर प्रदेश) में स्थित 8 विशेष आर्थिक जोनों (एस ई जेड) में 659 इकाइयां कार्य कर रही थीं। अप्रैल-दिसम्बर, 2002 के दौरान एस ई जेड का इन इकाइयों द्वारा किए गए उत्पादन का मूल्य, निर्यात किए गए उत्पादन और देश के कुल निर्यातों में एस ई जेड से हुए निर्यातों का प्रतिशत योगदान निम्नानुसार रहा है:

(करोड़ रुपए में)

उत्पादन का मूल्य	निर्यातित उत्पादन का मूल्य	देश के कुल निर्यातों में एस ई जेड से हुए निर्यातों का प्रतिशत
7767.44	7548.33	4.08

[अनुवाद] 233-34

घटिया चाय का आयात

5876. श्री टी.एम. सेल्वागनपति: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि देश में कई चाय फैक्ट्रियां पुन निर्यात के नाम पर घटिया गुणवत्ता वाली चाय के आयात के कारण बंद हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस रूग्ण चाय उद्योग को पुनर्जीवित करने हेतु राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) देश में कुछ चाय बागान चाय के वापसी निर्यात के लिए किए गए आयात के कारण कतई बंद नहीं हुए हैं। चाय की कीमतों में लगातार गिरावट और उत्पादन की उच्च लागत से चाय बागानों की अर्थव्यवस्था प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है जिसके परिणामसवरूप विभिन्न राज्यों में कुछ चाय बागानों का परित्याग किया जा रहा है अथवा बंद कर दिए गए हैं। देश में चाय का आयात कुल देशी उत्पादन का केवल लगभग 2 प्रतिशत है और 95 प्रतिशत से अधिक आयातित चाय के मूल्य में कुछ वृद्धि करने के पश्चात उसका वापसी निर्यात किया जाता है। चाय के आयात की अनुमति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय चाय की कीमत प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करने और अंतर्राष्ट्रीय क्रेताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए वापसी निर्यात के लिए दी जाती है। यह जरूरी नहीं है कि आयात की जा रही चाय घटिया चाय हो और भारतीय चाय के साथ मिश्रित करने की प्रथा से ग्राहक पसंद के अनुसार चाय उपलब्ध कराने और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमत के तौर पर प्रतिस्पर्धी बनाने का उद्देश्य पूरा हो जाता है।

(ग) और (घ) केरल सरकार ने एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था जिसमें केरल में बागान उद्योग से संबंधित विभिन्न मुद्दों का उल्लेख किया गया था जिनमें भारतीय चाय उद्योग की मदद करने के लिए कुछेक प्रस्ताव शामिल किए गए हैं जैसे चाय पर उत्पाद शुल्क को समाप्त करना, वापसी निर्यात के लिए बागान फसलों के आयात को स्थगित करना, बैंक ऋणों के संबंध में राहतें, चाय के प्राथमिक विपणन में विकृतियों का सुधार करना, पुनः पौध रोपण के लिए सब्सिडी, परम्परागत चाय के लिए निर्यात सब्सिडी आदि। चाय उद्योग के पुनरूद्धार के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रमुख उपायों में चाय विपणन (नियंत्रण) आदेश 2003 को अधिसूचित करना और चाय के लिए अधिक पारदर्शी मूल्य अन्वेषण तंत्र की व्यवस्था के लिए निलामी नियमों में परिवर्तन, 1 रु. प्रति किग्रा उत्पाद शुल्क को समाप्त करना और चाय बागान क्षेत्र के विकास, आधुनिकीकरण और पुनरूद्धार के लिए एक अलग निधि बनाने के लिए अधिभार के रूप में 1 रु/किग्रा के अतिरिक्त उत्पाद शुल्क द्वारा इसे प्रतिस्थापित करना, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित एक राहत पैकेज का कार्यान्वयन करना जिसमें वाणिज्यिक बैंकों आदि से चाय क्षेत्र द्वारा लिए गए बकाया ऋणों की पुनः संरचना/पुनःनिर्धारण की व्यवस्था है, एक कारखाना उन्नयन स्कीम का कार्यान्वयन करना, एक मध्यम अवधि निर्यात नीति का कार्यान्वयन करना, हैंडलिंग, पैकेजिंग, परिवहन/भाड़ा प्रभारों की लागत के आंशिक रूप से पूरा करने के लिए निर्यातकों को वित्तीय प्रोत्साहन देना, गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम को कार्यान्वित करना आदि शामिल हैं।

235

गंभीर धोखाधड़ी की जांच हेतु कार्यालय

5877. **श्री वी. वेत्रिसेलवन:**
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार हाल में लगातार हुए घोटालों के मद्देनजर एवं गभीर धोखाधड़ी की जांच हेतु कार्यालय की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय के विचारार्थ विषय क्या हैं तथा इसकी संरचना क्या होगी; और

(घ) किस तिथि से इस कार्यालय द्वारा कार्य आरम्भ करने का प्रस्ताव है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सरकार ने कंपनी कार्य विभाग में गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) स्थापित किए जाने की मंजूरी दे दी है। एसएफआईओ को व्यवसायिक रूप से व्हाइट कालर क्राइम की जांच करने के योग्य एक बहुविषयक इकाई के रूप में कल्पित किया गया है। कार्यालय में कंपनी विधि, कर संबंधी, सूचना प्रौद्योगिकी, आदि विभिन्न क्षेत्रों से व्यवसायिक शामिल होंगे तथा यह जल्द ही कार्य करना शुरू कर देगा।

[हिन्दी]

235-36

रेशम का निर्यात

5878. **डा. जसवंतसिंह यादव:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक कितने रेशम का निर्यात किया गया और उक्त अवधि के दौरान इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी; और

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान रेशम के निर्यात के लिए क्या लक्ष्य रखा गया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) विगत तीन वर्षों के दौरान तथा जनवरी, 2003 तक, निर्यात की गई रेशम की मात्रा/अर्जित की गई विदेशी मुद्रा नीचे दी गई है:

वर्ष	रु. करोड़ में	अमरीकी मिलियन डालर में
1999-2000	1755.55	404.97
2000-2001	2421.98	530.21
2001-2002*	2236.38	469.23
2002-2003 (जनवरी 2003 तक)	1776.51	365.99

*अनंतिम

(ख) चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 2003-04 के दौरान रेशम के सामानों के निर्यात के लिए 500 मिलियन अमरीकी डालर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

[अनुवाद]

236-37

कृषि क्षेत्र में निवेश

5879. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने फार्म अवसंरचना के लिए निगमों और बड़ी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए दिए जाने वाले प्रोत्साहनों के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने और घोषित करने का निर्णय लिया हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने निर्णय लिया है कि फार्म अवसंरचना, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण, अनुसंधान और विकास तथा कृषि संबंधी विस्तार में निवेश के लिए बड़ी कंपनियों को सुविधा दी जाए जिससे वे व्यापारी और प्रसंस्करणकर्ता होने के बजाय उत्पादक बन सकें;

(ग) यदि हां, तो इस दिशा-निर्देश का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इनके द्वारा शुरू की जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (घ) कृषि उत्पादकता, उत्पाद की गुणवत्ता आदि को सीमित करने वाले विभिन्न कारकों जैसे कि क्षेत्र में अपर्याप्त निवेश को ध्यान में रखते हुए, सरकार का विचार कृषि निर्यात जोनों (ए ई जेड) के कार्यान्वयन में निगमों के सहयोग

को सुकर बनाने और उसका संवर्धन करने का है। इस प्रयोजनार्थ उनकी व्यवहार्यता के अध्यधीन उचित प्रोत्साहन प्रदान किए जा सकते हैं।

[हिन्दी]

विस्फोटक/सामग्रियों के विरुद्ध शिकायतें

5880. श्री सुकदेव पासवान: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ''विस्फोटक सामग्री प्रक्रियाओं'' और ''वितरकों'' के व्यापार चलन के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन शिकायतों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) ''विस्फोटक सामग्री प्रक्रियाओं'' और ''वितरकों'' के व्यापार के चलन के विरुद्ध इस विभाग में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

प्रतिभूति के लिए नई रेटिंग प्रणाली

5881. श्री जे.एस. बराड़: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सामान्य बीमा निगम (जीआईसी) चीन, जापान, कोरिया इत्यादि की एशियाई पुनर्बीमा कंपनियों के साथ परामर्श करके प्रतिभूतियों के लिए एकदम नई रेटिंग प्रणाली तैयार करेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नई रेटिंग प्रणाली शुरू करने के क्या कारण हैं और वर्तमान प्रणाली द्वारा किन समस्याओं का सामना किया जा रहा है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) फरवरी, 2003 में मुम्बई में आयोजित किए गए एशियाई पुनर्बीमाकर्ताओं के तीसरे शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्णयों की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, अपनी रेटिंग (कोटि-निर्धारण) प्रणाली की जांच करने के लिए एशियाई पुनर्बीमाकर्त्ताओं द्वारा एक समिति गठित की गई जिसमें, जापान, चीन, कोरिया, मलेशिया और भारत के प्रतिनिधि शामिल हैं। साधारण बीमा निगम स्वयं अपने आप कोई नई रेटिंग प्रणाली स्थापित नहीं करेगा।

(ग) भारत के पुनर्बीमाकर्ताओं सहित अधिकतर एशियाई पुनर्बीमाकर्ताओं को ''स्टैण्डर्ड एण्ड पुअर्स'' (एस एण्ड पी) द्वारा ''बीबी'' (साधारण) की रेटिंग प्रदान की गई है क्योंकि यह कम्पनियों को ''सावरेन'' रेटिंग से ऊपर की रेटिंग प्रदान नहीं करती। चूंकि एस एण्ड पी द्वारा भारत को ''बीबी'' की कोटि में रखा गया है, इसलिए भारतीय साधारण बीमा निगम (जीआईसी) की रेटिंग भी कम करके बीबी (साधारण) कर दी गई है। एशिया के अन्य पुनर्बीमाकर्ताओं की भी यही स्थिति है। इस समस्या के समाधान के लिए और एशियाई क्षेत्र में ही कारोबार बनाए रखने के लिए, एशियाई पुनर्बीमाकर्ताओं ने एक ''एशियाई रेटिंग'' तैयार करने की संभावना खोजने की जरूरत महसूस की है। इसके परिणामस्वरूप, एशियाई पुनर्बीमाकर्ताओं की पूर्ण क्षमता का उपयोग करने और अधिकतम कारोबार को क्षेत्र के भीतर ही रखने में मदद मिलेगी।

समुद्री खाद्य निर्यातकों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयां

5882. श्री पी.सी. थामस: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत के समुद्री खाद्य निर्यात की वर्तमान स्थिति क्या है और इसके उत्पादन, कमी, यदि कोई हो, इसके कारण का ब्यौरा क्या है तथा कितना निर्यात किया गया और वर्ष 2003-04 के लिए समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा निर्यात का क्या लक्ष्य रखा गया है;

(ख) क्या सरकार को समुद्री निर्यातकों द्वारा डीईपीबी के संबंध में उनके द्वारा घोषणा किए जाने की अनिर्वायता के कारण सामने आ रही कठिनाइयों की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो उनकी कठिनाईयों को दूर करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या इस संबंध में उक्त अवधि के दौरान उनके द्वारा की गई घोषणाओं के कारण उन्हें राजस्व आसूचना विभाग से कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) द्वारा प्रस्तुत अनंतिम निर्यात आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2002-03 के दौरान हमारे समुद्री उत्पादों का निर्यात रुपए में 10.38 प्रतिशत और डालर में 8.49 प्रतिशत बढ़ा है। पिछले दो वर्षों में समुद्री उत्पादों का मात्रा और मूल्य के अनुसार निर्यात इस प्रकार रहा है:

	2001-02	2002-03 (अनंतिम)
मात्रामां. टन में	424470	421921
मूल्य (करोड़ रुपए)	5957.05	6575.30
मूल्य (मिलियन अमरीकी डालर)	1253.35	1359.71

वर्ष 2003-04 के लिए सरकार द्वारा अभी समुद्री उत्पादों के निर्यात का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) घोषणा से संबंधित निर्धारण को दिनांक 1.4.2002 से समाप्त कर दिया गया है।

(घ) और (ङ) इस मुद्दे के संबंध में समुद्री उत्पादों के निर्यातकों से प्राप्त अभ्यावेदनों को राजस्व विभाग को विचारार्थ भेज दिया गया है।

239-40

युद्ध के कारण प्रभावित निर्यात

5883. डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारी मात्रा में चीनी तथा गेहूं, चावल इत्यादि जैसे अन्य अनाजों को ले जा रहे भारतीय जहाजों को दक्षिणी इराक के उम्म कसर बंदरगाह पर रोक दिया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इराक में जारी युद्ध के कारण खाड़ी देशों के लिए भेजी जा रही इसी प्रकार की खेप भी प्रभावित हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो देश के निर्यातकों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबाष महरिया): (क) से (घ) खाद्यान्नों के निर्यातकों ने कोई अभ्यावेदन नहीं दिया है। तथापि, कछ निर्यात खेपें खाड़ी में अन्य पत्तनों को भेजी गयी थी।

[हिन्दी]

240

शेयर बाजार में अनियमितताएं

5884. श्री अब्दुल रशीद शाहीन:
श्री बीर सिंह महतो:
श्री राम सिंह राठवा:

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ कंपनियां शेयर बजार में अनियमितताओं में संलिप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्ष के दौरान पहचानी गई इस प्रकार की कंपनियों के नाम क्या हैं;

(ग) जिन कंपनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा कार्रवाई की गई है उनके नाम क्या हैं और वे कार्रवाई किन नियमों के अधीन की गई है;

(घ) शेयर बाजार में छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए किए गए सुरक्षोपाय का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन सुरक्षोपायों के प्रावधानों का पालन किया जाता है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

240-41

प्राथमिक विद्यालयों के लिए आबंटन नीति

5885. श्री हरीभाऊ शंकर महाले: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आवासीय प्राथमिक विद्यालय का आबंटन करने की कोई समान नीति नहीं है;

(ख) क्या अंतिम बैठक में कुछ विद्यालयों को आवासीय प्राथमिक विद्यालय के रूप में और कुछ को गैर-आवासीय प्राथमिक विद्यालय के रूप में स्वीकृति दी गई; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) जी, नहीं। मंत्रालय की अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान देने की एक स्पष्ट योजना है जिसके अंतर्गत अन्य परियोजनाओं के साथ-साथ अनुसूचित जनजातियों के लिए आवासीय प्राथमिक स्कूलों की स्थापना और उन्हें चलाने के लिए सहायता अनुदान जारी किए जाते हैं। गैर-सरकारी संगठनों का चयन और अनुदान की निर्मुक्ति राज्य सरकार और मंत्रालय की परियोजना स्क्रीनिंग समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाती है।

(ख) जी, हां। परियोजना स्कीनिंग समिति ने विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा सिफारिश किए गए प्रतावों की समीक्षा और जांच की है और संगठनों की वित्तीय क्षमता और शिक्षा के क्षेत्र में उनके अनुभव और इसके अतिरिक्त मंत्रालय के पास उक्त योजना के अंतर्गत निधियों की उपलब्धता के आधार पर आवासीय और गैर-आवासीय स्कूलों के आबंटन के लिए संगठनों की पहचान की है।

(ग) कुछ संगठनों आवासीय स्कूलों के उनके प्रस्तावों के बदले गैर-आवासीय स्कूल स्वीकृत किए हैं, जहां परियोजना स्क्रीनिंग समिति द्वारा यह महसूस किया गया कि प्रस्तावित स्थल पर गैर-आवासीय स्कूल से काम चल सकता है वहां संगठन को गैर आवासीय स्कूल चलाने की उनकी इच्छा के आधार पर इस प्रस्ताव को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का विकल्प दिया गया।

हथकरघा विकास केन्द्र

5886. श्री दिलीप संघाणी: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में हथकरघा बुनकरों के लाभ के लिए केन्द्र के अनुदान से हथकरघा विकास केन्द्रों और क्वालिटी डाइंग इकाइयों की स्थापना की गयी है;

(ख) यदि हां, तो इसका जिलेवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) गुजरात में हथकरघा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) और (ख) जी, हां। गुजरात में खोले जाने के लिए 7 हथकरघा विकास केन्द्र स्वीकृत किए गए थे जिनमें से 5 केन्द्र मेहसाना, डांग, कच्छ, साबरकांठा और अमरेली जिलों में काम कर रहे हैं। बनासकांठा और मेहसाना स्थित दो समितियां केन्द्र नहीं खोल पायीं और भारत सरकार द्वारा जारी की गई निधियों को राज्य सरकार द्वारा वापस लौटा दिया गया है।

(ग) भारत सरकार निम्नलिखित कार्यक्रमों के माध्यम से आन्ध्र प्रदेश सहित देश के समग्र हथकरघा क्षेत्रों के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन करती रही है:

(1) दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना (डीडीएचपीवाई)

(2) विपणन प्रोत्साहन कार्यक्रम

(3) हथकरघा निर्यात योजना

(4) थ्रिफ्ट फंड योजना

(5) बीमा योजना

(6) स्वास्थ्य पैकेज योजना

(7) डिजाइन विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

(8) कार्यशाला-सह-आवास योजना

(9) मिल गेट कीमत योजना

(10) हैंक यार्न पर सेनवेट की प्रतिपूर्ति संबंधी योजना।

(11) हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985 का कार्यान्वयन।

रूस के साथ व्यापार समझौता

5887. श्री गुनीपाटी रामैया: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत और रूस अपने राष्ट्रीय हितों के अनुकूल अन्य देशों के साथ क्षेत्रीय व्यापार और आर्थिक सहयोग समझौते की संभावनाएं तलाशने के लिए सहमत हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच इस संबंध में हुए समझौते की मुख्य विशेषताएं क्या है; और

(ग) अन्य देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए किस सीमा तक प्रयास किए गए है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) भारत गणराज्य और रूसी परिसंघ के बीच आर्थिक, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय सहयोग को सुदृढ़ करने और उसे बढ़ाने के बारे में एक संयुक्त घोषणा पर भारत के प्रधानमंत्री और रूसी परिसंघ के राष्ट्रपति द्वारा 4 दिसम्बर, 2002 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस संयुक्त घोषणा में अन्य बातों के साथ-साथ इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि दोनों सरकारें अन्य देशों के साथ क्षेत्रीय व्यापार और आर्थिक सहयोग व्यवस्था की संभावनाओं का पता संयुक्त रूप से इस ढंग से लगाएंगी कि वह उनके अपने-अपने राष्ट्रीय हित के अनुरूप हों।

(ख) इस संबंध में कोई विशिष्ट प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) भारत सरकार ने अन्य देशों के साथ व्यापार में सुधार लाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- उच्चतम स्तर पर विचार-विमर्श समेत वार्ताओं को आगे बढ़ाना।

- संयुक्त आयोग/कार्यदल/उप-दल की बैठकों के जरिए सरकारी स्तर पर द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर समीक्षा करना।

- शिष्टमंडलों, संयुक्त व्यापार परिषदों का आदान-प्रदान करे, प्रदर्शनियों, मेलों, क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन और उनमें भागीदारी करके प्रत्यक्ष व्यापार संपर्क बढ़ाना।

रेशम उत्पादों का आयात

5888. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयात किए जा रहे रेशम के धागे तथा रेशम के अन्य उत्पाद घरेलू उद्योग को बड़े पैमाने पर दुष्प्रभावित कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को घरेलू व्यापारियों तथा केन्द्रीय रेशम बोर्ड से देश में रेशम उद्योग की रक्षा के लिए कोई अनुरोध/सुझाव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) से (घ) वर्ष 2001-2002 से, तेजी से गिरती कीमतों पर मुख्यतया चीन से अपरिष्कृत रेशम के बढ़ते आयात के कारण कोया और रेशम यार्न की घरेलू कीमतों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है, इसके परिणामस्वरूप कृषकों और रीलर्स को अकारण परेशानी उठानी पड़ी है। रीलर्स एसोसिएशन ने पाटनरोधी व सहायक शुल्क महानिदेशालय के समक्ष एक याचिका दायर की है, जिसमें चीन से उत्पादित अथवा निर्यातित शहतूती अपरिष्कृत रेशम (धागे के रूप में नहीं) को हुई हानि तथा पाटनरोधी शुल्क का आरोप है।

पाटनरोधी महानिदेशालय ने प्राथमिक जांच करने के पश्चात् पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की। भारत सरकार ने दिनांक 2 जनवरी, 2003 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 2/2003 के माध्यम से, चीन गणराज्य से निर्यातित अथवा वहां उत्पन्न आयातित शहतूती अपरिष्कृत रेशम (धागे के रूप में नहीं), 2-ए श्रेणी और उससे कम के 33.19 अमरीकी डालर प्रति कि.ग्रा. और लैंडेड मूल्य की राशि के बीच के अंतर के समतुल्य अस्थायी पाटनरोधी शुल्क लगाया है।

[हिन्दी]

स्वापक वस्तुओं के तस्करों की संपत्ति की जब्ती

5889. योगी आदित्यनाथ: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान स्वापक वस्तुओं की तस्करी में लिप्त व्यक्तियों के संदर्भ में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा जब्त संपत्ति की कीमत कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उन व्यक्तियों से कितनी राशि वसूल हुई;

(ग) क्या लेखा में इस प्रकार जब्त संपत्ति का प्रतिशत, की गई वास्तविक जब्ती की तुलना में बहुत कम दिखाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हां?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उपभोक्ता न्यायालयों की स्थापना

5890. श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों में उपभोक्ता न्यायालयों की स्थापना करने के लिए केंद्र सरकार ने धनराशि का आबंटन किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने इस उद्देश्य से दी गई धनराशि का अन्यत्र उपयोग किया है या इसका उचित ढंग से उपयोग नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) से (ङ) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के उपबंधों के तहत राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों और जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंचों की स्थापना राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। इसलिए इन एजेंसियों के सुचारू कार्यकरण की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। तथापि, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रयासों को संबल प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने उपभोक्ता विवाद प्रतितोष एजेंसियों के आधार ढांचे को मजबूत करने के लिए 61.80 करोड़ रुपए का एकबारगी अनुदान मुहैया किया। कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अनुदान का उस प्रयोजन के लिए पूरा उपयोग कर लिया है जिसके लिए यह उन्हें उपलब्ध कराया गया है। अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निधियों का अभी भी उपयोग किया जा रहा है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सलाह दी गई है कि वे निधियों को उसी उद्देश्य के लिए उपयोग करें जिसके लिए यह मुहैया कराया गया है।

[अनुवाद]

245-46

केन्द्रीय ऋण पर ब्याज दर

5891. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी:**
श्री प्रकाश. वी. पाटील:

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान सरकार से राजस्थान को दिए गए केन्द्रीय ऋण पर ब्याज दर अर्थात् योजना सहायता का 70 प्रतिशत और अन्य ऋण जिन पर ब्याज दर अभी भी 11.5 प्रतिशत है, को कम करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की स्थिति क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) भारत सरकार ने योजना ऋणों पर ब्याज दर, जो 2002-03 के दौरान 11.50 प्रतिशत थी, को 1.4.2003 से कम करके 2003-04 के दौरान 10.50 प्रतिशत कर दिया है।

[अनुवाद]

246-47

रेशम कीट पालनकर्त्ताओं की समस्याएं

5892. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:**
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:
श्री सी. श्रीनिवासन:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोया (कोकून) और रेशम की कीमतों में भारी गिरावट के कारण कर्नाटक तथा देश के अन्य भागों में रेशम कीट पालक किसान तथा रीलर कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कर्नाटक के एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने केन्द्र सरकार को कोई ज्ञापन दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में रेशम कीटपालन उद्योग को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) जी हां। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्मू व कश्मीर आदि के रेशम उत्पादन किसानों और रीलरों को कोये और कच्चे रेशम की कीमतों में भारी गिरावट के कारण वित्तीय घाटा हुआ है।

(ख) और (ग) कर्नाटक में मुख्य मंत्री के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने केन्द्र सरकार को एक ज्ञापन दिया है कि जिसमें इस मामले में सकार का हस्तक्षेप, कच्चे रेशम पर आयात शुल्क में वृद्धि, नेपाल और बंगलादेश से, इस देश में रेशम के अवैध प्रवेश रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर और अधिक सर्तकता बरतने, विकास संबंधी क्रियाकलापों के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड से और अधिक वित्तीय और तकनीकी सहायता, कोया पालकों के लिए एक प्रोत्साहन योजना चलाने हेतु गतिशील निधि का सृजन और कोये की खरीद के लिए कर्नाटक रेशम उद्योग निगम लि. (के एस आई सी) को केन्द्रीय रेशम बोर्ड से 5.00 करोड़ रु. का अनुदान देने का अनुरोध किया गया है।

(घ) सरकार ने रेशम उत्पादकों के हितों की रक्षा करने तथा बाजार विघटन रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

1. पाटनरोधी महानिदेशालय ने प्राथमिक जांच की तथा पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की। भारत सरकार ने दिनांक 2 जनवरी, 2003 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 2/2003 के माध्यम से चीन गणराज्य से निर्यातित अथवा वहां उत्पन्न आयातित शहतूत अपरिष्कृत रेशम (धागे के रूप में नहीं), 2-ए श्रेणी और उससे कम के 33.19 अमरीकी डालर प्रति कि.ग्रा. और लैंडेड मूल्य की राशि के बीच अंतर के समतुल्य अस्थायी पाटनरोधी शुल्क लगाया है। उक्त पाटनरोधी शुल्क अंतिम निर्णय होने तथा अस्थायी तौर पर लगाया गया है और यह 1 जुलाई 2003 तक लागू रहेगा।

2. केन्द्रीय रेशम बोर्ड, प्राथमिक किसानों को उचित कीमत सुनिश्चित करने के लिए राज्य विपणन एजेंसियों के मार्जिन धन ऋण प्रदान करता है तथा कच्चा माल बैंक चलाता है। इसके अतिरिक्त, प्रमुख बाजारों में राज्य सरकार की एजेंसियां, जैसे कर्नाटक रेशम विपणन बोर्ड, बाजार में अपनी उपस्थिति से एक स्थिरीकरण भूमिका निभाता है।

3. वर्ष 2002-03 के दौरान, कुछ राज्य सरकारों ने गिरती कीमतों से किसानों को राहत प्रदान करने तथा रेशम उत्पादन में उन्हें बने रहने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए, केन्द्र और संबंधित राज्य द्वारा 50:50 के अनुपात में लागत बंटवारा आधार पर किसानों को 10 रुपए प्रति कि.ग्रा. कोये का प्रोत्साहन प्रदान किया।

4. दसवीं योजना अवधि के दौरान, नौवीं योजना अवधि से अधिक किए गए योजना प्रावधान को, अनुसंधान व प्रौद्योगिकी के विकास तथा केन्द्रीय और केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु 450 करोड़ रुपया कर दिया गया है। केन्द्रीय और केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के अंतर्गत केन्द्रीय रेशम बोर्ड, रेशम के उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रात्मक वृद्धि हेतु अनुदान सहायता और प्रौद्योगिकीय सहायता के रूप में राज्य सरकारों और लाभार्थियों को सहायता प्रदान करता है।

कपास/फाइबर मिलें

5893. श्री गंता श्रीनिवास राव: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार आन्ध्र प्रदेश में कार्यरत कपास तथा कृत्रिम धागावस्त्र मिलों की अलग-अलग संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त मिलों द्वारा वर्षवार कितना उत्पादन किया गया; और

(ग) राज्य में इन मिलों के आधुनिकीकरण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) और (ख) 28 फरवरी, 2003 की स्थिति के अनुसार, आंध्र प्रदेश राज्य के पिछले तीन वर्षों के दौरान 54 सूती/मानव निर्मित फाईबर वस्त्र मिलें (गैर-एसएसआई) कार्यरत थे तथा उनका उत्पादन निम्नानुसार है:

वर्ष	स्पन यार्न का उत्पादन (मिलियन कि.ग्रा.)
2000-01	138
2001-02	145
2002-03 (अनं)	133

अनं: अनंतिम

सूती और मानव निर्मित फाईबर मिलों के अलग-अलग ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं क्योंकि इन मिलों में यार्न/फैब्रिक के उत्पादन में पूर्ण लोचशीलता है।

(ग) वस्त्र और पटसन उद्योगों की समग्र अर्थक्षमता में सुधार लाने और इसे वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से, सरकार ने 1.4.1999 से पांच वर्षों की अवधि, अर्थात् 31 मार्च, 2004 तक के लिए वस्त्र और पटसन उद्योगों हेतु प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) प्रारंभ की है। यह योजना आंध्र प्रदेश राज्य सहित संपूर्ण भारत पर लागू है। इस योजना की मुख्य विशेषता यह है कि वस्त्र उद्योग के प्रौद्योगिकी उन्नयन की परियोजना जो योजना के अनुसार पात्र हैं, पर नोडल एजेंसी/सहयोजिता बैंकों द्वारा प्रभारित ब्याज पर 5 प्रतिशत बिंदु की प्रतिपूर्ति की जाती है। ये मिलें योजना के अंतर्गत सहायता पाने के लिए अपनी आधुनिकीकरण परियोजना के साथ नोडल एजेंसी/सहयोजिता से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र है। 28 फरवरी, 2003 की स्थिति के अनुसार, आंध्र प्रदेश राज्य में 613 करोड़ रुपये की परियोजना लागत और 361 करोड़ रुपये की ऋण आवश्यकता के साथ 40 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। 31 आवेदन पत्रों के लिए 229 करोड़ रुपए की ऋण राशि स्वीकृत की गई है तथा 170 करोड़ रुपये 26 आवेदन पत्रों के लिए संवितरित किए गए हैं।

कंपनियों द्वारा निधियों का दुरुपयोग

5894. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि गुजरात स्थित 30 से अधिक कंपनियां और उनके प्रवर्त्तकों ने शेयर तथा ऋण पत्रों के सार्वजनिक निर्गम से इकट्ठा की गई निधि का दुरुपयोग करके सार्वजनिक धन का दुर्विनियोजन किया है;

(ख) यदि हां, तो कंपनियों सहित उनके प्रवर्त्तकों के नाम क्या हैं;

(ग) इन कंपनियों के प्रवर्त्तकों द्वारा कितनी राशि का दुरुपयोग/अन्यत्र प्रयोग किया गया है; और

(घ) कंपनी अधिनियम, 1856 के अधीन चूककर्ताओं के विरुद्ध सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण 249-50

5895. श्री अधीर चौधरी: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजा दिए जाने संबंधी उच्चतम न्यायालय के निर्णय को स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बीमा कम्पनियां ऐसे मामलों में तीसरे पक्ष को मुआवजा देती हैं; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

250

कराधान संबंधी लंबित मामले

5896. श्री रामसिंह राठवा: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कराधान से संबंधित मामलों में असामान्य विलंब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो अक्टूबर, 2001 से ऐसे कितने मामले लंबित हैं और गत तीन, छह और नौ महीनों से अलग-अलग कितने मामले लंबित हैं; और

(ग) इन मामलों को शीघ्रातिशीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) आयकर

आयकर निर्धारणों/पुनर्निर्धारणों को आयकर अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित कानूनी समय सीमा के अन्दर पूरा किया जाता है। अतएव, इन मामलों में अत्यधिक विलम्ब नहीं किया जा रहा है।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क

अक्तूबर, 2001 से न्याय-निर्णयन के लम्बित मामलों तथा पिछले 9 महीनों से लम्बित मामलों के संबंध में अलग से ब्यौरे तैयार नहीं किए गए हैं। तथापि, 31.12.2002 की स्थिति के अनुसार सूचना नीचे दी गई है:-

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	न्यायानिर्णयन के लिए लम्बित मामलों की संख्या	
3 माह से कम	3 से 6 माह	1 से 3 वर्ष
6898	4183	5611
सीमा शुल्क-	न्यायनिर्णयन के लिए लम्बित मामलों की संख्या	
3 माह से कम	3 से 6 माह	1 से 2 वर्ष
610	402	725

(ग) मामलों के समयबद्ध न्यायनिर्णयन के लिए अब कानूनी प्रावधानों की व्यवस्था की गई है। ऐसे मामलों के निपटान की नियमित निगरानी भी की जाती है।

251

राष्ट्रीय एकीकृत विकास योजना

5897. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय एकीकृत विकास योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस शीर्ष के अंतर्गत कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है; और

(ग) इसमें राज्यवार कितनी धनराशि खर्च किये जाने का प्रस्ताव है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, नहीं। योजना आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार ऐसी कोई योजना नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

251

सेबी का कार्यकरण

5898. श्री रामजी मांझी: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेबी को बाजार पर निगरानी रखने की अपनी भूमिका निभाने में विफल रहने का दोषी पाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए उत्तरदायी सेबी के अधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्रवाई की है अथवा क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) सेबी प्रतिभूति बाजारों के विकास और विनियमन हेतु अपनी भूमिका एवं कार्यों का निष्पादन करता रहा है। इस भूमिका के एक हिस्से के रूप में सेबी द्वारा कई दूरगामी प्रयास किए गए हैं। सेबी द्वारा एक उचित, पारदर्शी एवं प्रभावी बाजार के निर्माण के लिए हाल ही में उठाए गए कुछ महत्पूर्ण कदमों में ये शामिल हैं:

- केन्द्रीय सूचीयन प्राधिकरण स्थापित करना।
- निगमित अभिशासन दर निर्धारण।
- टी + 5 के स्थान पर टी + 2 चल निपटान चक्र संक्षेपण।
- स्टाक एक्सचेंजों के कार्य प्रचालन प्रविधि एवं जोखिम निपटान प्रणाली की वैश्विक बेंचमार्किंग।
- समकालिक पेशकश।
- केन्द्रीय पंजीकरण तथा।
- निगरानी का सुदृढ़ीकरण।

प्रवर्तन गतिविधियों के भाग के रूप में सेबी चूककर्ता कंपनियों एवं मध्यवर्तियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

252-53

खाद्यान्नों की आपूर्ति

5899. श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 11 मार्च, 2003 के "द स्टेट्समैन" में प्रकाशित समाचार के अनुसार भारतीय खाद्य निगम ने निर्यात एजेंसियों से 60 करोड़ रुपये से भी अधिक राशि वसूलने के पश्चात् उनके लिए खाद्यान्नों की आपूर्ति करना बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) भारतीय खाद्य निगम द्वारा इन निर्यातकों को खाद्यान्नों की आपूर्ति बंद करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या भारतीय खाद्य निगम के ऐसे निर्णय के परिणामस्वरूप सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों को भी भारी घाटा हो रहा है जिन्होंने खाद्यान्नों का निर्यात करने के लिए निजी पार्टियों के साथ समझौता किया था;

(ङ) यदि हां, तो भारतीय खाद्य निगम का विचार किस प्रकार से इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को मुआवजा देने का है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) से (ग) केंद्रीय पूल से खाद्यान्नों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए निर्यातकों को देश में अपनी पसन्द के अनुसार किसी भी भाग से स्टाक का उठान करने के लिए राशि जमा कराने की अनुमति दी जाती है। तथापि, भारतीय खाद्य निगम ऐसे क्षेत्रों से स्टाक का उठान करने के लिए अस्थाई प्रतिबंध लगा देता है, जिनमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसके पास पर्याप्त स्टाक नहीं होता है। इसके सिवाय भारतीय खाद्य निगम निर्यात के प्रयोजनार्थ खाद्यान्न उपलब्ध कराना जारी रखे हुए है।

भारतीय खाद्य निगम ने पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन कार्यरत ''जिला मजिस्ट्रेटों'' को कोई अनुदेश जारी नहीं किए हैं।

(घ) से (च) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपने वाणिज्यिक निर्णय के अनुसार निर्यात करते हैं और भारतीय खाद्य निगम हानियां, यदि कोई हों, की क्षतिपूर्ति नहीं करता है।

नकली बॉण्ड पेपर

5900. श्री जी. पुट्टास्वामी गौडा: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में करोड़ों रुपये मूल्य के नकली बॉण्ड पेपर जब्त किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस खतरे को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए मासिक राशन

5901. श्री अशोक ना. मोहोल: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवार राशन का अपना मासिक कोटा एक बार में नहीं खरीद पा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) और (ख) गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की कम क्रय शक्ति को देखते हुए 31 अगस्त, 2001 को अधिसूचित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 में कार्डधारकों द्वारा साप्ताहिक आधार पर राशन लेने का प्रावधान किया गया है।

काला धन

5902. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** कोयला बेल्ट में काला धन के बारे में 14.12.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4083 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर में उल्लिखित कतिपय व्यक्तियों के विरुद्ध उस जांच और आंकलन को पूरा कर लिया गया है जिसका आश्वासन दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या धनबाद में 'कोल माफिया' नाम से जाने, जाने वाले कतिपय अन्य गुटों के पास उनकी वैध आय से बहुत अधिक सम्पत्ति है; और

(ङ) यदि हां, तो इस माफिया के विरुद्ध क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) कर-निर्धारण वर्ष 1999-200 के संबंध में निम्नलिखित व्यक्तियों के मामलों की संवीक्षा की गई थी और उनके नामों के सामने यथा-उल्लिखित अतिरिक्त आय उनके हाथों में निर्धारित की गई थी:

व्यक्ति का नाम	निर्धारित अतिरिक्त आय
1. मैसर्स कल्याणेश्वरी बिकेट उद्योग	4,38,49 रु.
2. मैसर्स कल्याणेश्वरी कोक प्रा.लि..	3,96,770 रु.
3. मैसर्स कल्याणेश्वरी वस्त्रालय	12,180 रु.

इन मामलों में आय छिपाने के लिए अर्थदण्ड संबंधी कार्यवाहियां प्रारंभ की गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) आयकर विभाग के पास ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ङ) उपर्युक्त पैरा (घ) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

चाय के लिए राजसहायता

5903. श्री के.पी. सिंह देव: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार गैर-परम्परागत क्षेत्रों में चाय उगाने के लिए राजसहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो चाय उगाने के लिए कौन-कौन से राज्यों को यह राजसहायता प्रदान की गई है;

(ग) क्या उड़ीसा राज्य में चाय उगाने के लिए कोई प्रोत्साहन दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) 10वीं योजना स्कीमों को तैयार करते समय मांग तथा आपूर्ति की स्थिति के बीच समानता रखने की दृष्टि से विस्तार करने की अपेक्षा कार्य क्षेत्र की परिसम्पत्तियों के नवीकरण, मौजूदा क्षेत्र की उत्पादकता तथा गुणवत्ता में सुधार पर बल दिया गया है। दसवीं योजना अवधि के दौरान गैर परम्परागत राज्यों में चाय को उपजाने हेतु 1250 हैक्टेयर का विस्तार कार्यक्रम बनाया गया है।

(ख) 10वीं योजना के दौरान, चाय विस्तार कार्यक्रम सिक्किम तथा उत्तरांचल राज्य समेत उत्तर पूर्वी राज्यों में अवस्थित गैर परम्परागत क्षेत्रों के लघु चाय उत्पादकों (10.12 हैक्टेयर तक की जोत वाले) के लिए सीमित होगा।

(ग) दसवीं योजना अवधि के दौरान चाय बोर्ड के वित्तीय प्रोत्साहन से उड़ीसा के लिए किसी चाय विस्तार कार्यक्रम पर विचार नहीं किया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता। 255-56

तमिलनाडु में बकाया आयकर

5904. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31.3.2003 की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु के व्यक्तियों/भागीदार कम्पनियों/न्यासों/बोर्डों/व्यापार घरानों से अभी कितना बकाया कर वसूल किया जाना है;

(ख) क्या सरकार ने बकाया कर की वसूली के लिए कोई विशेष अभियान चलाया है अथवा चलाने की योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास आयकर की बकाया राशि की वसूली करने के लिए पर्याप्त कृतिक बल अथवा जनशक्ति है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) 31-3-2003 की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु के कर निर्धारण व्यक्तियों से अभी वसूल किए जाने वाले बकाया आयकर की राशि 1906.45 करोड़ रुपये है। व्यष्टियों, भागीदार फर्मों, कम्पनियों, न्यासों, बोर्डों आदि के लिए अलग से आंकड़ें नहीं रखे जाते हैं।

(ख) जी, नहीं। बकाया आयकर की वसूली के लिए कोई विशेष अभियान नहीं चलाया गया है न ही चलाए जाने का प्रस्ताव है। आयकर विभाग ने बकायों की वसूली के लिए नियमित कदम उठाये हैं जैसा कि आयकर अधिनियम में प्रावधान किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) तमिलनाडु क्षेत्र में विभिन्न स्तरों पर जनशक्ति की कमी है।

(ङ) तमिलनाडु क्षेत्र में 4669 कर्मचारियों की स्वीकृति संख्या में से विभिन्न स्तरों पर 528 पद रिक्त हैं। 256-57

आंध्र प्रदेश में बी.आई.एस. चिह्न वाले लैबलों का उल्लंघन

5905. श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में बी.आई.एस. चिह्न लैबलों के उल्लंघन से संबंधित पकड़े गए मामलों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार ने इन कानूनों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है;

(ग) सरकार ने ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) गत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में बी.आई.एस. चिह्न के दुरुपयोग के संबंध में पता लगाए गए मामलों की संख्या का ब्यौरा इस प्रकार है:

	2000-2001	2001-2002	2002-2003
पता लगाए गए मामलों की संख्या	04	04	शून्य

(ख) जिन व्यक्तियों ने उपर्युक्त मामलों में कानून का उल्लंघन किया था उनके खिलाफ सरकार द्वारा की गई कार्रवाई इस प्रकार है:

	2000-2001	2001-2002		2002-2003
		बी.आई.एस. द्वारा	पुलिस द्वारा	
अभियोजन शुरू किया गया	02	01	01	शून्य
जिनकी जांच की जा रही है	01	01	01	शून्य
बंद किए गए मामले	01	शून्य		शून्य

(ग) भारतीय मानक ब्यूरो समय-समय पर अपने क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों के जरिए राष्ट्रव्यापी बाजार सर्वेक्षण/अभियान/उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है। क्षेत्रीय/शाखा कार्यालय व्यापारियों और विनिर्माताओं के साथ-साथ क्रेता/विक्रेता की बैठकें आयोजित करता है जिससे बी.आई.एस. चिह्न के दुरुपयोग को रोकने में सहायता मिलती है।

[हिन्दी]

औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) का नया निकाय

5906. **श्री शिवराजसिंह चौहान:** क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) को समाप्त करके कोई नया निकाय स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में किए गए निर्णय का ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, हां।

(ख) कंपनी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002 के जरिये कंपनी अधिनियम, 1956 को संशोधित किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) की स्थापना किए जाने का प्रावधान है। रूग्ण औद्योगिक कंपनियों के पुनरुज्जीवन और पुन: स्थापना से संबंधित सभी मामले एन सी एल टी द्वारा रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 को निरस्त करने और बी आई एफ आर/एएआईएफआर के अनुवर्ती समापन के बाद निपटाए जाएंगे।

[अनुवाद]

मोटे अनाज की खरीद

5907. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम की भूमिका सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए प्रमुख अनाजों की खरीद तक ही सीमित है;

(ख) यदि हां, तो क्या मोटे अनाज की खरीद का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकार का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उनके मंत्रालय ने कृषि मंत्रालय से मोटे अनाज की खरीद के इस कार्य को नैफेड को सौंपने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो मोटे अनाज की प्रचुर उपलब्धता वाले राज्यों में इनकी खरीद के लिए कौन-कौन से वैकल्पिक उपाय किए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबाष महरिया): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मोटे अनाजों की वसूली और निपटान के लिए फिलहाल अपनाई जा रही प्रक्रिया निम्नानुसार है:

(1) भारतीय खाद्य निगम/भारत सरकार की ओर से राज्य सरकारें/एजेंसियां न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्नों की वसूली करती हैं;

(2) राज्य सरकारें वसूल की गई मात्रा में से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अपनी आवश्यकता की मात्रा को अपने पास रखती हैं और शेष मात्रा का निपटान खुली बोली अथवा निविदा द्वारा "जहां है जैसा है" आधार पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा कर दिया जाता है; और

(3) आर्थिक लागत और निपटान/निर्गम मूल्य के बीच के अंतर का भुगतान राज्य सरकार को राजसहायता के रूप में किया जाता है।

(घ) जी, हां। तथापि, कृषि मंत्रालय प्रबंधकीय और वित्तीय बाधाओं के कारण इस विभाग के अनुरोध से सहमत होने की स्थिति में नहीं था।

(ङ) उपर्युक्त भाग (ख) और (ग) के उत्तर में किए गए उल्लेख के अनुसार मौजूदा व्यवस्थाएं जारी रखी जा रही हैं।

[हिन्दी]

भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.आई.) शाखाओं में जाली नोट

5908. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों में कार्य कर रही भारतीय स्टेट बैंक की विभिन्न शाखाओं में पाकिस्तान और बांग्लादेश में छापे गये काफी जाली नोट मिले हैं और क्या बाजार में इन नोटों का परिचालन ''उल्फा'' द्वारा किया गया था;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान उक्त शाखाओं में कितने मूल्य के जाली नोट पकड़े गये हैं;

(ग) सरकार द्वारा पाकिस्तानी आई.एस.आई. की भारतीय अर्थव्यवस्था को पंगु बनाने की योजना को विफल करने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाये जा रहे है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) अप्रैल, 2002-मार्च, 2003 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) गुवाहाटी में भारतीय स्टेट बैंक और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में उसके संबद्ध बैंक की शाखाओं के करेंसी चेस्ट के मैले-कूचैले नोटों की प्रेषणाओं में 4,12,6001-रुपए की राशि के जाली करेंसी नोट पाये गये। तथापि, जाली करेंसी नोटों के परिचालन के स्रोत का निश्चित रूप से पता लगाना कठिन है।

(ग) सरकार ने कई उपाय किए हैं जिसमें सीमा सुरक्षा बल/सीमा शुल्क प्राधिकारियों को जाली नोटों की जालसाजी को रोकने के लिए सर्तकता बरतना, केन्द्रीय जांच ब्यूरो में विशेषकर जाली करेंसी नोटों की जांच के लिए विशेष यूनिट की स्थापना, उच्च मूल्य वर्ग के नोटों में विशेष प्रतिभूति गुणों को शामिल करना, जनता के लाभार्थ बैंक नोटों में उपलब्ध इन प्रतिभूति गुणों से संबंधित सूचना, प्रिंट मीडिया और इलैक्ट्रोनिक मीडिया द्वारा जनता को अवगत करना शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी करेंसी चेस्टों को यह अनुदेश दिया है कि उनके द्वारा प्राप्त होने वाले सभी नोटों में से जाली नोटों को पृथक करने और जब्त करने के लिए नोटों की ध्यानपूर्वक जांच की जाय, सभी बैंक शाखाओं में जाली नोटों का पता लगाने के लिए अल्ट्रा वायलेट लैम्पों की संस्थापना की जाय, और बैंक के सभी मुख्य कार्यालयों में जाली नोटों पर आरबीआई के अनुदेशों आदि के कार्यान्वयन की मानिटरिंग के लिए एक जाली नोट सतर्कता कक्ष की स्थापना की जाय।

[अनुवाद]

चीनी का निर्यात

5909. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय चीनी निर्यातकों ने चीनी के निर्यात के लिए मिस्र जैसे खाड़ी देशों में नये बाजारों की खोज कर ली है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में किन्हीं ठोस प्रस्तावों को अंतिम रूप प्रदान किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(घ) खाड़ी देशों को कितनी चीनी का निर्यात किया जाना है और उसे किस मूल्य पर निर्यात किया जाना है; और

(ङ) भारत द्वारा अन्य कौन-कौन से देशों को चीनी का निर्यात किया जा रहा है और चीनी का निर्यात करने वाले अन्य देशों की तुलना में भारतीय चीनी का मूल्य कितना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) से (ङ) वर्तमान निर्यात-आयात नीति के तहत चीनी का निर्यात खुले सामान्य लाइसेंस (ओ.जी.एल.) के अधीन करने की अनुमति है। अत: विभिन्न चीनी मिलें/निर्यातक अपने वाणिज्यिक निर्णय के अनुसार चीनी का निर्यात कर रहे हैं। चीनी के निर्यात के संबंध में भारत की किसी देश के साथ कोई स्पर्द्धा नहीं है।

वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2002-2003 के दौरान चीनी का निर्यात मुख्यत: अफगानिस्तान, बांगलादेश, कनाडा, इंडोनेशिया, ईरान, कुवैत, मलेशिया, मालदीव, नेपाल, सउदी अरब, सिंगापुर, सोमालिया, श्रीलंका, तंजानिया, संयुक्त अरब अमीरात तथा यमन को किया गया था।

सेबी और सीबीएसएल द्वारा दर्ज कराए गए आपराधिक मामले

5910. श्री किरीट सोमैया: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेबी और सीबीएसएल ने जालसाजी और डीमैट प्रक्रिया के माध्यम से नकली और अतिरिक्त शेयरों को परिचालित करने वाली विभिन्न कंपनियों के विरुद्ध आपराधिक शिकायतें दर्ज कराई हैं;

(ख) यदि हां, तो कंपनियों का ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में किन्हीं अन्य कंपनियों को इस प्रकार की घटनाओं से रोकने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) अद्यतन सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

261-62

आई.सी.आई.सी.आई. में नकदी की कमी

5911. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई.सी.आई.सी.आई. बैंक ने हाल ही में नकदी की कमी को नियंत्रित करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक के हस्तक्षेप की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आई.सी.आई.सी.आई. ने अचल सम्पत्ति और आवास क्षेत्र के लिए अत्यधिक धनराशि संवितरित की है;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या कारण है;

(ङ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बात पर जोर दिया है कि उसकी सहायता से लाभान्वित होने के लिए सभी बैंक दिशानिर्देशों का पालन करें;

(च) यदि हां, तो इसके दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार ने इस संबंध में आई.सी.आई.सी.आई. की सहायता करने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क), (ख) और (छ) गुजरात और कतिपय अन्य केन्द्रों में स्थित शाखाओं और एटीएम में निधियों की प्रत्याशित अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए और एक साथ आने वाली छुट्टियों को देखते हुए आईसीआईआई बैंक ने 12 अप्रैल, 2003 को भारतीय रिजर्व बैंक से अत्यधिक सावधानी के उपाय के रूप में अस्थायी चलनिधि सहायता के लिए अनुरोध किया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने 12 अप्रैल, 2003 को 850 करोड़ रु. की संपार्श्विक प्रतिभूति (अंकित मूल्य) के बदले 809 करोड़ रुपए की विशेष संपार्श्विकृत चलनिधि सुविधा प्रदान की थी। आईसीआईसीआई बैंक द्वारा 16 अप्रैल, 2003 को समस्त राशि की अदायगी कर दी गई है। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने उसी दिन प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया था कि आईसीआईसीआई बैंक की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ और उसके पास अपने जमाकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास चालू खाते सहित पर्याप्त चलनिधि है।

(ग) और (घ) आईसीआईसीआई बैंक मुख्य रूप से व्यक्तियों को आवासीय सम्पत्ति के लिए अपने खुदरा कारोबार के सामान्य क्रम में आवासीय ऋण का संवितरण करता है। स्थावर संपदा के संबंध में उनका एक्सपोजर भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अंदर है।

(ङ) और (च) गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित सभी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों का पालन करना अपेक्षित है। सरकार बैंकों के दैनंदिन परिचालन संबंधी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती है।

262-63

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के साथ लेन-देन करने वाले सहकारी बैंक

5912. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने सहकारी बैंकों पर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के साथ रेडी फारवर्ड कान्ट्रेक्ट करने पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सहकारी बैंकों ने इस पर और भारतीय रिजर्व बैंक के अन्य निर्देशों पर ध्यान नहीं दिया है; और

(घ) यदि हां, तो बार-बार नियमों का उल्लंघन करने वाले सहकारी बैंकों के विरुद्ध क्या दण्डात्मक कार्रवाई की गई है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) तैयार वायदा संविदा (रेड्डी फारवर्ड कान्ट्रेक्ट्स) के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के वर्तमान अनुदेशों के अंतर्गत बैंकों को गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के साथ तैयार वायदा संविदा करने की अनुमति नहीं दी गई है। उन्हें एनबीएफसी को

कोई वित्तीय सहायता देने से रोका गया है। तथापि, केवल अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को एनबीएफसी को छोटे ट्रक चालकों एवं कृषि-आधारित उद्योगों को उनके द्वारा किए गए वित्त के संबंध में वित्त देने के लिए अनुमति दी गई है जिसकी गणना प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रत्यक्ष वित्त के रूप में की जाती है। आरएफसी संपार्श्विक उधार राशियां हैं और सहकारी बैंकों को एनबीएफसी के साथ आरएफसी करने की अनुमति देने से एनबीएफसी की तैयार वायदा संविदाओं के रूप में सहकारिताओं की निधियों तक पहुंच हो जाएगी जो इन बैंकों के जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक हो सकता है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उनके दिशानिर्देशों के उल्लंघन का कोई मामला उनके ध्यान में नहीं आया है।

(घ) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

263-64

भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी

5913. श्री रामदास आठवले: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व अर्थव्यवस्था में व्याप्त मंदी का हमारी अर्थव्यवस्था, निर्यात और घरेलू बाजार पर गंभीर प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) की अद्यतन विश्व आर्थिक समीक्षा (अप्रैल 2003) के अनुसार वर्ष, 2003 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 5.1 प्रतिशत तक वृद्धि होना अनुमानित है। भारतीय अर्थव्यवस्था की यह वृद्धि दर विश्व आर्थिक व्यवस्था (3.2 प्रतिशत) उन्नत अर्थव्यवस्था (1.9 प्रतिशत) और विकासशील देशों (5.0 प्रतिशत) के लिए अनुमानित वृद्धि दरों से भी उच्चतर होगी। वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) द्वारा जारी किए गए अनन्तिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2002-03 के दौरान भारत का आयात 18.05 प्रतिशत (अमरीकी डालर के रूप में) की उन्नत दर पर बढ़ गयी। घरेलू अर्थव्यवस्था भी उद्योग और सेवा क्षेत्रों के वृद्धिकारी कार्य निष्पादन के कारण सकारात्मक रही। अर्थव्यवस्था के मूलभूत तत्व विश्व व्यापार और कमजोर वैश्विक सुधार की मंद वृद्धि के बावजूद मजबूत बने रहे। अद्यतन केन्द्रीय बजट (2003-04), ने जो कि बढ़ रहे भू-राजनैतिक अनिश्चितताओं और मंद विश्व आर्थिक पुनर्प्राप्ति की पृष्ठभूमि में बनाया गया था, अवसंरचना विकास, कृषि, विनिर्माण क्षेत्र, सक्षमता और निर्यात आदि को बढ़ावा देने के लिए अनेक पहलों को घोषित किया है। इन पहलों से घरेलू अर्थव्यवस्था में वृद्धि की गति बने रहने और उसमें तेजी आना प्रत्याशित है।

264-65

विद्युतकरघा क्षेत्र को दी जाने वाली सहायता में कटौती

5914. श्री राम विलास पासवान: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नई वस्त्र नीति के अन्तर्गत विद्युतकरघा क्षेत्र को दी गई सहायता में भारी कटौती की है;

(ख) क्या विद्युतकरघों के स्थान पर स्वचालित करघों से कपड़े सीने को वरीयता प्रदान की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इससे रोजगार प्रभावित होने की संभावना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाये जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) विद्युतकरघा क्षेत्र के प्रौद्योगिकीय उन्नयन को प्राथमिकता दी जा रही है। देश में 18 लाख विद्युतकरघों में से लगभग 93 प्रतिशत विद्युतकरघे, विकेन्द्रीकृत उद्योग में स्थित हैं जिसमें प्रत्येक एकक में औसतन 4.5 करघे हैं। इनमें से 16.36 लाख विद्युतकरघों के सादे करघे होने का अनुमान है जो उत्पादकता के बहुत कम स्तर पर, दोष रहित फैब्रिक का उत्पादन करने में सक्षम नहीं हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि करघे देश के फैब्रिक उत्पादन में 60 प्रतिशत का योगदान देते हैं और 4.3 मिलियन रोजगार प्रदान करते हैं, इस क्षेत्र को, अपनी प्रतिस्पर्द्धात्मकता और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अपने करघों का आधुनिकीकरण करने के लिए तत्काल और ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है।

(घ) और (ङ) मूल्यांकन से यह पता चला है कि बुनाई क्षेत्र सहित, वस्त्र क्षेत्र का आधुनिकीकरण होने से उद्योग के मौजूदा

रोजगार पैटर्न में परिवर्तन होने के साथ-साथ, निवेश और विकास भी होगा जिसके फलस्वरूप अकुशल एककों में रोजगार के अनुमानित नुकसान की अपेक्षा वस्त्र श्रृंखला भी रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

(च) सरकार ने विद्युतकरघा उद्योग के विकास को सुगम बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इनमें शामिल है:

(1) विकेन्द्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र में 50,000 शटल रहित और 2.50 लाख अर्द्ध-स्वचालित और स्वचालित करघों को शामिल करने के कार्यक्रम की घोषणा की गई है। प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) के अंतर्गत प्रोत्साहन उपलब्ध कराया गया है जिससे विद्युतकरघा का मालिक, 12 प्रतिशत अपफ्रंट पूंजी संबद्ध सब्सिडी का लाभ उठाकर अथवा लिए गए ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति प्राप्त कर, ऋण की पूंजी की लागत को कम कर सकता है।

(2) शटल रहित करघों का आयात शुल्क को कम कर दिया गया है तथा घरेलू स्वचालित करघों पर उत्पाद शुल्क की छूट दी गई है। टीयूएफएस के अंतर्गत स्थापित बुनाई की मशीनों पर 5 प्रतिशत की दर से बढ़े हुए मूल्य ह्रास के लाभ प्रदान किए गए हैं।

(3) कौशल उन्नयन और विद्युतकरघा बुनकरों को परीक्षण की सुविधाएं प्रदान करने जैसी विभिन्न सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए स्थापित विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों को, आधुनिक करघों, अन्य मशीनों और उपस्करों से उन्नत बनाया गया है ताकि सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को सुगम बनाया जा सके।

(4) विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों में कंप्यूटर सहायित डिजाइन केन्द्रों की स्थापना की गई है ताकि विद्युतकरघा उत्पादन में डिजाइन इनपुट के माध्यम से मूल्य संवर्द्धन की व्यवस्था की जा सके।

(5) विद्युतकरघा निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए विद्युतकरघा निर्यात हकदारी (पीईई) कोटे की व्यवस्था की गई है।

(6) विद्युतकरघा बुनकरों को मृत्यु, दुर्घटना और अक्षमता की परिस्थिति में सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए एक विशेष सामूहिक बीमा योजना का अनुमोदन किया गया है।

आयात पर लगे प्रतिबंधों का हटाया जाना

5915. **श्री रामदास रूपला गावीत:** 265-66
डा. सुशील कुमार इन्दौरा:
श्री नवल किशोर राय:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 31 मार्च, 2003 को संशोधित की गई वर्ष 2002-2007 की संशोधित निर्यात आयात नीति के अंतर्गत निर्यात और आयात के लिए कतिपय वस्तुओं पर लगे प्रतिबंधों को हटा लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी वस्तुएं कौन-कौन सी है और इसका व्यवसाय परिदृश्य पर क्या संभावित प्रभाव पड़ेगा।

(ग) वर्ष 2000-2001 से आज की तिथि तक निर्यात आयात प्रतिबंधों को कितनी वस्तुओं से हटा दिया गया है;

(घ) कितनी वस्तुओं पर भविष्य में ये प्रतिबंध हटाए जाने हैं; और

(ङ) विश्व व्यापार संगठन के समझौते के अनुसार निर्यात और आयात को कब तक प्रतिबंध मुक्त कर दिए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ङ) भारत द्वारा वर्ष 1991 से आयातों एवं निर्यातों पर मात्रात्मक प्रतिबंधों की क्रमिक समाप्ति की सुसंगत नीति का अनुपालन किया जा रहा है। भुगतान संतुलन के कारणों से डब्ल्यू टी ओ को अधिसूचित की गई मदों पर आयात प्रतिबंधों को चरणबद्ध ढंग से पूर्णत: समाप्त कर दिया गया है। आयातों पर वर्तमान प्रतिबंध डब्ल्यू टी ओ करार के तहत यथा अनुमत्य राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी कारण, पौध, पशु एवं मानव स्वास्थ्य आदि के संरक्षण हेतु लगाए जा रहे हैं। दिनांक 31 मार्च 2003 से निर्यात की पांच मदों और आयात की 69 मदों पर प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। सरकार द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने और उसे विकास के उच्च स्तर पर पहुंचाने की दृष्टि से इस प्रकार के प्रतिबंधों की समय-समय पर समीक्षा की जा रही है।

[अनुवाद]

3866-69

एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं के लिए झारखंड को धनराशि

5916. **श्री लक्ष्मण गिलुवा:**
प्रो. दुखा भगत:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और अद्यतन एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं के अंतर्गत झारखंड राज्य को कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने उक्त उद्देश्य के लिए आबंटित धनराशि का उपयोग कर लिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार जनजाति बहुल झारखंड राज्य में कोई विशेष कार्यक्रम आरंभ करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) और (ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता और संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत सहायता अनुदान नामक दो योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को निधियां आबंटित करता है। पिछले तीन वर्षों (2000-2001 से 2002-2003) के दौरान झारखंड राज्य को आबंटित निधियों और इन दोनों योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा बताई गई प्रयुक्त राशि का ब्यौरा विवरण-I में है।

(ग) से (ङ) जनजातीय कार्य मंत्रालय झारखंड राज्य सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जनजातियों के कल्याण एवं विकास के लिए विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करता है। योजनाओं/कार्यक्रमों की सूची विवरण-II में है। झारखंड राज्य में ये योजनाएं/कार्यक्रम पहले से ही जनजातियों की मांगें पूरी कर रहे हैं, इसलिए इस मंत्रालय मे केवल झारखंड की जनजातियों के लिए कोई विशेष कार्यक्रम आरंभ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण I

वर्ष 2000-2001 से 2002-2003 के दौरान जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता और संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत झारखंड राज्य को आबंटित और राज्य सरकार द्वारा उपयोग की गई निधियां

(रुपए लाख में)

वर्ष	जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता		संविधान का अनुच्छेद 275(1)	
	आबंटित राशि	उपयोग की गई राशि	आबंटित राशि	उपयोग की गई राशि
2000-2001	3422.62	1345.37	1320.00	651.03
2001-2002	5870.24	1259.34	2208.15	0.00
2002-2003	5870.24	0.00	2808.00	0.00
कुल	15163.10	2604.71	5736.15	651.03

विवरण II

अनुसूचित जनजातियों के कल्याण एवं विकास के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय की मुख्य योजनाएं/कार्यक्रम

1. जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता।
2. संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान।
3. अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों के छात्रावास।
4. अनुसूचित जनजातियों के लड़कों के छात्रावास।
5. जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों की स्थापना।
6. अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान।
7. अनुसंधान एवं प्रशिक्षण।
8. लघु वन उत्पाद के लिए राज्य जनजातीय सहकारी विकास निगमों को सहायता अनुदान।
9. जनजातीय क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों के लिए कम साक्षरता वाले पॉकटों में शैक्षिक परिसर।
10. जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र।
11. ग्राम अन्न बैंक योजना।
12. आदिम जनजातीय समूहों का विकास।
13. अनुसूचित जनजातीय छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति।
14. अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना।

15. अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना।

16. अनुसूचित जनजातीय छात्रों की प्रतिभा का उन्नयन।

17. अनुसूचित जनजातीय छात्रों के लिए पुस्तक बैंक योजना।

18. राज्य जनजातीय वित्त विकास निगम।

19. जनजातियों द्वारा यात्राओं का आदान-प्रदान।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में आधार डिपो

5917. **श्री सुन्दर लाल तिवारी:**
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में भारतीय खाद्य निगम का आधार डिपो और निर्गम केन्द्र है;

(ख) यदि नहीं, तो राज्य के कितने जिलों में ये आधार डिपो और निर्गम केन्द्र नहीं हैं;

(ग) क्या इन आधार डिपो और निर्गम केन्द्रों से खाद्यान्नों की आपूर्ति केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए की जाती है;

(घ) यदि हां, तो क्या कोई ऐसे प्रबंध किए जाने का प्रस्ताव है जिनसे ये केन्द्र सभी केन्द्रीय योजनाओं के लिए खाद्यान्न प्राप्त कर सकें; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) और (ख) मध्य प्रदेश राज्य के 45 राजस्व जिलों की जरूरत पूरी करने के लिए भारतीय खाद्य निगम के 29 बेस डिपु और 10 निर्गम केन्द्र हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना और अन्य कल्याण योजनाओं की जरूरतें पूरी करने के लिए सभी 29 बेस डिपुओं से खाद्यान्न जारी किए जाते हैं।

10 निर्गम केन्द्र दूरदराज के क्षेत्रों, जो रेल द्वारा जुड़े हुए नहीं हैं, की जरूरतें पूरी करते हैं और गरीबी रेखा से नीचे, अंत्योदय अन्य योजना और मध्याह्न भोजन योजना के अधीन खाद्यान्न जारी करते हैं।

इसके अलावा भारतीय खाद्य निगम राज्य एजेंसियों से किराए पर लिए गए गोदामों, जो रेल से जुड़े होते हैं, से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणली और अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन भी खाद्यान्न जारी करता है।

सभी निर्गम केन्द्रों से सभी योजनाओं के अधीन खाद्यान्न जारी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

भारतीय खाद्य निगम जिले का नाम	राजस्व जिले का नाम	गरीबी रेखा से नीचे/गरीबी रेखा से ऊपर/मध्याह्न भोजन योजना के लिए जारी केन्द्रों के नाम	सभी स्कीमों के लिए बेस डिपो
1	2	3	4
ग्वालियर	ग्वालियर		ग्वालियर
	भिंड		
	दतिया		दतिया
	शिवपुर		
	मुरैना		मुरैना
	शिवपुरकलां	शिवपुरकलां	
	गुना		अशोक नगर

1	2	3	4
इंदौर	इंदौर		इंदौर
	धार	जामनोड	
	बरवानी		
	झाबुआ	अलीराजपुर	मेघनगर
	खाण्डवा		खाण्डवा
	खरगौन	खरगौन	
उज्जैन	उज्जैन		उज्जैन
	शाजापुर		उज्जैन/देवास
	रतलाम		रतलाम
	नीमच		
	मंदसौर		
	देवास		देवास
भोपाल	भोपाल		भोपाल
	सिहोर		भोपाल/इटारसी
	राजगढ़		भोपाल/देवास
	बेतुल		बेतुल
	होशंगाबाद		इटारसी
	हरदा		
सागर	सागर		सागर
			बीना
	दमोह		दमोह
	विदिशा		विदिशा
	रायसेन		विदिशा/सागर/भोपाल
	नरसिंगपुर		नरसिंगपुर
			गदरवारा
सतना	सतना		सतना
	पन्ना		सतना/कटनी

1	2	3	4
	सिधी	सिधी	
	रेवा		रेवा
	टिकमगढ़		निवारी
	छत्तरपुर		हरपालपुर
जबलपुर	जबलपुर		जबलपुर
	मंडला	मंडला	
	दिन्दोरी	दिन्दोरी	
		शाहपुर	
	सिओनी	सिओनी	
		लखनादोन	
	बालाघाट		बालाघाट (रेल शीर्ष नहीं)
	कटनी		कटनी
	छिन्दवाड़ा		छिन्दवाड़ा
			पांडुरना
	शहडोल		शहडोल
	उमेरिया		शहडोल/कटनी

[अनुवाद]

पॉम तेल का निर्गम मूल्य

5918. श्री जी.एस. बसवराज: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का पामोलीन के निर्गम मूल्य को कम करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किस तिथि से यह कटौती किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार राज्यों को अलग-अलग मूल्यों पर पामोलीन उपलब्ध करा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्यवार निर्गम मूल्य कितना है; और

(ङ) देश में इससे गरीब लोगों को कितनी सहायता मिलने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) दिसम्बर, 2000 के बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को पामोलीन तेल का कोई आबंटन नहीं किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि बाजार की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए पामोलीन तेल की खरीद/आयात न किया जाए।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणों में लम्बित मामले

5919. डा. बलिराम:
डा. एन. वेंकटस्वामी:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सम्पूर्ण देश में विभिन्न आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणों के समक्ष हजारों मामले लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा प्रक्रिया को तेज करने हेतु क्या कार्रवाई की जा रही है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) तारीख 1 अप्रैल, 2003 को देश में आयकर अपील अधिकरण की 53 न्यायपीठों के समक्ष एक लाख अस्सी हजार पांच सौ उन्नासी मामले लंबित थे।

(ग) आयकर अपील अधिकरण में लंबित मामलों में कमी लाने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए गए हैं:

(1) वर्ष 1997 में सरकार ने आयकर अपील अधिकरण के लिए 15 अतिरिक्त न्यायपीठों को मंजूरी दी और ये सभी न्यायपीठें कार्य कर रही है।

(2) समान विवाद्यकों वाले मामलों को समूहबद्ध किया जाता है, छोटे मामलों और अंतर्गत आने वाले मामलों अर्थात् माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों तथा आयकर अपील अधिकरण के विनिश्चयों के अंतर्गत आने वाले मामलों का पता लगाया जाता है और इन मामलों की बिना पारी के सुनवाई की जाती है और उनका नियमित रूप से निपटारा किया जाता है।

(3) एकल सदस्य द्वारा सुनवाई की जाने वाली अपीलों के लिए सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया गया है।

(4) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 260(क) के संशोधित उपबंधों के अधीन उच्च न्यायालयों में अपीलों का सीधे फाइल किया जाना।

(5) आयकर अपील अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा देशभर में सभी न्यायपीठों के लिए, जहां अत्यधिक मामले लंबित हैं, एकल सदस्यीय मामलों के निपटान के लिए 17.03.2003 से 3 सप्ताह की अवधि के लिए विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया गया है।

पंजाब में बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं

5920. **श्री भान सिंह भौरा:** क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय पंजाब में बाह्य सहायता प्राप्त कितनी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं; और

(ख) उन सभी परियोजनाओं में कितनी राशि लगी हुई है और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान अभी तक कितनी राशि जारी की गई है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) इस समय पंजाब में विदेशी सहायता प्राप्त सरकारी क्षेत्र की चार परियोजनाओं पर काम चल रहा है।

(ख) इन परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(आंकड़े मिलियन में)

क्रम सं.	परियोजना का नाम	दाता	मुद्रा	ऋण राशि	2002-03 के दौरान संवितरण
1.	पंजाब वनरोपण परियोजना दिनांक 12.12.1997	जापान	जापानी येन	6188.151	947.428
2.	वस्त्रोद्योग में प्राकृतिक ढाई का विकास और प्रयोग दिनांक 31.12.1998	यूएनडीपी	अमरीकी डालर	0.453	0.000
3.	एकीकृत जलाशय विकास परियोजना (पहाड़ी-II) दिनांक 15.9.1999	आईबीआरडी आईडीए	अमरीकी डालर एसडीआर	85.000 36.900	27.066 (2.462) 6.726 (0.392)
4.	द्वितीय राज्य स्वास्थ्य प्रणाली विकास दिनांक 18.4.1996	आईडीए	एसडीआर	235.00	38.938 (9.053)

टिप्पणी: क्रम संख्या 3 और 4 पर दर्शाई गई परियोजनाएं बहु-राज्यीय हैं जिनमें पंजाब भागीदार राज्यों में से एक है। दर्शाई गई राशि सभी भागीदार राज्यों की कुल मिलाकर समग्र राशि से संबंधित है। कोष्ठक में दर्शाई गई राशि पंजाब राज्य से संबंधित है।

[हिन्दी]

जनजातीय लोगों का विकास

5921. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:
श्री अब्दुल रशीद शाहीन:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को झारखंड और जम्मू तथा कश्मीर सहित अनेक राज्यों से जनजातीय लोगों के विकास हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) से (ग) जी, हां। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा झारखंड और जम्मू एवं कश्मीर सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जनजातियों के विकास के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों और वर्ष 2002-03 के दौरान इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को योजनावार निर्मुक्त निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में प्रस्तुत हैं।

विवरण

वर्ष 2002-03 के दौरान राज्यों को निर्मुक्त निधियां

(रुपए लाख में)

क्र.सं. राज्य योजनाएं	जनजातियों को योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत अनुदान	गैर सरकारी संगठन	कोचिंग एण्ड एलाइड	व्यावसायिक प्रशिक्षण	शैक्षिक परिसर	राज्य टी.डी.सी.सी. को अनुदान सहायता	ग्राम अन्न बैंक	आदिम जनजातीय समूहों का विकास	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	बुक बैंक	कौशल उन्नयन	लड़कियों के छात्रावास	लड़कों के छात्रावास	आश्रम स्कूल	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान	अनुसूचित जनजातियों द्वारा ग्राम	राज्य जनजातीय वित्त एवं विकास निगम	गैर-सरकारी संगठनों को विशेष प्रोत्साहन	कुल
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
आंध्र प्रदेश	2732.80	2160.30	173.53	8.04	59.40	216.27	480.00	177.72	144.61	774.88	47.20	12.60	128.00	204.50	–	5.48	2.21	–	–	7327.54
अरुणाचल प्रदेश	–	300.00	237.78	–	4.80	9.04	–	–	–	–	–	6.45	20.00	38.00	–	0.44	–	–	–	616.51
असम	3058.99	1023.40	127.94	1.69	63.25	–	–	–	–	1275.94	–	–	–	–	–	5.31	–	–	–	5556.82
बिहार	556.56	209.00	–	–	–	0.30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	765.86
छत्तीसगढ़	4626.18	2689.50	13.61	–	120.35	9.73	–	–	198.29	32.07	8.21	21.00	–	–	–	–	–	–	–	7718.94
गुजरात	3930.91	2250.00	73.44	8.64	34.59	26.35	–	–	20.00	–	10.25	–	–	–	–	6.00	1.96	–	–	6362.13
हिमाचल प्रदेश	643.53	80.00	53.08	2.90	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19.21	–	798.72
जम्मू कश्मीर	971.94	318.00	84.01	–	47.72	–	–	–	–	6.50	7.00	2.10	–	–	–	0.44	–	–	–	1437.71
झारखण्ड	5870.24	2808.00	386.18	–	–	–	–	–	345.00	–	–	–	–	–	–	6.00	–	–	–	9415.42
कर्नाटक	771.33	904.35	252.46	1.76	32.03	–	–	–	81.75	75.38	20.00	–	–	–	130.00	–	–	40.00	10.00	2319.06
केरल	273.70	588.00	30.08	–	–	–	225.00	–	3.45	–	–	–	–	–	–	2.50	1.94	–	5.00	1129.67
मध्य प्रदेश	7833.22	4052.32	68.44	–	44.16	92.46	–	712.16	185.02	–	30.14	25.80	440.00	422.00	820.00	101.04	–	–	10.00	14836.76
महाराष्ट्र	3723.83	2925.00	67.59	–	–	11.13	–	–	127.00	165.02	–	–	–	–	–	6.00	–	100.00	–	7125.57
मणिपुर	761.96	424.55	130.87	–	4.80	–	–	–	11.41	820.11	–	–	–	–	–	–	2.08	–	–	2155.78
मेघालय	–	555.00	285.77	–	2.40	–	100.00	–	–	805.98	–	–	13.75	13.75	–	–	–	–	5.00	1791.65

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
16.	मिज़ोरम	–	240.00	86.46	–	36.00	–	–	–	–	370.98	–	–	–	–	–	–	–	–	–	733.44
17.	नागालैण्ड	–	–	42.60	–	29.56	–	–	–	–	697.19	–	–	32.50	32.50	–	–	–	–	–	834.35
18.	उड़ीसा	6495.30	3641.60	308.93	4.82	87.44	141.99	400.00	–	58.50	–	5.02	10.20	–	–	–	3.64	–	–	–	11157.44
19.	राजस्थान	3649.56	2224.48	51.52	–	–	34.47	119.37	–	114.23	131.95	5.20	4.45	–	–	–	10.78	1.83	–	–	6347.84
20.	सिक्किम	108.02	83.00	15.26	–	–	–	–	–	–	–	–	0.75	–	–	–	–	–	13.79	–	220.82
21.	तमिलनाडु	323.32	210.00	62.06	0.20	2.40	0.30	–	–	45.00	–	2.64	–	–	–	–	6.97	–	–	–	652.89
22.	त्रिपुरा	1041.03	665.50	15.72	–	54.00	–	122.00	–	15.74	–	.1.49	2.40	–	–	–	5.00	1.95	27.00	–	1951.83
23.	उत्तरांचल	92.91	78.00	51.03	2.67	–	–	–	–	10.00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	234.61
24.	उत्तर प्रदेश	32.10	27.00	47.33	0.63	–	11.00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	118.06
25.	पश्चिम बंगाल	2202.57	1543.00	242.67	–	6.13	42.10	53.63	28.93	15.00	–	2.85	6.30	–	5.00	–	40.40	–	–	20.00	4208.58
26.	दिल्ली	–	–	82.58	8.79	–	3.78	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	95.15
27.	अं. एवं नि. द्वीप	200.85	–	–	–	–	–	–	–	–	1.59	–	–	–	–	–	29.50	–	–	–	231.94
28.	दमन एवं दीव	99.15	–	–	–	–	–	–	–	–	1.05	–	–	–	–	–	–	–	–	–	100.20
29.	दादरा एवं नगर हवेली	–	–	2.93	–	2.40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.33
	कुल	50000.00	30000.00	3003.87	40.14	631.43	598.92	1500.00	918.81	1375.00	5158.64	140.00	92.05	634.25	715.75	950.00	229.50	11.96	200.00	50.00	96250.32

[अनुवाद]

चौपहिया वाहनों के मोटर दुर्घटना संबंधी दावे

5922. **श्री नरेश पुगलिया:** क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सरकारी क्षेत्र की कौन-कौन सी साधारण बीमा निगम कंपनियां कार्य कर रही है;

(ख) क्या यह सरकार के ध्यान में आया है कि सरकारी क्षेत्र की ये साधारण बीमा कंपनियां वाहन दुर्घटनाओं के झूठे दावों पर कार्यवाही करती हैं और तेजी से उन दावों का निपटान करती हैं, जबकि वास्तविक दावे लम्बे समय तक लम्बित रखती हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) 31 मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र के नागपुर क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र की प्रत्येक साधारण बीमा कंपनी के पास चौपहिया वाहन दुर्घटनाओं के संबंध में कितने दावे हैं; और

(ङ) इनके कब तक निपटाये जाने की संभावना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) देश में सरकारी क्षेत्र की चार साधारण बीमा कंपनियां कार्य कर रही हैं अर्थात् (1) नैशनल इंश्योरेंस कं. लि., (2) न्यू इंडिया एश्योरेंस कं.लि., (3) ओरियन्टल इंश्योरेंस कं.लि. और (4) यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कं.लि.।

(ख) और (ग) सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों में सतर्कता विभाग कार्यरत हैं जिनकी अध्यक्षता मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा की जाती है। सरकार इन अधिकारियों की नियुक्ति केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से करती है। सतर्कता विभाग नियमित/अचानक निरीक्षण आधार पर भी कई मामले केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपे जाते हैं। सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों में सही दावों के शीघ्र निपटान हेतु शिकायत-निवारण तंत्र भी होता है।

(घ) और (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अनाजों को न उठाया जाना

5923. **श्री भर्तुहरि महताब:** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खरीद की अपनी खस्ता हालत के कारण निर्धन से निर्धन वर्ग अन्नपूर्णा और अंत्योदय योजना के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली से अपना अनाज नहीं उठा रहे हैं;

(ख) 31 मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक राज्य द्वारा वस्तु-वार कितने अनाज का स्टाक अभी उठाया जाना बाकी है; और

(ग) निर्धारित अवधि के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत संबंधित राज्यों द्वारा अनाज न उठाए जाने के क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) जी, नहीं। अन्नपूर्णा योजना के अधीन लाभार्थियों को खाद्यान्नों का आवंटन मुफ्त किया जाता है और इसलिए इसका उठान कमजोर क्रय शक्ति के साथ संबंधित नहीं है। अंत्योदय अन्न योजना के अधीन पिछले दो वर्षों के दौरान खाद्यान्नों का उठान उनके आवंटन के 80 प्रतिशत से अधिक हुआ है।

(ख) प्रत्येक राज्य में 1.4.2002 से 31.3.2003 तक अन्नपूर्णा और अंत्योदय अन्न योजना के अधीन आवंटित खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) के स्टाक और अब तक उठान न की गई मात्रा को बताने वाला ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाने वाला खाद्यान्नों का उठान खाद्यान्नों के निगम मूल्य और खुले बाजार मूल्य के बीच समानता, खुले बाजार में खाद्यान्नों की उपलब्धता, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं की क्रयशक्ति, इनकी गुणवत्ता और देश के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों की आहार आदतों जैसे अनेक घटकों पर निर्भर करता है।

विवरण

प्रत्येक राज्य में 1.4.2002 से 31.3.2003 तक अंत्योदय अन्न योजना अन्नपूर्णा के अधीन आवंटित खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) के स्टाक और अभी उठाई जाने वाली मात्राएं

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अन्नपूर्णा				अंत्योदय अन्न योजना			
		चावल		गेहूं		चावल		गेहूं	
		मात्रा		मात्रा		मात्रा		मात्रा	
		आवंटित	उठान न की गई	आवंटित	उठान न की गई	आवंटित	उठान न की गई	आवंटित	उठान न की गई
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	11.18	1.67	0.00	-0.01	261.58	26.93	0.00	0.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	-0.73	0.00	0.00	6.35	0.64	0.00	0.00
3.	असम	0.00	-1.65	0.00	0.00	118.24	13.31	0.00	0.00
4.	बिहार	7.630	2.51	11.440	4.17	168.00	37.28	252.00	48.81
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	120.71	116.05	0.00	0.00
6.	दिल्ली	0.00	0.00	0.02	0.02	3.74	0.59	9.70	1.25
7.	गोवा	0.09	0.05	0.00	0.00	3.07	0.82	0.00	0.00
8.	*गुजरात*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*27.30*	*3.72*	*109.20*	*17.24*
9.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.97	4.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	हिमाचल प्रदेश	0.76	-0.01	0.00	0.00	18.97	0.11	14.09	0.32
11.	जम्मू और कश्मीर	1.22	1.22	0.00	0.00	36.07	12.14	11.35	3.06
12.	झारखंड	6.52	2.23	0.00	0.00	71.42	23.00	82.52	21.23
13.	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00	160.30	15.73	40.08	4.70
14.	केरल	0.00	-4.89	0.00	0.00	100.04	0.52	0.00	0.00
15.	मध्य प्रदेश	0.00	-0.55	0.00	-2.18	68.74	1.09	196.87	12.89
16.	महाराष्ट्र	1.20	1.07	0.00	-0.08	147.25	19.95	273.47	37.09
17.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	10.72	-0.25	0.00	0.00
18.	मेघालय	1.11	0.47	0.00	0.00	11.81	0.93	0.00	0.00
19.	मिजोरम	0.31	0.31	0.00	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00
20.	नागालैण्ड	0.00	-0.40	0.00	0.00	6.38	0.00	1.56	-0.01
21.	उड़ीसा	7.77	0.93	0.00	0.00	212.32	30.62	0.00	0.00
22.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.12	14.91
23.	राजस्थान	0.00	0.00	12.63	0.01	1.80	1.43	154.69	5.92
24.	सिक्किम	0.30	0.30	0.00	0.00	2.82	-0.06	0.00	0.00
25.	तमिलनाडु	8.63	1.25	0.00	0.00	290.50	2.94	0.00	0.00
26.	त्रिपुरा	1.78	0.01	0.00	0.00	19.00	0.15	0.00	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	-35.06	230.24	83.50	455.18	124.90
28.	उत्तराखंड	0.00	-0.60	0.00	0.00	22.48	15.51	9.58	3.58
29.	पश्चिम बंगाल	5.16	2.04	0.00	0.00	153.89	57.83	153.90	46.39
30.	अं. और नि. द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	1.30	0.50	0.50
31.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
32.	दादर और नगर हवेली	0.04	0.04	0.00	0.00	0.84	0.16	0.34	0.15
33.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.07	0.08	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85	0.71	0.00	0.00
	जोड़	53.700	5.270	24.090	-33.130	2285.33	486.88	1842.19	347.01

टिप्पणी: कुछ राज्यों के मामले में उठान न की गई शेष मात्रा ऋणात्मक है क्योंकि इन राज्यों ने 2001-02 के अपने आवंटन का उठान 2002-03 के दौरान किया था।

285

खरीद योजना का विकेन्द्रीकरण

5924. श्री रामशेठ ठाकुर: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारें खरीद योजना का विकेन्द्रीकरण करने पर सहमत नहीं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य द्वारा क्या आपत्तियां उठाई गई;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने वित्तीय भार बढ़ाने के संबंध में अपनी सहमति दे दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) केन्द्र सरकार द्वारा खरीद के विकेन्द्रीकरण संबंधी मामलों का समाधान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) और (ख) विकेन्द्रीकृत वसूली योजना पहले ही पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और उत्तरांचल की राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही है। असम और त्रिपुरा की राज्य सरकारों ने भी इस योजना में रुचि दिखाई है। राज्य सरकारों से विशिष्ट आपत्तियां प्राप्त नहीं हुई हैं और केन्द्र सरकार उन अन्य राज्यों को भी अपने वसूली प्रयास बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है जिनमें वसूली की संभावनाएं मौजूद हैं।

(ग) से (ङ) विकेन्द्रीकृत वसूली योजना के अधीन केन्द्र सरकार राज्य सरकारों द्वारा खाद्यान्नों की वसूली, भंडारण और वितरण पर अनुमोदित लागत के अनुसार वहन किये गये सम्पूर्ण खर्च को पूरा करती है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्यान्नों का अप्रभावी वितरण

5295. श्री ए. नरेन्द्र: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य खाद्यान्नों की अधिकता के कारण उत्पन्न समस्याओं का सामना कर रहे हैं और कुछ राज्य खाद्यान्नों की कमी का सामना कर रहे हैं जिससे भूख के कारण मौतें हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इन राज्यों की खाद्यान्नों की आपूर्ति और यह सुनिश्चित करने हेतु कि भविष्य में ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति न हो, क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) से (ग) जी, नहीं। किसी भी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा भुखमरी से मौत की कोई भी रिपोर्ट नहीं भेजी गई है।

केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों के कुल स्टाक को भारतीय खाद्य निगम द्वारा सम्पूर्ण देश में स्थित विभिन्न गोदामों में रखा जाता है। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की आवश्यकता को स्वीकृत मानदंड और दिशानिर्देशों के अनुसार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, कल्याण योजनाओं आदि के अधीन केन्द्रीय पूल से पूरा किया जाता है।

286

बिहार में चीनी मिलें

5926. श्री अरुण कुमार: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय के अधीन राज्य-वार विशेषकर बिहार में कितनी चीनी मिलें हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन मिलों का निष्पादन कैसा रहा;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव इन मिलों का निजीकरण करने अथवा गन्ना उत्पादकों की सहकारी समितियों को सौंपने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इन मिलों का पुनरुद्धार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) से (घ) वस्त्र मंत्रालय द्वारा वर्तमान में किसी चीनी मिल का प्रबंधन कार्य नहीं किया जा रहा है।

चाय उगाने में कीटनाशकों के प्रयोग पर प्रतिबंध

5927. श्री विनय कुमार सोराके: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूरोपीय संघ के देशों ने 300 से अधिक उन कीटनाशकों, कृमिनाशकों और उर्वरकों जिनका चाय उगाने में प्रयोग

नहीं किया जा सकता, पर प्रतिबंध लगाने हेतु नए दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या दिशानिर्देशों के अनुसार एक किलो चाय में तीन मिलीग्राम कीटनाशक/कृमिनाशक/उर्वरक के अवशिष्ट स्तरों के निर्धारण को ही अनुमति दी गई है;

(ग) क्या श्रीलंका और इंडोनेशिया पहले ही चाय उगाने के संबंध में यूरोपीय संघ के नए मानकों का अनुपालन करने में आगे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में भारत की वर्तमान स्थिति क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) दिनांक 16.12.2002 की स्थिति के अनुसार यूरोपीय संघ द्वारा चाय के लिए की गई कीटनाशी अवशिष्ट सीमा में लगभग 200 रसायन शामिल हैं। अधिकांश मामलों में उच्चतम अवशिष्ट सीमा (एम आर एल) को पता लगाए जाने वाले न्यूनतम स्तरों पर नियत किया जाता है। तथापि, यूरोपीय संघ के रसायनों की कोई प्रतिबंधित सूची नहीं मिली है। क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन यौगिकों के लिए सीमाएं अत्यधिक सख्त हैं और रसायनों के इस समूह के उपयोग को पूरी तरह से हतोत्साहित किया जाता है।

(ग) श्रीलंका एवं इंडोनेशिया द्वारा ई यू विनियमों का अनुपालन किए जाने के बारे में स्थिति का पता नहीं है।

(घ) भारत यूरोपीय संघ द्वारा नियत किए गए एम आर एल को पूरा करने के समस्त प्रयास कर रहा है। यूरोपीय संघ के दिशा-निर्देशों को सूचना एवं अनुपालन के लिए चाय उद्योग में परिचालित किया जा चुका है। यूरोपीय संघ को निर्यातित भारतीय चाय के मामले में अवशिष्ट पर ई यू विनियमनों के अनुपालन के बारे में समग्र स्थिति काफी संतोषजनक है।

अवसंरचना हेतु धन

5928. श्री वाई.वी. राव:
श्री महबूब जाहेदी:
श्री रमेश चेन्नितला:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2003-2004 में अवसंरचनात्मक शीर्ष के अंतर्गत 64,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न शीर्षों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत बजट में किए गए 1000 करोड़ रुपए के अवसंरचनात्मक इक्विटी कोष पर अभी अमल होना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या अवसंरचनात्मक मोर्चे पर समय और लागत अधिक लगने के कारण बहुत सी परियोजनाओं को संकट उठाना पड़ रहा है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) अवसंरचना के क्षेत्र में 60,000 करोड़ रुपए के निवेश की राशि जुटाने के लिए "अवसंरचना हेतु सहायता" के तौर पर वर्ष 2003-04 के बजट प्रस्तावों में 2000 करोड़ रु. की एकमुश्त राशि का प्रावधान शामिल किया गया है। यह प्रावधान राज्यों को आवंटित नहीं किया जा सकता।

(ग) और (घ) आईडीएफसी, आईडीबीआई, आईसीआईसीआई और आरबीआई द्वारा किए जाने वाले अंशदान तथा "इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विटी फण्ड" के प्रचालन से संबंधित अन्य ब्यौरों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ङ) से (छ) कुछ अवसंरचनात्मक परियोजनाएं तय समय और लागत में बढ़ोत्तरी हो जाने से अवश्य ग्रस्त होती हैं। ऐसे समय और लागत-आधिक्य के कारण परियोजना-विशिष्ट होते हैं। स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार और प्राधिकारियों द्वारा ऐसी परियोजनाओं के प्रत्येक स्तर पर नियमित मॉनीटरिंग की जा रही है।

क्रेडिट कार्ड धारकों को नगद जमा सुविधाएं

5929. श्री राधा मोहन सिंह: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि भारतीय स्टेट बैंक "क्रेडिट कार्ड" धारकों से नगद जमा स्वीकार नहीं करता जैसाकि महानगरों में अन्य बैंकों द्वारा किया जा रहा है और चैक द्वारा भुगतान पर जोर डालता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव भारतीय स्टेट बैंक में क्रेडिट कार्ड धारकों को ऐसी सुविधा प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने सूचित किया है कि एक पंजीकृत गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी एसबीआई कार्ड एंड पेयमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एसबीआईसीपीएसएल) जो जीईयूएसए के साथ एक संयुक्त उद्यम है, के द्वारा क्रेडिट कार्ड जारी किये जाते हैं और यह एक पृथक कंपनी है। उन्होंने निम्नलिखित कारणों से क्रेडिट कार्ड देयराशियों के बदले नकद राशि की स्वीकृति की व्यवस्था नहीं की है:

(1) शाखाओं द्वारा प्राप्त राशि को गुड़गांव में विप्रेषित करने में विलम्ब होना।

(2) गुड़गांव में धनराशि विप्रेषित करने के लिए बैंक प्रभारों का भुगतान करने हेतु कार्डधारकों का अनिच्छुक होना।

(3) यह सुनिश्चित करना कि देयराशियां केवल कार्डधारकों द्वारा विप्रेषित की जाती हैं।

एसबीआईसीपीएसएल ने सभी 41 केन्द्र जहां क्रेडिट कार्ड जारी किये जाते हैं, पर स्थित एसबीआई की मुख्य शाखाओं में चैक जमा बाक्स रखे हुए हैं और क्रेडिट कार्डधारक 41 केन्द्रों में से किसी केन्द्र पर भी समाशोधन में सहभागी किसी बैंक के नाम आहरित चैक को जमा कर सकता है। कार्डधारक को चैक की प्राप्ति की तारीख से चैक के पूरे मूल्य के लिए बिना किसी प्रभार के दिया जाता है जबकि चैकों की वसूली बाद में की जाती है। कार्डधारकों को अपने खाते से नकदी आहरित करने एवं बैंक के कैश काउंटर पर इसे जमा कराने के कार्य से मुक्त रखा गया है।

(ग) और (घ) चूंकि विद्यमान सुविधा कार्डधारकों के लिए अधिक फायदेमंद एवं सुविधाजनक है, अत: एसबीआई की शाखाओं पर क्रेडिट कार्ड देयराशियों के लिए नकद जमाराशियां स्वीकार करने की सुविधा प्रारम्भ करने की आवश्यकता महसूस नहीं की गई है।

[हिन्दी]

290 - 91

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की गैर-निष्पादनकारी आस्तियां

5930. डा. सुशील कुमार इंदौरा:
श्री नवल किशोर राय:
श्री रामजी लाल सुमन:

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की गैर-निष्पादनकारी आस्तियां कितनी हैं;

(ख) क्या आईएफसीआई ने इस राशि की वसूली हेतु कोई कार्यवाही की है;

(ग) यदि हां, तो ऋण भुगतान न करने वाले चूककर्त्ताओं के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(घ) की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप कितने ऋण की वसूली की गई?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड की अनुप्रयोज्य आस्तियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए में)

कुल ऋण आस्तियां (सकल)	31 मार्च की स्थिति के अनुसार		
	2000	2001	2002
कुल ऋण आस्तियां (सकल)	21661.97	20894.63	20223.78
प्रावधान एवं बट्टे खाते डालना	1821.65	2139.69	2675.97
कुल ऋण आस्तियां (निवल)	19840.32	18754.94	17547.81
निवल अनुप्रयोज्य आस्तियां	4102.56	3937.06	3897.64
निवल ऋण आस्तियों के प्रतिशत की तुलना में निवल अनुप्रयोज्य आस्तियां	20.68	20.99	22.21

टिप्पणी: 31.3.2003 की स्थिति के अनुसार एनपीए के आंकड़े संकलित किये जा रहे हैं, क्योंकि लेखा परीक्षा चल रही है। लेखों के निपटान के बाद ही ये उपलब्ध होंगे।

(ख) से (घ) (1) विद्यमान एनपीए को कम करने और इसके साथ-साथ उपयोज्य आस्तियों को अनुप्रयोज्य आस्तियां बनने से रोकने के लिए आईएफसीआई लिमिटेड द्वारा आक्रामक पुनर्निर्धारण का सहारा लिया जा रहा है। वर्ष 2001-2002 के दौरान 103 मामलों में पुनर्निर्धारण कार्यक्रम तैयार किए गए हैं जिनमें 4139 करोड़ रुपए की राशि अंतर्ग्रस्त है। वर्ष 2002-03 के दौरान 72 मामलों में पुनर्निर्धारण कार्यक्रम तैयार किए गए हैं जिनमें 5074 करोड़ रुपए की राशि अंतर्ग्रस्त है।

(2) उन परियोजनाओं के मामले में जिनमें देयराशियों की वसूली की संभावना सामान्य प्रक्रिया में क्षीण है, देयराशियों का बातचीत से तय/एकबारगी निपटान निश्चित करने के लिए आक्रामक कदम उठाये जाते हैं। वर्ष 2001-2002 के दौरान 76 मामलों में 491 करोड़ रुपये की तय की गई राशि के लिए एकबारगी निपटान का निर्णय लिया गया था।

(3) आईएफसीआई लिमिटेड ने 45 कंपनियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू की है/नोटिस जारी किए हैं और 31.3.2003 तक 36 अन्य कंपनियों के संबंध में अन्य ऋणदाताओं को सहमति प्रकट की है जिसमें 5501.34 करोड़ रुपये की कुल राशि अंतर्ग्रस्त है। हालांकि बहुत सी कंपनियां देयराशियों के निपटान/पुनर्निर्धारण आदि के लिए प्रस्ताव लेकर आगे आई हैं, छह कंपनियों ने अपनी देयराशियों के निपटान के लिए अपनी तत्परता के प्रमाणस्वरूप 10.95 करोड़ रुपये की कुल राशि अब तक जमा की है।

(4) ऋण वसूली अधिकरण/न्यायालयों के समक्ष चल रहे मामलों (30.9.2002 की स्थिति के अनुसार 781 मामले जिनमें 10,302.32 करोड़ रुपये की कुल राशि अंतर्ग्रस्त है) के जोरदार अनुवर्तन के परिणामस्वरूप आईएफसीआई लिमिटेड ने 131 मामलों में 1038.68 करोड़ रुपए की राशि के लिए वसूली प्रमाणपत्र प्राप्त किए हैं।

(5) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लागू की गई कारपोरेट ऋण पुनर्निर्धारण योजना के माध्यम से देयराशियों की वसूली में तेजी लाने के प्रयास भी किये जा रहे हैं।

(6) चालू वर्ष में भी पुनर्निर्धारण प्रयास एकबारगी निपटान जारी रखे जा रहे हैं।

[अनुवाद]

विदेशी लेखापरीक्षा कंपनी

5931. श्री सुबोध मोहिते: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बहुराष्ट्रीय निगम देश में प्रतिनिधि लेखा परीक्षा का कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान सरकार के ध्यान में आए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई;

(घ) देश में लेखापरीक्षा कार्य करने की अनुमति दी जाने वाली विदेशी कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने हाल ही में उनके कार्यकरण की समीक्षा की है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान (आई सी ए आई) से प्रैक्टिस का प्रमाण-पत्र धारण न करने वाला ऐसा कोई भी सदस्य या व्यक्ति/फर्म का कोई मामला केन्द्र सरकार के नोटिस में नहीं आया है जिसने कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अपेक्षित लेखापरीक्षा की हो।

(ग) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

लघु उद्योगों तथा लघु कृषकों को ऋण

5932. श्री वी. वेत्रिसेलवन: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंक मोटर कार के लिए आसानी से ऋण दे रहे हैं जबकि ट्रैक्टर तथा मोटर पम्पों के लिए नहीं दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का प्रस्ताव कृषि तथा लघु क्षेत्रों के प्रति अपने रवैये में परिवर्तन करने के संबंध में बैंकों को निर्देश देने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में बैंकों की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कृषकों को ऋण सुविधाएं

5933. डा. जसवंतसिंह यादव:
श्री एन. जनार्दन रेड्डी:

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लघु और मझोले कृषकों के लिए बैंकों से मिलने वाला ऋण बहुत ही अपर्याप्त होता है;

(ख) क्या सरकार ने कृषक समुदाय के इन वर्गों को दिए गए कुल ऋण की प्रतिशतता का कोई अनुमान लगाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथ्य क्या हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कार्यवाही की गई है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार जून 1999, जून 2000 और जून 2001 के अंत में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा छोटे एवं सीमान्त किसानों को दिया गया ऋण कुल कृषि ऋण का क्रमश: 46.94%, 46.18% एवं 46.13% है।

(घ) छोटे एवं सीमान्त किसानों को ऋण का प्रवाह सुदृढ़ करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अंतर्गत ऐसे उधारकर्ताओं को मार्जिन राशि अपेक्षाओं, प्रतिभूति मानदण्डों आदि के संबंध में कुछ रियायतें देने की सलाह दी गई है। इन छूटों में 10,000 रुपए तक की मार्जिन राशि के लिए आग्रह न करना, 10,000 रुपए तक की संपार्श्विक प्रतिभूति/तीसरी पार्टी गारंटी के लिए आग्रह न करना, ऋण किश्तों की वापसी अदायगी के समय ही ब्याज के भुगतान पर बल देना, दीर्घावधि फसल ऋणों के संबंध में चालू देयराशियों पर चक्रवृद्धि ब्याज न लगाना, अल्पावधि अग्रिमों के संबंध में नामे डाला गया कुल ब्याज मूल राशि से अधिक न होना, छोटे एवं सीमान्त किसानों के लिए विशेष एकबारगी निपटान योजना लागू करना आदि शामिल हैं।

ज्यादा कीमत वाली परियोजना निर्यात का पुन: बीमा करना

5934. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्यात ऋण गारंटी निगम ने केन्द्र सरकार से ज्यादा कीमत वाली परियोजनाओं के निर्यातों का पुन: बीमा करने हेतु अनुरोध किया है क्योंकि बहुत से विकासशील देशों में चलाई गई परियोजनाओं के लिए सामान्यत: बाजारों से पुन: बीमा उपलब्ध नहीं होता;

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा सरकार की क्या क्या प्रमुख बातें प्रस्तुत की गईं;

(ग) क्या सरकार ने अनुरोध पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो यह निर्यातकों के लिए कितना मददगार रहा है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि. (ई सी जी सी) ने बाजार से पुन: बीमा के अभाव में विकासशील देशों में उच्च मूल्य के परियोजना निर्यातों का पुन: बीमा करने हेतु सरकार से कोई अनुरोध नहीं किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पेट्रोल पंपों के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र

5935. श्री सुकदेव पासवान:
डा. चरण दास महंत:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनवरी, 2003 से आज तक विशेषकर मार्च, 2003 में विस्फोट विभाग द्वारा नए पेट्रोल पंप शुरू करने हेतु संबंधित तेल कंपनियों से आवेदकों (डीलरों) को कितने अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये गये हैं;

(ख) क्या विस्फोट विभाग पेट्रोल पंप लगाने हेतु लाइसेंस प्रदान करने के लिए संबंधित तेल कंपनी के नाम पर किसी विशेष स्थान हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने की मांग करता है;

(ग) यदि हां, तो क्या यदि कोई कंपनी किसी विशेष स्थान पर पंप नहीं लगाना चाहती है तो उस तेल कंपनी के नाम से एक विशेष स्थान हेतु जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र दूसरी कंपनी द्वारा प्रयोग किया जा सकता है;

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में विस्फोटक विभाग द्वारा निर्धारित विस्तृत दिशानिर्देश/नियम/प्रावधान क्या हैं;

(ङ) क्या 'विस्फोट विभाग' की अनावश्यक उत्पीड़न और देरी को टालने हेतु नियमों/पद्धति को युक्तिसंगत बनाने का निर्देश दिया गया है क्योंकि जिलाधीश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र एक विशेष स्थान हेतु दिया जाता है किसी तेल कंपनी के लिए नहीं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) विस्फोट विभाग द्वारा जनवरी, 2003 से आज की तारीख तक नए पेट्रोल पंपों को शुरू करने के लिए जारी किए गए लाइसेंसों की संख्या 737 है। मार्च, 2003 के माह में कुल 334 लाइसेंस जारी किए गए हैं।

(ख) से (घ) पेट्रोलियम नियमावली, 2002 के नियम 144 के तहत किसी विशेष स्थान के लिए आवेदक के नाम में जिला प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, चाहे आवेदक कोई तेल कंपनी हो या फिर कोई ओर। किसी विशेष स्थान के लिए किसी एक कंपनी के नाम में जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण-पत्र का उपयोग दूसरी तेल कंपनी द्वारा किया जा सकता है, यदि पहली कंपनी उस विशेष स्थान पर पंप स्थापित करने के लिए इच्छुक न हो किंतु शर्त यह है कि प्रथम कंपनी दूसरी कंपनी के पक्ष में अपनी सहमति दे। विशिष्ट प्रावधान पेट्रोलियम नियमावली, 2002 के नियम 156 में दिए गए हैं।

(ङ) और (च) पेट्रोलियम नियमावली, 2002 में वैध अवधि के भीतर लाइसेंस के हस्तांतरण की व्यवस्था है। चूंकि, जिलाधीश द्वारा प्रदान किया जाने वाला अनापत्ति प्रमाण-पत्र किसी स्थान के लिए होता है और पेट्रोलियम नियमावली, 2002 में लाइसेंस के हस्तांतरण के लिए प्रावधान मौजूद है, अत: उस स्थान विशेष के लिए नए सिरे से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेने की आवश्यकता नहीं होती।

[अनुवाद]

लैदर गुड्स एक्सपोर्ट पार्क

5936. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पश्चिम बंगाल में एक लैदर गुड्स एक्सपोर्ट पार्क की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके लिए किन स्थानों की पहचान की गई है;

(ग) क्या इस प्रस्तावित पार्क को विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस ई जेड) का दर्जा देने की मांग की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या परियोजना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

वैश्विक विकास पर विश्व बैंक की रिपोर्ट

5937. डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री कैलाश मेघवाल:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी वैश्विक विकास निगम रिपोर्ट की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो भारत के संबंध में इस रिपोर्ट में की गई टिप्पणी का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रिपोर्ट के अनुसार इराक में लम्बे युद्ध से नए वित्त वर्ष में भारत की विकास संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, हां।

(ख) इस रिपोर्ट में भारत के प्रति अनुकूल टिप्पणी दी गई है तथा इसमें कृषि संबंधी आय के पुनर्लाभ के साथ निजी खपत में वृद्धि, विनिर्माण निष्पादन और गैर-वित्तीय सेवाओं में निवेशकों के प्रति आकर्षण में बढ़ोत्तरी के बारे में उल्लेख किया गया है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यदि आगामी तीन वर्षों के दौरान, आर्थिक सुधार और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार के प्रयास जारी रहे तो दक्षिण एशिया में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) में वृद्धि के संबंध में भारत के अग्रणी रहने की आशा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आईडीबीआई तथा आईएफसीआई का पुनरुद्धार करना

5938. श्री राजो सिंह: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आईडीबीआई तथा आईएफसीआई को मजबूत बनाने और उन्हें छोटे निवेशकों के हितों का ध्यान रखने में और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए उसका पुनर्गठन करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (उपक्रमों का अंतरण एवं निरसन) विधेयक, 2002 को लोक सभा में पेश कर दिया गया है। इस विधेयक में आईडीबीआई को कंपनी बनाने के प्रस्ताव को लागू करने और नई कंपनियों को बैंकिंग लाइसेंस प्रदान करने के लिए प्रावधान निहित हैं। यह विधेयक स्थायी वित्त समिति को भेज दिया गया है। सरकार कार्रवाई के संबंध में निर्णय लेने से पहले स्थायी समिति की सिफारिशें प्राप्त होने की प्रतीक्षा कर रही है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के साथ परामर्श करके आईडीबीआई और आईएफसीआई के दायित्वों को पुनर्गठित करने के लिए सहमत हो गई है। भारत सरकार ने पैकेज के एक भाग के रूप में आईएफसीआई को दिनांक 29.3.2003 को 523 करोड़ रुपए की दीर्घावधि ऋण के जरिए वित्तीय सहायता दी है।

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश की मतदाता सूची

5939. श्री किरीट सोमैया:
श्री शिवराज सिंह चौहान:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को पांच अधिकारियों के निलम्बन के संबंध में दिये गये निदेशों का राज्य सरकार द्वारा अभी तक कार्यान्वयन नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मतदाता सूची में संशोधन शुरू हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो जिन मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं वे मतदाता बनने हेतु कैसे आवेदन कर सकते हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (घ) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

आंध्र प्रदेश को नाबार्ड की सहायता

5940. श्री गुनीपाटी रामैया:
श्री गंता श्रीनिवास राव:

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नाबार्ड ने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को लागू करने हेतु आंध्र प्रदेश सरकार को 1300 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या बैंक ने गत वर्ष दिए गए 602 करोड़ रुपये से आवधिक ऋण की तुलना में इस वर्ष 700 करोड़ रुपए का ऋण देने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश सरकार ने इस ऋण का कितना उपयोग किया है;

(घ) इस ऋण के अंतर्गत अभी तक ग्रामीण विकास योजना को किस सीमा तक लागू किया गया है; और

(ङ) ग्रामीण क्षेत्रों में कुल कितने लोगों को लाभ हुआ?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ग्रामीण आधारिक विकास निधि (आरआईडीएफ) के अंतर्गत राज्य सरकारों को ऋण प्रदान करता है। मार्च 2003 तक नाबार्ड ने आरआईडीएफ 1 से 8 तक के सभी शृंखलाओं के अंतर्गत वर्ष 1995-96 से आंध्र प्रदेश सरकार को 3650.88 करोड़ रुपए की क्षमता वाली परियोजनाओं को मंजूर किया है।

(ख) नाबार्ड ने सूचित किया है कि उसने वर्ष 2001-2002 के दौरान कृषि और संबद्ध क्रियाकलापों के वित्तपोषण के लिए सावधि ऋणों के पुनर्वित्त पोषण के रूप में आंध्र प्रदेश में भागीदार

बैंकों को 602.13 करोड़ रुपए संवितरित किए है। वर्ष 2002-03 के लिए नाबार्ड ने इन उद्देश्यों के लिए बैंकों को 761.34 करोड़ रुपए संवितरित किए हैं।

(ग) आरआईडीएफ के अंतर्गत मंजूर ऋणों का संवितरण चरण तीन वर्षों का है। नाबार्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार आंध्र प्रदेश को आरआईडीएफ की सभी श्रृंखलाओं के अंतर्गत की गई 3650.88 करोड़ रुपये की कुल मंजूरी में से राज्य सरकार को 2169.02 करोड़ रुपए का संवितरण किया गया है।

(घ) और (ङ) नाबार्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, आंध्र प्रदेश में सिंचाई, सड़कें, पुल, मृदा एवं नमी संरक्षण आदि को कवर करने वाली 9738 परियोजनाओं को मंजूर किया गया है। इन परियोजनाओं में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के सृजन एवं ग्रामीण सड़कों और पुलों के नेटवर्क के माध्यम से ग्रामीण संयोजकता के साथ-साथ क्रमशः 165.60 लाख श्रम दिवसों और 4728.80 लाख श्रम दिवसों के आवर्ती और अनावर्ती रोजगार अवसरों के सृजन की क्षमता है।

निर्यातोन्मुखी इकाइयों/निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों द्वारा पाटन-रोधी शुल्क न देना

5941. श्री के.ई. कृष्णमूर्तिः क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्यातोन्मुखी इकाइयों और निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र पाटन रोधी शुल्क देने से बच रहे हैं क्योंकि वे घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में आयातित उत्पादों को बेचते हैं जो घरेलू भेषज कंपनियों को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की नीति इस दिशा में स्पष्ट नहीं है;

(घ) क्या भारतीय औषध विनिर्माता संघ इस विसंगति को सरकार के ध्यान में लाया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा भेषज कंपनियों की समस्याओं को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ङ) निर्यातोन्मुख इकाइयां और निर्यात संसाधन जोनों (अब विशेष आर्थिक जोनों में परिवर्तित) की इकाइयां पाटनरोधी शुल्क सहित सीमाशुल्क का भुगतान किए बिना निर्यात उत्पादन हेतु सभी प्रकार की वस्तुओं का आयात करने की पात्र है। ये इकाइयां निर्यात और आयात नीति के अनुसार लागू शुल्कों के भुगतान पर घरेलू टैरिफ क्षेत्र में विनिर्मित उत्पादों के एक भाग की बिक्री करने के लिए भी पात्र हैं। चूंकि घरेलू टैरिफ क्षेत्र में विनिर्मित वस्तुओं की बिक्री की जाती है और न कि आयातित निविष्टियों की, इसलिए यह देखा जाता है कि पाटनरोधी शुल्क के भुगतान का कोई परिहार नहीं हुआ है जैसाकि ड्रग्स मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन ने अभ्यावेदन दिया है। इसके अलावा कम्पेक्टिंग/माइक्रोनाइजेशन के कार्य में लगी ई ओ यू को इस समय किसी घरेलू बिक्री की अनुमति नहीं दी जा रही है।

बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के निदेशक

5942. श्री रतन लाल कटारिया: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में नियुक्त निदेशकों की संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित निदेशकों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या इस संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए कोई आरक्षण है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के बोर्ड में निदेशकों के रूप में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की नियुक्तियों के लिए संगत अधिनियमों में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है।

[हिन्दी]

तंबाकू का निर्यात

5943. योगी आदित्यनाथ: क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश से निर्यात किए गए विभिन्न प्रकार के तंबाकू और तंबाकू उत्पादों की मात्रा किस्मवार तथा उत्पादनवार कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई है;

(ग) क्या सरकार का विचार तंबाकू का निर्यात बढ़ाने का है;

(घ) यदि हां, तो 2003-04 के लिए संपूर्ण दसवीं योजना के लिए क्या लक्ष्य रखा गया है; और

(ङ) इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) (1) पिछले तीन वर्षों के दौरान अविनिर्मित तंबाकू की विभिन्न किस्मों का निर्यात:

मात्रा टनों में; मूल्य: लाख रुपए में

किस्म	2000-2001		2001-2002		2002-2003*	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
फ्लूक्योर्डवर्जीनिया	64638	50997.02	57126	48273.07	59650	48579.45
बर्ली	9810	6510.55	11036	5584.72	13543	7465.85
मनक्योर्ड नाटू	6670	2924.78	5354	2412.49	3055	1279.68
टापलीफ/जटी	4923	2062.50	1734	772.70	2020	741.30
लाल चोपाडिया	6869	2398.94	6026	1665.25	5182	1430.46
जूडी	2656	649.79	2287	453.53	1403	328.24
अन्य	4971	2160.29	2447	1126.88	2061	1086.22
कुल	100537	67703.87	86010	60288.64	86914	60911.20

(स्रोत: तंबाकू बोर्ड)* अप्रैल-फरवरी, 2003

(2) पिछले तीन वर्षों के दौरान तंबाकू उत्पादों का निर्यात:

मात्रा टनों में मूल्य: लाख रुपए में

किस्म	2000-2001		2001-2002		2002-2003*	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
सिगरेट	2016	5651.53	2883	8488.30	4199	10937.93
बीड़ी	962	3295.88	961	3337.48	959	3251.53
चबाने वाला तंबाकू	1953	9433.38	2640	12494.05	1976	9995.89
हुक्का तंबाकू पेस्ट	9543	3423.08	8910	3482.85	9281	3304.60
कट तंबाकू	907	803.98	663	714.34	1277	1078.04
अन्य	12	26.56	19	45.71	48	58.17
कुल	15393	22634.49	16076	28562.73	17740	28626.16

(स्रोत: तंबाकू बोर्ड)* अप्रैल-फरवरी, 2003

(ग) जी, हां।

(घ) तंबाकू बोर्ड ने वर्ष 2003-04 के लिए तंबाकू एवं तंबाकू उत्पादों के निर्यात का अनुमान उसी स्तर पर लगाया है जैसाकि वर्ष 2002-03 के लिए लगाया गया था अर्थात 980 करोड़ रुपये मूल्य का लगभग 115,000 टन। संपूर्ण दसवीं योजना अवधि के लिए अनुमानित आंकड़े 686,300 टन के हैं जिनका मूल्य 5769 करोड़ रुपए है।

(ङ) तंबाकू के निर्यातों को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ बदलती हुई अंतर्राष्ट्रीय मांगों को पूरा करने के लिए तंबाकू के उत्पादन का पुनः अभिमुखीकरण, गुणवत्ता एवं उत्पादकता स्तर को बढ़ाना, कीटनाशी अवशिष्ट के नियंत्रण की मॉनीटरिंग करना, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ग्रेडिंग का संयोजन करना, संभावित आयात देशों को व्यापार प्रतिनिधिमंडल भेजना, तंबाकू मेलों में भागीदारी करना इत्यादि शामिल हैं।

[अनुवाद]

303

आय कर से छूट

5944. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार की तरफ से गुजरात के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास के लिए गैर-सरकारी संगठनों और धर्मार्थ ट्रस्टों को दिये गये दान की प्राप्ति और उपयोग बेसिक आयकर की धारा 80(जी) के तहत छूट की समय सीमा बढ़ाने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) गुजरात सरकार ने अनुरोध किया है कि गुजरात के भूकम्प पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए धर्मार्थ न्यासों, संस्थाओं और कोषों द्वारा प्राप्त दान के उपयोग के लिए समय-सीमा को वर्ष 31.3.2004 तक एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाये। उक्त अभ्यावेदन पर विचार किया जा रहा है।

304

प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना

5945. श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के तहत प्राप्त आवेदनों की संख्या कितनी है; और

(ख) इस पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है/लिए जाने का प्रस्ताव है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड पाटील (यत्नाल)]: (क) और (ख) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत आवेदन राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा नहीं बल्कि प्रमोटर्स द्वारा प्रस्तुत किये जाते हैं।

28.2.2003 की स्थिति के अनुसार, टी.यू.एफ.एस. योजना के आरम्भ से, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित मिलों से 496.87 करोड़ रु. की ऋण आवश्यकता के साथ 932.58 करोड़ रु. की परियोजना के आधुनिकीकरण की आवश्यकता के लिए 34 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 346.75 करोड़ रु. की ऋण राशि के 27 आवेदन स्वीकृत किये गये और 23 आवेदनों से संबंधित 226.97 करोड़ रु. वितरित किये गये थे।

[हिन्दी]

314-02

गैर-सरकारी संगठनों को सहायता

5946. श्री हरीभाऊ शंकर महाले: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि विगत तीन वर्षों के दौरान आदिम जनजातीय समूहों के विकास के लिए जिन गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है उनके राज्य-वार नाम क्या है और उन्हें कितनी धनराशि प्रदान की गई है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): गैर-सरकारी संगठनों के राज्यवार नाम और आदिम जनजातीय समूहों के विकास की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान उनको निर्मुक्त निधियों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 2000-01, 2001-02 और 2002-03 के दौरान आदिम जनजातीय समूहों (पीटीजी) के विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को उपलब्ध कराई गई निधियों को दर्शाने वाला विवरण

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी का नाम राज्य/गैर सरकारी संगठन	के दौरान निर्मुक्त धनराशि		
			2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5	6
(1)	आंध्र प्रदेश	(1) सेवा भारतीय, खम्माम, आंध्र प्रदेश	13.37	6.18	11.31
		(2) श्री सरस्वती विद्यापीठम, हैदराबाद	16.00	—	13.30
(2)	छत्तीसगढ़	(3) अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम, जशपुर नगर	4.81	—	5.78
		(4) एटेरनल केयर, बोपाल	—	6.244	4.46
		(5) गांधी सेवा आश्रम, नरसिंहपुर, जिला बिलासपुर	—	11.98	—
		(6) विश्वास, नारायणपुर, बस्तर	—	10.79	—
		(7) रामकृष्ण मिशन आश्रम, नारायणपुर, बस्तर	—	25.00	—
(3)	गुजरात	(8) इनरेका, देदियापाड़ा, जिला नर्मदा	—	25.00	—
(4)	झारखंड	(9) स्वामी विवेकानंद सेवा ट्रस्ट, जमशेदपुर	13.59	—	42.18
		(10) भारत सेवाश्रम संघ, सोनारी, जमशेदपुर	37.77	70.13	156.10
		(11) राम कृष्णा मिशन आश्रम, मोराबादी, रांची	—	3.30	—
		(12) भारत सेवाश्रम संघ, घाटशिला, जिला पूर्वी सिंहभूम	—	48.86	75.63
		(13) विकास भारती, गुमला, पूर्वी सिंहभूम	—	24.748	13.07
		(14) भारत सेवाश्रम संघ, पाकुर	—	—	58.02
(5)	कर्नाटक	(15) स्वामी विवेकानंद यूथ मूवमेंट, मैसूर जिला	—	16.89	1.75
		(16) विवेकानंद फाउंडेशन (आर), मैसूर	—	8.85	—
(6)	केरल	(17) नेहरू युवक केन्द्र, कोजीकोड़	12.40	—	—
(7)	मध्य प्रदेश	(18) मध्य प्रदेश विज्ञान सभा, भोपाल	—	4.266	—
		(19) सेवा भारती, भोपाल	80.61	—	45.70
		(2) बांडेड लिबरेशन फंड, नई दिल्ली	—	—	15.45

1	2	3	4	5	6
(8)	महाराष्ट्र	(21) विधर्भा वनवासी कल्याण आश्रम नागपुर	26.21	—	—
		(22) महाराष्ट्र स्टेट ट्राइबल एम्पलाइमेंट सोसायटी, पुणे	—	35.12	—
		(23) ट्राइबल एंड वीकर सैक्शन एम्पलाइमेंट सोसायटी पूणे	—	—	27.00
(9)	मणिपुर	(24) इंटिग्रेटिड रूरल डेवलपमेंट वेलफेयर एसोसिएशन, इम्फाल	9.74	—	—
		(25) सेनापति इक्नोमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन, सेनापति	—	—	6.25
(10)	उड़ीसा	(26) कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टैक्नोलॉजी, भुवनेश्वर	—	23.00	—
		(27) ओसकार्ड, भुवनेश्वर	—	4.59	—
		(28) परकल्पा, क्योंझर जिला	—	10.34	—
		(29) सोसायटी फार वेलफेयर आफ वीकर सैक्शन, परलाखेमुंडी	—	4.41	—
		(30) वनवासी सेवा परकल्पा, जिला कालाहांडी	18.31	—	—
		(31) वनवासी सेवा परकल्पा, जिला क्योंझर	18.31	—	—
		(32) चुकतिया भुंजिया डेवलपमेंट एजेंसी, सुनाबेदा, जिला नौपाडा	—	23.54	—
		(33) पौडी भुयान डेवलपमेंट एजेंसी, खुटागांव, जिला सुंदरगढ़	—	26.824	—
		(34) रिसर्च एंड एनलाइसिस कंस्लटेंट (आरएसी), साहिद नगर, भुवेश्वर	—	28.246	—
(11)	राजस्थान	(35) एसडब्ल्यूआरसी, तिलोनिया, अजमेर	—	—	24.00
(12)	त्रिपुरा	(36) रामकृष्णा मिशन, अगरतला	9.40	—	—
(13)	पश्चिम बंगाल	(37) भारत सेवाश्रम संघ, डोकरा, जिला मिदनापुर	19.50	—	—
		सर्वयोग	280.011	418.31	500.00

[अनुवाद]

परिवहन राजसहायता योजना में अनियमिततायें

5947. श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परिवहन राजसहायता योजना की समीक्षा में कई गंभीर खामियों का पता चला है जिसमें औद्योगिक इकाइयों को अनियमित और अधिक प्रतिपूर्ति हुई;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच करायी है; और

(घ) यदि हां, तो भविष्य में इस प्रकार की अनियमिततायें रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) लेखापरीक्षा ने 1994-95 से 1999-2000 तक की अवधि के परिवहन राजसहायता योजना की समीक्षा की थी। लेखापरीक्षा की संबंधित जांच को भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की मार्च, 2000 को समाप्त हुए वर्ष (2001 की सं. 2) की रिपोर्ट के अध्याय 1.1 के अधीन शामिल किया गया है तथा रिपोर्ट को सभा पटल पर रख दिया गया है। सरकार ने उक्त योजना के प्रावधानों से अधिक किए गए भुगतान की वसूली करने के लिए उपाय किये हैं।

(घ) अनियमितताएं रोकने तथा योजना के कार्यान्वयन की निगरानी ज्यादा प्रभावशाली रूप से करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं:

(1) अपात्र दावों को समाप्त करने की दृष्टि से विस्तृत जांच सूची और सभी स्तर पर जांच के जरिए प्रक्रियात्मक परिवर्तन किए गए हैं।

(2) अधिकांश मामलों में दावों की पूर्व-लेखापरीक्षा की जा रही है जो दावों की मात्रा पर निर्भर है।

(3) पारदर्शिता सुनिश्चित करने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के उद्देश्य से परिवहन राजसहायता की स्वीकृतियां और संवितरण औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग की वैबसाइट पर दिए जाते हैं।

राज्य वित्तीय निगमों का पुनरुद्धार

5948. **श्री अशोक ना. मोहोल:**
श्री अनंत नायक:

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार घाटे में चल रहे राज्य वित्तीय निगमों का पुनरुद्धार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा अब तक उन्हें विशेषकर उड़ीसा राज्य वित्तीय निगम के पुनरुद्धार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) जी.पी. गुप्ता समिति ने राज्य वित्तीय निगमों के पुनर्गठन की सिफारिश की है। यह रिपोर्ट परिचालनात्मक एवं संगठनात्मक पुनर्गठन जैसी उन सिफारिशों पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए विभिन्न राज्य वित्तीय निगमों को भेजी गई थी, जिनमें कोई वित्तीय सहायता अंतर्ग्रस्त नहीं है। चूंकि राज्य वित्तीय निगम राज्य स्तरीय संस्थाएं हैं, इसलिए राज्य सरकारें प्रमुख शेयरधारक है। इस प्रकार उनसे यह आशा की जाती है कि वे राज्य वित्तीय निगमों के कार्यनिष्पादन में सुधार एवं पुनर्पूजीकरण के उपायों पर विचार करें। उड़ीसा सरकार सहित राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे राज्य वित्तीय निगमों के कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिए उपाय करें।

[हिन्दी]

पाटन रोधी जांच

5949. **श्री शिवराज सिंह चौहान: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व व्यापार संगठन की 2002 की रिपोर्ट से यह पता चला है कि भारत ऐसा पांचवां देश है जिसे पाटन रोधी जांच प्रारंभ करने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं ताकि भारतीय उद्योगों को होने वाले नुकासन को कम किया जा सके और उन्हें धीरे-धीरे समाप्त किया जा सके?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) डब्ल्यू टी ओ की वर्ष 2002 की रिपोर्ट में कोई ऐसा उल्लेख नहीं है जिससे भारत को पाटनरोध के संबंध में कोई जांच शुरू करने की आवश्यकता हो।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत

5950. **श्री लक्ष्मण गिलुवा:**
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
श्री मान सिंह पटेल:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है और तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) जनजातीय बहुल राज्यों के नाम क्या हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान आदिवासियों के विकास के लिए आवंटित धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान इन राज्यों में आदिवासियों के विकास के लिए कौन-कौन सी योजनाएं और कार्यक्रम लागू किये गए?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 67.76 मिलियन थी जो देश की कुल जनसख्या का 8.08% है। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का राज्यवार प्रतिशत दर्शाने वाला एक ब्यौरा विवरण I में संलग्न है।

(ख) अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में जनजातियों का बाहुल्य है।

(ग) इस मंत्रालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 275(1) और जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत राज्यवार

निधियां आबंटित की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए इन योजनाओं के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित निधियां दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण II में संलग्न है।

(घ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे विभिन्न राज्य क्षेत्रीय कार्यक्रमों के अतिरिक्त जनजातीय कार्य मंत्रालय ने निम्नलिखित योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता उपलब्ध कराई है:

(1) जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता

(2) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रथम परंतुक के अंतर्गत अनुदान

(3) गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान

(4) अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग व संबद्ध योजना

(5) जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण

(6) जनजातीय क्षेत्रों में महिलाओं की साक्षरता के विकास के लिए कम साक्षरता वाले पॉकेटों में शैक्षिक परिसर

(7) राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगमों को सहायता अनुदान

(8) ग्राम अन्न बैंक की स्थापना

(9) आदिम जनजातीय समूहों का विकास

(10) भारत में अध्ययन करने के लिए अनुसूचित जनजाति से संबंधित छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

(11) अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पुस्तक बैंक

(12) अनुसूचति जनजाति के छात्रों की प्रतिभा उन्नयन के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की योजना

(13) अनुसूचित जनजातीय लड़कियों के छात्रावास

(14) अनुसूचित जनजातीय लड़कों के छात्रावास

(15) जनजातीय उपयोजना क्षेत्र में आश्रम स्कूलों की स्थापना

(16) अनुसंधान एवं प्रशिक्षण

(17) जनजातियों द्वारा यात्राओं का आदान-प्रदान

(18) राज्य अनुसूचित जनजाति विकास निगमों को सहायता अनुदान

(19) गैर सरकारी संगठनों को विशेष प्रोत्साहन

विवरण I

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1991 की जनगणना के अनुसार		
		कुल जनसंख्या	अनु.जन. जनसंख्या	प्रतिशतता
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	66508008	4199481	6.31
2.	अरुणाचल प्रदेश	864558	550351	63.66
3.	असम	22414322	2874441	12.82
4.	बिहार	86374465	6616914	7.60
5.	गोआ	1169793	376	0.03
6.	गुजरात	41309582	6161775	14.92
7.	हरियाणा	16463648	—	—
8.	हिमाचल प्रदेश	5170877	218349	4.22
9.	जम्मू व कश्मीर	उ.न.	उ.न.	उ.न.

1	2	3	4	5
10.	कर्नाटक	44977201	1915691	4.26
11.	केरल	29098518	320967	1.10
12.	मध्य प्रदेश	66181170	15399034	23.27
13.	महाराष्ट्र	78937187	7318281	9.27
14.	मणिपुर	1837149	632173	34.41
15.	मेघालय	1774778	1517927	85.53
16.	मिजोरम	689756	653565	94.75
17.	नागालैंड	1209546	1060822	87.70
18.	उड़ीसा	31659736	7032214	22.21
19.	पंजाब	20281969	—	—
20.	राजस्थान	44005990	5474881	12.44
21.	सिक्किम	406457	90901	22.36
22.	तमिलनाडु	55858946	574194	1.03
23.	त्रिपुरा	2757205	453345	30.95
24.	उत्तर प्रदेश	139112287	287901	0.21
25.	पश्चिम बंगाल	68077965	3808760	5.60
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	280661	26770	9.54
27.	चंडीगढ़	642015	—	—
28.	दादरा व नगर हवेली	138477	109380	78.99
29.	दमन व दीव	101586	11724	11.54
30.	दिल्ली	9420644	—	—
31.	लक्षद्वीप	51707	48163	93.15
32.	पांडिचेरी	807785	—	—
	अखिल भारत	838583988	67758380	8.08

नोट:

(1) वर्ष 1991 में जम्मू व कश्मीर में जनगणना नहीं हुई।

(2) **दर्शाता है कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में किसी भी अनुसूचित जनजाति को अधिसूचित नहीं किया गया है।

(3) उ.न.-उपलब्ध नहीं।

विवरण II

अनुसूचित जातियों के विकास के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्यवार आबंटित निधियां

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2643.44	5448.15	4893.10
2.	असम	2886.90	3904.55	4082.39
3.	बिहार	1711.06	765.91	765.56
4.	गुजरात	5389.98	6980.91	6180.91
5.	हिमाचल प्रदेश	613.55	721.53	723.53
6.	जम्मू व कश्मीर	966.88	1474.88	1289.94
7.	कर्नाटक	1036.13	2085.70	1675.68
8.	केरल	218.63	391.20	861.70
9.	मध्य प्रदेश	8314.92	12179.28	11885.54
10.	महाराष्ट्र	4578.07	6396.33	6648.83
11.	मणिपुर	1258.65	991.96	1186.51
12.	उड़ीसा	8145.50	10600.21	10136.90
13.	राजस्थान	4615.24	6199.56	5874.04
14.	सिक्किम	414.18	347.40	191.02
15.	तमिलनाडु	321.27	728.32	533.32
16.	त्रिपुरा	1119.07	1503.53	1706.53
17.	उत्तर प्रदेश	51.43	209.05	59.10
18.	पश्चिम बंगाल	2594.90	3609.24	3745.57
19.	झारखंड	4742.62	8078.39	8678.24
20.	छत्तीसगढ़	5225.96	6712.95	7315.68
21.	उत्तरांचल	104.92	170.96	170.91
22.	अरुणाचल प्रदेश	376.6	200.00	300.00
23.	मेघालय	477.0	0.00	555.00

1	2	3	4	5
24.	मिजोरम	72.0	0.00	240.00
25.	नागालैंड	950.0	0.00	0.00
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	233.90	230.85	200.85
27.	दमन व दीव	66.10	99.15	99.15
	कुल	59128.85	80030.01	80000.00

[अनुवाद]

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण नीति

5951. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सरकारी विभागों और स्वायत्तशासी संस्थाओं तथा उससे जुड़े कार्यालयों, अनुसंधान और विकास संस्थानों और उनके मंत्रालय के अधीन आने वाले अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में जहां तक राजपत्रित नौकरियों या श्रेणी I व श्रेणी II के कर्मचारियों का संबंध है अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित लोगों को नौकरियां प्रदान करने के लिए कड़ाई से आरक्षण नीति का पालन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी संस्थावार ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक न भरे गये पदों की संख्या कितनी है और कुछ आरक्षित पदों (सरकारी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों में श्रेणी I और श्रेणी II से संबधित) जो कि अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित लोगों के लिए निर्धारित किए गए थे को न भरे जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस प्रकार के रिक्त पदों को तुरंत भरे जाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (घ) वित्त मंत्रालय के सभी प्रशासनिक कार्यालयों में अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित लोगों के मामलों में पदों में आरक्षण संबंधी संगत अनुदेशों को विधिवत ध्यान में रखा जाता है और उनका अनुपालन किया जाता है। चूंकि ये कार्यालय सम्पूर्ण भारत में हैं, इसलिए ऐसे कार्यालयों में की गई भर्तियों तथा रिक्तपदों, यदि कोई हो, के संबंध में केन्द्रीकृत आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। रिक्तियों को भरने संबंधी विद्यमान मार्ग-निर्देशों के अनुसार रिक्त पदों को भरने के लिए सभी प्रयास किये जाते हैं।

आस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्री की यात्रा

5952. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने आस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्री की फरवरी 2003 की भारत यात्रा के दौरान खनन, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, भेषजों और सूचना प्रौद्योगिकी में आस्ट्रेलिया के सहयोग की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इन मामलों के बारे में दोनों राष्ट्रों के मध्य हस्ताक्षरित समझौता का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) भारत-आस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्रिस्तरीय आयोग का आठवां सत्र नई दिल्ली में 17-19 फरवरी, 2003 को आयोजित हुआ था। श्री अरुण जेटली, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था। बैठक के दौरान सहयोग हेतु अभिज्ञात किये गये अनेक क्षेत्र थे—ऊर्जा, खनन, वस्त्र, सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि, मत्स्य एवं मत्स्यन, बैंकिंग और शिक्षा।

(ख) यात्रा के दौरान किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे।

विदेशी ऋण

5953. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक जैसे विदेशी वित्तीय संस्थाओं से राज्य सरकारों द्वारा लिये गये बाह्य ऋणों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में किसी राज्य के लिए ऋण की सीमा निर्धारित की गयी है;

(ग) क्या विश्व बैंक और अन्य संस्थाओं द्वारा अत्यधिक ऋण लिये जाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा किसी राज्य को चेतावनी दी गयी है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य सरकारों को सस्ती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्रस्तावित कदम क्या हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) संविधान के उपबंधों के अंतर्गत, राज्य की कार्यकारी शक्तियां केवल भारत के सीमा-क्षेत्र में ही उधार लेने तक सीमित हैं। साथ ही, संविधान की VII अनुसूची के अंतर्गत, "विदेशी ऋण" संघ सूची में शामिल हैं। इसलिए राज्य सरकारें विदेशों/विदेशी संस्थाओं से सीधे ही वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं कर सकतीं। विभिन्न राज्यों में कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं से संबधित विदेशी सहायता केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त की जाती है और अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में राज्यों को दे दी जाती है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा विदेशी वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(ख) से (घ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण

(आंकड़े करोड़ रु. में)

संस्था	2000-01	2001-02	2002-03
अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए)	4338.21	4264.44	5260.05
एशियाई विकास बैंक (एडीबी)	713.46	799.38	969.39
अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी)	0.00	70.13	0.00
अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आईबीआरडी)	6452.13	5713.47	5836.05

प्रतिभूति व्यापार में बैंकों की भागीदारी

5954. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को सरकारी प्रतिभूति के "सरकुलर" व्यापार में शामिल न होने की चेतावनी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान कुछ बैंक प्रतिभूतियों में व्यापार के माध्यम से नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो उन बैंकों के नाम क्या हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि चुनिंदा बैंकों के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशकों/मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के साथ की गई बैठक में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में सरकुलर व्यापार से संबंधित मुद्दे पर हाल ही में विचार-विमर्श किया गया था। इस बैठक में बैंकरों को सूचित किया गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक की जानकारी में आया है कि कुछ बैंक मूल्य में वृद्धि के कारण बही लाभ के लिए सरकारी प्रतिभूतियों की बाजार में वास्तव में बिक्री करने के स्थान पर उनके पूर्वनियत लेन-देन में भाग ले रहे हैं। बैंकरों से कहा गया है कि ऐसे लेन-देनों से बचें, क्योंकि यह एक वांछनीय प्रथा नहीं है।

भारतीय निर्यात में विदेशी कंपनियों की भागीदारी

5955. श्री जी.एस. बसवराज: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्र में कई विदेशी कंपनियां प्रवेश कर चुकी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप देश का निर्यात बढ़ा है;

(ग) यदि हां, तो उक्त वृद्धि में इन कंपनियों का योगदान किस सीमा तक है;

(घ) क्या भारत में विदेशी कंपनियों के प्रवेश से होने वाले लाभ के संबंध में कोई आकलन किया गया है या किसी आकलन के किए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उससे अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, हां।

(ख) से (च) हालांकि निर्यातों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अंशदान पर समग्र रूप से निगरानी नहीं रखी जाती है परन्तु विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से अतिरिक्त पूंजी के देशी प्रौद्योगिकी अत्युत्तम प्रबंधन प्रथाएं और अन्य बातों के साथ बाजार पहुंच उपलब्ध होने से घरेलू प्रयासों को बढ़ावा मिलता है। गौण सूचना के आधार पर यह मालूम होता है कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के फलस्वरूप आटोमोबाइल्स और ऑटोमोटिव पुर्जों, इलेक्ट्रानिक्स आदि जैसे क्षेत्रों में निर्यातों में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

योजनागत स्कीमों का समाप्त किया जाना

5956. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने दसवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान अन्न बचाओ अभियान (एस.जी.सी.), भारतीय अन्न प्रबंधन अनुसंधान संस्थान (आई.जी.एम.आर.आई.) और केन्द्रीय अन्न विश्लेषण प्रयोगशाला (सी.जी.ए.एल.) को समाप्त करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इसके प्रमुख कारण क्या हैं;

(ग) क्या मंत्रालय ने इन योजनाओं को जारी रखने के लिए योजना आयोग के समक्ष इस बात को रखा है;

(घ) यदि हां, तो इस पर योजना आयोग की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार ने इन योजनाओं की अनुपस्थिति में फसलों की कटाई उपरांत हानि को नियंत्रित करने और गुणवत्ता की जांच के लिए वैकल्पिक प्रबंध किए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबाष महरिया): (क) जी, हां।

(ख) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की योजना स्कीमों के संबंध में शून्य आधारित बजटीकरण पर विचार करते समय योजना आयोग ने सिफारिश की थी कि दसवीं योजना में अन्न सुरक्षा अभियान की स्कीमों को समाप्त किया जा सकता है लेकिन भारतीय अनाज संचयन प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान और केन्द्रीय अनाज विश्लेषण प्रयोगशाला की स्कीमों को गैर योजना श्रेणी में अंतरित किया जा सकता है।

(ग) जी, हां। मंत्रालय ने फरवरी, 2002 और अक्तूबर, 2002 के दौरान योजना आयोग को अभ्यावेदन दिया था कि या तो दसवीं योजना अवधि के दौरान इन योजना स्कीमों को जारी रखने की अनुमति दी जाए अथवा इस मंत्रालय को योजना स्कीम को गैर-योजना स्कीम में परिवर्तित करने की अनुमति दी जाए।

(घ) योजना आयोग इस बात से सहमत हो गया है कि भारतीय अनाज संचयन प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान और केन्द्रीय अनाज विश्लेषण प्रयोगशाला की स्कीमें गैर-योजना स्कीमों के रूप में चलती रहनी चाहिए। इसके लिए मंत्रालय को यह मामला वित्त मंत्रालय के उठाना चाहिए।

(ङ) और (च) फसल कटाई उपरांत की हानियों को न्यूनतम करने और खाद्यान्नों का गुण नियंत्रण बनाए रखने की बात को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है कि भारतीय अनाज संचयन प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान, अन्न सुरक्षा अभियान और केन्द्रीय अनाज विश्लेषण प्रयोगशाला के गैर-योजना घटक को जारी रखा जाए।

समुद्री उत्पादों का निर्यात

5957. **श्री ए. नरेन्द्र:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार समुद्री उत्पादों, रंजक और रंजक सामानों और चमड़े के उत्पादों पर पश्चिमी देशों द्वारा पर्यावरण संबंधी प्रतिबंध लगाने के कारण, इनके निर्यात में कठिनाई का सामना कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) समुद्री उत्पादों, रंजक और रंजक सामानों के निर्यात में पश्चिमी देशों के समक्ष आ रही कठिनाइयां इस प्रकार हैं:

(1) कछुआ वर्जक यंत्र (टी ई डी) फिट न किये गये यंत्रीकृत श्रिंप ट्रालरों द्वारा समुद्र और अन्य स्थानों से पकड़े गए श्रिंपों को अमरीका में निर्यात नहीं किया जा सकता है। तथापि, अमरीका को जल कृषि से उत्पादित श्रिंपों और कुशल दस्तकारी द्वारा मत्स्य ग्रहण के जरिए उत्पादित श्रिंपों का निर्यात किया जा सकता है बशर्ते इसके साथ समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) से यह प्रमाण-पत्र हो कि श्रिंपों का उत्पादन जल कृषि अथवा कुशल दस्तकारी साधनों अथवा ठंडे पानी से किया गया है जिसमें कछुए इत्यादि नहीं है।

(2) रंजक और रंजक समग्री के निर्यात से संबंधित डब्ल्यू टी ओ के मानदंडों के आधार पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा कठोर पर्यावरणिक नियम लागू किये गये हैं।

चमड़े के निर्यात के संबंध में चमड़ा निर्यात परिषद अथवा चमड़ा निर्यातकों द्वारा हाल ही में पर्यावरण से संबंधित कोई समस्या सरकार के ध्यान में नहीं लाई गई है।

(ग) भारत सरकार और राज्य सरकारों ने पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के तटों से दूर समुद्र के कतिपय हिस्सों में कछुआ वर्जक यंत्र के प्रयोग को अब अनिवार्य बना दिया है। एम्पीडा ने अभी तक लगभग 2900 कछुआ वर्जक यंत्र (टी ई डी) तैयार किए हैं और इन्हें कुशल दस्तकारों द्वारा मत्स्य ग्रहण जलयान प्रचालनों के बीच मुफ्त बांटने के लिए राज्य सरकारों को उपलब्ध कराया है। जल कृषि श्रिंपों और कुशल मत्स्यायन के जरिए पकड़े गए श्रिंपों के अमरीका को निर्यात को एम्पीडा द्वारा प्रमाण पत्र जारी करके सुकर बनाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा सहित कुछ राज्यों ने टीईडी की उचित रूप से स्थापना के बारे में कर्मीदल को प्रशिक्षण देने के लिए मत्स्यग्रह जलयानों पर टी ई डी के प्रयोग का प्रदर्शन किया है। एम्पीडा नाव मालिकों और कर्मीदल को निर्माण और स्थापना के बारे में शिक्षित करने के लिए अन्य सभी संबंधित व्यक्तियों के सहयोग से कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कैम्प भी आयोजित करता है।

हथकरघा और विद्युतकरघा क्षेत्र का बंद होना

5958. **श्री वाई.वी. राव:**
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हथकरघा और विद्युतकरघा क्षेत्र देश में विशेषकर महाराष्ट्र में बंद होने के कगार पर हैं;

(ख) क्या इन क्षेत्रों में हथकरघा और विद्युतकरघा बंद किये जाने के कारण परम्परागत बुनकर अत्यधिक वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं;

(ग) क्या भरातीय हथकरघा निगम निधियों के अभाव के कारण बुनकरों की बड़ी संख्या को बचाने में असफल रहा है;

(घ) क्या सरकार द्वारा 1976 में जनता क्लाथ स्कीम के माध्यम से दिए गए प्रोत्साहन राजसहायता को बंद कर दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो हथकरघा और विद्युतकरघा उद्योग के पुनरोद्धार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं जो कि विदर्भ क्षेत्र का गौरव है; और

(च) इस क्षेत्र के पुनरोद्धार के लिए विभिन्न राज्यों को प्रदान किये जाने वाले वित्तीय सहायता पैकेजों का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड़ पाटिल (यत्नाल)]: (क) और (ख) वस्त्र मंत्रालय को किसी भी राज्य सरकार से ऐसी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है जिसमें यह कहा गया है कि हथकरघा और विद्युतकरघा इकाइयां बंद होने के कगार पर हैं।

(ग) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम हथकरघा संगठनों को धागे, डाई और रसायनों की आपूर्ति करता है। यह कार्य निधियों की कमी के कारण प्रभावित नहीं होता है।

(घ) जनता कपड़ा योजना वर्ष 1997-98 के अंत में बंद कर दी गई थी और वर्तमान में हथकरघा क्षेत्र पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ङ) भारत सरकार महाराष्ट्र सहित सम्पूर्ण देश में हथकरघा क्षेत्र के समग्र विकास तथा हथकरघा बुनकरों के कल्याण हेतु निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित करती रही हैं:

1. डिजाइन विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम
2. विपणन प्रोत्साहन कार्यक्रम
3. मिल गेट कीमत योजना
4. दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना
5. कार्यशाला सह आवास योजना

6. बुनकर कल्याण योजना

7. हथकरघा निर्यात योजना

8. हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 का कार्यान्वयन

जहां तक विद्युतकरघा क्षेत्र का संबंध है, सरकार ने विद्युतकरघा उद्योग के विकास को सुविधा मुहैया कराने के लिए निम्नलिखित पहल शुरू की है:

(1) विकेन्द्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र में 50,000 शटलरहित और 2.50 लाख अर्धस्वचालित और स्वचालित करघों को लगाने के एक कार्यक्रम की घोषणा की गई है। प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत ऐसी पहलें उपलब्ध है जहां विद्युत करघा मालिक या तो 12% की अपफ्रंट कैपिटल सब्सिडी अथवा 5% की ब्याज प्रतिपूर्ति के द्वारा पूंजी उधार लेने की कम की हुई कीमत का फायदा ले सकते हैं।

(2) विद्युतकरघा बुनकरों को डिजाइन, प्रशिक्षण, कौशल संवर्धन और परीक्षण सुविधा जैसी सेवाएं प्रदान करने के लिए चवालीस विद्युतकरघा सेवा केन्द्र स्थापित किए गए।

(3) नई-नई डिजाइनें बनाने और डिजाइन तथा उत्पादन में सुधार लाने की सुविधाएं देने हेतु विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों में सह कम्प्यूटर एडेड डिजाइन केन्द्र स्थापित किये गये हैं।

(4) विद्युतकरघा कपड़ा के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विद्युत करघा निर्यात हकदारी कोटा प्रदान किया गया है।

(5) विद्युतकरघा बुनकरों के लिए बीमा कल्याण योजना कार्यान्वित की जा रही है।

(च) भारत सरकार ने वर्ष 2002-03 के दौरान विभिन्न हथकरघा योजनाएं कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को 107.26 करोड़ रुपए अवमुक्त किए हैं। चालू वर्ष के दौरान 156.77 करोड़ रुपए के परिव्यय से इन योजनाओं का कार्यान्वयन जारी रखा जाएगा।

[हिन्दी]

निर्यात संबंधी केलकर समिति की रिपोर्ट

5959. श्री रामदास रूपला गावीत: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्यात को बढ़ावा देने के लिए केलकर समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सभी सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (घ) दिसम्बर, 2002 में वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत डा. विजय केलकर की अध्यक्षता में अप्रत्यक्ष कर संबंधी कार्यबल की रिपोर्ट में शुल्क वापसी, विशेष आर्थिक क्षेत्रों, निर्यातोन्मुख इकाइयों और अग्रिम लाइसेंस स्कीम से संबंधित विभिन्न सिफारिशें की गई हैं। शुल्क वापस देने के लिए सी ई एन वी ए टी गैर-उपयोग स्वयं घोषणा प्रमाण पत्र लेना, शुल्क वापसी की ब्रांड दर के अंतर्गत पोत लदान के मामलों में अखिल उद्योग शुल्क वापसी हकदारी के समान धनराशि जारी करना, मिश्रित मद के मामले में संघटक सामग्री के भार के बारे में निर्यातकों की घोषणा को स्वीकार करना और एक महीने के बाद शुल्क वापसी की स्वीकृति के विलंबित मामलों में ब्याज के भुगतान जैसी समिति कि कुछ सिफारिशों को वित्त मंत्रालय द्वारा पहले ही स्वीकार करके कार्यान्वित कर दिया गया है।

[अनुवाद]

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के संबंध में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा अध्ययन

5960. श्री सुबोध मोहिते: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद द्वारा सार्वजनिक वितरण व्यवस्था की कार्यप्रणाली, कार्य निष्पादन और कमियों के बारे में हाल ही में कोई अध्ययन करवाया गया है;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ग) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा राज्यों में सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(घ) इस पर सरकार द्वारा क्या उपाय किये जायेंगे?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद से अभी तक अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा और वित्त रिपोर्ट

5961. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आधारभूत सेवाओं में बढ़ते हुए और जारी मांगें और आपूर्ति असंतुलनों का औद्योगिक कार्य निष्पादन पर लगातार प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 2001-2002 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा और वित्तीय रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक की तुलना में 2.9 प्रतिशत से आपूर्ति गिरकर 1990 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की 2.6 प्रतिशत हो गयी हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) इस स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित कदम क्या हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) औद्योगिक निष्पादन संबंधी आधारढांचा अड़चनों के संबध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किये गये और करेंसी और वित्त 2001-02 संबंधी उनकी रिपोर्ट में प्रकाशित विश्लेषण के अनुसार 1990 के दशक के दौरान मांग एवं आपूर्ति के विद्यमान तथा बढ़ते हुए असंतुलनों के साथ-साथ आधारढांचे की प्रत्यक्ष अड़चनों के कारण उद्योग का निष्पादन बाधित रहा। कतिपय सेवाओं जैसे कि विद्युत, रेलवे और नौपरिवहन के संचालनों की उच्चतर लागत उच्च निविष्टि लागतों के रूप में विनिर्माण क्षेत्र में व्याप्त हो गई।

(ख) राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, भारत सरकार के अनुसार बिजली, गैस और जलापूर्ति में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में वास्तविक सकल पूंजी निर्माण 1980 के दशक के दौरान 2.9 प्रतिशत से गिरकर 1990 के दशक के दौरान 2.6 प्रतिशत हो गया है और आधारढांचा क्षेत्रकों में वास्तविक सकल पूंजी निर्माण जीडीपी के प्रतिशत के रूप में 1980 के दशक के दौरान 6.1 प्रतिशत से गिरकर 1990 के दशक के दौरान 5.9 प्रतिशत हो गया है।

(ग) आधारढांचा क्षेत्रकों में वास्तविक सकल पूंजी निर्माण में गिरावट के लिए जिम्मेदार कारणों में अन्यों के साथ-साथ सरकारी आधारढांचा कंपनियों द्वारा संसाधनों का अपर्याप्त जुटाव और कुछ खण्डों में अविवेकी प्रयोक्ता प्रभारों के परिणामस्वरूप आधारढांचा क्षेत्रकों में अपर्याप्त निजी निवेश हैं।

(घ) वर्ष 2003-04 के केन्द्रीय बजट में, स्थिति को सुधारने के लिए कई उपायों की घोषणा की गई थी। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- 48 नई सड़क परियोजनाओं के लिए नई निधिकरण प्रणाली, हवाई अड्डों की मरम्मत और आधुनिकीकरण, वैश्विक स्तरों के दो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केन्द्रों की स्थापना, राष्ट्रीय रेल विकास योजना परियोजनाओं पर मुख्य रूप से बल देना।
- डीजल पर 50 पैसे के अतिरिक्त उपकर के जरिए गांवों में सड़कों के लिए अतिरिक्त धनराशियां उपलब्ध कराना।
- किसी भी ऐसी विद्युत परियोजना जो मेगा परियोजनाओं के लिए पहले से निर्धारित शर्तें पूरी करती हो, को सभी लाभ प्रदान करते हुए मेगा विद्युत परियोजना नीति को और उदार बनाना।
- सीएसआईआर को, सौर ऊर्जा, पवन टरबाइन, जीवाश्म (फ्रासिल) ईंधन के विकल्प के तौर पर हाइड्रोजन ईंधन के क्षेत्रों में प्रोत्साहन प्रेरित अनुसंधान शुरू करने के लिए 20 करोड़ रुपये की राशि का एक विशेष आवंटन।
- पूंजीगत वस्तुओं और मशीनरी के संबंध में जलापूर्ति परियोजनाओं को सीमाशुल्क एवं उत्पाद शुल्क दोनों में पूरी तरह छूट प्राप्त है। इसके अलावा, कच्चे पानी को स्रोत से जलोपचारी संयंत्र तक लाने और संयंत्र उपचारित जल को संचयन संयंत्र तक ले जाने के लिए पाइपलाइनों को उत्पाद-शुल्क से छूट दी गई।

[हिन्दी]

टी.डी.एस. संबंधी जाली दावे

5962. श्री रामदास आठवले: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने आयकर विभाग में अप्रैल, 2003 के दूसरे सप्ताह के दौरान स्रोत पर जाली कर कटौती के नाम पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, हां। सी.बी.आई. ने स्रोत प्रमाणपत्रों पर काटे गये नकली कर के आधार पर दावा की गई जाली धन वापसियों के संबंध में ए.सी.बी. चंडीगढ़ शाखा में तीन मामले अथाव आर.सीज. 1(ए)/2003, 2(ए)/2003 और 6(ए)/2003 दर्ज किए हैं।

(ख) संलग्न विवरण के अनुसार।

(ग) वापसियों के दावों के संबंध में किसी भी कदाचार से निपटने के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने प्रक्रिया को सुकर बनाने के लिए समय-समय पर अनुदेश जारी किये हैं। ऐसा कुछ उपायों में पंजीकृत डाक द्वारा धन वापसियों को जारी करना, वापसी दावों आदि को तारीखवार संसाधित करना शामिल है। इसके अलावा, आयकर विभाग के कम्प्यूटरीकरण जो अग्रिम चरण में है, से मानव हस्तक्षेप धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा।

विवरण

रोहतक, भिवानी और जगरांव (पंजाब) में फर्जी स्रोत पर कर की कटौती के प्रमाणपत्रों के आधार पर दावा की गई जाली वापसियों का ब्यौरा

मामला आर.सी. 1(ए)/03. श्री एस.सी. शर्मा, तत्कालीन आयकर अधिकारी, रोहतक, श्री ए.के. मेहता, तत्कालीन आयकर अधिकारी, रोहतक और श्री डी.एस. नरवाल, उच्च श्रेणी लिपिक, श्री वी.के. गुप्ता, उच्च श्रेणी लिपिक के विरुद्ध दिनांक 27.01.2003 को दर्ज किया गया है जिन्होंने आपस में और श्री एस.के. बंसल, सनदी लेखाकार, निवासी 1061/23, डी.एल.एफ. कालोनी, रोहतक और श्री नरेश गुप्ता निवासी 81, आदर्श नगर, भिवानी के साथ मिलकर अपराधिक षडयंत्र रचा, जिन्होंने जाली कम्पनियां बनाने के बाद जाली और नकली स्रोत पर कर की कटौती प्रमाणपत्रों के आधार पर टी.डी.एस. वापसियों का दावा करते हुए उक्त कम्पयिनों के नाम से आयकर विवरणियां दायर की जिन्हें सूरत, मुम्बई, थाणे, नई दिल्ली स्थित अस्तित्व और गैर-अस्तित्व वाली कंपनियों द्वारा जारी किया गया बताया गया है तथा वर्ष 1996-2000 के दौरान आय कर विभाग के साथ 11,17,566 रु. की राशि की धोखा धड़ी की।

मामला आर.सी. 2(ए)/03 श्री आर.एस. रंगा तत्कालीन आयकर अधिकारी, भिवानी, श्री वी.के. जैन, कर सहायक (टी.ए.) श्री अशोक के., उ.श्रे.लि., श्री अनिल सिंगला, उ.श्रे.लि., श्री पवन शर्मा, उ.श्रे.लि. के विरुद्ध दिनांक 27.01.2003 को दर्ज किया गया है जिन्होंने आपस में और श्री एस.के. बंसल, सनदी लेखाकार निवासी 1061/23, डी.एल.एफ. कालोनी, रोहतक और श्री नरेश गुप्ता, निवासी 81, आदर्श नगर, भिवानी के साथ मिलकर अपराधिक षडयंत्र रचा, जिन्होंने जाली कम्पनियां बनाने के बाद जाली और नकली टी.डी.एस. प्रमाणपत्रों के आधार पर टी.डी.एस. वापसियों का दावा करते हुए उक्त कम्पनियों के नाम से आयकर विवरणियां दायर की जिन्हें दिसपुर (असम) गुवाहाटी, कोही पुराती, सूरत, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता मेरठ आदि स्थित अस्तित्व और गैर-अस्तित्व वाली कम्पनियों द्वारा जारी किया गया बताया गया है तथा वर्ष 1994-1999 के दौरान आयकर विभाग के साथ 43,38,424 रुपये की राशि की धोखा-धड़ी की।

मामला आर.सी. 6(ए)/03 श्री आर.एस. रंगा, तत्कालीन आयकर अधिकारी, जगरांव, श्री परमजीत सिंह, तत्कालीन आयकर अधिकारी, जगरांव, श्री हरी चन्द्र, तत्कालीन वरिष्ठ टी.ए., श्री साधू सिंह तत्कालीन कर सहायक, श्री राम लुभाया, तत्कालीन कर सहायक के विरुद्ध दिनांक 20.3.2003 को दर्ज किया गया है जिन्होंने आपस में और अमरजीत सिंह तनेजा, वकील, जगरांव श्री हुकुम चन्द गुप्ता, वकील, फरीदकोट और श्री नरेशगुप्ता निवासी 81, आदर्श नगर, भिवानी के साथ मिलकर अपराधिक षडयंत्र रचा जिन्होंने जाली और नकली टी डी एस की कटौती प्रमाणपत्रों के आधार टी.डी.एस. वापसियों का दावा करते हुए व्यक्तिगत नामों से आयकर विवरणियां दायर की जिन्हें मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, लखनऊ आदि में स्थित अस्तित्व और गैर-अस्तित्व वाली कम्पनियों/ फर्मों द्वारा जारी किया गया समझा गया है और आयकर विभाग को 22,37,266 रु. की राशि की धोखा धड़ी की।

इस मामले में उक्त नाम के दोषी व्यक्तियों ने इसी प्रकार टीडीएस वापसियों का दावा करने का भी प्रयास किया था परन्तु उसे विफल कर दिया गया क्योंकि वापसी सूचना पर्चियों को रोक लिया गया था और दोषी व्यक्ति 13,46,390 रु. की वापसियां प्राप्त करने में सफल नहीं हो सके।

उपहारों की घोषणा 330 31

5963. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मैच फिक्सिंग की घटनाओं के मद्देनजर खिलाड़ियों द्वारा अन्य देशों से प्राप्त उपहारों की घोषणा करना अनिवार्य बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, नहीं। इस प्रकार के विनियमन संबंधित खेलों के राष्ट्रीय संघों के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तथापि, किसी व्यक्ति द्वारा आयातित सामानों की घोषणा सीमा शुल्क प्राधिकारियों को करनी पड़ेगी।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विशेष जमा योजना

5964. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1975 में प्रारंभ की गई सरकार की विशेष जमा योजना को बंद करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार की भुगतान संबंधी बाध्यताएं क्या हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

आई.ओ.सी.एल. द्वारा समुदाय विकास कार्यक्रमों के बारे में दिनांक 28.11.2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1743 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): आईओसीएल द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के संबंध में संसद सदस्य प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु द्वारा 28.11.2002 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1743 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में वर्ष 2001-2002 के दौरान विभिन्न राज्यों में विभिन्न सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के लिए इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) द्वारा खर्च की राशि और वर्ष 2002-03 के दौरान व्यय किये जाने के लिए अनुमानित राशि जो क्रमश: 52 लाख रुपये और 86 लाख रुपये दर्शाई गई थीं को कृपया 4.52 करोड़ रुपये और 2.77 करोड़ रुपये पढ़ा जाए। प्रश्न के भाग (क) से (ङ) के संशोधित उत्तर की प्रतिलिपि संलग्न है।

(क) से (ङ) इंडियन आयल कार्पोरेशन लि. पड़ोसी समुदाय के प्रति कार्पोरेशन के सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह करने के उपाय के रूप में मुख्य रूप से पीने के पानी, शिक्षा के विस्तार, स्वास्थ्य, चिकित्सा देखभाल आदि जैसे क्षेत्रों में आमतौर पर अपनी संस्थापनाओं के निकट सामुदायिक विकास कार्यक्रम (सीडीपी) संचालित करता है। आईओसी ये कार्यक्रम महाराष्ट्र राज्य सहित उन अधिकांश राज्यों में संचालित करता है, जहां कार्पोरेशन की कई संस्थापनाएं हैं।

वर्ष 2001-2002 के दौरान आईओसी ने महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में विविध सामुदायिक विकास कार्यक्रमों पर लगभग 4.52 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की। वर्ष 2002-2003 के दौरान अनेक राज्यों में आईओसी द्वारा आरंभ किये जा रहे ऐसे कार्यक्रमों पर लगभग 2.77 करोड़ रुपये लागत आने का अनुमान है।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

मध्याह्न 12.00 बजे

[अनुवाद]

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): महोदय, श्री जसवंतसिंह की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 396 की उपधारा (5) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) राजस्थान स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड और दि राजस्थान स्टेट्स माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड (समामेलन) आदेश, 2003, जो 20 फरवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 207(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 7595/2003]

(दो) दि तमिलनाडु कारपोरेशन फॉर इन्डस्ट्रीयल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (टीएसीआईडी) और स्टेट इंडस्ट्रीज प्रोमोशन कारपोरेशन ऑफ तमिलनाडु लि. (एसआईपीसीओटी) (समामेलन) आदेश, 2003, जो 25 फरवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 217(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7596/2003]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अंतर्गत निदेशक के संबंधी (लाभ का पद और स्थान) नियम, 2003 जो 5 फरवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 89(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7597/2003]

(3) लागत और संकर्म एकाउंटेंट अधिनियम, 1959 की धारा 39 की उपधारा (5) के अंतर्गत लागत और संकर्म एकाउंटेंट संशोधन विनियम, 2003 जो 27 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सीडब्ल्यूआर (1) 2002 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7598/2003]

(4) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 62 के अंतर्गत उक्त अधिनियम के उपबंधों के निष्पादन से संबंधित 1 जनवरी, 2001 से 31 दिसम्बर, 2001 तक की अवधि के लिए इकतीसवें वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 7599/2003]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त): महोदय, श्री जार्ज फर्नान्डीज की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) मझगांव डॉक लिमिटेड और रक्षा उत्पादन तथा आपूर्ति विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2003-2004 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7600/2003]

(दो) गार्डेन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन और आपूर्ति विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2003-2004 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7601/2003]

(तीन) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन और आपूर्ति विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2003-2004 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7602/2003]

(चार) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन और आपूर्ति विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2003-2004 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7603/2003]

(पांच) मिश्र धातु निगम लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन और आपूर्ति विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2003-2004 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7604/2003]

[हिन्दी]

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): महोदय, मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 7605/2003]

[अनुवाद]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): महोदय, श्री अरुण जेटली की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) अंतर्राष्ट्रीय विधि संघ के अप्रैल, 2002 में नई दिल्ली में आयोजित सत्तरवें द्विवार्षिक सम्मेलन से संबंधित प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) अंतर्राष्ट्रीय विधि संघ के अप्रैल, 2002 में नई दिल्ली में आयोजित सत्तरवें द्विवार्षिक सम्मेलन से संबंधित लेखों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) अंतर्राष्ट्रीय विधि संघ के अप्रैल, 2002 में नई दिल्ली में आयोजित सत्तरवें द्विवार्षिक सम्मेलन के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7606/2003]

(3) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13 की उपधारा (3) के अंतर्गत परिषद निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन (बिहार) संशोधन आदेश, 2003, जो 10 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 433(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 7607/2003]

[हिन्दी]

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौडा पाटिल (यत्नाल)): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा एटल पर रखता हूं:

(1) (एक) कार्पेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नोएडा के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कार्पेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नोएडा के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7608/2003]

[अनुवाद]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): महोदय, मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत 10 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 426 (ङ) में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के ईस्ट गोदावरी जिले के मंदापेट, मेदीठा गांव की श्रीम श्री पेपर्स लिमिटेड को अखबारी कागज उत्पादन करने वाली मिल के रूप में अधिसूचित किया गया था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 7609/2003]

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): महोदय, श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 15 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मुम्बई के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7610/2003]

(3) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 तथा 1980 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) पंजाब एण्ड सिंध बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 2003 जो 5 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएसबी/डीएसी/2003 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2002 जो 9 नवम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 2/2002 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) पंजाब एंड सिंध बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2002 जो 6 नवम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएसबी/2002 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) देना बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2002 जो 30 नवम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईआर/अमेंड/04/2002 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) इंडियन ओवरसीज बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2002 जो 21 दिसम्बर, 2002 ने भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएडी/एसयूपी/177 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) इंडियन बैंक अधिकारी सेवा (संशोधन) विनियम, 2002 जो 4 जनवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.एस.आर.सी./223 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) आंध्रा बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2002 जो 22 फरवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 666/20/पी/359 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) कारपोरेशन बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2002 जो 1 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएडी-आईआर-पीईएन: अमेंड: 570:2002-2003 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) कार्पोरेशन बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2002 जो 1 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएडी:आईआर:पीईएन: अमेंड:571:2002-2003 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) इंडियन बैंक कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 2002 जो 1 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफएस.आर.सी. 47 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) इंडियन बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2002 जो 11 जनवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पेंशन: 3/2002 में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) पंजाब नेशनल बैंक कर्मचारी पेंशन (संशोधन) विनियम, 2002, जो 18 जनवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पेंशन: विविध/2002 में प्रकाशित हुए थे।

(4) उपर्युक्त (3) के (दो से चार) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7611/2003]

(5) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (पहला संशोधन) नियम, 2003 जो 11 फरवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 102(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (तीसरा संशोधन) नियम, 2003 जो 13 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 215(अ) में प्राकशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सेनवैट क्रेडिट (तीसरा संशोधन) नियम, 2003 जो 13 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 216(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (पांचवां संशोधन) नियम, 2003 जो 10 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 334(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सेनवैट क्रेडिट (सातवां संशोधन) नियम, 2003 जो 10 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 335(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सेनवैट क्रेडिट (आठवां संशोधन) नियम, 2003 जो 16 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 337(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7612/2003]

(6) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 की धारा 9क के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 336(अ) जो 10 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय सेनवैट क्रेडिट नियम, 2002 के नियम 9क के उपबंधों के निबंधनों के अनुसार निवेशों पर ऋण की राशि विनिर्धारित करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7613/2003]

(7) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 118 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 279(अ) जो 12 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि अंतरण मूल्यांकन अधिकारी

आयकर निदेशक (अंतरण मूल्यांकन) के अधीनस्थ होगा जो इस क्रम में आयकर महानिदेशक (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) के अधीनस्थ होंगे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7614/2003]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): महोदय, मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं:

(1) (एक) प्लास्टिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्लास्टिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7615/2003]

(3) (एक) शैलेक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, कोलकाता के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) शैलेक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, कोलकाता के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7616/2003]

(5) (एक) कैपेक्सासिल, कोलकाता के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कैपेक्ससिल, कोलकाता के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7617/2003]

(7) (एक) तम्बाकू बोर्ड, गुंटूर के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तम्बाकू बोर्ड, गुंटूर के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7618/2003]

(9) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) भारत व्यापार संवर्धन संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत व्यापार संवर्धन संगठन, नई दिल्ली का वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7619/2003]

(11) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) पीईसी लिमिटेड और वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2003-2004 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7620/2003]

(दो) स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड और वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2003-2004 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7621/2003]

(12) तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 4 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 221(अ) जो 25 फरवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो कृषि आयुक्त, कर्नाटक सरकार की नियुक्ति 5 जुलाई, 2004 तक तम्बाकू बोर्ड के सदस्य के रूप में करने तथा 7 दिसम्बर, 1975 की अधिसूचना संख्या का.आ. 5417 में संशोधन करने के बारे में भी है की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 7622/2003]

(13) तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 8 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) का.आ. 1388(अ) जो 30 दिसम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित कतिपय शर्तों के अध्यधीन नियमित और रजिस्ट्रीकृत व्यापारियों और डीलरों को कर्नाटक राज्य में तम्बाकू बोर्ड के नीलामी प्लेटफार्मों पर गैर-रजिस्ट्रीकृत किसानों द्वारा उत्पादित अनधिकृत तम्बाकू की खरीद की अनुमति देने हेतु तम्बाकू बोर्ड को प्राधिकृत किया गया है।

(दो) का.आ. 1389(अ) जो 30 दिसम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 10 के उपबंध के प्रचालन में 28 फरवरी, 2003 तक छूट देने के बारे में है तथा जो तम्बाकू बोर्ड द्वारा प्राधिकृत नीलामी प्लेटफार्मों पर अनधिकृत फ्लू क्योर्ड वर्जिनिया तम्बाकू फसल की बिक्री की अनुमति देने के बारे में भी है।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7623/2003]

अपराह्न 12.01 बजे

वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति

चौवनवां से साठवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): मैं वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बारे में 54वां प्रतिवेदन;

(2) रत्न और आभूषणों के निर्यात के बारे में 55वां प्रतिवेदन;

(3) ऊनी वस्त्र सेक्टर के विकास के बारे में 56वां प्रतिवेदन;

(4) जूट के विकास के बारे में 57वां प्रतिवेदन।

(5) वाणिज्य विभाग (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2003-2004) के बारे में 58वां प्रतिवेदन;

(6) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2003-2004) के बारे में 59वां प्रतिवेदन; और

(7) वस्त्र मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2003-2004) के बारे में 60वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.02 बजे

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति

एक सौ बारहवां से एक सौ सत्रहवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

डा. चरणदास महंत (जांजगीर)): महोदय, मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) पर्यावरण और वन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2003-2004) के बारे में 112वां प्रतिवेदन;

(2) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की अनुदानों की मांगों (2003-2004) के बारे में 113वां प्रतिवेदन;

(3) अंतरिक्ष विभाग की अनुदानों की मांगों (2003-2004) के बारे में 114वां प्रतिवेदन;

(4) महासागर विकास विभाग की अनुदानों की मांगों (2003-2004) के बारे में 115वां प्रतिवेदन;

(5) जैव प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों (2003-2004) के बारे में 116वां प्रतिवेदन;

(6) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों (2003-2004) के बारे में 117वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.04 बजे

सभा का कार्य

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करती हूं कि सोमवार, 5 मई, 2003 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा:

1. आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।

2. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना:

   (1) दिल्ली उच्च न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2003

   (2) निर्वाचन और अन्य संबंधित विधि (संशोधन) विधेयक, 2003

   (3) राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2003

   (4) संविधान (95वां संशोधन) विधेयक, 2003

   (5) संविधान (96वां संशोधन) विधेयक, 2003

   (6) वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन विधेयक, 2000

3. राज्य सभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात् विदेशी (संशोधन) विधेयक, 1998 पर विचार और पारित करना।

4. विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति, 2003 पर चर्चा।

5. मैं सदन को यह भी सूचित करना चाहती हूं कि संविधान (95वां संशोधन) विधेयक, 2003 और संविधान (96वां संशोधन) विधेयक, 2003 को मंगलवार, 6 मई, 2003 को विचार और पारित करने हेतु लिया जाएगा।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): अध्यक्ष महोदय, जिला नासिक (महाराष्ट्र) तहसील दिंडोरी, कलवण, सटाणा, निफाड़ में बीएसएनएल मोबाइल सेवा तुरन्त उपलब्ध की जाए।

नासिक जिला जो पहाड़ी और ग्रामीण एरिया है, वहां की कई जगहों पर टेलीफोन की सुविधा नहीं है। वहां टेलीफोन सुविधा जल्दी से जल्दी शुरू की जाए।

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर): अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले के अंतर्गत नवागांव (सल्का) रेलवे स्टेशन पर 33 एवं 34, 36 लोकल ट्रेन को बिलासपुर-दिल्ली को आने-जाने वाली गाड़ियों का स्टॉपेज किया जो जिससे यात्रियों को सुविधा मिल सके।

बिलासपुर गुरुघासी विश्वविद्यालय, जहां पर मेडिकल कालेज चलाया जा रहा है तथा इंजीनियरिंग कम्प्यूटर विषय, बायो-टैक्नॉलोजी, बीएड, पीएड की पढ़ाई की जाती है, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र नए छत्तीसगढ़ राज्य में उक्त विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्वीकृति प्रदान की जाए।

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी): अध्यक्ष महोदय, उत्तरी बिहार में प्रति वर्ष नेपाल से आयातित बाढ़ के कारण जान-माल की क्षति होती है। सीतामढ़ी जिले में बागमती एवं अधबरा समूह की नदियों पर तटबंध नहीं हैं जिसके कारण बाढ़ के पानी से किसानों की फसल, सड़क, पुल एवं पुलिया प्रति वर्ष बर्बाद होते हैं। केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा किसानों को फसल का कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है। नेपाल सरकार द्वारा बाढ़ नियंत्रण एवं डैम बनाने तथा बाढ़ से उत्पन्न सभी समस्याओं के स्थायी निदान हेतु चर्चा।

उत्तर बिहार के सीमावर्ती जिला सीतामढ़ी में टेलीफोन एक्सचेंज की दयनीय स्थिति के कारण स्थानीय तथा एसटीडी सेवा हमेशा बाधित रहती है जिसके कारण उपभोक्ताओं को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सीतामढ़ी टेलीफोन एक्सचेंज को एसएसए का दर्जा देने हेतु विशेष चर्चा।

श्री बालकृष्ण चौहान (घोसी): अध्यक्ष महोदय, बढ़ते आटोमेशन के कारण कार्य स्थलों पर कामगारों के कार्य भार में वृद्धि के कारण उनके कार्य के घंटों में कमी करने का विधान लाकर सदन में चर्चा करायी जाए।

देश में बढ़ती बेरोजगारी, गरीबी के कारण होने वाली आत्महत्याओं को रोकने हेतु वास्तविक रूप से गरीबी, बेरोजगारी उन्मूलन हेतु "अमीरी हटाओ" की अवधारणा को लागू करने हेतु सदन में बहस करके समुचित विधान लाने के विषय को लिया जाए।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदों को शामिल किया जाए:

1. पाम ऑयल पर आयात शुल्क में कटौती से देश में नारियल उत्पादकों के सामने आने वाली समस्याएं।

2. देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खामियों से आम लोगों के सामने आ रही भिन्न-भिन्न समस्याएं।

अपराह्न 12.08 बजे

कार्यमंत्रणा समिति के पचासवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करती हूं:

"कि यह सभा 30 अप्रैल, 2003 की सभा में प्रस्तुत कार्यमंत्रणा समिति के 50वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा दिनांक 30 अप्रैल, 2003 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्यमंत्रणा समिति के 50वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.09 बजे

345-45

प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य*

भारत-पाक संबंध और हाल के घटनाक्रम के बारे में

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): अध्यक्ष महोदय, 28 अप्रैल की शाम को पाकिस्तान के प्रधान मंत्री श्री जमाली ने मुझसे टेलीफोन पर बातचीत की।

प्रधान मंत्री श्री जमाली ने श्रीनगर में मेरी टिप्पणी तथा भारत-पाकिस्तान संबंधों के बारे में संसद के दोनों सदनों में दिए गए मेरे वक्तव्य की सराहना की और इसके लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने आतंकवाद की भर्त्सना की।

जैसाकि माननीय सदस्यों को मालूम ही है, हम पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध हैं और ऐसा करने के लिए हम किसी भी मौके का लाभ उठाना चाहेंगे। लेकिन हम एक सार्थक बातचीत के लिए अनुकूल वातावरण पैदा करने की आवश्यकता पर बार-बार जोर देते रहे हैं, जिसके लिए यह अत्यंत जरूरी है कि सीमा-पार से आतंकवाद को बंद करके इसके ढांचे का उन्मूलन किया जाये।

हमने अपने द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। इस संबंध में मैंने आर्थिक सांस्कृतिक सहयोग, आदान-प्रदान, दोनों देशवासियों के आपसी सम्पर्क तथा नागरिक उड्डयन संबंधों के महत्व पर बल दिया। इनसे एक ऐसा माहौल पैदा होगा जिसमें हमारे द्विपक्षीय संबंधों के जटिल मुद्दों का समाधान निकाला जा सकेगा। प्रधान मंत्री जमाली ने दोनों देशों के बीच खेल-खूद संबंध फिर से शुरू करने का सुझाव दिया। हम इस बात पर सहमत हुए कि शुरुआती तौर पर, इन कदमों पर विचार किया जा सकता है।

इस संदर्भ में यह निर्णय लिया गया है कि पाकिस्तान में एक उच्चायुक्त की नियुक्ति की जाये तथा आदान-प्रदान के आधार पर नागरिक उड्डयन संबंधों को पुन: स्थापित किया जाये।

मैंने काठमांडू में सार्क सम्मेलन में क्षेत्रीय व्यापार तथा आर्थिक सहयोग के संबंध में लिये गये निर्णयों पर व्यापक प्रगति के महत्व पर भी बल दिया है। काठमाण्डू में हुए समझौतों को कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: सामान्य प्रक्रिया यह है कि हम इस प्रकार के वक्तव्य पर प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देते हैं। हमारी सभा में प्रश्न पूछने की कोई प्रक्रिया नहीं है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): अध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर विषय है। पूरा देश चिन्तित है। पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ाता चला जा रहा है। पाकिस्तान उग्रवादियों को रासायनिक हथियार उपलब्ध करा रहा है। इस स्थिति में पाकिस्तान से बात करने का क्या औचित्य है? *...(व्यवधान)*

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी): अध्यक्ष महोदय, संसद ने इस मामले में एक संकल्प पारित किया था *...(व्यवधान)*

*कार्यालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7624/2003]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यदि आप इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं तो आप कार्यमंत्रणा समिति में आ सकते हैं और समय ले सकते हैं किंतु विशेष तौर पर मैं श्री शिवराज पाटील को एक प्रश्न पूछने की अनुमति दे रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: प्रधानमंत्री को अपराह्न 12.30 बजे दूसरी सभा में जाना है। अत: बीच में टोकाटाकी करके कृपया अनावश्यक रूप से सभा का समय न लें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रधान मंत्री से क्वैश्चन पूछने की इजाजत दी जाये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब कृपया बैठिए। यदि हमारे पास समय हुआ तो आपको प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाएगी।

[हिन्दी]

आप इस तरह का समय क्यों खराब कर रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर): विपक्ष की नेता और कांग्रेस पार्टी यह कहती रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की समस्या को सुलझाने के लिए हमारे देश को बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिये। यह कहते हुए मैं आपसे यह अनरोध करता हूं कि इस मुद्दे को सभा में विचारार्थ लिया जाए और सभी माननीय सदस्यों को दोनों पक्षों की सुविधानुसार बाद में अपना-अपना वक्तव्य देने की अनुमति भी दी जाये।

मुझे माननीय प्रधानमंत्री से एक या दो प्रश्न पूछने हैं और मुझे आशा है कि वे इन प्रश्नों पर कुछ प्रकाश डालेंगे। जनरल जे. गारनर ने कश्मीर मुद्दे पर एक वक्तव्य दिया है। 'द इंडियन एक्सप्रेस' और 'एशियन ऐज' में यह समाचार प्रकाशित हुआ है। मैं इस समाचार का एक भाग इस सभा में पढ़ने हेतु आपकी अनुमति चाहता हूं:

> ''हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हद से हद दिसम्बर 2004 तक चिरस्थायी कश्मीर समस्या का एक स्थायी समाधान निकल आए। अमरीकी सरकार ने इस समस्या को सदा के लिए सुलझाने का निर्णय लिया है। दक्षिण एशिया संसार का सबसे उपद्रवग्रस्त क्षेत्र है क्योंकि यहां पर लोगों के पास व्यापक विध्वंस के हथियार हैं। अपने इतिहास के कारण यह उत्तर कोरिया से भी अधिक खतरनाक है। फिलीस्तीन मुद्दे को सुलझाने हेतु पश्चिमी एशिया में किए गए उपायों के परिप्रेक्ष्य में कश्मीर समस्या को सुलझाया जाएगा।''

क्या सरकार ने इस समाचार को देखा है? क्या सरकार यह पता लगाएगी कि क्या ऐसा कोई वक्तव्य दिया गया है और यदि यह सच है तो सरकार की इस वक्तव्य के संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

हम माननीय प्रधानमंत्री से यह अनुरोध करते हैं कि वे इस मुद्दे पर हमें कुछ बताएं। यह भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत के संबंध में प्रासंगिक है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान के साथ जो बातचीत चल रही है, उसके बारे में सदन को लगातार विश्वास में लिया जाता रहेगा, किसी भी चीज पर पर्दा डालने का सरकार का इरादा नहीं है। लेकिन अगर ज्यादा जोर इस बात पर दिया जायेगा कि क्या बातें हो रही हैं, उन सबका उद्घाटन किया जाए, तो मैं समझता हूं कि चर्चा में उससे सहायता नहीं मिलेगी। अगर सदन अलग चर्चा चाहता है, पूरे भारत-पाकिस्तान संबंधों पर चर्चा चाहता है तो मैं उसके लिए तैयार हूं, समय निकालना अध्यक्ष महोदय आपकी जिम्मेदारी है।

अध्यक्ष महोदय: बिजनेस एडवायजरी कमेटी भी है।

कुंवर अखिलेश सिंह: प्रधान मंत्री जी की इस बात को सदन स्वीकार करता है और अगले सप्ताह इस पर चर्चा की जाए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: चर्चा के समय सदन में उपस्थिति भी अच्छी रहनी चाहिए, यह भी आपको विश्वास दिलाना होगा।

श्री पाटील साहब ने एक प्रश्न पूछा है, उन्होंने किसी जनरल साहब का एक बड़ा उद्धरण दिया है। मैंने भी वह उद्धरण देखा है। हमने उसके बारे में पता लगाने का प्रयास किया है। यह कहना ठीक नहीं होगा कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका का दृष्टिकोण है। इस समय अनेक अटकलें चल रही हैं। पता नहीं कितने लोग ऐसे घूम रहे हैं जो मध्यस्थता करना चाहते हैं। क्या मध्यस्थता करना चाहते हैं, क्यों मध्यस्थता करना चाहते हैं, इसके बारे में वे स्पष्ट नहीं हैं। भारत समझता है कि पाकिस्तान के साथ जो कश्मीर का मामला है, वह एक द्विपक्षीय मामला है और इसमें किसी तीसरे को आने की जरूरत नहीं है, न हम उसे स्वीकार करेंगे। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रधान मंत्री जी ने जब यहां कहा है कि बिजनेस एडवायजरी कमेटी मान्य करेगी, फिर इस पर चर्चा होगी। अभी इस विषय में प्रश्न पूछने की क्या जरूरत है। अभी श्री अरुण जेटली जी का एक बिल इंट्रोड्यूस करना है, अभी वह करेंगे, उसके बाद जीरो ऑवर लेंगे।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.19 बजे

संविधान (छियानवेवां संशोधन) विधेयक*
—पुर:स्थापित
(अनुच्छेद 81, 82, 170 और 330 का संशोधन)

[अनुवाद]

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अरुण जेटली: मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: श्री जी.एम. बनातवाला जी का नोटिस है।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, हमारा पहला नोटिस है यह बहुत गंभीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय: पहला-दूसरा नहीं होता। मैं आपको भी बोलने की इजाजत दूंगा, मैंने आपको मना कहां किया है।

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): जनाब स्पीकर साहब, एक निहायत ही संगीन और तश्वीशनाक सूरतेहाल है कि जो उभर रही है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तफतीश के बहाने और आई.एस.आई. एजेन्ट या टैरिस्ट्स, दहशतगर्द होने के बहाने बेगुनाह मुस्लिम अक्लियती अफरात को परेशान और हैरासां किया जा रहा है। चाहे गुजरात का अहमदाबाद हो या गोधरा हो, चाहे महाराष्ट्र के जिला ठाणे में पडघा का गांव बोखिली हो, मुख्तलिफ जगहें हैं कि जहां ये परेशानियां पुलिस की तरफ से हैं कि पुलिस दहशत का माहौल पैदा कर रही है। ...*(व्यवधान)*

[**جناب جی۔ایم۔ بنات والا (پونانی):** جناب اسپیکر صاحب، ایک نہایت ہی سنگین اور تشویشناک صورت حال ہے کہ جو ابھر رہی ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں تفتیش کے بہانے اور [illegible] مختلف جگہیں ہیں کہ جہاں یہ پریشانیاں پولیس کی طرف سے ہیں کہ پولیس دہشت کا ماحول پیدا کر رہی ہے۔...(مداخلت)]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, सारी स्टेट्स में क्या हो रहा है, अलग-अलग स्टेट्स में क्या हो रहा है, उसका यहां से क्या ताल्लुक है कि वहां किसी को तंग किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, उसका यहां से क्या ताल्लुक है।

इराका कोई ताल्लुक केन्द्र से नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री जी.एम. बनातवाला: वहां पुलिस दहशत का माहौल पैदा कर रही है। ...*(व्यवधान)*

جناب جی۔ایم۔ بنات والا (پونانی): وہاں پولیس دہشت کا ماحول پیدا کر رہی ہے۔...(مداخلت)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री बनातवाला यह राज्य का विषय है। कृपया समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री जी.एम. बनातवाला: अहमदाबाद में साबिक वजीर हरेन पाण्डया के कत्ल के बाद उसकी तफतीश के बहाने बड़ी तादाद में मुस्लिम नौजवानों को परेशान किया जा रहा है। रातों को दरवाजे पर दस्तक देकर पुलिस उठा ले जाती है और मार-पीट करके छोड़ देती है। गोधरा में मौलवी हुसैन ओवरजी को गिरफ्तार करने के बाद एक दहशत का माहौल बना है। यह एक मजहबी शक्सियत हैं जिन्होंने रिलीफ पहुंचाने के काम में और मजलूमों की नुमाइंदगी के काम में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था। जनाब, 20 अप्रैल के हिन्दू अखबार में सारी तफसील आई है। पीपल्स यूनियन फॉर डैमोक्रेटिक राइट्स बतलाता है कि एक-एक सिंगल केस के अंदर 124 लोग हैं जो पोटा में गिरफ्तार किये जाते हैं। एक दहशतगर्दी का माहौल है। इसी तरह से महाराष्ट्र के पडधा के अंदर बोरिविली गांव में दहशतगर्दी का माहौल है। पूरी पुलिस की टीम मुलुंड के बम धमाके की तफतीश के बहाने जबर्दस्त तादाद में गांवों पर नाजिर होकर वहां पर दहशत फैला रही है। लोग सहमे हुए हैं और मामला नाचिन का हो या खोट का हो, तमाम नौजवानों को परेशान किया जा रहा है। भिवंडी और बोरिविली गांव के दरम्यान ट्रांसपोर्ट ठप्प हो गया है। पुलिस जीप्स को रोककर लोगों को परेशान करती है। यह हुकूमत खामोश तमाशाई नहीं रह सकती। इस सिलसिले में हमारी हुकूमत को चाहिए कि जरूरी कदम उठाए और यह परेशानी और परसीक्यूशन जो हो रही है, उसको खत्म किया जाए यह आज जरूरी है। पुलिस ने एक दहशत और खौफ का माहौल पैदा कर दिया है। क्या तमाम मुसलमानों को टैररिस्ट समझा जा रहा है। यह कहां का तरीका होगा? इस चीज को खत्म करने के लिए, कम्युनल हार्मोनी के

---

*भारत के राजपत्र असाधारण भाग-II, खण्ड-2 में दिनांक 2.5.2003 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

[श्री जी.एम. बनातवाला]

लिए, बेगुनाह परेशान न किये जाएं, इसके लिए हमारी हुकूमत जरूरी कदम उठाए।

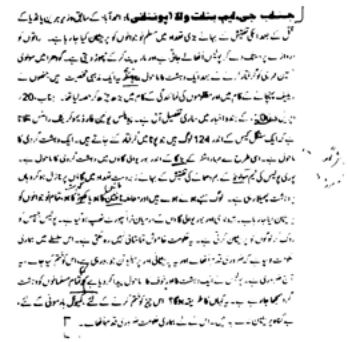

अध्यक्ष महोदय: रामजीलाल सुमन।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: आपने कहा था कि इनके बाद प्रभुनाथ जी को बुलाएंगे।

अध्यक्ष महोदय: मैंने कहा था कि इनके बाद इनका होगा।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): इनका तो झगड़ा होना है, हमारा तो कोई झगड़ा नहीं है। हमें पहले बोलने दीजिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसके बाद जीरो आवर नोटिस भी हैं।

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल (हमीरपुर, उ.प्र.): अध्यक्ष महोदय, यह राज्य का मामला उठा रहे हैं और यह सरासर गलत बात है। *...(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: आपने मुझे बोलने की अनुमति दी है। ये मुझे कैसे रोक सकते हैं? *...(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी (अमरोहा): अध्यक्ष महोदय, यह रोज का किस्सा हो गया है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप इनको जवाब क्यों देते हैं, आपको जो कहना है वह कह सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने विषय सुना नहीं है। मुझे सुनने का तो अधिकार है। बाद में आप अपोज कर सकते हैं नहीं तो मैं निर्णय दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के युवा संगठन समाजवादी युवजन सभा का कार्यालय जो लालबहादुर शास्त्री मार्ग, लखनऊ पर है *...(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी: उससे कोई संबंध नहीं है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जो कुछ अभी कहा, उसमें क्या गलत है?

श्री रामजीलाल सुमन: इस तरह से ये मेरी बात को रोकेंगे? क्या बात है? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप क्यों देखते हैं उनकी तरफ? आप आसन की तरफ देखिये और बोलिये।

...(व्यवधान)

प्रो. रीता वर्मा (धनबाद): अध्यक्ष महोदय, रामजीलाल सुमन जी को शिष्टाचार की शिक्षा देनी चाहिए। इनको बिल्कुल शिष्टाचार नहीं है। ये ऐसे बोलते हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री राशिद अलवी, इसके बाद उन्होंने जो कुछ कहा आप उसका विरोध कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: इन्होंने 'शून्य काल' के दौरान मामला उठाने की अनुमति मांगने संबंधी सूचना दी है। हम उन सूचनाओं को स्वीकार करते हैं जिनमें 'शून्य काल' के दौरान राज्य के मामलों को उठाने की अनुमति मांगी जाती है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, यदि आप श्री अलवी जी को नहीं रोकेंगे और इनका यही रवैया रहेगा, तो मैं कैसे बोल पाऊंगा। *...(व्यवधान)*

प्रो. रीता वर्मा: अध्यक्ष महोदय, पहले माननीय रामजीलाल सुमन को शिष्टाचार की शिक्षा दिलाई जाए। *...(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: मैं आपसे शिष्टाचार की शिक्षा ले लूंगा। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, लखनऊ में लाल बहादुर शास्त्री मार्ग पर समाजवादी पार्टी के युवा संगठन, युवजन सभा का कार्यालय था। कभी वह कार्यालय समाजवादी पार्टी का प्रदेश कार्यालय हुआ करता था, लेकिन पार्टी बढ़ी और जगह की कमी पड़ी, तो पार्टी का प्रदेश कार्यालय विक्रमादित्य मार्ग पर स्थानांतरित कर दिया गया और वहां युवजन सभा का कार्यालय रह गया।

महोदय, राज्य सरकार ने उसे खाली करने का नोटिस भेजा। उस नोटिस के खिलाफ हम इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ की खंडपीठ अदालत में गए। इस बारे में समाचार भी छपा है, मैं पढ़ देता हूं कि ''सुनवाई के दौरान अनुरोध किया गया कि इस मुकदमे को एकलपीठ द्वारा न सुना जाए बल्कि दो न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सुना जाए...'' ...*(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी: अध्यक्ष महोदय, यह स्टेट मैटर है, इसे इस सदन में नहीं उठाया जा सकता ...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, न्यायालय का आदेश मेरे हाथ में है। इसमें लिखा है कि कार्यालय को खाली करने की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह लखनऊ पीठ का आदेश है। आज उस पर सुनवाई की तारीख थी। स्थगन आदेश प्राप्त हो गया था। स्थगन आदेश प्राप्त होने के बावजूद वह मकान उ.प्र. सरकार ने खाली करा लिया और अमरमणि त्रिपाठी को आबंटित कर दिया। ...*(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी: अध्यक्ष महोदय, यह स्टेट मैटर है, इस पर यहां बोलने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सुमन जी, आप कन्क्लूड कीजिए।

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, वह मकान जबरिया खाली कराया गया और श्री त्रिपाठी को दिया गया। हम न्याय चाहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार हमारे साथ सरासर अन्याय कर रही है। यह गम्भीर मामला है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मिस्टर सुमन, चूंकि यह गम्भीर मामला है, इसलिए आपको बोलने का समय दिया। इसका मतलब यह नहीं है कि आप ही बोलते रहेंगे। आपकी पार्टी के दूसरे सांसद कुंवर अखिलेश सिंह ने भी नोटिस दिया है। आप उन्हें भी नहीं बोलने दे रहे हैं। किसे बोलने का मौका देना है और किसे नहीं, यह मुझे तय करना है। मैंने कुंवर अखिलेश सिंह को अपनी बात कहने का अवसर दिया है।

...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, कोर्ट का आदेश होने के बावजूद कार्यालय जबरिया खाली कराया गया। यह गम्भीर मामला है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या आप अपनी पार्टी के दूसरे मैम्बर को भी नहीं बोलने देंगे?

[अनुवाद]

कुंवर अखिलेश सिंह, आप इस मुद्दे पर बोल सकते हैं। आप केवल इसी मुद्दे पर ही बोलें।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के एक अपराधी मंत्री जिनके ऊपर माननीय उच्च न्यायालय ने अभी एक लाख रुपये का जुर्माना किया और जो अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हैं तथा जिन्हें एक बच्चे के अपहरण के मामले में राजनाथ सिंह की सरकार ने जेल में डाल दिया था। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल: अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से किसी व्यक्ति पर, जो इस सदन में उपस्थित नहीं है, आरोप नहीं लगाए जा सकते हैं। माननीय सदस्य स्पष्ट आरोप लगा रहे हैं। मेरा आग्रह है कि उन्हें ऐसा करने से रोका जाए। हमें मालूम है कि इनकी पार्टी में ऐसे-ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर 100 मुकदमे चल रहे हैं ...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह: माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपसे यह कहना है कि इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ ने एक स्थगन आदेश दिया और उसके अनुसार माननीय उच्च न्यायालय ने समाजवादी पार्टी के युवजन सभा कार्यालय की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ में लोकतंत्र का चीरहरण हुआ।

पुलिस ने विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के विरोधी दल के नेता ...*(व्यवधान)* श्री अहमद हसन की पिटाई की, उन्हें घसीटकर गिरफ्तार किया।

अध्यक्ष महोदय: अलवी जी, आप बोलिए।

...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह: महोदय, हमारी बात पूरी होने दीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रनाथ सिंह (मछलीशहर): अध्यक्ष महोदय, हमारा भी नोटिस है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं सभी को बोलने की इजाजत नहीं दूंगा। जो विषय है, वह सदन के सामने आ गया है, मैं सभी को बोलने की इजाजत नहीं दे सकता हूं।

...(व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह: महोदय, अलवी जी बोलें, हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें अपनी बात पूरी कहने दीजिए। मैं दो मिनट में अपनी बात पूरी कर दूंगा। माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ ने जो आदेश दिया है, उसका अनुपालन नहीं किया गया। विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के, विरोधी दल के नेता अहमद हसन सहित कई विधायकों और विधान सभा सदस्यों को गिरफ्तार करके, न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करके जबरदस्ती उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री के इशारे पर *...(व्यवधान)* समाजवादी युवजन सभा के कार्यालय को खाली कराया गया।

अध्यक्ष महोदय: यह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: इस विषय को यहां बोलने की क्या जरूरत है?

...(व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह: महोदय, सभी राज्यों में सभी दलों के कार्यालय हैं, अगर इस हरकत पर अंकुश नहीं लगाई गई *...(व्यवधान)* तो किसी पार्टी का कार्यालय सुरक्षित नहीं रहेगा।

अध्यक्ष महोदय: यह लोक सभा का विषय नहीं बन सकता है, यह विधान सभा का विषय है। मैं इसके लिए यहां बोलने की इजाजत नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप इसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री चन्द्रनाथ सिंह: महोदय, हमारा भी नोटिस है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: देखिए, बहुत से लोग बोलने वाले हैं। चन्द्रनाथ सिंहजी, आप तो बहुत समझदारी से काम करते हैं, बहुत अच्छे माननीय सदस्य हैं।

श्री राशिद अलवी: अध्यक्ष महोदय, मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि इस लोक सभा और पार्लियामेंट की गरिमा अगर नहीं रहेगी तो किसी भी बहस का कोई मतलब नहीं रहेगा। *...(व्यवधान)* महोदय, ये फिर बीच में बोल रहे हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप यदि सोचते हैं कि इन्हें बोलने का अधिकार नहीं है तो मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। अलवी जी, आप बोलिए, आप जो बोलेंगे मैं उसे रिकार्ड पर लूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपा कर बैठ जाइए। अलवी जी, कितना भी शोर मचे, आपको जो बोलना है, वह बोलिए और जल्दी अपनी बात पूरी कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल: महोदय, आपने हमें आदेश दिया कि आप बैठ जाएं तो हम बैठ गए। इन्हें भी दूसरे की बात को सुनना चाहिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने इन्हें बैठने के लिए कहा है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री राशिद अलवी, जहां तक हो सके आप संक्षेप में बोलें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने उनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के साथ श्री चन्द्रनाथ सिंह, श्री रवि प्रकाश वर्मा और प्रोफेसर एस.पी. सिंह बघेल का नाम सम्बद्ध किया है।

[हिन्दी]

ये एसोसिएट कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री चन्द्रनाथ सिंह: महोदय, मेरा अलग नोटिस है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अगर आपका अलग नोटिस है तो मैं आपको बाद में बोलने का मौका दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मेरे पास 22 नोटिस हैं, क्या दूसरे माननीय सदस्यों को बोलने का अधिकार नहीं है?

श्री चन्द्रनाथ सिंहः महोदय, आप मुझे आधा मिनट बोलने की इजाजत दे दीजिए।

अध्यक्ष महोदयः अभी मैं आपको आधा मिनट का समय भी बोलने के लिए नहीं दूंगा, बाद में दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आप इस मामले को यहां नहीं उठा सकते, इसके लिए कोर्ट है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः मुझे पहली बार ही इसे अस्वीकार कर देना चाहिए था। जबकि मैंने आपके मसले पर विचार किया है, अन्य सदस्यों के लिए आपके मन में कोई सहानुभूति नहीं है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः यदि आप सोचते हैं कि यह महत्वपूर्ण विषय है तो मैं फिर कहूंगा कि यह स्टेट सब्जैक्ट है, विधान सभा में आ सकता है।

...(व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंहः महोदय, विधान सभा चल नहीं रही है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः आप कोर्ट में जाइए, वहां आपको इस विषय का उत्तर मिलेगा, यहां नहीं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः श्री राशिद अलवी, आप केवल यह वक्तव्य दे सकते हैं कि यह सब गलत है। बस इतना ही करिये।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवीः अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा लम्बी बात नहीं करना चाहता और न ही मैं किसी राजनीतिक दल के खिलाफ कुछ बोलना चाहता हूं। मैं पहले अपनी पार्टी से बात शुरू करता हूं। अगर मेरी पार्टी के लोग या मैं खुद लोक सभा के नियम तोड़ूं तो आप सख्त से सख्त कार्यवाही करें। *...(व्यवधान)* महोदय, ये फिर बीच में बोल रहे हैं। अगर इस लोक सभा की गरिमा नहीं रहेगी तो कोई बात करने का, किसी डिसकशन का मतलब नहीं रहेगा। लोक सभा कोई कुश्ती लड़ने का दंगल नहीं है। *...(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंहः उत्तर प्रदेश में ये रोज दंगल करा रहे हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः आप बैठिए, आपकी पार्टी का नाम भी उन्होंने नहीं लिया।

[अनुवाद]

कृपया बैठिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः आपको मेरा पूरा संरक्षण है, आप बोलिये।

श्री राशिद अलवीः जिस अंदाज में यह सब हो रहा है, देश के अन्दर इसका कोई अच्छा संकेत नहीं जा रहा है। *...(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमनः अध्यक्ष महोदय, हम आपका संरक्षण चाहते हैं। जब वहां विधान सभा नहीं चलती है तो इनसे पूछिये कि कहां जायें। ये उत्तर प्रदेश विधान सभा का सत्र बुला दें तो हम आपको यहां कष्ट नहीं देंगे। हम विधान सभा में बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन विधान सभा में जब अविश्वास प्रस्ताव पर नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जाये, बजट बगैर बहस के पास हो जाये तो क्या किया जाये? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः इसके लिए आपको राज्यपाल का संरक्षण लेना चाहिए, यहां क्यों संरक्षण मांग रहे हो।

श्री राशिद अलवीः अगर असेम्बली में इनकी इतनी दिलचस्पी है तो इन सब को वहां भिजवा दीजिए, इससे लोक सभा भी ठीक चलेगी और असेम्बली में ये जो चाहेंगे, करेंगे। एक तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि एम.पीज. को, मैं खास तौर से इनका नाम नहीं लेता, बुलाकर यह समझा दीजिए कि लोक सभा किस तरह चलती है। हमारे पूर्वजों ने जो *...(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह: ये बताएंगे कि लोक सभा कैसे चलेगी? विधान सभा का तो इन्होंने कबाड़ा कर दिया, राज्य का तो इन्होंने कबाड़ा कर दिया, अब ये आपको नसीहत दे रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप नहीं बोलना चाहते हैं क्या? मैंने तीन बार आपको बोलने का मौका दिया, लेकिन आप विषय छोड़कर बोल रहे हैं कि लोक सभा कैसे चलनी चाहिए, विधान सभा कैसे चलनी चाहिए। यह विषय यहां थोड़े ही है, यह जीरो ऑवर में नहीं चल सकता। प्रभुनाथ सिंह जी, आप बोलिये, आप दोनों बैठिये।

श्री प्रभुनाथ सिंह: आप हमें बोलने दीजिए, स्पीकर साहब हमें बुला रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी: आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो यह तो गलत बात होगी। आप मुझे बोलने की इजाजत तो दीजिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप उनकी तरफ देखकर क्यों बोलते हैं?

[अनुवाद]

श्री राशिद अलवी: महोदय, सभा आपके द्वारा चलाई जाएगी किसी अन्य के द्वारा नहीं। जब अपने मुझे बोलने का मौका दिया है तो ये समस्या पैदा क्यों कर रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: प्रभुनाथ सिंह जी, इनको दो सेंटेंस बोलने दीजिए। आप चार्जेज का तो खंडन नहीं करते और दूसरी बातें कह रहे हैं। कोड ऑफ कंडक्ट पर कमेटी में हम लोग चर्चा करेंगे, यहां नहीं।

श्री राशिद अलवी: मेरा इतना ही कहना है कि हाउस को ठीक तरह से कंडक्ट करना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ये आपको कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप क्यों गुस्से में होते हैं, बैठिये। आपको कुछ नहीं बोलते हैं, तो मैं आप खड़े होते हैं, आपको सुबह-सुबह क्या हुआ? आप घर से यहां गुस्सा करके आये हैं क्या?

श्री राशिद अलवी: स्टेट मैटर्स अगर लोक सभा में रोज उठाएंगे और अगर एडजर्नेंट मोशन दे देंगे ...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह: ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने उन्हें बोलने की परमीशन दी है।

[अनुवाद]

कृपया अब उन्हें परेशान न करें।

[हिन्दी]

आप रुकावट मत डालिये, आप बैठिए। रुकावट डालने की कोई जरूरत नहीं है। राशिद अलवी जी, आप बोलिये। आपको अध्यक्ष का इतना संरक्षण होते हुए जो मूल मुद्दा है, आप उस पर नहीं बोलते।

श्री राशिद अलवी: अध्यक्ष महोदय, ये लोग रोजाना एडजर्नेंट मोशन दे देते हैं, आप इन्हें यहां इजाजत दे देते हैं और ये यहां हंगामा करते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं, मेरा यही बोलने का मकसद है।

अध्यक्ष महोदय: मैं इस विषय पर आपको बोलने नहीं दूंगा, क्योंकि इजाजत देने का मेरा अधिकार है और उस अधिकार से मैं काम कर रहा हूं। इनको इजाजत देना या नहीं देना मेरा काम है, वह मैं करूंगा। इसके लिए मुझसे चैम्बर में आकर मिलें, मैं बता दूंगा, क्या करना है।

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल: आपको हमारे नेता को सुनने के लिए दो मिनट का माद्दा तो रखना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं उन्हें पूरा संरक्षण दे रहा हूं, लेकिन ये विषय पर बोलते ही नहीं हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल: आपके आदेश का हम पूरा अनुपालन कर रहे हैं, लेकिन आप खड़े हो जाते हैं। ...*(व्यवधान)* दूसरे लोग यहां दुनिया भर के विषय ला सकेंगे ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपके नेता को संरक्षण दे रहा हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे ...*(व्यवधान)*

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल: हमारे नेता को भी बोलने दिया जाये। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, हम लोग बैठकर सुनते रहते हैं और जब आप हमारा नाम पुकारते हैं तो ये समय नहीं देते हैं। इस व्यवस्था को ये लोग

अव्यवस्था न बनायें, नहीं तो हम लोगों को भी अव्यवस्था करनी पड़ेगी। हम लोग बैठकर सुनते हैं, जब आप नाम पुकारते हैं तो इनको भी बैठना चाहिए, यह क्या मजाक बनाकर रखा हुआ है, यह अच्छी बात नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं अंतिम बार तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं कि आप केवल इसी विषय पर बोलें किसी अन्य विषय पर नहीं।

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी: अध्यक्ष महोदय, जीरो ऑवर में कोई दूसरा मुद्दा उठाने का मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद यही है कि यह हाउस ठीक तरह चलना चाहिए, नियम के अनुसार चलना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं और आपका समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, ये हाउस का समय बर्बाद कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी: अध्यक्ष महोदय, हाउस ठीक तरह से चलना चाहिए, नियमों के अनुसार चलना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपसे सहमत हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी: यह न हो कि कोई भी इश्यू उठा दिया जाये, यही मैं कहना चाहता हूं। इसके अलावा मुझे कुछ और नहीं कहना है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपसे सहमत हूं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह देश कानून का देश है और कानून पर ही यह देश चलता है लेकिन इस देश का एक भाग ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे खुशी है कि सभी लोग कानून और नियम की बात कर रहे हैं।

अपराह्न 12.43 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

पटना में आयोजित की गयी कथित "लाठी रैली" जिससे राज्य में कानून और व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गई, के बारे में

[हिन्दी]

...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, इस देश का एक प्रांत बिहार है जहां कानून की धज्जियां उड़ी हुई हैं। वहां 30 अप्रैल को राजद द्वारा लाठी रैली निकाली गयी थी। उसके एक दिन पहले संध्या से ही हत्या का दौर शुरू हो गया। 30 अप्रैल को एक सुनियोजित तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री सत्य नारायण सिन्हा की हत्या कर दी गई। आज पूरे बिहार में अराजकता की स्थिति पैदा हुई है। वहां तनाव का वातावरण बना हुआ है। सरकार बिहार के मामले में चुप्पी साधे रहती है।

मैं कहना चाहता हूं कि आखिर संविधान की धारा 356 बनाई गयी है, वह किस परिस्थिति में उपयोग में लाने के लिए बनायी गयी है? आज बिहार में वे सारी परिस्थितियां उत्पन्न हो गयी हैं जिनके तहत केन्द्र सरकार धारा 356 का उपयोग करके वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है। उसी तरह जो आतंकवाद का कानून बनाया गया है कि जिस व्यक्ति के चलते या जिसके एक्शन से कहीं आतंकवाद की स्थिति पैदा होती हो तो उस पर पोटा कानून लगाया जाये। चूंकि बिहार सरकार पर पोटा कानून नहीं लग सकता लेकिन श्री लालू प्रसाद यादव पर यह कानून लगना चाहिए। इसलिए हम चाहेंगे कि सरकार वहां राष्ट्रपति शासन लागू करे और श्री लालू प्रसाद यादव को पोटा कानून के तहत गिरफ्तार करके जेल में बंद किया जाये ताकि बिहार का वातावरण दुरुस्त हो सके और बिहार में कानून का राज आ सके।

यहां पर सरकार के मंत्री बैठे हुए हैं। बिहार के घटना के बारे में आये दिन अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और आपकी इजाजत से हम लोक सभा में सरकार को अवगत कराने का काम करते हैं लेकिन सरकार की तरफ से किसी रह का कोई रिस्पांस नहीं दिया जाता। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर वरिष्ठ मंत्री श्री शरद यादव जी बैठे

[श्री प्रभुनाथ सिंह]

हुए हैं. दूसरा और कोई मंत्री नहीं है, इसलिए वे सरकार की ओर से बतायें कि ये लोग बिहार के मामले में क्या करने वाले हैं या ये भी चुपचाप बिहार में वही स्थिति बनाना चाहते हैं जो बिहार में अभी बनी हुई है। वहां अराजकता की स्थिति के चलते गांव के गांव तनाव से गुजर रहे हैं। वहां कोई भी व्यवसायी अपना व्यवसाय चलाने की स्थिति में नहीं है। स्कूल कालेज बंद हो रहे हैं तथा कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को स्कूल भेजने की स्थिति में नहीं है। हम चाहेंगे कि आपके निर्देश पर सरकार यहां बताये कि वे बिहार के मामले में क्या करने जा रही है? ...*(व्यवधान)*

श्री कीर्ति झा आजाद (दरभंगा): अध्यक्ष महोदय, हम भी बोलना चाहते हैं। जब से यह सैशन शुरू हुआ है तब से मैं आपसे कह रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपका नाम मैं एसोसियेट करूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री कीर्ति झा आजाद: हम एसोसिएट करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जब से सैशन शुरू हुआ है तब से हम कह रहे हैं कि आप बिहार पर चर्चा कराइये।

...*(व्यवधान)*

श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर): अध्यक्ष महोदय, उस हत्या में श्री लालू प्रसाद यादव का सीधा हाथ है क्योंकि श्री सत्य नारायण सिन्हा की हत्या उनके समधी के घर के दरवाजे पर खींचकर हुई है। वहां गोली चलाई गयी जिसमें श्री सत्य नारायण सिन्हा की मौत हुई। ...*(व्यवधान)* आज पूरे बिहार में आतंक फैला हुआ है। ...*(व्यवधान)* कल भाजपा के एक कार्यकर्ता को गोली मार दी गयी जिसके कारण पूरे बिहार में दंगे की स्थिति है। आतंकवाद का साया वहां लोगों को डराये हुए है। पटना को लाठी रैली के कारण कोई भी दुकानदार अपनी दुकान नहीं खोल सका। पटनावासी सड़कों पर नहीं आ सके। मैं श्री प्रभुनाथ सिंह जी से शतप्रतिशत सहमत हूं कि वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जाये और पोटा कानून में श्री लालू प्रसाद यादव और उनके रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया जाये नहीं तो बिहार की स्थिति भयंकर होती जायेगी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कीर्ति आजाद जी, आप बोलिये।

...*(व्यवधान)*

श्री कीर्ति झा आजाद: अध्यक्ष महोदय, उनकी आवाज ही इतनी तेज है कि हमारी आवाज उसमें डूब जायेगी। मैं एसोसियेट करता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आज सौभाग्य से श्री रघुवंश बाबू यहां नहीं हैं नहीं तो आपकी आवाज और डूब जाती।

...*(व्यवधान)*

श्री कीर्ति झा आजाद: अध्यक्ष महोदय, जब से सदन शुरू हुआ है तब से मैं कह रहा हूं कि आप बिहार पर चर्चा कराइये। वहां जिस प्रकार से लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, दुराचार हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है आदि बातें हमने आपके सामने रखी थीं। मैं कहना चाहता हूं कि फर्जी मुठभेड़ में वहां जिस प्रकार से लोग मारे जा रहे हैं, अब तो बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि हर हफ्ते या दस दिन बाद राजद सरकार के किसी न किसी मंत्री को अपना पद छोड़ना पड़ता है क्योंकि उसने या तो अपहरण किया है या बलात्कार किया है या लूट-खसोट की है। इसके साथ-साथ वहां ऐसी भी स्थिति आयी है कि जब सैनिक बैंकों से पैसा निकालकर बाहर निकलते हैं, तो उनको गोली मार दी जाती है।

वे जो दो-तीन हजार रुपये निकालते हैं, वे भी लूट लेते हैं। मुठभेड़ों में लोगों को मारा जा रहा है। लाठियां चलाते हैं, उसमें मतलब नहीं है, सवाल यह है कि हम लोकतंत्र की रक्षा किस प्रकार करेंगे। सत्यनारायण सिन्हा जी ने वहां चुनाव लड़ा था, उनको मार दिया गया। किसकी जगह पर मारा गया, यह लाल मुनि चौबे जी ने आपके सामने कह दिया। वहां धारा 356 लगाने की जो बात कही गई है, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं। जो हत्याएं हुई हैं, उनकी सी.बी.आई. जांच करवाई जानी चाहिए कि वहां क्या हो रहा है। वहां अराजकता फैल रही है, लूट-खसोट हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं और कांग्रेस देख रही है, समर्थन कर रही है। यानी जब यह चुप्पी साधे बैठी है तो इसका मतलब यह हुआ कि कांग्रेम लूट, बलात्कार सबका समर्थन करती है। ...*(व्यवधान)* कांग्रेस पार्टी का मंथन होना चाहिए। इसका मतलब है कि यह बलात्कार में सहयोगी है, लूट में सहभागी है। इनके विचार सामने आने चाहिए कि ये क्या कहना चाहते हैं। आप देखिए, इसे लेकर ये हमारे साथ यहां आकर बैठ गए क्योंकि ये अपनी पार्टी का खुद समर्थन नहीं करते, इसलिए इधर आ गए। मैं कहना चाहता हूं कि हत्यारों के ऊपर सी.बी.आई. इन्क्वायरी हो। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने इस विषय पर चर्चा नहीं शुरू की है और न ही इस विषय पर आपका नोटिस है।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती रेनु कुमारी (खगड़िया): अध्यक्ष जी, क्या उनका नोटिस था?

अध्यक्ष महोदय: मैंने उनको बिल्कुल इजाजत नहीं दी थी।

...(व्यवधान)

श्री कीर्ति झा आजाद: हम चाहते हैं कि धारा 356 लगाई जाए। इसमें कांग्रेस का नाम भी बदनाम हो रहा है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कीर्ति आजाद जी, आप बैठिए।

श्री कीर्ति झा आजाद: उन हत्याओं, विशेष कर सत्यनारायण सिन्हा जी की, के बारे में सी.बी.आई. इन्क्वायरी हो। उसके ऊपर ये अपने विचार व्यक्त करें कि सरकार क्या करना चाहती है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप मंत्री जी को बोलने से नहीं रोक सकते।

श्री कीर्ति झा आजाद (दरभंगा) आप रोज देखते हैं, रोज अखबारों में आता है, इलैक्ट्रानिक मीडिया में आता है। यह कब तक चलेगा? *...(व्यवधान)*

श्रीमती रेनु कुमारी: अध्यक्षजी, मेरा नाम भी इसमें सम्मिलित कर लें, हम भी भुक्तभोगी हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हम आपका नाम भी इस विषय के साथ ऐसोसिएट करते हैं।

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष जी, महिला सदस्य बोलना चाहती हैं। *...(व्यवधान)* यह महिला का मवाल है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: दूसरे माननीय सदस्यों के विषय भी लेने हैं।

श्री प्रभुनाथ सिंह: इनको सिर्फ एक मिनट का समय दे दीजिए।

श्री कीर्ति झा आजाद: उन्होंने विवाहित महिला का अपहरण किया। *...(व्यवधान)* नेशनल काउंसिल फार वूमैन की अध्यक्षा *...(व्यवधान)*

श्रीमती रेनु कुमारी: अभी बिहार के संबंध में माननीय सांसद प्रभुनाथ सिंहजी, श्री चौबे और श्री कीर्ति आजाद जी ने जो चिन्ता व्यक्त की है, मैं उस चिन्ता से अपने आपको जोड़ती हूं और आपसे आग्रह करके कहना चाहती हूं, बिहार की जो स्थिति है और भारत सरकार जो निष्क्रिय बनी हुई है, अगर इस तरह की स्थिति बनी रहेगी तो हमारे जैसे जनप्रतिनिधियों का जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं, आप न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं, बिहार में धारा 356 लागू करके राष्ट्रपति शासन लागू करवाएं, अपराधियों को पोटा के अंतर्गत बंद करवाएं और न्याय करें। *...(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह: उत्तर प्रदेश की स्थिति भी खराब है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने उनको इजाजत नहीं दी है।

[अनुवाद]

श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह (प्रतापगढ़): मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहती हूं कि पर्यावरण और वन मंत्री, भारत सरकार ने एक पुस्तिका वितरित की है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, यह बिहार का मामला कहां है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप इसी विषय पर बोलिए।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: बिहार का मामला बहुत गंभीर है। वहां आग लगी हुई है, सारा बिहार जल रहा है। जैसे अभी वर्णन किया गया, वहां हत्याएं की गई हैं। सबसे बड़ी कठिनाई, कहा गया कि धारा 356 लगाई जाए। उसका बाद में राज्य सभा और लोक सभा में रैक्टीफिकेशन होना है और कांग्रेस सरकार उनका खुल कर समर्थन करती है। पहले भी जब धारा 356 लगी थी तब कांग्रेस पार्टी ने राज्य सभा में उसे रद्द कर दिया जिससे यह कठिनाई पैदा हुई। वहां भयंकर भ्रष्टाचार है, हजारों लोगों को तनख्वाह नहीं दी जा रही हैं और लाठी रैली में स्टेट का पचासों करोड़ रुपया खर्च कर दिया गया। लोगों की सारी बसें ले ली गईं। लोगों को बसों में लाया गया। वहां जंगल राज कायम किया हुआ है। ऐसी हालत में कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा जिम्मेदार है जो इसका समर्थन कर रही है। *...(व्यवधान)* वहां इतना कुछ हो रहा है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा): वे सभी समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं। वे कांग्रेस पर दोष क्यों लगाते हैं? *...(व्यवधान)* वे इन सबका उल्लेख क्यों कर रहे हैं? वे कानून और व्यवस्था संबंधी समस्या उत्पन्न कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री कीर्ति झा आजाद: यह लूटमार करने वालों का समर्थन करती है। ...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया): माननीय श्री प्रभुनाथ जी द्वारा उठाए गए विषय से मैं गृह मंत्री जी को सूचित कर दूंगी।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): उत्तर प्रदेश के बारे में गृह मंत्री जी को सूचित कीजिए, उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत खराब है। वहां लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह (प्रतापगढ़): महोदय, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार ने एक बुलेटिन, मांट्रियाल प्रोटोकोल: इंडियाज एक्सेस स्टोरी जारी की है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: कुंवर अखिलेश सिंह जी, एक महिला बोल रही हैं। बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह (प्रतापगढ़): इस बुलेटिन में, सरकार ने ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले पदार्थों के बारे में लिखा है।

यूएनडीपी ने सरकार को काफी सहायता दी है ताकि इन कारखानों को पुनर्स्थापित किया जा सके और इस ओजोन को हानि पहुंचाने वाले इन पदार्थों को देश के कार्यक्रम के अंतर्गत चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जा सके। हमारे देश को इसके लिए यूएनडीपी से 125 मिलियन डालर से अधिक की राशि प्राप्त हुई है किंतु गत कुछ वर्षों से हमारे ध्यान में यह बात लाई गई है कि कल्पित कंपनियों को भी यह राशि दी गई है। ये कल्पित कंपनियां सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं कर रही हैं; केवल सनदी लेखाकारों की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है और वे इस रचना में नहीं आती है। अत: मैं भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय से यह अनुरोध करूंगा कि वह यह कुछ ऐसे कदम उठाये कि जिससे सही कंपनियों को ही यह धनराशि प्राप्त हो।

श्री वी. वेत्रिसेलवन (कृष्णागिरि): माननीय अध्यक्ष महोदय, तमिलनाडु के लोग लंबे समय से यह मांग कर रहे हैं कि वे तमिल भाषा को एक प्राचीन भाषा के साथ-साथ राजभाषा घोषित करें।

तमिल प्राचीनतम भाषा है और इसका 2,000 वर्षों से अधिक पुराना इतिहास है। यह भाषा भाषा की पुरातनता, विशिष्टता, आम स्वीकार्यता, नैसंगिकता और संस्कृति, दूसरी भाषा से प्रभावित न होना आदि सभी मानदंडों को पूरा करती है जो किसी भाषा को एक प्राचीन भाषा घोषित करने हेतु आवश्यक है। विश्व की 600 महत्वपूर्ण भाषाओं में से केवल छह भाषाओं का 2000 वर्षों से अधिक का इतिहास है और तमिल भाषा उनमें से एक है।

हमारे द्रमुक नेता माननीय कालिंगार करुणानिधि, पूर्व मुख्यमंत्री, तमिलनाडु ने भारत के प्रधानमंत्री को तमिल भाषा को एक प्राचीन भाषा घोषित करने हेतु पत्र लिखा है। इसके अतिरिक्त, मैसूर स्थित केन्द्रीय भाषा संगठन ने भी तमिल को प्राचीन भाषा के साथ-साथ राजभाषा घोषित करने की सिफारिश की है। अत: मैं माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे प्राथमिकता के आधार पर हमारे डीएम के नेता और तमिलनाडु के लोगों की मांग पर विचार करें और तमिल को प्राचीन भाषा के साथ-साथ राजभाषा घोषित करें ...*(व्यवधान)*

श्री टी.एम. सेल्वागनपति (सेलम): महोदय, माननीय मुख्यमंत्री ने भी यह मांग की है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति: महोदय, मुझे भी सम्बद्ध होने दीजिए।

तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री ने भी माननीय प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा है और उनसे तमिल को राजभाषा घोषित करने को कहा है। हमने बार-बार इस मांग को दुहराया है। इसकी निरंतर उपेक्षा की जा रही है ...*(व्यवधान)* लगभग 15 करोड़ लोग तमिल भाषा बोलते हैं।

अध्यक्ष महोदय: आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं, आप भाषण नहीं दे सकते हैं।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति: महोदय, सरकार को इस मांग पर अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए क्योंकि यह मांग आजादी के समय से ही की जा रही है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

सभा में काफी हो-हल्ला हुआ था क्योंकि तमिल को राष्ट्रीय राजमार्गों के सूचना पट से हटा लिया गया था। ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि तमिल सरकारी भाषा नहीं घोषित की गई है। इसलिए, हमें अनुरोध करते हैं कि इसे मान लेना चाहिए। माननीय मुख्य मंत्री ने माननीय प्रधानमंत्री को लिखा है और हम माननीय प्रधान मंत्री से जवाब चाहते हैं ...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर): महोदय, क्या मैं इस बिन्दु पर कुछ कह सकता हूं? ...*(व्यवधान)*

भारत सरकार की यह नीति लोगों को सड़कों पर लगे सूचना पट पर लिखी भाषा को समझने में मदद करने की है। यह भारत सरकार की भी नीति है कि तीन भाषाओं का उपयोग करना चाहिए। यदि तमिलनाडु में लोगों को सूचना पट पर उपयोग की गई हिन्दी भाषा को समझने में कठिनाई होती है, मैं दोहरा रहा हूं कि हिन्दी भाषा के साथ-साथ अंग्रेजी भाषा में भी लिखा जाना चाहिए कि सड़क कहां जाती है ...*(व्यवधान)*

श्री टी.एम. सेल्वागनपति: हम इस बिन्दू को स्पष्ट करना चाहेंगे। कई स्थानों में केवल हिन्दी और अंग्रेजी का उपयोग किया गया है। हमें सिर्फ यही दो भाषाएं देखने को मिलती हैं लेकिन स्थानीय लोग इन दो भाषाओं को नहीं जानते। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इस पर सहमति हो गई है। माननीय मंत्री ने पहले ही त्रिभाषा सूत्र पर सहमति व्यक्त की है।

...*(व्यवधान)*

श्री टी.एम. सेल्वागनपति: महोदय, स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए। यदि सिर्फ अंग्रेजी ही जोड़ी जाती है, तो कई समस्याएं होंगी ...*(व्यवधान)*

श्री वी. वेत्रिसेलवन: महोदय, सरकार को तमिलनाडु में तमिल भाषा को विशेष महत्व देना चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इस पर सहमति व्यक्त की जा चुकी है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं, पिछली बार भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी और माननीय मंत्री ने वक्तव्य दिया था। आप सभी जानते हैं। कृपया बैठिए।

...*(व्यवधान)*

श्री टी.एम. सेल्वागनपति: महोदय, इसे पुन: बहाल नहीं किया गया है। यह मेरा सरकार से अनुरोध है। यद्यपि सरकार ने आश्वासन दिया है, फिर भी राष्ट्रीय राजमार्गों के किसी भी सूचना पट पर इसे पुन: नहीं लिखा गया है। केवल अंग्रेजी और हिन्दी में ही बोर्ड तैयार किए गए हैं, लेकिन तमिल भाषी लोग यह नहीं जानते कि उन्हें कैसे पढ़ा जाए और वे कहां जाएं। यह बहुत गंभीर स्थिति है क्योंकि हम ऐसा कहीं नहीं पाते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री ए.पी. अब्दुल्लाकुट्टी (कन्नानौर): महोदय, मैं सभा का ध्यान केरल में कृषि रोपण विशेषकर रबड़, चाय और कॉफी की खेती करने वालों के द्वारा सामना की जा रही गंभीर समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। मैं सहमत हूं कि रबड़ के मूल्य में थोड़ा सुधार हुआ है लेकिन चाय और काफी उगाने वालों की स्थिति काफी दयनीय है। इनकी खेती करने वालों को अपना उत्पादन लागत भी नहीं मिल पा रहा है। केन्द्र सरकार ने अभी तक इन उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए कोई उपाय नहीं किया है।

यह पाया गया है कि कॉफी बागान के मालिक अब खेती करना छोड़ रहे हैं। चाय बागान अब मालिकों द्वारा बंदी का सामना कर रहे हैं। देश में कुल बागान में से 45 प्रतिशत सिर्फ केरल में है। मेरे चुनाव क्षेत्र कन्नानौर में, वायानाड क्षेत्र का अच्छा प्रतिशत काफी ओर चाय बागानों से भरा है। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग काम कर रहे हैं।

माननीय वाणिज्य मंत्री, श्री अरुण जेटली, ने पिछले वर्ष दिसम्बर में राज्य सभा में यह वायदा किया था कि एक विशेषज्ञ समिति चाय बागान का दौरान करेगी ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री अब्दुल्लाकुट्टी, कृपया अपनी बात समाप्त करें। आप 'शून्य काल' के दौरान सभा में कुछ नहीं पढ़ सकते। आप सिर्फ बोल सकते हैं चाहे जो भी बोलना है।

...*(व्यवधान)*

श्री ए.पी. अब्दुल्लाकुट्टी: महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि विशेषज्ञ समिति को चाय बागान का दौरा करना चाहिए।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान नेशनल कमीशन फार कैटल की महत्वपूर्ण सिफारिशों की ओर दिलाना चाहता हूं। 1991 में प्रधान मंत्री जी के निर्देश पर इस कमीशन का गठन हुआ था। एक साल में उस आयोग ने देश के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय गऊ वंश के संरक्षण और संवर्द्धन के साथ ही उसको कैसे सुरक्षित किया जा सके, इसके बारे में देश का व्यापक दौरा करके अनुसंधान और शोध किया। पिछले वर्ष 31 अगस्त, 2002 को उस आयोग ने 15 पेज की रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी थी। उस रिपोर्ट में विभिन्न कारणों से चाहे आर्थिक कारण हो, सामाजिक कारण हो या धार्मिक कारण हो, भारत सरकार के सामने सिफारिश की है कि भारतीय प्रजाति का गऊ वंश एक साजिश के तहत नष्ट किया जा रहा है इसलिए देश के व्यापक हित में उसे बचाने की आवश्यकता है। मैं भारत सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि उस आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए भारतीय गऊ वंश की हत्या पर पूर्ण देश में प्रतिबंध लगाया जाए।

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान नए राज्य छत्तीसगढ़ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश राज्य से एक नए राज्य छत्तीसगढ़ का गठन किया गया था। वहां के 90 विधायकों में 34 अनुसूचित जाति के और नौ अनुसूचित जनजाति के हैं। उस क्षेत्र के गठन के लिए केन्द्र सरकार ने नया राज्य इसलिए बनाया ताकि छत्तीसगढ़ के एरिया के पिछड़े हुए लोगों का विकास हो सके। किंतु राज्य में विकास के कार्य नगण्य है। सरकार फिजूलखर्ची में लगी हुई है। हैलीकाप्टर पर घूमने, अधिकारियों-कर्मचारियों की सेवा, गाड़ियों के बंदोबस्त में ही अधिकतर पैसा खर्च कर रही है। राज्य की संचित निधि से कोई खर्च नहीं करना चाहती। केन्द्र सरकार द्वारा पैसा देने से ही कुछ विकास वहां हो रहा है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं कि वहां जो अकाल पड़ा हुआ है, उससे निपटने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति तथा अन्य वर्गों के विकास के लिए 300 करोड़ रुपये का पैकेज देने की घोषणा करे।

अपराह्न 1.00 बजे

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): अध्यक्ष महोदय, एक मई से लैंडलाइन फोन से सैल्यूलर पर फोन करने के चार्जेज बढ़ गये हैं। अभी ट्राई ने बताया और अखबारों में भी आया है कि मोबाइल फोन से मोबाइल फोन पर इंकमिंग कॉल फ्री हैं। यह सुविधा होने के बाद लोग लैंडलाइन फोन कम लेंगे। अगर हम लैंडलाइन फोन से मोबाइल पर फोन करेंगे तो तीन मिनट के सात रुपये बीस पैसे लगते हैं यानि यह 6 पाइंट बढ़ गये हैं। होगा यह कि लोग मोबाइल फोन से मोबाइल पर बात करेंगे और मोबाइल फोन ज्यादा खरीदेंगे। हो सकता है कि यह सब मोबाइल फोन वालों ने किया हो या बीएसएनलएल और एमटीएनएल के ऑफिसरों ने किया हो। एमटीएनएल और बीएसएनएल के रेट बढ़ने से लोग उनके फोन कम यूज करेंगे। मासिक किराया 250 रुपये होने के कारण लोग लैंडलाइन फोन यूज कम करेंगे। इसका मतलब यह है कि बीएसएनएल घाटे में जाएगा और घाटे में जाने पर विनिवेश में जाएगा। बीएसएनएल के माननीय मंत्री भी वे ही हैं जो विनिवेश के माननीय मंत्री हैं। उसमें कुछ चालबाजी तो नहीं है कि बीएसएनएल घाटे में जाएगा तो बाद में उसे बेच देंगे। यह सर्वसाधारण जनता के साथ अन्याय है। इसलिए 250 रुपये का मासिक किराया जो है वह कम किया जाए और लैंडलाइन फोन पर जो रैंट पहले लगता था वही रहने दिया जाए। पहले 75 कॉल्स फ्री थीं और अब 30 कॉल्स फ्री हैं। इसके लिए हम शिवसेना वाले भी प्रदर्शन करने वाले हैं। पहला घेराव तो हम अपने मंत्री जी का करने वाले हैं क्योंकि वे विनिवेश के भी मंत्री हैं। यह बात ठीक नहीं है और यह देश के लोगों पर बहुत बड़ा आघात है।

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अन्य बीज कंपनियों द्वारा किसानों के साथ किये जा रहे घोर अन्याय पर चिंता प्रकट करते हुए आपका संरक्षण चाहता हूं। मैं बिहार से आता हूं जहां बाढ़ के कारण किसानों की फसल बहुत बड़े पैमाने पर नष्ट हो जाती है। वे उसकी भरपाई मक्का की खेती करके करते हैं। बहुराष्ट्रीय बीज कंपनियों द्वारा कारगिल नामक मक्का के बीज की बिक्री बड़े पैमाने पर महंगी दर पर की गयी। लोगों ने कारगिल मक्का का बीज खरीदा और मक्का की बहुत लहलहाती फसल हुई। लेकिन मक्का की बाली में एक दाना भी मक्का का नहीं लगा। जांच कराई गयी और जांच में मिलीभगत पाई गयी और मौसम का दोष बता दिया गया। मुजफ्फरपुर के एक किसान ने अपनी तीस एकड़ भूमि में मक्का की फसल लगाई थी और एक दाना भी मक्का का न होने के कारण उसने आत्महत्या कर ली। मैं चाहता हूं कि इसकी जांच कराई जाए और किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए।

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़): अध्यक्ष महोदय, देश के कुछ राज्य गंभीर विद्युत संकट से जूझ रहे हैं, जिनमें मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र भी हैं। केन्द्र सरकार ने यह कहा था कि जो राज्य सरकारें रिफोर्म एक्ट-2000 पर दस्तखत करेंगी, उन्हें पर्याप्त बिजली दी जाएगी। मध्य प्रदेश पहले उन राज्यों में से है जिसने रिफोर्म एक्ट पर दस्तखत किये, लेकिन फिर भी उसे बिजली नहीं दी

गयी। कहा गया कि आपके यहां जो विद्युत बोर्ड हैं उनको विभाजित करके पांच कंपनियां बनाइये। हमने उस कार्य को भी दो वर्ष में क्रियान्वित कर दिया, फिर भी बिजली नहीं दी गयी। फिर कहा गया कि अपने मासिक रेवेन्यू को बढ़ाइये। हमने उसे 280 करोड़ से बढ़ाकर 390 करोड़ किया है, फिर भी बिजली नहीं दी गयी। फिर कहा गया कि एमओयू पर साइन कीजिए, हम आपको 100 मेगावाट बिजली एन.टी.पी. औरैया से देंगे। अभी तक केवल 50 मेगावाट दी गई है। आज स्थिति यह है कि पूरा प्रदेश विद्युत कटौती और विद्युत संकट से जूझ रहा है। वहां 15 दिन के कार्यकाल में 1100 मेगावाट कोरबा अथवा विन्ध्याचल तापगृह का विद्युत उत्पादन कम हो गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि ईस्टर्न रीजन से, जहां अधिक सरप्लस पावर है, नेशनल ग्रिड कारपोरेशन से पावर लेकर मध्य प्रदेश को दें जिससे मध्य प्रदेश के विद्युत संकट का समाधान हो सके।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब सभा अपराह्न 2 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित की जाती है।

अपराह्न 1.05 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.05 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.05 बजे पुन: समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

विश्व मामलों से संबंधित भारतीय परिषद (संशोधन) विधेयक—*पारित*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: सभा अब मद संख्या 15 पर चर्चा करेगी और वह है विश्व मामलों से संबंधित भारतीय परिषद् (संशोधन) विधेयक पर विचार करना और उसे पारित करना। वाद-विवाद के लिए 2 घंटे का समय आवंटित किया गया है। मंत्री महोदय, आप विचार करने और उसे पारित करने के लिए विधेयक को प्रस्तुत कर सकते हैं और आप संक्षिप्त भाषण भी दे सकते हैं।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि विश्व मामलों से संबंधित भारतीय परिषद अधिनियम, 2001 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

विश्व मामलों से संबंधित भारतीय परिषद् (आई.सी.डब्ल्यू.ए.) का गठन सन् 1943 में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत सोसाइटी के रूप में किया गया था। मार्च, 1947 में आई.सी.डब्ल्यू.ए. को ऐतिहासिक एशियाई संबंध सम्मेलन आयोजित करने का विशेषाधिकार था। वर्ष 1949 में, भारत सरकार ने आई.सी.डब्ल्यू.ए. को इसके द्वारा प्राप्त किए गए सभी दानों पर आयकर भुगतान के छूट दे दी थी। वर्ष 1955 में, आई.सी.डब्ल्यु.ए. ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान की स्थापना को प्रायोजित किया जो अब जे.एन.यू. (जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय) का हिस्सा है। वर्ष 1956 में, आई.सी.डब्ल्यू.ए. ने आर्थिक और सामाजिक परिषद (ई.सी.ओ.एफ.ओ.सी.) के साथ परामर्शदाता का दर्जा हासिल कर लिया। तब आई.सी.डब्ल्यू.ए. के प्रमुख डा. हृदयनाथ कुंजरू जैसे प्रकांड विद्वान और विख्यात शिक्षाविद् तथा राजनीतिज्ञ थे। आई.सी.डब्ल्यू.ए. की संकल्पना सर तेज बहादुर सप्रू द्वारा दी गई थी। सप्रू हाउस की परिषद् के सचिव डा. अधादोराई थे, जो प्रकांड विद्वान थे और जिनकी ख्याति अंतर्राष्ट्रीय ज्ञाता के रूप में थी।

सप्रू हाउस का पुस्तकालय न केवल दिल्ली में बल्कि संभवत: पूरे भारत के सबसे बेहतर पुस्तकों के संग्रह वाले पुस्तकालयों में से एक के रूप में जाना जाता था। इस सभा में और इस देश में भारत की विदेश नीति के जनक और संस्थापक के रूप में जाने जाने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू यहां अक्सर आया करते थे। महोदय, जैसाकि आपको स्वयं याद होगा कि पंडित जवाहर लाल नेहरू ने 1927 में भारत की ओर से ब्रुसेल्स में 'लीग अगेन्स्ट इम्पिरिअलिज्म' में भाग लिया था। वहां उन्होंने भारत की विदेश नीति की रूपरेखा प्रस्तुत की थी और उसी विदेश नीति को हमने बिना किसी बदलाव के अनवरत रूप से स्वीकार किया है। प्रधान मंत्री के रूप में पंडित जवाहर लाल नियमित रूप से इस पुस्तकालय में जाते थे।

मैं जो इसकी पृष्टभूमि का उल्लेख कर रहा हूं उसका कारण यह है कि यह एक ऐसी संस्था है जिसे उत्कृष्ट विद्वानों, संविधान निर्माताओं, विधि निर्माताओं और भारत की विदेश नीति को बनाने वाले लोगों का सानिध्य प्राप्त होने का सौभाग्य प्राप्त रहा है। डा. एस. राधाकृष्णन और डा. जाकिर हुसैन जैसे प्रकाण्ड विद्वान भी इस संस्था से बहुत निकट से जुड़े रहे हैं।

[श्री दिग्विजय सिंह]

विश्व मामलों से संबंधित भारतीय परिषद का (आईसीडब्ल्यूए) अपनी स्थापना के समय से ही एक महत्वपूर्ण कार्यकलाप यह रहा है कि यह समय-समय पर व्याख्यान, बैठकें और सेमिनार आयोजित करती रही है। भारत और विदेशों के विद्वानों और राजनेताओं के अलावा कई अन्य देशों के अतिथि-उच्चाधिकारियों ने परिषद् की बैठकों को संबोधित किया है। मैं उनमें से कुछ उल्लेखनीय नामों का उल्लेख करूंगा। इमें पंडित जवाहर लाल नेहरू, इंदिरा गांधी, हेनरी किसिंजर, ऑस्कर फिसर, अलेक्सी कोसीजिन, डैग हम्मार्सकोल्ड, एस. रामफल, मार्ग्रेट थैचर, कर्ट वाल्डिहेम, वी.के. कृष्णामेनन, रॉय जेन्किन्स, मोरारजी देसाई, चन्द्रशेखर, निकारागुआ के राष्ट्रपति आरटेगा, नामीबिया के राष्ट्रपति सैम नुजोमा, परमपाद् पूज्य दलाई लामा और कई अन्य शामिल हैं। इन लोगों को इस संस्था में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया था।

जैसाकि आपको मालूम होगा और आईसीडब्ल्यूए के उक्त कार्यकलापों से भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि लब्धप्रतिष्ठ विद्वानों की सक्रिय भागीदारी से और तेज बहादुर सप्रू, एन. कुन्जरु और सरदार स्वर्ण सिंह जैसे अग्रणी हस्तियों की अध्यक्षता में यह परिषद् अपने अस्तित्व के प्रथम 38 वर्षों तक बहुत ही बेहतर ढंग से चली।

तथापि वर्ष 1981 में परिषद् के कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद से ही स्थिति में गिरावट आनी शुरू हुई। कार्यकारी अध्यक्ष ने आईसीडब्ल्यूए पर उस समय अपना नियंत्रण मजबूत कर लिया। जब 1986 में वह इसके अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित किए गए और वे अपने आपको अवधि दर अवधि अध्यक्ष पद पर निर्वाचित कराते रहे। 80 और 90 के दशक में शिक्षाविदों, अध्येताओं और कर्मचारियों से आईसीडब्ल्यूए तत्कालीन अध्यक्ष के निन्दनीय कार्यकलापों की ढेर सारी शिकायतें मिली। उनके कार्यकलापों की आलोचना वाले तथा सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप कर आईसीडब्ल्यूए की पहले वाली प्रतिष्ठा को बहाल करने का आग्रह भरे आलेख और सम्पादकीय राष्ट्रीय मीडिया में लगातार छपते रहे।

इस प्रकार स्थिति में आई गिरावट को रोकने और आईसीडब्ल्यूए की पूर्व स्थापित गरिमा को बहाल करने के मद्देनजर 1 सितम्बर, 2000 को आईसीडब्ल्यूए अध्यादेश (वर्ष 2000 की संख्या 3) प्रख्यापित किया गया जिसमें इस संस्था को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित किया गया। तदुपरान्त 3 सितम्बर, 2001 में यह आईसीडब्ल्यूए अध्यादेश संसद के अधिनियम के रूप में तब्दील हो गया।

सरकार द्वारा इसे अपने हाथ में लिए जाने के उपरांत आईसीडब्ल्यूए के लक्ष्य और उद्देश्य को पूरा करने के मद्देनजर कई कार्यकलाप शुरू किए गए हैं। आईसीडब्ल्यूए ने इंडिया क्वार्टरली और 'फॉरेन अफेयर्स रिपोर्ट्स' के प्रकाशन फिर से शुरू किए। आज तकरीबन हर सप्ताह आईसीडब्ल्यूए परिसर का उपयोग महत्वपूर्ण सेमिनारों और सम्मेलनों के आयोजन में किया जा रहा है। फरवरी, 2001 से अब तक 70 से भी अधिक सेमिनार किए गए हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित ट्रैक-2 डिप्लोमेसी कूटनीति के लिए आईसीडब्ल्यूए भी नोडल एजेंसी होगा। अफ्रीका सेंटर स्थापित किया गया है जो अफ्रीका में जनहित के मामले को फिर से उजागर करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। काउन्सिल फॉर सेक्युरिटी कोऑपरेशन इन द एशिया पेसिफिक (सीएससीएपी) इंडिया कमेटी का सचिवालय भी सप्रू हाउस परिसर में पुनःस्थापित किया गया है।

सरकार द्वारा इसे अपने हाथ में लिये जाने के पश्चात् आईसीडब्ल्यूए ने कई नई पहल की हैं और नए कार्यक्रमों की शुरुआत और उनकी परिकल्पना की है। इनमें अनुसंधान कार्य के लिए फेलोशिप प्रदान करने, कभी विख्यात पुस्तकालय के रूप में जाने जाने वाले इस पुस्तकालय का विस्तार और इसको अद्यतन करने और कुछ चुने हुए देशों में आईसीडब्ल्यूए के समूहों के बीच सक्रिय रूप से संवाद स्थापित करने के प्रावधान शामिल हैं।

यही कारण है कि हमने यह संशोधन सभा में प्रस्तुत किया है। यह बहुत ही छोटा संशोधन है और मैं आशा करता हूं कि सभा इसका समर्थन करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि विश्व मामलों से संबंधित भारतीय परिषद् अधिनियम 2001 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य अभी दिया है, मैं उससे पूर्णत: सहमत नहीं हूं। श्री जे.एन. दीक्षित, जो विदेशी मामलों के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कहा है, मैं उसे पढ़कर बताना चाहूंगा:

[अनुवाद]

श्री दीक्षित कहते हैं:

"परिषद् सर तेज बहादुर सप्रू और जवाहर लाल नेहरू जैसे कुछ श्रेष्ठ भारतीयों की उपज थी और इसे एक निष्पक्ष संस्थान के रूप में अक्षुण्ण रखा जाना चाहिए जिससे यह वैचारिक रूप से विश्व परिप्रेक्ष्य में विदेशों से अपने संबंध और अपनी विदेश नीति को तय कर सकेगी। आधुनिक शब्दों में, यह सरकार से स्वतंत्र एक स्वायत्त विचारक संस्था होगी।"

मैं 'सरकार से स्वतंत्र' शब्दों को दोहराता हूं:

"सरकार से स्वतंत्र किन्तु भारत की विदेश नीति को आधुनिक बनाने में और बदलते विश्व की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को नजदीक से समझने में एक महत्वपूर्ण सहायक भूमिका निभाएगी।"

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष जी, अभी हाल ही में सदन ने विदेश मंत्रालय की मांगों पर विस्तृत चर्चा की है। देश की विदेश नीति बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अभी तक इस बिल को लाने का उद्देश्य नहीं समझ पाया। हमें जो जानकारी दी गई है, उसमें बताया गया है कि श्री हरचरण सिंह जोश, जो इसके अध्यक्ष थे, उनके खिलाफ कुछ चार्जेज थे। मेरा सोचना है कि यह एक राजनैतिक प्रयास किया गया है। अगर उनके खिलाफ चार्जेज थे, उनकी जांच हो सकती थी लेकिन जिस तरह से उन्हें हटाया गया, वह उचित नहीं है।

मि. जोश क्या कहते हैं?

[अनुवाद]

वे कहते हैं:

"इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन्स (आईसीसीआर), द इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च (आईसीएचआर) और इंदिरा गांधी आर्ट सेंटर का भगवाकरण करने के पश्चात् अब सरकार की निगाहें आईसीडब्ल्युए पर टिकी हुई थीं।"

[हिन्दी]

यह गंभीर आरोप है, जो उन्होंने लगाया है। फिर वह आगे कहते हैं:

[अनुवाद]

"श्री जगमोहन जिन्होंने संसद में आईसीडब्ल्युए से संबंधित विधेयक को पुर:स्थापित किया था, की वैध स्थिति नहीं है क्योंकि वे केन्द्र सरकार में शहरी विकास मंत्री थे और सप्रू हाउस का भवन विदेश मंत्रालय के अधीन था।"

[हिन्दी]

मि. जोश ने श्री जगमोहन जी पर जो चार्जेज लगाये हैं, वे बहुत गंभीर किस्म के चार्जेज लगाये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जिस तरह की जांच आप उनके खिलाफ कर रहे हैं, क्या आपमें साहस है, आप श्री जगमोहन जी के खिलाफ भी जांच करें। मैं श्री जगमोहन जी का बहुत आदर करता हूं, लेकिन उन पर जो आरोप लगा है वह यह आरोप लगा है–

[अनुवाद]

"श्री जगमोहन ने उनसे भा.ज.पा. के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार को आई.सी.डब्ल्यू.ए. का भागीदार बनाने के लिए कहा था जो कि उस मय बाराखंभा रोड पर स्थित अति महत्वपूर्ण सम्पदा सप्रू हाउस से अपना कार्य-संचालन कर रही थी।"

उन्होंने आगे कहा:

"श्री जगमोहन ने उन्हें भा.ज.पा. में सम्मिलित होने का परामर्श दिया था। श्री जोश ने कहा कि क्योंकि उन्होंने इन दोनों अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया था इसलिए श्री जगमोहन ने उनके और आई.सी.डब्ल्यू.ए. के खिलाफ राजनैतिक बैर का एक अभियान आरंभ किया था।"

[हिन्दी]

इसमें बहुत ज्यादा कुछ कहने को नहीं है। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि अगर आपने इसका पजेशन लिया है तो क्या जैसा यह संगठन रहा है, आप इसे वैसा एक गैर-सरकारी संगठन बनायेंगे और इस प्लेटफॉर्म पर, इस आई.सी.डब्ल्यू.ए. में, क्या आपमें साहस है कि जो इराक में हुआ है, उसके बारे में आप चर्चा करें। क्या आपमें यह साहस है। एक नॉन-पार्टिजन व्यू हम लोगों ने वहां रखा। इसका जो कांस्टीट्यूश है, उसमें आपने कहा है:

[अनुवाद]

"महानिदेशक का पद भारत सरकार के अपर सचिव के समकक्ष होगा।"

[हिन्दी]

मैं चाहूंगा कि इसके बजाय वहां का कोई अधिकारी डायरेक्टर जनरल बने, इसमें इस विषय के विशेषज्ञों को शामिल किया जाए और इसका राजनीतिकरण होने से बचना चाहिए।

अंत में, मैं यही कहूंगा कि चूंकि यह मामला वहां हाईकोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए इसमें इतनी जल्दबाजी न की जाए और सोच-विचार कर कोई कदम उठाया जाए, जिससे कि देश की विदेश नीति और मजबूत हो सके और जैसा एक थिंक टैंक बनना चाहिए, वैसा बन सके।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं विश्व मामलों से संबंधित भारतीय परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2003 का समर्थन करता हूं।

महोदय, लगभग दो वर्ष पहले वर्ष 2001 में इस विधेयक को पुर:स्थापित किया गया था और तब मुझे इस पर बोलने का अवसर प्राप्त हुआ था। कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य श्री लक्ष्मण सिंह ने अब जो विवाद उठाये हैं, मैं उन पर चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि उस समय भी ये विवाद बड़े जोर-शोर से उठे थे। श्री एच.एस. जोश इस संस्था के अंतिम अध्यक्ष थे। वह इस संस्था के 20 वर्ष तक अध्यक्ष रहे। अंतराष्ट्रीय विषयों पर चर्चा करने के बजाय इसका उपयोग 'कुड़ी जवान, गवांडी परेशान' जैसे पंजाबी नाटकों के लिए किराये पर देने में किया जाता था।

अत: श्री जगमोहन जी ने इसे सरकार के नियंत्रण में लाकर बहुत अच्छा कार्य किया है। इस विधेयक के पारित होने के पश्चात जब इसे सरकार के नियंत्रण में लाया गया था तब इस परिषद् के बोर्ड में लोक सभा के पांच सदस्यों को नामनिर्दिष्ट किया गया था। उस परिषद् में नाम-निर्दिष्ट किये गये सदस्यों में से एक सदस्य मैं भी था। इस सभा द्वारा इस निकाय के सदस्यों के रूप में श्री रूपचन्द पाल, श्री मदन लाल खुराना और अन्य सदस्यों को भी नामनिर्दिष्ट किया गया था।

लेकिन महोदय, मुझे यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि गत दो वर्षों से इसकी कोई बैठक नहीं हुई थी। मैं कई बार सप्रू हाउस गया और वहां के महानिदेशक के साथ बात की थी, और उन्होंने कहा: ''हां, मुझे भी आपका नाम मिला है लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है।''

मैं नहीं जानता कि अन्य सदस्य कौन-कौन से हैं। इस परिषद् के सम्पूर्ण निकाय को नामनिर्दिष्ट नहीं किया गया है। उस समय, मैंने तत्कालीन विदेश मंत्री को पत्र भी लिखे थे; लेकिन मुझे पता नहीं कि फिर क्या हुआ।

मुझे इस बात पर भी दु:ख हुआ कि इस सभा के कुछ सदस्यों को नामनिर्दिष्ट किया गया था फिर भी परिषद् के गठन के लिए कोई पहल नहीं की गयी। अब मुझे पता चला है कि इसमें इतना लम्बा समय क्यों लगा। मैं बहुत खुश हूं कि माननीय मंत्री जी ने इसमें संशोधन प्रस्तुत किए हैं जैसे 'चयनित' शब्द के स्थान पर 'नामनिर्दिष्ट' शब्द अंत:स्थापित किया है। पहले खंड 3(छ) में या तो मीडिया से जुड़े लोग अथवा संगठनों के प्रतिनिधि, शब्दों के स्थान पर या तो मीडिया से जुड़े लोग अथवा संगठनों के व्यक्ति' शब्द अंत:स्थापित किये गये। संगठनों के प्रतिनिधियों का अर्थ यह है कि उनका चयन किया जायेगा—इसका पुन: अर्थ यह है कि हमें वहीं पर चुनाव कराने होंगे, तभी किसी का निर्वाचन होगा और वह इस परिषद में उस संगठन का प्रतिनिधित्व करेगा।

इसी तरह से, पहले व्यापार जगत के प्रतिनिधियों को परिषद् के लिए चयनित किया जाना था। अब ये शब्द हटा दिये गये हैं और अब 'व्यापार जगत से किसी व्यक्ति को' नामनिर्दिष्ट किया जायेगा, न कि चयनित किया जाएगा। इसलिए, यह एक बहुत अच्छी बात है। उस समय ही इसके बारे में विचार किया जाना चाहिए था। इसमें इतना लंबा समय क्यों लगा? यह एक बहुत अच्छी बात है कि इस संस्थान के महानिदेशक को भी पदेन सचिव के रूप में शामिल किया गया है। जब मैं महानिदेशक से मिला था, उन्होंने कहा था कि उनकी कोई हैसियत नहीं है जबकि वह महासचिव थे तो फिर कैसे यह बता सके कि बैठक कब होगी। इसलिए, मैं इस सरकार की प्रशंसा करता हूं कि उसने महानिदेशक को जोकि इस संस्था में कम से कम अपर सचिव स्तर के पद पर हैं, को सदस्य सचिव के रूप में शामिल किया। मैं इसकी प्रशंसा करता हूं।

मुझे बहुत खुशी है कि दो वर्षों का विलंब तो सरकार ने किया लेकिन इसने इसे पूर्णविकसित संस्था बनाने के लिए कार्रवाई भी की। इस बीच, मुझे महासचिव से भारत के विदेशी मामलों से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों पर संगोष्ठियों और चर्चाओं में भाग लेने के कई निमंत्रण प्राप्त हुए थे। मैंने उन सभी बैठकों में भाग लिया था।

मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि यह एक उच्च कोटि का संस्थान है। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि गत 20 वर्षों से ऐसा संस्थान सरकार के नियंत्रण में क्यों नहीं था और इसे एक ऐसे पार्षद द्वारा प्रशासित किए जाने की अनुमति क्यों दी गयी थी, जो फल बेचने वालों और रिक्शा चलाने वालों को भी इसका सदस्य बनाता था। यह बहुत आश्चर्यजनक बात है कि इस पर सरकार की नजर नहीं पड़ी और इसे भारत सरकार के संरक्षण में लाने में 20 वर्षों का समय लग गया।

अंत में, मैं यह कहूंगा। सप्रू हाउस में जो लाखो पुस्तकें हैं, वे किसी-न-किसी तरह या तो हटा दी गयी हैं या बेच दी गयी हैं और कुछ जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय को प्रदान कर दी गयी हैं। मेरी माननीय मंत्री जी से अपील है कि वह इस ओर अपना ध्यान दें कि इस बहुमूल्य पुस्तकालय में पुस्तकें फिर से उपलब्ध करायी जानी चाहिए। वे सभी पुरानी पुस्तकें जो भारत की विदेश नीति से संबंधित हैं और बहुमूल्य हैं उन्हें पुन: खरीदा जाना चाहिए ताकि यह अपने पुराने गौरव को प्राप्त कर सके।

मैं पुन: इस विधेयक की सिफारिश करता हूं और इस विधेयक को यथाशीघ्र पारित किया जाना चाहिए ताकि एक पूर्ण-विकसित संस्था अपना कार्य आरंभ कर सके। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम): जैसाकि प्रत्येक व्यक्ति जानता है, विश्व मामलों से संबंधित भारतीय परिषद् एक उच्च कोटि की संस्था है। प्रो. सप्रू जैसे लोगों ने इस संस्था को बनाने में अपना नेतृत्व प्रदान किया था। यह सर्वविदित है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, डा. राधाकृष्णन् और हमारे राष्ट्र के ऐसे ही अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति इस संस्था से घनिष्ठ रूप से संबद्ध रहे हैं। यह सच है कि बाद के वर्षों में इसका पतन हो गया और तीन स्थायी समितियों की रिपोर्टें यह सिफारिश करती रही हैं कि सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और इसे अपने नियंत्रण में ले लेना चाहिए। इसके बाद, सरकार ने हस्तक्षेप किया और इस प्रतिष्ठि संस्था को अपने नियंत्रण में ले लिया।

जैसाकि यहां पर उल्लेख किया गया, जब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय बनाया गया था तब पुस्तकों का विशाल भंडार इस विश्वविद्यालय को अंतरित कर दिया गया था। मैं समझता हूं कि यद्यपि सरकार ने इन पुस्तकों को पुन: प्राप्त करने के लिए कुछ अनुदान प्रदान किया था लेकिन इसका उचित उपयोग नहीं किया गया। यदि इस विधान के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो समय की मांग यह है कि इस संगठन को स्वायत्तता दी जाए। मंत्री जी प्रतिक्रियावादी कूटनीति और अन्य सब बातों का उल्लेख कर रहे थे। यदि इस लक्ष्य को प्राप्त करना है तो इस संगठन को पर्याप्त स्वायत्तता दी जानी चाहिए किंतु इस विधान में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। मेरा तो यही दृष्टिकोण है।

महानिदेशक को सरकार द्वारा सीधे नियुक्त किया जाना है। निःसंदेह, उसमें सरकार की जी-हुजूरी करने वाला व्यक्ति ही वहां नियुक्त किया जायेगा। यह ऐसा स्थान होना चाहिए जहां हमारे देश और विदेशों के सुविख्यात शिक्षाविद, साहित्यिकार तथा उच्च कोटि के व्यक्ति आपस में मिलें और विचारों का आदान-प्रादन कर सकें ताकि हमारे देश के लोग और विदेशी सरकारें इस संस्था को सम्मान की दृष्टि से देखें। इस प्रकार की व्यवस्था में, मेरे विचार में इस लक्ष्य को प्राप्त करना संभव नहीं है। इसलिए, मेरा मुद्दा यह है कि इस सरकार का पिछला रिकार्ड यह रहा है, जैसाकि पहले बनाया गया था, जैसा हमने भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् और भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद में हमने देखा, हमने यह पाया कि सर्वत्र विवादास्पद व्यक्तियों की ही नियुक्ति की गयी और इसे सरकार की मनचाही बातों को पूरी करने वाली योजनाओं के अनुकूल बनाया गया था। इसलिए, ऐसा नहीं होना चाहिए।

इस संस्था में हमारी विदेश नीति संबंधी पहलकारी कदमों से जुड़े उन लोगों को आना चाहिए, जो हमारी विदेश नीति को तैयार करते हैं। उन्हें इससे जुड़ना चाहिए। यह लोगों का ऐसा मंच होना चाहिए, जहां इन सभी कार्यकलापों में रुचि लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति आए और मामलों पर चर्चा करे।

पुस्तकालय ऐसा होना चाहिए कि कोई भी उस देश अथवा दूसरे देश का अंतर्राष्ट्रीय मामलों का कोई अध्येता, कोई छात्र आ सकें और हमारे देश की विदेश नीति की के पहलकारी कदमों में सहायता करने हेतु अनुसंधान कर सके। इस प्रकार सरकार का यही लक्ष्य होना चाहिए, अन्यथा यह देश के अन्य किसी संगठन की तरह हो जाएगा। हमारी सरकार को विदेश नीति संबंधी कदमों पर सहायता दिये बिना यह नई बोतल में पुरानी शराब की तरह होता। यह निकाय सफेद हाथी होगा जिस पर सरकार धन व्यय करेगी।

इसलिए, चूंकि यह विधेयक ऐसे व्यापक पहलकारी कदमों की सहायता नहीं करता। मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा): महोदय, यह विधेयक, एक प्रकार से दिखाता है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास नीति-निर्माण संबंधी और संस्थानों के सृजन और उनके संचालन के लिए अपेक्षित दृष्टि की भी कमी है। यह विधेयक अध्यादेश के रूप में सामने आया था और तत्पश्चात संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा गया था।

बहुत गर्मागर्म बहस हुई थी और विचारों का आदान-प्रदान हुआ था। अंतत:, ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा तीन माह के अन्तर्गत एक निकाय को गठित किया जाए। परन्तु इस सरकार ने अपने स्वयं के विधेयक पर भी कार्रवाई नहीं की। जिसे अधिनियम बनाया गया है। इस निकाय का गठन करने हेतु एक समय सीमा दी गई है परन्तु वे इस निर्धारित कार्य को भी पूरा नहीं कर सके। इस गलती को दूर करने के लिए उन्होंने इस विधेयक विशेष को पेश किया। इसके अतिरिक्त, इसमें कुछ भी नया नहीं है।

साथ ही साथ, हम माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अंतर्गत इस के गठन की मंशा बिना किसी पूर्वाग्रह अथवा बिना किसी पक्ष अथवा बिना किसी राजनीतिक मन-मस्तिष्क के स्वच्छ एवं मुक्त चर्चा के लिए एक नीति-निर्माता निकाय का गठन करना है। विशुद्ध रूप से अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के आधार पर इस तरह की चर्चा होनी चाहिए। यही प्रमुख उद्देश्य है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका सृजन किया और इसे काफी वात्सल्य दिया, जैसाकि माननीय मंत्री जी ने अपने पहले भाषण में उल्लेख किया है।

[श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन]

उन्होंने इसका कई बार दौरा किया और उन्होंने कई विद्वानों से चर्चा की थी। विचारों का आदान-प्रदान किया गया था। उन्होंने गुट-निरपेक्ष देशों के सृजन और नीति-निर्माण पर स्वयं अपनी विचारधारा का भी योगदान दिया। उन्होंने अमरीका और रूस से इतर विश्व में एक तीसरी ताकत को तैयार करने का प्रयास किया। ऐसे निकाय को सरकार की मशीनरी का एक हिस्सा बनाया जा रहा है। वास्तव में यह ऐसी बात है जो कूटनीतिज्ञों को और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों से जुड़े व्यक्तियों को ठेस पहुंचाती है।

अब, एक सरकारी सेवक, एक ऐसे व्यक्ति को जो राजनीतिक हस्तियों से परिचित है, को महानिदेशक बनाया जा रहा है और उसे नौकरशाह के रूप में कार्य करना है। वह लोगों को अपने विचारों का आदान-प्रदान करने की उन्मुक्त छूट नहीं दे सकता। आज के समाचार-पत्र में हमने देखा कैसे अमरिकी लोग अपनी सेना के एक सेवानिवृत्त जनरल के माध्यम से यह बताने को तत्पर हैं कि उनके पास कश्मीर की समस्या का समाधान करने का फार्मूला है। भारतीय नीति की ऐसी स्थिति है। हम अपनी विदेश नीति को इस प्रकार संचालित कर रहे हैं जहां एक सेवानिवृत्त जनरल सम्मेलन के लिए कराची का दौरा कर रहा है और वह एक व्यक्ति को समाचारपत्र में कुछ संदेश देने की अनुमति देता है जो सुर्खियां बन जाती हैं। हम अपने विदेश मामलों में बड़े ही अव्यवस्थित हैं? क्या हम अपने तरीके से कार्य कर रहे हैं? क्या हम अपनी विदेश नीति के अगुवा हैं? यह विदेश कार्य विभाग की प्रतिष्ठा थी। स्वतंत्रता के दिनों के पहले भी हम भारतीय मामलों संबंधी नीति को नियंत्रित कर रहे थे।

स्वतंत्रता के पश्चात्, पंडित जवाहर लाल नेहरू ने विदेश मामलों के संबंध में हमारे चिंतन के तरीके को संबल प्रदान किया था। हमने तीसरी ताकत बनायी थी। हमने विश्व, विशेषकर विकासशील, अल्प-विकसित एवं निर्धन देशों का नेतृत्व किया। हम इन ताकतों के विश्व नेता थे। अब, हमारी क्या स्थिति है? हम बस अमरीका अथवा किसी अन्य ताकत द्वारा दिए गए सुझाव को सुन रहे हैं, जो अपने को विश्व का दारोगा मान रहे हैं। क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? क्या हम उस प्रकार से सोच रहे हैं जो हमारे देश और उस राष्ट्र के लिए सहायक है और जो हमारी दुआओं से और हमारे मार्गनिर्देशों पर चलता है? क्या हम समस्त विश्व को आर्थिक और राजनीतिक विचार-प्रदान करने की स्थिति मे हैं? यही प्रश्न है।

हमारे हिसाब से, यह साधारण विधेयक नहीं है। कांग्रेस यह अपेक्षा करती है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से एक स्पष्ट विचारधारा होनी चाहिए और जब कभी इस सरकार द्वारा कोई विदेश नीति बनाई जाती है तो उस पर मुक्त चर्चा होनी चाहिए। परन्तु हममें इसकी कमी है। जब इस विधेयक को पारित किया जाएगा, तब पुनः नौकरशाही के लिए महानिदेशक को नियुक्त करने अथवा निकाय गठित करने और उन्हें किसी भी बात पर चर्चा करने की अनुमति देने की कोई सीमा नहीं होगी। अतएव, हम इसका विरोध करते हैं और हम यह महसूस करते हैं कि इस प्रकार के विधेयक को लागू करने से पूर्व उचित रूप से सोच-विचार होना चाहिए। उच्च प्रतिष्ठा वाली संस्था को अब राजनीतिक क्षेत्र में विवाद का विषय बनाया जा रहा है।

मैं निष्कर्षतः यह कहना चाहता हूं कि सरकार के पास विदेश मामलों संबंधी सोच की कमी है। वे प्रत्येक पहलुओं का भगवाकरण करना चाहते हैं। वे ऐसा शिक्षा, स्वास्थ्य, इत्यादि के क्षेत्र में कर रहे हैं। सभी जगह वे प्रभुत्व चाहते हैं। अब, उन्होंने ऐसा विदेश मामलों में भी करना आरंभ कर दिया है। इसके साथ ही हम महसूस करते हैं कि विदेश मामलों के स्वर्णिम दिन पूरे हो गए हैं।

[हिन्दी]

श्री दिग्विजय सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि जिस बिल को मैंने सदन में आपके माध्यम से पेश किया है, उस पर माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी राय दी है। माननीय लक्ष्मण सिंह जी ने इस बहस की शुरुआत की। उनके मन में जो शको-सुबह पैदा हुआ है, मुझे लगता है कि अगर विस्तृत जानकारी उनके पास होती तो उनके मन में यह शको-सुबह कहीं से भी पैदा होने की गुंजाइश नहीं होती। जैसा श्री सुरेश कुरूप ने कहा, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स बिल जो संसद में पेश हुआ है, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने एक बार नहीं लगातार तीन बार कहा है कि इंडियन काउंसिल आफ वर्ल्ड अफेयर्स में जो कुछ हो रहा है, वह ठीक नहीं है, सरकार इसे ठीक करे। इसके लिए एक रास्ता सुझाया गया था कि एज एन ऐमीनेंट इंस्टीट्यूशन के नाम पर सरकार उसे टेकओवर करे। सरकार ने वही काम किया जो संसद की सलाह थी, स्टैंडिंग कमेटी की सलाह थी।

जैसा मैंने अपने भाषण में कहा कि पिछले 20 सालों में जिस प्रकार से इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स का कामकाज हो रहा था, उससे सारे पढ़े-लिखे लोगों के बीच में एक भ्रम फैला हुआ था कि पता नहीं इस इंस्टीट्यूशन का क्या होने वाला है। कई माननीय सदस्यों ने इसका जिक्र भी किया कि वहां जिस तरह का काम हो रहा था, निश्चित रूप से वह काम पढ़ने-लिखने के काम को आगे नहीं बढ़ाता। मुझे यह गर्व और सौभाग्य प्राप्त है कि मैं खुद उस लाइब्रेरी में पढ़ता था। मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का छात्र था। जैसाकि मेरे भाषण में कहा गया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय उसी जगह से निकलकर

बना था, उसका एक हिस्सा उसमें शामिल किया गया है। हम स्वयं विद्यार्थी के रूप में उस लाइब्रेरी में पढ़ते थे। लाइब्रेरी में पढ़ने के बाद हमें ऐसा महसूस होता था। तब हमें यह उम्मीद नहीं थी कि एक दिन इस बिल को हमें इस सदन में पास करने का सौभाग्य मिलेगा लेकिन हम स्वयं परेशान होते थे कि जिस संस्था को बनाने वाले ऐसे लोग हैं, वे चाहें जिस दल में हों या जहां भी हों, उनके सामने लोगों का सिर झुकता हो और जिस संस्था के संस्थापक श्री तेज बहादुर सप्रू जैसे व्यक्ति थे, पंडित जवाहर लाल नेहरू जैसे लोग जिस संस्था में हफ्ते में एक दिन जाकर गौरवान्वित महसूस करते हैं। वह वहां कोई भाषण देने नहीं जाते थे बल्कि वे वहां पी.एच.डी. स्कॉलर से बात करने जाते थे। भारत की विदेश नीति कैसी हो, इस पर वे लड़कों से बहस करते थे। पंडित जी हफ्ते-दस दिन में स्वयं वहां जाते थे। जो संस्था इस उद्देश्य से बनाई गयी थी, जिस संस्था के इस तरह के लोग संस्थापक थे, मैं आपको बताऊं कि कौन से लोग उस संस्था की कार्यकारिणी के सदस्य हुआ करते थे। एक नाम मैंने अभी गिनाया है—डा. तेज बहादुर सप्रू इसके अध्यक्ष थे। श्री हृदय नाथ कुंजरू, आपने बिल्कुल सही नाम बताया, श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित जैसे लोग उसकी गवर्निंग बॉडी के सदस्य थे। इसी तरह श्री अमर नाथ झा, डा. एम.एस. वैद्य, श्री गोपाल स्वामी अयंगर, श्री देवदास गांधी, श्री मेहरचंद खन्ना, श्री नारायण मेहता, श्री सी.पी. रामास्वामी, श्री सिंघानिया, श्री टेकचंद आदि नाम थे जो उस समय की गवर्निंग बाडी के सदस्य थे। मैं वर्ष 1999-2000 का जिक्र कर दूं तो यह सदन खुद शर्मिंदा होगा कि किस तरह के लोग उसमें थे। मैं उन नामों को पढ़ना नहीं चाहता। हमारे कई साथियों ने ठीक कहा कि किस तरह के लोग उसकी गवर्निंग बॉडी के सदस्य थे जिनका पढ़ने-लिखने से कोई रिश्ता नहीं था। हां, कोई फल जरूर बेच रहा था, तेल जरूर बेच रहा था। मैं उन नामों का जिक्र कर दूं तो लोग खुद शर्मिंदगी महसूस करेंगे कि क्या सचमुच ऐसे लोग इस संस्था से जुड़े हुए थे।

मैं आपसे गुजारिश के तौर पर कहना चाहूंगा कि सरकार की कोई नीयत इसे लाने की नहीं थी। हम इसके काम के लिए डेढ़ करोड़ रुपये देते थे। यह हमने शुरू किया था। हम चाहते हैं कि जिन लोगों को हमने इसमें रखने की कोशिश की है, भारत के उपराष्ट्रपति इसके एक्स-आफिशियो चेयरमैन होंगे। अब उनकी नीयत पर कोई सदस्य शक करता हो, हमने स्पीकर साहब को यह अधिकार दिया कि पांच सदस्य आप नामीनेट करें।

हमने चेयरमैन, राज्य सभा को अधिकार दिया है कि आप तीन सदस्य नौमीनेट करें। देश के तमाम उन विद्वानों को इसमें शामिल करने की कोशिश की, जिनका अपना अलग-अलग इस देश की इंटरनैशनल पॉलिसी को बनाने में कांट्रीब्यूशन रहा है। हमने तय किया है कि कम से कम दो वाइस चांसलर इस कमेटी में हों। हमने तय किया है कि इस देश के ऐमीनेंट जर्नलिस्ट्स, ऐमीनेंट प्रोफैसर्स ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): यह तो उसमें फिर भी आता।

श्री दिग्विजय सिंह: बिल के आने से पहले जो लोग थे, वे कौन लोग थे, क्या मैं नाम पढ़ूं? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल: हमने जानबूझ कर पहले विधेयक पर आपत्ति नहीं की थी क्योंकि तब सरकार ने वायदा किया था कि इसे राष्ट्रीय महत्ता की संस्था समझा जाएगा और कुछ अच्छा होगा। परन्तु गत दो वर्षों के दौरान क्या हुआ है? यह पूर्णत: एक बदनीयतपूर्ण गलत कार्रवाई है जो सरकार अब कर रही है। वह किस प्रकार के परिवर्तन कर रही है और इसके क्या कारण हैं?

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, क्या आप इन्हें बोलने का अवसर दे रहे हैं?

श्री दिग्विजय सिंह: यदि वह कुछ योगदान कर रहे हैं तो मैं उन्हें अवसर देने को तैयार हूं अन्यथा नहीं।

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल: आप ऐसे बोल रहे हैं। जैसे पता नहीं कितनी बड़ी बात करने लगे हैं। बातों-बातों में ऐसे दिखा रहे हैं जैसे पता नहीं देश के हित में क्या कर रहे हैं।

[अनुवाद]

हम इसके गौरवपूर्ण इतिहास को जानते हैं। हम उन उदात आदर्शों से अवगत हैं जिनके साथ इस संस्था को गठित किया गया था और हम चाहते थे कि वे आदर्श फलीभूत हों। यही वह कारण था कि हमने पिछली बार विधेयक का समर्थन किया था। परन्तु इस अवधि के दौरान क्या हुआ है? दो वर्षों से उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर नीति निर्माण का प्रभावी माध्यम बनाने और उन पर चर्चा करने का उत्तरदायित्व लिया था। इस अवधि के दौरान क्या हुआ है? ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, ने आपको बोलने मौका दिया है।

श्री दिग्विजय सिंह: मैंने भाषण देने के लिए नहीं, बल्कि स्पष्टीकरण मांगने के लिए उन्हें मौका दिया है। ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: मैं उनका कृतज्ञ हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय: यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो कृपया आप पूछ सकते हैं। आपको भाषण नहीं देना है। वह वाद-विवाद का जवाब दे रहे थे। आप यहां नहीं थे।

श्री पवन कुमार बंसल: इस विधेयक के लिए एक घंटा दिया गया है। इसके पहले इसे समाप्त नहीं किया जा सकता था।

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है। वाद-विवाद हो चुका है और वह इसका जवाब दे रहे थे।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: क्या आप एक मिनट के लिए मेरी बात सुनेंगे? विधेयक को विचारार्थ किया गया था। माननीय सदस्यों को वाद-विवाद में भाग लिया था और मंत्री जी वाद-विवाद पर जवाब दे रहे थे। आप यहां नहीं थे। मेरे विचार से आप स्पष्टीकरण चाह रहे थे। प्रारंभिक चरण में, वह आपको मौका नहीं दे रहे थे। तब उन्होंने बात मानी। यदि आपके पास स्पष्टीकरण है, तो आप कृपा करके स्पष्टीकरण पूछें, ताकि वह जवाब दे सकें।

श्री पवन कुमार बंसल: मैं केवल एक स्पष्टीकरण मांग रहा हूं।

श्री दिग्विजय सिंह: मेरा जवाब पूरा हो जाने दीजिए और तब आप स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन बातों का जिक्र इसलिए कर रहा था कि बंसल जी अगर शुरू में होते तो शायद इनके मन में यह शक नहीं उठ पाता, जो बात मैं कह रहा था। सरकार की ऐसी कोई नीयत नहीं है। दो साल इसकी बैठक नहीं हुई, हम सचमुच इसके लिए शर्मिन्दा हैं। हमें यह बात कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। हम इस शर्मिंदगी को दूर करना चाहते हैं, जिससे आगे इसकी गतिविधि में कोई रूकावट न हो। हम चाहते हैं कि हमने जो डी.जी. के पद का जिक्र किया है, उस पद के आते ही इसकी कार्यवाही सुचारू रूप से चल सके। जैसा मैंने पहले कहा कि जो अल्टीरियर मोटिव इसमें देखा जाता है, उप-राष्ट्रपति के रहते, राज्य सभा के सभापति के रहते, इसमें कौन से सरकारी काम की दखलअंदाजी हो सकती है। जिन लोगों का हमने जिक्र किया, सदन के माध्यम से स्पीकर साहब जिन पांच लोगों को रखेंगे, उसमें इस सदन के सारे लोग होंगे। राज्य सभा से जो लोग होंगे, वे भी सदन के सारे लोग होंगे। सरकार कहां उसमें इंटरफियर करने को तैयार है। हमने कहा कि जिन लोगों की हमने सूची बनाई, जिसके बारे में आपने खुद कहा, हम उसमें कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं, हम उसमें सिर्फ डी.जी. के पद पर एक बदलाव कर रहे हैं, हमारा अमैंडमैंट सिर्फ डी.जी. पर है। बिल में हमारी तरफ से कोई परिवर्तन नहीं है। ऐमीनेंट जर्नलिस्ट्स, ऐमीनेंट वाइस-चांसलर्स, हम सब लोगों को कमेटी में रखेंगे। मैं फिर भी कहना चाहूंगा कि अगर हमारे ऊपर कोई शक हो तो इस सदन में हम फिर से बहस करने को तैयार हैं। जब हमारी ग्रांट्स पर बहस होती है, उसी तरह इस सदन को पूरी छूट और अधिकार होगा। हम चाहते हैं कि इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, इस देश में सरकार के अलावा ऐसी कोई दूसरी संस्था हो जो देश के लोगों को दुनिया में हमारी विदेश नीति के नीति निर्धारण को तय करें।

इसीलिए जो हमारी लगभग 6-70 के करीब सैमीनार्स हुए हैं, उन लोगों ने हमारी फारेन पॉलिसी को बनाने में मदद की है। हमने जो नीति बनाई है, उसमें इसकी हिस्सेदारी है। हमने जो अफ्रीका का इनीशिएटिव लिया है, उसमें इस काउंसिल की तरफ से जो सैमीनार्स हुए, वे उसका महत्वपूर्ण हिस्सा बने हैं। इसलिए यह कहना कि सरकार कोई दखलंदाजी करके इसके अस्तित्व को नष्ट करना चाहती है या इसकी सम्प्रभुता को बर्बाद करना चाहती है, ऐसा हमारी नीयत में कभी नहीं है।

मैं आपके माध्यम से सदन से गुजारिश करना चाहता हूं कि हम इसकी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करना चाहते हैं और उस प्रतिष्ठा में शामिल जिन लोगों के नाम हैं, वे हमारे दल के लोग नहीं थे। इस सदन के उस तरफ केलोग ही उसमें मुख्य रूप से जुड़े हुए हैं चाहे वे जाकिर हुसैन जी हों या राधाकृष्णन जी हों या पंडित जवाहर लाल नेहरू जी हों। ये सब कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से रहे हैं जिनकी बुनियाद पर कांग्रेस बढ़ी है। ये उन लोगों के नाम हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं और मुझे गर्व है कि उन्होंने इस देश की विदेश नीति को बनाने में और इस संस्था के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है और हम उसी परम्परा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हिन्दुस्तान को एक ताकतवर, शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उसकी विदेश नीति क्या हो, उसमें इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स की एक भूमिका चाहते हैं। इस बिल के पास कराने में हमारा इतना ही मकसद है और अगर इस सदन के कुछ सदस्यों को तब भी शक और सुबह लगता है कि हमारी कुछ इच्छा अलग है तो फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि हम उन शक और शुबहों को दूर करने का प्रयास करेंगे। यह अन्ततोगत्वा सदन को ही तय करना है कि किस तरह

का बिल होगा और किस तरह का बिल नहीं होगा। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि सिर्फ एक अमेंडमेंट इसमें है और वह डायरेक्टर जनरल का है। इसलिए यह सदन इसको स्वीकार करे ताकि इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के काम को हम तेजी से आगे बढ़ा सकें।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, मुझे कुछ शब्द बोलने की अनुमति देने के लिए मैं माननीय मंत्री महोदय का आभारी हूं। मुझे अफसोस है कि जब विधेयक पर चर्चा शुरू हुई, मैं उपस्थित नहीं था।

महोदय, मैं उनसे कुछ सामान्य स्पष्टीकरण मांगना चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि कई कारणों से बैठकें नहीं आयोजित की जा सकीं। बैठकें क्यों नहीं आयोजित की गईं? हम बैठक आयोजित करने में विफल रहने का आरोप सरकार पर लगाते हैं। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि संशोधन लाने के पीछे यही विचार है।

सर्वप्रथम खंड (घ) के अनुसार

> ''परिषद् के शासी निकाय द्वारा चयन किये जाने वाले सात सदस्य जो या तो मीडिया के क्षेत्र में विख्यात व्यक्ति हों या ऐसे संगठनों के, जैसे इंडिया इंटरनेशनल सेन्टर, सेन्टर फॉर पालिसी रिसर्च, इंडियन कौंसिल आफ सोशल साइंस रिसर्च, रक्षा अनुसंधान और विश्लेषण संस्थान और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद्, प्रतिनिधि हों तथा जो परिषद के कार्य और उद्देश्यों में रुचि रखते हों;''

ये ऐसे संगठन हैं जिनका उल्लेख अच्छे कारणों से किया गया है। अब इसका निर्णय कौन करेगा। सरकार इंडिया इन्टरनेशनल सेण्टर से किसी का चयन करेगी? इस खंड के अनुसार कोई व्यक्ति जो इंडिया इंटरनेशनल सेन्टर का सदस्य हो ऐसे में वह सदस्य इंडिया इंटरनेशनल सेण्टर का अध्यक्ष क्यों नहीं? यदि वे इस आशय का संशोधन लाते तो मैं यह कहकर उसका समर्थन करता कि यह अच्छा संशोधन है। लेकिन यदि वे यह कहते कि 'इन संगठनों में से कोई जिसे राष्ट्रपति नामांकित करे, यह ऐसा क्यों हो? यदि आप किसी निकाय (संगठन) को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं; तो सर्वाधिक सराहनीय लोकतांत्रिक मानदण्डों का पालन करते हुये प्रतिनिधि भेजने का अधिकार उस निकाय पर क्यों न छोड़ दिया जाये? आप स्वयं इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के प्रतिनिधि का चयन कैसे करेंगे?

महोदय, माननीय मंत्री महोदय मुझे यह कहने के लिए माफ करें कि वे उपराष्ट्रपति का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उस पर हम कुछ बोल नहीं सकते। राष्ट्रपति द्वारा कुछ करने में उनकी सत्यनिष्ठा पर शंका कौन कर रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि हम कह रहे हैं कि सरकार शक्ति अर्जित करने की कोशिश कर रही है। फिर यह संशोधन क्यों? इसका प्रयोजन क्या है? मैं उनसे उस प्रयोजन का स्पष्टीकरण चाहूंगा।

जब वे महानिदेशक की बात करते हैं, तो उसका चयन सरकार के परामर्श से होता है। ऐसा क्यों? सरकार की इसमें भूमिका क्यों होनी चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में राष्ट्रीय नीति बनाने या अपने राष्ट्रीय हित पर प्रभाव डालने वाले महत्वपूर्ण मामलों में स्वतंत्र और अच्छे गैर-सरकारी संगठन आगे आयें, यदि आप उन संगठनों को फलने-फूलने और गतिशील संगठन बनने देना चाहते हैं, तो आप हस्तक्षेप क्यों करते हैं? आप उन पर ही यह क्यों नहीं छोड़ देते हैं? इसी कारण मैंने कहा कि इन कारकों की वजह से हमने प्रथम विधेयक का समर्थन किया था।

उपाध्यक्ष महोदय: आपका तीसरा स्पष्टीकरण क्या है?

श्री पवन कुमार बंसल: तीसरा स्पष्टीकरण परिषद द्वारा नामांकित किये जाने वाले महानिदेशक से संबंधित है। सरकार के सलाह-मशविरे से यह पदेन नियुक्ति है।

इसी तरह मंत्री महोदय ने संसद सदस्यों के निकाय का सदस्य होने के जिन कारकों का उल्लेख किया, वे वाह्य कारक हैं। इन चीजों पर शंका कौन कर रहा है? मेरा कहना है कि 35 सदस्यों का नामांकन होना है। जब अन्य श्रेणियों से नामांकन का प्रावधान है तो संगठन की श्रेणी में भी नामांकन क्यों लाते हो? मैं इस बारे में जानना चाहता हूं।

हम उक्त संगठनों को क्यों लाते हैं? आप प्रतिनिधि भेजने का अधिकार उन पर क्यों नहीं छोड़ देते?

[हिन्दी]

श्री दिग्विजय सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, बंसलजी ने जो आशंका व्यक्त की है, मैंने पहले ही कह दिया था कि गलती हुई है। बैठक होनी चाहिए थी, वह नहीं हो पाई, यह मैंने स्वीकार किया है। लेकिन जहां तक आपने इंडिया इंटरनेशनल सेन्टर की बात कही *...(व्यवधान)* बंसल जी, कृपया सुन लें।

श्री पवन कुमार बंसल: इतनी बात कहने की कोशिश करें कि गलती हुई है। मान रहे हैं।

[अनुवाद]

हमारे उप नेता यहां उपस्थित हैं। हमने सोचा कि शायद यह विधेयक स्थायी समिति में जायेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसे संशोधन स्थायी समिति में जाने चाहिए। अत: कृपया इस पर उत्तेजित न हों। मुझे पता है कि मैं क्या कह रहा हूं।

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर): मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। कृपया आप उनका उत्तर दीजिए। महोदय, नियमों के अंतर्गत हमने निर्णय किया है कि सभा में प्रस्तुत किया गया कोई भी विधेयक, प्रथम पाठन के पश्चात स्थायी समिति में भेजा जायेगा। यदि यह स्थायी समिति में नहीं जाता है तो स्थायी समिति में न भेजने का निर्णय सभा करेगी। परन्तु इस पर सभा में विचार-विमर्श किया जाएगा।

अब उन्होंने विधेयक प्रस्तुत कर दिया है। प्रथम पाठन के समय ने विधेयक को स्थायी समिति में न भेजने की अनुमति मांग सकते हैं। यह एक अलग मुद्दा है। हमने इस पर एक, दो, तीन बार और केवल यहां नहीं बल्कि समिति में भी चर्चा की है और पीठ द्वारा यह फैसला दिया गया है कि स्थायी समिति में भेजे बगैर सभा द्वारा किसी विधेयक पर विचार नहीं किया जायेगा। इस पर केवल एक नहीं, कई बार चर्चा की गई है।

मैं उन लोगों में से एक हूं जिन्होंने स्थायी समिति के लिए नियम बनाये हैं। जब हम स्थायी समिति के लिए नियम बना रहे थे, यह फैसला किया गया कि सभी विधेयक स्थायी समिति में भेजे जायेंगे। केवल तकनीकी प्रकृति वाले विधेयक, जिनमें तिथि या अर्ध विराम बदलना हो, स्थायी समिति में नहीं भेजे जायेंगे। यदि आप इसे स्थाई समिति में नहीं भेजना चाहते तो स्थाई समिति में न भेजने का निर्णय सभा को करना होगा लेकिन यह निर्णय यहां होगा। यही कानून है, यही विनिर्णय है और यही संव्यवहार है। इस प्रक्रिया का पालन होना चाहिए।

आपने विधेयक प्रस्तुत किया है। यह स्थायी समिति में नहीं भेजा जा रहा है। वास्तव में क्या हुआ? उन्होंने दो वर्ष पहले विधेयक प्रस्तुत किया। उन्होंने इसमें कई प्रावधान किये हैं। दो वर्ष के अंदर वे इसमें परिवर्तन करना चाहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यह स्थायी समिति नहीं भेजा गया। स्थायी समिति में सदस्यों को विस्तार से चर्चा नहीं करने दिया गया और हड़बड़ी में विधेयक पारित कर दिया गया। इसी कारण दो वर्ष के अन्दर आपको विधेयक में इतने प्रमुख संशोधन के साथ सभा में वापस आना पड़ा। ऐसी आपात स्थिति से निपटने के लिए ऐसा फैसला किया गया था।

आप महासचिव से पूछ सकते हैं कि क्या ऐसा विनिर्णय दिया गया है या नहीं कि सभी विधेयक स्थायी समिति में भेजे जायेंगे। मैंने इन नियमों का प्रारूपण किया है। हमने इस पर विचार किया है। हमने इस आशय का विनिर्णय दिया है। यह विनिर्णय न केवल मैंने बल्कि पीठासीन अन्य लोगों ने भी दिया है। आप महासचिव से पूछ सकते हैं कि इस मुद्दे पर कोई आशंका या अस्पष्टता नहीं है और तब फैसला लिया जा सकता है।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): उपाध्यक्ष जी, मुझे शिवराज पाटिल जी की बात सुनकर काफी आश्चर्य हो रहा है। उनका यह कहना बहुत बजा है कि रूल्स उन्होंने ड्राफ्ट किये थे और बिल स्टेंडिंग कमेटी को भेजा जाए, इस तरह का नियम था। लेकिन हर विषय को उठाने का अपने यहां समय है। आप स्वयं साक्षी हैं, क्योंकि बी.ए.सी. में आप भी बैठते हैं। मैं स्वयं सरकार की तरफ से क्या विधायी कार्य लिए जाने हैं, यह बिजनेस बी.ए.सी. में रखती हूं। वहां तय होता है कि इस बिल को स्टेंडिंग कमेटी को भेजा जाए या चर्चा के लिए रखा जाए। अभी जो पिछली मीटिंग हुई, आप साक्षी थे कि उसमें विधायी कार्य के लिए बहुत से बिल रखे गए थे। उसमें शिवराज पाटिल जी ने स्वयं कहा था कि यह बिल स्टेंडिंग कमेटी को जाना चाहिए, तो हमने कहा ठीक है। पवन जी ने कहा कि यह बिल स्टेंडिंग कमेटी को जाना चाहिए, तो हमने कहा कि ठीक है जाना चाहिए। लेकिन इस बिल का बाकायदा टाइम अलाट हुआ था, दो घंटे। इस बिल के आगे लिखा गया है—दो घंटे। यही नहीं उसके बाद नियम है कि कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन मैं सदन में रखती हूं। उस कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन के बाद क्या सरकारी कार्य लिया जाएगा, मैं उसको पढ़ती हूं। उसमें मैंने पढ़ा कि इंडियन कौंसिल आफ वर्ल्ड अफेयर्स बिल के लिए दो घंटे निर्धारित किए गए हैं। उसके बाद मैं एक मोशन पेश करती हूं, जिसको सदन स्वीकार करता है और कहता है कि यह सभा इस प्रतिवेदन से सहमत है। यह सारी कार्यवाही इस बिल के लिए हुई। बी.ए.सी. ने समय अलाट किया। मैंने स्वयं इस सदन में आकर यह बात पढ़ी, सदन सहमत हुआ। उसके बाद यह बिल कंसिडरेशन और पासिंग के लिए आया है। बिल पर पूरी चर्चा हो गई है।

चर्चा के बाद मंत्री जी का रिप्लाई हो गया और अब यह कहा जा रहा है कि यह बिल स्टैंडिंग कमेटी को जाना चाहिए, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि कौन से समय यह प्रश्न उठाया जा रहा है। अगर इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी को भेजने का मानस था, तो बीएसी में यह बात कही जाती और मैं मंत्री महोदय से बात करके कह देती कि यह बिल स्टैंडिंग कमेटी को जाना है या नहीं जाना है, उसी तरह प्लीड करती। सदन की बात जो कही जा रही है, सदन की बात तो हो चुकी, सदन ने स्वीकार किया है और इस पर मेरा मोशन है। मोशन में सारी चीजें लिखी हैं कि यह बिल अगली बार सप्ताह के शुरू में लिया जाएगा। जैसे मैंने आज मोशन दिया है और उस मोशन में मैंने सारी चीजें कहीं हैं, जिस पर सदन सहमति प्रकट कर चुका है और कल जब बिल चर्चा के लिए रखा जाएगा, तब स्टैंडिंग कमेटी की बात कहें। इसमें सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद, मंत्री जी का रिप्लाई हो गया

है और अब ये खड़े होकर कहें कि यह बिल स्टैंडिंग कमेटी को जाना चाहिए, यह बात मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। अब केवल मंत्री जी को इस बिल को पारित करने के लिए निवेदन करना है और सदन ने पारित करना है। स्टैंडिंग कमेटी को भेजे की बात थी, तो उसे बीएसी तय करती। बीएसी के निर्णय के बाद सदन कहता कि बीएसी ने गलत किया है। जिस समय मोशन यहां रखा गया था, उस समय सदन तय करता और कहता कि वह बाकी चीजों से सहमत हैं, लेकिन इसको स्टैंडिंग कमेटी को नहीं भेजना है। इस बिल की सारी प्रक्रिया पूरी कर चुका है। मंत्री जी इस बिल की चर्चा के बाद जवाब दे चुके हैं और बिल को पारित करने का प्रस्ताव कर रहे हैं, तब यह कहा जाना कि इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाए, बिल्कुल सही बात नहीं है।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील: मुझे इस प्रश्न का उत्तर देना है *...(व्यवधान)* श्री राम नाईक को अपनी बात कहने दीजिए और फिर मैं इसका उत्तर दूंगा।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी एक बात कहनी है। जब से इस बिल पर चर्चा शुरू हुई है, मैं तब से सदन में बैठा हुआ हूं। जितने भी माननीय सदस्यों ने भाषण दिए हैं, उनमें से एक ने भी मांग नहीं की है कि इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा): हमने इसका विरोध किया है।

श्री दिग्विजय सिंह: आपने इसका विरोध किया है। किंतु आपने इसे स्थायी समिति को भेजने के बारे में कभी नहीं कहा *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे श्री राम नाईक की बात सुनने दीजिए। आप उत्तेजित क्यों होते हैं?

[हिन्दी]

श्री राम नाईक: उपाध्यक्ष महोदय, क्लैरिफिकेशन के तौर पर सवाल पूछने के लिए खड़े होकर यह कहना ठीक नहीं है।

श्री शिवराज वि. पाटील: इनके बाद अन्य कोई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, तो ठीक है, नहीं तो मैं जवाब दे देता हूं।

श्री दिग्विजय सिंह: जवाब आपको क्या देना है, जवाब तो हम दे रहे हैं। आपको सवाल पूछना है, तो पूछ लीजिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं इस मामले में माननीय मंत्री को नहीं अपितु अध्यक्षपीठ को संबोधित कर रहा हूं। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री दिग्विजय सिंह: इस बारे में सदन को फैसला लेना है। *...(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, पहले मैंने अंग्रेजी में बोला था, अब मैं हिन्दी में बोलूंगा। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को अचम्भा हुआ है। वह अचम्भा क्यों गलत है, मैं बताना चाहता हूं। वे नई-नई पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर बनी हैं, उनको रूल्स के बारे में पूरी तरह से मालूम नहीं है, तो उसकी मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं रूल पढ़कर बता देता हूं।

[अनुवाद]

यही वह समय है जब हमें यह करना है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला): आप यह नहीं कह सकते हैं कि सुषमा जी को रूल्स का ज्ञान नहीं है। यह कहना गलत है। *...(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर की बातों को तोड़ने से मुझे दर्द होता है। आप समझी नहीं, यह बोलना मुझे बुरा लगता है। अगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह मैटर बीएसी में डिसाइड नहीं होता है। दूसरी बात, इस मैटर के ऊपर डिसीजन स्पीकर महोदय को लेना होता है। तीसरी बात, बिल पास करने के लिए तीन स्टेजेज होते हैं। पहली स्टेज कन्सीडरेशन की होती है। दूसरी स्टेज क्लाज-बाइ-क्लाज रीडिंग की होती है और तीसरी स्टेज बिल को पास करने की होती है। रूल्स में स्पैसिफिकली बताया गया है कि फर्स्ट रीडिंग के बाद इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी को भेजना है। जैसे जब बजट आता है, तब बजट के ऊपर जनरल डिसकशन

[श्री शिवराज वि. पाटील]

होने के बाद डिमान्ड्स स्टैंडिंग कमेटी को जाती हैं। बिल के विषय में फर्स्ट रीडिंग के बाद बिल स्टैंडिंग कमेटी को जाता है। यह प्रोसीजर है। मैं कहूंगा कि यदि आपके ध्यान में नहीं है, तो बुरा लगेगा। मैं बतलाना चाहता हूं कि हर चीज पर अचम्भा हो रहा है, लेकिन प्रोसीजर यही है।

[अनुवाद]

माननीय मंत्री कार्यमंत्रणा समिति में हुई चर्चा का उल्लेख नहीं कर सकते हैं। महोदया, यदि आपको इस सभा की स्वीकृति मिली हुई है तो वह विधेयक को पुर:स्थापित करने के लिए मिली हुई है, विधेयक पर विचार करने के लिए नहीं। कृपया यह बात समझिए ...*(व्यवधान)* जैसा कि मैंने पहले कहा है, आपको विधेयक पुर:स्थापित करने के लिए इस सभा की स्वीकृति मिली हुई है ...*(व्यवधान)* हम इस मुद्दे पर पीठ का विनिर्णय सुनना चाहते हैं।

अपराह्न 3.00 बजे

हम इस मुद्दे पर पीठ का विनिर्णय सुनना चाहते हैं। आप कोई भी निर्णय दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: आप पहले अपनी बात पूरी कर लें, उसके बाद मैं जवाब दूंगी।

श्री शिवराज वि. पाटील: आप जवाब दीजिए, और जरूर इस मामले को उठाइये। आप कह रही हैं कि आपको अचम्भा हो रहा है। बीएसी में क्या होता है, उसे रैफर न करें। मैं भी बता सकता हूं कि बीएसी में क्या हुआ? बीएसी में यह तय हुआ और आप वहां हाजिर थीं। यदि आपको एविडैंस लेना है, जो वहां दूसरे मैम्बर्स थे, उनका ले सकते हैं। यहां यह चर्चा हो गई कि कोई भी बिल स्टैंडिंग कमेटी में जाना जरूरी है। यदि वह स्टैंडिंग कमेटी में नहीं जाता है तो उसके लिए हाउस की परमिशन लेनी पड़ती है। यहां तक कांस्टीट्यूशन अमैंडमेंट बिल के बारे में भी हमने कहा कि यदि उसे तुरन्त पास करना चाहते हैं तो उसके लिए हाउस से परमिशन लेनी होगी। इसके बाद भी यदि आपको अचम्भा हो रहा है तो गलत बात है। बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास जाने की स्टेज फर्स्ट रीडिंग के बाद है, क्लॉज-बाय-क्लॉज रीडिंग के पहले है। इसलिए यही स्टेज है, जब यह स्टैंडिंग कमेटी को जाना चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब कृपया मुझे बोलने दीजिए। तीन बजे के बाद से गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक पर चर्चा शुरू होनी है। मैंने कल के लिए इस मुद्दे हेतु समय बढ़ाया है और फिर मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक को चर्चा हेतु लूंगा।

श्रीमती सुषमा स्वराज: क्यों क्या आप इसे विचारार्थ नहीं ले रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री दिग्विजय सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, सब चीजें खत्म हो चुकी हैं। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: एक बात जो बिल्कुल गलत कही गई, आप मुझे वह क्लीयर करने दीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने केवल इतना कहा है कि यह समाप्त होने नहीं जा रहा है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: उन्होंने कहा कि मैंने इंट्रोडक्शन के लिए सदन से सहमति मांगी थी, यह बात गलत है। मैंने कंसिडरेशन एंड पासिंग की सहमति मांगी थी। यह रूल ही अलग है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, पहले मैं आपको नियम स्पष्ट कर दूं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: उपाध्यक्ष महोदय, आप कम से कम इन बातों का मुझे जवाब देने दीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: आप जवाब दीजिए लेकिन मैं रूल पढ़ कर बताता हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है। कृपया मुझे समाप्त करने दें।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: क्या आप मुझे यह समाप्त करने देंगे?

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इंट्रोडक्शन की सहमति नहीं मांगी थी। मैंने कंसिडरेशन एंड पासिंग की मांगी थी। मैं आपको रूल पढ़ कर बता रही हूं। मैंने जो मोशन मूव किया था वह कंसिडरेशन एंड पासिंग का था। वह इंट्रोडक्शन का नहीं था।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मेरा विकल्प मात्र गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक विचारार्थ लेना है। अपराह्न 3.05 का समय हो चुका है।

...(व्यवधान)

श्री शिवराज वि. पाटील: क्या मुझे आपको नियम स्पष्ट करने की अनुमति नहीं दी गई? *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: यहां टोटली गलत बात कही जा रही है। मैंने मोशन कंसिडरेशन एंड पासिंग का पास करवाया था। यह इंट्रोड्यूस बहुत पहले हो चुका है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब मेरे पास केवल एक विकल्प है। या तो मुझे अनुमति लेनी होगी।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: उपाध्यक्ष महोदय, यह फर्स्ट रीडिंग की स्टेज नहीं है। यह कंसिडरेशन एंड पासिंग का मोशन था। *...(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: आप कंसिडरेशन एंड पासिंग के मोशन पर भी डिस्टिंग्विश नहीं कर रहे हैं। जब बिल आता है तो फर्स्ट स्टेज पर कंसिडरेशन होती है। *...(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: वह पहले हो चुका है। आपको गलतफहमी हो रही है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह बदनोर (भीलवाड़ा): विधेयक पहले ही पुर:स्थापित और सभा द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। आज, विधेयक पर केवल विचार करना है।

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे इस मामले को समाप्त होने तक जारी रखने हेतु सभा की अनुमति लेनी होगी अथवा मुझे इसे यहीं पर रोकना होगा और फिर हम इस पर कल चर्चा जारी रखेंगे।

...(व्यवधान)

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन): गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों को अपराह्न 3 बजे चर्चा हेतु लिया जाना था *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राष्ट्रपाल जी, मुझे इस सभा की राय लेनी है।

श्री पवन कुमार बंसल: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब सूचना की स्वतंत्रता संबंधी विधेयक को सभा में विचारार्थ लिया गया था, मैं विधेयक के बारे में बोला था। उस समय मैंने यह अनुरोध किया था कि इसे स्थायी समिति के पास भेजा जाए और इसे स्थायी समिति के पास भेजा गया। किंतु दुर्भाग्यवश, विधेयक पर विचार करने और पारित करने पर उन्हें भ्रांति है। विधेयक को पारित करना अंतिम सोपान है। इस समय यह विचाराधीन है। माननीय मंत्री कह रही हैं कि सारी कार्यवाही पूरी हो चुकी है। वे विधेयक पर वोटिंग हुए बिना ऐसा कैसे कह सकती हैं? फिर वोटिंग का समय आने पर मेरे पास उठाने हेतु कई अन्य मुद्दे हैं? हम आज इस विधेयक पर मतदान नहीं कर सकते हैं *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सभा में गणपूर्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय: घंटी बनाई जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय: अब गणपूर्ति हो गई है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: उपाध्यक्ष जी, पता नहीं क्यों बेवजह उत्तेजना हो गई। मैं बहुत ही शान्ति से अपनी बात रखना चाहती हूं। जैसा मैंने प्रारम्भ में ही कहा कि मैं कभी भी कल्पना नहीं कर सकती कि श्री शिवराज पाटील जी से किसी विषय पर मुझे उलझना पड़े। मुझे इस बात का दुख हुआ जब उन्होंने मुझ पर व्यक्तिगत वार करते हुए कहा कि मैं अभी-अभी संसदीय कार्य मंत्री बनी हूं, इसलिए मुझे रूल्स की जानकारी नहीं है। पहली बात यह है कि जब भी कोई सदन में आता है, केवल संसदीय कार्य मंत्री को रूल्स की जानकारी होती है, ऐसा नहीं है। इस सदन के

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

सभी सदस्य रूल्स पढ़ते हैं। मैं पिछले 13 साल से संसद में हूं और शायद लोक सभा और राज्य सभा के सभी रूल्स मेरे टिप्स पर हैं। जहां तक बिल्ज की बात है, यह सब को मालूम है कि उस में फर्स्ट रीडिंग, सैकिंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग होती है। मैंने सारे रूल्स सदन में नहीं पढ़े। जब मैंने लॉ किया था, श्री पवन कुमार बंसल मेरे साथ थे, उस समय पढ़ा था कि बिल कैसे पास होता है और इसकी तीन रीडिंग—फर्स्ट, सैकिंड और थर्ड होती हैं। यह जानकारी मुझे आज से 33 साल पहले हो गई थी।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक आज के विषय का सवाल है और मैंने जो बात कही, एक गैर-जानकारी के आधार पर श्री शिवराज पाटील बात कर रहे थे। यह बिल इंट्रोड्यूस करने के लिए सदन की सहमति नहीं मांगी गई। मैं बी.ए.सी. का जिक्र नहीं करना चाहती। मैं मोशन पढ़कर सुनाना चाहती हूं जो मैंने यहां रखा था। यह उस दिन का मोशन है जिसकी कंसीड्रेशन और पासिंग के लिए मैंने अनुमति मांगी थी और आज बिल पासिंग और कंसीड्रेशन के लिए लगा है।

फर्स्ट रीडिंग उस समय खत्म हो गई जब इंट्रोडक्ट्री स्टेज थी। जैसा मैंने कहा कि हर विषय को उठाने का यहां समय है। कांस्टीट्यूशन तय करता है कि फर्स्ट रीडिंग पर आप केवल लेजिस्लेटिव काम्पीटैन्स के आधार पर किसी भी बिल की आलोचना कर सकते हैं या उसे रोकने की बात कर सकते हैं। यह बिल बहुत पहले इंट्रोड्यूस हो चुका है। यह बिल आज इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा है। यह आज का लिस्ट ऑफ बिजनेस है, जहां यह बिल कंसीडरेशन एंड पासिंग के लिए लगा है। यह वह मोशन है जो मैंने 23 अप्रैल को इसी सदन में मूव किया था और जिसमें मैंने कहा था–

[अनुवाद]

> ''विचार करने और पारित करने हेतु विधेयक: विश्व मामलों से संबंधित भारतीय परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार करना और उसे पारित करना—2 घंटे''

[हिन्दी]

इसलिए मैं कहना चाह रही हूं कि जो वह समझ रहे हैं कि मैंने इंट्रोडक्शन के लिए सहमति मांगी थी या बिल की फर्स्ट रीडिंग चल रही है, यह सच नहीं है। मैंने कंसीडरेशन एंड पासिंग की अनुमति मांगी थी, इंट्रोडक्शन की अनुमति मैं इससे पहले वाले मोशन में मांग चुकी थी। यह सहमति सदन ने दी है। आज उसकी सैकिंड रीडिंग हो चुकी है, इंट्रोडक्शन पहले हो गया है। यह फर्स्ट रीडिंग की स्टेज नहीं है, इंट्रोडक्शन पहले हो चुका है। इंट्रोडक्शन के समय किसी तरह की आलोचना नहीं हुई। इंट्रोडक्शन के समय किसी ने नहीं कहा कि यह बिल स्टैंडिंग कमेटी में जाए। उसके बाद कंसीडरेशन एंड पासिंग की मैंने सहमति मांगी, उस पर सदन ने सहमति दी और आज सैकिंड रीडिंग हो गई, थर्ड रीडिंग हो गई। अब केवल पासिंग की स्टेज है। सर, अब केवल मंत्री महोदय को यह कहना है कि विधेयक पारित किया जाए और आपको कहना है हां या न का जवाब और फिर आपको कहना है, सहमति है।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल: महोदया, भगवान के लिए कृपया ऐसी गलती मत करिए ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: उन्हें बात पूरी करने दीजिए। मैं यहां पर बैठा हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: अब बिल उस स्टेज पर है जब केवल मंत्री महोदय यह कहेंगे, वह रिप्लाई भी दे चुके हैं, अब केवल वह स्टेज है जब आप कहेंगे–

[अनुवाद]

''मंत्री जी यह प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।'' मंत्री जी खड़े होंगे और कहेंगे: ''मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाये।'' फिर महोदय, आप कहेंगे, 'हां' और 'नहीं', फिर आप कहेंगे, ''हां के पक्ष में निर्णय हुआ है। हां के पक्ष में निर्णय हुआ विधेयक पारित हुआ। यह सोपान है।

[हिन्दी]

इस स्टेज पर यह कहना कि यह बिल स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाए, यह बिल्कुल नियमों के विरुद्ध होगा।

श्री पवन कुमार बंसल: सुषमा जी से इतनी बड़ी गलती नहीं हो सकती, जो हो गई।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमती सुषमा स्वराज को यथोचित सम्मान देते हुए, मैं यह कहना चाहता हूं कि वे बहुत ही बुद्धिमान और कुशल मंत्री हैं तथा काफी अच्छा काम कर रही हैं। हमें उनसे पर्याप्त सहयोग प्राप्त हो रहा है। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। महोदय, मान लो उन्हें कानून के बारे में गलत जानकारी है और यहां बैठे कुछ सदस्य आपको और इस सभा को यह समझा रहे हैं और आपसे एक विनिर्णय देने को कह रहे हैं, तो ऐसा महसूस नहीं किया जाना चाहिए कि हम

उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। हम उनकी बेइज्जती नहीं कर रहे हैं। वे आदर करने योग्य माननीय सदस्य और मंत्री हैं और हम उनका सम्मान करते हैं। मेरी यह बात कार्यवाही-वृत्तांत में अवश्य शामिल की जानी चाहिए।

महोदय, उन्हें यह समझना चाहिए कि जब हम आपत्ति कर रहे हैं तो हम किसी और बात की नहीं, अपितु कानून की गलत व्याख्या पर आपत्ति जता रहे हैं। महोदया, आज बोलते हुए आपने यह कहा है कि यह दूसरा वाचन है। यह दूसरा वाचन नहीं है। विधेयक को पुर:स्थापित करना पहला वाचन नहीं है। जब विधेयक को पुर:स्थापित किया जाता है तो इसे पहला वाचन नहीं माना जाता है। जब विधेयक को सभा में विचारार्थ रखा जाता है तो इसे पहला वाचन माना जाता है और संभवतया आप पुर:स्थापन स्तर पर इसे गलती से पहला वाचन समझ रहे हैं। मेरा यह कहना है कि जब तक यह विधेयक सभा के समक्ष नहीं लाया जाता है, माननीय अध्यक्ष महोदय के पास इस विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजने का कोई अधिकार नहीं है। यह अधिकार केवल इस विधेयक को पुर:स्थापित करने के बाद है और सामान्यतया जब आम सिद्धांतों की चर्चा की जाती है, तो इस विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजा जाता है ...*(व्यवधान)*

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर: चर्चा के बाद नहीं ...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: चर्चा के बाद ...*(व्यवधान)*

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: चर्चा के बाद ...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: हमें आपस में लड़ाई में नहीं पड़ना चाहिए। माननीय पीठ को कोई निर्णय देने दीजिए और हम उसे मानने को बाध्य हो जाएंगे। मुझे अपना मत व्यक्त करने दीजिए ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर): महोदय, मेरा नियम 76 के अंतर्गत व्यवस्था का प्रश्न है। कृपया मुझे अनुमति दें ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: उन्हें अपनी बात समाप्त करने दीजिए। इसके बाद मैं आपको बोलने का मौका दूंगा।

श्री शिवराज वि. पाटील: मुझे आपका विनिर्णय सुनना है। अत:, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया मेरे अनुरोध पर ध्यान दें। महोदय, पहला वाचन विधेयक पुर:स्थापित करने का सोपान नहीं है। हम यह समझ लें कि पहला वाचन विधेयक पर विचार करने का सोपान है। दूसरा वाचन विधेयक का खंडवार अध्ययन करना और तीसरा वाचन वह सोपान है जब मंत्रीजी खड़े होते हैं और कहते हैं कि विधेयक पारित किया जाये। अब, ऐसा हो सकता है कि जब विधेयक सभा के समक्ष हो जब पुर:स्थापित हो और इस पर विचार किया जाए तो वह तभी स्थायी समिति को भेजा जा सकता है। अध्यक्ष इस सोपान के बाद विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजते रहे हैं। यही वह चरण है जब इसे भेजा जाये। ऐसा इस सभा में हुआ है। यदि आप ऐसा समझते हैं और कोई अन्य विनिर्णय देना चाहते हैं, तो कृपया कोई और विनिर्णय दें। यदि आप विनिर्णय को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है, किंतु इस मुद्दे पर हमेशा के लिए चर्चा कर ली जाए और स्पष्ट रूप से इसका निराकरण कर दिया जाए। अध्यक्ष के रूप में, मैंने एक विनिर्णय दिया था। दूसरे अध्यक्षों ने भी निर्णय दिए थे। वे कार्यवाही-वृत्तांत का एक हिस्सा है।

[अनुवाद]

यदि आप को इन बातों पर विचार करने के लिए समय की आवश्यकता है तो कृपया समय लीजिए और इस मुद्दे पर अंतिम विनिर्णय दें। तत्पश्चात्, आपको इस पर विचार करना होगा।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: उपाध्यक्ष जी, इससे पहले कि आप रूलिंग दें, मैं दो बातें आपसे कहना चाहती हूं। पहली बात यह कि मैंने कभी नहीं कहा कि इंट्रोडक्शन से पहले बिल स्टैंडिंग कमेटी को जाता है। यह तो वह कहेगा, जिसे बिल्कुल नियमों की जानकारी नहीं होगी। पहले बिल इंट्रोड्यूस होता है, उसके बाद स्पीकर या चेयरमैन उसको स्टैंडिंग कमेटी को भेजते हैं। इसलिए बिल इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद की स्टेज थी कि बिल स्टैंडिंग कमेटी को जा सकता था। मैं फिर कहना चाहूंगी कि जब मैंने दोबारा बीएसी के सामने रखा तो टाइम अलॉटमेंट के लिए रखा। वह समय था जब बीएसी कहती। ...*(व्यवधान)* एक मिनट मुझे अपनी बात पूरी करने दें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: जो वह कहना चाहती है उन्हें कहने दीजिए।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: उपाध्यक्ष जी, वह स्टेज निकल गई। अब उसके बाद शिवराज पाटिल जी ने कहा। ...*(व्यवधान)* मैं आपकी बात ही कह रही हूं। आपने कहा कि उसके बाद सदन तय कर सकता है कि स्टैंडिंग कमेटी को जाए या न जाए।

श्री शिवराज वि. पाटील: जाए या नहीं जाए नहीं, मुझे इसे सही करने दीजिए ...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: एक मिनट आप लोग शांत बैठिए।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील: जो मैंने कहा था वह यह है कि सभी विधेयक स्थायी समिति को सौंपने होंगे। यदि सदन यह नहीं चाहता तो सदन इस बारे में निर्णय ले सकता है। मैंने यही बात कही थी।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: सारा झगड़ा खत्म। जो शिवराज जी चाहते हैं, आप वह कर लीजिए। आप इनके बिल को वोट करने से पहले आप इनका मोशन जो कि आया नहीं है, ओरल मोशन स्वीकार कर लीजिए और पूछ लीजिए सदन से कि क्या यह बिल स्टैंडिंग कमेटी को जाना चाहिए-उस पर हां या ना कर लीजिए। उसके बाद बिल पर वोट करा लीजिए। झगड़ा खत्म करिये। हम इस पर झगड़ा नहीं चाहते। उनका ओरल मोशन स्वीकार कर लीजिए कि स्टैंडिंग कमेटी को जाए या नहीं जाए। सदन हां या ना कहेगा, उसके बाद बिल पर वोट कराइए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील: संसदीय कार्य मंत्री इस मामले की वकालत कर रहे हैं। मैं ऐसे मामले की वकालत करने से कतराता हूं। संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि स्थायी समिति को भेजने से पूर्व हमें प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। इसे समिति को न भेजे जाने हेतु उन्हें ही प्रस्ताव पारित करना होगा न कि हमें। उन्हें ही यह काम करना है। मैं सभा में उनके द्वारा दिये जाने वाले वक्तव्यों के खंडन करने से कतराता हूं। यह सरकार को करना होता है। यह सरकारी विधेयक है। यह गैर-सरकारी सदस्यों से संबंधित विधेयक नहीं है। आपने प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है। आप सभा में प्रस्ताव लाइए, तभी सभा इस पर विचार करेगी।

[हिन्दी]

श्री दिग्विजय सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो इस बिल को आपके सामने रखने वाला था, तब तक बंसल साहब ने हमसे कुछ पूछा। मैं उसका जवाब दे रहा था। बहस की बात तो खत्म हो चुकी थी। तब तक पाटिल जी आकर इस बहस को फिर आगे बढ़ाना चाह रहे थे। मैं बोलने जा रहा था कि हमें इजाजत दी जाए कि हम इस बिल को आपके सामने मूव करें और आप इस पर बोलने ही वाले थे। यह बात कहां से उठ गई मेरी समझ में बात नहीं आई। आपसे मैं इजाजत चाहूंगा अगर आपकी इजाजत हो तो "मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए" मैं तो यही बोलने जा रहा था। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील: आप इस बात को समझ नहीं पाये हैं। सबसे पहले, विधेयक पर विचार किया जाता है। तत्पश्चात् इसे मतदान हेतु रखा जाता है और इसके पश्चात आप विधेयक पर खंडवार विचार करते हैं। तब आपको इसे प्रस्तुत भी करना होता है। आपने इसे खंडवार विचार हेतु प्रस्तुत नहीं किया है। आप यह कैसे कह सकते हैं कि विधेयक को पारित किया जाये? ...*(व्यवधान)* मुझे आश्चर्य हो रहा है कि सभा में यह सब कैसे हो रहा है ...*(व्यवधान)* मुझे वास्तव में आश्चर्य हो रहा है कि मंत्री जी इन सब बातों को कैसे कह रहे हैं ...*(व्यवधान)* सरकार को यह सब करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री दिग्विजय सिंह: वह सब हो चुका है। आप उस समय नहीं थे।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाइं: मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री खारबेल स्वाइं का व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री खारबेल स्वाइं: महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न नियम 76 के अंतर्गत आता है। इसमें उल्लेख है:

> "विधेयक के प्रभारी सदस्य के अतिरिक्त किसी अन्य सदस्य द्वारा यह प्रस्ताव नहीं किया जाएगा कि विधेयक पर विचार किया जाये या विधेयक को पारित किया जाये और विधेयक के प्रभारी सदस्य के अतिरिक्त किसी अन्य सदस्य द्वारा, विधेयक के प्रभारी सदस्य द्वारा किए गए प्रस्ताव पर संशोधन के रूप के अतिरिक्त यह प्रस्ताव नहीं किया जाएगा कि विधेयक सभा की प्रवर समिति या राज्य सभा की सहमति से दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपा जाये या राय जानने के लिए परिचालित किया जाये"

इसलिए, वास्तव में, इस समय, ऐसा और कोई नहीं कर सकता है। मंत्रीजी के पास नियम 76 के अंतर्गत ऐसा करने का अधिकार है। इसलिए, ऐसे समय पर एक सदस्य, जो कि प्रभारी नहीं है इस मुद्दे को कैसे उठा सकता है? वह ऐसा नहीं कर सकते हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: यह सलेक्ट कमेटी का है।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाइं: यह प्रवर समिति और संयुक्त समिति दोनों के बारे में बात करता है यद्यपि इसमें स्थायी समिति के बारे में कोई विशेष उल्लेख नहीं है *...(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, स्थायी समिति के लिए नियम 331ग में दिया गया है *...(व्यवधान)*

मेरा पहले अनुरोध यह है कि जिस नियम को श्री खारबेल स्वाइं ने पढ़ा उसमें केवल प्रवर समिति का जिक्र है। अब प्रवर समिति में भेजने हेतु कोई मामला नहीं है। हममें से किसी ने भी ऐसा करने के लिए नहीं कहा है। हमने विधेयक को जनता की राय प्राप्त करने हेतु परिचालित किये जाने के लिए नहीं कहा है। हम तो विधेयक को स्थायी समिति में भेजने के लिए कह रहे हैं *...(व्यवधान)*

महोदय, कृपया मेरी बात सुनिए और उसके बाद आप इसका निपटान कर सकते हैं। *...(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं: महोदय, नियम 331ग में उल्लेख है ''सदनों की विभागों से सम्बद्ध स्थायी समितियां होगी'' वहां मात्र यही बात लिखी हुई है *...(व्यवधान)* इसलिए, नियम 331ग प्रासंगिक नहीं है। नियम 331ग में ऐसा कुछ भी उल्लेख नहीं है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल: कंसीडरेशन क्या होता है, आप इसे पढ़िए। *...(व्यवधान)*

श्री दिग्विजय सिंह: आप क्या करना चाहते हैं, यह बताइए? *...(व्यवधान)* इस विधेयक का समय भी पूरा होने जा रहा है। *...(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: इसके लिए दो घंटे का समय फिक्स किया है।

[अनुवाद]

श्री दिग्विजय सिंह: महोदय, क्या अब मैं, प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता हूं *...(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं: महोदय, नियम 331ग इसके बारे में कुछ नहीं कहता है इसलिए यह यहां पूरी तरह अप्रासंगिक है। आप, कृपया अपना विनिर्णय दें *...(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): इससे, पहले मुझे एक अनुरोध करना है।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया): उपाध्यक्ष महोदय, हाउस सबसे सर्वोपरि है।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल: उपाध्यक्ष महोदय, मेरी पहली बात बहुत ही संक्षिप्त निवेदन है, वह यह है कि नियम 76 यहां बिल्कुल प्रयोज्य नहीं है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: आप इस विधेयक को कब तक रोकेंगे, इस पर वोटिंग भी होनी है। क्या अल्पमत सभा में शासन करेगा? वोटिंग का मामला है और इस पर इतनी देर हो गई है। इन्होंने मूव कर दिया, सब कुछ हो गया, उसके बावजूद भी ये इतनी देर से वोटिंग रोके जा रहे हैं, यह क्या तरीका है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे विनिर्णय देना है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती आभा महतो (जमशेदपुर): महोदय, ये कभी कोरम की बात करते हैं और कभी स्टैंडिंग कमेटी की करते हैं। ये कहना क्या चाहते हैं। महोदय, केवल सदन का समय बर्बाद किया जा रहा है, और कुछ नहीं है।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल: तत्पश्चात्, क्या बुद्धिहीन बहुमत शासन करेगा? हम एक कानून सम्मत प्रश्न उठा रहे हैं और वे इस कानूनी प्रश्न से बच रहे हैं। कानून सम्मत प्रश्न यह है। हम विधेयक पर चर्चा कर रहे थे और यही वाद-विवाद है। यही वाद-विवाद का जो कि चल रहा था *...(व्यवधान)* यदि मुझे समझाया

[श्री पवन कुमार बंसल]

नहीं गया, तो इसी वाद-विवाद के दौरान सदस्य बोलते हैं जो कि उस समय चल रहा था। मंत्री जी भी सदस्य होते हैं। मंत्री बोल रहे थे। उसके भाषण के दौरान, मैं आपका हस्तक्षेप चाह रहा था और मैंने भी कुछ शब्द कहे थे। मैंने यह भी अनुरोध किया था कि विधेयक को स्थायी समिति को सौंप दिया जाए। मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहूंगा।

[अनुवाद]

दूसरी ओर बैठे सदस्यों ने कहा कि विधेयक पारित होने से पहले इस मांग को आप कभी भी रख सकते हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: हम रिक्वैस्ट को नहीं मानते।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, हम नियमों का पालन करेंगे हम आपसे इस बारे में विनिर्णय चाहते हैं। इस बारे में अगर आप समय चाहें, तो आप ले सकते हैं। यह आपसे विनिर्णय चाहते हैं और नियम को उद्धृत करने के बाद ही इस विधेयक को लाया जाना चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्री जे.एस. बराड़ (फरीदकोट): महोदय, कांग्रेस पार्टी के उप-नेता इस सदन के सम्माननीय अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण विनिर्णय दिये हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल: मानने वाली एक बात है, लेकिन आपका यह कहना कि हम नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं और आप जो कह रहे हैं, वह सही है, यह गलत है। क्लाज बाई क्लाज को आप समझते ही नहीं हैं कि क्या होता है। यही तो हुआ है। ...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: हम क्या समझते हैं, कुछ भी नहीं समझते।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे अपना निष्कर्ष देने दीजिए। श्री शिवराज पाटील ने मुद्दा उठाया है कि वाचन के पहले चरण में अगर चर्चा चल रही हो और अगर वह पूरी नहीं हुयी है तो उस दौरान उस मुद्दे को स्थायी समिति को भेजा जा सकता है। उस ओर से झगड़ा इस बात का है कि जब माननीय मंत्री जी चर्चा का उत्तर दे देते हैं तो वाचन का पहला चरण पूरा हो जाता है। अब स्वयं उन्होंने अनेक विनिर्णय दिये हैं। इनसे पूर्व अध्यक्षों ने भी अनेक विनिर्णय दिये हैं। उन सब के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: आप वोटिंग कराइये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कोई भी विनिर्णय देने से पहले, मैं स्वयं उन विनिर्णयों को देखना चाहूंगा। स्वयं उन्होंने अनेक विनिर्णय दिये हैं। अगर सचिवालय मुझे वे सब विनिर्णय उपलब्ध करा दे तो मैं उनका अध्ययन कर निष्पक्ष विनिर्णय दे सकता हूं।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, कृपया मेरी बात सुनें।

[हिन्दी]

ठीक है, आप यह कहें कि समय हो रहा है। वोटिंग के बाद 4-4 बार हर बार यह हो रहा है कि वोटिंग के टाइम पर हाउस को डिस्टर्ब करो। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: टाइम की बात नहीं है। विजय कुमार जी, आप जरा सुनिये तो सही।

[अनुवाद]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: क्या कोई ऐसा विधेयक इस सदन ने पारित किया गया है जो स्थायी समिति के पास न गया हो? ...*(व्यवधान)* ऐसे सैकड़ों विधेयक हैं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अनेक विधेयक पारित किये जा चुके हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: शिवराज जी कोट करें कि कोई बिल ऐसा है कि बिना स्टेंडिंग कमेटी में गये पास हुआ है कि नहीं हुआ है। यह अनिवार्य नहीं ...*(व्यवधान)* यह थोड़े ही है कि यह बिल स्टेंडिंग कमेटी में जायेगा ही।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, कृपया नियम 288 देखें *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री दिग्विजय सिंह: मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि स्टेंडिंग कमेटी को भेजने का शिवराज जी का प्रस्ताव है। अगर इसे स्टेंडिंग कमेटी में भी भेजने की बात हो रही है, वह भी तो हाउस की सेंस से ही तय होगा। आप हाउस की सेंस ले लीजिए कि स्टेंडिंग कमेटी में जाये। हम इनकी बात को मानते हैं, हाउस की सेंस ले ली जाये कि इसे स्टेंडिंग कमेटी में भेजना है या नहीं भेजना है। *...(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: वह स्पीकर करते हैं। *...(व्यवधान)*

श्री दिग्विजय सिंह: हमने उनकी बात मान ली, जो वे कह रहे हैं। हम उनकी बात मानने को तैयार हैं, आप हाउस की सेंस ले लें।

उपाध्यक्ष महोदय: विजय कुमार जी, मुझे अपनी बात पूरी करने से पहले ही आप बोलने लगे।

श्री दिग्विजय सिंह: हम उनकी बात मान रहे हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिवराज जी ने एक बात कही कि स्टेंडिंग कमेटी में नहीं जाना चाहिए, यह मोशन संसदीय कार्य मंत्री लायें। मैं फिर कह रही हूं कि संसदीय कार्य मंत्री को तो इस मोशन की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी, क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री ने जो मोशन रखा, उससे सदन ने सहमति जाहिर कर दी। अब अगर शिवराज जी चाह रहे हैं कि स्टेंडिंग कमेटी को जाये तो यह मोशन इनका है। मैं कह रही हूं कि ओरल मोशन ले लीजिए और अभी वोटिंग करवा दीजिए। इनका मोशन ले लीजिए न। *...(व्यवधान)* संसदीय कार्य मंत्री को इस मोशन की जरूरत नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री को यह मोशन देने की जरूरत इसलिए नहीं है कि मेरा मोशन तो सदन ने मान लिया। अगर आपका मोशन है कि यह जाना चाहिए तो वह मोशन दीजिए और मोशन पास करवा लीजिए, उसमें समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? सरकार यह नहीं चाहती। *...(व्यवधान)* उपाध्यक्ष जी, अगर मोशन की भाषा यह है कि यह स्टेंडिंग कमेटी को नहीं जाना चाहिए, तब तो मैं मोशन लाती या संबंधित मंत्री लाते। हमें दो सदन ने दो घंटे दे दिये और सदन ने मेरा मोशन स्वीकार कर लिया। अगर वे चाहते हैं कि स्टेंडिंग कमेटी में यह बिल जाना चाहिए तो वे ओरली मोशन लायें और वोटिंग करवा लें।

श्री शिवराज वि. पाटील: आप मोशन लायें कि यह स्टेंडिंग कमेटी में नहीं जायेगा।

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं ओरल मोशन देती हूं।

श्री शिवराज वि. पाटील: ऐसा मोशन नहीं होता है।

[अनुवाद]

इस तरह का प्रस्ताव लाने का प्रश्न ही नहीं उठता *...(व्यवधान)* आप ऐसा नहीं कह सकते। यह विधि के अनुसार है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: मेरे मोशन की तो जरूरत ही नहीं है। *...(व्यवधान)* मैं कह रही हूं कि जाना चाहिए था *...(व्यवधान)* मेरे मोशन की तो जरूरत ही नहीं है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, प्रस्ताव क्या ऐसे लाये जाते हैं? उन्होंने क्या यह तरीका अपना लिया है? *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: यह हाउस चाहता है कि इसको यहीं पास किया जाय और स्टैंडिंग कमेटी में न भेजा जाये। *...(व्यवधान)* यह मोशन मैं मूव करता हूं। *...(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: ऐसा मोशन मंजूर करने के लिए मोशन देना पड़ता है। आपको रूल *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

महोदय, प्रस्ताव क्या ऐसे लाये जाते हैं? *...(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसे सदन में पारित किया जाये तथा स्थायी समिति को भेजा जाये *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया: उपाध्यक्ष महोदय, हाउस का सेंस लिया जाये। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील: अगर आप ऐसा करना चाहते हैं *...(व्यवधान)* माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या प्रस्ताव ऐसे प्रस्तुत किये जाते हैं? *...(व्यवधान)* श्री राम नाईक जी आप सदन के वरिष्ठ सदस्य तथा वरिष्ठ मंत्री है। इस संबंध में आप ही हमें बताएं *...(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: आप इस तरह प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर सकते ...*(व्यवधान)* इसलिए आप चाहते हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री दिग्विजय सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, आप फैसला कीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राम नाईक: महोदय, माननीय सदस्य, श्री शिवराज पाटील जी कुछ बोल रहे हैं। लेकिन मैं उसे सुन नहीं पा रहा हूं। श्री शिवराज पाटील, पहले की तरह आप बहस कर सकते हैं और तब मैं समझ सकता हूं ...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: यही वह बात है ...*(व्यवधान)* इतनी छोटी सी बात आप अगर समझ नहीं पा रहे हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं तो मुझे खेद है। मैं उस पर बहस कर सकता हूं ...*(व्यवधान)* मैं जानना चाहता हूं कि सदन में प्रस्ताव क्या ऐसे ही मौखिक रूप में प्रस्तुत किये जाते हैं? ...*(व्यवधान)* मैं जानना चाहता हूं कि प्रस्ताव को क्या लिखित में देने की आवश्यकता नहीं और क्या सूचना दो दिन पहले देने की आवश्यकता है? ...*(व्यवधान)* वह कह रहे हैं कि वे प्रस्ताव कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया: आपने बार-बार कहा, इसीलिए कहा गया। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राम नाईक: अगर उसे लिखित रूप में भी देना हो, तो उस विषय को अब आप बात क्यों उठा रहे हो? ...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: वह कह रहे हैं कि वे प्रस्ताव कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक: वह इसलिए क्योंकि आपने कहा कि ...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था।

[हिन्दी]

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया: उपाध्यक्ष महोदय, यह हाउस की प्रोपर्टी हो चुकी है इसलिए अब हाउस तय करेगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राम नाईक: उसे आपने यह कहा है ...*(व्यवधान)* विषय साधारण है।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, अब प्रश्न है कि चरण कौन सा है और अब हम कहां है ...*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक: महोदय, यह विषय बहुत ही साधारण है। माननीय मंत्री जी का कहना है कि इस पर मतदान किया जाना चाहिए। इस चरण में हम पहुंच चुके हैं। कुछ स्पष्टीकरण मांगे गये थे जिनका उत्तर माननीय मंत्री जी ने दे दिया है और अब मतदान होना चाहिए। यह बहुत ही साधारण बातें हैं। अगर किसी अन्य प्रस्ताव की आवश्यकता है तो आप चर्चा बंद करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं तथा मतदान करा सकते हैं ...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: श्री राम नाईक जी, मैं अपेक्षा कर रहा था कि सभा में कोई न कोई कहेगा कि अगर प्रस्ताव प्रस्तुत करना हो तो उसे लिखित रूप में किया जाता है ...*(व्यवधान)*

श्री दिग्विजय सिंह: हम प्रस्ताव नहीं चाहते, इसे आप ही केवल चाहते हैं ...*(व्यवधान)* आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? ...*(व्यवधान)*

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक): अगर आप चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। स्थायी समिति के पास विधेयक भेजने के लिए सरकार प्रस्ताव पेश नहीं करती ...*(व्यवधान)* अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं ...*(व्यवधान)* पिछले 15 या 16 वर्षों से मैं भी सदन का सदस्य रहा हूं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं अपनी बात पूरी ही करने वाला था कि जब डा. विजय कुमार मल्होत्रा बोलने लगे।

...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, माननीय मंत्री जी को हमें बताना चाहिए कि क्या वे ऐसा करने की स्थिति में हैं ...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, माननीय मंत्री जी को हमें बताना चाहिए कि सदन में प्रस्ताव ऐसे प्रस्तुत किये जाते हैं ...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक: हम उसे नहीं चाहते। इस विधेयक को पारित करना ही हमारा प्रस्ताव है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मुद्दा यह नहीं है, विषय इस मुद्दे को स्थायी समिति को सौंपने के बारे में है। इसे आपने उठाया है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: अब आपने कुछ विनिर्णयों का उल्लेख किया है तथा अपने और अन्यों के विनिर्णय दिये हैं। ऐसे अनेक विधेयक हैं, जो बिना स्थायी समिति को भेजे ही इस सदन में पारित कर दिये गये हैं। मैं निष्कर्ष पर पहुंचने ही वाला था। इन्होंने इतने सारे मुद्दे, विनिर्णय उठा दिये तथा मैं ऐसी स्थिति में नहीं हूं कि इन सब पर अपना विनिर्णय दे सकूं। इस बारे में मैं अपने वरिष्ठ से परामर्श कर ही विनिर्णय दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, इस तरह प्रस्ताव प्रस्तुत किये जा सकते हैं या नहीं, यह बताने की स्थिति में आप नहीं है? *...(व्यवधान)* क्या इस विषय में विनिर्णय देने की स्थिति में आप नहीं हैं? *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, मैं आपसे विनिर्णय चाहता हूं। हर कोई कह रहा है कि प्रस्ताव इस तरह प्रस्तुत किया जा सकता है। यह कैसे प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है आप ये बताने की स्थिति में नहीं है? *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: इस विधेयक को स्थायी समिति को दिया जाये या नहीं नियमों के अंतर्गत ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: यह केवल अध्यक्ष महोदय का विशेषाधिकार है।

...(व्यवधान)

श्री शिवराज वि. पाटील: प्रस्ताव कैसे प्रस्तुत किया जाता है, इस पर मैं आपका विनिर्णय चाहता हूं *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं बता चुका हूं।

...(व्यवधान)

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया: महोदय, सभा सर्वोच्च है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: यह पार्लियामैंट रूल से चलेगी या ऐसे जंगल राज चलेगा? *...(व्यवधान)*

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया: उपाध्यक्ष महोदय, यह हाउस की प्रापर्टी है, इसे हाउस तय करेगा। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री हरिन पाठक: महोदय, सरकार विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए सभा के समक्ष लाई है। सरकार का यही प्रस्ताव है *...(व्यवधान)* दो घंटे पहले उसे सदन के समक्ष रखा गया और सदन ने उसे स्वीकार किया। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में इस विधेयक के लिए समय निर्धारित किया गया था। इस पर चर्चा हो चुकी है तथा मंत्री जी उसका उत्तर दे चुके हैं। माननीय सदस्य ने कुछ स्पष्टीकरण मांगे थे, जिनका उत्तर भी दिया गया। अब वे चाहते हैं कि इसे स्थायी समिति के पास भेजा जाये, लेकिन सरकार इसे स्थायी समिति को सौंपना नहीं चाहती *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं, मैं बिल्कुल भी यह विनिर्णय नहीं दे रहा हूं।

...(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक: सरकार इस विधेयक को सदन के समक्ष लायी है *...(व्यवधान)* हम चाहते हैं कि यह आज ही पारित हो। हम इसे स्थायी समिति को कैसे भेज सकते हैं। पिछले 15 वर्षों से हम भी यहां के सदस्य रहे हैं *...(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, इस स्तर पर इसे रोका नहीं जा सकता *...(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: आप और मैं इसका निर्णय नहीं करते, इसका निर्णय पीठासीन अधिकारी करते हैं *...(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक: अब सरकार इसे स्थायी समिति को देना नहीं चाहती। हम इसे सदन में लाये हैं। सभा इस पर चर्चा भी कर चुकी है तथा मंत्री जी इसका जवाब भी दे चुके हैं। उसके बाद स्पष्टीकरण भी मांगे गये और मंत्री जी ने उनका भी जवाब दिया। अब हम इसे स्थायी समिति के पास भेजना नहीं चाहते। दूसरी ओर बैठे माननीय सदस्य ही इसे स्थायी समिति को भेजना चाहते हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: गवर्नमैंट का काम नहीं रोका जा सकता। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: इसमें बेसिक सवाल यह है कि क्या इस समय सदन के सामने कोई मोशन श्री शिवराज जी द्वारा या किसी के द्वारा है कि यह बिल स्टैंडिंग कमेटी को जाए। जब मोशन ही नहीं है तो हम चर्चा किस पर कर रहे हैं। अगर हमारा मोशन राइटिंग में चाहिए तो उनका मोशन भी राइटिंग में चाहिए। आपके सामने कोई मोशन नहीं है किसे आप मूव करेंगे, आपके सामने बिल है।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, विधेयक, स्थायी समिति के पास भेजने के लिए किसी प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं। वे क्या बात कर रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। यहां पर केवल यह विधेयक विचार और चर्चा के लिए है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: फिर आप बिल पारित करवाइए। बिल आपके सामने है और स्टैंडिंग कमेटी का मोशन नहीं है तो बिल पारित करवाइए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री हरिन पाठक: महोदय, सदन के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि इसे स्थायी समिति के पास भेजा जाये या नहीं। विधेयक पर विचार करने तथा इसे पारित करने का प्रस्ताव है। जब सदन के समक्ष कोई प्रस्ताव ही नहीं है तब स्थायी समिति के पास इसे कैसे भेजा जा सकता है? ...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: माननीय उपाध्यक्ष महोदय के समक्ष केवल विधेयक है ...*(व्यवधान)* महोदय जब आपके पास प्रस्ताव ही नहीं है, आप किस पर रूलिंग देंगे ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, मंत्री महोदय अब यह कह रहे हैं कि स्थायी समिति को विधेयक भेजने के लिए प्रस्ताव की आवश्यकता होती है। प्रस्ताव की कोई आवश्यकता नहीं होती ...*(व्यवधान)*

महोदय, कृपया नियम देख लें, महोदय कृपया अध्यक्ष महोदय से परामर्श कर लें। मैं नम्रता के साथ कह रहा हूं कि स्थायी समिति को विधेयक भेजने के लिए किसी प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया: उपाध्यक्ष जी, सदन का समय बर्बाद हो रहा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, प्रश्न उठा है कि वह कौन सा चरण है? उस चरण के लिए कृपया नियम 88 देखें, जिसमें कहा गया है:

> "इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी अध्यक्ष जब यह प्रस्ताव आए कि विधेयक पर विचार किया जाये स्वीकृत हो गया हो ...."

महोदय, विधेयक पर विचार किये जाने वाले प्रस्ताव को प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा उसे लिया भी नहीं गया है ...*(व्यवधान)* महोदय, अपनी बात कहने के लिए कृपया मुझे एक मिनट दीजिए। विधेयक पर विचार करने वाले प्रस्ताव को प्रस्तुत नहीं किया गया है, उसे नहीं लिया गया है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: आपने कहा था कि मोशन नहीं है। आप बिल पारित करवाइए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, मैं कहता हूं कि यह रिकार्ड की बात है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: विधेयक प्रस्तुत किया गया था और अब विधेयक पर विचार करने का प्रश्न है। इस पर चर्चा हो चुकी है।

...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: दोनों के बीच अंतर है।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री शिवराज वि. पाटील का व्यवस्था का प्रश्न यह था कि विचार करने के स्तर पर क्या विधेयक को स्थायी समिति को भेजा जा सकता है। संक्षेप में कहें तो आपका व्यवस्था का प्रश्न यही नहीं था?

श्री शिवराज वि. पाटील: कृपया आप हमारा मार्गदर्शन करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उधर से कुछ कहा जायेगा और इधर से कुछ कहा जायेगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि स्थायी समिति को विधेयक सौंपने से पहले प्रस्ताव की आवश्यकता होती है या नहीं। मैं कह रहा हूं कि इसकी आवश्यकता नहीं होती। आप हमें बताए कि क्या इसकी आवश्यकता होती है या नहीं *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यह सभा के अध्यक्ष का विशेषाधिकार है।

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं कहता हूं कि प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं होती।

उपाध्यक्ष महोदय: इसकी आवश्यकता नहीं होती।

श्री शिवराज वि. पाटील: बिल्कुल ठीक।

उपाध्यक्ष महोदय: अब मुद्दा है कि मंत्री जी ने चर्चा के लिए विधेयक प्रस्तुत किया है।

...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल: अभी प्रस्तुत किया जाना है।

उपाध्यक्ष महोदय: वह विधेयक प्रस्तुत कर चुके हैं, इस पर चर्चा हो चुकी है और जब आप खड़े हुए तब वह अपना उत्तर दे रहे थे। इस विधेयक के लिए दो घंटे का समय निर्धारित किया गया था क्योंकि वक्ताओं की संख्या कम थी। विधेयक प्रस्तुत करते समय मंत्री जी ने भाषण दिया तथा चर्चा के अंत में जवाब भी दिया। इसी बीच कुछ स्पष्टीकरण भी दिये गये। तत्पश्चात् अगला चरण यह है कि यह प्रस्ताव किया जाए कि विधेयक पर विचार किया जाए। यही क्रम है। इस स्तर पर आपने आपत्ति जतायी कि क्या इस मामले को स्थायी समिति को भेजा जा सकता है। क्या ऐसा कोई विनिर्णय है?

...(व्यवधान)

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं नियमों का अध्ययन करूंगा। अगर हमारा मार्गदर्शन किया जाता तो हम ऐसी स्थिति में नहीं होते। आपने बयान दिया कि बहुत से विधेयक हैं जो स्थायी समिति को दिये गये। पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध में वक्तव्य नहीं दे सकता कि ज्यादातर विधेयक, प्राय: सभी विधेयक स्थायी समिति को भेजे गये हैं। उन विधेयकों पर सदस्यों की सहमति या उनकी असहमति के बगैर यहां विचार किया गया। मैं संबद्ध नियमों को पढ़ता हूं *...(व्यवधान)* नियम ये हैं *...(व्यवधान)*

ये नियम हैं जिन्हें स्थायी समिति को मामले भेजने के लिए अपनाया जाता है। मांगों से संबंधित नियम और विधेयकों से संबंधित नियम।

''प्रत्येक स्थायी समिति द्वारा अनुदानों की मांगों पर विचार करने और उन पर सदनों को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा:

(क) सभा में बजट पर सामान्य चर्चा हो चुकने के पश्चात सभाओं को एक निश्चित अवधि के लिए स्थगित कर दी जाएगी;

(ख) समितियां उपुर्यक्त अवधि के दौरान संबंधित मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों पर विचार करेंगी;''

[हिन्दी]

श्री दिग्विजय सिंह: ये क्या बोल रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल गलत बात है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: नियम की संख्या क्या है?

श्री शिवराज वि. पाटील: वह नियम 331(छ) था जो अनुदानों की मांगों से संबंधित है। अब आप कृपया नियम 331(ज) पर आएं जिसमें विधेयकों पर विचार किया गया है। इसमें कहा गया है:

''प्रत्येक स्थायी समिति द्वारा विधेयकों की जांच तथा उनके संबंध में सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा:

(क) समितियां उन्हें सौंपे गए विधेयकों के सामान्य सिद्धांतों तथा खंडों पर विचार करेंगी और उन पर संबंधित सभा का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी।''

...(व्यवधान) महोदय, जो मुझे कहना था मैंने कह दिया आपको जो करना है, कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय: नियम 331(1)(ख) में कहा गया है कि स्थायी समिति का कार्य अध्यक्ष द्वारा समिति को भेजे गए विधेयकों की जांच करना होगा।

...(व्यवधान)

श्री शिवराज वि. पाटील: इसी बात को कहते हुए मुझे दुख हो रहा है ...*(व्यवधान)* मैंने कहा है कि जब यह नियम बनाया गया था तो इस प्रश्न पर चर्चा हुई थी कि क्या इसे अध्यक्ष के विवेक पर छोड़ देना चाहिए अथवा सभी विधेयकों को स्थायी समिति के पास भेज देना चाहिए। नियम बनाते हुए इस पर विचार-विमर्श किया गया था। कल यदि आप निर्णय देने वाले हैं तो आप चर्चा कर सकते हैं अथवा यदि आप इसके बारे में आश्वस्त हैं तो आप आज निर्णय दे सकते हैं। जब ऐसा किया गया था तो यह निर्णय लिया गया था कि जब विधेयक तकनीकी मामलों से संबंधित होता है केवल तभी इसे नहीं भेजा जाना चाहिए; अन्यथा सभी विधेयक स्थायी समिति के पास भेजे जाने चाहिए। नियम बनाते समय यह निर्णय लिया गया था ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं। दूसरे पठन स्तर से पूर्व क्या सभी विधेयकों को स्थायी समिति के पास भेजना अनिवार्य होता है?

...*(व्यवधान)*

कुछ माननीय सदस्य: नहीं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे आपसे नहीं की आशा नहीं थी। आप शोर क्यों कर रहे हैं? मैं श्री शिवराज वि. पाटील से पूछ रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री दिग्विजय सिंह: हमारी बात सुन लें।

उपाध्यक्ष महोदय: आपकी बात भी सुनूंगा।

श्री शिवराज वि. पाटील: आप पहले इनकी बात सुन लें। मैं बाद में बता दूंगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम उस स्तर पर आ गए हैं जब विधेयक प्रस्तुत किया गया था; चर्चा पूरी हो गयी थी; वह इसे विचारार्थ प्रस्तुत करने ही वाले थे। पहला चरण अथवा पहला पठन समाप्त हो गया था।

...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: आप विधेयक का जो कुछ भी करना चाहते हैं, कर सकते हैं, हमें चिन्ता नहीं है। परन्तु हम उस प्रक्रिया के बारे में चिंतित हैं जिसको अपनाया जाना है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: इसीलिए, मैं भी चिंतित हूं। अन्यथा, मैंने विनिर्णय दे दिया होता।

...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, मैं इस तरह बहस करने में खुद को छोटा महसूस करता हूं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है। मैं इसे समझ नहीं सका; मुझे क्षमा किया जाए।

...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: आप मेरी बात सुनिये और आप मेरे तर्क को नकार सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री दिग्विजय सिंह: यही बात यह एक घंटे से बोल रहे हैं। कोई नई बात नहीं बोल रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: क्या किसी प्रस्तुत किए गए विधेयक को अध्यक्ष द्वारा स्थायी समिति के पास भेजना होता है?

श्री शिवराज वि. पाटील: यह सही है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यदि ऐसा है तो कृपया मुझे दिखाएं।

...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं यही कह रहा हूं। नियम बनाते हुए इसका निर्णय लिया गया था। दूसरे, वर्तमान अध्यक्ष के पूर्ववर्ती द्वारा निर्णय लिया गया था। यह अध्यक्ष द्वारा कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में कहा गया है जिसका हमें जिक्र नहीं करना चाहिए। प्रक्रिया में बताया गया है कि सभी विधेयकों को स्थायी समिति के समक्ष भेजा जाना चाहिए और केवल तकनीकी मामलों से संबंधित विधेयकों को स्थायी समिति के पास नहीं भेजा जाएगा ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: विनिर्णय कहां है?

...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं इसका उल्लेख कर रहा हूं। मैं अब उस नियम के साथ तैयार नहीं हूं क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं पीठासीन अधिकारी और अन्य का नियमों की जानकारी होगी ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: क्या ऐसा कोई नियम है? क्या सचिवालय मुझे इसकी जानकारी दे सकता है।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: डा. विजय कुमार मल्होत्रा, मैं यहां गलती नहीं करना चाहता। यही कारण है कि मैं उनसे पूछ रहा हूं। मैं सभा के इस पक्ष से भी पूछूंगा।

[हिन्दी]

श्री दिग्विजय सिंह: जब शिवराज पाटिल जी ने शुरुआत की थी तो कहा था कि कोई भी बिल बिना स्टेंडिंग कमेटी में गए बिना पास नहीं हुआ। फिर इन्होंने कहा कि मेजोरिटी आफ बिल्स स्टेंडिंग कमेटी में गए बिना पास नहीं हुए।

श्री शिवराज वि. पाटील: आप रिकार्ड पर देखें जब-जब हमने चाहा बिल स्टेंडिंग कमेटी में गए हैं, कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट बिल भी ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री जी सही कह रहे थे। इस पर कार्यमंत्रणा समिति में विचार किया गया था; समय तय किया गया था; ऐसा निर्णय लिया गया था। विधेयक प्रस्तुत कियागया था और सभा ने इसे स्वीकृत किया था। अब मेरे लिए सीमित प्रश्न यह है। पहला पठन का चरण पूरा हो गया था। क्या इसे उस समय स्थायी समिति के पास भेजना आवश्यक है? मैं उनसे यह प्रश्न पूछ रहा हूं। यही मैं जानना चाहता हूं। मैं यहां गलती नहीं करना चाहता।

श्री हरिन पाठक: शिवराज जी को इसका उत्तर देने दीजिए ...*(व्यवधान)*

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): यह किसी भी स्तर पर अनिवार्य नहीं है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, उधर से एक ही बात बार-बार कही जा रही है कि बिल पर कन्सीड्रेशन हो गया है। मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं कि कंसीड्रेशन की स्टेज नहीं हुई, इस पर बहस हुई है। जब तक कंसीड्रेशन के लिए मोशन सदन में नहीं रखा जाता है, तब तक कोई भी माननीय सदस्य अपना सुझाव देता है। उधर से हमारे ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि हम लोग समय बर्बाद कर रहे हैं। हम कानून की बात कह रहे हैं और हम चाहते हैं कि उसके हिसाब से सदन चले। हम उत्तेजना में आकर कोई ऐसी बात न कर दें, जो कानून के हिसाब से वाजिब नहीं है, तो क्या वह ठीक होगा।

[अनुवाद]

पूरे आदर के साथ, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विधेयक को अभी तक विचारार्थ नहीं लिया गया है। यही बात मैं कहना चाहता हूं। इस संबंध में ही श्री शिवराज पाटील ने नियम का उल्लेख किया था। ...*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक: लगता है कि हम नियमों के बारे में अनभिज्ञ हैं। आपने श्री शिवराज पाटील से एक प्रश्न पूछा है। उन्हें उत्तर देने दीजिए ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: एक प्रश्न उठा है कि सभा को कैसे संचालित किया जाए ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं पूछ रहा हूं कि प्रथम चरण समाप्त हो चुका है और अब इस चरण पर ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: हां, मैं ''इस चरण पर'' की ही बात कर रहा हूं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: चर्चा हो रही थी और विचार चरण शुरू होने वाला था।

...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, मैं केवल इस चरण का उल्लेख कर रहा हूं। स्थिति यह थी कि चर्चा समाप्त नहीं हुई थी। ऐसी कोई चीज होने वाली नहीं थी ...*(व्यवधान)* कृपया मुझे आधे मिनट बोलने दीजिए। ऐसा चर्चा के दौरान ही हुआ था, यद्यपि मंत्री ने उत्तर दे दिया था। ऐसा हमेशा होता है कि जब मंत्री उत्तर दे चुके हों, हम कतिपय स्पष्टीकरण हेतु खड़े होते हैं। हम स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं हैं, विधेयक लाने का मुख्य कारण क्या है। विधेयक क्यों लाया गया? संशोधन करने की आवश्यकता क्या है? माननीय मंत्री के स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं होने पर हमने अनुरोध किया कि विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए। यहां पर आपत्ति की गयी कि इस स्तर पर हम यह मांग नहीं कर सकते हैं। सवाल यह है। यह आपत्ति माननीय संसदीय कार्यमंत्री द्वारा की गयी कि यह वह समय नहीं है जहां हम यह

[श्री पवन कुमार बंसल]

स्वीकार करें। हम वही बात कर रहे है कि ऐसी कोई बात नहीं है। हम अब भी प्रश्न पूछ सकते हैं। हम यह बात उठा सकते हैं कि उस विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: नियमों को बनाते समय ...*(व्यवधान)* नियमों को बनाते समय, यह तय किया गया था और यह बात रिकार्ड में भी है। पिछले अध्यक्षों ने विनिर्णय दिए थे और यह रिकार्ड में है। ...*(व्यवधान)* आप कृपया उन्हें देखने का समय निकालें ...*(व्यवधान)* हम इस पर सहयोग नहीं करेंगे ...*(व्यवधान)* हम इस पर सहयोग नहीं करेंगे ...*(व्यवधान)* हम इस पर सहयोग करने नहीं जा रहे हैं ...*(व्यवधान)* पिछली बार भी सभा में ऐसा ही हुआ था ...*(व्यवधान)* आप हमारी सहायता नहीं कर रहे हैं। आप विनिर्णय नहीं दे रहे हैं और अतएव ऐसा माहौल पैदा हो गया है जैसा नहीं होना चाहिए था ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं जानना चाहता हूं कि क्या अब इस चरण में सम्भवत: प्रथम पठन के बाद किसी विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजा जाना अनिवार्य है।

श्री शिवराज वि. पाटील: आपने एक सवाल पूछा है और उस पर मेरा उत्तर यह है। नियमों को बनाते समय, यह स्थिति थी।

पहले के अध्यक्षों ने यह निर्णय दिया था। आप इसे देख सकते हैं। यदि मैं गलत हूं तो आप अलग विनिर्णय दे सकते हैं। इस बात का निर्णय पीठासीन अधिकारी को करना है कि इस विधेयक को स्थायी समिति को भेजा जाए। ...*(व्यवधान)* यदि आप ऐसा करते हैं। कम से कम आप हमें ये बातें बता सकेंगे। मैं सभा में एक वक्तव्य दे रहा हूं कि नियमों को बनाने के समय यह निर्णय दिया गया था। मैं कह रहा हूं कि पिछले अध्यक्षों ने सभा में निर्णय दिया था कि सभी विधेयकों को स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया: उपाध्यक्ष महोदय, यह ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? ...*(व्यवधान)*

श्रीमती आभा महतो: उपाध्यक्ष महोदय, आप कोई निर्णय क्यों नहीं ले रहे है? इनको बोलने का इतना अधिक समय क्यों दिया जा रहा है? हमारी बात भी सुनी जाए। ...*(व्यवधान)*

श्री दिग्विजय सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके कहने पर उनको क्लैरिफिकेशन का जवाब दे चुका हूं। मेरी रिकवैस्ट होगी कि इस बिल को क्लॉज बाई क्लॉज लिया जाए। आपने जो क्वैश्चन शिवराज पाटिल जी पर फोर्स किया, आपको उसका सही उत्तर नहीं मिल पाया। उनकी पहली और दूसरी बात में बहुत फर्क है। पहले उन्होंने कहा कि मैंडेटरी है और बाद में कहा कि मैजॉरिटी है। मेरी प्रार्थना है कि इस बिल को क्लॉज बाई क्लॉज लेकर पास किया जाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। महोदय, गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य को अपराह्न 3.00 बजे लिया जाना है। कार्यमंत्रणा समिति द्वारा यह तय किया गया था ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री दिग्विजय सिंह: इनके मन में क्या है, वह बात अब साफ हो गई। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): महोदय, यह हमारा अधिकार है। मैंने विधेयक पेश करने के लिए सूचना दी है। यह ठीक नहीं है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया: सदन का समय बरबाद हो रहा है, जबकि इस बिल पर चर्चा पूरी हो चुकी है। अब इस बिल को पास करना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं सभा का समय नष्ट नहीं कर रहा हूं। आप कृपया इसका ध्यान रखिए। मैं इस सदस्य के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाऊंगा ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल: उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी जो कुछ कह रहे हैं, उसे रिकार्ड में आने दीजिए। ...*(व्यवधान)* इनको मालूम होना चाहिए कि यह क्या बोल रहे हैं? इनको अपनी लिमिट में रहकर बात करनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

महोदय, श्री प्रधान ने जो कुछ कहा, कृपया उन्हें वह दुहराने दीजिए।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर (भीलवाड़ा): श्री पाटील, आप पहले क्यों नहीं आए? ...*(व्यवधान)* आप इसके प्रति गंभीर नहीं थे।

श्री शिवराज वि. पाटील: मेरे लिए यह आवश्यक नहीं था कि आकर इसके लिए कहूं। कृपया समझिए कि मुझे इसके लिए अनुरोध नहीं करना है। यह पीठासीन अधिकारी को करना है। यह आप या हम नहीं करेंगे। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया मुझे अपना विनिर्णय देने दीजिए। मेरे समक्ष यहां पूर्वोदाहरण नहीं हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): उपाध्यक्ष महोदय, आप निर्णय दीजिए लेकिन जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी की तरफ से आसन पर दबाव डाला जाता है, वह उचित नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: हमारा दबाव रूल का होता है। हम दूसरा कोइं दबाव नहीं डाल सकते क्योंकि हमारे पास ताकत नहीं है। हम हमेशा रूल की बातें करते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): उपाध्यक्ष महोदय, रूलिंग देने से पहले मेरा एक प्वाइंट ऑफ आर्डर है। नियम 109 में लिखा है ''सभा में चर्चाधीन विधेयक के किसी प्रक्रम पर अध्यक्ष की सहमति से यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकेगा कि विधेयक पर वाद-विवाद स्थगित किया जाए।'' मेरा निवेदन है कि आप इस बिल को रोकने की बजाय पास कराने का प्रयास करे। नियम 74 में लिखा है कि किसी भी समिति को देने का प्रस्ताव प्रभारी सदस्य के अलावा कोई अन्य सदस्य नहीं कर सकता। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 4.00 बजे

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे इस पर अपना विनिर्णय देने दीजिए।

नियम 331ङ (1)(ख) में यह प्रावधान है कि स्थायी समिति का कार्य ऐसे विधेयकों की जांच करना है जो उसे माननीय अध्यक्ष द्वारा सौंपे जाते हैं। विधेयक पुर:स्थापित होने के बाद माननीय अध्यक्ष द्वारा स्थायी समिति को सौंपे जा सकते हैं। यह विधेयक पुर:स्थापित होने के बाद स्थायी समिति को नहीं सौंपा गया है। कार्यमंत्रणा समिति ने इस विधेयक पर विचार करने के लिए दो घंटे का समय निर्धारित किया है।

अब, चूंकि सभा पहले से ही विधेयक पर विचार कर चुकी है, तो शायद यह मांग करना उचित नहीं होगा कि इसे स्थायी समिति को सौंपा जाये।

...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, हम इस निर्णय के विरुद्ध सभा का बहिष्कार करते हैं।

अपराह्न 4.01 बजे

(इस समय श्री शिवराज वि. पाटील तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर: महोदय, यह बहुत शर्म की बात है कि वे आपके निर्णय के प्रतिकारस्वरूप सभा भवन के बाहर चले गये। संसद के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: सभा अब विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव को लेगी।

प्रश्न यह है:

''कि विश्व मामलों से संबंधित भारतीय परिषद अधिनियम, 2001 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: सभा अब विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

''कि खंड 2 से 5 विधेयक का अंग बनें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 5 विधेयक में जोड़ दिये गये

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री दिग्विजय सिंह: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि विधेयक पारित किया जाये।''

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि विधेयक पारित किया जाये।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.04 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुर:स्थापित

(एक) धर्म संपरिवर्तन पर पाबंदी विधेयक*

[अनुवाद]

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि धर्म संपरिवर्तन पर पाबंदी का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि धर्म संपरिवर्तन पर पाबंदी का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री चन्द्रकांत खैरे: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.04$^{1}/_{4}$ बजे

(दो) संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 263 का प्रतिस्थापन)

[अनुवाद]

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-2, दिनांक 2.5.2003 में प्रकाशित।

श्री चन्द्रकांत खैरे: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.04$^{1}/_{2}$ बजे

(तीन) पब्लिक सैक्टर के उद्यमों का विनिवेश (संसद द्वारा संवीक्षा) विधेयक*

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि पब्लिक सैक्टर के उद्यमों के विनिवेश के लिए केन्द्रीय सरकार के प्रस्तावों की संसद की दोनों सभाओं के सदस्यों से मिलकर बनी एक संसदीय समिति द्वारा संवीक्षा तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि पब्लिक सैक्टर के उद्यमों के विनिवेश के लिए केन्द्रीय सरकार के प्रस्तावों की संसद की दोनों सभाओं के सदस्यों से मिलकर बनी एक संसदीय समिति द्वारा संवीक्षा तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.05 बजे

(चार) फिल्मों की वीडियो पाइरेसी निवारण विधेयक

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि बेईमान पाइरेटों द्वारा चलचित्र निर्माताओं द्वारा निर्मित फिल्मों की वीडियो पाइरेसी और ऐसी फिल्मों तथा एलबमों की आडियों पाइरेसी, जिसके कारण निर्माताओं को भारी हानि होती है तथा

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-2, दिनांक 2.5.2003 में प्रकाशित।

राज्यों को मनोरंजन कर के रूप में प्राप्त होने वाले पर्याप्त राजस्व से वंचित होना पड़ता है, का प्रतिषेध करने और ऐसे ऑडियो तथा वीडियो पाइरेटों और ऐसी पाइरेटेड वीडियो और ऑडियो के प्रसारण तथा प्रदर्शन करने वालों को भयपरतिकारी दंड देने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि बेईमानी पाइरेटों द्वारा चलचित्र निर्माताओं द्वारा निर्मित फिल्मों की वीडियो पाइरेसी और ऐसी फिल्मों तथा एलबमों की ऑडियो पाइरेसी, जिसके कारण निर्माताओं को भारी हानि होती है तथा राज्यों को मनोरंजन कर के रूप में प्राप्त होने वाले पर्याप्त राजस्व से वंचित होना पड़ता है, का प्रतिषेध करने और ऐसे ऑडियो तथा वीडियो पाइरेटों और ऐसी पाइरेटेड वीडियो और ऑडियो के प्रसारण तथा प्रदर्शन करने वालों को भयपरतिकारी दंड देने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रमेश चेन्नितला: मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

429-30

अपराह्न 4.05½ बजे विधेयक

(पांच) प्रत्यावासित व्यक्ति कल्याण निधि विधेयक*

[अनुवाद] पुर:स्थापित

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि ऐसे प्रत्यावासित व्यक्तियों, जिन्होंने विदेशों में कार्य किया है और जो नियोजन के समापन के बाद भारत लौट आए हैं, के कल्याण के लिए एक निधि की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि ऐसे प्रत्यावासित व्यक्तियों, जिन्होंने विदेशों में कार्य किया है और जो नियोजन के समापन के बाद भारत लौट आए हैं, के कल्याण के लिए एक निधि की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-2, दिनांक 2.5.2003 में प्रकाशित।

श्री रमेश चेन्नितला: मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.06 बजे विधेयक

(छह) राजीव गांधी जैव-प्रौद्योगिकी केन्द्र विधेयक*

[अनुवाद] 4

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि केरल राज्य के राजीव गांधी जैव-प्रौद्योगिकी केन्द्र को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने और उसके निगमन और उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि केरल राज्य के राजीव गांधी जैव-प्रौद्योगिकी केन्द्र को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने और उसके निगमन और उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रमेश चेन्नितला: मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.07 बजे विधेयक 430

(सात) त्रिपुरा उच्च न्यायालय विधेयक*

[अनुवाद] पुर:स्थापित

श्री खगेन दास (त्रिपुरा पश्चिम): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि त्रिपुरा राज्य के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि त्रिपुरा राज्य के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री खगेन दास: मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-2, दिनांक 2.5.2003 में प्रकाशित

अपराह्न 4.08 बजे

संविधान (संशोधन) विधेयक–वापस लिया गया–*जारी*

(अनुच्छेद 248, आदि का संशोधन)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर आगे विचार करेगी। श्री वरकला राधाकृष्णन इस पर बोल रहे थे, वह इस समय यहां उपस्थित नहीं है। अत: मैं श्री अनादि साहू को बोलने के लिए बुलाता हूं।

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा): उपाध्यक्ष महोदय, यह विपक्ष का भावनात्मक उद्‌गार था। भारतीय दर्शन के न्याय शास्त्र में इसे वितन्ड कहा जाता है, जिसमें विरोधी कमजोर होने पर वितन्ड का आश्रय लेता है। इस समय यही हो रहा है और इसी कारण मैं अपने विचारों से थोड़ा हट गया था।

अपराह्न 4.09 बजे

[**डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** *पीठासीन* हुए]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन): हमारा पक्ष कमजोर नहीं है। यह मामला प्रक्रिया से संबंधित है।

श्री अनादि साहू: मैं इस मुद्दे पर बहस नहीं कर रहा हूं। मैंने आपको अपनी अनुभूति से अवगत करा दिया।

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम): महोदय, गैर-सरकारी सदस्य के कार्य के आरम्भ होने से पूर्व ही एक घंटे का समय व्यतीत हो गया है। इसका क्या समाधान है? इसे अपराह्न 3.00 बजे से 5.30 बजे तक जारी रहना था। जो समय बर्बाद हुआ, उसके बारे में औंपका क्या विचार है।

सभापति महोदय: उनकी बात नोट की गयी है। हम इस पर विचार कर रहे हैं।

श्री अनादि साहू: मैं अपने प्रिय मित्र श्री सुरेश कुरूप द्वारा सभा पटल पर रखे गए संविधान (संशोधन) विधेयक का विरोध करता हूं।

यदि उन्होंने अनुच्छेद 248 का संशोधन के बजाए अनुच्छेद 249 को संशोधित करने का प्रयास किया होता तो मुझे अति प्रसन्नता होती।

मैं अनुच्छेद 249 से अपनी बात शुरू करता हूं। कृपया आप ध्यान दें कि अनुच्छेद 249 में स्वयं संसद विशेषकर राज्य सूची के बाबत राज्य सभा की विधायी शक्ति दी गई है। मैं यह कहना चाहता हूं कि राज्यों का वर्तमान अपव्यय चिंताजनक है और राज्यों द्वारा सभी संभावित स्रोतों से वित्त प्राप्त किए बगैर ही अविवेकपूर्ण अपव्यय करने को रोकने के लिए अनुच्छेद 249 को संशोधित करके केन्द्र सरकार को और अधिक शक्तियां प्रदत्त करना बेहतर होता।

आप गौर करें कि राज्य सरकारें, केन्द्र सरकार से तीन स्रोतों से वित्त प्राप्त करती हैं। एक तो वित्त आयोग से आवंटन है, यह राज्यों को केन्द्रीय आबंटन है। राज्य सरकारों को दी जाने वाली 60 प्रतिशत धनराशि वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित होती है। शेष 40% से 20% योजना आयोग से प्राप्त होती है। जब योजना आयोग धनराशि प्रदान करता है तो इसका कुछ अंश आसान शर्तों का ऋण या राजसहायता अथवा इसी प्रकार के किसी अन्य रूप में होता है। शेष 20% राशि भारत सरकार के विभिन्न विभागों का विवेकाधीन अनुदान होता है। इसके अतिरिक्त राज्य विभिन्न स्रोतों से ऋण लेते है।

आप इस बात पर ध्यान दें कि पिछले कुछ वर्षों में राज्यों के ऋणों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से लगभग 244,000 करोड़ रुपए का ऋण लिया है और इसकी अदायगी नहीं की गई है। जब हम कुछ करों आदि से संबंधित अनुच्छेद 248 के अंतर्गत शक्तियों के अन्तरण पर विचार करते हैं और यह मांग होती है कि राज्यों को कर प्राप्ति हेतु और अधिक शक्ति देने हेतु राज्य सूची में एक अन्य मद 67 को जोड़ा जाए तो हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए।

महोदय, इससे समस्या उत्पन्न होगी। सर्वप्रथम, जब हम कर की बात करते हैं तो हमें देशभर में करों में एकरूपता रखनी होगी। इसी वजह से मूल्य संवर्धित कर 'वैट' का विचार किया गया। मूल्य संवर्धित कर का मुख्य आशय करों में सर्वत्र एकरूपता लाना था। मेरे विचार से अंतिम चरण में इसे 12.5% की दर से लगाने का निर्णय लिया गया है और केन्द्र और राज्यों के मध्य संग्रहित कर के विभाजन हेतु केन्द्रीय बिक्री कर शुरू किया गया।

यह शुरुआत में 2% था और वर्तमान में यह 40% है। मूल्य संवर्धित कर पूरी तरह लागू होने के पश्चात यह पुन: 2% हो जाएगा।

सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि राज्यों को किस प्रकार धन उपलब्ध कराया जाए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत, संविधानुसार संघात्मक है परन्तु व्यवहार में एकात्मक है। यदि हम इसकी एकात्मक विशेषता को कायम रखने में असफल होते हैं तो बहुत समस्याएं होंगी। आवश्यकताओं, आकांक्षाओं की विविधता और इसी तरह के अन्य मुद्दों वाले देश में एकात्मक स्वरूप और नीतिगत निर्णयों का ध्यान रखना आवश्यक है। इसे ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने 12वें वित्त आयोग का अधिदेश दिया है। बारहवें वित्त आयोग को क्या अधिदेश दिए गए हैं।

अधिदेश के अनुसार वित्त आयोग को अग्रलिखित मदों के बारे में सिफारिशें देनी हैं। प्रथम संघ और राज्यों के मध्य सकल कर प्राप्तियों के विभाजनीय समूह का संवितरण, द्वितीय, राज्यों को अनुच्छेद 275 के अधीन सहायता अनुदान अधिशासित करने वाले सिद्धान्त हैं। इसमें प्रावधान है कि इसे किस तरीके से दिया जाएगा। इसका अधिदेश दिया गया है। तृतीय राज्यों की संचित निधि को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपायों को सुझाना ताकि पंचायतों और नगरपालिकाओं के स्रोतों में वृद्धि हेतु राज्यों की संचित निधि से वित्तपूर्ति की जा सके।

कुछ माननीय सदस्यों ने पूर्ववर्ती बहस में नगरपालिकाओं पंचायती राज संस्थाओं के वित्त पोषण से संबंधित मुद्दे उठाए हैं। वित्त आयोग को यही अधिदेश दिया गया है कि पंचायतों और नगरपालिकाओं को किस प्रकार धन प्राप्ति हों, इसका सुझाव दे।

अंत में एक और महत्वपूर्ण बात लोक वित्त का पुनर्गठन, बजटीय संतुलन को कायम रखना और ऋणों का पुनर्गठन है। हमने बजट और वित्त विधेयक में ऋणों के पुनर्गठन के बारे में चर्चा की थी। हमने ऋण विनिमय पर चर्चा की थी। भारत सरकार ने यह विचार करना उचित समझा कि राज्यों को ऋणों के भारी बोझ से हानि न हो। ऋण भार के आंकड़े भारी भरकम हैं। राज्यों पर केन्द्र का 24,000 करोड़ रुपए उधार है। वे केन्द्र को इसे कैसे वापस करेंगे? राज्य द्वारा लिए गए अन्य ऋण भी हैं। विभिन्न राज्यों की दोषपूर्ण नीतियों की वजह से राज्यों की प्राप्ति कम होती जा रही है। इसी कारण इसी बजट में ऋण विनिमय की शुरुआत की गई है ताकि इसे आसान शर्तों वाले ऋण जैसे स्वरूप में परिवर्तित किया जा सके।

भारत सरकार ने इस पर विचार किया है। अब सभी शक्तियां राज्यों को देने की मांग करने से कई समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत के संविधान में एक संशोधन का प्रस्ताव है। यह प्रस्तावित संशोधन 95वां संशोधन है। इसके द्वारा केन्द्रीय सूची में 'सेवा मामले' का एक नया मद जोड़ने के लिए अनुच्छेद 268(क) पुर:स्थापित किया जाएगा। यह देश भर में समरूप सेवा कर लगाने के लिए लाया जा रहा है और इसे वित्त आयोग की संस्तुतियों के प्रावधानों के अनुसार बांटने का प्रस्ताव है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत सुनिर्धारित सिद्धान्त है।

संविधान सुव्यवस्थित रीति से तैयार किया गया था ताकि राज्यों को कोई हानि न हो। साथ ही साथ हम देश भर में एकसमान कर नीति चाहते हैं।

अब मैं यह स्पष्ट करने के लिए उदाहरण देता हूं कि इन मामलों पर कैसे ध्यान दिया गया है। आप जानते हैं कि संविधान में, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची नामक तीन सूचियां हैं। कुछ ऐसे विषय हैं जिन्हें संघ सूची और राज्य सूची में रखा गया है और कुछ राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में रखे गए हैं।

इस पर कैसे विचार किया गया है यह स्पष्ट करने के लिए मैं क्रम संख्या 33 का उल्लेख करता हूं। कृपया संविधान से उद्धरण देने के लिए मुझे माफ करें। मैं अब राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या 26 पर आता है। मैं क्रम संख्या 33 पर बाद में आऊंगा। राज्य सूची की क्रम संख्या 26 में समवर्ती सूची का उल्लेख है। इसमें कहा गया है:

> "सूची 3 की प्रविष्ट 33 के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य।"

इस तरह के कई उपबंध हैं। मैं उन सभी उपबंधों को नहीं पढ़ूंगा क्योंकि उसमें समय लगेगा। मैं राज्य सूची के क्रम संख्या 54 का उल्लेख करना चाहता हूं, जिसमें विहित है:

> "समाचार पत्रों के अलावा माल के क्रय अथवा विक्रय पर कर सूची I की प्रविष्टि 92(क) के उपबंधों के अध्यधीन संघ का विषय होगी।"

राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची में इस तरह की कई प्रविष्टियां हैं, इससे कुछ हद तक समरूपता है जैसाकि मैं

[श्री अनादि साहू]

पहले बता चुका हूं कि यह समरूपता करों अथवा उनके विभाजन के संबंध में एक समान प्रक्रिया अथवा नीति को सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित है। लेकिन इसमें एक शर्त भी है। शर्त यह है कि भारत सरकार ने राज्यों के लिए अल्पावधि राजकोषीय सुधार कार्यक्रम शुरू किया है जिसे यह एमटीएफआरपी नाम से लोकप्रिय है। इसमें कहा गया है कि भारत सरकार राजकोषीय कमी को पूरा करने के लिए राज्यों को धनराशि उपलब्ध कराती है और ऐसा अल्पावधि राजकोषीय सुधार कार्यक्रम अर्थात एमटीएफआरपी के अनुरूप राजकोषीय प्रतिबद्धताओं का राज्यों द्वारा अनुपालन करने के तहत होता है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि संविधान संशोधन का प्रयास करने की बजाय वह राज्यों को राजकोषीय समेकन सुनिश्चित करने हेतु एमटीएफआरपी अपनाने का सुझाव दे। विद्यमान समस्याओं का समाधान करने के लिए आप अनुच्छेद 268 को संशोधित करने और राज्यों को और अधिक शक्तियां देने की मांग कर रहे हैं। राज्य सूची में एक और मद जोड़ना न तो औचित्यपूर्ण है, न ही संभव है और न ही यह व्यावहारिक है।

अत: मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति (सेलम): श्री साहू, आपको अपने राज्य के लिए अपना पूरा हिस्सा गंवाना पड़ेगा ...*(व्यवधान)* यदि यह तर्क स्वीकार किया गया तो उड़ीसा को काफी हानि होगी।

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): सभापति महोदय, प्रारंभ में मैं माननीय साथी व मित्र श्री सुरेश कुरूप को इस प्रतिष्ठित सदन के विचारार्थ यह विधेयक प्रस्तुत करने पर बधाई देता हूं।

इस मामले पर विभिन्न मंचों पर चर्चा हुई है और भारत के उच्चतम न्यायालय और हमारे देश के अन्य न्यायालयों ने इस बारे में विभिन्न मामलों में विभिन्न निर्णय भी दिए हैं। संविधान एक जैविक, जीवित संस्था है। यह कोई निर्जीव वस्तु मात्र नहीं है। भारत के संविधान को एक परिवर्तनशील राज्य की समस्याओं और चुनौतियों का सामना करने हेतु भी बनाया गया है। इस संविधान में इस देश का सामाजिक-राजनैतिक और आर्थिक चरित्र प्रतिबिंबित होता है। जब समय बदलता है तो स्वाभाविक रूप से लोगों की आकांक्षाएं भी परिवर्तित होंगी। लोगों की परिवर्तित होती आकांक्षाओं के अनुरूप विधि-निर्माताओं को, जब कभी भी अति आवश्यक हो, वर्तमान कानूनों में परिवर्तन करने चाहिएं।

निश्चित रूप से भारत का संविधान विश्व में उपलब्ध संविधानों में सर्वश्रेष्ठ है। भारत एक बहुत बड़ा देश है। इसकी भू-राजनैतिक और ऐतिहासिक विशेषताओं के समकक्ष कम ही उदाहरण हैं। हमने इस संविधान को अपनाने से पूर्व लगभग सभी पहलुओं पर विचार किया था। संविधान-निर्माताओं ने भारत की एकता और अखंडता और इसके अनेकता वाले चरित्र को ध्यान में रखा था। जब इतने बड़े अथवा विशाल देश को केवल एक ही प्राधिकारी द्वारा शासित नहीं किया जा सकता तो एक ही प्राधिकारी या केन्द्र में ही सारी शक्तियां भी निहित नहीं हो सकतीं। भारतीय इतिहास मौर्य साम्राज्य, मुगल साम्राज्य और विभिन्न अन्य साम्राज्यों के दौरान रही स्थानीय सरकारों के अस्तित्व को उजागर करता है। उन्हें पर्याप्त स्वायत्ता हासिल थी। अंग्रेजों ने सारी शक्तियों को केन्द्रित करने का प्रयास किया। लेकिन उन्होंने यह महसूस किया कि भारत जैसे विशाल और विभिन्नता वाले देश को राज्यों और स्थानीय निकायों को शक्तियां दिए बिना शासित नहीं किया जा सकता। अत: स्थानीय प्रशासन, स्थानीय निकायों और अन्य राज्यों को ये शक्तियां प्रदान की गईं। अत: अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान, हालांकि प्रारंभ में उन्होंने सारी शक्तियों को अपने हाथों में केन्द्रित करने का प्रयास किया था, उन्होंने लगभग सारी शक्तियां राज्यों और स्थानीय सरकारों को हस्तांतरित कर दी थीं। संविधान के निर्माताओं ने भी इन सब पहलुओं को ध्यान में रखा और एक ऐसा संविधान अपनाया जिसमें सुदृढ़ राष्ट्रीय नियंत्रण और पर्याप्त स्थानीय शुरुआतों का सम्मिश्रण था।

हमारा संविधान एक संघीय संविधान है। श्री कुरूप भी इस बिंदु से सहमत थे। हमारा संघीय संविधान निश्चित रूप से भारत जैसे देश के लिए आदर्श है। संघवाद कोई निर्जीव वस्तु नहीं है। यह एक परिवर्तनशील धारणा है। अत: भारत जैसे देश के लिए राज्यों और केन्द्र सरकार के बीच परस्पर सहयोग और निर्भरता पूर्णतया आवश्यक है। राज्यों और केन्द्र के बीच परस्पर सहयोग और बेहतर समझदारी व परस्पर निर्भरता के लिए यह आवश्यक है तथा इससे हमारे संसदीय लोकतंत्र को गति मिलेगी। महोदय राज्यों और केन्द्र के सहयोग और परस्पर निर्भरता की भावना के बिना भारत जैसा देश आगे नहीं बढ़ सकता। अत: भारत जैसे देश में केन्द्र और राज्यों के बीच समुचित समझदारी का होना अत्यन्त आवश्यक है। समन्वय और परस्पर निर्भरता की भावना बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। अनुच्छेद 263 राज्यों के बीच बेहतर तालमेल को स्पष्ट करता है। अनुच्छेद 263 में लिखा है:

यदि किसी समय राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि ऐसी परिषद् की स्थापना से लोक हित की सिद्धि होगी जिसे-

(क) राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न हो गए हों उनकी जांच करने और उन पर सलाह देने,

(ख) कुछ या सभी राज्यों के अथवा संघ और एक या अधिक राज्यों के सामान्य हित से संबंधित विषयों के अन्वेषण और उन पर विचार-विमर्श करने, या

(ग) ऐसे किसी विषय पर सिफारिश करने और विशिष्टतया उस विषय के संबंध में नीति और कार्रवाई के अधिक अच्छे समन्वय के लिए सिफारिश करने,

महोदय, हाल ही में हमने विभिन्न राज्यों कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पांडिचेरी के बीच हुए विवादों को देखा। कावेरी नदी जल विवाद को देखा। यह विवाद एक से अधिक राज्यों के बीच है। अत: इस विवाद का निपटारा राज्यों द्वारा नहीं किया जा सकता। यहां एक अन्तर-राज्यीय जल विवाद परिषद होगी। इस प्रकार की परिषद परस्पर वार्ता और चर्चा के माध्यम से मुद्दों को हल करने में सहायता करेगी। यहां अन्य अन्तर-राज्यीय परिषदें हैं। अत:, एक से अधिक राज्यों से संबंधित इन मुद्दों को केवल इसी प्रकार की समन्वय समितियों और अन्तर-राज्यीय परिषदों के माध्यम से ही हल किया जा सकता है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मजबूत केन्द्र और उतने ही मजबूत राज्यों का होना आवश्यक है क्योंकि हम संघ के मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। यह संविधान की सटीक व्याख्या के अनुरूप नहीं है। यह सटीक न्याख्या के अनुसार शायद न हो। हम हमेशा मजबूत केन्द्र और मजबूत राज्यों की वकालत करते हैं। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसके बेहतर कार्यनिष्पादन हेतु एक मजबूत केन्द्र और उतने ही मजबूत राज्यों का होना आवश्यक है। सौभाग्यवश, हमारे देश में हम एक मजबूत केन्द्र और उतने ही मजबूत राज्यों को अनुभव कर रहे हैं। लेकिन बदलती परिस्थितियों, बदलती राजनैतिक विचारधारा और बदलती जनाकांक्षाओं के कारण बहुत सी शिकायतें आ रही हैं। केन्द्र द्वारा विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों के अधिक केन्द्रीकरण करने की शिकायतें हैं। यहां तक की, जैसा कि श्री सुरेश कुरूप ने उल्लेख किया है, बहुत से राजनैतिक दलों और राज्यों ने सरकारिया आयोग को अभ्यावेदन दिए थे। केन्द्र-राज्य संबंधों के संबंध में सरकारिया आयोग की रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्टों में से एक है। सरकारिया आयोग के समक्ष बहुत से राजनैतिक दलों और राज्य सरकारों ने केन्द्र द्वारा विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों के अधिक केन्द्रीकरण के बारे में अपनी शिकायतें दर्ज कराई हैं।

वास्तव में, जब संविधान की रचना की गई थी तो राज्यपाल नामक संस्था का प्रावधान केन्द्र और राज्यों के बीच एक प्रभावी सम्पर्क हेतु किया गया था। ऐसी शिकायतें हैं कि राज्यपाल राज्य सरकारों को अस्थिर करने हेतु केन्द्र के एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। ऐसी शिकायतें हैं कि राज्यपाल और राजभवनों का उपयोग तुच्छ राजनैतिक तिकड़मों के लिए किया जा रहा है।

ऐसी शिकायतें हैं कि राज भवनों में राजनैतिक गतिविधियां चल रही हैं।

मुद्दा यह है कि राज्यों को अधिक संसाधन दिए जाने चाहिएं। यह सबसे महत्वपूर्ण मांग है। प्रत्येक राज्य सरकार अधिक संसाधन मांग रही है क्योंकि अब हर स्थान पर कल्याणकारी राज्य की अवधारणा उभर रही है। राज्य सरकारों द्वारा अधिकाधिक कल्याणकारी उपाय किए जा रहे हैं और वे अधिक कर लगाने की स्थिति में नहीं हैं। उदाहरणार्थ केरल में, जिसे एक प्रगतिशील राज्य समझा जाता है, अनुवर्ती सरकारों ने अधिक कल्याणकारी उपाय किए है।

अब, हम उस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि जहां लोगों पर और अधिक कर लगाने की गुंजाइश नहीं है। हम ईष्टतम बिंदु पर पहुंच चुके हैं। लेकिन दिन-प्रतिदिन कल्याणकारी उपाय बढ़ते ही जा रहे हैं। लगभग सभी राज्यों में न्यूनाधिक यही स्थिति है। वे अधिकाधिक केन्द्रीय सहायता मांग रहे हैं वे अपने मासिक व्ययों और विभिन्न कल्याणकारी उपायों के कार्यान्वयन हेतु अधिक संसाधनों की मांग कर रहे हैं। पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के पश्चात प्रत्येक राज्य सरकार वित्तीय संकट का सामना कर रही है। वहां वित्तीय स्थायित्व नहीं है अत:, प्रत्येक राज्य सरकार घाटे का बजट प्रस्तुत कर रही है। अत: राज्यों को अधिक संसाधन दिए जाने चाहिएं। जिम्मेदारियों और संसाधनों के बीच की खाई चौड़ी नहीं होनी चाहिए। यहां कुछ ऐसी भी राज्य सरकारें हैं जो अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए भी धनराशि की कमी का सामना कर रही हैं। यदि ऐसी स्थिति है तो वे कल्याणकारी उपायों को कैसे कार्यान्वित कर सकती हैं?

महोदय, प्रत्येक राज्य सरकार अधिकाधिक लोक-लुभावन उपायों को लागू करना चाहती है क्योंकि प्रत्येक पांच वर्षों के पश्चात चुनाव होते हैं। अत: लोगों की आकांक्षाएं अधिक हैं। मेरे विचार से इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए केन्द्र द्वारा राज्यों के साथ राजस्व के बंटवारे में एक तर्कसंगत रवैया अपनाया जाना चाहिए।

महोदय, श्री सुरेश कुरूप द्वारा पुर:स्थापित विधेयक संविधान के अनुच्छेद 248 से संबंधित एक विशेष पहलू तक ही सीमित

[श्री रमेश चेन्तिला]

है। संविधान के अनुच्छेद 248 का संबंध अवशिष्ट शक्तियों से है। अवशिष्ट शक्तियों का प्रस्ताव अमरीका और आस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। हमारे संविधान निर्माताओं ने इन दो देशों में संविधान से प्रेरणा ली थी। हमारे संविधान के अनुच्छेद 248 पर पहले ही बहुत वाद-विवाद हो चुका है।

जब डा. कलिझंगर करुणानिधि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने डा. राजामन्नार की योग्य अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था और इस समिति से केन्द्र-राज्य संबंधों का अध्ययन करने के लिए कहा गया था। डा. राजामन्नार समिति की एक सिफारिश में यह कहा गया है कि:

> ''विधान बनाने और कराधान की अवशिष्ट शक्तियां राज्य विधानमण्डलों में निहित हो सकती हैं।''

यह उस समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशों में से एक है जिसने केन्द्र-राज्य संबंधों का विस्तार से अध्ययन किया था। उन्होंने केन्द्र-राज्य संबंधों के बारे में बहुत मूल्यवान सुझाव दिए हैं।

सभापति महोदय: इस विधेयक के लिए आवंटित किया गया समय अपराह्न 4.35 बजे समाप्त होने जा रहा है। अभी श्री रमेश चेन्तिला ने अपना भाषण पूरा करना है फिर माननीय मंत्री जी अपना उत्तर देंगे और फिर इस विधेयक को पुर:स्थापित करने वाले श्री सुरेश कुरूप भी अपना भाषण देगे। अत: यदि सदन सहमत है तो हम इस विधेयक के लिए आबंटित समय में आधे घंटे की वृद्धि कर सकते हैं।

अब हम इस विधेयक के लिए आवंटित समय में आधे घंटे की वृद्धि कर रहे हैं। यदि आवश्यक हो तो हम सदन से और अधिक समय दिये जाने हेतु निवेदन कर सकते हैं।

श्री रमेश चेन्तिला, अब आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री रमेश चेन्तिला: महोदय, डा. राजामन्नार समिति ने अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिये थे। इस जांच समिति ने विस्तार से जांच की थी और अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिये थे। मैं समझता हूं श्री सुरेश कुरूप डा. राजामन्नार समिति की सिफारिशों के अनुरूप ही इस विधान को लाये हैं।

हमारा संविधान तीन विधायी सूचियों के बारे में बात करता है। संविधान निर्माता इस तथ्य से अवगत थे कि मानव ज्ञान सीमित है और उसकी अवधारणाएं पूर्ण नहीं होतीं, अत: यदि भविष्य में यदि कोई आपात स्थिति उत्पन्न होती है, तो यह आवश्यक हो जाता है कि जो मामले तीन सूचियों में से किसी में भी उल्लिखित नहीं है उनके संबंध में विधान बनाया जा सके। इस असंभावित परिस्थिति से निपटने के लिए, उन्होंने अनुच्छेद 248 और सूची 1 की प्रविष्टि 97 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियों का विधान किया है। महोदय, अवशिष्ट शक्तियों के बारे में, संसद को प्रदान करने की दृष्टि से, विशेषकर कराधान के मामले में मजबूत केन्द्र होने की व्यवस्था करना सुनिश्चित करने, उनके द्वारा निर्मित हमारी संवैधानिक योजना का हिस्सा है। आज, अवशिष्ट शक्तियों के विधान की शक्ति संसद में निहित है। संविधान के निर्माताओं ने सोचा कि इससे देश को एक मजबूत केन्द्र मिलेगा और एक मजबूत केन्द्र की आवश्यकता होगी और इसके दृष्टिगत, उन्होंने यह शक्ति संसद को प्रदान की।

पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ''हमें लगता है कि अवशिष्ट शक्तियां केन्द्र के पास ही रहनी चाहिए। तथापि, हमारे द्वारा बनाई गई तीनों सूचियों के विस्तृत स्वरूप के मद्देनजर, अवशिष्ट विषय केवल ऐसे मामलों से संबंधित होंगे जिन्हें भविष्य में पहचाना जाएगा और जो वर्तमान में पहचान योग्य नहीं हैं और इसीलिए उन्हें अभी सूची में शामिल नहीं किया जा सकता।'' पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की यही राय थी।

महोदय, जब सरकारिया आयोग ने विभिन्न राज्यों सरकारों और राजनीतिक दलों से राय ली थी, तो सिर्फ चार राज्य सरकारों ने ही सुझाव दिया था कि अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास रहनी चाहिए, दो राज्य सरकारों ने प्रस्ताव किया था कि सूची 1 की प्रविष्टि 97 को समवर्ती सूची में शामिल कर देना चाहिए; और सभी अन्य राज्यों ने सहमति व्यक्त की कि अवशिष्ट शक्तियां संसद, केन्द्र के पास रहनी चाहिए।

महोदय, संविधान के कुछ निर्माताओं ने यह भविष्यवाणी की कि अवशिष्ट शक्तियां मुख्यत: सैद्धांतिक महत्व की रहती हैं। हो सकता है यह सोच उस समय की है जब संविधान बनाया गया था। लेकिन अब यह स्थिति नहीं है जब चीजें बदल गईं, सोच बदल गयी और जब राजनीतिक आकांक्षाएं बदल गई हैं। संविधान निर्माताओं ने विवाद से बचने के लिए समवर्ती सूची में कर संबंधी प्रविष्टि को समवर्ती सूची में स्थान नहीं दिया है। प्रमुख तर्क यही दिया गया था कि राज्य और केन्द्र के बीच कोई विवाद नहीं होना चाहिए। यदि यह समवर्ती सूची में है, तो राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के बीच विवाद रहेगा और बहुत भ्रम रहेगा। यदि आप समवर्ती सूची में कराधान की अवशिष्ट शक्ति को रखते हैं तो राज्य और केन्द्र के बीच व्यर्थ का विवाद रहेगा और इससे दोहरा कराधान और निराशाजनक कानून बनेगा।

यह प्रति-उत्पादक होगा और यह संविधान के उद्देश्य के विरुद्ध होगा। यदि हम राज्य और केन्द्र दोनों की कराधान के मामलों में विधान या कानून बनाने की अनुमति देते हैं, तो बहुत

भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और यह भी हम जानते हैं कि राज्य सरकारें कैसे काम कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में, हम जानते हैं कि मुख्य मंत्री और राज्य सरकार किस तरह का व्यवहार कर रही हैं, और तमिलनाडु में मुख्य मंत्री किस तरह का बर्ताव कर रही हैं आरोप लगाए गए। यद्यपि, मत भिन्नता हो सकती है, लेकिन कुछ राज्यों में राज्य सरकारें विचित्र तरह से व्यवहार कर रही हैं और वहां कोई नियंत्रण नहीं है। पोटा का दुरुपयोग कुछ राज्य सरकारों द्वारा बुरी तरह से किया गया है। यदि पोटा और अन्य मामलों में ऐसा होता है तो तब क्या होगा जब राज्यों को कराधान के संबंध में विधान बनाने का अधिकार दे दिया जाएगा? राज्य किस तरह से व्यवहार करेंगे? इसलिए, मैं अपने मित्र, श्री सुरेश कुरूप से सहमत नहीं हूं। वस्तुत: मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं उनका मतविरोध इसलिए कर रहा हूं कि आज की वर्तमान राजनीतिक स्थिति में, यह अत्यंत आवश्यक है कि इस तरह की शक्ति संसद के पास ही होनी चाहिए। इसे केन्द्र के पास होनी चाहिएं। हम इस विशेष रूप से कर के संबंध में विधान बनाने की शक्ति को राज्यों को नहीं दे सकते।

सभापति महोदय: श्री रमेश चेन्नितला, कृपया समाप्त करें।

श्री रमेश चेन्नितला: मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। सरकारिया आयोग ने कहा है कि कराधान के अलावा अन्य अवशिष्ट शक्तियां समवर्ती सूची में स्थानांतरित की जा सकती हैं। सरकार इस पक्ष की जांच कर सकती है। देश की एकता और अखंडता के लिए केन्द्र का मजबूत होना जरूरी है। मैं एक बात और कर कर अपनी बात समाप्त करूंगा कि मैं अपने विद्वान मित्र, श्री सुरेश कुरूप के विधेयक की भावना से सिद्धांत रूप में सहमत हूं। विधेयक की भावना है कि राज्यों को अधिक से अधिक संसाधन दिए जाएं और उन्हें राज्य सरकारें सही तरीके से चलाने के लिए अधिक शक्तियां दी जाएं। अब जिम्मेदारियां ज्यादा हैं और संसाधन कम हैं। इसीलिए, राज्य सरकारें दम तोड़ रही हैं। राज्य सरकारों के पास चुनौतियों का सामना करने और मुद्दों से निपटने के लिए कोई साधन नहीं है। इसलिए, मैं विधान की भावना से सहमत हूं, लेकिन इसी के साथ मैं उनसे सहमत नहीं हूं जब वे यह कहते हैं कि हमें राज्य सरकारों को पूरी तरह से अवशिष्ट शक्तियां दे देनी चाहिए क्योंकि इससे व्यर्थ का विवाद और भ्रम बनेगा। यह देश के व्यापक हित में नहीं होगा। इसलिए, हमें मजबूत केन्द्र की आवश्यकता है। हमें मजबूत और एकीकृत देश की आवश्यकता है। हमें जरूरत इस बात की है कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखा जाए और यह हमारे देश के प्रत्येक नागरिक का परम कर्त्तव्य है।

सभापति महोदय: डा. वी. सरोजा, मैं आपको पांच मिनट का समय दे रहा हूं।

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम): यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है, जिसका न केवल महत्वपूर्ण मूल्यांकन किये जाने की जरूरत है, बल्कि विधेयक के हर पहलू की प्रासंगिकता है। केन्द्र-राज्य संबंध देश के विकास का आधार है। केन्द्र-राज्य संबंध बहुत महत्वपूर्ण हैं। विकासशील देश को विकसित देश बनाने के लिए यह आधार है।

हालांकि संविधान केन्द्र-राज्य संबंध को सशक्त बनाता है, 1990 से मैंने देखा है कि राज्यों की वित्तीय स्थिति पर बहुत दबाव रहा है। मैं इस महान सभा का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगी कि राज्य बजट द्वारा प्रस्तावित वित्तीय सुदृढ़ीकरण उपाय में व्यय और राजस्व वृद्धि के तरीके खोजे जाते हैं। मैं आपके सामने यह बताने के लिए खड़ी हूं कि ग्यारहवें वित्त आयोग ने तमिलनाडु सरकार के साथ कैसे अन्याय किया है।

जहां तक राजस्व प्राप्ति का सवाल है, यदि आप तमिलनाडु का मामला लें तो अन्य राज्यों की तुलना में, यह बेहतर कार्यनिष्पादन करने वाले राज्यों में एक है, लेकिन इसे दंडित किया जा रहा है। ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, तमिलनाडु को 62 प्रतिशत, जबकि आंध्र प्रदेश को 71 प्रतिशत, बिहार को 130 प्रतिशत, मध्य प्रदेश को 118 प्रतिशत, उड़ीसा को 114 प्रतिशत राजस्थान को 106 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश को 117 प्रतिशत और पश्चिम बंगाल को 135 प्रतिशत मिला। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार ये आंकड़े हैं। अत:, तमिलनाडु को काफी कम मिला।

तमिलनाडु की सुयोग्य मुख्यमंत्री और अपनी सक्षम नेता की ओर से मेरी प्रार्थना है कि एक ही चीज दोहरायी नहीं जानी चाहिए। भारत सरकार कम से कम भविष्य ने अन्याय न करे।

1990 के दशक के दौरान जी.डी.पी. अनुपात में कर करीब 8 प्रतिशत पर स्थिर रहा है। राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियां राजस्व व्यय को 50 प्रतिशत और कुल व्यय के 45 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। कृपया इस पर ध्यान दें। अच्छा प्रदर्शन करने वाले सभी दक्षिणी राज्यों, विशेषकर तमिलनाडु के साथ अन्याय हुआ है। अत:, मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि राज्य का सेवाकर में हिस्सा सुनिश्चित करने हेतु विधान पारित किया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): सभापति महोदय, श्री सुरेश कुरूप द्वारा लाया गया विधेयक में राज्यों के विकास और प्रगति तथा आत्मनिर्भरता के प्रति चिंता व्यक्त की गई है। इस बारे में कोई शक नहीं है। मैं चर्चा में भाग लेने वाले और अपने राज्यों के बारे में और सामान्य सुझाव देने वाले सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं लेकिन मुझे आशंका है

[श्री ईश्वर दयाल स्वामी]

कि यदि व्यवहारिकता, व्यवहार्यता और ऐतिहासिक संदर्भ को ध्यान में रखा जाए तो श्री सुरेश कुरूप भी बाद में मुझसे सहमत होंगे कि संविधान में ऐसे क्रांतिकारी संशोधन करने संभव नहीं होंगे क्योंकि इससे संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़ होगी।

संविधान निर्माताओं ने इस बात को ध्यान में रखा कि अलबत्ता वे अर्धसंघीय या संघात्मक संविधान बना रहे हैं लेकिन उसका सुझाव केन्द्र की ओर था। वे चाहते थे कि केन्द्र मजबूत होना चाहिए क्योंकि जब तक केन्द्र मजबूत नहीं होगा, देश की एकता, अखण्डता और सम्प्रभुता की सुरक्षा नहीं की जा सकती और नहीं की जा सकेगी। इसीलिए, उनका बल केन्द्र को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान करना था। भारत का संविधान का स्वरूप संघात्मक है। इस बारे में कोई शक नहीं है।

संघात्मक प्रणाली की एक मूल विशेषता केन्द्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है। यह भी किसी संघात्मक संविधान की एक मुख्य विशेषता है। संविधान में संघात्मक शासन प्रणाली का प्रावधान है जिसमें संघ और राज्यों की शक्तियों के अलग-अलग क्षेत्र स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं। हालांकि यह सब कहने के बाद, मैं कहूंगा कि उत्कृष्ट संघात्मक ढांचे और संविधान में उल्लिखित संघ में स्पष्ट अन्तर है। संविधान निर्माताओं के मन मस्तिष्क में कई ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक पहलू थे जिनके कारण वे मजबूत केन्द्र के पक्ष में थे। इसीलिए, मैं कहता हूं कि संघीय संविधान अथवा अर्ध-संघीय संविधान प्रदान करते समय उन्होंने इस बात को ध्यान में रखा कि केन्द्र को मजबूत रखा जाना चाहिए। भारतीय इतिहास से सबक लेते हुए उन्होंने सोचा कि इस बहुधर्मी, बहुजातीय, बहुभाषी और बहुक्षेत्रीय विशाल भारत देश में केवल वही राजव्यवस्था कार्य कर सकती है जो देश की बाहरी आक्रमण और आंतरिक उपद्रवों से रक्षा कर सके, इसकी एकता और संप्रभुता की रक्षा कर सके और जो सुदृढ़ केन्द्र की पक्षधर हो। हमारे संविधान निर्माता इस बात से भिज्ञ थे कि समान सांस्कृतिक विरासत होने के बावजूद, जब तक संविधान में देश के राजनीतिक रूप से एकीकरण की गारंटी नहीं दी जाती, यह विघटनकारी शक्तियों के दबाव में टूटकर बिखर सकता है।

हमारे संविधान निर्माताओं ने एक अन्य कारण से भी सुदृढ़ केन्द्र के विचार को अपनाया और वह था–वह देश का समान आर्थिक विकास। उन्होंने अनुभव किया कि आर्थिक और वित्तीय एकीकरण प्राप्त करने के लिए एक सुदृढ़ केन्द्र सरकार की आवश्यकता होगी ताकि राष्ट्रीय एकता पर किसी तरह की आंच आये बिना, सभी राज्यों सहित पूरे देश के हितों की बढ़ावा देने वाली आर्थिक नीतियों को लागू किया जा सके।

इस तरह भारतीय संविधान मजबूत केन्द्रीय नियंत्रण की अनिवार्यताओं और पर्याप्त स्थानीय प्रयास की आवश्यकताओं का मिश्रण है। हमारा देश जो इतना विशाल और विविधतायुक्त है वहां एकात्मक शासन व्यवस्था उपयुक्त नहीं होगी यही सोचकर हमारे संविधान निर्माताओं ने एक ऐसी शासन व्यवस्था शुरू की जो पूरी तरह से भारत की स्थितियों के अनुकूल हो, क्योंकि इसमें केन्द्र के मजबूत होने के साथ-साथ संघीय ढांचे की भी महत्वपूर्ण बातों को शामिल किया गया है। इस संविधान की यही मौलिक विशेषता है। लेकिन यदि हम संविधान पर समग्र रूप से विचार करें, तो हम पायेंगे कि हमारे संविधान में यह भी एक अनूठी बात है कि संविधान निर्माताओं ने इसमें तीन सूचियों का प्रावधान किया है-राज्य सूची (विशद सूची), केन्द्र सूची और समवर्ती सूची। शेष शक्तियां बहुत सीमित हैं। वास्तव में, संविधान सभा में इस पर चर्चा करते हुए संविधान निर्माताओं ने यह उल्लेख किया था कि शेष शक्तियां नाममात्र की है। वास्तव में, सूची-एक, सूची-दो और सूची-तीन में अधिकतर बातों को स्पष्ट कर दिया गया है। लेकिन शेष शक्तियां किसी अनहोनी घटना या विशेष परिस्थिति से निपटने के लिए है। इसलिए शेष शक्तियों का प्रावधान विशेष परिस्थितियों के लिए किया गया है। ये सभी बातें और शक्तियां जिन्हें समान रूप से वितरित किया गया है–अधिशेष शक्तियां केन्द्र के पास हैं-अपने अपने उद्देश्य में सफल रही हैं और समय की कसौटी पर खरी उतरी है। इतना ही नहीं, सरकारिया आयोग ने भी जब केन्द्र-राज्य संबंधों पर सिफारिशें की तो उसने भी इस बात पर पूरा बल दिया। यहां तक कि सरकारिया आयोग ने यह सिफारिश तक की कि जहां तक कराधान का प्रश्न है, यह केन्द्र के पास होना चाहिए, और शेष शक्तियों को राज्य को देने के बजाय उसे समवर्ती सूची में शामिल किया जाना चाहिए। इस तरह सरकारिया आयोग का भी यही विचार रहा है। अब मैं एक कदम आगे बढ़ता हूं। सिर्फ सरकारिया आयोग ही नहीं, अपितु इसके पीछे 50 वर्षों का अनुभव रहा है और जैसाकि 11वें वित्त आयोग में कहा गया है कि इस बारे में कुछ मांगें थीं और राज्यों को इस बारे में कुछ मुश्किलें थीं। विभिन्न राज्यों ने अपनी अलग-अलग परेशानियां व्यक्त की हैं।

इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, इस संविधान के 50 वर्षों के कार्यकरण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने संपूर्ण संविधान की समीक्षा के लिए एक संविधान समीक्षा आयोग गठित किया है। यहां तक कि सरकार ने यह भी सिफारिश की है कि यह संविधान समीक्षा आयोग विधायन की समवर्ती शक्तियों के बारे में संवैधानिक उपबंधों की जांच करे, समय-समय पर होने वाले संवैधानिक संशोधनों तथा इस समवर्ती सूची से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों के बारे में न्यायिक उद्घोषणाओं का विश्लेषण करे। लेकिन इस बारे में जो विचार उभर कर सामने आया वह यह है कि वर्तमान संवैधानिक उपबंधों में परिवर्तन का कोई ठोस आधार नहीं है।

आयोग का मत है कि कुल मिलाकर केन्द्र और राज्यों के बीच जो विधायी संबंध हैं, और जो अनुच्छेद 245 से 254 में अंतर्विष्ट हैं, विशेषकर समवर्ती सूची के बारे में, वे समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। अनुच्छेद 246(2) के अंतर्गत सातवीं अनुसूची में सूची-तीन को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए क्योंकि इसने सहयोग पर आधारित और सृजनशील संघवाद के सिद्धांत को न केवल सुदृढ़ किया है बल्कि उसे आगे बढ़ाया है और देश निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसलिए, समीक्षा आयोग ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है। उसने अपने को इसी टिप्पणी तक सीमित रखा कि यह संविधान समय की कसौटी पर सही उतरा है और इसके मूलभूत ढांचे में परिवर्तन किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

इसलिए, जैसाकि आरंभ में मैंने कहा कि इस संबंध में संविधान की एकता और संप्रभुता जैसी मूलभूत विशेषताएं अब भी यथावत हैं और उन्हें ऐसे ही रखा जाए।

इस संविधान (संशोधन) विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों को किसी अन्य आधार पर भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। अधिशेष शक्तियों के राज्य विधानमंडल को सौंपे जाने से सीधे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 245(2) का उल्लंघन होगा, जिसके अनुसार संसद को भारत के संपूर्ण सीमा क्षेत्र या उसके किसी भाग के बारे में कानून बनाने का अधिकार है, राज्य विधान मंडल केवल राज्य या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकता है। इस तरह किसी राज्य विधानमंडल की विधायी शक्ति राज्य के सीमा क्षेत्र तक ही सीमित है। जैसाकि विधेयक में प्रस्तावित है अनुच्छेद 248(1) में संशोधन करने से ऐसी स्थिति भी पैदा हो सकती है कि एक ही विषय पर दो या तीन राज्यों के विधानमंडल अलग-अलग विरोधाभासी कानून बना दें और तब स्थिति बहुत ही जटिल हो जायेगी। यदि ऐसा कोई संशोधन कर दिया जाता है तो उससे पैदा होने वाली विरोधाभासी स्थिति से निपटना बहुत मुश्किल होगा। ऐसी स्थिति पैदा होने पर एक राज्य द्वारा पारित कानून दूसरे राज्य द्वारा पारित कानून से मेल नहीं खायेगा। इस तरह की भिन्न स्थिति और भिन्न कानूनों से निश्चित रूप से देश की प्रशासनिक और न्यायिक प्रणाली की एकरूपता प्रभावित होगी। यह एक अन्य कारण है जिसकी वजह से संविधान समीक्षा आयोग और सरकारिया आयोग ने संविधान की वर्तमान व्यवस्था के, जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है, बनाये रखने के पक्ष में सिफारिशें की हैं।

अनुच्छेद 248(1) में संसद को प्रदत्त अधिशेष शक्तियों के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश विधान सभा (गठन और कार्यवाहियां) विधिमान्यकरण अधिनियम, दान कर अधिनियम, जांच आयोग अधिनियम तथा धन कर अधिनियम जैसे कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम बनाये गये हैं और जो पूरे देश में एक समान लागू होते हैं। यदि आप अधिशेष शक्तियों के अंतर्गत कानून बनाने संबंधी सरकार की शक्ति के प्रयोग पर दृष्टिपात करें तो आप पायेंगे कि 55 वर्ष की अवधि में सरकार ने इसके अंतर्गत बमुश्किल तीन या चार कानून बनाये हैं। इससे यह साबित हो जाता है, और जो बात मैंने आरंभ में कही थी कि सूची-एक, सूची-दो और सूची-तीन में विषयों के विस्तृत उल्लेख के बाद केन्द्र सरकार के पास अधिशेष शक्तियां नाममात्र की रह जाती हैं और वे उस संकट से निपटने के लिए है जिसका हमारे संविधान निर्माता, संविधान निर्माण के समय पूर्वानुमान नहीं लगा सके। इसलिए अधिशेष शक्तियां केन्द्र के पास ही रहनी चाहिए क्योंकि जैसाकि मैंने कहा है, आधी शदी से अधिक अवधि में इनके अंतर्गत बमुश्किल तीन या चार कानून ही बनाये गये हैं।

यहां तक कि प्रख्यात न्यायविद और संविधान विशेषज्ञ श्री डी.डी. बसु ने भी हमारे संविधान की मूलभूत विशेषताओं में जिन 20 विशेषताओं की पहचान की है, उनमें देश की एकता और अखंडता की भी एक विशेषता के रूप में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गयी है। तथापि, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसे कई महत्वपूर्ण निर्णय दिये गये हैं जिनमें यह कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को प्रदत्त संविधान संशोधन की शक्ति का प्रयोग कर संविधान की मूलभूत विशेषताओं को संशोधित नहीं किया जा सकता। इससे संबंधित कई निर्णय आये हैं।

अनुच्छेद 249 के अंतर्गत केन्द्र सरकार को यह शक्ति प्राप्त है कि वह राज्य सूची में दिये गये विषयों पर कानून बनाने की राज्य विधानमंडल की व्यापक शक्तियों की अनदेखी करते हुए अस्थायी तौर पर कानून बना सकती है। संविधान निर्माताओं ने तो यहां तक कहा है कि उन्होंने राज्य सूची में दिये गये विषयों पर कानून बनाने की राज्य विधानमंडल की व्यापक शक्तियों की अनदेखी करते हुए उस पर केन्द्र सरकार को अस्थायी तौर पर कानून बनाने की छूट उस स्थिति में दी है जब राज्य सभा विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित कर यह घोषित करे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में जरूरी है। हमारे संविधान निर्माता इन तथ्यों से इस सीमा तक भिज्ञ थे।

अनुच्छेद 249 का लोप कर देने से देश एक ऐसे संवैधानिक उपचार से वंचित हो जायेगा जिसमें राज्य सूची में शामिल किसी विषय पर संसद उस स्थिति में कानून नहीं बना सकेगी जब देश हित में ऐसा करना जरूरी हो। ये प्रावधान कर, निश्चित रूप से हमारे संविधान में पर्याप्त सुरक्षोपाय किये गये हैं।

अधिशेष शक्तियां राज्य विधानमंडलों को सौंपने से यह संसद की सर्वोच्चता के सिद्धांत के विपरीत भी होगा, जो एक स्वीकृत

[श्री ईश्वर दयाल स्वामी]

और स्थापित सिद्धांत है कि संसद सर्वोच्च है और संविधान के कई अनुच्छेदों में इसका उल्लेख किया गया है। यदि हम संविधान के कुछ अनुच्छेदों पर एक सरसरी नजर डालें तो यह साबित हो जायेगा कि उसमें संविधान की सर्वोच्चता का उल्लेख किया गया है और इसे संविधान के कई अनुच्छेदों में दोहराया गया है।

अपराह्न 5.00 बजे

राज्य विधानमंडलों को अधिशेष शक्तियां सौंपने से इस मूलभूत सिद्धांत का भी उल्लंघन होगा। इस तरह, विधेयक में प्रस्तावित संशोधन न केवल अनुच्छेद 249 के अपितु अनुच्छेद 246(3), 250, 251, 252 तथा 254 के विपरीत भी होगा।

अंत में, मैं अपने माननीय सहयोगी श्री सुरेश कुरूप का ध्यान इस ओर खींचना चाहूंगा कि वह यह कैसे महसूस करते हैं कि संविधान में इन संशोधनों को करने और राज्यों को अधिशेष शक्तियां प्रदान करने से राज्यों को और अधिक स्वायत्त बनाया जा सकेगा, राज्य बेहतर ढंग से प्रगति कर सकेंगे या इससे राज्यों को कोई बहुत अधिक लाभ होगा। यह सुस्पष्ट है कि राज्यों को अधिशेष शक्तियां प्रदान करने मात्र से वे स्वायत्तशासी नहीं हो जायेंगे। कानून निर्माण के लिए अनुसूची-सात में दी गयी सूची-एक, दो और तीन में विषयों की इतनी विस्तृत जानकारी दी गयी है और हमारे संविधान निर्माताओं में से कुछ ने तो यहां तक सोचा था कि अधिशेष विषयों की गुंजाइश बहुत कम है और 50 वर्षों में यह पाया गया है कि कुछेक मामलों तीन या चार मामलों में ही अधिशेष विषयों पर संसद द्वारा कानून निर्माण किया गया है। ऐसे मामले बहुत कम है। हमारे संविधान के व्यावहारिक कार्यकरण के इतिहास से यह सिद्ध हो चुका है।

महोदय, इस बारे में सरकारिया आयोग की रिपोर्ट आयी है। इसके अलावा संविधान समीक्षा आयोग ने भी इस बारे में कुछ टिप्पणियां की हैं। हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि यह संविधान समय की कसौटी पर खरा उतरा है, संविधान में दी गयी सूची-एक, दो और तीन में विषयों की विस्तृत जानकारी दी गयी है, अधिशेष विषयों पर संसद द्वारा कानून बनाने के लिए कुछ खास नहीं बचा है, जैसाकि 50 वर्ष के अनुभव से साबित होता है, इसलिए मेरा मानना है कि संविधान में और अधिक संशोधन करने वाला यह विधेयक व्यावहारिक नहीं है।

मेरा यही अनुरोध है कि देश की अखंडता, संप्रभुता और एकता सर्वोपरि है और यह संविधान की मूलभूत विशेषताओं में से एक है इसलिए हमें इसकी संरक्षा करनी चाहिए।

मेरे विचार से संविधान की योजना समय की कसौटी पर खरी उतरी है और यहां तक कि समीक्षा आयोग ने भी इसकी सराहना की है। मेरे विचार से हमारी ओर से एक विचारक होने के नाते यह कोई स्वस्थ परंपरा नहीं है कि हम ऐसी कोई संवैधानिक योजना लाएं जो संविधान-निर्माताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई है और जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है।

इन्हीं बातों के साथ मेरे माननीय मित्र श्री सुरेश कुरूप से इस विनम्रतापूर्वक इस देश की एकता, अखंडता और सम्प्रभुता के हित में इस विधेयक को वापस लेने का अनुरोध करूंगा।

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम): माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय संसद सदस्यों और माननीय मंत्री जी का भी इस विधेयक पर हुई चर्चा में भाग लेने के लिए धन्यवाद करता हूं। मेरी एकमात्र इच्छा इस प्रतिष्ठित सदन और इस देश का ध्यान राज्य सरकारों के सम्मुख आ रही वित्तीय समस्याओं की ओर आकर्षित करने की थी। हमारे देश में विभिन्न राज्य सरकारें गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रही हैं।

अपराह्न 5.04 बजे

[**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** *पीठासीन हुए*]

महोदय, हमारे द्वारा संविधान में किए गए संशोधनों की संख्या लगभग सौ है। मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि इस सदन में राज्यो को अधिक शक्तियां देने हेतु संविधान में एक भी संशोधन नहीं किया गया। इन वर्षों में केन्द्र राज्य सरकारों से शक्तियां वापस लेता रहा है, विशेषकर आर्थिक मामलों में।

महोदय, जब संविधान तैयार किया गया था तो उस समय हमारे देश में क्या परिदृश्य था? तब विभाजन हुआ था। तब दंगे हुए थे। चहुं ओर से लोग कह रहे थे कि यह देश विखंडित हो जाएगा तब बहुत सी देशी रियासतें थीं।

उस परिदृश्य में हमारे संविधान का निर्माण हुआ था। स्वाभाविक रूप से हमारे संविधान निर्माता एक सुदृढ़ केन्द्र चाहते थे। तथापि हम एक संघीय ढांचे की परिकल्पना कर सके और हमारे संविधान ने उसका प्रावधान किया।

शुरुआती वर्षों में, जब केन्द्र और राज्यों में एक ही दल का शासन था तब राज्य केन्द्र द्वारा उनकी शक्तियों को अनधिकृत रूप से हस्तगत करने के प्रति मौन रहते थे। अब केन्द्र और राज्यों में अलग-अलग दल सत्ता में हैं। अत:, अब राज्य सरकार अपने अधिकारों, विशेषकर वित्त से संबंधित अधिकारों के प्रति अधिकाधिक जागरूक हो गई हैं। राज्य सरकारों की जिम्मेदारी अधिक है। इसके साथ ही उनके संसाधन का क्षेत्र संकुचित है। संसाधनों के तीन बड़े और बढ़ते आधार-उत्पाद शुल्क, आयकर और सीमा शुल्क-

केन्द्र के पास हैं। राज्य सरकारों के पास क्या है? अन्ततः प्रत्येक राज्य सरकार को विभिन्न कार्यों हेतु धन के लिए केन्द्र सरकार के पास आना पड़ता है। स्वाभाविक रूप से केन्द्र को यह अधिकार मिला हुआ है। यह स्थिति बदलनी चाहिए। वित्तीय मामलों में राज्य सरकारों को अधिक शक्तियां मिलनी चाहिए। इस विधेयक को लाने के पीछे मेरी यही मंशा थी।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भा.ज.पा. ने हमेशा एक दल के रूप में केन्द्र को अधिकारिक शक्तियां दिए जाने की वकालत की है। कुछ वक्ताओं ने, विशेषकर उस पक्ष के वक्ताओं ने कहा कि राज्यों को अधिक शक्तियां देना खतरनाक है। वे इस तरह से ऐसा कहते हैं कि जैसे राज्य सरकारों को लोगों द्वारा चुना नहीं जाता, जैसे कि वे जिम्मेदार नहीं हैं, जैसे कि वे इस देश के लोगों के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं और जैसे कि केवल केन्द्र सरकार ही इतनी समझदार है कि केवल वही यह निर्णय कर सकती है कि इस देश और इसके लोगों के लिए क्या सही है और क्या गलत है। यह पूर्णतया गलत धारणा है। यह देश केवल तभी सुदृढ़ हो सकता है जब हमारी राज्य सरकारें पर्याप्त रूप से सुदृढ़ हों। केवल तभी केन्द्र सरकार भी एक मजबूत सरकार हो सकती है।

जम्मू और कश्मीर को अधिक स्वायत्तता देने के मामले में इस सरकार का क्या रवैया है? अन्य राजनैतिक दलों द्वारा जम्मू और कश्मीर विधान सभा द्वारा पारित किये गये संकल्प को समर्थन देने के बावजूद भी सरकार में मौजूद भा.ज.पा. दल लगातार इसका विरोध करता रहा है। राज्य को अधिक स्वायत्तता देने के मामले में केन्द्र सरकार और भा.ज.पा. का भी यही रवैया है।

मेरा मुद्दा यह है कि 21वीं शताब्दी में विश्व और देश में परिवर्तित परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए हमें राज्यों को अधिक शक्तियां देनी चाहिएं। यही समय की मांग है। यदि मेरे संशोधन विधेयक के कारण सदस्य इस मामले पर विचार करते हैं तो मैं इसके बाद में संतुष्ट हूं। मेरी यही इच्छा थी। अतः मैं इस विधेयक को वापस लेने को तैयार हूं।

मैं भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदयः प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सुरेश कुरूपः मैं इस विधेयक को वापस लेता हूं।

अपराह्न 5.09 बजे

संविधान (संशोधन) विधेयक–*विचाराधीन*

(अनुच्छेद 81 और 170 का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, इस विधेयक से अनुच्छेद 81 और 170 में संशोधन किया जाना है जिनमें हमारी लोक सभा और राज्यों की विधानसभाओं के गठन के बारे में प्रावधान किए गए हैं।

महोदय, हम मतदान की एक ऐसी प्रणाली का अनुसरण करते हैं जिसे सामान्य तौर पर मतदान की बहुमत प्रणाली या 'फर्स्ट पास्ट द पोस्ट' प्रणाली कहा जाता है। दूसरे शब्दों में जिस उम्मीदवार को चुनावों में बहुमत प्राप्त होता है वही सदन में आता है और उसे निर्वाचित घोषित किया जाता है। यह मतदान की सबसे पुरानी प्रणाली है। यह मतदान की शताब्दियों पुरानी व्यवस्था है। अब मतदान की इस प्रणाली की कमियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे देश की संसदीय प्रणाली की सफलता हेतु हमें इसमें आवश्यक परिवर्तन करने चाहिएं।

इस विधेयक में आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अंतर्गत मतदान की सूची प्रणाली को शुरू किये जाने का प्रावधान है। इसमें आगे यह भी प्रावधान किया गया है कि मतदान की वर्तमान प्रणाली नामतः 'फर्स्ट पास्ट द पोस्ट' प्रणाली लोक सभा के वर्तमान कार्यकाल तक प्रभावी रहेगी। लेकिन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की सूची के अंतर्गत 50 प्रतिशत अधिक सदस्यों को चुना जाएगा। दूसरे शब्दों में लोक सभा के लिए 50 प्रतिशत अतिरिक्त सदस्य या राज्य विधानमंडलों के लिए 50 प्रतिशत अतिरिक्त सदस्यों का चुनाव होगा जोकि संबंधित राजनैतिक दल द्वारा प्राप्त किये गये कुल मतों के अनुपात पर निर्भर करेगा। इसलिए यह 'फर्स्ट पास्ट द पोस्ट' की वर्तमान प्रणाली और सूची प्रणाली का मेल होगा। यही वह समय है जब हमें इस महत्वपूर्ण चुनाव सुधार के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि मैं बहुत उचित और सही समय पर इस विधेयक को पुरःस्थापित कर रहा हूं।

मुझे याद है कि भा.ज.पा. के सत्ता में आने से पूर्व आम तौर पर प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई जाने वाली नेताओं की बैठक में श्री लाल कृष्ण आडवाणी हमेशा सूची प्रणाली की वकालत करते

[श्री जी.एम. बनातवाला]

थे। अत: पहले भा.ज.पा. सत्ता में आने से पूर्व-सूची प्रणाली, जो कि जर्मनी में है, को यहां अपनाए जाने की वकालत करते थे। अब यह दल सत्ता में है और मुझे आशा है कि वह सरकार में अपने साथियों के साथ चुनाव प्रणाली में बहुत समय से लंबित इस सुधार को करने हेतु आगे आएंगे। मैं इस बात पर अवश्य जोर दूंगा कि इस विधेयक से वर्तमान प्रणाली में व्यवधान नहीं आएगा। इस विधेयक में यह प्रावधान है कि इसमें संयोजन होगा, जैसाकि मैंने कहा, इसमें बहुमत या 'फर्स्ट पास्ट द पोस्ट' प्रणाली, जिसमें बहुमत प्राप्त उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया जाता है और सूची प्रणाली, जिसमें एक राजनैतिक दल को कुल मतदान के जितने प्रतिशत मत प्राप्त होते हैं उसी अनुपात में उसके उम्मीदवार विजयी घोषित होते हैं, का सम्मिश्रण होगा। इस प्रकार, जहां वर्तमान सदस्य वर्तमान मतदान प्रणाली द्वारा ही चुने जायेंगे, अर्थात जिसे बहुमत प्राप्त होगा वही निर्वाचित घोषित किया जाएगा, इसी के साथ-साथ, सूची प्रणाली के अन्तर्गत 50 प्रतिशत अतिरिक्त सदस्य निर्वाचित होंगे।

महोदय, मैं इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं समझता कि सभी निर्वाचन प्रणालियों का उद्देश्य सर्वसम्भावित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। यह पूर्णतया आवश्यक है कि मतदाताओं की इच्छा यथासम्भव सही और प्रभावी तरीके से प्रतिध्वनित हो। यह पूर्णतया आवश्यक है कि भारत के नागरिकों द्वारा दिए गए मूल्यवान मत व्यर्थ न हों। यह एक त्रासदी है कि मतदान की वर्तमान व्यवस्था में, जिसका हम पालन करते हैं, बड़ी संख्या में और यहां तक कि निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं द्वारा डाले गए बहुसंख्यक मत उम्मीदवारों की बहुसंख्या और मतों के बंटने के कारण व्यर्थ हो जाते हैं। हमें ऐसी स्थितियों का भी पता लगा है कि जब ऐसे उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया गया है जिसे बमुश्किल 35 से 40 प्रतिशत मत ही मिले हैं। अन्य मत राजनैतिक दलों के उम्मीदवारों में बंट जाने के कारण व्यर्थ हो जाते हैं। मतों के इस प्रकार व्यर्थ होने से वास्तव में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। भारत के सम्माननीय नागरिक द्वारा डाला गया कोई भी मत बेकार नहीं जाना चाहिए। इसका प्रतिबिम्ब किसी दल द्वारा जीती गई सीटों की संख्या में दिखाई पड़ना चाहिए।

महोदय, हमारी चुनाव प्रणाली मतदाताओं के प्रति निष्पक्ष होनी चाहिए और पूरी निष्पक्षता के साथ बिना किसी मत को बेकार किये चुनाव प्रणाली द्वारा राष्ट्रीय मत को जीती गई संसदीय सीटों में परिणत होना चाहिए। यहां मैं सदन का ध्यान इस तथ्य की तरफ दिलाना चाहता हूं कि वर्तमान में विश्व भर में 212 संसदीय चुनाव प्रणालियां हैं। संसद और राज्य विधायिकाओं के चुनाव के लिए 212 चुनाव प्रणालियां हैं। लोकतंत्र किसी समाज की विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप उचित प्रणाली की अभिधारणा है। अत: हमें अपने समाज की विशेषताओं को देखना होगा और उसी के अनुरूप चुनाव प्रणाली का निर्णय लेना होगा जो कि हमारे समाज की प्रकृति के लिए सच्ची और विश्वसनीय हो।

सभापति महोदय, हमारी सूची प्रणाली ज्यादातर देशों द्वारा अपनाई गयी है। यह प्रणाली यूरोपियन महाद्वीप के देशों द्वारा अपनायी गई है। यह प्रणाली स्कैन्डिनेवियन देशों द्वारा अपनायी गई है। संघीय जर्मन गणराज्य, जापान, मैक्सिको और अन्य देशों के पास मिश्रित प्रणाली हैं नामत: मतदान की 'फर्स्ट पास्ट एंड पोस्ट और लिस्ट प्रणाली यहां तक कि ब्रिटेन के मामले में भी, जिसे सभी संसदों की मां माना जाता है, मतदान प्रणाली पर एक स्वतंत्र आयोग ने अपने प्रतिवेदन, जिसे जेनकिन प्रतिवेदन कहा जाता है, में सुझाव दिया गया था कि यह उचित समय है जबकि ब्रिटेन में लोकतंत्र को और सुदृढ़ करने के लिए मतदान की मिश्रित प्रणाली अपनाई जानी चाहिए।

महोदय, जैसाकि मैंने कहा है कि हमने फर्स्ट पास्ट दि पोस्ट प्रणाली या मतदान की बहुमत प्रणाली अपनायी है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किये गये बहुत से उम्मीदवार चुनाव में भाग लेते हैं। स्वतंत्र उम्मीदवार भी होते हैं। जो उम्मीदवार बहुमत प्राप्त करता है वही सदन में वापिस आता है। उसे चुना गया घोषित किया जाता है। अपने अनुभव के आधार पर हम सब जानते हैं कि कई मामलों में जो उम्मीदवार चुना गया घोषित किया जाता है। उसे प्राप्त हुए मत अन्य उम्मीदवारों को प्राप्त हुए मतों की तुलना में सबसे अधिक होते हैं लेकिन अन्य सभी उम्मीदवारों को प्राप्त हुए कुल मतों की तुलना में उसे कम मत मिले होते हैं। कई मामलों में हम पाते हैं कि कुल हुए मतदान में से 30 या 35 या 40 प्रतिशत मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को चुना गया घोषित किया जाता है। उसे अल्पमत से चुना जाता है क्योंकि अन्य दलों के उम्मीदवारों के बीच मतों का विभाजन हो जाता है।

केवल उम्मीदवारों के मामले में ही नहीं बल्कि देश की स्वतंत्रता के बाद से अपने अनुभव में हमने देखा है कि अल्पमत की सरकारें भी बनती है। भारत सरकार 30 प्रतिशत, या 32 या 35 प्रतिशत मतों के आधार पर भी बनी है। मेरे पास स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हुए विभिन्न चुनावों के आंकड़े हैं लेकिन उन आंकड़ों को यहां प्रस्तुत करने के लिए मैं सदन का समय नहीं लूंगा। यह लोकतंत्र की एक दुखद स्थिति है कि बहुमत की परिणति सीटों में नहीं होती और सरकारें अल्पमत के आधार पर बनती हैं। सरकार 40 प्रतिशत मतों के आधार पर बन जाती हैं जिसका अर्थ यह हुआ कि वास्तव में 60 प्रतिशत मतदाताओं ने उस दल विशेष के पक्ष में सरकार बनाने के लिए आदेश नहीं दिया था।

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): उन लोगों के बारे में आपका क्या कहना है जो मतदान नहीं करते?

श्री जी.एम. बनातवाला: वह एक अलग बात है। इस समय मैं डाले जाने वाले मतों की बात कर रहा हूं। लोग परेशानियां उठाकर मतदान केन्द्र तक जाते हैं।

श्री रमेश चेन्नितला: क्या आपका मतलब यह है कि मतदान सबके लिए अनिवार्य बनाया जाना चाहिए?

श्री जी.एम. बनातवाला: नहीं, मैं अनिवार्य मतदान का विचार स्वीकार नहीं करता। वह एकदम अलग चर्चा है। उस पर हम फिर किसी समय बहस कर सकते हैं। इस विषय पर व्यापक बहस की जा सकती है कि मतदान को अनिवार्य किया जाना चाहिए या नहीं? मैं इससे सहमत नहीं हूं। यह भी एक तथ्य है कि भारत में आज मतदान करना नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है। ऐसा दिखाई पड़ता है। इस संबंध में न्यायालय द्वारा भी एक निर्णय दिया गया है। चुनाव लड़ना भी मौलिक अधिकार नहीं है। इस विषय पर एक अन्य विधेयक लाया गया है कि मतदान करना और चुनाव लड़ने को भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार बनाया जाए। लेकिन वर्तमान में मैं इस विषय के संदर्भ में बात नहीं कर रहा हूं। इस समय मैं इन लगभग 50 वर्षों के दौरान देश में अपनाए गए 'फर्स्ट-पास्ट-दि-पोस्ट सिस्टम' में बहुमत के विषय में गम्भीर खामियों के बारे में बात कर रहा हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: श्री बनातवाला जी, आप कितना समय लेंगे? अभी साढ़े पांच बजे आधे घंटे की चर्चा शुरू होनी है। वैसे अभी आप तीन मिनट तक बोल सकते हैं। आधे घंटे का चर्चा के बाद यदि आप बोलना चाहें तो आपको समय मिलेगा।

[अनुवाद]

श्री जी.एम. बनातवाला: महोदय, मेरा भाषण अभी प्रस्तावना के स्तर पर ही है। अगली बार जब भी यह विषय उठाया जाएगा मैं इसे जारी रखूंगा।

श्री रमेश चेन्नितला: हम इसे आधे घंटे के बाद जारी रख सकते हैं।

श्री जी.एम. बनातवाला: अगली बार जब भी गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य लिया जाएगा हम इस विषय को उठा सकते हैं। मैं समझ सकता हूं कि आप चाहते हैं कि इस विषय पर आज ही बहस करके इससे छुटकारा पा लें। लेकिन यह एक महत्वपूर्ण विषय है।

महोदय, विधि आयोग ने लिस्ट प्रणाली की सिफारिश की है। यद्यपि मेरे द्वारा लाये गए विधेयक और विधि आयोग द्वारा की गयी सिफारिश में कुछ अन्तर हैं। सैद्धान्तिक तौर पर विधि आयोग ने अपनी 170वें प्रतिवेदन में लिस्ट प्रणाली अपनाने की सिफारिश की थी। सत्ता में आने से पहले भाजपा 'लिस्ट प्रणाली' लाने की इच्छुक थी। मुझे विश्वास है कि सत्ता में आने के बाद भी वे उस प्रस्ताव को याद रखेंगे जो कि श्री लालकृष्ण आडवाणी ने नेताओं और चुनाव आयोग की बैठकों में रखा था जबकि भाजपा विपक्ष में थी।

महोदय, हमें देखना है कि पराजित उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतों को व्यर्थ जाने देने को हर सम्भव तरीके से रोका जाना चाहिए। अन्यथा जो लोग वास्तव में मतदान में भाग लेते हैं। इससे उनके द्वारा व्यक्त इच्छा का गलत अर्थ निकलेगा। उनकी इच्छा विकृत होगी। हो सकता है काफी अधिक संख्या में लोगों ने उस उम्मीदवार के पक्ष में मतदान नहीं किया हो जिसे विजयी घोषित किया गया हो उन्हें लगेगा कि उन्होंने मतदान केन्द्र में आने और मतदान करने के लिए जो परेशानी उठायी वह सब व्यर्थ गयी और भारत के एक सम्माननीय नागरिक की हैसियत से दिया गया उनका मत बेकार गया।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: बनातवाला जी साढ़े पांच बज गये हैं इसलिए आप बैठ जाइये।

[अनुवाद]

श्री जी.एम. बनातवाला: महोदय, मैं अगली बार बोलूंगा।

[हिन्दी]

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): सभापति महोदय, क्या आधे घंटे की चर्चा के बाद फिर यह डिस्कशन शुरू होगी?

सभापति महोदय: यह हाउस के मूड पर डिपेंड करेगा।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला: महोदय, हमारा एक घंटे का समय नष्ट हो गया है, इसकी क्षतिपूर्ति होनी चाहिए।

सभापति महोदय: हां, इसकी क्षतिपूर्ति होगी।

श्री जी.एम. बनातवाला: सभापति महोदय, हमारी सुविधा के लिए कृपया इतना स्पष्ट कर दीजिए कि क्या यह विधेयक अगली बार लिया जाएगा या आप इसे आधे घंटे की चर्चा के बाद जारी रखेंगे। मैं यह जानना चाहता हूं क्योंकि मुझे हवाई अड्डे जाना होगा।

सभापति महोदय: आप इस पर आधे घंटे की चर्चा के बाद बोल सकते हैं।

श्री जी.एम. बनातवाला: इसका मतलब है कि मेरी उड़ान रद्द हो गई।

सभापति महोदय: यह आप पर निर्भर करता है।

श्री जी.एम. बनातवाला: 'मुझ पर' इसका मतलब है कि मुझे आवश्यक रूप से यहां उपस्थित होना होगा क्योंकि मैंने अभी तक निवेदन नहीं किया है।

अपराह्न 5.31 बजे

455-69

आधे घंटे की चर्चा

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर): सभापति महोदय, देश के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा देश के विभिन्न भागों को, ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क मार्ग से जोड़ने की एक अभिनव योजना प्रारंभ की गई है, जिसमें स्वर्णिम चतुर्भुज योजना तथा प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना भी सम्मिलित है। यह एक महत्वाकांक्षी योजना है, रोजगारमूलक योजना है जिसमें न केवल ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों का निर्माण होता है, अपितु लाखों-लाख की संख्या में रोजगार भी उपलब्ध होते हैं। इस योजना के तहत धन की भी कोई कमी नहीं है, हजारों-करोड़ रुपये उपलब्ध हैं। इस दृष्टि से इस महत्वपूर्ण योजना में कुछ स्थानों पर कतिपय कठिनाइयां आ रही हैं और उसी दृष्टि से जब सदन में यह प्रश्न पूछा गया और प्रश्न के दौरान जो बातें उभर कर आईं, उनमें कुछ ऐसी बातें थीं जिनका तत्काल उत्तर संभव हो नहीं था। बहुत से माननीय सदस्यों को चर्चा में भाग लेने का अवसर भी नहीं मिला था। इस दृष्टि से आज यह चर्चा उठाई जा रही है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि यद्यपि माननीय मंत्री महोदय की तरफ से काफी समाधान करने वाला उत्तर दिया गया था, किन्तु कुछ बातें ऐसी थीं जिनका समाधान तब भी नहीं हो सका था। एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ना, गांव को कनैक्टिविटी प्रदान करना और देश के लाखों-लाख गांवों को इस प्रकार जोड़ते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे मार्ग प्रशस्त करना, जिससे गांव वाले भी महसूस कर सकते हैं कि इसमें हमारा कुछ योगदान है, हमारी उन्नति के भी अवसर हैं। लगभग पचास-पचपन वर्षों की आजादी के बाद भी जिस प्रकार आज गांव उपेक्षित हैं, वे उपेक्षित गांव वाले जब प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनने वाली या बनी हुई सड़क देखते हैं तो सोचते हैं कि पहले और आज की सरकार में यह अंतर है। प्रधान मंत्री द्वारा जो निर्णय लिए गए, कितनी बेहतरीन सड़कें हैं, कल तक जिन पर चलने में कठिनाई होती थी, आज उन पर सरपट दौड़े चले जाते हैं। अब तक जो आंकड़े उपलब्ध हैं, उनके अनुसार लगभग 1,229 सड़कें पूरी तरह निर्मित हुई हैं और साथ ही लगभग 40,000 ग्रामीण बस्तियां इससे लाभान्वित हो चुकी हैं। मंत्रालय की तरफ से जो निर्देश आया है कि जहां पंचायत मुख्यालयों को एक गांव से दूसरे गांव तक जोड़ने का यत्न किया गया है वहीं प्रत्येक पंचायत मुख्यालय को मुख्य सड़क से जोड़ दिया जाए। इस तरह अगर पंचायत मुख्यालय जुड़ जाता है तो आस-पास के गांव भी निश्चित रूप से जुड़ जाएंगे। इस दृष्टि से इस योजना का महत्व इतना बढ़ गया है कि हरेक गांव वाला यह चाहता है कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनने वाली सड़क मेरे इधर से निकले और मैं भी उससे लाभान्वित होऊं।

अभी एक और नया निर्देश जारी किया गया है कि उसमें कुछ ऐतिहासिक महत्व के स्थल, कुछ पुरातत्वीय महत्व के स्थल या कुछ ऐसे स्थल जो उस विभाग में धार्मिक दृष्टि से अत्यन्त महत्व रखते हैं, उन स्थानों को भी इन सड़कों के साथ जोड़ दिया जाए। इस प्रकार एक विशद कार्यक्रम हाथ में लिया गया है, लिया जा रहा है, लेकिन जो कठिनाई आ रही है, यहां से जो मानदंड तय किए गए हैं, जिस प्रकार से डिजाइन दिए गए हैं, उस डिजाइन और मानदंड के अनुसार कई राज्यों के अंतर्गत यह काम नहीं होता। उस चर्चा के दौरान आया था कि बिहार सरकार को केन्द्र सरकार ने पैसा दिया। खर्च नहीं हुआ और खर्च हुआ है तो बहुत कम हुआ है। केन्द्र सरकार का इस बारे में कहना वाजिब है कि पहले का कम्पलीशन सर्टिफिकेट दीजिए कि पहले का निर्माण काम पूरा हो गया है। यदि उसका प्रमाणीकरण नहीं होता है तो नयी धनराशि कैसे दी जाएगी? इस तरह के कई राज्य हैं तथा और भी हो सकते हैं जहां पर इस दी हुई धनराशि का पूरा-पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं या समय पर नहीं कर पा रहे हैं और एक अच्छी योजना का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। जो डिजाइन और मापदंड हैं, उनके अनुसार कार्य किया जाए क्योंकि जो देखने में आ रहा है, उस पर पूरी निगरानी नहीं है। मैं दो-तीन बातों की तरफ मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

उसमें डिजाइन और मापदंड होते हैं। हम कई स्थानों पर गये और केन्द्र ने निर्देश भी किया कि एक ऑब्जर्वेशन कमेटी, मोनीटरिंग कमेटी हो। लेकिन केन्द्र के निर्देश के बाद भी कई राज्य हैं, जैसे मध्य प्रदेश है। मुझे कहते हुए दुख है कि वहां अब तक कई

जिलों के अंतर्गत इस प्रकार की समितियां नहीं बन पायी हैं। केन्द्र द्वारा माननीय सदस्यों की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है। मैं चाहूंगा कि इसके अंतर्गत भी दुबारा निर्देश जारी किये जायें कि ये समितियां जल्दी से जल्दी बनें ताकि कुछ काम आगे बढ़ सके क्योंकि वहां गांवों में भी अच्छी सड़कें अगर बनेंगी तो सांसद भी अपने दायित्वों का निर्वाह पूरी तरह से करेंगे। यदि सांसदों के पास निगरानी का कोई काम ही नहीं है तो वे कैसे जाकर करेंगे? मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इसकी तरफ ध्यान दें। अभी तक जो राशि यहां से दी गई है, लगभग 8000 करोड़ बनती है और उसमें वास्तविक व्यय लगभग साढ़े पांच हजार-छः हजार करोड़ व्यय हुआ है। इस तरह से पैसा विलम्ब से खर्च हो रहा है। इसके कारण 2001-2002 में सड़कें बननी चाहिए थीं, टेंडर कॉल किये जाने चाहिए थे, फाइनेलाइज किया जाना था लेकिन टेंडर कॉल करने में ही विलम्ब हो रहा है। यह एक राज्य में नहीं, अनेक राज्यों में विलम्ब हुआ है। इस विलम्ब को कैसे कम किया जा सकता है? इस विलम्ब को कम किया जाना चाहिए ताकि तेजी से काम किया जा सके। मैं समझता हूं कि इस संबंध में माननीय मंत्री जी कोई निश्चित ही निर्देश देंगे अन्यथा 2001-2002 में माननीय सदस्यों ने बैठकर अपने राज्य की दृष्टि से जो तय किया कि ये सड़कें बननी चाहिए लेकिन जब उनके टेंडर ही पास नहीं होंगे तो सड़कें कैसे बनेंगी? 2002-2003 में ...*(व्यवधान)*

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़): माननीय सदस्य टेंडर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र में जो सड़कें बन रही हैं, मेरे मध्य प्रदेश का अभी इन्होंने जिक्र किया। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: लक्ष्मण सिंह जी, अभी नहीं। इसके बाद करेंगे।

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: मैं निवेदन कर रहा था कि ये जो सड़कें बनने का काम है, इसमें विलम्ब क्यों हो रहा है? सन् 2001-2002 में हमने बैठकर तय किया। लेकिन उसके बाद भी जो टेंडर कॉल किये जाने चाहिए थे, वे समय पर पूरे नहीं हो रहे हैं। कभी इंजीनियर्स की कमी है, कभी काम करने वालों की कमी है और कभी ठेकेदार नहीं आ रहे हैं। अगर ठेकेदार बड़ा आता है तो वह सब-कांट्रैक्टर को दे देता है और सब-कांट्रैक्टर पैटी कांट्रैक्टर को दे देता है और इस प्रकार से एक के बाद एक ठेका दिया जाता है। जब हम स्पॉट पर जाते हैं तो न इंजीनियर, न ठेकेदार और केवल काम पर लगे हुए लोग ही मिलते हैं तो हम बात करें तो किससे करें? कोई जवाबदार तो वहां हो इन कठिनाइयों की तरफ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा।

तीन दिन पहले मैंने मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री जी से चर्चा की है। उन्होंने भी इस पर आश्वस्त किया कि इस बारे में वह ध्यान देंगे। लेकिन मैं एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि कई बार मुख्य मंत्री जी उदारतापूर्वक बात करते हैं लेकिन हमारे जो मंत्री महोदय हैं, वह तो लक्ष्मण सिंह जी के क्षेत्र में भी आ सकते हैं और दूसरे क्षेत्र में भी जा सकते हैं। लेकिन शायद मंत्री महोदय को भूमि पूजन का इतना शौक है कि हमारा बजट सैशन चल रहा है और वहां पर भूमि पूजन का कार्यक्रम रख दिया। मैंने माननीय मंत्रीजी से बातचीत की और पूछा कि यह क्या कर रहे हैं, बजट सैशन चल रहा है और वित्त विधेयक 28 तारीख को है।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): इसमें तो आपको करना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: मैं वही बात माननीय मंत्री जी के ध्यान में ला रहा हूं। मैंने कहा कि मुख्य मंत्री जी इस बारे में उदार हैं। उन्होंने कहा कि मैं फिर से निर्देश जारी करूंगा कि मंत्री ऐसा न करें। लेकिन वहां के मंत्री ऐसा कर रहे हैं। 28 तारीख को मेरे क्षेत्र के अंदर बिना मेरी जानकारी के, बिना मुझे सूचित किए उन्होंने कार्यक्रम रख लिया। मैंने कहा भी था कि संसद का बजट सत्र चल रहा है और 28 तारीख को वित्त विधेयक पास होना है, मैं आपका आग्रह मान लेता, लेकिन मैं नहीं आ सकता। इसी तरह से दूसरे भी मंत्री हैं। विभाग वालों ने भी कहा कि वे नहीं आएंगे। ठेकेदार भी नहीं आया। पंचायत के सरपंच को बुला लिया और भूमि पूजन कर दिया। इसलिए जो भी वहां पर इंचार्ज है, जो अधिशासी अभियंता है, जो उसकी देखरेख करते हैं, उनको निर्देशित किया जाए।

सभापति महोदय: स्पीच नहीं देनी है, केवल प्रश्न पूछने हैं। इसलिए आप समाप्त करें।

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं। आपका जो रोड मैनुअल है, उसका पालन होना चाहिए। मैं इसकी धाराओं की तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन उसमें स्पष्ट है कि सांसदों की सहमति ली जाए, उनसे परामर्श किया जाए, जबकि ऐसा नहीं किया जा रहा है। यह एक ऐसी योजना है जिसको जल्दी से जल्दी पूरा करके लोगों को लाभान्वित किया जाना है। इसमें जो कठिनाइयां पैदा हो रही हैं, उनको दूर किया जाए। जो निर्देश हैं, उनके साथ मध्य प्रदेश का एक नया निर्देश और आ गया है कि सांसद द्वारा प्रदत्त निधि के कार्य पंचायतों को पांच लाख रुपए तक काम करने का अधिकार दिया जाए। हम पंचायत की इज्जत करते हैं। इसी सदन में हमने पंचायती राज संबंधी विधेयक पास किया था। लेकिन पंचायतों के पास न तो इंजीनियर्स हैं, न रोलर हैं और न ही अन्य साधन हैं। अगर कोई पंचायत करने में सक्षम हो तो उसको देना चाहिए, अन्यथा पांच लाख रुपए तक के कार्य पंचायतों

[डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय]

को दिए जाएंगे तो काम की गुणवत्ता नहीं रहेगी। यह केवल केन्द्र का निर्देश नहीं है, कई बार राज्यों के विभाग भी ऐसे निर्देश दे देते हैं। इसलिए इस पर ध्यान देना चाहिए। सांसदों के अधिकारों में हस्तक्षेप है।

वन भूमि के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। अगर रोड बनाने के बीच में वन भूमि आ जाए, तो यह केन्द्र का विषय हो जाता है। उसमें राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती। अगर वन भूमि में सड़क चली जाए तो उस जगह केन्द्र सरकार को अधिग्रहण करके काम आगे चलाना चाहिए। इसी तरह से जहां-जहां निजी भूमि आती है, वहां भी कई दिक्कतें आती हैं, क्योंकि कोई दावा कर देता है, आपत्ति पेश कर देता है। इसलिए उसके भी अधिग्रहण संबंधी अगर नियम में संशोधन करना पड़े, तो करना चाहिए, जिससे सड़क बनाने का काम बाधित न हो।

कई राज्यों द्वारा अच्छा काम भी किया जा रहा है। मैंने मध्य प्रदेश की बात कही है। वहां विकास की दृष्टि से ग्रामीण सड़क प्राधिकरण बनाया है। इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कम से कम सांसदों की उपेक्षा करके या उनके अधिकारों पर कुठाराघात करके वह काम न करें। मंत्री जी देखें कि काम ठीक हो रहा है या नहीं। यह कार्य जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए, ताकि गांव हम गांव वालों को इस योजना के माध्यम से लाभान्वित कर सकें और अन्त में पुन: कहूंगा कि केन्द्र के निर्देशों का पालन हो। आब्जर्वेशन और मानीटरिंग कमेटियां शीघ्र गठित हों।

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): सभापति महोदय, डा. पांडेय ने बहुत से मुद्दे सदन के सामने प्रस्तुत किए हैं। मैं केवल दो-तीन प्रश्न ही करना चाहूंगा। केन्द्र सरकार ने जो गाइडलाइन बनाई है, उसमें यह है कि संबंधित सांसदों की सहमति भी उसमें ली जाए, परंतु ऐसा नहीं हो रहा है। सतर्कता और मानीटरिंग कमेटी बनाने के आदेश ही नहीं दिए गए। यहां से कमेटी के अध्यक्ष के रूप में सांसदों को मनोनीत कर दिया गया, लेकिन उनको काम करने का अवसर ही नहीं दिया जा रहा है। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में काम का जो लक्ष्य तय किया गया है, उससे पीछे काम चल रहा है। अभी तक लगभग आठ हजार करोड़ रुपए स्वीकृत होकर राज्यों को दिए गए हैं, परंतु 3658 करोड़ रुपए ही खर्च हुए हैं। लक्ष्य है कि 500 आबादी के सभी गांव 2007 तक सड़क मार्ग से जोड़ दिए जाएं, लेकिन अभी तक एक तिहाई काम भी नहीं हुआ है। इसके साथ-ही-साथ समय-समय पर जो आदेश दिए गए हैं, उनके अनुसार मौके पर मुआयना करने के लिए वाहन की सुविधायें अगर उपलब्ध करानी पड़ें, तो कराई जायें, ताकि यह देखा जा सके कि आदेशों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं, केन्द्र की गाइडलाइन्स के अनुसार सतर्कता एवं मोनिटरिंग कमेटी बनाई गई है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उनका पालन करवाने की व्यवस्था सरकार करेगी? मेरा दूसरा प्रश्न है। योजना का लक्ष्य 2007 तक पूरा करने की स्वीकृति आप देने वाले हैं, लेकिन स्वीकृति के लिए सहमति लेना आवश्यक है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इसको आप मैंडेटरी करेंगे या नहीं?

[अनुवाद]

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा): सभापति महोदय, धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-गांवों के लिए एक बहुत ही उपयोगी कार्यक्रम है और उसके साथ ही भारत सरकार ने इसके लिए निगरानी और सतर्कता समिति का गठन करके एक साहसिक कदम उठाया है। तमिलनाडु सहित कई राज्यों में इसका कतई कार्यान्वयन नहीं किया गया है। जब हमने संबंधित कलक्टर से पूछा तो उसने बताया कि उसे इस बारे में राज्य सरकार से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है अत: वह समिति के गठन के लिए तैयार नहीं था। लेकिन ऐसी समिति का गठन करना वास्तव में एक साहसिक और प्रशंसनीय कदम था। संविधान में 74वें और 75वें संशोधनों के कार्यान्वयन के बाद पहली बार पंचायतों और चुने हुए सदस्यों को और अधिक शक्तियां प्रदान करने के लिए यह श्री राजीव गांधी की स्वप्न परियोजना थी-निगरानी और सतर्कता समिति के गठन का तरीका शुरु किया गया है। संसद सदस्य, विशेषकर लोक सभा का सदस्य इस समिति का सभापति होगा; अन्यथा समिति के गठन के बाद उसके द्वारा कार्यक्रम को स्वीकृति दिये जाने पर ही केन्द्र से इसके लिए धनराशि जारी की जाएगी।

इसके साथ ही 500 लोगों की जनसंख्या की सीमा दी गई है। बहुत से गांवों, विशेषकर समुद्र के किनारे के क्षेत्रों और पिछड़े जिलों के गांवों की जनसंख्या 200 या 250 है। इन जिलों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं लिया गया है। मेरा सुझाव है कि इन गांवों को भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत लिया जाना चाहिए। सम्पर्कता बहुत महत्वपूर्ण है और इन क्षेत्रों के पिछड़े लोगों को मुख्य धारा में लाया जाना चाहिए। उन्हें एक दिशा दिये जाने की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रशंसनीय है लेकिन इसका कार्यान्वयन कम जनसंख्या के लिए भी किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय: कृपया अपना स्पष्ट प्रश्न पूछिए।

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: सरकार को समुद्रतटीय पिछड़े और वन क्षेत्रों को प्राथमिकता देने के लिए कदम उठाने चाहिए

जबकि वनों को भी इस प्रकार की सम्पर्कता के कार्यक्रम के अंतर्गत लाया जा रहा है।

राज्य सरकार उस तरह की स्वीकृति बिलकुल नहीं दे रही है। उनका कहना है कि उन्हें पर्यावरण मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। अत: वे उस सड़क को वन से गुजरने नहीं दे रहे हैं। इसलिए सरकार को व विभाग को शक्तियां देने के लिए कदम उठाने चाहिए ताकि वे संपर्क सेवा उपलब्ध करा सकें। तमिलनाडु में मुख्य मंत्री करोड़ों रुपए की परियोजनाओ का इस तरह उद्घाटन कर रही है जैसे मानो इन परियोजनाओं के लिए धन राज्य सरकार उपलब्ध करा रही हों। मैंने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से एक बस स्टैंड के निर्माण के लिए धन दिया। इसको उद्घाटन किया जाने वाला था। इसके लिए निमंत्रण-पत्र भेज दिए गए थे किंतु इसे रोक दिया गया क्योंकि सुश्री जयललिता संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के माध्यम से निर्मित परियोजनाओं और यहां तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनाई गई सड़कों का उद्घाटन भी स्वयं करना चाहती है, ताकि वे राज्य की जनता को यह दिखा सकें कि यह कार्य उन्होंने किया है। अत: इस तरह की बातें रोकी जानी चाहिए और यह दिखाना चाहिए कि यह पूर्णत: भारत सरकार का कार्यक्रम है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस संबंध में कदम उठाएगी।

सभापति महोदय: श्री अशोक अर्गल-उपस्थित नहीं, एक विशेष मामले के रूप में मैं दो या तीन सदस्यों को बोलने की अनुमति दे रहा हूं।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: सभापति महोदय, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत प्रथम चरण के लिए एक हजार की आबादी के गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें स्पष्ट निर्देश हैं कि वे गांव जो किसी भी तरह से सड़क मार्ग से नहीं जुड़े हैं, उन गांवों को ही चयनीत किया जाएगा। मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में और खास कर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जिन सड़कों को चयनीत किया गया है, उसमें इस निर्देश का अनुपालन नहीं किया गया है। 18 सड़कें मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में चयनीत की गई है। मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं कि 13 सड़कें इस मानक को पूरा नहीं करती हैं। जिन लोगों ने भारत सरकार के इस दिशा-निर्देश का उल्लंघन किया है, क्या उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करेंगे?

भारत सरकार ने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए सड़कों का चयन और उसके लोकार्पण के लिए समय-समय पर दिशा-निर्देश दिए हैं लेकिन मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और दूसरे तमाम राज्यों के सदस्यों ने अपनी व्यथा कही है, उससे अपने को सम्बद्ध करते हुए कहना चाहता हूं कि भारत सरकार ने जो दिशा-निर्देश दिए हैं, उनका अनुपालन राज्य में अधिकारियों द्वारा नहीं किया जा रहा है। या भारत सरकार अपने उस दिशा-निर्देश को वापस ले ले अन्यथा भारत सरकार अपने द्वारा दिए दिशा-निर्देश का अनुपालन कराएं।

आपने अभी मॉनिटरिंग और विजिलैंस कमेटी केन्द्र पुरोनिर्धानित योजनाओं की समीक्षा के लिए बनायी है। हमारे यहां काफी संघर्ष के बाद विजिलैंस और मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया। इसकी बैठक भी हुई लेकिन मुझे उस बैठक का कड़वा अनुभव यह है कि उसमें जिलाधिकारी सहित जितने भी अधिकारी रहे उन्होंने उस बैठक के प्रति उपेक्षा के भाव प्रदर्शित किए। हमने जो तमाम सूचनाएं मांगी थी उन्हें उस कमेटी में नहीं रखा गया और अब तक उन सूचनाओं को उपलब्ध नहीं कराया गया। जो विलैंस और मॉनिटरिंग कमेटी बनायी है, उसके अंतर्गत राज्यों को स्पष्ट तौर पर यह दिशा-निर्देश जाने चाहिए कि जो सूचनाएं अध्यक्ष द्वारा मांगी जा रही हैं, वे उपलब्ध करायी जाएं और जो अनियमितताएं आइडैंटिफाई हों उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। जब तक भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अक्षरश: पालन न हो तब तक उस फंड के कार्यान्वयन पर रोक लगा दे।

मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र का एक उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक राज्य मंत्री ने तीन सड़कों का शिलान्यास कार्यक्रम कर लिया। जब हमने जिलाधिकारी को पत्र लिखा तो उन्होंने अधिशासी अभियंता से पत्र लेकर मुझे लिखा कि विभाग ने कोई शिलान्यास कार्यक्रम नहीं करवाया। मैंने कहा कि भारत सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार शिलान्यास कार्यक्रम सम्पन्न करवाएं परन्तु शिलान्यास कार्यक्रम सम्पन्न नहीं हुआ। आप अपने दिशा-निर्देश के अनुसार लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम सम्पन्न कराने के लिए निर्देश दें।

श्री चन्द्र विजय सिंह (मुरादाबाद): सभापति महोदय, मैं विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश से संबंधित एक मसला उठाना चाहता हूं कि कोई केन्द्रीय मंत्री आदेश देता है और उत्तर प्रदेश शासन उसका उल्लंघन करते हुए उसके विपरीत तीन-चार आदेश दे चुका है। पहला शान्ता कुमार जी का आदेश था उसमें स्पष्ट लिखा गया था कि

[श्री चन्द्रविजय सिंह]

[अनुवाद]

सख्त हिदायत दी गई है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधी समारोहों को समुचित ढंग से आयोजित किया जाए और शिलान्यास अनिवार्य रूप से संबंधित सांसद द्वारा किया जाए।

[हिन्दी]

उसके ऊपर उत्तर प्रदेश शासन के मोहम्मद हलीम खां, सचिव लिखते हैं "क्षेत्र के विधायक, ग्राम पंचायतों के, जिला पंचायतों के लोगों की अनुमोदन की भी आवश्यकता है।"

इसके अतिरिक्त 19 सितम्बर को प्रिंसिपल सैक्रेटरी उत्तर प्रदेश लिखते हैं कि

[अनुवाद]

सड़क का उद्घाटन संसद सदस्य को करना चाहिए। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव का 14 फरवरी, 2003 का एक और पत्र मिलता जिसमें लिखा होता है कि शिलान्यास के लिए चयनित पत्थर पर संसद सदस्य के साथ-साथ विधायक का नाम भी लिखा जाना चाहिए। यहां यह निर्णय स्थानीय स्तर पर लिया जाना चाहिए। इसमें भ्रम पैदा करने की पूरी गुंजाइश है। उत्तर प्रदेश में यही हो रहा है। वहां भ्रम की स्थिति बनी हुई है।

[हिन्दी]

हम चाहते हैं कि जिला परिषद के अनुमोदन की आवश्यकता समाप्त हो, जिला परिषद से अनुमोदन न हो। इसमें एम.पी. की हिस्सेदारी होनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): सभापति महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। इन कार्यक्रमों के चयन में, ब्लाकों के चयन में, इन कार्यक्रमों पर निगरानी रखने और इनके कार्यान्वयन में संसद सदस्यों की क्या भूमिका है, यद्यपि एक निगरानी समिति गठित की गई है किंतु इस समिति की कोई बैठक नहीं की जा रही है और जिला कलेक्टरों के पास इस संबंध में कोई सूचना नहीं है। इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में प्राधिकारियों द्वारा हमारी पूरी तरह उपेक्षा की गई है।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या ग्रामीण विकास मंत्रालय संबंधित अधिकारियों को इन कार्यक्रमों के उचित ढंग से और संपूर्ण देश में समान रूप से कार्यान्वयन के बारे में समुचित अनुदेश देगा। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सभी राज्यों को समान दिशा-निर्देश दिए जाएंगे। मेरा आग्रह है कि इसके उचित कार्यान्वयन के लिए एक तंत्र होना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह: सभापति महोदय, इस बात का कनफ्यूजन हो रहा है क्योंकि सड़कों के ठेके यहां से दिये गये हैं, राज्य सरकार ने नहीं दिये हैं। जो मुख्य ठेकेदार हैं, उसने ठेका लेकर दूसरे को दे दिया। यदि उसका हिसाब-किताब नहीं जमा तो उसने आगे दूसरे को दे दिया और यदि उसका भी हिसाब-किताब नहीं जमा तो काम ही शुरू नहीं हुआ। मूल समस्या यह है कि इस प्रकरण की जांच होनी चाहिए कि ठेका ऊंची दरों पर क्यों दिया गया है? यही कारण है कि काम नहीं हो रहा है और समितियां नहीं बन पायी हैं। राज्य सरकार के सामने यही समस्या है। ठेकेदार आते नहीं, काम शुरू नहीं होता। सभापति महोदय, मामला गम्भीर है। इस ओर केन्द्र सरकार को ध्यान देना चाहिए। लेकिन दोष राज्य सरकार पर मढ़ दिया जाता है। इस बात को देखा जाये। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है, कृपया बैठ जायें।

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर): सभापति महोदय, मैं सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य में राज्य सरकार द्वारा भेजे गये प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाता है लेकिन सांसदों की अनुशंसा के आधार नहीं माना जाता है। क्या मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करेंगे कि क्या सांसदों की अनुशंसा अनिवार्य है या नहीं? इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत जिन सड़कों का शिलान्यास किया जाता है, सांसदों को अनदेखा किया जाता है। क्या ऐसी परिस्थिति में दूसरी बार शिलान्यास के समय सांसदों को महत्व दिया जायेगा?

सभापति महोदय, मेरा तीसरा बिन्दु यह है कि एक या दो हजार की जनसंख्या वाले गांवों में दो तरह की रोड बनती हैं। इसमें तीन किलोमीटर और दो किलोमीटर रोड के बीच में गैप रह जाता है। उस गैप को कौन बनाये? क्या मंत्री महोदय स्पष्ट करेंगे कि उसकी लम्बाई बढ़ाने के लिए स्वीकृति प्रदान करेंगे? यदि यह गैप नहीं पूरा होता तो आवागमन में असुविधा होती है और मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए मेरा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का क्या औचित्य है? क्या सरकार ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत रोड की लम्बाई बढ़ाये जाने के लिए कार्यवाही करेगी?

श्री धर्मराज सिंह पटेल (फूलपुर): सभापति महोदय, मैं उसी बात को पुन: दोहराना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़क की चौड़ाई सीमा क्या है और जहां गांव में जमीन नहीं मिल पा रही है, वहां क्या स्थिति है? वहां कितनी चौड़ाई ली जायेगी?

सभापति महोदय, दूसरी बात यह है कि मैं उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले से आता हूं। इलाहाबाद के दो निर्वाचन क्षेत्र हैं- इलाहाबाद एवं फूलपुर। इलाहाबाद से डा. मुरली मनोहर जोशी सांसद हैं और फूलपुर से मैं सांसद हूं। सरकार ने शायद डा. मुरली मनोहर जोशी को निगरानी समिति का अध्यक्ष बनाया है लेकिन फूलपुर के लिए बनी निगरानी समिति में मुझे रखा गया है या नहीं, आज तक पता नहीं है। वहां सड़कों के निर्माण के लिए ठेके दिये जा रहे हैं। इंजीनियर्स लूट-खसोट कर रहे हैं। निगरानी समिति काम नहीं कर रही है। सरकार उन्हें मनमाने अधिकार देती है जिससे चाहे वे जो करें। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। उसकी जिम्मेदारी किस पर होगी, मैं यह मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

[अनुवाद]

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्री (श्री अनंत कुमार): सभापति महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इस अत्यन्त महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लिया।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना राजग सरकार द्वारा शुरू किया गया अत्यन्त सफल कार्यक्रम है। वस्तुत: 1,60,000 बस्तियों को जोड़ने के लिए 60,000 करोड़ रु. का आबंटन कुछ वर्षों के लिए किया गया है।

[हिन्दी]

इसमें सांसदों की क्या पात्रता होनी चाहिए, ऐसा बार-बार पूछा गया है। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सभी प्रदेश सरकार को गाइडलाइन्स भिजवा दी गई हैं।

[अनुवाद]

हमने यहां कहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत संसद सदस्यों के प्रस्तावों पर पूरा विचार किये जाने की आवश्यकता है।

सायं 6.00 बजे

प्रत्येक जिले में बिना संपर्क वाली बस्तियों की सूची और उनकी आबादी तथा कोर नेटवर्क के भाग के रूप में निर्धारित की गई सड़कों की सूची संसद सदस्यों के पास भेजी जानी चाहिए। संसद सदस्यों को अपनी राय देने में सहायता देने के लिए यह सुनिश्चित करने का दायित्व जिला पंचायत पर होगा कि प्रस्तावों को तैयार करते समय, दिशानिर्देशों के अन्तर्गत संसद सदस्यों से प्राप्त प्रस्तावों पर पूरा विचार किया जाए। ...*(व्यवधान)*

श्री धर्मराज सिंह पटेल: एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए।

श्री अनंत कुमार: मैंने कम्पलीट नहीं किया है।

सभापति महोदय: अभी माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं, आप उनकी पूरी बात सुन लीजिए।

श्री धर्मराज सिंह पटेल: माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो सांसद अपनी रिकमेंडेशन देंगे, उसे जिला पंचायत पास करेगी। वहां जिला पंचायतों में यह हो रहा है कि जिला सांसदों की बात और एम.एल.ए. की बात नहीं मानी जायेगी। जिला पंचायतों में सदस्यों की संख्या सौ के आसपास रहती है। वे कहते हैं कि हम पास नहीं करेंगे, जब तक हमारी बात नहीं मानी जायेगी।

सभापति महोदय: ठीक है, वैसी हालत में मंत्री जी समाधान देंगे, आप बैठिए।

श्री अनंत कुमार: हमने कभी यह नहीं कहा। सड़कों का जो कोर नैटवर्क है, उसे जिला पंचायत ही तैयार करेगी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ही तैयार करेगा। लेकिन सांसदों को भी हक है, वे एक प्रस्ताव भेज सकते हैं। उन दोनों प्रस्तावों को मिलाकर एक कोर नैटवर्क का प्रोपोजल बनायेंगे और उसे हमें दे देंगे।

श्री धर्मराज सिंह पटेल: इसमें कंट्रोवर्सी है।

श्री अनंत कुमार: ऐसा ही होगा।

[अनुवाद]

अतएव, मैं एक बार फिर दिशा-निर्देश परिचालित करूंगा कि सड़कों के कोर नेटवर्क को बनाते समय, बस्तियों को जोड़ने वाली विभिन्न सड़कों का शिलान्यास करते समय संसद सदस्यों के प्रस्तावों पर भी विचार किया जाना चाहिए।

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: निगरानी समिति के विषय में आप क्या कहेंगे?

श्री अनंत कुमार: मैंने संसद सदस्यों, नामत: डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय, कुंवर अखिलेश सिंह, श्री रमेश चेन्नितला, श्री लक्ष्मण सिंह और अन्यों द्वारा व्यक्त चिन्ताओं पर ध्यान दिया है। अतएव, हम सब राज्य सरकारों को लिखेंगे ...*(व्यवधान)* वैसे भी हम

[श्री अनंत कुमार]

सभी राज्य सरकारों को लिखेंगे और मैं व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्रियों से बात करूंगा कि संसद सदस्यों की भूमिका को सुनिश्चित किया जाए। कोर नेटवर्क को बनाने में, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन में, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के शिलान्यास या उद्घाटन से जुड़े किसी भी समारोह में संसद सदस्यों की भूमिका सुनिश्चित की जानी चाहिए। यदि माननीय सदस्य इस संबंध में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो वे मुझे अभ्यावेदन दे सकते हैं ताकि मैं संबद्ध राज्य सरकारों के साथ मामले को व्यक्तिगत तौर पर उठा सकूं।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: जो मामले अभी आपके सामने उठे हैं, इन्हें तो आप करेंगे।

श्री अनंत कुमार: हम जरूर करेंगे।

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: अभी मॉनीटरिंग कमेटी का गठन नहीं हुआ है। *...(व्यवधान)* आपने नाम दे दिया। *...(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार: मैं अभी उस पर नहीं आया हूं।

[अनुवाद]

मैंने निगरानी समिति की बात अभी नहीं की है। दूसरे जहां तक निगरानी समिति का संबंध है, केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों के लिए पहले ही सतर्कता और निगरानी समिति का गठन कर दिया है। यदि कुछ राज्यों ने अभी इसका कार्यान्वयन नहीं किया है तो हम इन मुद्दों को व्यक्तिगत तौर पर राज्यों के साथ उठाएंगे। कमोबेश, अधिकांश राज्यों ने इस सतर्कता और निगरानी समिति को स्वीकार कर लिया है। मैं यह भी जानता हूं कि विभिन्न राज्यों के संसद सदस्यों से रिपोर्ट मिली है कि इन निगरानी समितियों और निगरानी समिति के अध्यक्षों को आवश्यक सहयोग नहीं दिया जा रहा है। मेरे विचार से पूरा कार्यक्रम शैशवावस्था में है। मैं आशा करता हूं कि सभी माननीय सदस्य भारत सरकार के प्रयासों की सराहना करेंगे। पहली बार ऐसा प्रयास किया गया है कि केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना को माननीय संसद सदस्यों की सक्रिय सहभागिता से लागू किया जा रहा है। वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना तथा केन्द्र सरकार की अन्य विभिन्न योजनाओं में आपके पास ऐसा संस्थागत तंत्र नहीं है। लेकिन यह पहला कार्यक्रम है जिसमें माननीय सदस्य सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। मैं पूर्णत: सहमत हूं कि सुधार के लिए गुंजाइश है और हम उस सुधार के लिए कोशिस करेंगे।

अंत में, निविदा के संबंध में हम निविदा दस्तावेज परिचालित करेंगे। हम इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि क्या हमें ठेकेदारों के लिए पूर्व अर्हता मानदण्ड बनाने चाहिए ताकि ठेकेदार आगे ठेके न दे सके अथवा उन ठेकेदारों को ठेका न दिया जाए तो वास्तव में पूरी परियोजना को क्रियान्वित नहीं कर सकते हैं।

वन भूमि संबंधी मामले पर हमने पर्यावरण और वन मंत्रालय के साथ बातचीत की है। वह सहमत हो गए हैं कि पर्यावरण और वन मंत्रालय की क्षेत्रीय समितियों को प्रति परियोजना स्वीकृत किए जाने की अनुमति होगी। यदि संबद्ध माननीय सदस्य इन क्षेत्रीय समितियों के साथ मामला उठाएंगे तो वे प्रति परियोजना पांच हैक्टेयर वन भूमि स्वीकृत करेंगे।

धीमा क्रियान्वयन का जहां तक संबंध है तो यह केन्द्र सरकार का दायित्व है कि वह धनराशि आबंटित करे। हम पहले ही धनराशि आबंटित कर चुके हैं। सभा के समक्ष यह कहते हुए खेद हो रहा है कि हमने बिहार राज्य को 300 करोड़ रुपए दिए थे लेकिन क्रियान्वयन के पहले वर्ष अर्थात् 2001-02 में उन्होंने माना 50 करोड़ रुपये खर्च किए और उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 300 करोड़ रुपये से अधिक की राशि नहीं ली है।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: जब बिहार की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश का भी बता दीजिए।

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार: मेरे विचार से मैंने माननीय संसद सदस्यों द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय इस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को सफल बनाने में माननीय सदस्यों की सहायता तथा सहयोग करने के लिए अत्यधिक उत्सुक है।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: माननीय मंत्री जी को मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। जब डीटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट सैंक्शन करते हैं तो उस समय माननीय सांसदों की राय ले लें तो निश्चित रूप से इसका समाधान हो जाएगा।

सभापति महोदय: माननीय मंत्री जी, यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर माननीय धर्मराज सिंह पटेल जी ने आपसे एक समाधान चाहा था कि जब जिला पंचायतों में माननीय सांसदों की अनुशंसा की अनदेखी होती है, ऐसी स्थिति में आप क्या समाधान देते हैं, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना और कोर नेटवर्क की गाइडलाइन्स के तहत?

श्री अनंत कुमार: हम केवल परसुएड कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को क्योंकि हर प्रदेश के जिले में कितनी अनकनैक्टेड हैबिटेशन हैं, उसका पूरा ब्यौरा उनके पास होगा। इसलिए वह कोर नेटवर्क का प्रपोजल बनाएंगे और जो प्रपोजल हमारे माननीय संसद सदस्य देंगे, उसका मेल बैठाने की कोशिश हम करवाएंगे।

कुंवर अखिलेश सिंह: मैं माननीय मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूं कि सम्पूर्ण कार्य योजना को अगर जिला पंचायत और जिला प्रशासन तैयार करें और सड़कों की प्राथमिकता सांसद तय करें तो समस्या का समाधान हो जाएगा।

सायं 6.08 बजे

संविधान (संशोधन) विधेयक—*जारी*

(अनुच्छेद 81 और 170 का संशोधन)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब सभा मद संख्या 31 पर विचार करेगी। श्री जी.एम. बनातवाला।

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): माननीय सभापति महोदय, मैं मतदान की 'फस्ट पास्ट दि पोस्ट' प्रणाली में गंभीर खामियों के बारे में बोल रहा था मैंने बताया था कि इस प्रणाली के अंतर्गत मतों की बहुत बर्बादी है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): सभापति जी, मैं बनातवाला जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने कहा है कि उनका बिल अगली बार ले लिया जाए? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यदि सदन की सहमति हो तो यह बिल अगले सप्ताह ले लिया जाए?

अनेक माननीय सदस्य: हां, हां।

सभापति महोदय: सदन की सहमति है कि यह बिल अगले सप्ताह ले लिया जाए। अब सभा सोमवार पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.09 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 5 मई, 2003/15 वैशाख, 1925 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।